

विषय	श्लोक	पृष्ठ	विषय	श्लोक	पृष्ठ
युगधर्म	८१-८३	२०	अतिथि सत्कार	६६	१०३
ब्राह्मणादि वर्णों का धर्म	८८	२२	अवशिष्टान्नेन गृह		
द्वितीय अध्यायः			चतुर्थो अध्यायः		
धर्म और उसके- अधिकारी	२	२६	ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ्य- काल	१	१४६
धर्म की वेदमूलता	८	३०	ब्राह्मण वृत्ति	२	१४७
अति स्मृति प्रामाण्य	१०	३१	असत्जीविकानिषेध	११	१४८
ब्रह्मावर्त आर्यावर्त	१६-२२	३३	हन्द्रियार्थाशक्ति निषेध	१६	१५०
वर्णधर्म	२६	३४	दोष और दैनिक कर्मनिषेध	३७ ६६	१५४-१६१
सरकार	२६-३८	३५	सत्य बोले	१३८	१७७
वेदाध्ययन विधि	७०	४३	वृथावाद न करे	१३६	१७७
गुरु के पास यास- के नियम	१८	५१	नदियों का स्नान	२०३	१७८
अधिकारी-			यम नियम	२०४	१६१
अनधिकारी	१७१	६४	जलभूमिदान फल	२०८	१६७
त्रिवर्ग	२२४	७५	ब्रह्म चिन्ता	२५८	२०४
तृतीय अध्यायः			पंचम अध्यायः		
ब्रह्मचर्य विधि	१	८१	मृत्यु क्यों होती है	४	२०७
छाठ प्रकार के विवाह	२७-३५	८७-८८	लहसुन निषेध	५	२०६
सर्वण असर्वण- विवाह	४३-४४	६१	अभक्ष्य क्षीर	८	२०६
पंच महायज्ञ	७०	६७	भक्ष	१०	२०७
धर्म	८०	६६	प्रायश्चित्त	२०	२०६
			यज्ञार्थवध	३६	२१४
			अशौच	६६	२२१

विषय	श्लोक	पृष्ठ	विषय	श्लोक	पृष्ठ
पातिव्रत्यफल	१६४	२४५	१७ दास प्रकार	४१५	४२७
षष्ठ अध्यायः			नवम अध्यायः		
षानप्रस्थ	१	२४६	स्त्री धर्म	१	४२६
परिव्राजक नियम	४३	२५६	स्त्री स्वभाव	१४	४३१
श्राण्यायाम प्रशंसा	७०	२६३	स्त्री प्रशंसा	२६	४३४
मोक्षसाधक कर्म	७५	२६४	व्यभिचार फल	३०	४३४
संन्यासी कर्म	८६	२६७	नियोग	५६	४४१
चार आभम	८७	२६७	विवाह की-		
दशविधि धर्म	६२	२६८	आवश्यकता	६५	४५०
सप्तम अध्यायः			स्त्री पुरुष व्यभिचार	१०१	४५१
राजधर्म	१	२७०	दायभाग	१०३	४५२
राजप्रशंसा	६	२७१	पुत्र शब्दार्थ	१३८	४५६
दण्डोत्पत्ति	१४	२७३	कुपुत्र निन्दा	१६१	४६५
सचिव	५४	२८२	दत्तक औरसाद	१६५	४६६
दूत	५६	२८५	द्वादश पुत्र लक्षण	१६६	४६६
दुर्ग	७०	२८६	स्त्री अलंकार		
करप्रदण	८०	२८८	विभाजन	२००	४७४
प्रजारक्षण	११३	२९६	राजमार्ग पर मत्तादि		
राजसभा	१४५	३०४	स्याम करने पर दंड	२५२	४८३
राजरक्षा	१८०	३१३	मिथ्या चिकित्सा		
राजव्यवहार	२१५	३२२	दण्ड	२८४	४९४
अष्टम अध्यायः			वैश्य धर्म	३२६	५०४
१८ विवाह	४	३२६	शूद्र धर्म	३३४	५०५
साक्षी	६१	३४०	दसम अध्यायः		
पृथा शपथ दोष	१११	३५२	द्विजवर्ग कथन	४	५०७

विषय	श्लोक	पृष्ठ	विषय	श्लोक	पृष्ठ
वर्ण संकर	८	५०८	जीवात्म परिचय	१३	६०७
ब्राह्म	२०	५११	जीवोंकी अनन्तता	१५	६०८
दस्यु	४४	५१६	परलोक	१६	६०८
साधारण धर्म	६३	५२३	भोगानन्तर	१७	६०८
इष्ट कर्म	७५	५२६	धर्माधर्म	२०	६०६
तत्रिय वैश्य कर्म	७७	५२७	त्रिविध गुण कथन	२४	६१०
द्विजोंके श्रेष्ठकर्म	८०	५२८	त्रिविध गुण-		
आपद्धर्म	८१	५२८	लक्षण	२६-३३	६११-६१२
			त्रिविध गति प्रकार	४१	६१४
एकादश अध्यायः			पाप विशेष से-		
स्नातक वर्ग	१	५४१	योनि विशेष	५३	६१७
स्नातक धर्म	२	५४२	मोक्षोपाय	८३	६२५
पट चण्वासों का			वेदोक्त कर्म	८६	६२५
आहार	१६	५४५	प्रवृत्ति निवृत्ति	६०	६२७
प्रायश्चित्त	५३	५५३	समदर्शन	६१	६२७
मद्वापातक	५५	५५३	वेदाभ्यास	६२	६२७
पाप न द्विपावे	२२७	५६५	वेद प्रशंसा	६७	६२८
तप प्रशंसा	२३४	५६७	तप और विद्या से-		
वेदाभ्यास प्रशंसा	२४५	५६६	मोक्ष	१०४	६३०
रहस्य प्रायश्चित्त	२५७	६०२	धर्म लक्षण	१०६	६३०
			प्रलय	१२०	६३५
द्वादश अध्यायः			आत्म स्वरूप	१२२	६३५
शुभाशुभधर्म फल	३	६०५	आत्म दर्शन	१२५	६३५
त्रिविध कर्म	५	६०६	स्मृतिप्रत्योक्तैः अभ्यास-		
त्रिविध कर्म फल	८	६०६	का फल तथा-		
क्षेत्रज्ञ परिचय	१२	६०७	शास्त्र का महाव	१२६	६३६



❀ मनुस्मृति ❀

प्रथमोऽध्यायः

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः ।

प्रतिपूज्य यथान्याय मिदं वचनमब्रुवन् ॥१॥

(१) मनुजी एकाग्रचित्त बैठे हुए थे, उसी समय उनके पास बड़े-बड़े ऋषि आये और परस्पर के अभिवादानादि के पश्चात् उन्होंने यह बात कही कि—

भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।

अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमहेसि ॥२॥

(२) हे भगवन्! सब वर्णों और वर्णसङ्घों के धर्म हम से ठीक-ठीक कहिये, क्योंकि—

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः ।

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्य्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ॥३॥

(३) प्रभो! अचिन्त्य, अप्रमेय और अनादि-वेद में जो कर्म वर्णन किये गये हैं, उनके यथार्थ भाव को जानने वाले एक आप ही हैं।

स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महान्मभिः ।

प्रत्युवाचार्य्य तान्सर्गान्महर्षीञ्छ्रूयतामिति ॥४॥

(४) जब उन महात्माओं ने इस प्रकार उन ते-
महात्मा से पूछा, तब श्री मनुजी ने उन सत्र महर्षियों की
करके कहा कि सुनिये— ❀

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ ५ ॥

(५) यह सब जगत्-पहिले प्रकृति की दशा में छिपा हुआ
था, और इसका कुछ ज्ञान और लक्षण न था और न तर्क
मालूम हो सकता था—वृष्ण की सी दशा में था ।

ततः स्वयंभूर्भगवान्ऽव्यक्तोऽव्यञ्जयन्निदम् ।

महाभूतादिवृत्तौजाः प्रदुरासीत्तमोनुदः ॥६॥

(६) इसके पश्चात् अयक्त और अचिन्त्य शक्ति रख-
वाले और अन्धकार का नाश करने वाले परमेश्वर ने महत्
तर्क आकाश वायु आदि साकलिक अर्थात् माँ-बाप के बिना
उत्पन्न होने वाले लोगों को पैदा किया ।

योऽभावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।

सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्भवौ ॥७॥

(७) जो मुक्त जीव इन्द्रियों से अलग, सूक्ष्म और सदा
निश्चिन्त और सब सृष्टि के प्राण हैं, वे स्वयं ही सामलिक
शरीरों में प्रविष्ट हुए ।

❀ मनुजी के ऋषि पूजन से ज्ञात होता है कि घर पर आए
हुए छोटे बच्चे भी पूजन होता है ।

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृजुर्विंविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादी तासु बीजमवासृजत् ॥ ८ ॥

(८) और जब उनके मनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अपने शरीर से एक प्रकार की सृष्टि पैदा करनी चाहिए तो उन्होंने उससे प्रथम पानी अर्थात् रज को उत्पन्न किया । फिर इस पानी में बीज डाला ।

तदण्डमभवद्वैमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।

तस्मिञ्जभेस्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः ॥ ९ ॥

(९) तब वह बीज स्वर्ण और सूर्य के समान अण्डाकार बन गया, फिर उससे ब्रह्माजी अर्थात् वेदों के ज्ञाता अथोनिज अपि जो समस्त सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, अपने आप उत्पन्न हुए ।

आपोनारा इति प्रोक्ता आपो वै नरखनवः ।

तापदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥

(१०) संस्कृत में 'अप' मनुष्य को संतान को कहते हैं और मनुष्य को संतान के हृदय में परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं ।

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं मदसदात्मकम् ।

तद्विसृष्टः स पुरुषो लोकं ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

(११) जो परमात्मा जगत् का उपादान है और छिपा हुआ है और नित्य सत्-असत् का कर्ता है, उसने जिस मनुष्य को संसार में सबसे पहिले चारों वेदों का ज्ञाता उत्पन्न किया, उसी को सब लोग 'ब्रह्म' कहते हैं ।

तस्मिन्नएडे स भगवानुपित्वापरिवत्सरम् ।
स्वयमेवात्मनोध्यानात्तदंडमकरोद्द्विधा ॥१२॥

(१२) ब्रह्मा अर्थात् वेद के जानने वाले ने उस अण्डे अर्थात् विराट् में एक वर्ष तक रह कर और परमात्मा का ध्यान करके उस अण्डे अर्थात् विराट् को दो भागों में विभक्त किया । +

ताभ्यां स शकलाभ्याञ्चदिवंभूमिञ्चनिर्ममे ।
मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपांस्थानं च शाश्वतम् ॥१३॥

(१३) उन दो टुकड़ों से ब्रह्म ने सतोगुण और पृथ्वी अर्थात् तमोगुण को बनाया, फिर उन दोनों के बीच में आकाश अर्थात् रजोगुण और आठों दिशायें—जीवों के रहने का स्थान—बनाया ।

उद्ववर्हात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् ।
मनसश्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥१४॥

(१४) फिर ब्रह्म ने परमात्मा से संकल्प—विकल्प रूप मन को उत्पन्न किया, और मन से सामर्थ्य और अभिमान करने वाले अहंकार को बनाया ।

महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च ।
विषयाणां गृहीत्तृणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥१५॥

+ यहाँ पर एक वर्ष अण्डे में रहने से यह तात्पर्य है कि ब्रह्माजी ने वेदों के ज्ञान और सृष्टि के नियम की तुलना की और उस तुलना के परचात् तम (अन्धकार) और प्रकाश (अग्नि और पृथ्वी) दोनों के गुणों का ज्ञान संसार में फैलाया ।

(१५) और अहंकार से पहले आत्मा का उपकार करने वाले महत्तत्त्व अर्थात् बुद्धि को पैदा किया, तथा विषय को भोग करने वाले—पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय एवं तन्मात्रा को बनाया । ॥

तेषान्त्ववयवान् सूक्ष्मान्पणामप्यमितौ जसाम् ।

सन्निवेश्यात्ममात्रामु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥

(१६) और इन बड़े शक्तिमानों के सूक्ष्म अवयवों को अपने विकार में मिलाकर समस्त सृष्टि को बनाया । प्रकृति और परमात्मा के सम्बन्ध से सब तन्मात्रा अहङ्कार इन्द्रिय पैदा हुए हैं, अर्थात् परमात्मा और प्रकृति के योग से पैदा हुए हैं । +

यन्मूर्त्यावयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्तिपट् ।

तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्यमूर्त्तिं मनीषिणः ॥ १७ ॥

(१७) प्रकृति महत्ब्रह्म के शरीर के छः सूक्ष्म अवयव अर्थात् तन्मात्रा और अहंकार और इन्द्रियों के पैदा करने वाली है ।

॥ पाँच ज्ञानेन्द्रिय—आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा और पाँच कर्मेन्द्रिय हाथ, पाँव, वाणी, मूत्रेन्द्रिय और मलद्वार ।

+ जब परमात्मा ने प्रकृति को संचालित किया, तब वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से आकाश उत्पन्न हुआ, क्योंकि इसके बिना आकाश नहीं हो सकता । जब आकाश हुआ तब उसमें वायु संचालित हुई । वायु के संचालन के कारण अग्नि परमाणु एकत्रित हो गये । अग्नि-परमाणुओं के एकत्रित होने से जल-परमाणुओं के मध्य की रुकावट दूर हुई । जल-परमाणुओं के एकत्रित होने से पृथ्वी के परमाणु एकत्रित हो गए, इसी प्रकार सृष्टि की रचना हुई ।

तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सहकर्मभिः ।

मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूत कृदव्ययम् ॥१८॥

(१८) फिर उस अविनाशी और जगत् को रचने वाले परब्रह्म ने अपने-अपने कामों के साथ आकाश आदि सृष्टि तथा सूक्ष्म अवयवों के साथ मन का रूप बना लिया ।

तेषामिदन्तु सप्तानां पुरुषाणां महीजसाम् ।

सूक्ष्माभ्यो मूर्त्तिमात्राभ्यः संभवत्यव्ययादव्ययम् ॥१९॥

(१९) इसके पश्चात् अविनाशी ब्रह्म ने उन सात बड़े पराक्रम रखने वाले महत्त्व, अहङ्कार और पांच तन्मात्राओं के सूक्ष्म भाग से इस नाश होने वाले जगत् को बनाया ।

अद्याद्यस्यगुणन्त्वेषामवाप्नोति परः परः ।

यो यो यावत्तियश्चैषां स स तावद्गुणःस्मृतः ॥२०॥

(२०) इन महाभूतों में पूर्व-पूर्व के गुणों को अगला-अगला ग्रहण करता है । जिसकी जैसी योग्यता है, उसमें वैसा गुण होता है ।

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थांश्च निर्दिशे ॥२१॥

(२१) फिर परमात्मा ने सब चीजों के नाम और कर्म पृथक्-पृथक्, जैसे पहिली सृष्टि में थे वैसे ही, वेद के द्वारा संसार में प्रकट किये । ॐ

ॐ इससे यह प्रकट होता है कि यह संसार अब की ही बार नहीं बना, वरन् पहिले भी कई बार बन चुका है । जैसे दिन के

कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः ।

साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञश्चैव सनातनम् ॥२२॥

(२२) वेद की उत्पत्ति के पश्चात् परमात्मा ने वेद के साथ देवऋषि और उनके सूक्ष्म अवयव शरीर और यज्ञ को रखा ।

अग्निवायुरग्निभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम् ।

दुदोह यज्ञसिद्ध् पर्यमृगयजुःमामलक्षणम् ॥२३॥

(२३) फिर यज्ञ को पूरा कराने के लिये अग्नि, वायु आदि देवऋषियों के मन में वेद का प्रकाश मिला ।

कालं कालविभक्तींश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा ।

सरितःसागरान् शैलान् समानिविषमाणि च ॥२४॥

(२४) फिर काल और काल के भाग अर्थात् वर्ष-हीने, नक्षत्र और सूर्य आदि नवग्रह और नदी और समुद्र, सम-तल स्थल उपलब्ध किये ।

तपो वाच रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च ।

मृष्टि संसर्ज च वैमां स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः ॥२५॥

(२५) इसके बनाने के बाद तप अर्थात् प्रजापति इत्यादि और वाणी, रति अर्थात् चित्तों का सन्तोष, इन्द्रा, काम, क्रोध आदि प्रजा इन सब को बनाया ।

कर्मणाञ्चरिवैकार्थं धर्माधर्मो व्यपेचयत् ।

द्वन्द्वैर्योजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥२६॥

दिनात् रात और रात के पश्चात् दिन होता है, वैसे ही सृष्टि के पश्चात् प्रलय और प्रलय के पश्चात् सृष्टि होती है ।

(२६) कर्मों के विभेद के लिये यज्ञ इत्यादि धर्म और ब्रह्महत्या आदि अधर्म अलग करके उनके सुख-दुःख देने वाले फल को प्रजा के पीछे बनाया ।

अश्वयो मात्राविनाशिन्यो दशाद्वीनांतु याः स्मृताः ।

ताभिः सार्द्धमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः ॥२७॥

(२७) क्रमशः सूक्ष्म अविनाशी तन्मात्रा कहो हैं, उनके साथ इस सम्पूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया ।

यन्तु कर्मणि यस्मिन् सन्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः ।

स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥

(२८) परमात्मा ने जिस-जिस प्राणी को सृष्टि के आदि में जिस-जिस कर्म में लगाया, वह आज तरु वैसे ही कर्म करता है, मनुष्य के अतिरिक्त सब भोग योनि कहलाते हैं । +

हिंसाहिंसो मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते ।

यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य त्वयमाविशत् ॥२९॥

(२९) हिंस्र और अहिंस्र, मृदु और कठोर आदि गुण वाले पशुओं में ये गुण अनादि काल से चले आते हैं; केवल कर्मों का परिवर्तन मनुष्य को दिया है ।

+ यथा इस संसार में प्राणी परतंत्र अथवा स्वतन्त्र है और स्वतन्त्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार कार्य करता है और उन कर्मों के हानि-लाभ का भोक्ता होता है । परतंत्र न अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और न उनके हानि लाभ का उत्तरदाता है । वैसे ही स्वतन्त्र मनुष्य अपनी इच्छानुसार कर्म करता है और उनके फलको भोगता है जबकि पशु आदि न अपनी इच्छासे कर्म करते हैं और न उनके फल भोगते हैं । अर्थात् पशु आदि शरीर जीवों के लिये बन्दीगृह हैं ।

यथतुलिङ्गान्यृतवः स्वयमेवतुर्पर्यये ।

स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहितः ॥३०॥

(३०) जैसे बसन्त आदि ऋतु अपने-अपने समय पर अपने गुणों को प्रकट करती हैं, उसी प्रकार सब प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं ।

लोकानां तु विष्टद्वयं मुखवाहुरुपादतः ।

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रञ्च निरवर्चयत् ॥३१॥

(३१) जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के चार हिस्से गुण-कर्म से अलग-अलग हैं, ऐसे ही सारे जगत् में मनुष्य जाति के चार विभाग गुण-कर्म से अलग-अलग हैं । जिस तरह मुरग वाले हिस्से में पाँचों ज्ञानेन्द्रिय और उपदेश करने के लिए वाणी कर्मेन्द्रिय है, ऐसे ही ब्राह्मणको उपदेश का काम दिया गया, ब्राह्मण अर्थात् क्षत्रियको रक्षा का काम दिया गया, उरु अर्थात् वैश्य को व्यापार का एवं पाद अर्थात् शूद्र को सेवा का काम दिया गया ।

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजप्रभुः ॥३२॥

(३२) फिर परमात्मा ने मनुष्य जाति को स्त्री और पुरुष के रूप में, दो भागों में विभक्त किया । दोनों को मिलाकर विराट् अर्थात् मनुष्य जाति भी कह सकते हैं ।

तपस्तप्त्वासृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट् ।

तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥३३॥

(३३) मनुजी कहते हैं कि हे ऋषियो ! उस विराट् ने तपस्या करके जिसको बनाया, वह मैं हूँ और मैं सबका पैदा करने वाला हूँ, यह बात आप लोग जानिये ।

अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपरत्पत्वा सुदुस्तरम् ।
पतीन्प्रजानाममृजं महर्षीनादितो दशः ॥३४॥

(३४) फिर मैंने सृष्टि को पैदा करने की इच्छा से घोर तपस्या करके दस ऋषियों को, जो प्रजा के पति हैं, पैदा किया ।

मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं व्रतुम् ।
प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥३५॥

(३५) मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलात्य, पुलह, कृत, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद ।

एते मनुस्तु सप्तान्यानमृजन्भृग्वितेजसः ।
देवान्देवनिकायांश्च ब्रह्मर्षींश्चामितौजसः ॥३६॥

(३६) इन ऋषियों ने सात बड़े तेजस्वी मनु और देवताओं और देवताओं के स्थान अर्थात् स्वर्ग और महाप्रतापी बड़े-बड़े ऋषियों को उत्पन्न किया । X

यक्षरक्षः पिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् ।
नागान्सर्पान्सुपर्णांश्च पितॄणां च पृथग्गणान् ॥३७॥

(३७) और यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, असुर, साँप, गहड़ और पितरों के वर्ग बनाये ।

विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूपि च ।
उल्कानिर्घातकेतूँश्च ज्योतीँप्युच्चावचानि च ॥३८॥

X मनु से तात्पर्य मन्वन्तर अर्थात् जगत के चौदहवें भाग से है और उसमें जो समयसे बड़ा और बुद्धिमान् उत्पन्न होता है, वह मनु कहलाता है ।

(३२) तत्पश्चात् विष्णुत् (विजली) मेघ (बादल), रोहित, धनुष, च्छका (लकड़ का टूटना), स्थिति और परिध्रमण करने वाले नक्षत्र, केतु और ध्रुव आदि को बनाया ।

किन्नरान्वा नरान्मत्स्यान्विषांश्च विहङ्गमान् ।

पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥३६॥

(३६) फिर किन्नर, वानर, मत्स्य (मछली), भौति-भौति के पक्षी, दृशु, मृग, मनुष्य और दो दांत वाले व्याल (साँप) को रचा ।

कृमिकीटपतङ्गांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम् ।

सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ॥४०॥

(४०) कृमि व कीट (बड़े २ और २ कीड़े), पतंग (शलभ), गटमल, मक्षिक (मक्खनी), दंश, मशक (डोंस) और भौति-भौति के स्थावरों (अचल पृष्ठों) को बनाया ।

एयमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः ।

यथा कर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजङ्गमम् ॥४१॥

(४१) मनुजी कहते हैं कि इस प्रकार बड़े २ ऋषियों ने अपने तप और योग के प्रभाव से हमारी आत्मा पाकर जीवों को कर्मानुसार स्थावर (अचर) और जङ्गम (चर) बनाया ।

येषान्तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् ।

तत्तथात्रोऽभिधास्यामि क्रमयोगञ्च जन्मनि ॥४२॥

(४२) जिन जीवों को जैसा कर्म इस संसार में पहिले प्राचार्यों ने कहा है उन जीवों का वैसा ही कर्म और जन्म-मरण में भी वही हम आप सबसे कहेंगे ।

इसका बड़ा २ ऋषियों से तात्पर्य सांख्यिक सृष्टि के दो ऋषियों से है।

पशवश्च मृगाश्चैव व्यालांश्चोभयतोदतः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ ॥

(४३) पशु, मृग [हिरन], दो दाँत धारी व्याल (साँप), राक्षस, पिशाच, मनुष्य यह सब जरायुज (गर्भ से उत्पन्न होने वाले) हैं ।

अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः ।

यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ ॥

(४४) पक्षी, साँप, मछली, कछुवा यह सब अण्डज (अंड से उत्पन्न होने वाले) हैं । इसी प्रकार जो स्थल [पृथ्वी] तथा उदक (जल) से उत्पन्न होते हैं । वे भी सब अण्डज हैं ।

स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् ।

ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किञ्चिदीदृशम् ॥ ४५ ॥

(४५) डंश (दंश), मशक (मच्छर), जुंआ (डीङ्ग, यूक), मक्खली व सटमल, यह सब स्वेद (पसीना) से उत्पन्न होते हैं । अतः इन्हे स्वेदज कहते हैं और जो ऐसे ही गर्मी से उत्पन्न होते हैं, वह भी स्वेदज कहलाते हैं ।

उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकारुडप्ररोहिणः ।

श्रोपध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥

(४६) सब स्थावर उद्भिज्जक कहलाते हैं । कोई बीज से उत्पन्न होता कोई फलम लगाने से होता है ।

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः ।

पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ॥ ४७ ॥

❀ जो पृथ्वी फोड़कर निकलते हैं ।

(४७) फल-फूल वाले जो पकने पर नाश होते हैं, औषध कहलाते हैं। जिनमें फूल नहीं लगता, केवल फल ही लगता है उन्हें वनस्पति कहते हैं। जिनमें फल-फूल दोनों लगते हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं।

गुच्छं गुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः ।

बीजकारणदरुद्धारयेव प्रताना वल्क्य एव च ॥४८॥

(४८) गुच्छ & और गुल्म + बहुत प्रकार के होते हैं और तृण कोई तो बीज लगाने से होते हैं, कोई शाखा लगाने से होते हैं जैसे प्रताना X वल्की आदि।

तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना ।

अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥४९॥

(४९) इस सब में तमोगुण की अधिकता है, अतएव सुख-दुःख का ज्ञान भीतर ही रहता है।

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः ।

घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयापिनी ॥५०॥

(५०) इस नाशवान् संसार में ब्रह्मा से चीटी पर्यन्त जीवों की जो दशा है, वह हमने आप लोगों से वर्णन कर दी।

एवं सर्वं स सृष्ट्वेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः ।

आमन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् ॥५१॥

(५१) इस प्रकार ब्रह्माजी अचिन्त्य पराक्रमी मुझको

• जिनमें जड़ लता से निकलती है और शाखा बड़ी नहीं होती।
 + जिनमें जड़ एक है परन्तु रेशे (जड़ के डोरे) बहुत निकलते हैं।
 X जिनमें सोत होता है यथा लौकी, कुम्हड़ा आदि।

और सृष्टि को रच कर प्रलय के समय सब को नाश करके ब्रह्म में मिल जाते हैं ।

यदा स देवो जागत्ति तदेदं चेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमोलति ॥५२॥

(५२) जब तक जीवात्मा जाग्रत रहता है, तबतक यह जगत् दृष्टिगोचर होता है और जब यह शान्त पुरुष अर्थात् जीवात्मा निद्रा के वशीभूत होजाता है तब क्लप्रलय हो जाता है ।

तस्मिन्स्वपिति मुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः ।

स्वकर्मभ्यो निवर्त्तन्ते मनश्चग्लानिमृच्छति ॥५३॥

(५३) जीवात्मा जब प्रगाढ़ निद्रा में अचिन्त्य दशाको प्राप्त होजाता है, तब इन्द्रिय और मन अपने कर्म से मुक्त हो जाते हैं ।

युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि ।

तदार्यं सर्वभूतात्मा मुखं स्वपिति निवृत्तः ॥५४॥

(५४) जब सब इन्द्रियाँ और मन जीवात्मा में लय हो जाते हैं, तब यह पंचभूतों का आत्मा आनन्द से सोता है अर्थात् तब महाप्रलय होता है ।

तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठत सेन्द्रियः ।

न च स्वं कुरुते कर्म तदात्क्रामति मूर्त्तितः ॥५५॥

(५५) अब मृत की दशा लिखते हैं कि यह जीव चिर-काल के इन्द्रियों के संसर्ग से मृद दशा में रहता है और जब प्राण निकल जाता है तो जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है ।

ॐ बहू नित्य प्रलय महत्तासा है ।

यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थासु चरिष्णु च ।

समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति ॥५६॥

(५६) और जब वह पंचभूत (पंचतत्त्व) इन्द्रियों, हृदय, बुद्धि, इच्छा, कर्म और मूढ़ता इन आठ वस्तुओं के संसर्ग से अचल बीज में जाता है, तब वृक्षादि की योनि पाता है और जब चल बीज में जाता है, तब मनुष्यादि की योनि अर्थात् शरीर पाता है ।

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम् ।

सञ्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥५७॥

(५७) इसी प्रकार ब्रह्माजी जाग्रत् और निद्रित दशा में होने से सब चर और अचर जीवधारियों को बार बार उत्पन्न करते और नाश करते हैं ।

इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः ।

विधिवद् ग्राहयामाम मरीच्यादीन्बहं मुनीन् ॥५८॥

(५८) ब्रह्मा ने इस शास्त्र को बनाकर पहले हमको बुद्धि के अनुसार बतलाया । फिर हमने मरीचि आदि ऋषियों को सिखाया ।

(६०) जब इस प्रकार मनुजी ने भृगु ऋषि से कहा, तब भृगु ऋषि ने प्रसन्न हो प्रीतिपूर्वक सब ऋषियों से कहा कि सुनिये—

स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे ।

सृष्टवन्तः प्रजाः स्याःस्वा महात्मानो महोजसः ॥६१॥

(६१) ब्रह्माजी से जो मुनि उत्पन्न हुए, उनके वंश में छह मुनि और भी हैं, इन महातेजस्वी महात्माओं ने अपने-अपने तपोबल से अपनी-अपनी सन्तानें उत्पन्न की ।

स्वारोचिपथोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा ।

चालुपथ महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥६२॥

(६२) उन महातेजस्वियों के नाम यह हैं—१-स्वारोचिप, २-उत्तम, ३-तामस, ४-रैवत, ५-चालुप ६-वैवस्वत ।

स्वायंभुवाद्याः सप्त ते मनवो भूरितेजसः ।

स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदं मुपाद्यापुश्चराचरम् ॥६३॥

(६३) स्वायम्भू आदि सातों मुनि जो बड़े तेजवान् हैं, अपने तपोबल से सारे चर और अचर प्राणियों (जीवधारियों) को उत्पन्न करके पालने लगे ।

निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत् तु ताः कलाः ।

त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावत्तः ॥६४॥

(६४) अठारह पल का एक काष्ठा, ३० काष्ठा की एक कला, ३० कला का एक मुहूर्त और ३० मुहूर्त का एक दिन-रात होता है ।

अहो रात्रे विभजते सूर्योऽमानुषदैविके ।

रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥

(६५) मनुष्य और देवताओं के रात्रि दिवस की पहिचान सूर्य के कारण से होती है । सब जीवधारियों के विभ्राम के हेतु रात्रि और कार्य के हेतु दिवस नियत हुआ ।

पित्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः ।

कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥६६॥

(६६) मनुष्यों के एक मास के तुल्य पितरो का एक-रात्रि दिवस होता है । इसमें कृष्णपक्ष कार्य करने के हेतु दिन है और शुक्लपक्ष सोने के हेतु रात्रि है ।

दैवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो पुनः ।

श्रहस्तत्रोदगयनं रात्रिः- स्यादक्षिणायनम् ॥६७॥

(६७) मनुष्यों के एक वर्ष के तुल्य देवताओं का एक रात्रि-दिन होता है । जब तक सूर्य ऋ उत्तरायण रहते हैं तब तक दिन रहता है और जब तक सूर्य + दक्षिणायन रहते हैं तब रात्रि होती है ।

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्रमाण्यं समासतः ।

एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥

('६८) ब्रह्मा के रात्रि-दिन की संख्या और प्रत्येक युग की संख्या क्रम से स्पष्ट सुनिये—

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम् ।

तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥६९॥

(६९) देवताओं के चार सहस्र (हजार) वर्ष का सतयुग होता है । युग के प्रथम चार सौ वर्ष की देवताओं की

ऋमाघकी संक्रांति से सावनकी संक्रांति तक उत्तरायण होता है ।
+ सावनकी संक्रांति से माघकी संक्रांति तक दक्षिणायन होता है ।

सन्ध्या कहलाती है, और युग के अन्त पर उतना ही सन्ध्यांश कहलाता है ।

इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु ।

एकापायेन वर्त्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥

(७०) तीनों युगों अर्थात् त्रेता, द्वापर, कलियुग की संख्या और सन्ध्यांश की संख्या एक सहस्र (हजार) और एक सौ वर्ष के ऋ घटाने से होती है ।

यदेतत्परिसंख्यात्तमादावेव चतुर्युगम् ।

एतद्द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥

(७१) यह जो चार युगों की संख्या कही है, इसका बारह सहस्र गुणा अधिक देवताओं का युग होता है ।

दैविकानां युगानां तु सहस्र परिसंख्यया ।

ब्राह्ममेकमहर्ज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥

(७२) देवताओं के सहस्र (हजार) युग के तुल्य ब्रह्माजी का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि होती है ।

तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुरयमहर्विंदुः ।

रात्रिञ्च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥

(७३) ब्रह्मा के सहस्र युग के तुल्य परब्रह्म का एक दिन होता है । सो वह दिन बड़ा पवित्र है और उतनी ही रात्रि भी होती है इसे रात्रि दिन के ज्ञातार्यों ने कहा ।

ॐ ३००० वर्ष का त्रेता युग और ३०० वर्ष की सन्ध्या और ३०० वर्ष का सन्ध्यांश, २००० वर्ष का द्वापर २०० वर्ष की सन्ध्या और २०० वर्ष का सन्ध्यांश, १००० वर्ष का कलियुग, १०० वर्ष की सन्ध्या और १०० वर्ष का सन्ध्यांश ।

तस्य सोऽहनिंशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते ।

प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ॥ ७४ ॥

(७४) यह ब्रह्मा अपने दिन में कार्य्य करते हैं और रात्रि में विभ्राम करते हैं । जब जाग्रत होते हैं तो सङ्कल्प-विकल्प रूप मन को सृष्टि रचने की आज्ञा देते है ।

मनः सृष्टिं विकृते चोद्यमानं सिसृक्षपा ।

आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५ ॥

(७५) मन ने ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर आप से आप आकाश को घनाया, इसका गुण शब्द है ।

आकाशात्तु विकुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः ।

घलवाज्जायते वायुः स वै स्पर्शं गुणो मतः ॥ ७६ ॥

(७६) आकाश के पश्चात् सय गन्धों की ज्ञाता (पहि-चानने वाली), पवित्र और घलपान वायु की उत्पत्ति हुई । इस का गुण स्पर्श है ।

वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोत्तुदम् ।

ज्योतिरूपद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ७७ ॥

(७७) वायु के पश्चात् तम का नाश करने वाली और प्रकाश फैलाने वाली ज्योति उत्पन्न की । इसका गुण रूप है ।

ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृतः ।

अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥

(७८) अग्नि के पश्चात् जल बनाया, जिसका गुण रस है । और जल से पृथ्वी को रचा, जिसका गुण गन्ध है । संसार के आरम्भ से यही स्वभाव रहता है ।

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् ।

तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७६ ॥

(७६) बारह सहस्र वर्ष का देवताओं का एक युग होता है और उसका एकद्वत्तर गुणा एक मन्वन्तर होता है । यह बारह सहस्र देवताओं के वर्ष हैं, न कि मनुष्यों के ।

मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च ।

क्रीडन्निवैतकुस्ते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥

(८०) परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, नाश और मन्वन्तर आदि असंख्य बार अपनी स्वाभाविक शक्ति से रचते हैं ।

चतुष्पात्सकलोधर्मः सत्यं चैव कृते युगे ।

नाधर्मेणागमः कश्चित्मप्यानुप्रति वर्त्तते ॥ ८१ ॥

(८१) सतयुग में धर्म चारों चरण से स्थित था । इस युग के मनुष्य सत्य बोला करते थे और कोई अधर्म का कार्य नहीं करते थे ।

इतरेष्वगमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः ।

चौरिकानृतमायामिर्धर्मश्चापैति पादशः ॥ ८२ ॥

(८२) त्रेता आदि तीनों युगों में लोग अधर्म अर्थात् चोरी, भूँठ और छल से कार्य करने लगे अतएव धर्म का एक-एक चरण घटना गया अर्थात् त्रेता में एक चौथाई, द्वापर में दो चौथाई (आधा) कलियुग में तीन चौथाई (पौन) धर्म न्यून होगया ।

अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः ।

कृते त्रेतादिषु ह्येषामायुर्हसति पादशः ॥ ८३ ॥

(८३) सतयुग में कोई बीमार न होता था और जो इच्छा

परते ये, वही पूर्ण हो जाती थी। चारसौ वर्ष की आयु होती थी। त्रेता आदि तीनों युगों में मनुष्य की आयु एक एक चरण घट गई अर्थात् त्रेता में ३०० वर्ष द्वापर में २०० वर्ष, कलियुग में १०० वर्ष।

वेदोक्तमायुर्मर्यानामाशिषञ्चैव कर्मणाम् ।

फलन्त्यनुयुग लोके प्रभावश्चशरीरिणाम् ॥ ८४ ॥

(८४) वेद में मनुष्या की जो आयु निर्धारित की है, और इच्छापूर्ति के लिए जो आशिष और शाप है, और मनुष्यों की प्रकृति (स्वभाव)—यह सब बातें युगानुसार फल देती हैं।

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।

अन्ये कलियुगे नृणां युगाहसानुरूपतः ॥ ८५ ॥

(८५) युग के अनुसार मनुष्यो का धर्म सब युगों में प्रथम् प्रथम् होता है अर्थात् सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में अलग २ धर्म होता है। ❀

तप परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक कलियुगे ॥ ८६ ॥

❀ (८६) सतयुग में केवल तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, और कलियुग में दान ही मुख्य रक्ष्य गया।

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युति ।

मुखनाहूरुपाज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत् ॥ ८७ ॥

(८७) इस सारे ससार का कार्य चलाने के हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों शरीर के चार भाग मुख,

❀ यह श्लोक स्वार्थियों को मिलाए हुए ज्ञात होते हैं, क्योंकि धर्म चारों युगों में एक समान रहता है।

बाहु, उरु और पाँव के अनुसार बनाये। और चारों वर्णों के कर्म पृथक्-पृथक् निर्धारित किये।

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहञ्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ ८८ ॥

(८८) वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यह छह कर्म ब्राह्मण के लिये बनाये।

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च ।

विपयेष्वप्रसक्तिरच क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥

(८९) प्रजा की रक्षा करना, वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना और सांसारिक विषयों में चिन्त न लगाना अर्थात् आसक्त न होना, ये पांच कर्म क्षत्रियों के लिये नियत किये।

पशूनां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदञ्च वैश्यस्य कृपमेव च ॥ ९० ॥

(९०) चौपायों की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, व्याज लेना, खेती (कृषि) करना, ये सात कर्म वैश्यों के लिये नियत किये हैं।

एकमेवतु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनस्यया ॥ ९१ ॥

(९१) शूद्र के लिये एक ही कर्म प्रभु ने नियत किया अर्थात् दन और भन से तीनों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) की सेवा करना।

ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः ।

तस्मान्मेध्यतमन्त्वस्य मुखमुक्तं स्वयम्भुवा ॥ ९२ ॥

(९२) पुरुष के सब अङ्ग नाभि से शिखा पर्यन्त पवित्र

हैं। विशेषकर मुरा और भी अधिक पवित्र है। यह ब्रह्माजी ने कहा है।

उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्यैष्ठ्याद्ब्रह्मणश्चैव धारणात् ।

सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः ॥ ६३ ॥

(६३) संसार में ब्राह्मण धर्म के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं, इस हेतु कि सबसे पवित्र अंग अर्थात् मुँह का कार्य करते हैं और वेदानुसार कर्म करते हैं।

तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितांऽसृजत् ।

हव्यकव्याभिवाहाय सर्वस्याऽस्य च गुप्तये ॥ ६४ ॥

(६४) ब्रह्माजी ने अपने तपोबल से पहले ब्राह्मण को अपने मुँह से उपदेश देकर उत्पन्न किया जिससे कि सारे संसार की रक्षा करे और मन्त्रबल से देवताओं को हव्य और पितरों को कव्य पहुँचावे।

यस्यास्येन सदारनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः ।

कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकन्तव ॥ ६५ ॥

(६५) उस ब्राह्मण से बढ़ कर और कौन है कि जिसके मुख से देवतागण हव्य और पितरगण कव्य लाते हैं।

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नराणां ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ६६ ॥

(६६) चर-अचर प्राणियों में कीड़ा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ चौपाया, उससे श्रेष्ठ मनुष्य और उससे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं।

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्त्तारः कर्त्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ६७ ॥

(६७) ब्राह्मणों में वेदशास्त्र के पढ़ने वाले, उनसे

वेदशास्त्र के अनुसार कार्य करने की इच्छा रखने वाले, उनसे वेदशास्त्रानुसार कर्म करने वाले, और उनसे अधिक ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ।

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।

स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ६८ ॥

(६८) ब्राह्मण धर्म की मूर्ति है, और धर्म करने के लिये उत्पन्न किया गया है, अतएव मुक्ति पाने के योग्य होता है ।

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधि जायते ।

ईश्वर सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ६९ ॥

(६९) परमेश्वर ने धर्मकोष (रजाना) की रक्षा के हेतु वेदवान् (वेदज्ञाता) ब्राह्मणों को उत्पन्न किया ।

सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चिज्जगतीगतम् ।

श्रौष्ठ्वेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥ १०० ॥

ॐ (१००) जो कुछ इस ससार में है वह सब ब्राह्मण के हेतु है, क्योंकि ब्राह्मण अपने ज्ञानबल से उनका ठीक ठीक लाभ भोग सकता है और दूसरे वर्ण ज्ञान की न्यूनता के कारण लाभ नहीं भोग सकते । इस हेतु सब कुछ ब्राह्मण ही का है, क्योंकि वह ब्रह्माजी के उपदेश से सबको धर्म की शिक्षा देने (सिखलाने) के हेतु उत्पन्न हुआ है । अतएव सबसे श्रेष्ठ हैं ।

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं चस्ते स्वं ददाति च ।

आनृशंस्याद्ब्राह्मणस्य भुङ्क्ते हीतरे जना ॥ १०१ ॥

(१०१) ब्राह्मण अपनी ही पातुओं को खाता, पहिनता

ॐ इस श्लोक से ज्ञान की श्रेष्ठता दर्शाती है । और शेष के समान यह श्लोक मिलाया हुआ है ।

और नेता है। उसकी कृपा से क्षत्रिय लोग अर्थात् दूसरे मनुष्य आनन्द करते हैं।

तस्य कर्म विप्रैकार्थं जेषाणामनुपूर्वशः ।

स्त्रायभुवो मनुर्धामानिदं शास्त्रमरूपयत् ॥ १०२ ॥

(१०२) उस ब्राह्मण के कर्म और क्षत्रिय आदि के कर्म के ज्ञानार्थ ब्रह्मा के पुत्र मनुजी ने इस शास्त्र को बनाया।

त्रिदुपा ग्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ् नान्येन केनचित् ॥ १०३ ॥

(१०३) वे ब्राह्मण पण्डित हैं, वे इस शास्त्र को यत्न से पढ़े और शिष्यों (चेलों विद्यार्थियों) को भी पढ़ावें और क्षत्रिय आदि भी पढ़े, किन्तु पढ़ावें नहीं।

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शसितवत ।

मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥ १०४ ॥

(१०४) जो ब्राह्मण इस शास्त्र को पढ़ता है और व्रत करता है, वह मन, वाणी और शरीर से उ पन्न हुए कर्म दोष से लिप्त नहीं होता।

पुनाति पक्ति वरयांश्च सप्त सप्त परावरान् ।

पृथिवीमपिचैत्रेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोर्हति ॥ १०५ ॥

(१०५) पापियों की पक्ति को ब्राह्मण पवित्र करता है। वह अपनी सात पुस्त ऊपर और सात पुस्त नीचे की पवित्र करता है वह सारी पृथ्वी को अकेला धारण कर सकता है।

इदं स्मस्त्ययन श्रेष्ठिमिदं बुद्धिविवर्धनम् ।

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् ॥ १०६ ॥

(१०६) यह शास्त्र कल्याण, बुद्धि, यश, आयु और दाता है ।

अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम् ।

चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः ॥१०७॥

(१०७) इस शास्त्र में सारे धर्म कर्मों के गुण-दोष और चारों वर्णों के आचार कहे हैं ।

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च ।

तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥१०८॥

(१०८) जो आचार वेदशास्त्र में कहे हैं, वह परमधर्म हैं । इस हेतु जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपना भला चाहें, वह इस शास्त्रानुसार कर्म करें ।

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।

आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफल भाग्भवेत् ॥१०९॥

(१०९) आचार-रहित ब्राह्मण वेद के फल का भोग नहीं कर सकता । और आचार-सहित ब्राह्मण वेदों के फल का भोग कर सकता है ।

एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।

सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् ॥११०॥

(११०) जब मनुजोंने देखा कि आचार से ही धर्म प्राप्त होता है, तब सब तपों का मूल जो आचार है, उसीको अपनाया ।

जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारं विधिमेव च ।

व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परंविधिम् ॥१११॥

(१११) तनी बातें इस शास्त्र में कही गई हैं, सृष्टि

उत्पत्ति, मंस्कार ❀ करने की विधि, व्रत की आवश्यकता, स्नान की विधि ।

दाराधिगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम् ।

महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पश्च शाश्वतः ॥११२॥

(११२) स्त्री प्रसंग, विवाहों का लक्षण, महायज्ञ विधान, श्राद्ध की विधि ।

वृत्तिनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च ।

भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥११३॥

(११३) वृत्ति (जीविका) का लक्षण, स्नातक (ब्रह्मचारी) का व्रत, भक्ष्य और अभक्ष्य (खाने वाले और न खाने वाले) पदार्थ, शौच (पवित्रता), द्रव्यों को शुद्ध करने की विधि ।

स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं भोक्षं संन्यासमेव च ।

राज्यधर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥११४॥

(११४) स्त्रियों का धर्म-योग, तप, भोक्ष और संन्यास धर्म, राजाओं का धर्म, और सब कामों का विचार ।

साक्षीप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि ।

विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां चशोधनम् ॥११५॥

(११५) साक्षी के प्रश्न का विधान अर्थात् गवाह की गवाही की विधि, पुरुष और स्त्री का धर्म, धर्म के विभाग, द्यूत (जुआ) के विषय में, अस्त्राधियों के दण्ड ।

❀ सस्कार १६ हैं:-१-गर्भावान, २-पुंसवन, ३-सीमन्तोन्नयन, ४-जातकर्म, ५-नामकरण, ६-निष्क्रमण, ७-अन्नप्रारान, ८-चूड़ाकर्म, ९-कर्णवेध, १०-उपनयन, ११-वेदारम्भ, १२-समावर्तन, १३-विवाह, १४-गृहस्थाश्रम, १५-वाणप्रथाश्रम, १६-संन्यास ।

वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् ।

आपद्रुमं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११६॥

(११६) वैश्य और शूद्रों का धर्म, वर्णसङ्घर्षों की उत्पत्ति सङ्घट के समय में वर्णों का धर्म, प्रायश्चित्त (पाप से मुक्त होने की विधि ।

संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्म संभवम् ।

निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥११७॥

(११७) शुभ और अशुभ कर्मों से उत्तम, मध्यम व अधम शरीर में जन्म पाना, उत्तम ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान से शुभा-शुभ कर्मों का फल ।

देशधर्मा जातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतान् ।

पाखण्डगणधर्माश्च शास्त्रास्मिन्नुक्तवान्मनुः॥११८॥

(११८) देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म और पाखण्डी धर्म अर्थात् देश, जाति, कुल और पाखण्डी इन सबों के धर्म, इतनी बातें मनुजी ने इस शास्त्र में कही हैं ।

यथैदमुक्तवाञ्छास्त्रं पुरापृष्टोमनुर्मया ।

तथेदंयूपमप्यद्य मत्सकाशन्निबोधत ॥ ११९ ॥

(११९) भृगुजी कहते हैं कि जिस प्रकार हमने इस शास्त्र को मनुजी से पूछा और उन्होंने कहा, उसी तरह आप लोग भी हमसे सुनिये—

मनुजी का धर्मशास्त्र, भृगुजी की संहिता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ द्वितीयेऽध्यायः ।

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्भन्तित्यमद्वेपराग्निभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥१॥

(१) राग-द्वेष (शत्रुता-मित्रता) रहित उत्तम परिष्ठित लोगों ने धर्म का पक्ष लिया है और वह धर्म कल्याणदाता है । उस धर्म को हम से सुनिये—

कामात्मता न प्राशस्ता न च वैहास्त्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥२॥

(२) फलेच्छा से कोई कर्म करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके फल को भोगने के हेतु जन्म लेना पड़ता है और जो नित्यकर्म ॐ और नैमित्तिक है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक होकर मुक्तिदाता है, परन्तु इस वर्णन से साधारण इच्छा करना वर्जित नहीं है; क्योंकि यह सब वर्णन वेदशास्त्र में लिखित धर्म के विषय में इच्छानुकूल ही है ।

सङ्कल्पमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कल्पसंभवाः ।

व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥३॥

(३) इच्छा, यज्ञ, व्रत, नियम, धर्म यह सब संकल्प अर्थात् 'इस काम से यह फल हमको मिले'—ऐसी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं ।

अकामस्य क्रिया काचिद्दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

यद्यद्वि कुरुते किञ्चित्त्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥४॥

ॐ नित्य का पंचमहायज्ञ ।

(४) इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता । जो फुट्ट होता है, सब इच्छा ही से होता है ।

तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम् ।

यथा सङ्कल्पतांश्चेह सर्वान्कामान्समश्नुते ॥५॥

(५) यदि इच्छा रहित कोई कार्य करे तो मुक्ति प्राप्त हो और सांसारिक इच्छा की भी पूर्ति होवे ।

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ ६ ॥

(६) वेद का वचन, वेदज्ञाताओं का वचन, कर्म, साधारण लोगों का कर्म और वह कर्म जिसके करने से चित्त शान्त हो, यह सब धर्म के मूल हैं ।

यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदं सर्वज्ञानमयो हि सः ॥७॥

(७) सब बातों के ज्ञाता मनुजी ने जिसका जो धर्म इस शास्त्र में कहा है, वह सब वेद में है ।

सर्वं तु समवेद्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत वै ॥८॥

(८) प्रत्येक पुरुष को वेद और शास्त्र को ज्ञान दृष्टि से देखना और उन पर विश्वास रखना चाहिए तथा अपने धर्म पर दृढ़व्रत रखना चाहिये ।

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुत्तिष्ठन्धि मानवः ।

इह कीर्त्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥९॥

(९) जो पुरुष वेद तथा शास्त्रों में वर्णित धर्म पर चलता

है, वह संसार में यश प्राप्त करता है और अन्त (मृत्यु के उपरान्त) में सर्वदा आनन्द भोग करता है।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते सर्वार्थप्रमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वभौ ॥१०॥

(१०) वेद-शास्त्रों पर व्यर्थ तर्क करके उनके लुटे अर्थ नहीं लगाने चाहिये, क्योंकि इन्हीं दोनों से धर्म निकला है।

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः ।

स साधुभिर्नहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥११॥

(११) जो मनुष्य भूँटे और अनुचित तर्क द्वारा वेद और शास्त्रों का अनादर करता है, वह नास्तिक है, उसको साधु लोग अपनी मण्डली से बाहर कर दें।

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥१२॥

(१२) वेद, शास्त्र, सदाचार और अन्धे पुरुषों को कार्य-प्रणाली, जिससे अपने चित्त को सत्य तथा पूर्ण विश्वास हो, यह चारों धर्म के लक्षण हैं।

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३॥

(१३) अर्थ और काम की जिसको इच्छा नहीं है, उसको धर्म और ज्ञान का अधिकार है। जिसको धर्म जानने की इच्छा है, उसको केवल वेद ही प्रमाण है।

श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ ।

उभावपि हि तौ धर्मोऽस्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१४॥

(१४) जिस कार्य के करने में वेद की दो प्रकार की

आज्ञायें हैं, उसमें दोनों आज्ञायें मान्य हैं। इस बात को पंडितों ने भले प्रकार (उत्तम रीति) से कहा है।

उदतेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा ।

सर्वथा वृत्तं ते यज्ञं इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥१५॥

(१५) सूर्योदय में, सूर्यास्त में और सूर्य और नक्षत्र के न होने में, इन तीनों समयों में हवन करने को वेद की आज्ञा है। प्रातः का यज्ञ सूर्योदय से प्रथम और सायंकाल का हवन सूर्य की उपस्थिति में करे, यदि विलम्ब हो जावे तो नक्षत्रोदय से प्रथम करना चाहिये।

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।

तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् १६

(१६) जन्म से मरण पर्यन्त जिसका संस्कार मन्त्र से होता है अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन्हीं तीनों वर्णों का अधिकार इस शास्त्र में जानना और किसी का अधिकार न जानना।

सरस्वती दृषद्वीच्यो देवनद्योर्यदन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥१७॥

(१७) देवताओं की नदी जो सरस्वती और दृशद्वती हैं उनके मध्य के देश को ब्रह्मावर्त कहते हैं।

तस्मिन्देशे च आचारः पारम्पर्यक्रमागतः

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१८॥

(१८) इस देश में सब वर्णों और आश्रमों का आचार जो परम्परा से क्रमानुसार चला आता है और जिसे वर्णसङ्घों से आचार निषेध कहा है, वह सदाचार कहलाता है।

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पाञ्चाला शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्मर्षिं देशो वै ब्रह्मार्चार्चानन्तरः ॥ १६ ॥

(१६) ब्रह्मवर्त के समीप कुरुक्षेत्र, मत्स्य ऋ, पांचाल, शूरसेनक यह सब देश ब्रह्मर्षियों के हैं ।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिष्येण् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥२०॥

(२०) सारी पृथ्वी के सब मनुष्य अपनी रसति तथा आचार इस देश के वासी ब्राह्मणों से जाने ।

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्निशनादपि ।

प्रत्यगेष प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥२१॥

(२१) हिमाञ्चल और विन्ध्याचल के मध्य + वश के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम मध्यदेश कहलाता है ।

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥२२॥

(२२) पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यन्त और हिमाञ्चल और विन्ध्याचल का मध्य आर्यावर्त कहलाता है ।

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।

स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥२३॥

ऋ भद्रावर ।

ऋ थानेश्वर के उत्तर पश्चिम हिमालय पहाड़ और चम्पल नदी के मध्य का देश ।

+ हिंसार के समीप ।

(२३) काला मृग (हिरन) अपने स्वभाव से जिस देश में रहे वह देश यज्ञ करने के योग्य है । उसके आगे स्लेन्द्र देश है ।

एतान् द्विजातयो देशान् संश्रयेरन् प्रयत्नतः ।

शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा नियसेद्दृष्टिकर्षितः ॥२४॥

(२४) ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य प्रयत्न सहित इस देश में रहे और शूद्र वृत्ति की कठिनता के कारण चाहें जिस देश में रहे ।

एषा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता ।

संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत ॥२५॥

(२५) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि लोगों ! आप से सब की उत्पत्ति और धर्म को वर्णन किया । अब वर्णों का धर्म कहते हैं—

वैदिकै कर्मभि पुण्यैनिषेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यं शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥२६॥

(२६) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को गर्भाधान आदि शारीरिक संस्कार लोक और परलोक में पवित्र करने वाले हैं । इस हेतु इन संस्कारों को करना चाहिये ।

गार्भैर्गोमैर्जातकर्म चोडमीजोनिबन्धनैः ।

वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥२७॥

(२७) गर्भसंस्कार, जातकर्म, मुण्डन, उपनयन इन संस्कारों से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बीज का दोष और गर्भ का दोष छूट जाता है ।

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमस्त्रैर्विद्येनेज्ययामुतै ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥२८॥

(२८) घेद पढ़ना. व्रत, हवन, त्रैविध, नाम व्रत, देवर्षि, पितरों का तर्पण, पुत्रोत्पत्ति, महायज्ञ, यद्य इन सब कर्मों से शरीर मोक्ष पाने के योग्य होता है ।

ग्राह्णाभिर्वर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते ।

मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसपिंपाम् ॥२९॥

(२९) नाक छेदन से पहले जातकर्म होता है उसमें मन्त्र पढ़कर सोने के बर्तन व शहद तथा घी वालक को खिलाना चाहिये ।

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत् ।

पुण्ये तिथौ मुहूर्त्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥३०॥

(३०) जन्म से ग्यारहवें वा बारहवें दिन नामकरण करना चाहिये । यदि इन दिनों में न हो सके तो और किसी उत्तम तिथि, नक्षत्र तथा दिन में करना चाहिये ।

मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम् ।

वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥३१॥

(३१) ब्राह्मण के नाम में मंगल शब्द (अर्थात् प्रसन्नता, आनन्द) और क्षत्रिय के नाम में बल शब्द (अर्थात् शक्ति) और वैश्य के नाम में धन शब्द (अर्थात् सम्पत्ति) और शूद्र के नाम में नन्द शब्द (अर्थात् सेवक) संयुक्त करना चाहिये ।

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षा समन्वितम् ।

वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥३२॥

(३२) ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इनके नाम के अन्त में शर्मा, रक्षा पुष्टि और प्रेष्य कमानुसार संयुक्त करना चाहिये ।

स्त्रीणां सुखोद्यमकरणं विस्पष्टार्थं मनोहरम् ।

मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तिमाशीर्वादाभिधानवत् ॥ ३३ ॥

(३३) स्त्री का नाम ऐसा रखना चाहिए कि जो मनोहर हो और कोमल, मरल, प्रिय, मङ्गल (आनन्द) और आशीर्वाद के अर्थ रखता हो और अन्त का वर्ण (अक्षर) दीर्घ हो ।

चतुर्थ्येमासि कर्त्तव्यां शिशोनिष्क्रमणां गृहात् ।

पण्डेऽन्नप्राशनं मासितद्वेषं संगलं कुले ॥ ३४ ॥

(३४) चौथे मास (महीने) लड़के को घर से बाहर निकालना चाहिए और छठे मास में या जिस महीने में अपने कुल की रीति हो अन्नप्राशन करना चाहिए ।

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः ।

प्रथमेऽव्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥ ३५ ॥

(३५) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सबका चूडाकर्म अर्थात् मुखहन पहले या तीसरे वर्ष करना चाहिए यह वेदाज्ञा है ।

गर्माष्टमेऽव्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥ ३६ ॥

(३६) गर्भावान-तिथि, अथवा जन्म तिथि से आठवें, ग्यारहवें, या बारहवें वर्ष क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उपनायन (जनेऊ) करना चाहिए और जिसका जनेऊ न हो वह शूद्र कह लायेगा क्योंकि द्विज बनाने वाला संस्कार यही है ।

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राज्ञो बलार्थिनः पण्डे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥ ३७ ॥

(३७) ब्रह्मतेज, बल, और धन की इच्छा हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य क्रमानुसार पाँचवें, छठे और आठवें वर्ष जनेऊ करें

आपोऽशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।

आद्वाविंशत्सत्रवन्धोराचतुविंशतेविंशः ॥ ३८ ॥

(३८) सोलह, बाइस, चौबीस वर्ष पर्यन्त क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गायत्री (सावित्री) के अविभारी रहते हैं ।

अत ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ।

सावित्री पतिता ब्राह्म्या भवन्त्यार्यभिर्गहिताः ॥३९॥

(३९) इसके पश्चात् तीनों वर्ण उसके अधिकारी नहीं रहते । तब उनका नाम ब्राह्म्य कहलाता है । और आर्य लोग उनको विगर्हित (बुरा) कहते हैं ।

नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित् ।

ब्राह्मण्यौनांश्च संबन्धानाचरेद्ब्राह्मणा सह ॥ ४० ॥

(४०) जब तक ऐसे ब्राह्मण प्रायश्चित्त (अर्थात् विविध पाप से मुक्त होने का परचाताप वा दण्ड) न करे तब तक उनके साथ पढ़ने पढ़ाने विवाहादि का व्यवहार न करे ।

कार्पूरैरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः ।

वसीरन्त्रानुपूर्व्येण शण्णक्षौमाविकानि च ॥ ४१ ॥

(४१) अब तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों का चमड़ा आदि पहनना कहते हैं । कृष्णमृग कालाहिरन) रुरुनामक मृग (हिरन) बकरे का चमड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्रमानुसार शरीर के ऊपरी भाग में और सन, तीसी और भेड़ के सूत का कपड़ा निम्न शरीर (शरीर के नीचे के भाग) में धारण करे ।

माञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या त्रिप्रस्य मेखला ।

क्षत्रियस्यतु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणातान्तवी ॥४२॥

(४२) ब्राह्मण को मू तक की तीन लड़की मेखला, क्षत्रिय

को मूर्वा की दो लड़ की मेखला, और वैश्य को सन की तीन लड़ की मेखला धारण करना चाहिये ।

मुञ्जालाभे तु कर्तव्याः कुशारमन्तकवल्वजैः ।

त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ ४३ ॥

(४३) यदि मूँज और मूर्वा और सन न मिले तो कुश, भेड़ और वल्वज को तीन लड़ की मेखला करना चाहिये और एक वा तीन या पांच गांठ की करना चाहिये । कुल की रीत्यानुसार कई । यह नहीं कि ब्राह्मण एक, क्षत्रिय तीन और वैश्य पांच गांठ की रखे ।

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रास्योर्ध्ववृत्तं त्रिवृत् ।

शण्डूत्र मयं राज्ञो वैश्यस्याविक्रमौत्रिकम् ॥४४॥

(४४) ब्राह्मण को कपास का (जनेऊ) उपवीत, क्षत्रिय को सन का उपवीत (जनेऊ) और वैश्य को भेट के वालों का जनेऊ पहनना चाहिये । मोक्ष प्रकार कि तिगुना करके फिर तिगुना करना ।

ब्राह्मणो वैल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ ।

पैलूवोदुम्बरी वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥४५॥

(४५) ब्राह्मण बेल या पलाश (डाक) का दण्ड धारण करे, क्षत्रिय बड़ (वरगढ़) या खैर का दण्ड धारण करे और वैश्य उदुम्बर (गूलर) वा पैलू का दण्ड धारण करे ।

वेशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ।

ललाटसमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिकी विशः ॥४६॥

(४६) शिर के वालों तक का ब्राह्मण, ललाट (पेशानी, मथा) तक का क्षत्रिय, वैश्य नाक तक के दण्ड की धारण करे ।

ऋत्रवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः ।

अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचो नाग्निदूषिताः ॥ ४७ ॥

(४७) सब दण्ड कोमल, शुद्ध, छिद्र-रहित (बिना छेद का) और सौम्य दर्शन (देखने में सुन्दर) हों, भदे (कुरूप) और अग्नि से जले के दाग वाले न हों ।

प्रतिगृह्योप्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् ।

प्रदक्षिणं परीत्याग्नि चरेद्भैक्षं यथाविधि ॥ ४८ ॥

(४८) दण्ड धारण करके सूर्य के सम्मुख होकर अग्नि की प्रदक्षिणा (परिक्रमा) करके निम्नलिखित शास्त्र की विधि से भिक्षा माँगे ।

भवत्पूर्वं चरेद्भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः ।

भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥ ४९ ॥

(४९) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण के ब्रह्मचारी भिक्षा माँगने के वाक्य में क्रमानुसार आदि, मध्य और अन्त में भवत् शब्द को कहेंगे ।

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम् ।

भिक्षेत भिक्षां प्रथमं वा चैनं नावमानये ॥ ५० ॥

(५०) पहले माता, बहन, मौली से भिक्षा माँगे, और जो ब्रह्मचारी का अपमान न करे उससे भी भिक्षा माँगे ।

समाहृत्य तु तद्भैक्षं यावदन्नममायया ।

निवेद्य गुरुवैश्वनीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥ ५१ ॥

(५१) निरचय होकर भिक्षा (भीख) माँगकर गुरुजी के सम्मुख (पास) रखे । तत्पश्चात् उनकी आज्ञा पर आचमन करके पवित्र होकर पूर्वाभिमुख (पूर्व की ओर मुँह करके) बैठ कर भोजन करे ।

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः ।

श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते दक्षुः ॥ ५२ ॥

(५२) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर की ओर मुँह कर मोजन करने से क्रमानुसार आयु, यश, लक्ष्मी, सत्यता की वृद्धि होती है ।

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः ।

भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यग्द्विः खानि च संस्पृशेत् ॥ ५३ ॥

(५३) नित्य चित्त को एसाग्र करके आचमन करने के पश्चात् भोजन करे । भोजनोपरान्त (भोजन के पश्चात्) आचमन करे और इन्द्रियों को पानी से प्रछाले (खुए, धोए) ।

पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चै तदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥ ५४ ॥

(५४) नित्य अन्न की पूजा करे और अन्न का अपमान न करे और अन्न को देखकर प्रसन्न चित्त हो यह कह कर कि हमको सदैव ऐसा अन्न मिले, भोजन करे ।

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

अपूजितं तु तद्भुक्तमुभयं नाशयेदिदम् ॥ ५५ ॥

(५५) अन्न की पूजा करने से तेज और इन्द्रिय शक्ति दोनों की वृद्धि होती है । और पूजा न करने से इन्ही दोनों का नाश हो जाता है ।

नोच्छिष्टं कस्यविद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा ।

न चैवाद्यशनं कुर्यान्नचोच्छिष्टः क्वचिद्ब्रजेत् ॥ ५६ ॥

(५६) जूठा किसी को न दे, सन्धि समय (दिन रात

के मव्य के समय भोजन न करे, बहुत भोजन न करे, भूँटे मुँह कहीं न जाये ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चाति भोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ५७ ॥

(५७) बहुत भोजन करना, आयु, आरोग्यता, स्वर्ग और पुण्य के हेतु नहीं हैं और संसार में अपयश का कारण है ।

ब्राह्मणे विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् ।

कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५८ ॥

(५८) ब्राह्मणसद्वैध ब्रह्मतीर्थ से आचमन करे । देवतीर्थ, पितृतीर्थ और प्रजापति-तीर्थ से आचमन न करे ।

अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्म तीर्थं प्रचक्षते ।

कायमङ्गुलिमूलस्ये दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥

(५९) १—अङ्गुठा, २—तर्जनी, ३—कनिष्ठा इन तीनों का मूल क्रम से ब्रह्म, देव, पितर, और प्रजापति तीर्थ कहलाता है

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

स्वानि चैव स्पृशेदङ्गिरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥

(६०) पहले तीन बार आचमन करे, पश्चात् दो बार मुँह धोवे और नाक, कान, आँख, मुँह, छाती, सर को पानी से छुये ।

अनुष्णाभिरफेनाभिरङ्गिस्तीर्थेन धर्मवित् ।

शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्गमुखः ॥ ६१ ॥

(६१) पूर्व मुँह या उत्तर मुँह होकर फेन रहित शोषण जल से जलशून्य स्थान में पवित्रता और शुद्धता से आचमन करे ।

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः ।

श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते देह्युङ्मुखः ५

(५२) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर की ओर मुँह करके भोजन करने से क्रमानुसार आशु, यश, लक्ष्मी, सत्यता की वृद्धि होती है ।

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः ।

भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यग्द्विः खानि च संस्पृशेत् ॥५४॥

(५३) नित्य चित्त को एकाग्र करके आचमन करने के पश्चात् भोजन करे । भोजनोपरान्त (भोजन के पश्चात्) आचमन करे और इन्द्रियों को पानी से प्रझाले (खुए, धोए) ।

पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चै तदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥ ५४ ॥

(५४) नित्य अन्न की पूजा करे और अन्न का अपमान न करे और अन्न को देखकर प्रसन्न चित्त हो यह कह कर कि हमको सदैव ऐसा अन्न मिले, भोजन करे ।

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

अपूजितं तु तद्भुक्तमुभयं नाशयेदिदम् ॥ ५५ ॥

(५५) अन्न की पूजा करने से तेज और इन्द्रिय शक्ति दोनों की वृद्धि होती है । और पूजा न करने से इन्ही दोनों का नाश हो जाता है ।

नोच्छ्रष्टं कस्यविद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा ।

न चैवाद्यशनं कुर्यान्नचोच्छ्रष्टः क्वचिद्ब्रजेत् ॥५६॥

(५६) जूठा किसी को न दे, सन्धि समय (दिन रात

के मव्य के समय भोजन न करे, बहुत भोजन न करे, भूँटे मुँह कहीं न जाये ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चाति भोजनम् ।

अपुण्यं लोफविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ ५७ ॥

(५७) बहुत भोजन करना, आयु, आरोग्यता, स्वर्ग और पुण्य के हेतु नहीं हैं और ससार में अपुण्य का कारण है ।

ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत् ।

कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥ ५८ ॥

(५८) ब्राह्मणसदैव ब्रह्मतीर्थ से आचमन करे । देवतीर्थ, पित्रतीर्थ और प्रजापति-तीर्थ से आचमन न करे ।

यद्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्म तीर्थं प्रचक्षते ।

कायमद्गुलिमूलस्ये दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥ ५९ ॥

(५९) १—अङ्गुठा, २—तर्जनी, ३—कनिष्ठा इन तीनों का मूल क्रम से ब्रह्म, देव, पितर, और प्रजापति तीर्थ कहलाता है त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

खानि चैव स्पृशेदङ्गिरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥

(६०) पहले तीन बार आचमन करे, पश्चात् दो बार मुँह धोये और नाक, कान, आँसु, मुँह, छाती, सर को पानी से छुये ।

अनुष्णाभिरफेनाभिरङ्गिस्तीर्थेन धर्मवित् ।

शौचेऽप्युः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥ ६१ ॥

(६१) पूर्व मुँह या उत्तर मुँह होकर फेन रहित शोषण जल से जलशून्य स्थान में पवित्रता और शुद्धता से आचमन करे ।

हृद्गाभिः पूतयेविप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः ।

वैश्योद्भिः प्राशिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥६२॥

(६२) आचमन करने में ब्राह्मण छाती तक, क्षत्रिय गले तक, वैश्य जिहा (जीभ) तक और शूद्र आँठ तक जल पहुँचायें ।

उद्धृते दक्षिणे पाणानुपवीत्युच्यते द्विजः ।

सव्ये प्राचीनआवीती निवीती कण्ठसज्जने ॥ ६३ ॥

(६३) वाम (बायें) कन्धे पर जनेऊ रहने से उपवीती अर्थात् सव्य कहलाता है और दक्षिण (दाहिने) कन्धे पर रहने से प्राचीन आवीती अर्थात् अपसव्य कहलाता है और कण्ठ (गले) में रहने से निवीती कहलाता है ।

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम् ।

अस्तु प्राश्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ॥६४॥

(६४) मेखला, चमड़ा, दण्ड, जनेऊ, कुण्डल ये सब टूट जायें तो जल में दे और मन्त्र द्वारा नया धारण करले ।

केशान्तः पांडशे वर्षे ब्राह्मणस्य पिधीयते ।

राजन्यबन्धोद्वात्रिंशे वैश्यस्य द्वयधिके ततः ॥ ६५ ॥

(६५) ब्राह्मण को केशांत कर्म गर्भ से सोलहवें वर्ष, क्षत्रिय को पाँदसवें वर्ष और वैश्य को चौबीसवें वर्ष करना चाहिए ।

“अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृद्धिशेषतः ।

संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्” ॥ ६६ ॥

(६६) + स्त्रियों के यह सब संस्कार बिना मन्त्र के

+ यह श्लोक बहुत थोड़े दिन का मिलाया हुआ है । क्यों के उदाघिकार है ।

(७१) नित्य पाठारम्भ और पाठान्त पर दोनों हाथों से गुरु के चरण छुए और गुरु की आज्ञा का पालन करे ।

व्यत्यस्तपाणिना कार्यामुपमंग्रहणं गुरोः ।

सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥७२॥

(७२) गुरु के सम्मुख जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पाँव और बायें हाथ से बायें पाँव को छुए ।

अधोप्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः ।

अधोप्य भो इति वृथाद्विरामोऽस्त्वतिचारमेत् ॥७३॥

(७३) गुरु आज्ञा दे तब शिष्य पढ़े और जब चुप रहने को कहे तब चुप रहे । तात्पर्य यह है कि गुरु-आज्ञा से पढ़े और चुप रहे अर्थात् गुरु की आज्ञा बिना कौड़े कार्य न करे ।

ब्रह्मणः प्रथमं कुर्यादादावन्ते च मर्चदा ।

स्रवत्यनोऽकृते पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ७४ ॥

(७४) पाठ के आरम्भ और अन्त में प्रथम (ओंकार) कहे । यदि न कहे तो पढ़ा हुआ विस्मृत (भूल) हो जाता है ।

प्राक्कूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः ।

प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्तत ओङ्कारमर्हति ॥ ७५ ॥

(७५) पूर्वाभिमुख्य गुरुरासन पर बैठकर पवित्र मन्त्र से पवित्र होकर तीन बार प्राणायाम करे तब ओंकार जपने (कहने) योग्य होता है ।

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूढुहत् ।

तदित्युच्चाऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति ॥७७॥

(७७) इन्हीं ॐ तीन वेदों से ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र के तीन पाद निकाले हैं ।

एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृति पूर्विकाम् ।

सन्ध्यपोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥७८॥

(७८) ॐ भूर्भुवः स्वः इसको और गायत्री के तीनों चरणों को दोनों समय की संख्या में वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण जप ले तो सय धर्म के फल को प्राप्त कर लेता है ।

सहस्रकृत्वस्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकंद्विजः ।

महताऽष्ठीनसो मासात्त्रेचेवाहिविमुच्यते ॥७९॥

(७९) बाहर जाकर इन्हीं तीनों को अर्थ सहित एक हजार बार एक मास तक जप करे [पढ़े] तो बड़े पाप अर्थात् अज्ञान से छूट जाता है—जैसे साँप कैंचुली से छूटता है ।

एतयर्चा निमंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ।

ब्रह्मक्षत्रियविश्वोनिर्गर्हणां याति साधुषु ॥८०॥

(८०) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को अपने समय पर नहीं जपता है उसको साधु लोग निन्दा करते हैं । क्योंकि वह उस ज्ञान से शून्य है जो जीव का धर्म है ।

ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः ।

त्रिगदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मथोमुखम् ॥८१॥

ॐ ऋग्वेद से अर्थ सतवती अर्थात् पदार्थ प्रशंसा वर्णनसे है, और यजुर्वेद में ब्रह्म अर्थात् पदार्थों के संयुक्त करने की विधि और सामवेद में यज्ञों की उच्चता को बताने वाली गायत्री है ।

(७१) निय पाठारम्भ और पाठान्त पर दोनों हाथों से गुरु के चरण छुए और गुरु की आज्ञा का पालन करे ।

व्यत्यस्तपाणिना कार्यामुपसंग्रहणं गुरोः ।

सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥७२॥

(७२) गुरु के सम्मुख जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पाँव और बायें हाथ से बायें पाँव को छुए ।

अधोप्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः ।

अधीष्व भो इति वृथाद्विरामोऽस्त्वतिचारमेत् ॥७३॥

(७३) गुरु आज्ञा दे तब शिष्य पढ़े और जब चुप रहने को कहे तब चुप रहे । तात्पर्य यह है कि गुरु-आज्ञा से पढ़े और चुप रहे अर्थात् गुरु की आज्ञा बिना कोई कार्य न करे ।

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा ।

स्रवत्यनोक्तते पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ७४ ॥

(७४) पाठ के आरम्भ और अन्त में प्रणव (ओंकार) कहे । यदि न कहे तो पढ़ा हुआ विस्मृत (भूल) हो जाता है ।

प्राक्कूलान्पयुषासीनः पवित्रैश्चैव पावितः ।

प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्तत ओङ्कारमर्हति ॥ ७५ ॥

(७५) पूर्वामुख पुशासन पर बैठकर पवित्र मन्त्र से पवित्र होकर तीन बार प्राणायाम करे तब ओंकार जपने (कहने) योग्य होता है ।

अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः ।

वेदत्रयान्निरदुहद् भूर्भुवःस्वरितीति च ॥ ७६ ॥

(७६) अकार, उकार, मकार, तीनों अक्षरों को और भूर्भुवः इनको भी ब्रह्माजी ने तीनों वेदों से निकाला है ।

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादं पादमदूदुहत् ।

तदित्पृचाऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति ॥७७॥

(७७) इन्हीं ॐ तीन वेदों से ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र के तीन पाद निकाले हैं ।

एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृति पूर्विकाम् ।

सन्ध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥७८॥

(७८) ॐ भूर्भुवः स्वः इसको और गायत्री के तीनों चरणों को दोनों समय की संध्या में वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण जप ले तो सत्र धर्म के फल को प्राप्त कर लेता है ।

सहस्रकृत्वस्त्र्यभ्यस्त्र वहिरेतत्त्रिकंद्विजः ।

महतांऽप्येनसो मासात्त्रेचेवाहिविमुच्यते ॥७९॥

(७९) बाहर जाकर इन्हीं तीनों को अर्थ सहित एक हजार बार एक मास तक जप करे [पढ़े] तो बड़े पाप अर्थात् अज्ञान से छूट जाता है—जैसे साँप कैचुली से छूटता है ।

एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ।

ब्रह्मक्षत्रियवित्र्योनिर्गर्हणां याति साधुषु ॥८०॥

(८०) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को अपने समय पर नहीं करता है उसको साधु लोग निन्दा करते हैं । क्योंकि वह उस ज्ञान से शून्य है जो जीव का धर्म है ।

ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः ।

त्रियदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मथोमुखम् ॥८१॥

ॐ ऋग्वेद से अर्थ सतवती अर्थात् पदार्थ प्रशंसा वर्णनसे है, और यजुर्वेद में यज्ञ अर्थात् पदार्थों के संयुक्त करने की विव और सामवेद में यज्ञों की उच्चता को बताने वाली गायत्री है ।

(८१) यही तीनों अर्थात् 'ॐ भूर्भुव स्व' गायत्री वेदका सार है और परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है । क्योंकि शुद्धबुद्धि बिना ज्ञान नहीं हो सकता और इस गायत्री से ज्ञान होता है ।

योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षीयतन्द्रितः ।

स ब्रह्मपरमभ्येति वायुभूतः स्वमूर्त्तिमान् ॥ ८२ ॥

(८२) जो मनुष्य आलस्य त्याग तीन वर्ष पथ्यांत इन तीनों को जपे वह देवर्षि की नाईं यज्ञ के सत्य २ ज्ञान को प्राप्त होता है ।

एकान्तर परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ।

सावित्र्यास्तु परं न्नास्ति मौनात्सत्यां विशिष्यते ॥ ८३ ॥

(८३) ॐ यह परब्रह्म है, प्राणायाम परतप, गायत्री से कोई सब नहीं है । मूक (चुप) रहने से सत्य बोलना अच्छा है ।

चरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतिपजतिक्रियाः ।

अन्तरं दुष्कर ज्ञेय ब्रह्मचैव प्रजापतिः ॥ ८४ ॥

(८४) वेद में लिखित सब क्रिया नाशवान् है । क्योंकि जब तक शरीर है तब तक क्रिया और उसका फल रहता है । केवल ॐ द्वारा उत्पन्न ज्ञान ही सदैव स्थिर है ।

विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः ।

उपांशु स्याच्छतगुण माहस्रो मानस स्मृतः ॥ ८५ ॥

(८५) यज्ञ से दश गुणा अधिक फल जप में है और जप से दश गुणा अधिक न्यून शब्द से जिसको कोई न सुन सके इस प्रकार के जप में है और मन में किया हुआ जप सदस्र गुणा अधिक फल देने वाला है ।

ये पाक्यज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ समन्विताः ।

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥८६॥

(८६) और जो चार पाक्यज्ञ हैं और विधियज्ञ यह सब जप-यज्ञ के सोलहवें भाग को भी नहीं पहुँचते ।

जप्येनैव तु संसिद्धयेद्ब्राह्मणो नात्रसंशयः ।

कुर्यादन्यन्नवा कुर्यान्मित्रो ब्राह्मण उच्यते ॥८७॥

(८७) ब्राह्मण सब जीवों से प्रेम [प्रीति] रखे और केवल जप ही को करे तो सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है । क्योंकि सब सिद्धियों का मूल मन की एकाग्रता और ज्ञान है ।

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम् ॥८८॥

(८८) जिस प्रकार सारथी रथ के घोड़ों को अपने अधिकार से इन्द्रानुसार चलाता है उसी प्रकार संसार के मनुष्यों को चाहिये कि वह परिश्रम और प्रयत्न करके विषयों से इन्द्रियों का संयम करें [रोकें]—अर्थात् आँसु को रूप से, कान को सुनने से और नाक को सुगन्ध से और इसी प्रकार और इन्द्रियों को ।

एकादशेन्द्रियण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः ।

तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥८९॥

(८९) प्राचीन विद्वानों ने जो ग्यारह इंद्रियाँ बतलाई हैं अब उनको विस्तार-पूर्वक कहता हूँ तुम उनको ध्यान से सुनो ।

श्रोत्रं त्वक्क्षुपी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।

पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता ॥९०॥

(९०) १--श्रोत्र (कान), २--त्वक् (साल), ३--चक्षु (नेत्र, आँसु), ४--जिह्वा (जीभ), ५--नासिका (नाक), ६-६

(हाथ), ७—पाद (पाँव), ८—मूत्रेन्द्रिय, ९—मलेन्द्रिय, १०—चाक् (बाणी) यह दस हैं।

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः ।

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पादवादीनि प्रचक्षते ॥ ६१ ॥

(६१) इन दस में से प्रथम की पाँच ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं और अन्त की पाँच कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं।

एकादश मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ।

यस्मिन् जिते जितावेतौ भवत पाञ्चकौ गणौ ॥ ६२ ॥

(६२) ग्यारहवाँ मन है जो अपने गुणों के कारण द्वारा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय के नाम से बोला जाता है। मन के जीतने [यश में करने] से शेष दशों इन्द्रियों जीती जाती हैं।

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यऽसंशयम् ।

सन्नियम्यो तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ६३ ॥

(६३) इन्द्रियों के प्रसंग से जीवदुःखी होता है और इन्द्रियों के सम्बन्ध के परित्याग से जीव सिद्धि प्राप्त करता है।

न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्मेव भूय एवाऽभिवर्धते ॥ ६४ ॥

(६४) मनकों जिस वस्तु की इच्छा होती है उसके प्राप्त हो जाने पर भी तृप्त नहीं होता किन्तु इच्छा में वृद्धि होती है। जैसे अग्नि में घी पड़ने से वह उत्तरोत्तर प्रदीप्त होती (बढ़ती) है।

यथैतान्प्राप्नुयात्सर्वान्थैतान्केवलांस्त्यजेत् ।

प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ६५ ॥

(६५) जिसके समीप प्रत्येक आवश्यकीय [इच्छित] वस्तु

उपस्थित हैं और जो मनुष्य प्राप्त वस्तुओं को परित्याग कर देता है इन दोनों में से परित्याग कर देने वाला बड़ा है ।

न तथैतानि शक्यन्ते मंनियन्तुमसेवया ।

विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥६६॥

(६६) इन्द्रिय आवश्यक्रीय पदार्थों का परित्याग भोग क्रिये बिना नहीं होता । क्योंकि भोग करने से जब उनके दोष ज्ञात हो जाते हैं तब उनके परित्याग करने की इच्छा करता है ।

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।

नविप्रदुष्टभावरूपं सिद्धिगच्छन्तिकहिंचित् ॥६७॥

(६७) दुष्ट और दुराचारी मनुष्य वेद पढ़ने त्याग, नित्य यज्ञ, तप आदि और धर्म के कर्म करने से शुद्ध नहीं होता ।

श्रुत्या स्पृष्ट्या च दृष्ट्या च भुक्त्वा घ्रात्वा च योनरः ।

न हृष्यति ग्लायति वा सविज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६८॥

(६८) जो मनुष्य सुनने, छूने, देखने, भोगने, और सूंघने से न प्रसन्न होता है और न. इनके बिना अप्रसन्न होता है, वह जितेन्द्रिय कहलाता है ।

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं चरतीन्द्रियम् ।

तेनास्य चरतिप्रज्ञाद्वतेः पात्रादिवोदकम् ॥६९॥

(६९) इन्द्रियों में से यदि एक भी इन्द्रिय अपने विषय में लगी कि बुद्धि नाश हो जाती है जैसे चलनी से जल छन जाता है ।

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।

सवासांधयेदर्थानि चिरवन्योगतस्तनुम् ॥१००॥

(१००) उत्तम रीति से प्रयत्न करके मन आदि इन्द्रियों को वश में करके मुक्ति मार्ग और सांसारिक कार्यों को प्राप्त करना चाहिये और इस मध्य शरीर को भी नाश न होने दे ।

पूर्वा संध्यांजपं स्तिष्ठेत्सावित्रीमार्कदर्शनात् ।

पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृत्तविभावनात् ॥१०१॥

(१०१) प्रातःकाल सूर्योदय से पहिले संध्या के पश्चात् गायत्री का जप तब तक करता रहे जब तक सूर्य का दर्शन न हो और इसी प्रकार संध्या समय जब तक नक्षत्र दिखलाई न दें ।

पूर्वा संध्यां जपं स्तिष्ठेन्नैशमे नो व्यपोहति ।

पश्चिमांतु समासीनो मलं हन्ति दिवा कृतम् ॥१०२॥

(१०२) प्रातःकाल की संध्या करने से रात्रि के पापों से मुक्त हो जाता है । और सायंकाल की संध्या करने से दिन के पापों से मुक्त हो जाता है ।

न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्तेयश्च पश्चिमाम् ।

स शूद्रवद्विहिकार्यः सर्वस्माद्द्विजकर्मणः ॥१०३॥

(१०३) जो मनुष्य दोनों समय की संध्या नहीं करता है वह शूद्रवत् द्विज कर्मों से बहिष्कार [बाहर] करने योग्य है । क्योंकि उसमें द्विजों का धर्म उग्रस्थित नहीं ।

अपांसमीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थिताः ।

सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥१०४॥

(१०४) अरण्य [जंगल] में पानी के समीप यथाविधि बैठकर सावित्री [गायत्री] का जप करे ।

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यकैः ।

नानुरोधोऽस्त्यनध्यायो होममन्त्रेषु चैव हि ॥१०५॥

(१०५) वेद के ६ अङ्ग हैं—शिक्षा, काव्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ज्योतिष इनके पढ़ने और नित्यकर्म के करने में अनध्याय अर्थात् श्रुति न करे ।

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसूत्रं हि तस्मृतत् ।

ब्रह्माहु तिहुतं पुण्यमनध्यायवपटकृतम् ॥ १०६ ॥

(१०६) नित्यकर्म में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं वह अनध्याय के दिन भी पुण्य से रिक्त नहीं हैं अर्थात् पुण्य देने वाले हैं ।

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः ।

तस्य नित्यं चरत्येष पयोदधिघृतं भवु ॥१०७॥

(१०७) जो मनुष्य एक वर्ष तक यथाविधि नियम से वेद का स्वाध्याय करता है उसको वेद कामधेनु की नाईं छ दूध घी देता है ।

अग्नीन्धनं भैक्ष चर्यामधः शय्यांगुरोहितम् ।

आसमावर्तनात्कुपत्कृतोपनपनोद्विजः ॥१०८॥

(१०८) जिसका जनेऊ हो गया हो वह जब तक वेद को औद्योपात न पढ़ ले तब तक हवन करता रहे, भिक्षा माँगे, पृथ्वी पर सोवे और गुरु के हित में रत [लगा] रहे ।

आचार्यपुत्रः शुश्रू पुत्रानदोधामिकः शुचिः ।

आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोध्याप्यादश धर्मतः ॥१०९॥

(१०९) १-आचार्यपुत्र, २-सेवक, ३-ज्ञानदाता, ४-धर्म करने वाला, ५-पवित्र रहने वाला, ६-आप्त, ७-सामर्थ्यापन [समर्थ], ८-साधु, ९-धनदाता और १०-स्वजाति वाला यह दस पढ़ाने योग्य हैं ।

ॐ दूध घी से तात्पर्य मुरग, यश और निर्भयता से है ।

ना पृष्ठः कस्यचिद्ब्रूयान्न चाऽन्यायेन पृच्छतः ।
जानन्नपिहि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥११०॥

(११०) बिना पूछे किसी से कोई बात न कहे, छल से पूछे तो भी न कहे । बुद्धिमान् पुरुष प्रत्येक विषय से जानकार होने पर भी संसार में जडवत् रहे ।

अधर्मेण च यःप्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति ।

तयोरन्यतरः प्रैतिविद्वैपं वाधिगच्छति ॥१११॥

(१११) जो मनुष्य अधर्म से पूछता है, और जो अधर्म से कहता है उन दोनों में से एक मर जाता है अथवा शत्रुता उत्पन्न हो जाती है ।

धनार्थो यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा ।

तत्र विद्या न वक्तव्याः शुभं वीजमिवोपरे ॥११२॥

(११२) जहाँ धर्म, अर्थ और सेवा शास्त्रानुसार नहीं है वहाँ विद्या न सिखाना । क्योंकि उत्तम और उपजाऊ बीज ऊसर भूमि में नहीं बोया जाता ।

विद्ययैव समं कामं कर्तव्यं ब्रह्मवादिना ।

आपद्यपि हि घोरायां नत्वेनामिरिणे वपेत् ॥११३॥

(११३) विद्वान् मनुष्यो को चाहिये कि उनकी विद्या चाहे उनके साथ ही चली जाय किन्तु कुपात्र तथा दुराचारी मनुष्य को विद्या न पढ़ावे ।

विद्याब्राह्मणमेत्याह शेषधिस्तेस्मि र्त्न माम् ।

असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥११४॥

(११४) विद्या ब्राह्मणों से कहती है कि मैं तुम्हारी

सम्पत्ति हूँ, मेरी रक्षा करो और जो लोग वेद की इच्छा नहीं रखते उनको मुझे न दो तो मैं पूर्ण कला से तुम्हारे पास रहूँगी ।

यमेव तु शुचि विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम् ।

तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाऽप्रमादिने ॥११५॥

(११५) जिन ब्राह्मण को पवित्र ब्रह्मचारी, सम्पत्ति की रक्षा करने वाला, और बुद्धिमान जानो उस ब्राह्मण को मुझे दो ।

ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् ।

स ब्रह्मस्तेयंसंयुक्तो नरकं प्रति पद्यते ॥११६॥

(११६) जो लोग बिना गुरु के वेद को सुन सुना कर सीखते हैं वह वेद के चोर है । क्योंकि वेद का सत्य अर्थ गुरु बिना नहीं जाना जा सकता है । और वेद का अशुद्ध अर्थ करने वाला नरक गामी होता है ।

लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च ।

श्राद्धदीन यतो ज्ञानं तं पूर्वमभियादयेत् ॥११७॥

(११७) जिससे लौकिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान व ब्रह्मज्ञान सीखे उसको पहिले अभियादन (प्रणाम) करे ।

सावित्री मात्रसारोऽपि वर विप्रः मुयन्वितः ।

नायन्वितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशीर्षसर्वविक्रयी ॥११८॥

(११८) जो पुरुष केवल सावित्री (गायत्री) को पढ़ा हो और शास्त्रानुसार नियम से रहता हो वह मान्य और आदरणीय है । और तीनों वेदों को पढ़ा हो परन्तु सब वस्तुओं को बेचने वाला, अपवित्र पदार्थ भक्षी और शास्त्र प्रतिकूल कर्म करने वाला हो वह मान्य तथा आदरणीय नहीं है ।

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् ।

शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ॥११६॥

(११६) बृद्ध पुरुष जिज आसन (गद्दी) पर बैठते हैं उस पर आप न बैठें और यदि बैठा हो तो उठकर प्रणाम करें ।

ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति ।

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ॥१२०॥

(१२०) बृद्ध पुरुषों के आते से छोटीं के प्राण ऊपर को उठते हैं और छोटे लोग जब उठकर प्रणाम करते हैं तो उससे वे प्राण स्थिर हो जाते हैं ।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितः ।

चत्वारि तस्य तद्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम् ॥१२१॥

(१२१) जो मनुष्य बड़े लोगों को सदैव प्रणाम करता है । उसकी आयु यश, विद्या, और बलचारों की वृद्धि होती है ।

अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन् ।

असौनामाहमस्मीति स्वं नामपरिकीर्त्तयेत् ॥१२२॥

(१२२) प्रणाम करने के पश्चात् वृद्धों से यह कहे कि मैं अमुक नाम का मनुष्य हूँ ।

नामधेयस्य ये कोचदभिवादं न जानते ।

नान्प्राज्ञोऽहमितिव्रूयात्स्त्रियः सर्वास्तथैव च ॥१२३॥

(१२३) जो मनुष्य प्रणाम करने के शब्द वा वाक्य में नहीं जानता है वह केवल अपने ही नाम को कहे और स्त्रियों में ऐसा ही कहे ।

भोः शब्द कीर्त्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादाने ।

नाम्नो स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥१२४॥

(१२४) प्रणाम करने के समय अपने नाम के अन्त में 'भोः' शब्द को कहे । 'भोः' शब्द का नाम का धताने वाला है यह ऋषियों ने कहा है ।

आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादाने ।

अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यःपूर्वाक्षरःप्लुतः । १२५।

(१२५) आशीर्वाद देने में 'आयुष्मान् भव' ऐसा कहना चाहिये । नाम के अन्त में अकारादि स्वर को स्वर प्लुत अर्थात् त्रिमात्रात्मक कहना चाहिये ।

यो न वेत्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् ।

नाभिवाद्यं स विदुषा यथाशूद्रस्यथैवसः ॥ १२६ ॥

(१२६) जो मनुष्य आशीर्वाद देने के वाक्य को नहीं जानता है उसको प्रणाम न करना चाहिये क्योंकि वह शूद्रप्रभ है,

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयम् ।

वैश्यं क्षेमं समागम्यशूद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ ॥

(१२६) ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय में अनामय, वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्यता पूछना चाहिये ।

अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपियो भवेत् ।

भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित् ॥ १२८ ॥

(१२८) जो पुरुष अपने से छोटा है और यज्ञ करता है उसको यज्ञ में भो भवत् शब्द से बोधना (पुकारना) चाहिये नाम लेना अनुचित है ।

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसंबन्धा च योनितः ।

तां ब्रूयाद्भ्रूयतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥ १२९ ॥

(१२६) जिस स्त्री से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है उसको सुभगे, भवती, भगिनी कह के पुकारना चाहिये ।

मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरुन् ।

असावहमिति त्र यात्प्रत्युत्थाय यवीयमः ॥१३०॥

(१३०) मातुलों (मामाओं), चचा, श्वसुर (ससुर) यज्ञ करने वाला गुरु यह सब अपनी आयु से छोटे भी हो तो भी उनको यह कह कर कि मैं अमुक हूँ उठ कर प्रणाम करना चाहिये ।

भ्रातृष्वसा मातुलानी श्वशूरथ पितृष्वसा ।

संपूज्या गुरुपत्नीवत् समस्ता गुरुभार्यया ॥१३१॥

(१३१) मौसी, मातुलानी (माई), सासु, फूफी (फुफ़ा), यह सब गुरु पत्नी के समान हैं । अतएव इनकी पूजा व आदर गुरु-पत्नी की नाईं करना चाहिये ।

मातुर्भार्योषसंप्राह्या सवर्णाऽहन्वहन्यपि ।

विप्रोप्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसवन्धियोपितः ॥१३२॥

(१३२) बड़े भ्राता की भार्या (स्त्री, पत्नी) वा जो स्व-जाति (बड़े) भाई की स्त्री हो सदैव उसका पाँव छू कर प्रणाम करे और स्वजाति की सम्बन्धिनी (नातेदार, रिस्तेदार) स्त्री का भी पाँव छू कर प्रणाम करे । परन्तु जब विदेश से आकर अपने देश में निवास करे तब पाँव न छुए केवल प्रणाम करे ।

पितुर्भगिन्यांमातुश्चज्यायस्यांचस्वसर्षपि ।

मातृवद्बृत्तिमातिष्ठेन्माताताभ्यांगरीयसी ॥१३३॥

(१३३) फूफी, मौसी, बड़ी बहन इन सब को माता के तुल्य जाने, किंतु माता उन सब से बड़ी अर्थात् मान्य व आदरणीय है ।

दशाम्दारुण्य पौरमख्यं पथाब्दारुणं कलाभृताम् ।

अथद्दूर्णं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥१३४॥

(१३४) एक गाय अथवा एक शहर के निवासी गुण से रहित हा और दश वर्ष बडे हों तो उनके साथ मित्रता का व्यवहार होता है, और गुणी हा और पाच वर्ष बडे हा तो उनके साथ भी मित्रता का व्यवहार होता है और वेद पढे हों और तीन वर्ष बडे हा तो भी मित्रता का व्यवहार होता है । सबधी हों तो अल्प समय ही में मित्रता होती है । यदि ऊपर लिखे आयु से अधिक अवस्था वाला हो तो वृद्ध और मान्य है ।

ब्राह्मण दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।

पितापुत्रो विजानीयाद्ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥१३५॥

(१३५) ॐ दस वर्ष का ब्राह्मण और सौ वर्ष का क्षत्रिय दोनों आपस में बाप बेटे की नाड रहे । उनमें ब्राह्मण पितापुत्र और क्षत्रिय पुत्रपुत्र रहे ।

वित्तं वन्धुर्नयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥१३६॥

(१३६) १-वन, २-बन्धु (सम्बन्धी), ३-आयु, ४-कर्म, ५-विद्या यह पाँच मान्य तथा आदरणीय हैं । इनमें पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा इस ही प्रकार एक दूसरे से पू्य (उत्तम) है ।

ॐ यह श्लोक का मिलावा हुआ है क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण नहीं होता तब तक ब्राह्मण हो नहीं सकता । और दस वर्ष में ब्रह्मचर्य किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं हो सकता ।

पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च ।

यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः शूद्रोऽपि दशमी गतः ॥१३७॥

(१३७) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें वे जिसके पास पाँच वस्तुओं में से कोई भी वस्तु अधिक हो वही आदरणीय है और ६० वर्ष से अधिक शूद्र भी आदरणीय है ।

चक्रिणो दशमास्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः ।

स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयां वरस्य च ॥१३८॥

(१३८) रथारूढ़, ६० वर्ष से अधिक आयु वाला, रोगी, भार (बोझ) वाला, स्त्री, स्नातक (ब्रह्मचारी) राजा, और वर (दूल्हा) इनमें से कोई एक आता हो तो उसको पथ (रास्ता) दे अर्थात् आप एक ओर हो जावे ।

तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपाथिभौ ।

राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक् ॥१३९॥

(१३९) उपरोक्त मनुष्य राजा को रास्ता देवे और राजा ब्रह्मचारी को आता देखकर रास्ते से हट जावे ।

उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्द्विजः ।

सङ्कल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ १४० ॥

(१४०) जो यज्ञोपवीत पहना कर वेद वेदांग और उसके न्यारयान को सत्योचित रीति से पढ़ाता है वह आचार्य कहलाता है ।

एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः ।

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१॥

(१४१) वेद का एक देश और वेद के छः अंग इन सब

की जीविका के लिए जो पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है ।

निष्कादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ।

संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥१४२॥

(१४२) जो गर्भाधानादि संस्कारों को यथा विधि करता है वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है ।

अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान् ।

यः करोति वृतो यस्य स तस्यत्विग्निहोच्यते ॥१४३॥

(१४३) जो मनुष्य अग्निहोत्र कर्म, पाक यज्ञ (अष्टका ब्राह्म अग्निष्टोम आदि मंत्रों (यज्ञों) को कराता है वह ऋत्विज कहलाता है ।

य आवृणोत्यवितर्धं ब्राह्मणः श्रवणानुभौ ।

स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्कदाचन ॥१४४॥

(१४४) जो दोनों कानों को वेद से भरता है वह माता पिता वत् है । उससे कभी शत्रुता न करनी चाहिए ।

उपाध्यायान्दशगुण्य आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृन्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ १४५ ॥

(१४५) उपाध्याय से दशगुणा आचार्य मान्य है, आचार्य से सौ गुणा पिता मान्य है और पिता से सहस्र गुणा अधिक माता मान्य है ।

उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता ।

ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चैव च शाश्वतम् ॥१४६॥

(१४६) जन्म दाता और वेद पढ़ाने वाला दोनों मे से वेद पढ़ाने वाला बड़ा है । वेद पढ़ाने से जो जन्म होता है वह जन्म अविनाशी है ।

कामान्माता पिताचैनं यदुत्पादयतो मिध्वः ।

संभूर्तिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ॥१४७॥

(१४७) माता, पिता, काम वश होकर पुत्र उत्पन्न करते हैं । अतएव उत्पत्ति स्थान हैं ।

आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः ।

उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा ॥१४८॥

(१४८) जो जन्म गायत्री करके (द्वारा) आचार्य करता है वह जन्म सत्य (ठीक) और अजर अमर (अविनाशी) है ।

अल्पं वा बहु वा तस्य श्रु तस्योपकरोति यः ।

तमपीह गुरुं विद्याच्छ्रु तोपक्रियया तथा ॥१४९॥

(१४९) अल्प वा बहुत वेद के पढ़ाने से जो उपकार करता है उसको भी गुरु समझना चाहिए ।

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासितां ।

बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥१५०॥

(१५०) वेद पढ़ाने वाला ब्राह्मण आयु में चाहे जितना छोटा हो परन्तु वह गुरु ही कहलाता है । क्योंकि ज्ञान से ही जीवात्मा का (वृद्धत्व) ब्रह्मण्य है, आयु से नहीं ।

अध्यापयामास पितृञ्जिसशरांगिरसः कवि ।

पुत्रका इति होराच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥१५१॥

(१५१) 'अंगिरा के बेटे ने अपने चचा को पढ़ाया और बेटा कहा इस कारण से कि वह ज्ञान में बड़ा था ।

ते तमर्थपृच्छन्त देवानागतमन्यवः ।

देवाश्चै यान्समेत्योचुर्न्याग्र्यां वः शिशुरुक्तवान् ॥१५२॥

(१५२) इस कारण से चचा क्रुद्ध होकर देवताओं से पूजने गया । देवताओं ने उत्तर दिया कि उस बालक (शिशु) ने श्रच्छा कहा ।

अज्ञो भवति वै बाल पिता भवति मन्त्र दः ।

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥१५३॥

(१५३) क्योंकि जो कुछ नहीं जानता वह बालक कहलाता है और जो मन्त्र देता है वह पिता कहलाता है ।

न हायनैर्न पलितैर्न रिक्त न न वन्धुभि ।

ऋषयश्चक्रिरे घर्मं याऽनूचान म नो महान् ॥१५४॥

(१५४) वयोवृद्धि, धनवान्, और बहुत बान्धवों वाला होने से बड़ा नहीं कहलाता । वरन् सागोपाग वेद पढ़ने वाला बड़ा है वह ऋषियों का वचन है ।

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियणां तु वीर्यतः ।

वैश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव जन्मतः ॥१५५॥

(१५५) ब्राह्मणों में ज्ञान से ज्येष्ठता है, क्षत्रियों में बल से, वैश्यों से धन से और शूद्रों में आयु से ज्येष्ठता (बड़प्पन) मानी जाती है ।

न तेन वृद्धो भवति येनानस्य पलितं शिरः ।

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः म्यपिरं विदुः ॥१५६॥

(१५६) केशों के सवेत होने से बड़ा नहीं कहलाता, वरन् जो कोई युवा है और विद्वान् है इसी को देवताओं ने बड़ा कहा है ।

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग ।

यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम निभ्रति ॥१५७॥

(१५७) काठ का हाथी चमड़े का मृग (हिरन), मर्कट
ब्राह्मण यह तीनों नाम मात्र को हैं । कुछ कार्य नहीं कर सकते ।

यथा पण्डोऽफलः स्त्रीषु यथा गोरगवि चाफला ।

तथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ १५८ ॥

(१५८) जिस प्रकार नपुंसक पुरुष स्त्रियों में और
(चांभ) गऊ गवयों में निष्फल है और जिस प्रकार मर्कट ब्राह्मण
को दान देना निष्फल है वही प्रकार कुण्ड ब्राह्मण निष्फल है ।

अदिसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम् ।

वाचयचैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥ १५९ ॥

(१५९) ऐसे काम की आज्ञा देनी चाहिये जिसमें
किसी जीव को कष्ट न हो । और धर्मात्मा पुरुष को मीठी वाणी
बोलनी चाहिए ।

यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा ।

स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतः फलम् ॥ १६० ॥

(१६०) जिसकी वाणी और मन शुद्ध है सर्वदा माया
से बचा हुआ है । वह वेदान्त के फल को पाता है ।

नारुंतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः ।

ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥ १६१ ॥

(१६१) दुःखी होने पर भी ऐसी बात न कहे कि जिससे
किसी के चित्त पर घाव लगे (दुःखीहो) और कभी डाह न करे ।

संमानाद्ब्राह्मो नित्यमुद्विजेत विपादिव ।

अमृतस्येव चाकांचेदवमानस्य सर्वदा ॥ १६२ ॥

(१६७) मखसे शिवा पर्यन्त परम तप वह करता है जो माला पहने हुए बलानुसार नित्य वेद को पढ़ता है (अर्थात् ब्रह्मचारी को माला पहनाना वर्जित है, अतः वर्जित कार्य करने पर भी यदि वेद को पढ़ा करे तो वह भी तप ही है) ।

यऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नैव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय । १६८ ।

(१६८) जो ब्राह्मण वेद का पढ़ना त्याग कर शास्त्रों के अध्ययन में परिश्रम करता है वह जीवन पर्यन्त अपने कुल सहित शूद्र भाव को प्राप्त होता है ।

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिवन्धने ।

तृतीयं यज्ञदीक्षार्या द्विजस्य श्रुतिचोदनात् । १६९ ।

(१६९) वेद में ब्राह्मण के तीन जन्म लिखे हैं पहला जन्म माता से, दूसरा जनेऊ होने से और तीसरा यज्ञ करने से।

तत्र यद्रवज्ञजन्मास्य मौजीवन्धनचिन्हतम् ।

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते । १७० ।

(१७०) जिसमें जनेऊ होने से जो जन्म होता है उसमें गायत्री माता है और आचार्य पिता है ।

वेदप्रदानाचार्य पितरं परिचक्षते ।

नह्यस्मिन्युच्यते कर्म किञ्चिदामौञ्जिवन्धनान् । १७१ ।

(१७१) वेद के पढ़ाने से आचार्य पिता कहलाता है । जब तक जनेऊ नहीं होता । तब तक मनुष्य का उद्धार किसी द्विज कर्म में नहीं होता क्योंकि जनेऊ बिना प्रत्येक मनुष्य शूद्र है ।

नाभिव्याहारयेद्ब्रह्म स्वधानिनयनादृते ।

शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्धोदेन जायते ॥१७२॥

(१७२) बिना जनेऊ हुए पुत्र का अधिकार श्राद्ध करने में नहीं होता है । किन्तु शूद्र तुल्य होता है ।

कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ।

ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वम् ॥१७३॥

(१७२) जनेऊ के पश्चात् व्रत करना चाहिये और यथा विधि वेद पढ़ना चाहिये । यही मनुष्य का जीवन फल है ।

यद्यस्य विहितं चर्म यप्सूत्रं या च मेखला ।

यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेश्वपि ॥१७४॥

(१७४) जिसको जो मेखला, जो चर्म, जो सूत, जो दण्ड, जो कपड़ा है यही व्रत में भी रहे ।

सेवतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरो वसन् ।

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्धयर्थमात्मनः ॥१७५॥

(१७५) ब्रह्मचारी गुरुकुल में पास कर इन्द्रिय-निग्रह (इन्द्रियों को वश में) करके अपने तप की उन्नति के हेतु निम्नलिखित विधि से कायं करे ।

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवपिपितृतर्पणम् ।

देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥१७६॥

(१७६) नित्य स्नान कर शुचि (शुद्ध पवित्र) हो देवपिपितृ-तर्पण करके देवताओं का पूजन करे और अग्नि में हवन करे ।

वर्जयेन्मधुमौसं च गन्धं माल्यं रसान्त्रिः ।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥१७७॥

(१७७) जराव, मास, गन्ध, माला, रस, स्त्री, जीव-
हत्या ब्रह्मचारी को सदैव वर्जित है (कभी न करना चाहिये) ।

अभ्यंगमञ्जनं चाक्षोरुपानच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥१७८॥

(१७८) उवटन का जल, जूता, छतरी, काम, क्रोध,
लोभ, नाचना, गाना बजाना ।

घृतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् ।

दारिण्यां प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ १७९ ॥

(१७९) घृत (जुआ), किसी का मिथ्या दोष वर्णन
करना, स्त्री दर्शन, स्त्री सम्भाषण, दूसरे की बुचेष्टा, इन सब
घातों से दूर रहे ।

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्प्रवचित् ।

कामाद्वि स्कन्दयन्रेतो दिनस्ति व्रतमात्मनः ॥१८०॥

(१८०) अकेला सोवे, वीर्य को न गिरावे, और जो
भीई वीर्य को गिराता है वह अपना व्रत नाश कर देता है ।

स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः ।

स्नात्वाकर्मचयित्वात्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥१८१॥

(१८१) यदि स्वप्न में बिना इच्छा शुक्र (वीर्य) गिर
जाए तो स्नान करके सूय की पूजा करके 'पुनर्माम्' इस मन्त्र का
तीन बार जप करे ।

उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान् ।

आहरेद्यावदर्थानि भैचं चाहरहश्चरत् ॥ १८२ ॥

(१८२) जल का घड़ा, फूल, गोबर मिट्टी, कुश इन सब
को आवश्यकतानुसार लावे । और नित्य भीख माँगकर भोजनकरे

चेदयज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां ह्यस्कर्मासु ।

ब्रह्मचार्याहरेद्भ्रूयं ग्रहेभ्यः प्रयतोऽन्नहम् ॥१८३॥

(१८३) जो मनुष्य वेद, यज्ञ, और अपने शुभ कर्मों के युक्त हो उसके गृह (घर) से भिक्षा (भीख) लावे ।

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु ।

श्रुत्वाभे त्वन्यगोहानां पूर्व पूर्व विवर्जयेत् ॥१८४॥

(१८४) गुरु के कुल में, जाति के कुल में, भाई के कुल में भिक्षा न माँगे । यदि कहीं भिक्षा न मिले तो पूर्व पूर्व (प्रथम प्रथम) को त्याग कर दूसरे दूसरे से मागे ।

सर्व वापि चरेद्ग्राम पूर्वोक्तानामसंभवे ।

नियन्य प्रयतो वाचमभिशस्तास्तु वर्जयेत् ॥१८५॥

(१८५) जो ऐसे घर न हों तो सारे गाँव में मौन धारण कर और इन्द्रियों को बराबर भिक्षा मागे । किन्तु पापियों का घर त्याग दे ।

दूरादाड्य क्षमिधः संनिदध्याद्विहायसि ।

सार्यप्रातश्च जुहुयात्तभिरग्निमतन्द्रितः ॥१८६॥

(१८६) दूर से लकड़ी लाकर गृही से ऊपर आकाश में (उँचे पर) रखके उसीसे प्रातः सायं हवन करे । आलस्य न करे ।

अकृत्वा भैक्षुण्यमसमिध्य च पावकम् ।

अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्तिव्रतं चरेत् ॥१८७॥

(१८७) यदि सामर्थ्य हो तो सात दिवस तक भीख न मागे और अग्नि में हवन न करे । अघकीर्ण नाम व्रत (जो आगे कहेंगे) करे ।

भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नादी भवेद्ब्रती ।

भैक्षेण ब्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ॥१८८॥

(१८८) नित्य भिक्षा माग कर भोजन करे । परन्तु ही गृह का अन्न न'खाये । भिक्षा माँगकर भोजन करना तुल्य है । और एक गृह का अन्न खाने से व्रत सखिडत जाता है ।

व्रतवद्वैवत्ये पित्र्ये कर्मण्यथापिबत् ।

काममभ्यर्थितोऽश्नीयाद्ब्रतमस्य न लुप्यते ॥१८९॥

(१८९) यदि किसी मनुष्य ने विश्वदेव वा पितृकर्म के निमित्त नैवता दिया हो तो इन्द्रानुसार श्राद्ध में भोजन करे । परन्तु दोना कर्मों में ब्रमानुसार ब्रती और ऋषि की नाईं सुन्वन्तो को भोजन करे । ऐसा करने से व्रत नहीं टूटता ।

ब्राह्मणस्यैव 'कर्मैतदुपदिष्टं' मनीषिभिः ।

राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते ॥१९०॥

(१९०) श्राद्ध में भोजन करना ब्राह्मण ही का काम है । क्षत्रिय, वैश्य और ब्रह्मचारियों का नहीं ।

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा ।

कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥१९१॥

(१९१) गुरु आज्ञा हो या न हो परन्तु वेद पढ़ने और गुरु की भलाई करने का प्रयत्न करे ।

शरीरं चैव वाचं च बुद्धोन्द्रियमनांसि च ।

निशम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोर्मुखम् ॥१९२॥

(१९२) शरीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रिय, मन सब को वश

, कर जोड़, गुरु में दंपता हुआ गुरु के सामने स्थिर सदा) रहे ।

नित्यमुद्धृतपाणिः सत्याध्याचारः सुसंयतः ।

आस्यतामिति चोक्तःसन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥१६३॥

(१६३) दक्षिण कर को चादरे (वस्त्र) में सदैव बाहर रखे, साधु की नाईं आचार से रहे, चंचलता-विहीन रहे, और गुरु जब बैठने की आज्ञा दे तब उनके सम्मुख बैठे ।

हीनान्नवस्त्रोप' स्यात्सर्वदा गुरुमन्निधौ ।

उत्तिष्ठत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥१६४॥

(१६४) गुरु के समीप इस विधि से रहना चाहिए कि जैसा गुरु भोजन करे उससे हीन दशा का आप भोजन करे, जैसा वस्त्र गुरु पहिने उससे हीन (घटका) वस्त्र आप पहिने, जैसे वेप में गुरु रहे उससे हीन वेप में आप रहे, और गुरु के जागने से प्रथम जागे और गुरु के सोने के पश्चात् सोवे ।

प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत् ।

नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्नो पराङ्मुखः ॥१६५॥

(१६५) सोता हुआ, आसन पर बैठा हुआ, भोजन करता हुआ और मुख फेरे हुए गुरु से बात चीत न करे और न सुने ।

आसीनस्य स्थितः कुर्यादिभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ।

प्रत्युद्गम्य त्वान्नजतः पश्चाद्वावंस्तु धावतः ॥१६६॥

(१६६) गुरु बैठे हों तो आप सदा होकर, गुरु खड़े हों तो आप चलकर, गुरु चलते हों तो आप सम्मुख जाकर और गुरु दौड़ते हों तो आप भी पीछे दौड़कर बात करे और सुने ।

पराङ्मुखस्याभि मुखो दूरस्थस्यैत्य चातिक्रमम् ।

प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चोव तिष्ठनः ॥१६७॥

(१६७) गुरु मुख फेरे रखे हों तो सम्मुख जाकर, द हों तो समीप जाकर, और सोते हों तो प्रणम्य करके गुरु आदेश (आज्ञा) को सुने ।

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ ।

गुरास्तु चक्षुर्विपये न यथेष्टासनो भवेत् ॥१६८॥

(१६८) गुरु के समीप अपना शय्यासन नीचा रखे अपने इच्छानुसार न रखे । क्योंकि ऐसा न करने से गुरु व अपमान होता है और विद्या नहीं आती ।

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् ।

न चैवास्थानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥१६९॥

(१६९) गुरु के पीछे भी केवल उनके नाम को न ले और गुरु की जैसी चाल, ढाल, बोली, चेष्टा हो वैसी अपनी न रखे । वरन् गुरु की आज्ञा पालन करे, उनकी चाल की (रीति की) नकल न करे ।

गुरोयत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते ।

कर्णौ तत्र विधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥२००॥

(२००) जहाँ गुरु को सत्य वा अनत दोषारोपण होता हो वा निन्दा होती हो वहाँ अपने कान बन्द करले अथवा वहाँ से उठ जावे ।

परोवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः ।

परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥

(२०१) गुरु का सत्य अनृत दोष कहने से गधा

और निन्दा करने से कुत्ता होता है । गुरु का अनुचित धन भोजन करने से कृमि (छोटा कीड़ा) और मत्सर (गुरु की बड़ाई न सह सकने) से कीट (बड़ा कीड़ा) होता है ।

दूरस्थो नार्चयेदनं क्रुद्धो नातिके स्त्रियाः ।

या चासनस्थश्च वै नमवस्त्र्याभिवादयेत् ॥२०२॥

(२०२) गुरु की पूजा दूर से (अर्थात् किसी के द्वारा सामिग्री भेजकर) न करे और क्रोध भी न करे । यदि अपनी स्त्री के समीप बैठा हो वा सवारी या आसन पर बैठा हो तो सवारी से उतर कर वा आसन को त्याग कर वा स्त्री के समीप से उठ कर प्रणाम करे ।

प्रतिवातेऽनुवाते च नामीत गुरुणा सह ।

असंश्रवे चैव गुरोर्न किञ्चिदपि कीर्तयेत् ॥२०३॥

(२०३) जो मनुष्य गुरु के देश से शिष्य के देश को आया हो अथवा शिष्य के देश से गुरु के देश को आया हो इन दोनों के सम्मुख शिष्य गुरु के साथ न रहे । जो बात गुरु के सुनने में न आवे ऐसी कोई बात गुरु की वा और किसी की न कहे अर्थात् गुरु से छिपा कर कोई बात न कहे ।

गोऽश्वोऽष्टयानप्रासादस्त्रास्तरेषु कटेषु च ।

आसीत् गुरुणा सार्धं शिलाफलकनीषु च ॥२०४॥

(२०४) बैल, घोड़ा, ऊँट वाले रथ, गाड़ी पर अथवा चटाई, पत्थर, लकड़ी और नाव पर गुरु के साथ बैठे ।

गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुक्दृष्टिमाचरेत् ।

न चानसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरुनभिवादयेत् ॥२०५॥

(२०५) गुरु के गुरु को भी अपने गुरु का नाईं जाने और गुरु की आज्ञा के बिना अपने देश से आये हुए चचा आदि को प्रणाम न करे ।

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यावृत्तिः स्वयोनिषु ।

प्रतिपेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि ॥२०६॥

(२०६) इसी प्रकार आचार्य के अतिरिक्त उपाध्याय आदि सम्वन्धी, अधर्म से रक्षा करने वाले, उत्तम-शिक्षा-दाता भी गुरु समान हैं ।

श्रेयःसु गुरुवद्वृत्तिं नित्यमेव समाचरेत् ।

गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्ववन्धुषु ॥२०७॥

(२०७) जो वृद्ध जन है, गुरु का बड़ा पुत्र और गुरु के वान्धव इन सब को भी गुरु समान जाने और सदैव उनका आदर करे ।

बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि ।

अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥२०८॥

(२०८) गुरुपुत्र अपनी आयु से छोटा हो वा बड़ा हो, जो पढ़ाने की सामर्थ्य रखता हो और अपना यज्ञ देखने को आवे तो उसका भी आदर गुरु की नाईं करना चाहिये ।

उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजनम् ।

न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम् ॥२०९॥

(२०९) स्नान कराना, उबटन लगाना, जूठा भोजन करना, पांव धोना यह सब काम गुरुपुत्र के न करे ।

गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णागुरुयोपितः ।

असवर्णास्तु संपूज्या प्रत्युत्थानाभिवादनैः ॥२१०॥

(२१०) गुरु के सवर्ण स्त्री की पूजा गुरु की नाईं करे ।
और जो स्वजाति की नहीं है तो उसकी पूजा यही है कि लठ
कर केवल प्रणाम करे ।

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च ।

गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम् ॥२११॥

(२११) गुरु पत्नी के शरीर में तेल व उबटन न लगावे,
और न स्नान करावे, न बाल सुखावे ।

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः ।

पूर्णविशतिवर्षेण गुखदोषौ विजानता ॥२१२॥

(२१२) जो शिष्य पूर्ण २० वर्ष की आयु वाला और
गुण दोषों का ज्ञाता हो वह युवा गुरु पत्नी के पाँव पकड़ कर
प्रणाम न करे ।

स्वभाव एष नारीणां नारायामिह दूषणम् ।

अतोऽर्थाच्च प्रमाद्यंति प्रमदासु विपथितः ॥२१३॥

(२१३) मनुष्यों को दोष लगाना स्त्रियों का स्वभाव है
इस हेतु परिडित जनों को स्त्रियों से चैतन्य रहना चाहिये ।

अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः ।

प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम् ॥२१४॥

(२१४) काम क्रोध के वश हुआ पुरुष बहुत परिडित
हो वा मूर्ख हो उसको बुरे रास्ते पर ले जाने के हेतु स्त्रियां
सामर्थ्य रखती हैं ।

मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनी भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति । २१५ ।

(२१५) माता, भगिनी व कन्या इनके साथ जनशून्य घर (स्थान) में न रहे । क्योंकि इन्द्रियां बहुत बलवान् हैं—पण्डितों को भी कुमार्ग पर खींच ले जाती हैं ।

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि ।

विधिवद्वन्दनं कुर्यादसाव्रहमिति ब्रुवन् । २१६ ।

(२१६) युवा गुरुपत्नी को शिष्य विधिवत् (भली भांति) यह कह कर कि मैं अमुक हूँ पृथ्वी पर गिर कर दण्डवत् करे ।

विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम् ।

गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन् । २१७ ।

(२१७) यात्रा से आकर भले मनुष्यों के धर्म को स्मरण करके गुरुपत्नी के पांव पकड़े और प्रणाम को नित्य ही करे ।

यथा स्वनन्वनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ।

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति । २१८ ।

(२१८) जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है उसी प्रकार गुरु की सेवा-शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की सम्पूर्ण विद्या को पाता है ।

मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः ।

नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्स्वर्षोनाभ्युदियात्क्वचित् २१९

(२१९) यद्यपि ब्रह्मचारी मूँढ़ मुड़ाये, जटाधारी व चोटी को जटा के तुल्य बनाये हो तथापि कभी भी सूर्योदय वा सूर्यास्त समय ग्राम में न रहे अर्थात् ब्रह्मचारी यह दोनों समय शहर वा ग्राम से बाहर व्यतीत करे ।

तं चेदभ्युदिया त्सूर्यः शयानं. कामचारतः ।

निम्नोचेद्वाप्यविज्ञानाञ्जपन्नुपनसेदिनम् ॥२२०॥

(२२०) यदि सूर्योदय और सूर्यास्त सम२ ब्रह्मचारी घर से उपस्थित हो तो प्रायश्चित्त स्वरूप उस दिन जप करता हुआ उपवास करे ।

सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः ।

प्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तःस्यान्महर्तनसा ॥२२१॥

(२२१) यदि उपरोक्त लिखित अथवा कथित प्रायश्चित्त न करे तो बड़ा पाप होता है ।

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः ।

शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥२२२॥

(२२२) आचमन कर नित्य दोनों संध्याओं में एकाम चित्त से उत्तम और पवित्र स्थानमें यथाविधि गायत्रीका जप करे यदि स्त्री यद्यपरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत् ।

तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र वास्य रमेन्मनः ॥२२३॥

(२२३) स्त्री व छोटा पुरुष कोई उत्तम यात करता हो तो उसको आप भी करे अथवा शास्त्रानुसार जिस कर्म में मन को विश्वास हो वह कार्य करे ।

धर्मार्थाबुच्यते श्रेयः कामार्थो धर्म एव च ।

अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥२२४॥

(२२४) किसी के मत में धर्म और अर्थ और किसी के मत में अर्थ और काम, और किसी के मत में केवल धर्म कल्याणकारी है । अत्र अपने मत को कहते हैं कि धर्म, अर्थ

और काम तीनों एकत्र हैं और इन्हीं तीनों से सब कुछ प्राप्त होता है।

आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः ।

नातेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥२२५॥

(२२५) आचार्य ब्रह्ममूर्ति (परमात्मा की मूर्ति), माता पृथ्वी की मूर्ति, पिता ब्रह्मा की मूर्ति और सगा बड़ा भाई गुरु की मूर्ति है।

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिःप्रजापते ।

माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वोमूर्तिरात्मनः॥२२६॥

(२२६) आचार्य, पिता और सगा बड़ा भाई इन तीनों का अपमान दुःखी चिन्त होने पर भी न करे। इस कार्य की पूर्ति ब्राह्मण को विशेष आवश्यक है।

यन्मातापितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम् ।

न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुर्वर्षशतैरपि ॥२२७॥

(२२७) मनुष्य के उपन्न होने में जो क्लेश माता पिता सहन करते हैं उसका प्रतिफल (बदला) सौ वर्ष के उपकार करने से भी नहीं हो सकता। यह सत्र देवता स्वरूप हैं इनका अपमान कभी न करना चाहिये।

तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ।

तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥२२८॥

(२२८) माता, पिता और आचार्य इन तीनों की सेवा शुभ्रूपा सदैव करनी चाहिये। इनके प्रसन्न रहने से सत्र तप सम्पूर्ण होते हैं।

तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तपं उच्यते ।

न तैरभ्यननुज्ञातो धर्मं मन्यं समाचरेत् ॥२२६॥

(२२६) इन तीनों की सेवा परम तप है । इनकी आज्ञा के बिना कोई अन्य धर्म न करना चाहिये ।

त एव हि त्रयो लोकास्तएव त्रय आश्रमाः ।

त एव हि त्रयो वेदास्तएयोक्तास्त्रयोऽग्नयः ॥२३०॥

(२३०) ॐ यही तीनों पुरुष तीनों लोक, तीनों आश्रम, तीनों वेद और तीनों अग्नि हैं ।

पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः ।

गुरुराहवनी यस्तु साग्निर्नोता गरीयसी ॥२३१॥

(२३१) गार्हस्थ्य अग्नि पिता है, दक्षिण अग्नि माता है, आहवनीय अग्नि गुरु है, यही तीनों अग्नि सर्वमान्य (बहुत बड़ी) हैं ।

त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रींल्लोकान्विजयेद्गृही ।

दीप्यमानः स्वप्नपुषादेववदिति मोदता ॥२३२॥

(२३२) इन तीनों शुश्रूषा में रत रहने से मनुष्य तीनों लोकों को जीत कर और तेजवान होकर देवताओं की नाईं स्वर्ग में आनन्द करता है ।

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् ।

गुरुशुश्रूषयात्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ २३३ ॥

(२३३) माता की भक्ति करने से भूलोक पिता की

ॐ (१) माता (२) पिता (३) गुरु ।

भक्ति करने से अन्तरिक्ष लोक, और गुरु की भक्ति करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ।

सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यैते तत्र आदृताः ।

अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ।२३४।

(२३४) जिस मनुष्य ने इन तीनों का आदर किया उसने मानों सब धर्मों का आदर कर लिया और जिसने इनका अनादर किया उसकी सब क्रिया निष्फल है ।

यावत्त्रयस्ते जीवैयुक्तावन्नान्यं समाचरेत् ।

तेष्वपि नित्यं शुश्रूषा कुर्यात्प्रियहिते रतः ।२३५।

(२३५) जब तक वह तीनों जीवित रहें तब तक स्वतन्त्र होकर कोई दूसरा धर्म न करे । उन्हीं की सेवा, भलाई करे और उनका ही अनुगामी रहे ।

तेषामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्यदाचरेत् ।

तत्तन्निवेदयत्तेभ्यो मनोवचन कर्मभिः ।२३६।

(२३६) उनकी सेवा करता हुआ दूसरा धर्म भी करे (मन वाणी कर्म फरफे द्वारा) उनसे कह देवे ।

त्रिष्वेतेष्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते ।

एक धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ।२३७।

(२३७) उन्हीं तीनों में मनुष्य के वश की जो बात है वह हो जाती है । अतः उनकी सेवा के अतिरिक्त और धर्म जो हैं वह उपधर्म हैं ।

श्रद्धवानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि ।

अन्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ।२३८।

(२३८) उत्तम विद्या श्रद्धा सहित नीच वंश से भी लेवे

परम धर्म चाण्डाल से भी लेवे, और सुन्दर स्त्री को दुष्ट कुल से भी ले लेना चाहिये ।

विपादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।

अमित्रादपि सद्वृत्तमेमध्यादपि कांचनम् ।२३६।

(२३६) विप, बालक, शत्रु इन तीनों से क्रमानुसार अमृत, सुभाषण (प्रिय बोलना), सद्वृत्त (उत्तम रीति) और काचन को लेना चाहिये ।

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् ।

विविधानि च शिष्यानि समादेयानि सर्वतः ।२४०।

(२४०) स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच (पवित्रता व उज्वलता) सुभाषण, विविध शिष्य इन सब को जहाँ से मिले लेना चाहिये ।

अत्राद्वयादध्ययनमापकाले विधीयते ।

अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ।२४१।

(२४१) यदि विपत्ति आ पड़े तो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि से पढ़े और जब तक पढ़े तब तक उस गुरु का अनुगामी रहे और सेवा करे ।

नात्राद्वये गुरो शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत् ।

ब्राह्मणे चाननूचाने काङ्क्षन्गतिमनुत्तमाम् ।२४२।

(२४२) उत्तम गति के इच्छुक क्षत्रिय आदि गुरु और मूर्ख ब्राह्मण के समीप अधिक वास न करे ।

यदि त्वात्यन्तिकं त्रासं रोचयेत् गुरोः कुले ।

युक्तः परिचरेदेनमाशरीरतिमोक्षणात् ।२४३।

(२४३) यदि गुरु के समीप अधिक वास करने का इच्छुक हो तो चतुरता से जीवन पर्यन्त सेवा करता हुआ वास करे, परन्तु ब्राह्मण गुरु के समीप ।

• आसमाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम् ।

स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्यः शाश्वतम् ॥२४४॥

(२४४) जो ब्रह्मचारी शरीर का त्याग करने पर्यन्त गुरु की सेवा करता है वह बिना परिश्रम अविनानाशी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है ।

न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित् ।

स्नास्यंस्तु गुरुणाज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥२४५॥

(२४५) धर्मज्ञाता ब्रह्मचारी विद्याध्ययन पर्यन्त गुरु सेवा के अतिरिक्त दूसरा उपकार गुरु का न करे, विद्याध्ययन समाप्त करने पश्चात् ॐ समावर्तन के निमित्त स्नान कर गुरु आज्ञा ग्रहण कर यथा-शक्ति दक्षिणा (गुरु दक्षिणा) दे ।

क्षेत्रं हिरण्यं गामश्च छत्रोपानहमासनम् ।

धान्यं शाकं च वापांसि गुरवे प्रीतिमावहेतु ॥२४६॥

(२४६) अर्थात् पृथ्वी, सोना, गऊ अश्व, छतरी, जूता, आसन, अन्न, शाक, वस्त्र आदि प्रीति पूर्वक गुरु को देवे ।

आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ।

गुरुदारे सपिरुडे वा गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् ॥२४७॥

(२४७) गुरु की मृत्यु के पश्चात् यदि गुरुपुत्र विद्वान् वा गुणवान् हो और गुरु पत्नी व उसके दूसरे कुल के अन्य विद्वानों को भी गुरुतुल्य जानता रहे ।

ॐ समावर्तन अर्थात् पितृकुल में आने के हेतु विवाहादि ।

एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान् ।

प्रगुज्जानोऽग्निशुभ्रूपां साधयेद्देहमात्मनः ॥२४८॥

(२४८) जो ब्रह्मचारी हवनेष्टिक है वह गुरु, व गुरु पुत्रादि की अविद्यमानता में (न होने पर) उनके घर और आसन में रहकर अग्नि सेवा करता हुआ अपने को ब्रह्म में लीन हो जाने योग्य बनावे ।

एवं चरति यो विप्रोब्रह्मचर्यमविप्लुतः ।

स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४९॥

(२४९) उस प्रकार जो ब्रह्मचारी अठारह ब्रह्मचर्य को करता है वह उत्तम स्थान को लाभ करता है और संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है ।

मनुजी के धर्मशास्त्र भृगुजी का संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ।



❁ अथ तृतीयोऽध्यायः ❁



षट्त्रिंशदाब्धिकं चर्यगुरोर्गैवेदिकं व्रतम् ।

तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ १ ॥

(१) छत्तीस, व अठारह वा नौ वर्ष पर्यन्त तीनों वेदों के अभ्यवनाथ व्रत (इच्छा) से कार्य करना चाहिये । यहाँ पर तीनों वेदों के अर्थ क्रम, उपासना, ज्ञान भी बहुतसे विद्वान् लेते हैं वेदानधीत्य वेदों वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ २ ॥

(२) तीनों विद्या, दो वेद विद्या, एक वेद ऋम से पढ़कर अत्रण्ड व्रती मनुष्य गृहस्थाश्रम में आवे । क्योंकि बिना वेदाध्ययन किए और ब्रह्मचर्याश्रम के गृहस्थाश्रम नहीं कहला सकता ।

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ।

स्रग्भिर्यं तन्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा ॥ ३ ॥

(३) धर्म-कार्यों में प्रसिद्ध ब्रह्मचारी जिसने गुरु द्वारा वेदाध्ययन किया हो जब घर में आवे तो पिता को प्रथम आसन (गद्दी) पर बैठाकर पानी से पूजा करे । क्योंकि ब्रह्मचारी के पास पिता को देने योग्य कोई धन नहीं है ।

गुरुणानुगतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्ष्यान्विताम् ॥ ४ ॥

(४) गुरु आज्ञा से यथा विधि (स्नानादि करके) समावर्तन सत्कार करे । और उसके पश्चात् अपने वर्ण के समान लक्ष्यों युक्त कन्या से विवाह करे ।

असपिण्डा च या मातुरसगोस्त्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारऋर्मणि मैथुने ॥ ५ ॥

(५) जो कन्या माता के सपिण्ड में न हो और पिता के गोत्र में न हो ऐसी कन्या तीनों वर्णों को भार्या बनाने के हेतु अशुद्धी है ।

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसंमन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

(६) यद्यपि गऊ, नकरी, धन धान्यादि की बहुलता (अधिभूता) हो तथापि जो दश कुल, जिन्हें आगे कहेंगे, वर्जित किये हैं उनमें स्त्री सम्बन्ध (विवाह) कदापि न करे ।

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्सशम् ।

क्षय्यामयान्यपस्मारिश्चित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ ७ ॥

(७) जिस कुल में वेदोक्त संस्कार तथा नित्यकर्म न होते हैं, जिस कुल में केवल स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ हैं पुत्र्य न हों, जिस कुल में पुरुषों के शरीर पर अधिक लोभ है, जिस कुल में वेदपाठ न होता हो, जिस कुल में क्षय, अपस्मार, कुष्ठ, मृगी, अग्निमाद्य आदि शारीरिक दूषित रोग हों, यदि ऐसे कुल धनी भी हों तो उनमें विवाह न करे ।

नोद्धहेत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गी न रोगिणीम् ।

जालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥८॥

(८) कपिल रङ्ग, अतिक्रम वाली, रोगिणी, लोम-रहिता, अतिक्रम लोभ वाली, अधिक बोलने वाली, पिंगला रङ्ग की नक्षत्रवृक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

नृपक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम् ॥ ९ ॥

(९) नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पक्षी, साप, म्लेच्छ, पर्वत, दास के नामों पर जिसका नाम हो वा भीषण नाम वाली हों ऐसी कन्या से न करे ।

अव्यङ्गाङ्गीं साम्यनाम्नीं हसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमपेशदशना मृद्धङ्गीमुद्धहेत्स्त्रियम् ॥ १० ॥

(१०) सर्वाङ्ग वाली, सुन्दर नाम वाली, हंसगामिनी तथा हाथी के समान चाल वाली हो और तनु के लोम, केश और दात छोटे हों ऐसी स्त्री का पाणिग्रहण करे ।

यस्यास्तु न भवेद्भ्राता न विज्ञायेत वा पिता ।

नोपयच्छेत् तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ ११ ॥

(११) जिस कन्या के भ्राता न हो, जिसके पिता का नाम अज्ञात हो, ऐसी कन्या को न बरे, क्योंकि पुत्रिका धर्म की शंका रहेगी । पिता विवाह समय यह अभिलाषा रहे कि कन्या का पुत्र मेरा होगा उसको पुत्रिका करण कहते हैं, अतः वह बालक (पुत्र) नाना का पुत्र होगा ।

सवर्णाग्निं द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ।

कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशोवराः ॥१२॥

(१२) तीनों वर्णों को स्वजाति की कन्या ही से विवाह करना सर्वोत्तम है । और यदि कामवरा अन्य जाति की कन्या को बरे तो निम्नांकित रीति से पाणिग्रहण करना उत्तम होगा ।

शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।

ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥१३॥

(१३) 'शूद्र केवल स्वजाति की कन्या का, वैश्य स्वजाति और शूद्र की कन्या का, क्षत्रिय स्वजाति वैश्य और शूद्र की कन्या का ब्राह्मण चारों वर्णों की कन्या का, पाणिग्रहण करे' ।

न ब्राह्मण क्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः ।

कस्मिंश्चदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥१४॥

(१४) किसी इतिहास में यह नहीं पाया जाता कि विपत्ति समय में भी ब्राह्मण वा क्षत्रिय ने शूद्र की कन्या बरी हो हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वन्तो द्विजातयः ।

कुलान्येव नयन्त्याशु समंतानानि शूद्रताम् ॥१५॥

(१५) ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों यदि मोहवश हीन जाति की कन्या से विवाह करे तो संतान और स्वकुल को शीघ्र नारा कर देते हैं ।

शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च ।

शौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भृगोः ॥१६॥

(१६) ❀ 'अत्रि और उतथ्य ऋषि का यह मत है कि शूद्र का कन्या का वरने से तीनों वण पतित (वेधम) हो जाते हैं, और शौनक ऋषि का यह मत है कि शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र पतित होता है । और भृगु ऋषि का यह मत है कि पौत्र (पोता) होने से पतित होता है ।

शूद्रा शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ।

जनयित्वा सुत तस्या ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥१७॥

(१७) शूद्र कन्या को अपने पलङ्ग पर विठाने से ब्राह्मण अधोगति पाता है (नरकवास करता है) और उससे पुत्रोत्पत्ति होने से धर्म कर्म से रहित हो जाता है । अर्थात् धर्म कर्म का अधिहार नहीं रहता है ।

दैवपिड्यातिये यानि यत्प्रधानानि यस्य तु ।

नाशयन्ति पितृदेवास्तन्नच स्वर्गं स गच्छति ॥१८॥

(१८) जिस ब्राह्मण के गृह पर शूद्र कन्या देवकर्म और पितृ कर्म करती है उसके दिये हुये ह्वय और क य को देवता और पितर नहीं लेते और ब्राह्मण स्वर्ग नहीं पाता है ।

घृपलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च ।

तस्या चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥१९॥

(१९) जो ब्राह्मण शूद्रकन्या के ओठ से आठ स्पर्श करे वा मुँह से मुँह अथवा उसके निश्वास (वायु) को अपने शरीर

❀ अत्रि आदि ऋषि मनु के शास्त्रा वर्ष पीछे हुए हैं, अतः इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि यह स्मृति धर्म शास्त्र के पीछे शृगुजी ने रची है ।

से स्पर्श होने दे, वा उससे सन्तानोत्पत्ति करे उसका प्रायश्चित्त नहीं है क्योंकि यह सब कार्य सत्संग से होते हैं।

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताऽहितान् ।

अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहनिबोधत ॥ २० ॥

(२०) इहलोक और परलोक में चारों वर्णों का हिताहित करने वाले आठ प्रकार के विवाह हैं। इसको हमसे सुनिये। यह बात भृगुजी कहते हैं।

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्पः प्राजापत्यगतासुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमाऽधमः ॥ २१ ॥

(२१) १—ब्राह्म, २—दैव, ३—आर्प, ४—प्राजापत्य, ५—आसुर, ६—गान्धर्व, ७—राक्षस, ८—पैशाच । इनमें से आठवाँ विवाह अधम है।

यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषो च यरय यो ।

तद्वः सर्वं प्ररक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान् ॥ २२ ॥

(२२) 'जो विवाह जिस वर्ण का धर्म है, जिस विवाह का जो गुणदोष है, जिस विवाह से पुत्रोत्पत्ति होती है, जो गुणागुण है, सो सब आप लोगो से कहेंगे।

पडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् ।

विट्शूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धर्म्यान्नराक्षसान् ॥ २३ ॥

(२३) 'पूर्व के छः विवाह ब्राह्मण को, चार विवाह क्षत्रिय को और वैश्य शूद्रों को भी वही चारों हैं पर राक्षस विवाह किसी को नहीं।

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः ।

राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्रयोः ॥ २४ ॥

(२४) 'पूर्व' के चार विवाह ब्राह्मण को, राजस विवाह क्षत्रिय को और आसुर विवाह वैश्यों व शूद्रों के विचे किसी किसी ने निर्धारित किया है ।'

पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यौ स्मृताविह ।

पैशाचश्चासुरश्चैव न कर्तव्या कदाचन ॥ २५ ॥

(२५) 'अन्त' के पांच विवाहों में से तीन धर्म विवाह और दो अधर्म विवाह हैं अतः आसुर और पैशाच विवाह कदापि न करना चाहिये ।'

पृथक्पृथक्वा मिथौ वा विवाहो पूर्वचोदितौ ।

गान्धर्वो राजसश्चैवधर्म्यौ क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ॥२६॥

(२६) गान्धर्व और राजस विवाह दोनों पृथक् २ हों वा एकत्र हों केवल क्षत्रिय के योग्य कहे हैं ।

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलयते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मःप्रकीर्तितः ॥२७॥

(२७) (अथ आठों लक्षण कहते हैं) वर और कन्या को घस्रालङ्कार देकर वर को बुलाकर कन्यादान देवे यह ब्रह्म विवाह कहलाता है ।

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।

अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ २८ ॥

(२८) यज्ञ में ऋत्विजों को अलङ्कार सहित कन्यादान देवे यह दैव विवाह कहलाता है ।

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरांदादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मःस उच्यते ॥ २९ ॥

(२६) एक व दो गऊ अथवा बैल वर से लेकर कन्या प्रदान करे वह आर्ष विवाह कहलाता है ।

सहनौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।

कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिःस्मृतः ॥३०॥

(३०) वर और कन्या दोनों धर्म को करे यह बात कह कर वर कन्या की पूजा करके कन्या देवे, यह प्राजापत्य विवाह कहलाता है ।

ज्ञातिभ्यो द्रविणां दत्त्वा कन्यापै चैव शक्तितः ।

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥३१॥

(३१) कन्या अथवा कन्या की जाति वालों को धन देकर कन्या लेना आसुर विवाह कहलाता है ।

इच्छयान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यःकामसंभवः ॥३२॥

(३२) वर और कन्या परस्पर स्वेच्छापूर्वक जो संयोग करे वह गान्धर्व विवाह कहलाता है । यह विवाह भोगके अर्थ है ।

दत्त्वा छिन्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।

प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥३३॥

(३३) रोती पुकारती हुई कन्या को मार पीट बलात् गृह से हरण करना राक्षस विवाह कहलाता है ।

मुग्धां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।

स पाविष्टो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥३४॥

(३४) सोती स्त्री, धन वा भोग मद से प्रमत्ता (मस्त), रोगिणी वा अज्ञान हो गयी स्त्री से एकान्त में सहवास करना

पिशाच विवाह कहलाता है। यह आठवाँ विवाह और सबसे अघम है।

अद्भिरेव द्विजाग्राणां कन्यादानं विशिष्यते ।

इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥ ३५ ॥

(३५) ब्राह्मण को जल से कन्यादान करना उत्तम है और क्षत्रिय आदि का विना जल के पारस्परिक एक इच्छामात्र से केवल वाणी द्वारा करने से विवाह हो सकता है।

यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः ।

सर्वं शृणुत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतो मम ॥ ३६ ॥

(३६) जिस विवाह का जो गुण मनुजी ने रखा है हे ब्राह्मणो ! यह हम भली प्रकार कहते हैं आप सब सुनें । (यह श्लोक स्पष्टरूप से जतलाता है कि यह स्मृति मनुस्मृति नहीं) ।

दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशरुम् ।

ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन् ॥ ३७ ॥

(३७) यदि ब्राह्म विवाह से पुत्रोत्पत्ति हो और शुभ वर्णों को करे तो दस पुरपा उपर के और दस पुत्र नीचे के और इक्कीसवाँ अपने आपको आप से छुड़ाता है।

दैवोद्वजः सुतश्चैव सप्त सप्त परावरान् ।

आपोद्वजः सुतस्त्रीन्पट्पट् कायोद्वजः सुतः ॥ ३८ ॥

(३८) देव विवाह से पुत्र उपन्न होकर यदि शुभ

इस विवाह के विषय में बड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि विना वेदोक्त संस्कार के विवाह मान्य नहीं है। यदि इसे मान ले तो संस्कार पन्द्रह ही रह जाते हैं।

कर्मों वाला हो तो सात पुत्र (पीढ़ी) ऊपर और सात पीढ़ी नीचे की और पन्द्रहवाँ अपने आपको पापों से विमुक्त करता है और आर्ष विवाह से उत्पन्न पुत्र तीन पीढ़ी ऊपर और तीन पीढ़ी नीचे की और प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र छः छः पीढ़ी ऊपर और नीचे की पापों से मुक्त करता है यदि शुभ कर्म हो ।

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः ।

ब्रह्मवर्चा वनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥३६॥

(३६) ब्राह्म विवाहादि पूर्व के चारों विवाहों से उत्पन्न पुत्र बड़ा तेजस्वी और शिष्ट (उत्तम पुरुष) मनुष्यों के समान होता है ।

रूपसत्यगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।

पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥४०॥

(४०) रूप और उत्तम गुण, यश, भाग्य, धन और धर्म वाला होता है और सौ वर्ष पर्यन्त जीवित रह सकता है ।

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।

जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥४१॥

(४१) और शेष चारों विवाहों से उत्पन्न पुत्र घातक होता है मिथ्याभाषी, और ब्रह्मधर्म का शत्रु होता है ।

अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवर्जयेत् ॥४२॥

(४२) (१) अनिन्दित विवाह से अनिन्दित सन्तान उत्पन्न होती है और (२) निन्दित विवाह से निन्दित सन्तान होती है । इस हेतु निन्दित विवाह सदैव वर्जित है ।

१-निर्दोषी २-दूषिता ३-रजोदर्शन अर्थात् मासिक धर्म के

पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णाद्विपदिश्यते ।

असवर्णास्त्रयज्ञे यो विधिरुद्धाहकर्मणि ॥ ४३ ॥

(४३) 'स्वजाति की कन्या से पाणिग्रहण संस्कार जानना और दूसरी जाति की कन्या से विवाह करने की जो विधि है उसे आगे कहेंगे ।

शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया ।

वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रपोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

(४४) 'क्षत्रिय की कन्या तीर को ग्रहण करे, वैश्य की कन्या चौपाया (घोड़ा बैल आदि) के हॉकने के अस्त्र को, और शूद्र की कन्या कण्डे के कौने को ग्रहण करे (पण्डे) जय उसका विवाह उच्च जाति के पुरुष से होता हो ।'

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा ।

'पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां यद्व्रतो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥

(४५) (३) ऋतुकाल में स्त्री से भोग करे किन्तु परस्त्री से भोग न करे । परन्तु अपनी स्त्री से (४) पर्व के दिन ऋतुकाल में भोग न करे । यदि स्त्री की इच्छा हो तो विना ऋतुकाल के भी रति करे, यह नियम है । ऋतुकाल में स्त्री के समोप सोवे और यदि सामर्थ्य हो तो भोग अवश्य करे, अन्यथा बड़ा दोष है ।

ऋतुःस्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः शोडशः स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ ४६ ॥

स्नान के पश्चात् । ४—अरुण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी अम.वस्या, शैर्णमासी, संक्रान्ति ।

(४६) ऋतुकाल अर्थात् गर्भधारण करने की स्त्रियों की स्वाभाविक सोलह रात्रि हैं, इनमें से प्रथम चार दूषित व वर्जित हैं शेष बारह रात्रि रही ।

तासामाद्याश्वतसस्तु निन्दितैकादशी च या ।

त्रयोदशीं च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ४७ ॥

(४७) इनमें प्रथम को चार, ग्यारहवीं, और तेरहवीं रात्रि दूषित निन्दित हैं, शेष उत्तम हैं ।

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।

तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम् ॥ ४८ ॥

(४८) सम्भतः + सम रात्रि में भोग करने से पुत्र और × विषम रात्रि में भोग करने से कन्या उत्पन्न होती है । इस हेतु पुत्रार्थी (पुत्रोत्पत्तिकी इच्छा रखने वाले) सम रात्रि में भोग करें ।

पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।

समेऽपुमान्पुंस्रियौ वा क्षीणेऽन्ये च विपर्ययः ॥४९॥

(४९) पुरुष का शुक्र (वीर्य) अधिक (बलवान) होने से विषम रात्रि में भी पुत्र उत्पन्न होता है और स्त्री का रज अधिक होने से समरात्रि में भी कन्या उत्पन्न होती है । यदि स्त्री पुरुष दोनों का शुक्र तथा रज समान हों तो नपुंसक कन्या व पुत्र उत्पन्न होता है । यदि दोनों का शुक्र तथा रज न्यून हो तो गर्भ नहीं ठहरता ।

+सम अर्थात् जो दो से विभाजित हो सके यथा छठवीं आठवीं इत्यादि ।

× विषम जो दो से विभाजित न हो सके यथा पांचवीं, सातवीं इत्यादि ।

निन्द्यास्पृष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्ये व भवति यत्रतत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥

(५०) जित आठ रात्रियों में भोग करना परित्यक्त करने से प्रत्येक आश्रम में भी ब्रह्मचारी ही रहता है ।

न कन्यायाः पिता विद्वाग्गृह्णीयाच्छुल्कमएवपि ।

गृह्ण श्लुष्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥५१॥

(५१) कन्या का पिता तनिक भी शुल्क (बदला, मुआयजा) न लेवे लोभ से कुछ भी शुल्क ग्रहण करने वाला कन्या का विक्रय करने वाला कहलाता है ।

स्त्री धनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति गान्धवाः ।

नारी यानानि वस्त्र वा ते पापा यान्त्यधोगतिम् ॥५२॥

(५२) पत्नी (स्त्री) के धन, वस्त्र अथवा सवारी को लेकर जो गान्धव अपना कालयापन करते हैं वह बड़े पापी होते हैं और नरकवास करते हैं ।

आपे गोमिथुन शुल्कं कचिदाहुर्मृषैर तत् ।

अल्पोऽप्येव महान्वापि विक्रयस्तावैदेव सः ॥५३॥

(५३) किसी ऋषि ने आप विवाह में दो गऊ लेना नियत था योग्य ठहराया है पर तु थाड़ा वा बहुत लेना कन्या विक्रय (बेचना) ही कहलाता है ।

यासा नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः ।

अर्हण तत्कुमारीणामानृशस्य च केवलम् ॥ ५४ ॥

(५४) जिस कन्या का शुल्क (पलटा) जाति वाले नहीं लेते वह कन्या विक्रय नहीं कहलाता । शुल्क न लेना कन्या-पूजन है । और अनशस्य (न्या) है ।

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणसीप्सुभिः ॥५५॥

(५५) बहुत कल्याण के इच्छुक पिता, भाई, पति और देवर भूषण (गहने) और वस्त्रों से स्त्री की पूजा करे अर्थात् स्त्री को सन्तुष्ट करे ।

यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥५६॥

(५६) जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है उस कुल में देवता रमते (विहार करते) हैं । और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रियाएँ निष्फल होती हैं ।

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्वि सर्वदा ॥५७॥

(५७) जिस कुल में स्त्रियों को कष्ट होता है वह कुल शीघ्र ही नारा हो जाता है । और जहाँ नारियों को सुख होता है वह कुल सदैव फलता फूलता है ।

जामयोयानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्याह्वतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥

(५८) आवश्यकीय सुख और मान न पाकर जिस कुल की स्त्रियाँ शाप दे देती हैं । वह कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है क्योंकि वह निर्मल है ।

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाञ्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्य सत्कारेपूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥

(५९) इस हेतु धनेच्छुक मनुष्यों को चाहिये कि वह

अपनी रित्रियों को आवश्यकता से सन्तुष्ट रखें जिससे वे उत्तम सन्तान सुप्रसव करें ।

संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र गैध्रु वम् ॥ ६० ॥

(६०) जिस कुल में पति पत्नी परस्पर प्रसन्न रहते हैं यहाँ कलह के न होने से सुख मिलता है ।

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त ते ॥ ६१ ॥

(६१) यदि पति पत्नी परस्पर प्रीति न करें तो किसी प्रकार सन्तान उत्पन्न नहीं हो सकती और विवाह का प्रयोजन ही निरर्थक हो जायेगा ।

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥

(६२) स्त्री के प्रसन्न रहने से सब कुल प्रसन्न रहता है और स्त्री के अप्रसन्न रहने से सब कुल अप्रसन्न रहता है ।

✓ कुविवाहैः क्रियालोपोर्वेदानध्ययनेन च ।

कुलान्यकुलता यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥

(६३) वर्जित विवाह, धर्म कार्य न करने, वेदाध्ययन न करने, ब्राह्मण अपमान, इस निन्दित बातों के करने से कुल नाश हो जाता है ।

शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्येश्च केऽर्णैः ।

गोभिरथैव यानेश्च कृष्या राजोपसेमया ॥ ६४ ॥

(६४) शिल्प वेद, व्यवहार, शूद्रकन्या से विवाह

सन्तान उत्पन्न करने, गऊ आदि जीवों का क्रय-विषय (मोल लेना और बेचना) करने से ब्राह्मण सकुल नाश हो जाता है ।

अथाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणा ।

कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६५॥

(६५) जो गृह कराने के योग्य नहीं उसे लोभवश यज्ञ कराना, बिना वेदमन्त्रों के + केवल दुर्गा आदि के श्लोकों से कर्म कराना, इनसे भी कुल नाश हो जाता है ।

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्याल्पधनान्यापि ।

कुलसंरूपां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥६६॥

(६६) जो कुल धनवान न हो किंतु मन्त्र से सब कर्म होते हों वह कुल बड़ा कहलाता है और यश पाता है ।

वेवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि ।

पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥६७॥

(६७) गृह्यसूत्र में वर्णित कर्म पंचयज्ञ और नित्य भोजन पाक इन सबको विवाह समय की अग्नि में यथाविधि करना चाहिये ।

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेपण्युपस्फुरः ।

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥६८॥

(६८) गृहस्थ के घर में चूल्हा, सल, बट्टा, भाङ्ग, ओसली, मसल, पानी का घड़ा इनसे काम लेने में जीव मरते हैं किंतु जीव-हत्या की इच्छा न होने से यह हिंसा नहीं कहलाती । परन्तु जीवों को हानि अवश्य पहुँचती है, इस हेतु उसका प्रायश्चित्त आवश्यक है ।

+ यह वेदज ब्राह्मणों के लिये है और वर्णों के लिये नहीं ।

तामां क्रमेण सर्वासा निष्कृत्यर्थं महपिभिः ।

पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यह गृहमेधिनाम् ॥६६॥

(६६) इन कर्मों के प्रायश्चित्त के निमित्त नित्य पचयज्ञ करना चाहिये जिससे जितनी हानि ससार को पहुँची है उतना ही लाभ पहुँच जाये ।

अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो दैवो बलिभातो नयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥७०॥

(७०) पञ्च महायज्ञ हैं कि १-वेद का स्वाध्याय करना और सध्या करना, २-पितृतर्पण ३-हवन करना ४-बलि देना, ५-अतिथि पूजन, इन सबको क्रमानुसार ब्रह्मयज्ञ, जप तृयज्ञ, भूतयज्ञ, और मनुष्ययज्ञ (नरमेध) कहते हैं ।

पञ्चैतान्यो महायज्ञान्ब्रह्मापयति शक्तिः ।

स गृहेऽपि वसन्नित्य सूनादोषैर्न लिप्यते ॥ ७१ ॥

(७१) जो कोई सामर्थ्यानुसार इन पाँचों महायज्ञों को करता है वह नित्य ही हिंसा (जीवहत्या) के पाप से मुक्त होता रहता है ।

देवतातिथिभृत्याना पितृणात्मात्मनश्च यः ।

न निर्जपति पञ्चानामुच्छ्रंसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥

(७२) जो मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्य और पितरों (पृद्धा) को भोजन नहीं देता वह जीवित दशा में भी मरे के तुल्य है ।

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च ।

मादां हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥

(७३) १—आहुत २—हुत ३—प्रहुत ४—ब्राह्महुत,
५—प्राशित यह पाँच यज्ञ हैं ।

जपोऽहुनो हुतो होमः प्रहुतो भोतिको वलिः ।

ब्राह्मं हुतं द्विजाग्रायर्चा प्राशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥

(७४) इन पाँचों को क्रम से १—जप, २—यज्ञ, (हवन)
३—भूतवलि, ४—अतिथि-पूजा, और ५—पितृतर्पण कहते हैं ।

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दैवे चैवेह कर्मणि ।

दैव कर्मणि युक्तो हि विभक्तीद चराचरम् ॥ ७५ ॥

(७५) अनध्याय किये बिना वेद का (वाध्यायी और
अग्निहोत्री ब्राह्मण सारे ससार को अपने उपदेश और सदाचार
से वश में कर सकता है जैसाकि शङ्कराचार्य और स्वामी दयानन्द
के उदाहरण से प्रकट है ।

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्न ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥

(७६) अग्नि में जो आहुति पड़ती है वह सूर्य के समीप
जाती है और सूर्य द्वारा जल बरसता है, जल से अनाज होता
है, अनाज से प्रजा उत्पन्न होती है ।

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ ७७ ॥

(७७) जिस प्रकार वायु के आश्रय से सब जीव जीते
हैं उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के आश्रय से सब आश्रय वाले
रहते हैं ।

यस्मात्प्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ७८ ॥

(७८) वेद के स्वाध्याय और अन्नदान देने से तीनों आश्रमों को गृहस्थाश्रमी नित्य धारण करता है । इस हेतु गृहस्थाश्रम ही बड़ा है ।

स संधार्याः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

मुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्वलन्द्रियैः ॥७९॥

(७९) आगामी जन्म में अमिट सुख और यहाँ पर आनन्दित रहने का इच्छुक सदैव गृहस्थाश्रम को धारण करता है, जिस प्रदूषित आश्रम को दुर्वलेन्द्रिय धारण नहीं कर सकते ।

ऋषयः पितरो देवा भूतान्पतिथयस्तथा ।

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ॥८०॥

(८०) ऋषि, पितर, देवता, अतिथि यह सब गृहस्थों से भोजन की आश रखते हैं । इस हेतु इन सबको अन्न-जल देना चाहिये । क्योंकि वानप्रस्थी और संन्यासी, विद्यादाता, विद्वान इनकी जीविका का द्वार गृहस्थ के अतिरिक्त अन्य नहीं है ।

स्वाध्यायेनान्वयेतर्षीन्होमर्देवान्यथाविधि ।

पितृन्श्राद्धैश्च नानान्भूतानि बलिकर्मण ॥८१॥

(८१) ऋषियों की पूजा स्वाध्याय (वेद पढ़ने) से, देवतों की पूजा अग्निहोत्र करने से, पितरों की पूजा भद्धा से उनकी सेवा करने से, मनुष्य की पूजा अन्नदान से, जोंकों की पूजा बलिबैश्वदैव कर्म से करनी चाहिये ।

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्ये नोदकेन वा ।

पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमायहन् ॥ ८२ ॥

(८२) अपने बड़ों (वृद्धों, पितरों) से प्रीति रखे और

भोजन, दूध, घी, फल आदि से नित्य उनका श्राद्ध किया करे। क्योंकि यह बड़ा यज्ञ है।

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्रर्थे पाञ्चयज्ञिके ।

न चैवाप्राशयोत्कंचिद्वैश्वदेवं प्रतिद्विजम् ॥ ८३ ॥

(८३) पंच महायज्ञ में पितरों के निमित्त जो बलि कर्म कहा है वह यदि न हो सके तो एक या बहुत ब्राह्मणों से भोजन करावे, पर वैश्वदेव निमित्त ब्राह्मण भोजन न करावे।

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम् ।

आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ ८४ ॥

(८४) संस्कार सहित अवस्था नाम अग्नि में जो आगे देवता कहेंगे उनको नित्य यथाविधि आहुति देवे।

अग्नेः सोमस्य चैवादो तयोश्चैव समरतयोः ।

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥ ८५ ॥

(८५) अग्नि सोम—अग्निसोम वैश्वदेव धन्वन्तरि।

कुर्वै चैवानुमत्यौ च प्रजापतय एव च ।

सहधावापृथिव्येश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः ॥ ८६ ॥

(८६) कुर्वै, अनुमत्यै, प्रजापतये, धावापृथिवी, स्विष्टकृते इन सत्र के साथ स्वाहा लगाकर आहुति देवे।

एवं सम्यग्विहृत्या सर्वदिक्षु प्रदक्षिणाम् ।

इन्द्रान्तराप्यतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत् ॥ ८७ ॥

(८७) उत्तम विधि से अग्निहोत्र करके प्रदक्षिणा करने से इन्द्र, वरुण, यम, चन्द्र आदि, और उनके सेवकों को बलिदान देवे।

मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यपि ।

वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥ ८८ ॥

(८८) ❀ द्वारदेश में मारुत को, जलस्थान में जल को, मुसल और खली के स्थान में वनस्पति को ।

उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद्भद्रकान्त्यै च पादतः ।

ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वलिं हरेत् ॥ ८९ ॥

(८९) वास्तु के सर, पाद, मध्य में कर्म से श्री, भद्र-काली, वास्तोष्पति इन सब को देवे ।

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत् ।

दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥

(९०) विश्वदेव निमित्त आकाश में छोड़ दे और रात्रि दिन परिभ्रमण करने वाले भूतों को आकाश में देवे ।

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत वलिं सर्वात्मभूतये ।

पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥ ९१ ॥

(९१) वास्तुपृष्ठ (वस्तु की पीठ) में सर्वात्म भूत को बलि देवे । बलि देने परचात जो अन्न वचे उसे दक्षिण दिशा में पितरों को देवे ।

शुनां च पतितानां च स्वपचां पापरोगिणाम् ।

वायसानां कृमीणां च शनकैर्निक्षिपेद्भुवि ॥ ९२ ॥

(९२) कुत्ता, पतित, डोग, पाप रोगी, कौआ, कृमि इन सब को धीरे से पृथ्वी में देवे ।

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति ।

स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्तिं पथर्जुना ॥६३॥

(६३) जो ब्राह्मण सदैव इस विधि में सब भूतों को लाभ पहुँचाता है वह ज्ञानी होकर सरल पथ द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है ।

कृत्वैतद्ब्रह्मलिकर्मैवमतिथिं पूर्वमाशयेत् ।

भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्ब्रह्मचारिणे ॥ ६४ ॥

(६४) बलि-वैश्व-कर्म के पश्चात् घर वालों के भोजन करने से प्रथम अतिथि और ब्रह्मचारी को भोजन गिला कर अतिथि-यज्ञ करे ।

तत्पुण्यफलामप्नोति गां दत्त्वां विधिवद्गुरोः ।

तत्पुण्यफलामप्नोति भिक्षां दत्त्वा द्विजो गृही ॥६५॥

(६५) अपने गुरु को यथाविधि गोदान देने से जो फल होता है वही फल गृहस्थ को ❀ भिक्षुक को भिक्षा देने से प्राप्त होता है ।

भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ।

वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ॥ ६६ ॥

(६६) जो ब्राह्मण वेदों के सिद्धान्त व तत्त्वार्थ का ज्ञाता हो उसे यथाविधि प्रीतिपूर्वक भोजन और जल देवे ।

❀ यह छः भिक्षुक कहलाते हैं:—१-संन्यासी, २-ब्रह्मचारी, ३-विद्यार्थी, ४-गुरुपालक, ५-नटोही, और ६-जिसका धन नाश हो गया हो । इनके अतिरिक्त जो भोगने हैं वह भिक्षा (भोजन) के अधिकारी नहीं ।

नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम् ।

भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहाद्दानि दातृभिः ॥६७॥

(६७) जो मूर्खता के कारण देवता और पितर के अर्थ मूर्ख ब्राह्मण को भोजनादि देते हैं वह सब निष्फल जाता है ।

विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु ।

निस्त्वारयति दुर्गाच्च महत्तथैव किन्विपात् ॥ ६८ ॥

(६८) विद्वान् तपस्वी ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है वह भोजनदाता (अर्थात् ब्राह्मण के मुख की अग्नि में हवन करने वाला) बड़े पापों से विमुक्त हो जाता है ।

संप्राप्त्याय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके ।

अन्नंचैव पथाशक्तिं सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ६९ ॥

(६९) जो स्वयं ही अचानक आगया हो उसको अपनी सामर्थ्यानुसार विश्रामहेतु आसन और अन्न (भोजन) जल देकर उसकी पूजा करे ।

शिलानप्युञ्जतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुह्वतः ।

सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽनचितो वसन् ॥ १०० ॥

(१००) ॐ जो ब्राह्मण अतिथि बिना पूजा पाये घर में रहता है तो उस गृहस्थ का—चाहें वह कितना ही नित्य पंच महायज्ञ और तप व जप का करने वाला हो तथा नित्य जङ्गल से चावल चुन कर निर्वाह करता हो—सब धर्म नाश हो जाता है ।

ॐ आचार्यगण इसी प्रकार अपने यज्ञ के व्यसनी थे कि यदि एक घार भी उनके गृह में अतिथि (बटोही) को कष्ट हो तो वह अपना सारा धर्म नाश हुआ समझते थे । प्रत्येक जाति को अतिथि सत्कार आर्यों से सीटना चाहिये ।

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनुता ।

एतान्यपि सतां गेहे नोच्छ्रद्यन्ते कदाचन ॥१०१॥

(१०१) तृण (घास , पृथिवी, जल, वाक्चतुर्थ्य (मिष्ठ-
भाषण) से उत्तम पुरुषों का घर कभी शून्य नहीं रहता ।

एकरात्रं तु निवसन्नतिधिर्वाङ्मणः स्मृतः ।

अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिधिरुच्यते ॥१०२॥

(१०२) एक रात्रि के रहने वाले को अतिथि (पाहुना)
कहते हैं । अतः अतिथि को एक रात्रि से अधिक न रहना चाहिये

नैकग्रामीणमतिथिं विग्रं सांगतिकै तथा ।

उपस्थितं गृहे विद्याद्भार्या यत्राग्नयोऽपि वा ॥१०३॥

(१०३) जिस गृहस्थ के गृह में स्त्री और अग्नि उपस्थित
हो उनके घर विश्वदेव के समय अतिथि आया हो तो अतिथि
है । परन्तु एक ग्रामवासी और विचित्र हँसी कथा कहने वाला
अतिथि नहीं कहाता है ।

उपामते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः ।

तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रूजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥१०४॥

(१०४) जो गृहस्थ मूर्खतावश बिना लक्ष्य किये दूसरों
का भोजन खाते हैं वह आगामी जन्म में उस अन्न दाता के
पशु होते हैं ।

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योदो गृहमेधिना ।

काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्नन्गृहेवसन् ॥१०५॥

(१०५) सायंकाल को जब अतिथि घर में आवे तो

इसे भोजनादि अवरुध देना चाहिये । अथवा समय असमय चाहे जत्र अतिथि आवे किन्तु भूखा न रहने देना चाहिए ।

न वै स्वयं तदरुनीयादतिथिं यन्न भोजयेत् ।

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपूजनम् ॥१०६॥

(१०६) जो वस्तु अतिथि को न खिलावे वह आप भी न खावे । अतिथि को भोजन देना धन, यश और स्वर्ग के हेतु (अर्थ) है ।

आसनावसथी शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम् ।

उत्तमेपूत्तमं कुर्याद्धीने हीनं ममे समम् ॥१०७॥

(१०७) सेवा-शुभ्रपा, आज्ञा मानना, आसन, गृह और पूजा उन्नत पुरुषों की उत्तम, मध्यम पुरुषों की मध्यम, और अधम (नीच) पुरुषों की अधम करनी चाहिये ।

वैश्वदेवे तु निवृत्ते यद्यन्योऽतिथिराव्रजेत् ।

तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न वलिं हरेत् ॥१०८॥

(१०८) वैश्वदेव कर्म करने के पश्चान् दूसरा अतिथि आवे तो उसको यथाशक्ति अन्न देवे, वलि-वर्म न करे ।

न भोजनार्थं स्ये विप्रः कुलगोत्रेनिवेदयेत् ।

भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते वृधः ॥१०९॥

(१०९) भोजनार्थं ब्राह्मण को अपना कुल और गोत्र न कहना चाहिये । यदि वहे तो वमन करके खाने वाला रहला है ।

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिगृहे राजन्य उच्यते ।

वैश्यशूद्रो सखा चैवं ज्ञातयो गुस्त्रेव च ॥११०॥

(११०) ब्राह्मण के गृह में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मातृ वन्धु गुरु यह सब अतिथि नहीं रहलाते अर्थात् जो अन्ते

बढ़ा हो, और सम्बन्ध और प्रभुता से विलग हो वह सब वर्णों का अतिथि कहलाता है।

यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमात्रजेत् ।

मुक्तवत्स्वथ विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत् ॥१११॥

(१११) यदि ब्राह्मण के गृह पर क्षत्रिय अतिथि आ जावे तो ब्राह्मण के पश्चात् उसका भी भोजनादि से सत्कार करना चाहिये।

वैश्यशूद्रावपि प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ ।

भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन् ॥ ११२ ॥

(११२) इसी प्रकार देवता करके वैश्य और शूद्र को भी भाई बन्धुओं के साथ भोजन देना चाहिये।

इतरानपि सख्यादीन्संप्रीत्या गृहमागतान् ।

सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया ॥११३॥

(११३) प्रीति के कारण मित्रादि प्रियजन गृह पर आये हों तो यथाशक्ति स्त्रियों के भोजन के समय उनको भी भोजन देना चाहिये।

सुवासिनीः कुमारोश्च रोगिणी गभिणीः स्त्रियः ।

अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन् ॥११४॥

(११४) पुत्रवधू (बेटे की स्त्री) विवाहिता पुत्री, छोटा बालक, रोगी, गभिणी स्त्री, इन सबको अतिथि-भोजन से प्रथम देना चाहिये, कुछ सोच विचार न करना चाहिये।

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भुङ्क्तेऽविचक्षणः ।

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृध्रैर्जग्धिमात्मनः ॥११५॥

(११५) भोजन योग्य जितने पुरुषों को कह आये हैं उन सब को बिना भोजन कराये जो अज्ञानी आप भोजन करता है वह नहीं जानता कि हमारे शरीर को कुत्ते और गिद्ध खावे'गे ।

भुक्तवत्स्यथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि ।

भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती ॥११६॥

(११६) ब्राह्मण, सम्बन्धी, और भृत्य (सेवक) को भोजन देकर गृहस्वामी को अपनी पत्नी सहित भोजन करना चाहिये ।

देवानृपीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्याश्च देवताः ।

पूजयित्वा ततः पश्चाद्गृहस्थः शेषभुग्भवेत् । ११७।

(११७) देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, और भूत इन सबके निमित्त यज्ञ करके और सब के भोजनोपरान्त जो शेष रहे उसे गृहस्थ भोजन करे ।

अयं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात् ।

यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते । ११८ ।

(११८) जो पुरुष केवल अपने ही लिये भोजन करता है वह पाप को भोजन करता है । यज्ञ का वचा हुआ अन्न उत्तम पुरुषों को भोजन करना चाहिये ।

राजत्विक्स्नातकगुरुन्प्रियंश्चसुरमातुलान् ।

अर्हयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात्पुनः । ११९ ।

(११९) राजा, ऋत्विक् (यज्ञ कराने वाला) स्नातक (विद्या व व्रत में पूर्ण ब्रह्मचारी) गुरु, प्यारा, समुर, मामा इन सब की मधुपर्क से प्रतिवर्ष पूजा करनी चाहिये ।

राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्युपस्थितो ।

मधुपर्केण सपूज्यो नत्वयज्ञ इति स्थितिः ॥१२०॥

(१२०) राजा श्रोत्रिय (वेद पढने वाला) इन दोनों की पूजा मधुपर्क से यज्ञकर्म म करने चाहिये । अन्य समय में नहीं करनी, यह शास्त्रविधि है ।

साय त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्नं वलिं हरेत् ।

वैश्वदेव हि नामेतत्सायप्रातनिधीयते ॥१२१॥

(१२१) सन्ध्या समय पके हुये अन्न से विना मंत्र के स्त्री वलि वै य कर्म करे । गृहस्थियों को नित्य पच महायज्ञ यथाविधि करने चाहिये ।

पितृपज्ञ तु निर्वर्त्य विप्रश्चन्दुक्षयेऽग्निमान् ।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥१२२॥

(१२२) 'प्रत्येक मास की अमावस्या' म पितृयज्ञ से अग्निहोत्री ब्राह्मण श्राद्ध करे ।

पितृणा मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्बुधाः ।

तच्चामिपेण कर्त्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥१२३॥

(१-३) ॐ 'प्रत्येक मास में पितरों का जो श्राद्ध किया जाता है वह ईश्वर वादी कइलाता है । और उसको उत्तम मास से करना चाहिये ।

तत्र ये भोजनीयाः स्युर्यं च वर्ज्याद्विजोत्तमाः ।

यावन्तर्था व यैश्वान्नैस्तान्प्रवक्ष्याम्यग्रेपतः ॥१२४॥

ॐ यह श्लोक मुसलमानों के राज्य-काल म मिलाया गया है, क्योंकि राजा कर्ण से प्रथम जो अला-होन गिजली के समय म हुआ है मृतक-श्राद्ध प्रचलित न म ।

(१२४) इस श्राद्ध में जो भोजन योग्य है और जो अयोग्य हैं जितने चाहिये और जो अन्न भोजन कराना चाहिये वह सब हम कहेंगे ।

द्वौ दैवे पितृकार्ये श्रीनेकैकमुभयत्र वा ।

भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥१२५॥

(१२५) श्राद्ध में दो कर्म हैं १—पितृकर्म, २—देवकर्म, तिसमें कैसा ही धनी हो परन्तु देवकर्म में एक और पितृकर्म में दो ही ब्राह्मण को भोजन करावे, अथवा दोनों कर्मों में एक ही ब्राह्मण को भोजन करावे, अधिक विस्तार न बढ़ावें ।

सत्क्रियां देशकालौ च शीचं ब्राह्मणसंपदः ।

पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥१२६॥

(१२६) सत्कार, देश काल, पवित्रता, श्रेष्ठ ब्राह्मण इन सब बातों का नाश विस्तार करने से होता है । अतएव विस्तार न करना चाहिये ।

प्रथिता प्रेतकृत्यैषा पित्र्यं नाम विधुक्षये ।

तस्मिन्नुक्तस्यैति नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥१२७॥

(१२७) अमावस्या में श्राद्ध करने से पितरों का उपकार होता है, क्योंकि पितृज्ञान श्राद्ध करने वाले को गुण, बेटा, पोता, धनादि सब कुछ देते हैं अतः श्राद्ध अवश्य करना चाहिए ।

श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः ।

अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥१२८॥

(१२८) देवता और पितरों के निमित्त जो वस्तु देनी हो वह वेदपाठी बड़े पूज्य ब्राह्मण को दे, किसी मूर्ख को न दे । क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को देने से महाफल होता है ।

एकैकमपि विद्वांसं दैवै पित्र्ये च भोजयेत् ।

पुष्कलं फलमाप्नोति नऽमन्त्रज्ञान्वहनपि ॥१२६॥

(१२६) देव व पितृकर्म से एक ब्राह्मण को भोजन कराने से भी बड़ा फल होता । और बहुत से मूर्ख ब्राह्मणों के भोजन कराने से वैसा फल नहीं होता ।

दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् ।

तीर्थं तद्व्यकथ्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥१३०॥

(१३०) दूर से वेदपाठी ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिये क्योंकि देवता और पितरों की वस्तु को लेने वाला वही है ।

सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्जते ।

एकस्त्वान्मत्रवित्प्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः ॥ १३१ ॥

(१३१) दस लाख मूर्ख ब्राह्मणों के भोजन कराने से जो फल होता है, वही फल मन्त्रज्ञाता एक ब्राह्मण के भोजन कराने से होता है ।

ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कथ्यानि च हवींषि च ।

न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरैर्यैव शुध्यतः ॥१३२॥

(१३२) देवता या पितरों के देने की वस्तु ज्ञानी ब्राह्मण को देनी चाहिये । जिस प्रकार रुधिर से सना हुआ हाथी रुधिर ही से धोने से शुद्ध नहीं होता उसी भाँति मूर्ख ब्राह्मण के सरकार से मूर्खता नहीं जाती ।

यावतो ग्रसेते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्

तावतो ग्रसने प्रेत्य दीप्तान्शूलानयोगुडान् ॥१३३॥

(१३३) + 'देवता या पितरु के अन्न के जितने मास मूर्ख ब्राह्मण भोजन करता है उतने वार श्राद्ध करने वाला अग्नि से वृष्ट लोहपिण्ड और दुवारे शस्त्र को भोजन करता है ।

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथाऽपरे ।

तपः स्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥१३४॥

(१३४) ब्राह्मण चार प्रकार के हैं (१) ज्ञानी (२) तपस्वी (३) वेदपाठी (४) कर्मशास्त्री ।

ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।

हव्यानि तु यथान्यागं सर्वेभ्यश्च चतुर्णापि ॥१३५॥

(१३५) 'पितरों के देने योग्य वस्तु ज्ञानी ब्राह्मण को देनी चाहिये और देवताओं के देने योग्य वस्तु चारों में से जो मिले उसी को देना चाहिये ।

अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्देवपारगः ।

अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्देवपारगः ॥१३६॥

(१३६) 'जिसका पिता वेदपाठी और आप मूर्ख अथवा आप वेदपाठी और पिता मूर्ख हो तो—

ज्यायाममनयोविद्याद्यस्यस्याच्छ्रोत्रियः पिता ।

मन्त्रसपूजनार्थं तु सत्कारमितरोऽर्हति ॥ १३७ ॥

(१३७) 'इन दोनों में जिसका पिता वेदपाठी हो वह बड़ा है और दूसरा भी वेद पढ़ने के कारण सत्कार करने योग्य है । क्योंकि वेदपाठी पिता से पुत्र में सत्कार विधिपूर्वक होते हैं ।

+ आजकल के हिन्दुओं और महामरडल के पंडितों को इसे प्रार-वार पढ़ना चाहिये ।

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः ।

नाऽरिं मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद्द्विजम् ॥१३८॥

(१३८) 'श्राद्ध में मित्र ब्राह्मण को भोजन न करावे, कुछ धनादि देकर सत्कार करे, परन्तु जो ब्राह्मण न मित्र न शत्रु हो उसे भोजन करावे ।

यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च ।

तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च ॥१३९॥

(१३९) 'जिस किसी के देव वा पितृकर्म में मित्र हो भोजन करता है उसको भोजन कराने का फल परलोक में नहीं मिलता ।

यः संगतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः ।

स स्वर्गाच्च्युते लोकाच्छ्राद्धमित्रो द्विजाधमः ॥१४०॥

(१४०) 'जा ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के अर्थ ही मित्रता करता है वह स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होता है और वह ब्राह्मणों में अधर्म है ।

संभोजनीयाभिहिता पिशाची दक्षिण द्विजैः ।

इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धेवैकपेशमनि ॥१४१॥

(१४१) 'ऐसा भोजन पिशाचों का है और इसी लोक में फलदायक है । जैसे अन्धा गऊ एक ही गृह में रह सकती है वैसे ही वह भोजन उसी लोक में रहता है, परलोक में कुछ काम नहीं देता ।

यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता लभते फलम् ।

तथाऽनृचे हनिर्दत्त्वा न दाता लभते फलम् ॥१४२॥

(१४२) 'जैसे ऊपर भूमि में बीज बोने वाला फल नहीं पाता वैसे ही देवता की वस्तु मूर्ख ब्राह्मण को भोजन कराने से दाता फल नहीं पाता ।

दातन्प्रतिग्रहीतृश्च कुरुते फलभागिनः ।

विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिवत्प्रेत्य चेह च ॥१४३॥

(१४३) 'पण्डित ब्राह्मण को यथाविधि दक्षिणा देने से दाता और लेने वाला दोनों इस लोक और परलोक दोनों लोकों में फल को प्राप्त करते हैं ।

कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वऽरिम् ।

द्विपता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥१४४॥

(१४४) 'श्राद्ध में मित्र को भोजन कराना कुछ हानि-कारक नहीं परन्तु शत्रु यदि पण्डित भी हो तो भी उसे भोजन न कराना । क्योंकि उसके भोजन करने से परलोक में दाता फल नहीं पाता है ।

यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे बह्वचं वेदपारगम् ।

शाखान्तगमधाध्वयुर्ध्वन्द्वोगं तु समाप्तिरुम् ॥१४५॥

(१४५) 'श्राद्ध में प्रयत्न करके चारों वेदों में पारंगत को भोजन करावे अथवा जिसने वेद और उसके व्याख्यान (उपशाखायां) को यथाविधि पढ़ा हो उसको भोजन करावे ।

एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमचितः ।

पितृणां तस्य तृप्तिःस्याच्छ्रावती साप्तरीरुषी ॥१४६॥

(१४६) 'इन वेद पाठियों में से एक को भी यदि पूजा करके श्राद्ध में भोजन करावे तो सात वर्ष पर्यन्त पितरों की तृप्ति होती है ।

एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः ।

अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥१४७॥

(१४७) 'हव्य और कव्य इन दोनों के दान में मुख्य पक्ष को कहा है, अब क्रौन पक्ष को उत्तम पुरुषों ने धारण किया है, सो कहते हैं ।

मातामहं मातुलं च स्वस्त्रीयं श्वशुरं गुरुम् ।

दोहित्वं विट्पतिं बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत् १४८

(१४८) '१—ताना, २—मामा, ३—भानजा, ४—ससुर, ५—विद्यागुरु, ६—दोहित्व, (नाती, बेटो का बेटा), ७—दामाद, (जामाता), ८—मौसीपुत्र, यज्ञ कराने वाला, ९—यजमान । इन दशों को मुख्य पक्ष न होने में भोजन कराना चाहिये ।

न ब्राह्मणं परीक्षते दैवैः कर्मणि धर्मवित् ।

पित्र्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥१४९॥

(१४९) 'देवकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न लेनी चाहिये, परन्तु पितृकर्म में पुरुषार्थ से ब्राह्मणों की परीक्षा लेनी चाहिये ।

ये स्तेनपतिवृत्तौ स्त्रीषु ये च नास्तिकवृत्तयः ।

तान्हव्यकव्ययोर्विभ्राननर्हन्मिनुरग्रहीत् ॥ १५० ॥

(१५०) 'जिन ब्राह्मणों को मनुजी ने भोजन कराने से वर्जित किया है वह यह है—चोर, महापापी, क्लीब (नपुसंक, नामर्द), नास्तिक ।

जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कित्तवं तथा ।

याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत् ॥१५१॥

(१५१) 'जटाधारी, अनपढ़, दुर्बल, कित्तव (दूषित

चमड़े वाला), स्वार्थ से प्रत्येक योग्य वा अयोग्य को यज्ञ कराने वाला, इनका भाद्र में न खिलाये ।

चिक्वित्सकान्देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा ।

चिपणेन च जीवन्तो वज्र्याः स्युर्हव्यऋषयोः ॥१५२॥

(१५२) वैद्य (चिक्वित्सक), धन लेकर तीन वर्ष पर्यन्त देवमूर्ति का पुजारी, मांस बेचने वाला, वैश्यों के कर्म से जीने वाला ।

प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः ।

प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वाधुर्पिस्तथा ॥१५३॥

(१५३) राजा अथवा प्रजा का चेतन भोगी सेवक, कुनखी, जन्म से फाले दाँत वाला, गुरु के प्रतिकूल काम करने वाला, अधिकार होते हुये अग्निहोत्र न करने वाला, सूदव्याज से कालक्षेप करने वाला ।

यक्ष्मी च पशुपालश्च परियेत्ता निरांकृतिः ।

ब्रह्मद्विट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥१५४॥

(१५४) यक्ष्मा (क्षयरोग) वाला, पशु पालन करके निर्वाह करने वाला, परियेत्ता, पंच महायज्ञ न करने वाला, ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाला, परधन को अपहरण करने वाला, गणाभ्यन्तर ।

कुशलिवोऽनकीर्णी च नृपती पतिरेव च ।

पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपत्तिर्गृहे ॥१५५॥

(१५५) नाज से निर्वाह करने वाला स्त्री भोग से धर-चित्र (पतिव) ब्रह्मचारी, शूद्रा स्त्री का पति. दूसरे पति से स्त्री का काण वेदा; और जिसकी स्त्री ने उपपत्ति किया हो ।

भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा ।

शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टःकुण्डगोलकौ ॥१५६॥

(१५६) ❀ वेतन भोगी अध्यापक, वेतन देकर विद्या-
ध्ययन करने वाला, शूद्र का गुरु, शूद्र का शिष्य, कड़वी बात
करने वाला, पतित को विद्या पढ़ाने वाला, कुण्ड. गोलक ।

अकारणपत्न्यक्ता मातापित्रोर्गुरोस्तथा ।

ब्राह्मैर्यौनेश्च संबन्धैः संयोगं पतितैर्गतः ॥१५७॥

(१५७) अकारण माता पिता और गुरु को परित्याग
करने वाला (अलग होने वाला), जो मनुष्य संयोग वश धर्म-
पतित, हो गये हैं उनसे पढ़ने या अन्नको पढ़ाने वाला, और उनसे
विवाहादि सम्बन्ध करने वाला ।

आगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी ।

समुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥१५८॥

(१५८) घर में अग्नि लगाने वाला, विपदाता, कुण्ड
का अन्न भन्नी सोमलता को बेचने वाला, समुद्र में जाने वाला
वन्दी तेल के अर्थ तैलादि पीसने वाला, कूट बात कहने वाला,

पित्रा विप्रदमानश्च क्रितयो मद्यपस्तथा ।

पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥

❀ मनुजी ने मूर्ति पूजा करने वाले पुजारी और मास
बेचने वाले को एक समान लिखा है परन्तु मूर्तिलोग पुजारी को
अच्छा समन्ते हैं । और वेतन भोगी अध्यापकी का कार्य करने
वाला ब्राह्मण भी ब्राह्मण कहाने योग्य नहीं है । अन्न जो वेतन
लेकर पढ़ाते हैं वे न जानते इन श्लोको को देयते हैं या नहीं ।

(१५६) पिता से कलह विवाद करने वाला, आप पास लेलना नहीं जानता और अपने अर्थ दूसरे को पास दिलाने वाला ❀ शराव पीने वाला, कोढ़ी, अभिशक्त बहाने से धर्म करने वाला, रस बेचने वाला ।

धनुःशराणां कर्ता च यथाग्रेदिधिपूपतिः ।

मित्रध्रु ग्द्यूतवृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ १६० ॥

(१६०) धनुपत्राणधारी, बड़ी सगी बहिन का विवाह हुए बिना छोटी बहिन का पाणिग्रहण कराने वाला, मित्र से शत्रुता करने वाला, द्यूत (जुआ) वृत्ति वाला, पुत्र से विद्या-प्ययन करने वाला ।

भ्रामरी गण्डमाली च श्विन्यऽथो पिशुनस्तथा ।

उन्मत्तोऽन्धश्च वज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१ ॥

(१६१) मृगी, गण्डमाला, ज्वेतकुष्ठ, इन रोगा मं से कोई एक रोग वाला, दुष्ट पुरुष, उन्मत्त (पागल, दीवाना), अन्धा, वेदनिन्दक ।

हस्तिगोधोष्ट्रदमको नक्षत्रैश्च जीवति ।

पक्षिणां पोपकी यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥

(१६२) हाथी, बैल, ऊँट घोड़ा, इन सबको बधिया करने वाला X ज्योतिषी (ज्योतिष विद्या से कालक्षेप करने वाला), पक्षी पालने वाला युद्धार्थ अस्त्र शस्त्र विद्या को सिखाने वाला ।

❀ शराव पीने वाले ब्राह्मणों को ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं यहाँ पर मद्य से भाग, गाजा और शराव आदि मादक वस्तुओं का अर्थ लेना चाहिये ।

X महात्मा मनुजी ज्योतिषी को ब्राह्मण की पदवी से गिराते हैं क्योंकि ज्योतिषी स्वार्थपरता वश अनृत (भूँठ) भाषण करते हैं ।

स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणो रतः ।

गृहसंवेशको दूतो वृत्तारोपक एव च ॥ १६३ ॥

(१६३) वँधे हुए पानी को दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, बहते पानी को अवरुद्ध करने वाला (बाँधने वाला), सर्वदा गृहसंवेश (मेमारोराज) वृत्ति वाला, दूत, वेतन लेकर वृत्त रोपने (लगाने) वाला ।

श्वक्रीडी श्येनजीवी च कन्यादूपक एव च ।

हिंस्रो वृपलवृत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥ १६४ ॥

(१६४) कुत्तो से क्रीड़ा (खेल) करने वाला, बाज आदि पक्षियों से जीवन निर्वाह करने वाला, कनारी कन्या से मोग करने वाला, जीव हिंसा करने वाला, शूद्रों से जीवन-निर्वाह करने वाला, बहुत से पुरुषों को यज्ञ कराने वाला ।

आचारहीनः क्लीबश्च नित्यं याचनकस्तथा ।

कृपिजीवी श्लीपदी च सद्भिर्निन्दित एव च ॥ १६५ ॥

(१६५) आचारहीन, नपुंसक, ऋ नित्य भिक्षावृत्ति करने वाला, कृपि से उदरपोषण करने वाला, मोटे पाँव वाला, सत्पुरुषों से निन्दा पाने वाला ।

औरश्चिकोमादिपिकः परपूर्वापतिस्तथा ।

प्रेतनिर्यातिकाश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥

(१६६) मेड़, भैस से जीवन-निर्वाह करने वाला, निज पति को त्याग कर दूसरा पति करने वाली स्त्री का दूसरा पति, धन लेकर शवदाह करने वाला ।

ऋ मनुजी भिक्षावृत्ति वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानते और जीवहिंसरु के तुल्य बतलाते हैं ।

एतान्विगहिंताचारानपाङ्क्तैयान्द्विजाधमान् ।

द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

(१६७) ये अकारण निन्दिताचरणी हैं, ब्राह्मणों में अधम हैं, पक्ति में विठाने के अयोग्य हैं, इन सब को देवता या पितृ-कर्म के भोजन न करावे ।

ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति ।

तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ १६८ ॥

(१६८) जैसे फूस की अग्नि भटपट बुझ जाती है उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण है । अतएव हव्य और कव्य उमरों न देना चाहिये । क्योंकि राख में हवन नहीं हो सकता ।

अपाङ्क्तदाने यो दातुर्भवत्यूर्ध्वं फलोदयः ।

दैवे हविषि पिन्वे वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥

(१६९) देवकर्म वा पितृकर्म में निन्दक ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल परलोक में मिलता है उसी को हम (अर्थात् भृगुजी) कहते हैं कि—

अनतैर्षु द्विजैर्भुक्तं परिवेत्रादिभिस्तया ।

आपङ्क्तैर्यदन्यैश्च तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥

(१७०) उपरोक्त निन्दक ब्राह्मण जो भोजन करते वह राक्षस भोजन करते हैं, अर्थात् निष्कल होता है ।

दाराग्निहोत्रसयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थितं ।

परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥

(१७१) अविवाहिता सगे बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई विवाह करे और अग्निहोत्र करे तो बड़ा भाई परिवित्त कहलाता है और छोटा भाई परिवेत्ता कहलाता है ।

परिवित्तिः परीवेत्ता यथा च परिविद्यते ।

सर्वे ते नरकं यांति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥

(१७२) परिवित्त, परिवेत्ता, परिविता (अर्थात् कन्या से विवाह हुआ है), सो उस कन्या को देने वाला विवाह-संस्कार कराने वाला ब्राह्मण यह पाँचों नरकगामी होते

भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः ।

धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिपूपतिः ॥ १७३ ॥

(१७३) मृत भाई की स्त्री से भोग करने की विधि आगे कहेंगे उस विधि से भी स्वेच्छापूर्वक भाग करने वाला दिधिपूपति कहलाता है ।

परदारेषुजायेते द्वौ सुतो कुण्डगोलकौ ।

पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तृरि गोलकः ॥ १७४ ॥

(१७४) पर स्त्री में दो पुत्र होते हैं एक कुण्ड और दूसरा गोलक । इनमें से जीवित पति वाली का पुत्र कुण्ड कहलाता है और मृत पति वाली का पुत्र गोलक कहलाता है ।

तौ तु जातौ परचेत्रे प्राणितौ प्रेत्य चेह च ।

दत्तानि हव्यरुव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम् ॥ १७५ ॥

(१७५) इन दोनों (अर्थात् कुण्ड वा गोलक) को देव वा पितृकर्म में भोजन कगने से और दान देने से दाता को परलोक में कुछ फल नहीं मिलता ।

आपङ्क्त्यो यावतः पाङ्क्त्यान्भुञ्जानाननुपश्यति ।

तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः ॥ १७६ ॥

(१७६) ब्राह्मणमण्डली से पतित ब्राह्मण जितने ब्राह्मणों

को भोजन करता हुआ देखा है उतने ब्राह्मणों के खिलाने का फल दाता को नहीं होता और वह दोनों बुद्धिहीन हैं।

वीक्ष्यान्धो नवते काणः पण्डेः शिवत्री शतस्य तु ।

पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम् ॥१७७॥

(१७७) अन्धा, काणा, श्वेतकुष्ठ वाला राजरोगी, इन सब के देखने से यथाक्रम ६०, ६०, १००, १०००, ब्राह्मण भोजन कराने का फल दाता को नहीं प्राप्त होता ।

यावतः संस्पृशेदंगैर्ब्राह्मणाञ्छूद्रयाजकः ।

तावतां न भवेदातु फलं दानस्य पौतिकम् ॥१७८॥

(१७८) शूद्र के यज्ञ में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अपने शरीर से जितने ब्राह्मणों को स्पर्श करता है उतने ब्राह्मणों को देने का फल दाता नहीं पाता और ब्राह्म में उत्तम ब्राह्मणों की पक्ति में बैठकर यदि वह भोजन करे तो जितने ब्राह्मण भोजन करने हे उन सबके भोजन करने का फल दाता नहीं प्राप्त कर सकता ।

वेदत्रिच्चापि त्रिप्रोऽस्य लोभात्कृत्वा प्रतिग्रहम् ।

विनाशं व्रजति क्षिप्रमामृपात्रमिगाम्भसि ॥ १७९ ॥

(१७९) शूद्र को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से ॐ लोभ वश वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण भी जो दान लेवे तो मटपट नाश हो जाता है, जैसे मिट्टी का कच्चा बरतन पानी में ।

नोट—आजकल तो ब्राह्म में भोजन करने वाले सभी ऐसे ही ब्राह्मण हैं ।

ॐ लोभ से वेद शास्त्र पढ़ना महापाप है क्योंकि यह तो ब्राह्मणों का धर्म ही है । आजकल जितने वेदपाठी धनोपाजन अर्थ पढ़ते हैं वह मनुजी के कथानुसार ब्राह्मणों में से पतित हैं ।

सोमविक्रयिणे विष्ठा भिपजे पूयशोणितम् ।

नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वार्धुपौ ॥१८०॥

(१८०) सोमलता के बेचने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता दूसरे जन्म में विष्ठाभती पशु होता है । और इसी प्रकार जीविकार्थ चिन्तित करने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता आगामी जन्म में रुधिर और पीव पान करने वाला जीव होता है और तीन वर्ष पर्यन्त वेतन लेकर मूर्ति-पूजन करने वाले ब्राह्मण और व्याज लेने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता को फल नहीं प्राप्त होता अर्थात् निष्फल होता है ।

यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत् ।

भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ॥१८१॥

(१८१) वैश्य कर्म से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण को दान देने से इस लोक और परलोक में दान का फल नहीं होता और प्रथम पति को त्याग पुनर्पति करने वाली स्त्री के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र को दान देना ऐसा है जैसे राख में हवन करना ।

इतरेषु त्वपांक्त्येषु यथोद्दिष्टेष्वसाधुषु ।

मेदोसृङ्मांसमज्जास्थिवदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥१८२॥

(१८२) जो ब्राह्मण पक्ति में बैठने के अयोग्य हैं उनको दान देने से दाता आगामी जन्म में छाती का मांस, रुधिर, हड्डी आदि भक्षण करने वाला जीव होता है ।

आपंक्त्योपहता पङ्क्तिःपाव्यते यै द्विजोत्तमः ।

तान्निरोधत कात्स्न्येन द्विजाग्रथान्पङ्क्तिपावनान् १८३

(१८३) जो पक्ति चोर आदि ब्राह्मणों से दूषित हो उसे पवित्र करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनको सुनो—

अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च ।

श्रोत्रिषान्वयजाश्चैव विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः ॥१८४॥

(१८४) जिस कुल में दस पीढी से वेदका प्रद्वाना पढ़ाना चला आता हो उस कुल में उत्पन्न होकर चारों वेद अङ्गसहित जो ब्राह्मण पढ सकता हो वह ब्राह्मण पंक्ति पवित्र करनेवाला है ।

त्रिणाचिक्रेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपर्णाः पडङ्गवित् ।

ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥

(१८५) १-त्रिणाचिक्रेत, २-अग्निहोत्री, ३-त्रिसुपर्ण, ४-व्याकरणदि पडङ्गज्ञाता, ५-ब्राह्म विवाह से उत्पन्न ६-साम-वेद के उस भाग का ज्ञाता जिसमें ब्रह्मविचार है, यह छः पंक्ति के पवित्र करने वाले हैं ।

वेदार्थवित्प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः ।

शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥१८६॥

(१८६) वेदार्थ ज्ञाता, वेदार्थ-वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्र गोदानदाता, सौ वर्ष की आयु वाला यह लोग पंक्ति को शुद्ध करने वाले हैं ।

पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते ।

निमन्त्रयेत्ऽव्यवरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान् ॥१८७॥

(१८७) श्राद्ध करने से एक दिन पहले वा उसी दिन तीन से अधिक अच्छे ब्राह्मण मिल सकें तो उनको निमन्त्रण देवे यदि न मिल सकें तो एक वा दो वा तीन को भी नेवता देना चाहिये ।

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा ।

न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत् ॥१८८॥

(१६०) ❀ पितृलोग भीतर बाहर से एक, राग द्वेष तथा मोघ रहित, स्त्री भोग से रहित कलह से परे, विद्यादि आठ गुणों से पूर्ण, महाभागी, अनादि देवतारूप हैं, इस कारण श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध भोजनकर्ता दोनों मोघ से रहित हों ।

वस्मादुत्पत्तिरेतेषा सर्वेषामप्यशेषतः ।

ये च यैरुपचर्याः स्युनियमैस्तान्निमोघतः ॥१६३॥

(१६३) जिससे उन सप्तकी उत्पत्ति है और जिन नियमों से जिनका सेवन है उन सबको सुनिये—

मनोहरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।

तेषामृषीणां सर्वेषा पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥१६४॥

(१६४) ब्रह्मा के पुत्र अर्थात् मनुजी के मरीचि आदि तीनों पुत्र हैं उनके जो पुत्र हैं सो पितृगण हैं ।

विराट्सुता सोमसदः माध्याना पितरः स्मृताः ।

अग्निप्रात्ताश्च देवाना मारीचा लोक विद्मताः ॥१६५॥

(१६५) साधुगण के पितर विराट् के पुत्र सोम सद हैं, पितरों के पितर अग्निप्रात हैं । यह सब मरीचि के पुत्र हैं और लोक प्रसिद्ध हैं ।

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वरिगरक्षसाम् ।

सुर्पण्णिन्नराणां च स्मृता बहिष दीऽग्निजाः ॥१६६॥

❀ श्राद्ध विषय में बहुत कुछ मिलावट है और यह सारी बातें महाभारत के पश्चात् उत्पन्न हुई हैं, अतः इसका अधिक स्तार नहीं किया गया ।

(१८८) ❀ निमन्त्रित ब्राह्मण उस रात्रि दिन में त्रै सम्भोग न करे और वेद पाठ भी न करे और श्राद्ध कर्त्ता भ स्त्री-सम्भोग और स्वाध्याय न करे ।

निमन्त्रितान्हि पितरं उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान् ।

वायुवचानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥

(१८९) निमन्त्रित ब्राह्मण के समीप पितृलोग सडे रहते हैं और वायु वेश (रूप) में उस ब्राह्मण के अनुगामी रहते हैं ।

केचितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः ।

कथंचिदप्यतिक्रामन्पापः सूकरतां व्रजेत् ॥ १९० ॥

(१९०) × देव वा पितृ कर्म में निमन्त्रण पाकर जो ब्राह्मण भोजन न करे वह उस पाप के कारण आगामी जन्म में सूकर (सुअर) होता है ।

आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषण्या सह मोदते ।

दातुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

(१९१) श्राद्ध कर्म में नेवता पाकर जो ब्राह्मण शूद्र क स्त्री से भोग करता है यह श्राद्धकर्त्ता के सम्पूर्ण पाप को प्राप्त करता है ।

अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः ।

न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥

❀यह श्लोक राजा कर्ण के राज्यकाल के पञ्चान् मिलाया गया है, क्योंकि मृतक पितरों का श्राद्ध यहीं से प्रचलित हुआ है ।

× आजकल तो ऐसा एक भी ब्राह्मण नहीं दीखता । वास्तव में ऋषि श्राद्ध का वर्णन है इसको मिलावट करके पितृ-श्राद्ध बताया गया है ।

(१६२) ॐ पितृलोक भीतर बाहर से एक, राग द्वेष तथा क्रोध रहित, स्त्री भोग से रहित कलह से परे, विद्यादि आठ गुणों से पूर्ण, महाभागी, अनादि देवतारूप हैं, इस कारण श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध भोजनकर्ता दोनों क्रोध से रहित हों ।

यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः ।

ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमैस्तान्निषेधतः ॥१६३॥

(१६३) जिससे उन सत्रकी उत्पत्ति है और जिन नियमों से जिनका सेवन है उन सबको सुनिये—

मनोहरैरयगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।

तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥१६४॥

(१६४) ब्रह्मा के पुत्र अर्थात् मनुजी के मरीचि आदि जो पुत्र हैं उनके जो पुत्र हैं सो पितृगण हैं ।

विराट्सुता सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ।

अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोक विश्रुताः ॥१६५॥

(१६५) साधुगण के पितर विराट् के पुत्र सोम रुद्र हैं, ऋषियों के पितर अग्निष्वात हैं । यह सब मरीचि के पुत्र हैं और लोक प्रसिद्ध हैं ।

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वैरगरक्षसाम् ।

सुर्पणक्षिन्नराणां च स्मृता वहिष दोऽत्रिजाः ॥१६६॥

ॐ श्राद्ध विषय में बहुत कुछ मिलावट है और यह सारी या महाभारत के पश्चात् उत्पन्न हुई है, अतः इसका अधिक स्तार नहीं किया गया ।

(१६६) + दैत्य, दानव, यक्ष, गन्धर्व, उरग, राक्षस, सुपर्ण, किन्नर इन सबका पितर अत्रि का पुत्र वर्हिपद है ।

सोमपा नाम विप्रार्थां चत्रियाणां हविर्भुजः ।

वैश्यानामाज्यपानाम शूद्राणां तु मुकालिनः ॥१६७॥

(१६७) १-ब्राह्मण, २-क्षत्रिय, ३-वैश्य, ४-शूद्र इन सब के पितर क्रमानुसार १-सोमपा २-हविर्भुज, ३-आज्यप, और ४-मुकाली हैं ।

सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरः सुता ।

पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वशिष्ठस्य मुकालिनः ॥१६८॥

(१६८) १-कवि, २-अंगिरा, ३-पुलस्त्य, ४-वशिष्ठ के पुत्र क्रमानुसार १-सोमपा, २-हविर्भुज, ३-आज्यप, ४-मुकाली हैं अग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्वर्हिपदस्तथा ।

अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निदिशेत् ॥१६९॥

(१६९) 'अग्निदग्ध अर्थात् वानप्रस्थ और गृहस्थी, अनाग्निदग्ध संन्यासी, काव्य, वर्हिपद, अग्नि, प्वात्, सोमपा यह सब ब्राह्मण ही के पितर हैं ।

य एते तु गुणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः ।

तेषामपीह विज्ञेयं पुत्र पौत्रमनन्तरम् ॥ २०० ॥

(२००) यह सब मुख्य पितृगण हैं, इनके पुत्र और पौत्र अनन्त हैं ।

ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाएव नुपूर्वशः ॥ २०१ ॥

+ श्लोक १६६ से २०१ तक पौराणिक कथा है और महाभारत के अनन्तर सम्मिलित की गई है ।

(२०१) ऋषियों से पितरों की उत्पत्ति है, पितरों से देवता और मनुष्य उत्पन्न हुये हैं, देवता से चर अचर सारा जगत् उत्पन्न हुआ है ।

राजतैर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितैः ।

वार्यपिः श्रद्धया दक्षमक्षयायोपकल्पते ॥ २०२ ॥

(२०२) चाँदी के बर्तनों में अथवा चाँदी चढ़े हुये बर्तनों में सब पितरों को केवल जल ही देने से बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है ।

देवकार्याद्द्विजातीनां पितृकार्यं त्रिशिष्यते ।

दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम् ॥ २०३ ॥

(२०३) ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के द्विज-कार्य से पितृ-कार्य बड़ा है । इस कारण द्विज-कार्य प्रथम होने से पितृकार्य पूरा होता है ।

तेषामारक्षभृतं तु पूर्वं दैवं नियोजयेत् ।

रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥ २०४ ॥

(२०४) पितृकार्य के रक्षक द्विज-कार्य को प्रथम करना उचित है । रक्षा रहित कार्य को राक्षस ले लेते हैं ।

दैवाद्यन्त तदीहेतुः पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् ।

पित्राद्यन्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नश्यति सान्प्रयः ॥ २०५ ॥

(२०५) पितृकार्य के आदि अन्त में देव-कार्य करना चाहिये । देव-कार्य के आदि अन्त में पितृ-कार्य-कर्ता शीघ्र ही वश सहित नाश हो जाता है ।

शुचिं देशं त्रिविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत् ।

दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

(२१५) हवन से शेष बचे हव्य के तीन पिण्ड बनाकर दक्षिण दिशा को मुख करके दाहिने हाथ से कुशा के ऊपर ऊँच पिण्डों को एकाम्र चित्त हो देवे ।

न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तुप्रतो विधिपूर्वकम् ।

तेषु दर्शेषु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम् ॥२१६॥

(२१६) जो विधि कर्मकाण्ड के सूत्र में लिखी है वह अनुसार कुशा पर उन पिण्डों को देकर पिण्ड के नीचे का जो कुश है उसकी जड़में हाथ को पीछे, वृद्ध प्रपितामह आदि तीन पुरुषों के कर्मार्थ—

आचम्योदकपरावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून् ।

पङ्क्तुञ्च नमस्कुर्वात्पितृनेव च मन्त्रवित् ॥२१७॥

(२१७) मन्त्रज्ञाता उत्तरमुख होकर आचमन और तीनों प्राणायाम बलानुसार करके वसन्तादि छः ऋतुओं और पितरों को नमस्कार करे ।

उदकं विनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः ।

श्रवजिघ्रैश्च तान्पिण्डान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥२१८॥

(२१८) पिण्डदान में प्रथम पिण्ड स्थापन करने के स्थान की पृथ्वी को जो जल दिया जाता है उस पात्र में शेष जो जल है उसको पिण्डों के समीप क्रम से देवे । तत्पश्चात् उन पिण्डों को एकाम्र चित्त हो क्रम से सूँधे ।

पिण्डेभ्यस्त्वंलिपकां मात्रां समाद्यायानुपूर्वशः ।

तेनैव त्रिप्रानासीनान्निधिवत्पूर्वमाशयेत् ॥२१९॥

नोट—गर्भसूत्र जिनमें कर्मविधि उल्लिखित है कृष्णयजुर्वेद के पश्चात् बने हैं और कृष्ण यजुर्वेद महाभारत के पश्चात् बना है । अतएव श्लोक २१६ से २२१ तक सम्मिलित किये हुए हैं ।

(२१६) पिण्डों से थोड़ा-थोड़ा अन्न यथाक्रम लेकर नमन्त्रित बैठे ब्राह्मणों को विधिपूर्वक भोजन करावे ।

धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् ।

विप्रवद्वापि तं श्राद्धे स्मरु पितरमाशयेत् ॥२२०॥

(२२०) पिता के गृह में रहते हुए जो दादा, परदादा पानप्रस्थ और सन्यासी हैं उनका श्राद्ध करे अथवा पिता के ब्राह्मण के स्थान पर पिता ही को भोजन करावे और पितामह, प्रपितामह को पिण्ड देवे और दोनों के निमित्त ब्राह्मण भोजन भी करावे ।

पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः ।

पितुः स नाम संकीर्त्य कीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥२२१॥

(२२१) जिसके पिता की मृत्यु हो गयी हो और पिता-मह जीवित हो वह पिता का नाम लेकर प्रपितामह का नाम लेवे

पितामहो वा तच्छ्राद्धं सुञ्जीतेत्यवधीन्मनुः ।

काम वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥२२२॥

(२२२) अथवा जिस प्रकार जीवित पिता को भोजन कराना कहा है उसी प्रकार जीवित पितामह को भोजन करावे पिता, प्रपितामह को पिण्ड देवे । इस बात को मनुजी ने कहा है, वा पितामह की आज्ञा पाकर पिता प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड देवे पितामह को भोजन करा देवे ।

तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् ।

तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत् स्वधैपामस्त्विति ब्रुवन् ॥२२३॥

(२२३) उन ब्राह्मणों के हाथ में तिल, जल, कुश को

देकर पिण्डों से निकाला हुआ जो थोड़ा २ भाग है उसको पितादि तीनों के ब्राह्मणों को यथाक्रम देवे ।

पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम् ।

विप्रान्तिके पितृन्ध्यायञ्शनकैरुपनिचिपेत् ॥२२४॥

(२२४) आप दोनों हाथों से सब खाद्य पदार्थ भोजनालय से लेकर पितरों का ध्यान करता हुआ ब्राह्मणों के समीप धीरे से परोसे ।

उभयोर्हस्तयोर्भुक्तं यदन्नमुपनीयते ।

तद्विप्रलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥

(२२५) एक हाथ से लाए हुए अन्न को असुर लोग छीन लेते हैं । अतः दोनों हाथों से लाना चाहिये ।

गुणांश्च सूपशाम्नाद्यान्पयोदधि घृतं मधु ।

विन्यसेत्प्रयतः पूर्वं भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥

(२२६) शहद, दूध, घी दधि आदि वस्तुओं से बना हुआ भोजन इस उत्तमता से कि जिसमें पृथिवी पर न बिखरने पावे भूमि पर रखे ।

भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च ।

हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥२२७॥

(२२७) मन प्रसन्न करने वाले उत्तम भोज्य पदार्थ और उत्तम फल मूल तथा स्वादिष्ट वा सुगन्धित वस्तुओं को रखे ।

उपनीय तु तत्सर्वं शनकैः सुसमाहितः ।

परिवेषयत् प्रयतो गुणान्तर्वान्प्रचोदयन् ॥२२८॥

(२२८) एकाम्र चित्त हो सब वस्तुओं को ब्राह्मणा के समीप लाकर यह कहकर कि यह मीठा है यह खट्टा है, परोसे ।

नाश्रुमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृत वदेत् ।

न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत् । २२९ ।

(२२९) रुदन करना, क्रोध करना, असत्यभाषण (अनृत) इन सब को त्याग दे, पाव से अन्न स्पर्श न करे और न उछाल कर अन्न को पात्र में रखे ।

अस्त्रं गमयति प्रेतान्कोपोऽरीननृत वदेत् ।

पादस्पर्शस्तु रक्षासि दुष्कृतीनवधूननम् । २३० ।

(२३०) + रुदन करने से प्रेत को, क्रोध करने से शत्रु को, अनृत भाषण से कुत्ते को, पगस्पर्श से राक्षस को, तथा उछालने से पापी को वह अन्न मिलता है ।

यद्यद्रोचेतसाविप्रेभ्यस्तत्तद्द्वयोदमत्सरः ।

ब्रह्मोद्याध्वकथाः कुर्यात्पितृणामेतदीप्मितम् । २३१ ।

(२३१) लोभ तथा मत्सर परित्याग कर जो २ वस्तुये* ब्राह्मणों को रुचे सो २ वस्तुये देवे और परमात्मा की कथा कहे क्योंकि यह कार्य पितरों का प्रिय है ।

स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।

आख्यानानीतिहासाञ्चपुराणानिखिलानि च । २३२ ।

नोट—श्राद्ध का सारा विषय पीछे से सम्मिलित किया गया है ।

+ शाक प्रेत अर्थात् मृतक को अन्न पहुँचना श्राद्ध का उद्देश्य बतलाया गया है और इन मिलावटी श्लोका से प्रेत को मिलना गहित बतलाया गया है ।

+ इस श्लोक के सम्मिश्रण में किंचित मात्र शका नहीं है ।

(२३२) वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, तथा इतिहासों की कथा आदि प्रति समय ब्राह्मणों को सुनाया करे । इस स्थान पर पुराण से तापत्य ब्राह्मण ग्रन्थों से है, क्योंकि जिस समय यह ग्रन्थ लिखा गया था उस समय अष्टादश पुराणों की रचना नहीं हुई थी ।

हर्षयेद्ब्राह्मणांस्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः ।

अन्नाद्येनासकृच्चैतान्गुणैश्च पश्चिदयेत् । २३३ ।

(२३३) आप हर्षित होकर मिष्टभाषणादि से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे और शीघ्रता न करे, वरन् यह स्वादिष्ट खोर है, यह उत्तम लड्डू हैं ऐसे सब वस्तुओं के गुण खर्चन कर ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करे ।

व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत् ।

कुतप चासने दद्यात्तिलैश्च विकिरेन्महीम् ॥२३४॥

(२३४) दौहित्र (नाती) यदि व्रत में भी हो तो उसको किसी यत्न से श्राद्ध में भोजन अवश्य करावे । नैपाली कम्बल का आसन दे, श्राद्ध को पृथिवी पर तिल छिटका दे ।

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ।

त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमन्वराम् ॥२३५॥

(२३५) श्राद्ध में तीन वस्तु पवित्र हैं, १-दौहित्र (नाती), २-नैपाली, कम्बल, ३-तिल तथा तीन ही वस्तुयें प्रशंसनीय हैं १-पवित्रता, शान्ति, २-वैर्य ।

अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद्भुञ्जीरंस्ते च वाग्यताः ।

न च द्विजातयो ब्रूयुर्दात्रा पृष्टा हविर्गुणान् ॥२३६॥

(२३६) ब्राह्मण लोग मौन धारण कर अति उष्ण

गरम) भोजन करे । यदि भोजनदाता वस्तुओं का गुण पूछे । भी कुछ न बोले ।

यावदुष्ण भवत्यन्नं यावददर्शन्ति वाग्म्यताः ।

पितरस्तावददर्शन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥२३७॥

(२३७) जब तक भोजन उष्ण (गरम) रहता है और भोजनकर्ता मौन धारण किये रहते हैं तब तक पितर लोग भोजन करते हैं ।

यद्वेष्टितशिरा मुङ्क्ते यद्भुङ्क्ते दक्षिणामुखः ।

सोपानत्कश्च यद्भुङ्क्ते तद्वै रक्षसि भुञ्जते ॥२३८॥

(२३८) दक्षिण दिशा को मुख करके और सिर बाँधकर जाजूता पहन कर जो भोजन करता है वह अनाचारी और रक्षस का भोजन कहलाता है ।

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च ।

रजस्यला च पण्डश्च नेत्रेरन्नश्नतो द्विजान् ॥२३९॥

(२३९) चाण्डाल, वराह (सूकर, सुअर) कुक्कुट (मुर्गा) स्वान कुत्ता, रजस्यला स्त्री, निपु सरु यह सब लोग अन्नको भोजन करते हुए न देखे ।

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिप्रीचयते ।

देवे कर्मणि विद्ये वा तद्गच्छत्यथानथम् ॥२४०॥

(२४०) देवयज्ञ वा पितृयज्ञ करते समय निम्नलिखित विचारियों के दर्शन करने से सब कार्य नष्ट हो जाते हैं ।

प्राणेन सूक्तो हन्ति पक्ष्मातेन कुक्कुटः ।

श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शेनऽपरवर्षाजः ॥२४१॥

(२४१) सुअर सूंघने से, मुर्गा पर फूँफूड़ाने से, कुत्ता दर्शन से, शूद्र स्पर्श से, सब कार्य नष्ट कर देते हैं ।

खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत् ।
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः ॥ २४२ ॥

(२४२) काना, गंजा, आदि एक अंगहीन वा एक अधिक अंग रखने वाला चाहे अपना सेवक हो क्यों न हो, परन्तु उसे श्राद्ध समय श्राद्ध-स्थान से निकाल दे ।

ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि भोजनार्थमुपस्थितम् ।

ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥२४३॥

(२४३) यदि ब्राह्मण वा भिक्षुक जो भोजनार्थ आप तो निमन्त्रित ब्राह्मणों की आज्ञा ग्रहण करके यथाशक्ति प्रयेरु का पूजन करे ।

साववर्णिकमन्नाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारिणा ।

समुत्सृजेद्भुक्तवतामग्रतो विकिरन्भुवि ॥ २४४ ॥

(२४४) सब प्रकार के अन्न को व्यंजनादि से मिला जल डाल कर उस अन्न को भोजन किये हुये ब्राह्मणों के सम्मुख पृथिवी पर कुश पर डाल दे ।

असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुलयोपिताम् ।

उच्छ्लिष्टं भागधेयं स्यादर्भेषु विकिरश्च यः ॥२४५॥

(२४५) जो बालक अग्निदाह करने के अयोग्य है और उन्की मृत्यु हो गई है, वा जो नर दूषित कुल स्त्रियों को त्याग कर मर गये हैं, इन सब को यह अन्न जो कुश पर डाला गया है, मिलता है ।

उच्छेपणं भूमिगतमजिह्वस्याशठस्य च ।

दासवर्गस्य तत्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥२४६॥

(२४६) पृथिवी पर जो जूठा अन्न है वह दास लोगों का है परन्तु वह दास कुटिल वा नटखट न हों ।

आसपिण्डक्रियाकर्म^१ द्विजाते संस्थितस्य तु ।

अद्वैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥२४७॥

(२४७) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के मृत्यु दिन से सपिण्डी क्रिया पर्यन्त विश्वदेव के निमित्त ब्राह्मण भोजन न करावे । किन्तु प्रेत के निमित्त एक ब्राह्मण भोजन करावे और एक पिण्ड देवे ।

सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः ।

अनयोवावृता कार्यं पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥२४८॥

(२४८) सपिण्डी करने के पश्चात् अमावस्या के श्राद्ध के विधान से पुत्र पिण्ड को देवे ।

श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृपलाय प्रयच्छति ।

स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्षिराः ॥२४९॥

(२४९) + जो कोई श्राद्धान्न को भोजन कर जूठा अन्न गूद्र को देता है वह मूढ़ अघोशिर (नीचे सिर किये हुये) काल-सूत्र नाम नरक में आता है ।

+ यह श्लोक और इस प्रकार के और भी श्लोक सम्मिलित किये हुये हैं, जिनमें मृतक पितरों के श्राद्ध और मास-भक्षण का विधान है । क्योंकि 'श्राद्ध राजा कर्ण' से प्रचलित हुआ है और मास-भक्षण वेद-विरुद्ध है ।

श्राद्धभुग्वृषलीतल्पं तदहयोऽधिगच्छति ।

तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥

(२५०) श्राद्धान्न भोजन कर जो कोई उस रात्रि को स्त्री-सम्भोग करता है उसके पितर उसी स्त्री के मूत्रस्थान में एक मास पर्यन्त पड़े रहते हैं ।

पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं वृषानाचामयेत्ततः ।

आचान्तांश्चानुजानीयादभि तो रभ्यतामिति ॥ २५१ ॥

(२५१) भली भाँति भोजन किया है यह पूछ कर संतुष्ट और वृष जानकर आचमन कराके श्राद्धकर्ता ब्राह्मणों से कहे कि जाये ।

स्वधास्त्वित्येव तं ब्रूयुर्ब्राह्मणारतदनन्तरम् ।

स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २५२ ॥

(२५२) उसके प्रत्युत्तर में ब्राह्मण लोग स्वध स्तु कहें पितृकर्मों में स्वधा कहना बड़ा आशीर्वाद है ।

ततो मुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत् ।

यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥

(२५३) तत्पश्चात् सब ब्राह्मणों के वचे हुये अन्न को निवेदन करे जैसा वह ब्राह्मण कहें वैसा करे ।

पित्र्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम् ।

संपन्नमित्यभ्युदये दैवे रुचितमित्यपिः ॥ २५४ ॥

(२५४) एकोद्विष्ट श्राद्ध में वृष और प्रसन्न के अर्थ । स्वादितम् कहना चाहिये । गोष्ठी श्राद्ध में सुश्रुतम् और अभ्युदयिक श्राद्ध में संपन्न कहना चाहिये । देवता के निमित्त जो श्राद्ध है उसमें रुचितम् कहना चाहिये ।

नोट—२५० से २५५ श्लोक तरु मन्मन्त्रित्ति ज्ञिरे हुये हैं ।

अपराहस्तथा दर्भा वास्तुसम्पादनं तिलाः ।

सृष्टिर्मृष्टिद्विजाश्चाग्रयाः श्राद्धकर्मसु संपदः ॥२५५॥

(२५५) अपराह काल (दोपहर पश्चात्) कुश गोबर आदि से भूमि को शोधना, तिल, उदारता, अन्न आदि का संस्कार, पक्ति के पवित्र कर्ता ब्राह्मण, यह सब पार्वण श्राद्ध में संपद हैं ।

दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्नो हविष्याणि च सर्वशः ।

पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥ २५६ ॥

(२५६) मन्त्र, पूर्वाह्न काल (दोपहर से प्रथम) हविष्य, उपरोक्त विधि से भूमिका शोधना, यह सन देव कर्म की सम्पदा (धन) है ।

मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् ।

अक्षरलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥

(२५७) मुनियों के अन्न, दूध, सोमलता का रस, वना म्नाया मांस, विन वना सेधा लवण (नमक) आदि यह वाभाविक हव्य कहाते हैं ।

विसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु निपतो वाग्यतः शुचिः ।

दक्षिणां दिशमाकांक्षन्त्याचेतेमान्वरान्पितृन् ॥२५८॥

(२५८) गोष्ठी श्राद्ध में 'सुश्रुतम्' कहना चाहिये । इन गृहणों को विदा करने पश्चात् श्राद्धकर्ता पवित्र हो मौन धारणा र दक्षिण दिशा की ओर होकर पितरों से यह वरदान माँगैकि-

नोट—श्लोक २५६ से २६१ पर्यन्त मिलाये हुये हैं । क्योंकि ाँस तो यज्ञ भ्रष्ट कर देने वाली वस्तु है । यहाँ मृतक पितृ श्राद्ध गदि को चतलाने के हेतु यह सन सम्मिलित किये गये हैं ।

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणेन तु ।

श्रौरभ्रेणास्थ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै ॥ २६८ ॥

(२६८) दो मास पर्यंत मछली के मांस से, तीन मास पर्यंत हिरण के मांस से, चार मांस पर्यंत भेड़ के मांस से पाँच मांस पर्यंत पक्षियों के मांस से ।

परमार्त्तारिच्छागमांसेन पार्षतेन च सप्त वै ।

अष्टावेणस्य मांसेन रोरवेण नवैव तु ॥ २६९ ॥

(२६९) षट् (छः) मास पर्यंत छाग (बकरा) के मांस से सात मास पर्यंत चित्रमृग के मांस से, आठ मास पर्यंत ऐण नामक हिरण के मांस से, नौ मास पर्यंत रुरु नामक मृग के मांस से ।

दशमासांस्तु तृष्यन्ति वराहमहिषामिषैः ।

शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥

(२७०) दस मास पर्यंत वराह (जङ्गली सूअर) वा महिष (भैंसा) के मांस से, एकादश (ग्यारह) मास पर्यंत शशक (खरहा) वा कूर्म (कछुवा) के मांस से ।

संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च ।

शार्ध्रीणसस्य मांसेन तृप्तिर्द्वादशवापिंकी ॥ २७१ ॥

(२७१) गौदुग्ध वा गौदुग्ध की स्त्रीर से एक वर्ष पर्यंत

(१) श्लोक २६८ से २७२ तक वाममार्गियों के संमिलित किये हुए हैं और वेद तथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध है ।

(२) यह विषय सम्भवतः संमिलित किया हुआ है, क्योंकि मृतक पुरुषों के पितृ का सम्बन्ध नहीं रहता और वह अपने कर्मानुसार योनि पा जाते हैं ।

ऐसे बकरे के मांस से जिसके दोनों कान पानी पीते समय पानी को स्पर्श करें वारह वर्ष पर्यन्त ।

कालशाकं महाशब्काः खड्गलोहामिपं मधु ।

आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥२७२॥

(२७२) कालशाक, महाशल्क (एक प्रकार की मछली) गेंडा तथा लाल बकरा इनमें से किसी-एक के मांस से असंख्य वर्ष पर्यन्त तथा मधु वा सपूर्ण मु-यन्त्रां से भी असंख्य वर्ष पर्यन्त वृत्त रहते हैं ।

• यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम् ।

तदप्यक्षयमेव स्याद्वर्षासु च मघासु च ॥ २७३ ॥

(२७३) वर्षा ऋतु में जिस त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र हो उस दिन मीठी वस्तुओं को देने से अक्षय (नाश न होने वाला) फल होता है ।

अपि नः सकुले जायाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम् ।

पायसं मधुसर्पिभ्यां प्राक्छाये कुञ्जरस्य च ॥२७४॥

(२७४) पितृ लोग यह अभिलाषा किया करते हैं कि हमारे कुल में ऐसा पुरुष उत्पन्न होवे जो भाद्रपद (भाद्र) कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि अथवा उस मास की किसी अन्य तिथि में अपराह्न (दोपहर पश्चात्) काल में मधु और घी मिश्रित सीर देवे ।

यद्यद्दाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।

तत्तत्पितॄणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥

(२७५) जो वस्तु यथाविधि उत्तम रीति से श्रद्धा सहित पितरों को दी जाती है उसका परलोक में अनन्त फल होता है

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् ।

श्राद्धे प्रशस्तारित्ययो यथैता न तथेतराः ॥२७६॥

(२७६) कृष्णपक्ष में दशमी से लेकर चतुर्दशी के अतिरिक्त अमावस्या तिथि जैसी श्राद्ध में उत्तम है वैसी अन्य नहीं ।

युक्तु कुर्वन्दिनचैषु सर्वाकामान्समश्नुते ।

अयुक्तु तु पितृन्सर्वाप्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥२७७॥

(२७७) सम तिथि तथा सम नक्षत्र में श्राद्ध करने से सम्पूर्ण कामना सिद्ध होती है वा विपम तिथि तथा विपम नक्षत्र में श्राद्ध करने से विद्वान् तथा धनवान् सन्तति होती है । .

यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते ।

तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्णोदपराह्णौ विशिष्यते ॥२७८॥

(२७८) जैसे शुक्लपक्ष से कृष्णपक्ष उत्तम है वैसे ही पूर्वाह्न काल से अपराह्न काल श्राद्ध में उत्तम है ।

प्राचीनावीतिना सम्यगपसंव्यमतन्द्रिणा ।

पित्र्यमानिधनात्कार्यं विधिवदर्भपाणिना ॥२७९॥

(२७९) दक्षिण कंधे पर जनेऊ रखकर आलस्य त्याग कुशा ग्रहण कर पितरों के अर्थ वेद शास्त्रानुसार कर्म करे ।

रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा ।

संध्ययोरुभयोश्चैव सूर्ये चैवाचिरोदिते ॥२८०॥

(२८०) ❀ रात्रि समय श्राद्ध करना उचित नहीं क्योंकि

❀ रात्रि को निषेध इस कारण कहा है कि उस समय मान्य (वृद्ध) लोग भूखे मर जावेंगे तथा उनको दारुण कष्ट होगा । अतः वह राक्षसी बतलाया गया और यहाँ पितृ से अर्थ पिता आदि है

यह राक्षसी समय है। दोनों सन्ध्या के समय तथा प्रातःकाल तीन घड़ी पर्यन्त भी श्राद्ध करना वर्जित है।

अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वापेत् ।

हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाञ्चयाजिरुमन्वहम् ॥२८१॥

(२८१) इस विधि से प्रत्येक वर्ष हेमन्त (जाड़ा), ग्रीष्म (गर्मी) वर्षा (बरसात) तीनों ऋतुओं में श्राद्ध करे तथा पंचमहायज्ञ तो नित्य ही करे।

न पितृयज्ञियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते ।

न दर्शेन पिना श्राद्धमाहिताग्नेर्द्विजन्मनः ॥२८२॥

(२८२) अग्निहोत्री का पितृ-यज्ञ सन्वन्धी हवन लौकिक अग्नि में नहीं होता तथा अमावस्या के अतिरिक्त अन्य तिथि में श्राद्ध नहीं होता।

यदेव तर्पयन्त्यद्भिः पितृन्स्नात्वा द्विजोत्तमः ।

तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥२८३॥

(२८३) पंच यज्ञ संबंधी श्राद्ध न हो सके तो ब्राह्मण स्नान से निवृत्त हो जल द्वारा तर्पण करे। उसी से सब पितृ यज्ञ के फल को लाभ करते हैं।

वसून्प्रदन्ति तु पितृन्स्त्राश्चैव पितामहान् ।

प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छ्रुतिरेषा सनातनी ॥२८४॥

(२८४) पर सदैव सनातन से सुनते चले आये हैं कि पिता को वसु, पितामह (दादा) को रुद्र तथा प्रपितामह (परदादा) को आदित्य कहते हैं।

विधासाशी भवेन्नित्यं नित्यं वामृतभोजनः ।

विधसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम् । २८५ ।

(२८५) ॐ श्राद्ध के पश्चात् जो कुछ भोजन शेष रहे उसे श्राद्धकर्ता स्वयं खावे, यह यज्ञ से शेष रहा भोजन पवित्र करने वाला है ।

एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयाज्ञिकम् ।

द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रयतामिति । २८६ ।

(२८६) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि-वर्गों पंचमहायज्ञ की विधि कही, अब ब्राह्मण की मुख्यवृत्ति (जीविका) को कहते हैं विसको सुनो ।

मनुजीके धर्मशास्त्र भृगुजीकी संहिताका तृतीय अध्याय समाप्तहुअ

—०—

चतुर्थोऽध्यायः ।

चतुर्थमायुषो भागमुपित्वाऽद्यं गुरौ द्विजः ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १ ॥

(१) अपनी आयु का प्रथम भाग वेदाध्ययनाथ गुरु-कुल में व्यतीत करे । आयु के द्वितीय भाग में तदनुसार कर्म करने के हेतु विवाह कर गृहस्थाश्रम में विचरे ।

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः ।

या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥

ॐ जो यज्ञ समाप्त कर भोजन करता है वह सदैव आनन्द प्राप्त करता है ।

(२) ब्राह्मण को अपनी वृत्ति ऐसी रखनी उचित है जिससे जीवों को नष्ट न हो । यदि यह असाध्य हो तो जिस कारण से अलग कष्ट हो ऐसी विधि से कार्य करे ।

यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थं स्वैः कर्मभिरगहितैः ।

अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥ ३ ॥

(३) शुभकर्मों तथा शरीर को क्लेश न पहुँचाने वाली विधि द्वारा अपने शरीर पोषण मात्र (उदर जुधा निवृत्त्यर्थं धन सञ्चय करे ।

ऋतामृताभ्यां जीयेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताभ्यामपि वा न श्वश्रुत्या कदाचन ॥ ४ ॥

(४) ऋत, अमृत, मृत, ऋ प्रमृत तथा सत्य के ग्रहण और अनृत (असत्यभाषण) के परित्याग द्वारा जीवरक्षा करे ।

ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम् ।

मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ ५ ॥

(५) उद्विशिल को ऋतु कहते हैं, अयाचन मिले उसे अमृत कहते हैं । याचना करने पर प्राप्त हो उसे मृत कहते हैं । कृषि को प्रमृत कहते हैं ।

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।

सेवा श्वश्रुतिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

(६) व्यापार का नाम सत्यानृत (सत्य तथा भूँठ) है, सेवाकाई को कुत्ता-वृत्ति कहते हैं । अतएव विपत्ति समय ब्राह्मण वाणिज्य को तो नर ले परन्तु सेवाकाई कदापि न करे ।

ऋ अन्य स्थल पर ब्राह्मण को कृप करने का निषेध है तथा इस स्थल पर आज्ञा दी है अतएव यह श्लोक संशयात्मक है ।

कुशूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा ।

व्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७ ॥

(७) नित्य नैमित्तिक धर्मादि के कर्त्ता को इतना अन्न संचय करना उचित है जितना तीन वर्ष को यथेष्ट हो, वा एक वर्ष, वा एक दिन मितव्यय करे ।

चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम् ।

ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥

(८) चार प्रकार के ब्राह्मण कहे गये हैं । उनमें से प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय तथा तृतीय से चतुर्थ उत्तम हैं वे धर्म द्वारा लोक को जीत सकते हैं ।

पटकर्मको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्त्तते ।

द्वाम्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥

(९) इन चारों में १-प्रथम पटकर्म द्वारा जीवन निर्वाह करे, २-द्वितीय तीन कर्म द्वारा, ३-तृतीय दो कर्म द्वारा, ४-चतुर्थ एक कर्म से शरीर रक्षा करे ।

वर्तयश्च शिलोज्झाम्यामग्निहोत्रपरायणः ।

इष्टीःपार्वीयनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥ १० ॥

(१०) शिल तथा रज्जु से जीवन व्यतीत करे अग्निहोत्र करे, तथा अमावस्या, पौर्णमासी, नवीनान्त उत्पत्ति समय इतीनों समयों में यज्ञ करे ।

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन ।

अजिह्वाणशठां शुद्रां जीवेद्ब्राह्मणजीविकाम् ॥११॥

(११) असत्य भाषण, मनोरञ्जन तथा निन्दा व दम्ब द्वारा जीविका प्रहण करना उचित नहीं । ब्राह्मण को छल व

न्यायानुष्ठान द्वारा आजीविता परित्याग घर शुभतया सृष्ट्यु-
क्त द्वारा जीविका प्राप्त करनी चाहिये।

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं निपर्ययः ॥ १२ ॥

(१२) इन्द्रियों के घश करने के हेतु सदैव मन में सन्तोष
रण करे क्योंकि ससार में सुख का मूल सन्तोष और दुःख
का मूल असन्तोष वा अवैर्य है।

अतोऽन्यमनया वृत्त्या जीवस्तु स्नातको द्विजः ।

स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३ ॥

(१३) कथित वृत्तिया में से किसी एक द्वारा कालचा-
न करे। वेदाध्ययन (सम्पूर्ण समाप्त करने परचात् इन्द्रियों को
श कर समावर्त्तन करे। स्वर्ग, आयु तथा यश के हेतु लाभ-
यक व्रत जो आगे रहेंगे उसको करे।

वेदोदितं स्वरू कर्म नित्यं कुर्यादितन्द्रितः ।

तद्वि कुर्यान्नयाशक्ति प्राप्नोति परमांगतिम् ॥ १४ ॥

(१४) आलस्य त्याग वेदानुकूल कर्म करे। तथा वेदज्ञान
अनुसार कार्य करने से अवश्य मुक्ति लाभ करे।

न हेतार्थान्प्रमंगेन न विस्द्वेन कर्मणा ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्पर्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥

(१५) गीत वाद्य (गाना बजाना), अयोग्य तथा
अधिकारी को यज्ञ कराना, इन कर्मों द्वारा कालक्षेत्र न करे।
था जो मनुष्य पतित (अर्थात् अपने कर्ण से घर्म भ्रष्ट) हो
या है, उससे घनादि वस्तु ग्रहण न करे।

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

यतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा सनिवर्त्तयेत् ॥१६॥

(१६) इन्द्रिय-निग्रह (इन्द्रियों को बश) कर उनकी अतिशय आसक्ति को मन से बहिष्कृत कर दे ।

सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः ।

यथातथाध्यायेयंस्तु सा ह्यास्य कृतकृत्यता ॥१७॥

(१७) जिस धन द्वारा स्वाध्याय (वेदाध्ययन) में व्यतिक्रम हो उसका परित्याग कर दे । जिससे वेदाध्ययन में व्यतिक्रम न होवे ऐसी विधि से कार्य साधन करे ।

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च ।

वेपवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥

(१८) आयु, कर्म, धन, सुनी हुई बात, तीक्ष्ण भाषण तथा बुद्धि इन सब के अनुसार आचरणों से संसार में जीवित व्यतीत करे ।

बुद्धिवृद्धिकराण्येषां धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥१९॥

(१९) बुद्धि तथा धन की वृद्धि करने वाले वैदिक (वेदाङ्ग आदि) तथा निगम, शिल्पकारो, वैद्यक, शस्त्रविद्य (युद्ध विद्या), धर्मशास्त्र आदि विद्याओं का नित्य स्वाध्याय किया करे ।

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्यरोचते ॥२०॥

(२०) मनुष्य शास्त्र में जैसे २ परिश्रम तथा अभ्यास

करता है वैसे २ उसके अर्थ को समझता है और ज्ञान को लाभ करता है ।

ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा ।

ऋयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत् ॥२१॥

(२१) यथा शक्ति नित्यकर्म (अर्थात् पंचमहायज्ञ का त्याग न करे । पञ्च यज्ञ हैं—१-ऋषियज्ञ, २-देवयज्ञ, ३-भूतयज्ञ, ४-पितृयज्ञ, तथा ५ अतिथि यज्ञ ।

एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रनिदो जनाः ।

अर्नाहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुह्वति ॥२२॥

(२२) जो मनुष्य यज्ञ शास्त्र के ज्ञाता है परच उन यज्ञों के करने की इच्छा नहीं करते वे सर्वदा इन्द्रियों में हवन करते हैं ।

वाच्येके जुह्वति प्राणं प्राणै वाचं च सर्वदा ।

वाचि प्राणै च पश्यन्तो यज्ञनिवृत्तिमक्षयाम् ॥२३॥

(२३) जो मनुष्य वाणी से उपदेश कर, तथा प्राणा से परोपकार में परिश्रम कर इस अक्षय यज्ञ को सिद्ध करना चाहते हैं वह वाणी को प्राणों में हवन करते हैं ।

ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतैर्मखैः सदा ।

ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥२४॥

(२४) प्रत्येक कर्म का मूल 'ज्ञान' है अतएव बुद्धिमान पुरुष ज्ञान दृष्टि से देख इन यज्ञों (मर्या) का यजन (देवताओं की पूजा) करे ।

अग्निहोत्रं च जुहुः सदाद्यन्ते द्युनिशोः मदा ।

दर्शेन चार्धमासान्ते पार्ष्णमासेन चैव हि ॥२५॥

(२५) सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर हवन करना प्रचलित है । पौर्णमासी तथा अमावस्या पर भी हवन करना उचित है ।

सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्त्विन्ते द्विजांऽध्वरैः ।

पशुना त्वयनस्यादो समान्ते सौमिकैर्मखैः ॥ २६ ॥

(२६) नवीनान्न उतरन्न होने के समय नवसस्येष्टि से हवन करे फसल के अन्त में चातुर्मासिक यज्ञ, दोनों अयनों में पशु द्वारा हवन करे, तथा वर्ष के अन्त में सोमयोग करे ।

नानिष्टवा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्द्विजः ।

नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्त्रिजीत्रिपुः ॥ २७ ॥

(२७) जो अग्निहोत्री ब्राह्मण दीर्घायु की इच्छा रखता है वह नवीन अन्न जन तक उससे यज्ञ न कर ले तथा पशु मांस जन तक उससे यज्ञ न करले, दोनों का भोजन न करे ।

नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुहव्येन चाग्नयः ।

प्राणानेवाऽत्तुमिच्छन्ति नवान्नमिपगद्विनः ॥ २८ ॥

(२८) जो अग्नि नवीनान्न तथा पशु मांस से तृप्त नहीं होती है वह उस पुरुष के प्राण भक्षण करने की इच्छा करती है जो नवीनान्न और पशुमांस से यज्ञ न करके प्रथम आप भक्षण करने लगा है ।

आसनाशनशय्याभिरङ्गिर्मूलफलेन वा ।

नास्य कश्चिद्वमेद्गोहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥ २९ ॥

(२९) बैठने के हेतु आसन, खाने हेतु भोजन, सोने के हेतु शय्या, जल, फल, तथा मूल आदि से शक्तनुसार आतिथ्य पाये बिना किसी गृहस्थी के गृह पर कोई अतिथि न रहना चाहिये ।

पाखण्डिनो विरुर्मस्थावैन्दालव्रतिक्राञ्छठान् ।

हेतुक्रान्धकृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥३०॥

(३०) यदि पाखण्ड, गर्हित मास द्वारा उदर पोषण-
कर्त्ता, विडालवृत्तिक, स्वाध्याय न करने वाले, कुतर्का, यह सत्र
अतिथि काल में आजावे तो वाणी (पाक) मात्र से भी उनका
आतिथ्य न करे किन्तु भोजन अवश्य दे ।

वेदप्रियाव्रतस्नाताञ्श्रोत्रियान्गृहमेधिनः ।

पूजयेद्व्यव्ययेन विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ३१ ॥

(३१) गृहस्थ, वेद और वरुणों के आचरणी पुरुषों का
पूजन हवन करे और भोजन योग्य पदार्थों से आतिथ्य सत्कार
करे, यदि वेद विरुद्ध आचरण वृत्त कर्म हों तो उच्चरी पूजा न करे

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना ।

संविभागश्च भूतेभ्यः कर्तव्योऽनुपरोधतः ॥ ३२ ॥

(३२) जो ब्रह्मचारी वा सन्यासी आदि स्वयमशक्ती
नहीं है गृहस्थ अपने शक्त्यनुसार उनको भोजनादि दे तत्पश्चात्
वालको से जो अन्न जल वचे वह अन्य जीवा को दे ।

राजतो धनमन्विच्छेत्संसीदन्स्नातकः क्षुधा ।

याज्यान्तेनासिनोर्नापि न त्यन्यत इति स्थितिः ॥३३॥

(३३) यदि स्नातक गृहस्थ क्षुधा से अतीव पीड़ित हो
तो राजा, यजमान, विद्यार्थी इन सत्र से धन लेने अन्य से न
लेवे यह शास्त्रमर्यादा है ।

न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथंचन ।

न ज एमलवद्वासा भवेच्च विभवे सती ॥ ३४ ॥

(३४) जो गृहस्थ, स्नातकं तथा वैभव सम्पन्न हो वह लुधा से कभी भी आशक्त (दुखी हृदय) न हो । और शक्त रहते जीर्ण (पुराने) तथा मैले वस्त्र धारण करे ।

कलृप्तकेशनखरमश्रुदान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः ।

स्वाध्याय चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥३५॥

(३५) स्वाध्याय और शुभकर्मों में सदैव रत रहे तथा केश (सर के बाल), नख, डाढ़ी कटाकर छोटे रखे, श्वेत वस्त्र धारण करे, शुचि (पवित्र) रहे तथा आत्मा को इन्द्रियों के वशीभूत न होने दे वरन् इन्द्रियों को आत्मा का दास जाने ।

वैखर्वी धारयेद्यष्टि सोदकं च कमण्डलुम् ।

यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥ ३६ ॥

(३६) वेदाध्ययन के हेतु याँस की लाठी, जल से भरा कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा सोने के कुण्डलधारणार्थ सदैव अपने पास रखे ।

नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन ।

नांपसृष्टं च वारिस्थं न मध्यनभसो गतम् ॥३७॥

(३७) सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न तथा प्रहण समय सूर्य का प्रतिधिम्व जल में न देखे ।

न लङ्घयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षति ।

न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥३८॥

(३८) जल बरसते में न दौड़े, जल में निज रूप न देखे, बँध बछड़े की तन्त्री (रस्सी गरियावाँ वा जेवड़ा) की न लाँघे शास्त्र में ऐसा लखा है ।

मृदं गां दैवतं पित्रं घृतं मधु चतुष्पथम् ।

प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥३९॥

(३९) कहीं जाता हो और सन्मुख मिट्टी, गऊ, देवता प्राक्षण, घृत, मधु (शहद) चौराहा, प्रज्ञाता (जानी हुई) वनस्पति मिले तो उनकी प्रदक्षिणा करके जाय अथवा उनकी दाहिनी ओर करके जाये ।

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने ।

समानशयने चैव न शयीत तथा सह ॥ ४० ॥

(४०) यद्यपि अधिक कामातुर होवे तो भी रजोदर्शन वाली स्त्री से रति कदापि न करे तथा उसके वरानर शय्या पर स्त्री के सहित न सोवे ।

रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः ।

प्रज्ञा तेजोबलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥

(४१) जो पुरुष रजोदर्शन वाली स्त्री से भोग करता है उसकी बुद्धि, तेज बल, चक्षु तथा आयु यह सब क्षीण होजाते हैं तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम् ।

प्रज्ञा तेजो बलं चक्षु आयुश्चैव प्रमर्षते ॥ ४२ ॥

(४२) जो पुरुष रजोदर्शन वाली स्त्री से भोग नहीं करता है उसकी तेज, बल, चक्षु तथा आयु इन सब की वृद्धि होती है ।

नाशनीयाद्धार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाश्नतीम् ।

क्षुभतीं जृम्भमाणां वा न चासीनां यथामुखम् ॥४३॥

(४३) स्त्री के सहित एक पात्र में भोजन न करे, तथा स्त्री होने जम्भाई लेने, तथा सुख से बैठने की दशा में न देखे ।

नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम् ।

न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥४४॥

(४४) जो ब्राह्मण तेजवान होने की कामना रखते हैं वह स्त्री को सुरमा वा उवटनादि लगाते वा लग्न इथवा प्रसव-काल (बालक जनते) की दशा में न देखें ।

नान्नमघादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत् ।

न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥४५॥

(४५) एक वस्त्र धारण कर भोजन न करे, न्न हो स्नान न करे, पथ (रास्ता), भस्म तथा गोत्यान पर मूत्र न त्यागे ।

न फालकृष्टे न जले न चित्पां न च पर्वते ।

न जीर्णदेवापतने न वल्मीके कदाचन ॥४६॥

(४६) जुते खेत, जल, अग्नि, चित्ता, पर्वत देवताओं के जीर्ण (पुराने) मन्दिर, वल्मीक (छोटे २ कीड़ों द्वारा एहत्रित की हुई मिट्टी) इन सब पर भी कदापि मलमूत्र त्याग न करे ।

न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः ।

न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥४७॥

(४८) वायु, अग्नि, सूर्य, जल, ब्राह्मण, गऊ इन सबको देरते हुये भी मल वा मूत्र न त्यागे ।

विरस्कृत्योचरेत्काष्ठलोष्ठपत्रवृणादिना ।

नियम्य प्रयतो वाचं संधीताङ्गोऽयगुण्ठितः ॥४९॥

(४९) सूखे पत्रों, घास फूस, काष्ठ (काठ) आदि से पृथिवी को छुपाकर तथा शीश या अन्य अंगों को बस्त्रान्छादित (कपड़े से ढक) कर मीन धारण कर मल व मूत्र विसर्जन करे ।

मूत्रोचारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ।

दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्योश्च तथा दिवा ॥५०॥

(५०) दिवश, प्रातः तथा सायं को उत्तराभिमुख हो (उत्तर दिशा को मुख कर) तथा रात्रि को दक्षिणाभिमुख हो मल व मूत्र विसर्जन करे ।

द्यायायोमन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः ।

यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणराधाभयेषु च ॥५१॥

(५१) द्याया, अन्धकार (अँधेरे) प्राणवाया (प्राणों को कष्ट हो) तथा भय में रात्रि हो वा दिन जिस ओर मुख करने से सुख प्राप्त हो उस ओर ही मुह करके मल व मूत्र त्याग करे ।

प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् ।

प्रतिगां प्रतिचातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२॥

(५२) अग्नि, सूर्य, सोम, जल, ब्राह्मण, गऊ, वायु के प्रति मुख करके मल व मूत्र त्याग करने से प्रज्ञा (बुद्धि) नष्ट हो जाती है ।

(४३) स्त्री के सहित एक पात्र में भोजन न करे, तथा स्त्री के जम्भाई लेने, तथा सुरा से बैठने की दशा में न देखे ।

नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम् ।

न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥४४॥

(४४) जो ब्राह्मण तेजवान होने की कामना रखते हैं वह स्त्री को सुरमा या उवटनादि लगाते या लग्न अथवा प्रसवकाल (बालक जनते) की दशा में न देखें ।

नान्नमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत् ।

न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥४५॥

(४५) एक वस्त्र धारण कर भोजन न करे, नग्न हो स्नान न करे, पथ (रास्ता), भस्म तथा गोस्थान पर मूत्र न त्यागे ।

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते ।

न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥४६॥

(४६) जुते खेत, जल, अग्नि, चिना, पर्वत देवताओं के जीर्ण (पुराने) मन्दिर, वल्मीक (छोटे २ कीड़ों द्वारा एफ्रित की हुई मिट्टी) इन सब पर भी कदापि मलमूत्र त्याग न करे ।

न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः ।

न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥४७॥

(४७) सड़े होकर, चलते हुये, उस गढ़े में जिसमें जीव रहते हैं, नदीतट तथा पर्वत की चोटी पर भी मलमूत्र न करे ।

वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः ।

न कदाचन कुर्वीत विण्मूत्रस्य विसर्जनम् ॥४८॥

(४८) वायु, अग्नि, सूर्य, जल, ब्राह्मण, गऊ इन सबको देरते हुये भी मल वा मूत्र न त्यागे ।

तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्टपत्रतृणादिना ।

नियम्य प्रयतो वाचं सर्वात्ताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥४९॥

(४९) सूखे पत्ते, घास फूस, काष्ठ (काठ) आदि से पृथिवी को छुपाने तथा शीश या अन्य अंगों को बस्त्रान्द्धादित (फपडे से ढक) कर मौन धारण कर मल व मूत्र विसर्जन करे ।

मूत्रोच्चारसमुत्सर्गं दिवा कुर्यादुदङ्मुखः ।

दक्षिणाभिमुखो रात्रौ सध्यपोथ तथा दिवा ॥५०॥

(५०) दिवश, प्रातः तथा सायं को उत्तराभिमुख हो (उत्तर दिशा को मुख कर) तथा रात्रि को दक्षिणाभिमुख हो मल व मूत्र विसर्जन करे ।

झायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः ।

यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणवाधाभयेषु च ॥५१॥

(५१) झाया, अन्धकार (अंधेरे) प्राणवाधा (प्राणों को कष्ट हो) तथा भय में रात्रि हो वा दिन जिस ओर मुख करने से सुख प्राप्त हो उस ओर ही मुह करके मल व मूत्र त्याग करे ।

प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदक्रुद्विजान् ।

प्रतिगा प्रतिवात च प्रज्ञा नश्यति मेहवः ॥५२॥

(५२) अग्नि, सूर्य, सोम, जल, ब्राह्मण, गऊ, वायु के प्रति मुख करके मल व मूत्र त्याग करने से प्रज्ञा (बुद्धि) नष्ट हो जाती है ।

नाग्निं मुखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च स्त्रियम् ।

नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत् ॥ ५३ ॥

(५३) ❀ अग्नि को मुख से न फूँकना, अग्नि में अपवित्र वस्तु न डालना, अग्नि में पाँव को न तपाना तथा जग्न स्त्री को न देखना चाहिये ।

अधस्तान्नोपदध्याच्च न चैनमभिलंघयेत् ।

न चैनं पादतः कुर्यान्नप्राणवधमाचरेत् । ५४ ।

(५४) अग्नि को शय्या (चारपाई) के नीचे न रखे, अग्नि न लाधे, अग्नि को पाँव से स्पर्श न करे तथा प्राणों को फट न दे ।

नाशनीयात्संधिवेलायां न गच्छन्नापि संविशेत् ।

न चैव प्रलिखेद्भूमिं नात्मनोपहरेत्सजम् । ५५ ।

(५५) संधि वेला (प्रातः तथा सायं) में भोजन न करे, न चले, तथा न सोवे, भूमि पर रेखायें (लंकीरे) न खींचे तथा जो फूलमाला अपने शरीर से धारण किये हो उसे आप न उतारे अन्य से उतरवा ले ।

नाप्सु मूत्रपुरीषं वा ष्ठीवनं न समुत्सृजेत् ।

अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विपाणि वा । ५६ ।

(५६) मल, मूत्र, सस्यार (थूँक) अपवित्र वस्तु रुधिर, तथा विष इन सब को जल में विसर्जित वा प्रवाहित न करे ।

नैकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत् ।

नोदकययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चाऽवृतः । ५७ ।

❀ अग्नि को मुख से फूँकने से शिरोवेदना और अपवित्र वस्तुयें जलाने से वायु दूषित हो जाती है ।

(५७) शून्य गृह में एकाकी न सोवे, अपने से विद्यादि में उच्च व श्रेष्ठपुरुष यदि सोचा हो तो न जगाचे मासिक धर्म वाली स्त्री से सम्भाषण न करे तथा बिना निमन्त्रण पाये यज्ञ में न जावे ।

श्रग्न्यागारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सन्निधौ ।

स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुदरेत् । ५८ ।

(५८) अग्निगृह, गोस्थान (सार), ब्राह्मण के समीप स्वाध्याय में तथा भोजन में दाहिना हाथ निकालना चाहिये ।

न वारयेद्गवां धावन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित् ।

न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद्दर्शयेद्बुधः । ५९ ।

(५९) दुग्ध वा जल पीती हुई गऊ को कैसे भी न हटावे, श्रीर इन्द्र धनुष के दर्शन कर किसी को न दिखावे ।

नाधार्मिके वसेद्ग्रामे नव्याधिग्रहोले भृशम् ।

नैकः प्रपद्ये ताध्वानं न चिरं पर्यते चरेत् । ६० ।

(६०) अधर्मा ग्राम (जो गौध धर्म रहित हो) में न बसे तथा व्याधिग्रस्त ग्राम (गौध) में भी न रहे, एकाकी परिभ्रमण न करे (राह न चले), चिरकाल पर्यन्त पर्यत पर न बसे ।

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते ।

न पाखण्डिगणाक्रांतिं नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः । ६१ ।

(६१) जिस गौध में शूद्र का राज्य हो वा ग्राम अधर्मा पाखण्डी, चाण्डाल मनुष्य के उपद्रव द्वारा पीड़ित हो उसमें न रहे

न सुञ्जीतोद्भृतस्नेहं नातिसौहित्यमाचरेत् ।

नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः । ६२ ।

(६२) जिस वस्तु से तेल निकाल लिया गया हो उसे भक्षण न करे, प्रातःकाल व सन्ध्या समय भोजन न करे, तथा यदि प्रातः समय अधिक भोजन कर लिया हो तो सायंकाल को भोजन न करे ।

न कुर्वात वृथा चेष्टां न वार्यञ्जलिना पिबेत् ।

नोत्संगे भक्षयेद्भक्ष्यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥६३॥

(६३) जिस प्रकार से इहलोक तथा परलोक में कुछ लाभ न हो उसको न करे, अञ्जलि (चुल्हू) जल न पीवे, जाँघ पर लड्डू आदि रख कर भक्षण न करे, तथा बिना अभिप्राय किसी भेद के जानने की चेष्टा न करे ।

न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत् ।

नास्फोटयेन्न च च्वेडेन्न च रक्तो विरावयेत् ॥६४॥

(६४) नृत्य, गीत, वाद्य, ताली, ठोकना, कटकटाना, हास्य, गधा आदि के स्वर की प्रतिध्वनि (बोली बोलना) इन सब कार्यों से घृणा करे ।

न पादौ धावयेत्कास्ये कदाचिदपि भोजने ।

न भिन्नभाण्डे भुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥६५॥

(६५) काँसी के पात्र में पाँच कदापि न धोवे, दूटे हुये या दूषित पात्र में जिससे चित्त रिन्न होता हो वा अनिच्छा हो भोजन न करे ।

उपानही वासश्च धृतमन्यैर्न धारयेत् ।

उपवीतमलंकारं स्रजं करकमेव च ॥६६॥

(६६) जूता, छतरी, उपवीत (जनेऊ), आभूषण

फूल माला, कमण्डलु, वस्त्र इन सब को यदि किसी ने धारण किया हो तो आप धारण न करे ।

नाविनीर्तत्र जेद्यु र्येनचक्षुद्व्याधिपीडितैः ।

न भिन्नशृङ्गाक्षिपुरैर्न बालधिविरूपितैः ॥६७॥

(६७) जिस रथ में ऐसा बैल जुता हो जिसे रथ में न सिखाया गया हो वा लुधा पीडित, व्यासा, रोगी व जिसके सींग, आँसू, खुर तथा पूँछ खण्डित होगय हा ऐसे रथ पर न बैठे ।

विनीतैस्तु ब्रजेन्नित्यमाशुगैर्लक्ष्यान्वितैः ।

वर्णरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्भृशम् ॥६८॥

(६८) जिस रथ में ऐसे बैल जुते हों जिनको रथ में चलना सिखाया गया हो तथा लक्षण, रूप रङ्ग जिसका उत्तम हो उस रथ पर चढे परन्तु बैलों को पैने से न मारे ।

बालातपः प्रेतधूमो वर्ज्यं भिन्नं तथासनम् ।

न छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तैर्नोत्पाटयेन्नखान् ॥६९॥

(६९) प्रातः समय तीन घड़ी पर्यन्त सूर्य की घूप, जलते शय का धुआँ, दूटा आसन इन सब से दूर (विलग) रहे, लोम तथा नख न नोचे । तथा नखों को दाँतों से न काटे ।

न मृन्लोष्ठं च मृद्नीयान्न छिन्द्यात्करजैस्तृणम् ।

न कर्मनिष्फल कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम् ॥७०॥

(७०) मिट्टी तथा ढेले को मर्दन न करे, नख से तृण (तिनका) न तोड़े, व्यर्थ तथा निष्फल कार्य न करे, तथा जिस कार्य के करने से सुख न होवे उस कार्य को न करे ।

लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ।

स विनाश ब्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥७१॥

(७१) डेला मर्दन करने वाला, वृण तोड़ने वाला, दाँतों से नख काटने वाला, अपवित्र रहने वाला, चुगली करने वाला शीघ्र नाश हो जाता है क्योंकि यह सब दशार्थे चिन्ता तथा अधर्म की हैं ।

न विगर्हकथां कुर्याद्विहिर्माल्यं न धारयेत् ।

गरां च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगर्हितम् ॥७२॥

(७२) लोकरीति वा वेदरीति में चित्त लगा कर कथा वार्ता न कहे, बालों में माला न धारण करे, बैल की पीठ पर चढ़कर न चले, यह सब कार्य वर्जित हैं ।

अद्वारेण च नातीयाद्ग्रामं वा वेश्म वावृतम् ।

रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत् ॥७३॥

(७३) गाँव वा घर यह दोनों, चारों ओर से घिरे हुए होंगे तो द्वार छोड़ और ओर से लॉव (फाँद) कर उसके भीतर न जावे तथा रात्रि समय वृक्ष की जड़ में न रहे ।

नाच्चैः क्रीडेत्कदाचित्तु स्नयं नोपानहो हरेत् ।

शायनस्थो न भुञ्जीत न पाण्यस्थं न चासनो ॥७४॥

(७४) पाँसा न खेले, अपना जूता पाँवों के अतिरिक्त हाथों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जावे, शय्या पर बैठकर और अधिक अन्न को हाथ में ग्रहण कर उसमें से थोड़ा २ निकाल कर तथा आसन पर भोजन पात्र को रखकर भोजन न करे ।

सर्वत्र तिलसंबद्धं नाद्यावस्तमिते रंवी ।

न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः कचिद्ब्रजेत् ॥७५॥

(७५) रात्रि में तिलमिश्रित वस्तु न खावे, नग्न न सोवे
जूठे सुँह कहीं न जाये ।

आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत् ।

आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घामायुरवाप्नुयात् ॥७६॥

(७६) गीले पाँव करके भोजन करना उत्तम है परन्तु
गीले पाँव सोना वर्जित है । जो मनुष्य पाँव धोकर भोजन करता
है वह दीर्घजीवी होता है ।

अचक्षुषिणा दुर्गं न प्रपद्येत कर्हिचित् ।

न निरमृत्प्रमुपोक्षेत न वाहुभ्यां नदीं तरेत् ॥७७॥

(७७) ❀ जो देश आँखा से नहीं देखा वा जिस देश
में मृत्युभय है उस देश व स्थान पर कभी न जाये, तथा अपने
मल व मूत्र को न देखे तथा नदी को वाहुआ (हाथों) से
न तरे ।

अधितिष्ठेन्न रेशास्तु न भस्मास्थिकपालिकाः ।

न कार्पासास्थि न तुपान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥७८॥

(७८) दीर्घायु का इच्छुक पुरुष बाल, रास, हड्डी मिट्टी
के छिन्न पात्रा के टुकड़े, विनौले तथा भूसे पर खड़ा न रहे ।

न सवसेच पतितैर्न चण्डालैर्न पुण्ड्रकैः ।

न मूर्खान्वावलिप्तैश्च नान्त्येर्नान्त्यावसायिभिः ॥७९॥

(७९) दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चाण्डाल,

❀ ७७ वाँ श्लोक सम्मिलित किया गया है, इससे दूसरे देशों में
जाना वर्जित है क्योंकि एक बार जाये बिना कोई आँखों
द्वारा नहीं देख सकता ।

पुत्रकस, धनगर्वित, मूर्खं धोवो, आदि तथा अन्यावसायी हों उनके ससर्गं (साथ) में एक वृत्त की छाया में न रहे ।

न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥८०॥

(८०) शूद्रा को निज सम्पत्ति न दे, दासके अतिरिक्त अन्य शूद्र को जूठा अन्न न दे, जो हव्य हवन करने पश्चात् शेष रहा है वह शूद्र को न दे तथा धर्म य व्रत का उपदेश शूद्र को न दे ।

(८१) × जो पुरुष शूद्र को धर्म तथा व्रतोपदेश करता है वह उस शूद्र सहित असंवृत नाम नरक को प्राप्त होता है ।

यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम् ।

सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव मञ्जति ॥८१॥

(८२) बद्ध करां से शिर न खुजलाये, न जूठे हाथों से शिर स्पर्श करे तथा शिर को छोड़ कण्ठ से स्नान न करे अर्थात् शिर से पाँच पर्यन्त स्नान करे ।

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्ठद्वयेदात्मनः शिरः ।

न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः ॥८२॥

(८२) क्रोधवश अपने य दूसरे के शिर में न मारे, केश (बालों को) न रसींचे, यदि शिर में तेल लगा स्नान करे तो अन्य अंगों में तेल न लगावे ।

केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत् ।

शिरःस्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृशेत् ॥८३॥

× ८१ वां श्लोक पौराणिक काल में सम्मिलित किया गया है जब शूद्रोंको विद्याध्ययन वर्जित कर उनके धर्मोपदेशसेविलग्नरत्ननाथा

(८३) क्रोधवश अपने व दूरे के सिर में न मारे, केश (वालों को) न रींचे, यदि शिर में तेल लगा स्नान करे तो अन्य अंगों में तेल न लगावे ।

न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितुः ।

सूनाचक्रध्वजवर्ता वेश्येनैव च जीयताम् ॥८४॥

(८४) जो राजा क्षत्रिय न हो तथा कसाई, तेली, कलाल या ऐसे स्त्री पुरुष जो वेश्या बन कर जीवन व्यतीत करते हों, इनसे ब्राह्मण दान न लेवे ।

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।

दशध्वजसमो वेश्या दशवेश्यसमो नृपः ॥ ८५ ॥

(८५) दश सूना (कसाई) के समान तेली, दश चक्र (तेली) के समान कलाल, दश ध्वज (कलाल) के समान वेश्या तथा दश वेश्याओं के समान राजा है ।

दश सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः ।

तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥८६॥

(८६) जो 'सौनिक' (कसाई) अपने अर्थ दशसहस्र जीव हनन करता है उसके तुल्य वह राजा है इस राजा का प्रति-ग्रह घोर (सख्त) है ।

यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्पोच्छास्त्रवर्तिनः ।

स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥ ८७ ॥

(८७) जो राजा लोभी व शास्त्र प्रतिकूल आचरण वाला है उससे जो कोई दान ग्रहण करता है वह यथाक्रम २१ प्रकार के नरकों (जो आगे कहेंगे) में जाता है ।

जो उपाकर्म किया हो उसको माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्वाह्न काल (दोपहर से प्रथम) उत्सर्जन करे ।

यथाशास्त्रं तु कृत्वैवमुत्सर्गं छन्दसां वहिः ।

विरमेत्यक्षणीं रात्रिं तदेवैकमहर्निशम् ॥ ६७ ॥

(६७) साढे चार मास पर्यन्त वेदपाठ करना इस कारण लिखा है कि वर्षा के कारण अन्य कार्य नहीं हो सकते हैं । उन दिनों में केवल वेद पाठ ही करना चाहिये, अन्यथा अन्य कार्य यथाविधि करने चाहिये ।

अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत् ।

वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ ६८ ॥

(६८) तत्पश्चात् शुक्लपक्ष में वेद तथा कृष्ण पक्ष में शास्त्रों का पाठ करे ।

नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ ।

न निशति परिश्रान्तो ब्रह्माधीन्य पुनः स्वपेत् ॥ ६९ ॥

(६९) पाठ में स्पष्ट शब्द और श्वर सहित पढ़े, शूद्र के समीप पाठ न करे और यदि रात्रि के चौथे पहर में वेदपाठ से श्रमित हो जावे तो सोवे नहीं ।

यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् ।

ब्रह्मछन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तोऽहनापेदि ॥ १०० ॥

(१००) यथोक्त विधि से नित्य वेदके दोनों भाग अर्थात् छन्द और ब्राह्मण का पाठ करे ।

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानि विवर्जयेत् ।

अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥ १०१ ॥

(१०१) आगे जो अनध्याय रहेंगे उनमें गुरु व शिष्य दोनों वेद पाठ न करें तथा वेद न पढ़ावें ।

कर्णाश्रमेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुममृदने ।

एतो वर्षास्वनध्यायानध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१०२॥

(१०२) रात्रि के समय कान में वायु सनसनाती हो वा दिन में धूल गड़ती हो तो वर्षा ऋतु में उसी दिन अनध्याय जाने, ऐसा अनध्याय ज्ञाताओं ने कहा है ।

विद्युत्स्तनितवपेषु महोष्कानां च संप्लवे ।

आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरत्रयीत् । १०३ ।

(१०३) विद्युत् (बिजली) का चमकना, गरजना, वर्षा होने में बिजली का दूटना ऐसे समय में दूसरे दिवस उसी समय तक अनध्याय है ।

एतांस्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादुष्कृताग्निषु ।

तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाभ्रदर्शने । १०४ ।

(१०४) विद्युत् (बिजली) का चमकना, गरजना, जल-वर्षा यह यदि तीनों सन्ध्या के समय हों तो वर्षा ऋतु में अनध्याय जानना । परन्तु सदैव अनध्याय न जाने क्योंकि वर्षा ऋतु में तो यह सब होते ही हैं । और यदि अन्य ऋतु में मेघ दिखाई दें तो भी अनध्याय समझें ।

निर्घाति भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने ।

एतनाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावपि । १०५ ।

(१०५) आकारा में उत्पात का शब्द हो, भूचाल, चन्द्रमा, सूर्य व नक्षत्रों का उपद्रव हो यह सब जिस समय हों दूसरे दिवस उसी समय तक अनध्याय जाने

प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युत्स्तनित निःस्वने ।

सज्योतिःस्यादनध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा ॥१०६॥

(१०६) प्रातःकाल के हवन के अर्थ काष्ठ के सघर्षण से अग्नि उत्पन्न होने के समय विजली का चमकना तथा मेघ-गर्जन हो परन्तु वर्षा न होवे तो केवल दिवस भर अनध्याय समझे । यदि यही तीनों बातें सन्ध्या हवन समय हो तो केवल रात्रि भर अनध्याय समझे ।

नित्यानध्याय एव स्याद्ग्रामेषु नगरे च ।

धर्मेनैषुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ॥१०७॥

(१०७) जो पुरुष धर्म की पूर्ण कामना रखता हो वह चाहे ग्राम हो या नगर हो जिस समय दुर्गन्धि फैली हो उस समय अनध्याय करावें ।

अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधौ ।

अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥१०८॥

(१०८) जब तक गाँव में शव पड़ा रहे तब तक अधर्मी के समीप, रोदन सनय, तथा अन्य कार्याय जन समुदाय में अनध्याय जाने ।

उदके मध्यरात्रौ च विण्मूत्रस्य विसर्जने ।

उच्छिष्टः श्राद्धभुक्चैव मनसापि न चिन्तयेत् ॥१०९॥

(१०९) जल में, अर्द्ध रात्रि में, मल व मूत्र विसर्जन करते समय चित्त में भी वेद का ध्यान न लावे, जूठे मुँह तथा श्राद्ध भोजन करके स्त्री स्थाध्याय न करे ।

प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्दिष्टस्य जेतनम् ।

श्र्यहं न कीर्तयेद्ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥११०॥

(११०) + एकोदिष्ट भ्रातृ का निमन्त्रण, ग्रहण करके
[नमस्त्रित दिवस से तीन दिवस पूर्वन्त वेद पाठ न करे। तथा
राजा के सूतक म व चन्द्र सूर्य्य ग्रहण म भी वेद पाठ न करे।

यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति ।

विप्रस्य विदुषो देहे तावद्गृह्य न कीर्तयेत् ॥१११॥

(१११) जब तक एकोदिष्ट भ्रातृ का गन्धलेप शरीर म
रहे तब तक वेद पाठ न करे।

शयानः प्रोढपादश्च कृत्वा चैवावमक्थिकाम् ।

नाधीयीतामिषं जगध्या सूतकान्नद्यमेव च ॥११२॥

(११२) × साँस व सूतक या अन्न, दोनों में से किसी
एक का अन्न, भोजन करके सोते हुए, आसन पर पाँव रखे तथा
दोनों दिहनों (घुट्टू) को नीचे किये हुये वेदपाठ करे।

नीहारे वाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः ।

अमावास्याचतुर्दश्योः पौर्णमास्यष्टकामु च ॥११३॥

(११३) इहारा पढ़ते समय वाण शब्द, दोनों संध्या,
अमावस्या, चतुर्दशी, पौर्णमासी, अशुक्ली, इत सत्र में स्वाध्याय
(वेदपाठ) न करे।

अभावास्या गुरु हन्ति शिष्य हन्ति चतुर्दशी ।

ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यो तस्मात्ताः परिवर्जयेत् ॥११४॥

+ एकादिष्ट भ्रातृ को ऐसा गृहित बतलाया गया है कि
जसकी गन्धमात्र शरीर में आने से वेदपाठ का अधिकार नहीं है।

× साँस, भस्मी को वेदपाठ का अधिकार नहीं है अत
साँस भक्षण का निषेध नाव होता है।

(११४) अमावस्या गुरु को, चतुर्दशी शिष्य को, अष्टमी व पूर्णमासी वेद को नाश करती है, इस कारण इन दिवसों में वेद पाठ न करे ।

पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा ।

श्वखरोष्ट्रे च रुवति पङ्क्तौ च न पठेद्द्विजः ।११५।

(११५) जिस समय धूल उड़ती हो, किसी ओर अग्नि लगी हो, सियारनी व कुत्ता व गधा व ऊँट ये सब रोने का सा शब्द करते हों तथा पंक्ति में वेदपाठ न करे ।

नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोत्रजेपि वा ।

वासित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ।११६।

(११६) श्मशान (भरघट) गोशाला, ग्राम समीप तथा मैथुन समय के वस्त्र धारण किये हुए श्राद्ध का अन्न ग्रहण करके वेदपाठ न करे ।

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किञ्चिच्छ्राद्धिक भवेत् ।

तदालभ्याप्यनध्यायः पाणयास्यो हि द्विजःस्मृतः ।११७।

(११७) श्राद्ध की वस्तु प्राणी हो अथवा जड़ हो इनको ग्रहण करने के पश्चात् वेदपाठ न करे, क्योंकि ब्राह्मण उसका मूल व हाथ है ।

चौरैरुपप्लुते ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते ।

आकालिक्रमनध्यायं विद्यात्सर्वान्द्रुतेषु च ।११८।

(११८) जिस ग्राम में चोरी अधिक होती हो उसमें, अग्निदाह में, अद्भुत कर्म के देखने में उस समय से दूसरे दिवस से उसी समय तक अनध्याय जाने ।

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षेपणं स्मृतम् ।

अष्टकोसु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥११६॥

(११६) उपाकरण (उपाकर्म) व उत्सर्ग में तथा त्रिरात्र अष्ट का में एक रात्रि अनध्याय करना चाहिये ।

नाधोपीताश्वमारूढो न वृत्त्वं न च हस्तिनम् ।

न नाव न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥१२०॥

(१२०) अश्व (घोड़ा), वृत्त्वं, हस्ति (हाथी), नाव, गधा, ऊँट, ऊसर भूमि, यान (सवारी) इन पर बैठ कर वेद-पाठ न करे ।

न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे ।

न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न वमित्वा न सूतके ॥१२१॥

(१२१) विवाद में, कलह में, सेना के संग्राम में, अजीर्ण में, वमन में, सूतक में, इन सब में भी अनध्याय जानना, तथा भोजन करने के पश्चात् भी वेद पाठ न करना ।

अतिथि चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम् ।

रुधिरे च स्रुते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते ॥१२२॥

(१२२) अति वायु के चलने में, शरीर से रुधिर निकलने में, शस्त्र से क्षत (घाव) हो जाने में, अतिथि की अनाज्ञा व अरुचि में भी अनध्याय करे ।

सामध्वनाशृग्धजुषी नाधीयीत कदाचन ।

वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यक्रमधीत्य च ॥१२३॥

(१२३) सामवेद को सुनकर अग्नेद व अजुर्वेद को न पढ़े वेद का अन्त और अनेक प्रकारण इन तीनों में से किसी को पढ़ कर अनध्याय करे ।

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः ।

अधामिकं तस्करं च परस्यैव च योषितम् ॥१३३॥

(१३३) शत्रु, शत्रु का मित्र, अधर्मी, चोर, परस्त्री इन सब के संग में न रहे ।

न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते ।

यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ १३४॥

(१३४) परस्त्री से सम्भोग करने के सदृश्य (समान) संसार में कोई भी वस्तु आयु क्षीण करने वाली नहीं है ।

क्षत्रियं चैव सर्पच ब्राह्मणां च बहुश्रुतम् ।

नावमन्येत नै भृशुः कृशानपि कदाचन ॥१३५॥

(१३५) जो पुरुष सन वस्तुओं में उन्नति पाने के इच्छुक हों वह क्षत्रिय, साँप तथा विद्वान् ब्राह्मण यद्यपि बूढ़े तथा कृश भी हों तो भी अनादर न करे ।

एतत्त्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितम् ।

तस्मादेतत्त्रयं नित्यां नावमन्येत बुद्धिमान् ॥१३६॥

(१३६) यह तीनों अनादर होने से नाश करते हैं । इस कारण बुद्धिमान पुरुष इन तीनों का अनादर न करे ।

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।

आमृत्योःश्रियर्मान्यच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥१३७॥

(१३७) दरिद्रता (कद्वाली) में अपनी अथवा मानना अथवा हेतना न करे । मृत्यु पर्यन्त धन की कामना रखे व धन प्राप्ति दुर्लभ न जाने ।

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेप धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥

(१३८) सत्य और मित्र भाषण करे यदि सत्य हो किन्तु झूठ हो तो न कहे, तथा यदि प्रिय हो परन्तु असत्य हो तो भी न कहे यह नित्य का धर्म है ।

भद्र भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत् ।

शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्संह ॥ १३९ ॥

(१३९) अभद्र को भी भद्र (अच्छा) कहना चाहिये, किसी से निरर्थक शत्रुता व विवाद न करे ।

नातिकल्पं नातिसार्यं नातिमध्यांदिने स्पिते ।

नाज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषलैः सह ॥ १४० ॥

(१४०) अतिः प्रातः अति संध्या, अति दोपहर (मध्य-दिन) के समय अज्ञानपुरुष और शूद्र के साथ एकाकी कहीं न जाये ।

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोधिकान् ।

रूपद्रव्यविहीनाश्च जातिहीनाश्च नाचिपेत् ॥ १४१ ॥

(१४१) अङ्गहीन, अतिरिक्त (अधिक) अङ्ग वाला मूर्ख, कुरूप, नीच जाति, अल्प द्रव्य वाला इनको फूट भाषण न करे अर्थात् काने को काना न कहे ।

न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणानलान् ।

न चापि पश्येदशुचिः सुस्थो ज्योतिर्गणान्दिवि ॥ १४२ ॥

(१४२) जूठे मुख ब्राह्मणों अपने हाथों से ब्राह्मण, गऊ अग्नि को स्पर्श न करे तथा अपवित्र व अस्वस्थ हो, तो वह ब्राह्मण चन्द्र, सूर्य व नक्षत्रों को देखे ।

स्पृष्टवैतानशुचिर्नित्यमद्भिः प्राणानुपस्पृशेत् ।

गात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥१४३॥

(१४३) जिनको छूना वर्जित है यदि उनको स्पर्श करे तो हाथ में जल लेकर उस जल से प्राण (नाक), कर्णादि इन्द्रियों व सर्व शरीर को स्पर्श करे तथा नाभि का पाणि (हथेली) से छुये ।

अनातुरः स्नानि स्वानि न स्पृशेदनिमित्तकः ।

रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥१४४॥

(१४४) अनातुर, बिना आवश्यकता अपनी इन्द्रियों को स्पर्श न करे तथा गुप्त स्थान (अर्थात् नॉस मलमूत्र स्थान) के रोम (बाल) भी स्पर्श न करे ।

मङ्गलाचारयुक्तः स्पात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः ।

जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमग्निमतन्द्रितः ॥१४५॥

(१४५) मङ्गलाचार युक्त बाह्यभ्यन्तर पवित्रता सहित जितेन्द्रिय हो जप वा हवन करे, आलस्य न करे ।

मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम् ।

जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥१४६॥

(१४६) जो मनुष्य यह सब कर्म करता है, वह शास्त्रे चरित्यानुसार चलता है, उसको देवता अन्य मनुष्य कुछ हानि नहीं पहुँचा सकते ।

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः ।

तं ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥१४७॥

(१४७) आलस्य परित्याग कर यथाकाल नित्य वेद का पाठादि करे यह परम धर्म है, शेष सब उपधर्म हैं ।

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च ।

श्रद्धोद्देष्टव्यं च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥१४८॥

(१४८) नित्य वेदाभ्यास, पवित्रता, तप, जीवों पर दया पक्ष सब कार्य करने से पूर्वजन्म (अगले जन्म) को जाति स्मरण (याद) होती है ।

पौर्विकीं संस्मरज्जातिं ब्रह्मेषाम्यसते पुनः ।

ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥१४९॥

(१४९) पूर्व जन्म को जाति को स्मरण करता हुआ वेदाभ्यास ही करता रहे । वेदाभ्यास द्वारा सर्वैव सुख प्राप्त होता है ।

सावित्राञ्जान्निहोमांश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः ।

पितृंश्चैवाष्टकास्वर्चे नित्यमन्वष्टकासु च ॥१५०॥

(१५०) पर्व में नित्य गायत्री देवता का हवन और अरिष्ट, त्रास के निमित्त शान्ति हवन करे । अष्ट का अन्यष्ट का में पितों की नित्य पूजा करे ।

दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम् ।

उच्छिष्टान्ननिपेकं च दूरादेव समाचरेत् ॥१५१॥

(१५१) अग्नि, फे गृह से दूर देश में, मूत्र, पादप्रक्षालन, जूठा अन्न, बर्बाद इन सब को त्याग करे ।

मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनमञ्जनम् ।

पूर्वाह्ण एव कुर्यात् देवतानां च पूजनम् ॥१५२॥

(१५२) विष्टावाग (अर्थात् आच, यकृताओं की निवृत्ति) श्रेयकारादि, स्नान, दातन, अंजन, देवता का पूजन इन सब कामों को दोपहर (मध्याह्न) से प्रथम करना चाहिये ।

द्वैतान्यभिगच्छेत्तु धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान् ।

ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरुनेव च परिसु । १५३ ।

(१५३) रक्षार्थं देवता, धार्मिक, ब्राह्मण, गुरु, राजा इन सबका दर्शन पर्यं में करे ।

अभिवादनयद्बृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वरुम् ।

कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् । १५४ ।

(१५४) यदि कोई बृद्ध अपने गृह पर आवे तो उसका अभिवादन करे और बैठने के हेतु आसन देवे तथा सासने पर बद्ध सड़े रहे, जब वह चलने लगे तब आप भी पीछे होकर चले

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्निबद्धं स्वेषु कर्मसु ।

धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः । १५५ ।

(१५५) वेद शास्त्रानुकूल जो उत्तम पुरुषों का समाचार है वह धर्म का मूल है, आलस्य परित्याग कर उसी आचार पर सदैव चले ।

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षयमाचारो हन्त्यलक्षणम् । १५६ ।

(१५६) आयु, उत्तम सन्तर्दि, अक्षय धन यह सब आचार द्वारा सदा प्राप्त होते हैं । तथा शरीर में जो अक्षयगुण दोष देने वाले होते हैं, आचार उनको नाश कर देता है ।

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽज्यापुरेव च । १५७ ।

(१७५) दुराचारो मनुष्य ससार में अपयश प्राप्त

प्रौर सदैव दुःख तथा व्याधि प्रसित रहने के कारण अल्प
नीचि त रहता है ।

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ।

श्रद्धधानोऽनमूयश्च शतं वर्षाणि जीवति । १५८ ।

(१५८) जिसमें कोई लक्षण नहीं है, जो किसी का
अप्रिय नहीं करता, तथा श्रद्धावान् और उत्तम पुरुषों की नाईं
सदाचारो है वह सौ वर्ष जीता है ।

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्सेवेत यत्नतः । १५९ ।

(१५९) जो कर्म परवश है उसका परित्याग तथा
स्ववश कर्म का यत्न सहित सेवन करे ।

सर्वं परवशं दुःख सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं मुखदुःखयोः । १६० ।

(१६०) जो कर्म परवश है वह दुःख है और जो कर्म
स्ववश है वह सुख है । यह सुख दुःख का लक्षण है ।

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ।

तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् । १६१ ।

(१६१) जिस कर्म करने से अन्तरात्मा को परितोष हो
उसको सप्रयत्न करे जो इसके विपरीत हो उसका त्याग करे ।

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।

न हिंस्याद्ब्राह्मणान्गाथ सर्वाथैव तपस्विनः । १६२ ।

(१६२) + आचार्य, वेदज्ञानदाता, पिता, माता, गुरु,
ब्राह्मण, गऊ, तपस्वी इनमें से किसी को न मारे ।

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृङ्गतः ।

दुःखं मुमहदाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥१६७॥

(१६७) युद्ध न करने वाले ब्राह्मण के शरीर से जो रुधिर पात करता है वह अपनी अज्ञानता के कारण परलोक में बड़ा दुःख भोगता है ।

शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति मदीतलात् ।

तावतोऽद्धानमुत्रान्यैः शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥१६८॥

(१६८) युद्ध न करने वाले ब्राह्मण के शरीर से शस्त्र द्वारा रुधिर पात करने वाला परलोक में महादुखी होता है । और उस रुधिर से भूमि के जितने कण भीग जाते हैं उतने ही वर्ष पर्यन्त परलोक में वह रुधिर पात करने वाला कुत्ता, सियार आदि से भोजन किया जाता है ।

न कदाचिद्द्विजे तस्माद्विद्वनवगुरेदपि ।

न ताडयेत्तृणैनापि न गात्रात्स्त्रावयेदसृक् ॥ १६९ ॥

(१६९) अतएव बुद्धिमान् पुरुष ब्राह्मण के ताडनार्थ कभी भी शस्त्र न उठावे । दण्ड न तृणमात्र से भी न मारे और न शरीर से रुधिर बहावे ।

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहऽसौ सुखमेधते ॥ १७० ॥

(१७०) जो अधर्मी, अनृत, अपवित्र व अनुचित रीत्यो-पाजित धन वाले, तथा हिंसक है वह इस लोक में सुख नहीं पाते ।

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्निपर्ययम् ॥१७१॥

(१७१) अधर्मी और पापियों के धनादि का शीघ्र नश देखकर, और धर्म में कष्ट पाने पर भी अधर्म न करे अर्थात् धर्म को परित्याग न करे ।

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति । १७२ ।

(१७२) अधर्म शीघ्र फल नहीं देता है जैसे बीज बोने के पश्चात् पृथिवी शीघ्र फल नहीं देती, थोड़े समय उपरान्त फल देती है ।

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नात्पु ।

न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥१७३॥

(१७३) यदि अधर्म का फल अधर्मी को नहीं मिलता तो उसके पुत्र को मिलता है । यदि बेटे को न हो, तो उसके पौत्र को मिलता है । यदि पौत्र (पोते) को न मिला तो दौहित्र (नाती) को मिलता तात्पर्य यह है कि अधर्म निष्फल नहीं होता ।

अधर्मैर्गोधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ १७४ ॥

(१७४) अधर्मी प्रथम तो अधर्म के कारण उन्नत होता है, तत्पश्चात् कल्याण पाता है, तदनन्तर शत्रु विजयी होता है । अन्त को समूल नष्ट हो जाता है ।

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्याश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहूदरसंयतः ॥ १७५ ॥

(१७५) भद्र पुरुषों का आचार सद्धर्म, व पवित्रता है इसमें सदैव दत्तचित्त रहे, स्त्री, पुत्र, दाम, शिष्य इन सबको

सन्मार्गं दर्शावे श्रीर ॐ वाणी, वाहु, तथा उदर का समय करे ।

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवजितौ ।

धर्मचाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥१७६॥

(१७६) अधर्म से उपार्जित जो अर्थ काम है उसका परित्याग धर्म है परन्तु जो लोक रीति के विरुद्ध है तथा भविष्य सुख ई नहीं है उसका भी त्याग करना उचित है ।

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः ।

न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः ॥१७७॥

(१७७) न तो परिनिन्दावाद में सम्मिलित हो, न हाथ, पाँव, वाणी व नेत्र की चपलता करे, क्योंकि यह सब कार्य दुष्ट प्रकृति के प्रकट करने वाले हैं ।

येनारय पितरो यातायेन याताः पितामहाः ।

तेन यायात्मतां मार्गं तेन गच्छन्न रिप्यते ॥१७८॥

(१७८) जिस मार्ग द्वारा हमारे पूर्वजों ने मुक्ति लाभ किया है सपुरुषों के उसी मार्ग पर हम को भी वेदानुकूल कर्मों को चलना चाहिए और इसी प्रकार के कर्म करने से दुःख नहीं होता है ।

ऋत्विक्पुरोहिताचागर्मातुलातिथिसथितै ।

बालवृद्धातुरैरैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिमान्धवैः ॥१७९॥

ॐ वाणी का समय सत्य बोलना, वाहु (हाथ) का समय किसी जीव को क्लेश न पहुँचाना उदर का समय यह है कि अनाधिक जो कुछ प्राप्त हो उसी को भोजन करके रहे ।

(१८८) सोना, भूमि, अरव, गऊ, अन्न, वस्त्र, तिल, धी इनमें से किसी एक वस्तु के लेने से मूर्ख ब्राह्मण लकड़ी की नाईं जलकर भस्म हो जाता है ।

हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गोश्चाप्योपतस्तनुम् ।

अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥१८९॥

(१८९) सोना और रत्न का दान ग्रहण करने से आयु क्षीण होती है, गऊ तथा भूमिका दान शरीर को हानि पहुँचाता है, अश्वदान लेने से नेत्रों को क्षति पहुँचती है, वस्त्रदान से त्वचा (पाल) को, घृत दान से तेज को, तिलदान ग्रहण करने से मूर्ख ब्राह्मण की सन्तति को क्षति पहुँचती है ।

अतपारत्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विजः ।

अम्भस्यश्मप्लवेनैव सह तेनैव मञ्जति ॥१९०॥

(१९०) जो ब्राह्मण तप तथा वेदाभ्यास नहीं करता है और दान लिया करता है वह दानदाता सहित डूब जाता है जैसे पानी में पत्थर की नाव ।

तस्मादविद्वान्विभियाद्यस्मात्तस्मान्प्रतिग्रहात् ।

स्वल्पकेनाप्यऽविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीदति ॥१९१॥

(१९१) अतः मूर्ख ब्राह्मण को थोड़ा दान लेने से भी भयभीत होना चाहिये, अन्यथा कीचड़ में फंस कर जिस प्रकार गऊ कष्ट पाती है उसी प्रकार वह भी कष्ट भोगेगा ।

न वार्यपि प्रयच्छेत्तु वैडालव्रतिके द्विजे ।

न बक्रंव्रतिके विप्रे नावेदविदि घमंवित् ॥१९२॥

(१९२) (१) वैडालव्रतिक व (२) वक्र (वगुला) व्रतिक, और (३) मूर्ख इन तीनों ब्राह्मणों को धर्मात्मा पुरुष जल तक न देवे ।

त्रिप्यध्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजितं धनम् ।

दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ॥ १६३ ॥

(१६३) उत्तम रीति से अपार्जित धन इन तीनों को देने से आगामी जन्म में कुछ फल नहीं देता अर्थात् निष्फल होता है। यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् ।

तथा निमज्जतोऽधस्तादञ्जी दातृप्रतीच्छकौ ॥१६४॥

(१६४) जिस प्रकार पत्थर की नाव पर चढ कर मनुष्य डूब जाता है उसी प्रकार ॐ मूर्ख ब्राह्मण को दान देने वाला और ग्रहण कर्ता दोनों नरक में पड़ते हैं, अर्थात् दोनों नरकगामी होते हैं ।

धर्मध्वजी सदा लुब्धञ्छाग्निहो लोक्रदम्भकः ।

वैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिमंधकः ॥१६५॥

(१६५) धर्मध्वजा को लिए हुए सदा लोभी, छद्मवेशी (बहुरूपिया) की नाई, बहुवेशधारी लोभ (स सार) में कपट (धोके) का प्रचारक वैडालवृत्तिक (विल्ली की तरह जीवक हिंसा करने वाला) सत्रका निन्दक, हिंसक (जीवहत्या करवाने वाला) ये विल्ली की ओर हाने वाले कहलाते हैं ।

अधोदृष्टिर्नैऋतिकः स्वार्थसाधनतत्परः ।

शठोमिध्याविर्नातश्च वक्रतचरो द्विजः ॥ १६६ ॥

(१६६) नीचे देखने वाला, निर्दयी, स्वार्थ साधन में

ॐ मूर्ख ब्राह्मण को दान देने का मनुजी ने १६२व१६३, १६४श्लोक में इस कारण निषेध किया है कि कोई ब्राह्मण मूर्ख रहे ।

नोट—इस श्लोक के अनुसार आज कल के ब्राह्मण तो अवश्य ही नरकगामी होंगे ।

सदैव तत्पर (लगा हुआ) शठ, निठुर, बोक़ा देने के लिये विनोत भाव दिखलाने वाले, यह सब विडालवृत्ति के गुण हैं । इन लक्षणों से युक्त पुरुष को वेडालवृत्तिक कहते हैं ।

ये वक्रव्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः ।

ते पतन्त्यन्धतामिह तेन पापेन कर्मणा ॥१६७॥

(१६७) वक्रवृत्तिक तथा वैडालवृत्तिक महाअन्धकार वाली जीव योनियों में जाँमते हैं जिसमें अति ही दुःख प्राप्त होते हैं ।

न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रत चरन् ।

व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्स्त्रीशूद्रदम्भनम् ॥१६८॥

(१६८) पाप कर्म करके धर्म के मिस से व्रत को करे अर्थात् पापकर्म तो करता है परन्तु स्त्री और शूद्र को शुभ दिखलाता है कि मैं धर्म करता हूँ ।

प्रेत्येह चेदशा विप्रा गह्वन्ते ब्रह्मवादिभिः ।

छद्मनाचरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥१६९॥

(१६९) जो पुरुष (लोग) वेद पाठी ब्राह्मणों की निन्दा करते हैं वह इस लोक तथा परलोक में दुःख पाते हैं और जो कपटाडम्बर करके व्रत धारण करते हैं उनका व्रत राक्षस व्रत है ।

अलिङ्गी लिङ्गिषेण यो वृत्तिमुपनीति ।

स लिङ्गिर्ना हस्त्येनस्तिर्यग्योनी च जायते ॥२००॥

नोट—जो वेशचारी केवल वेश ही को धारण करते हैं परन्तु वेदानुसार आचरण नहीं करते हैं वे संसार को धोका देने से महापाप के भागी होते हैं । और पाप भाग का बढ़ाना भी महापाप है । अतएव जो लोग वेपधारियों की सेवा शुभ्रुपा करते हैं वह भी पापी गिने जाते हैं ।

(२००) जो ब्रह्मचारी व संन्यासी नहीं है किंतु उनका वेप बनाये रहते हैं वह ब्रह्मचारी तथा संन्यासी से पार को प्राप्त होते हैं और कौट कृमि की बोनि में जन्म पाते हैं इसी प्रकार सब आश्रम वालों को जानना ।

परिकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन ।

निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते ॥२०१॥

(२०१) दूसरे के वनवाण हुए कुवाँ तालाव आदि, (जिनकी सिद्धि अर्थात् प्रतिष्ठा न हुई हो) में यदि स्नान करे तो उनमें स्नान करने से उनके खुदवाने वालेके पाप को प्राप्त होता है

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च ।

अदत्तान्नुपशुञ्जान एनसः स्वाचुरीयभाक् ॥२०२॥

(२०२) सवारी, शय्या (वारपाई), कुवाँ, उद्यान (बाग) गृह (घर) यह सब जिसके हैं उस स्वामी की आज्ञा बिना जो निजकार्य में लाता है वह पुरुष उसके स्वामी के पाप के चतुर्थांश को प्राप्त होता है ।

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च ।

स्नानं समाचरेन्नित्यं गःप्रवृत्तयेतु च ॥२०३॥

(२०३) नदी, देवताओं के खान (गार) तथा तडाग (तालाव), वन्द, भरना तथा गढ़ा इन सब में नित्य स्नान करे ।

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः ।

यमान्पतत्पकुर्याणो नियमान्केवलान्भजत् ॥२०४॥

(२०४) यम तथा नियम जिनका वर्णन आगे आयेगा उनमें यम को नित्य धारण करे नियम को नहीं । यमको परित्याग कर वैयल नियम को धारण करने से पतित होजाता है ।

नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा ।

स्त्रिया क्लीबेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मण.कचित् ॥२०५॥

(२०५) वे न पढ़ा हुआ वैदिक रीति से गाँव में यज्ञ कर्ता, स्त्री, नपुंसक इन लोगों के यज्ञ में ब्राह्मण भोजन न करे ।

अश्रीकमेतत्साधूनां यत्र जुह्वत्यमी हविः ।

प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥२०६॥

(२०६) इस प्रकार के कर्म करना साधुओं के अयोग्य है और विद्वान् पुरुष इसको घृणित दृष्टि से देखते हैं । अतएव ऐसे कर्मों से बचा रहे ।

मत्तक्रुद्धातुराणां च नवभुञ्जीत कदाचन ।

केशकीटावपन्नं च पदास्पृष्टं च कामतः ॥२०७॥

(२०७) मत्त (वदमस्त) क्रोधी, आतुर इनके अन्न को, या जिस अन्न में बाल वा कीड़ा पड़ा हो अथवा जो अन्न जान चूकर पाँव से स्पर्श किया गया हो इन सब को भोजन न करे ।

भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया ।

पत्रत्रिखावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥२०८॥

(२०८) भ्रूणहत्या करने वाली, वा मासिक धर्मवाली स्त्री का छुआ हुआ अन्न अथवा पक्षिया की चोंच से फोड़ा हुआ अन्न, वा कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अन्न हो तो उसे न खावे ।

× (भ्रूण हत्या) गर्भ गिराने वाली ।

नोट—इस प्रकार का अन्न खाने से बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ।

गवां चान्नमुपघ्रातं घृष्टान्नं च विशेषतः ।

गणान्नं गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥२०६॥

(२०६) गऊ का सूँघा हुआ, यत्रादि में वह अन्न जो उच्च स्तर में यह कहकर कि कौन भोजन करेगा, दिया गया हो, च बहुत मनुष्यों का अन्न वा वेश्याओं का अन्न, इन सब अन्नों की परिदृष्ट जन निन्दा करते हैं ।

स्तेनगायकयोश्चान्न तक्ष्यो वाधुर्पिकस्य च ।

दीक्षितस्य कर्दपस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥२१०॥

(२१०) चोर, गायक (गाने वाला), बद्ध, व्याज से जीवन निर्वाह करने वाला, दीक्षित (जिसका यज्ञ अभी असमाप्त है), कृष्ण व दी (कैदी) नेड़ी पड़ा हुआ ।

अभिपस्तस्य परदस्य पुंश्चल्या दाम्भिकस्य च ।

शुक्तं पयुपित चैन शूद्रस्योच्छ्रष्टमेव च ॥२११॥

(२११) दोषी व दुष्ट प्रकृति, पंड (हिजड़ा), दम्भी आदि का अन्न, पासी अन्न (अर्थात् वह अन्न जो निना-सटाई मिश्रित क्रिये खट्टा हो जावे), तथा शूद्र का जूठा अन्न इन सबको भोजन न करे ।

चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छ्रष्टभोजिनः ।

उग्रान्नं सूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिर्दशम् ॥२१२॥

(२१२) चिकित्सक (वैद्य, इकीम) शिकारी दुग्धी, क्रूर, निर्दयी, जूठा खाने वाला, उग्र, कठिन) अन्न (सरलता से न पचने वाला अन्न), सूतिकागृह (जघासाना) में बना हुआ भोजन न खाना चाहिये । अथवा जिस स्थान पर लोग एक पक्षि में भोजन कर रहे हों और कोई मनुष्य अपमान

करने के हेतु पंक्ति में से उठकर कुल्ला करने लगे तो भी भोजन त्याग दे ।

अनर्चितं वृधामांसमवीरायाश्च योपितः ।

द्विपदन्नं नगर्ग्यन्नं पतितान्नमवज्जुतम् ॥ २१३ ॥

(२१३) पूज्य पुरुष को जो अन्न अनादर भाव से दिया जावे, व्याधि उत्पादक अन्न, जो अतिथि तथा विद्वानों को खिलाया हो, दूषित, गर्हित, पतित इन लोगों का अन्न जिस पर स्त्री न पड़ी हो ।

पिशुनानृतिनाश्चान्न क्रतुविक्रयिणस्तथा ।

शैलूपतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥

(२१४) चुगलखोर, यज्ञ करने के पश्चात् उसको बेचने वाला, नट, दर्जी, कृतघ्न,

कर्मारस्थ निपादस्य रङ्गावतारकस्य च ।

सुवर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥

(२१५) लोहार, निपाद, नट, गायक के अतिरिक्त इन दोनों की वृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला सेनार, शस्त्र बेचने वाला ।

श्ववतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णेजकस्य च ।

रञ्जरुस्य नृशसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ २१६ ॥

(२१६) कुत्तों से क्रीड़ा कर जीवन व्यतीत करने वाला, कलघार, रजक (धोबी), रखक (रंगरेज), नृशस (जल्लाद), जिस स्त्री के घर पर उसका उपपति (दूसरा पति) हो,

मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः ।

अनिर्दशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥

(२१७) जो उपपत्ति रहने से प्रसन्न हो, जो स्त्री के वश्य हो अर्थात् जो स्त्री का आज्ञाकारी हो जिसकी मृत्यु का दसवा हुआ हो, उसका अन्न तथा जो अन्न तुष्टि न करे अर्थात् जिस अन्न से विरक्त सन्तुष्ट न हो इन सन का भाजन न करे।

राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मर्चमम् ।

आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मविकृतिनः ॥ २१८ ॥

(२१८) १-राजा, २-शूद्र, ३-सोनार, ४-चमार, इन लोगों का अन्न यथा क्रम १-तेज, २-ब्रह्मतेज, ३-आयु, ४-यश का नारा करता है।

कारुकान्नं प्रजां हन्ति बल निर्णोजकस्य च ।

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥ २१९ ॥

(२१९) १-कारुक (नापित, नाई), २-निर्णोजक (घोड़ी) दोनों का अन्न क्रम से १-सतान तथा २-बल का नारा करता है, गण (पत्ति) तथा वैश्या (गणिका) का अन्न स्वर्गलोक से सोता है तो कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाला है।

पूय चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम् ।

त्रिष्टावार्धुपिकस्यन्नं शस्त्रगिक्रयिणोमलम् ॥ २२० ॥

(२२०) १-चिकित्सक, २-पुंश्चली (विषया) ३-व्याज, से निर्वाह करने वाला, ४-शस्त्र बेचने वाला, इनका अन्न क्रमानुसार १-पीव, २-नोज, ३-विष्टा, ४-खरार के तुल्य है।

य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः।

तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मतीपिणः ॥ २२१ ॥

नोट—इन श्लोकों में मिलावट ज्ञात होती है क्योंकि प्रेत शब्द के अर्थ मृतक के हैं उसका अन्न कभी होता ही नहीं।

(२२१) जितने अन्न भोजन करने के अयोग्य हैं वह सब निम्नाङ्कित हैं और व्यक् (राल), हड्डी तथा रोम (वाल के तुल्य है । यह परिडतों ने कहा है (अर्थात् वालादि के रानि में जो कष्ट होता है वही इनके अन्न भोजन करने से होता है)

भुक्त्वातोऽन्यतमस्यान्नमनत्या क्षपणं व्यहम् ।

मत्या भुक्त्वा चरेत्कुञ्जं रेतोविएमूत्रमेव च ॥२२२॥

(२२२) यदि इनमें से किसी के अन्न को अज्ञानता में भोजन करे तो तीन दिवस उपवास करे । और यदि जान बूझ कर भोजन करे तो छः व्रत जो आगे कहेंगे उनको करे तथा विश्र व मूत्र के भोजन में पृथक्-पृथक् यही व्रत करे ।

नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानऽश्राद्धिनो द्विजः ।

आददीताममेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ॥२२३॥

(२२३) विद्वान् ब्राह्मणों को शूद्र का बनाया हुआ भोजन न खाना चाहिये, यदि घर में अन्न न हो तो एक रात्रि के भोजन भर कच्चा अन्न ले लेने में कोई दोष नहीं है ।

श्रोत्रियस्य कर्दर्यस्य वदान्यस्य च वाधु^१पेः ।

मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन् ॥२२४॥

(२२४) कृषण, वेदगठी तथा दानी व्याज लेने वालों के अन्न को देवताओं ने एक समान वतलाया है ।

तान्प्रजापतिराहैत्यमाकृध्वं विषमं समम् ।

श्रद्धापूर्तं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत् ॥२२५॥

(२२५) परन्तु ब्रह्मा जी देवताओं की सम्मति से सहमत नहीं हैं वरन् वह व्याज द्वारा अ जीविका वाले दानी के

उत्तम को श्रद्धा व सहृदय होने के कारण उत्तम और कृपण के अन्त को विप के समान निकृष्ट बतलाते हैं ।

श्रद्धयेष्टं च पूर्णं च नित्यं कुर्यादत्तन्द्रितः ।

श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैर्धनैः ॥२२६॥

(२२६) आलस्य त्याग कर साहस सहित सदैव यज्ञ करे, कुआँ बनवाये, तथा तालाब व बावली को बनवाये । उत्तम रीति से उपार्जित धन लगा कर साहस सहित यह दोनों कार्य करे तो अक्षय धन, सुख तथा यश को प्राप्त करता है ।

दानधर्मं निषेवेत नित्यमैष्टिकपौतिकम् ।

परितुष्टेन भावेनपात्रमासाद्य शक्तितः ॥२२७॥

(२२७) उत्तम ब्राह्मण को पाकर शक्यनुसार परितुष्ट करने के भाव से सदैव यज्ञ तथा कुँवा आदि का दान करे, अर्थात् उत्तम ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सन्तुष्ट करे ।

यत्किञ्चिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया ।

उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यच्चारयति सर्वतः ॥२२८॥

(२२८) अन्द्रिक भिक्षुओं को निजबलानुसार दान दिया करे, क्योंकि सदैव के देने में किसी न किसी दिवस कोई पात्र (योग्य) धर्मात्मा आ जावेगा और ज्ञानोपदेश से चार देगा ।

धारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः ।

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चरुत्तमम् ॥२२९॥

(२२९) प्यासों (वृषितों) को पानी पिलाने वाला सन्तोष तथा वृष्टि, लुधातुरों को भोजन रिल्लाने वाला अक्षय

सुख, तिल देने वाला उत्तम सन्तान और पथ में दीपक जलाने वाला उत्तम चक्षु (आँखों) को पाता है ।

भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः ।

गृहदोऽग्र्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम् ॥२३०॥

(२३०) १—भूमि, २—सोना, ३—रर, ४—रूपा इनका देने वाला क्रमानुसार १—भूमि, २—दीर्घायु, ३—उत्तम घर तथा ४—उत्तम रूप को पाता है ।

वासोदश्चन्द्रसालोऽस्यमश्विसालोऽप्यमश्वदः ।

अदडुहः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम् ॥२३१॥

(२३१) १—वस्त्र, २—अश्व, ३—घैल, ४—गऊ का देने वाला यथाक्रम १—चन्द्रलोक, २—अश्वनी धुमारलोक ३—अक्षय धन, ४—सूर्यलोक को पाता है ।

यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः ।

धान्यदः शाश्वतंसौर्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टिताम् ॥२३२॥

(२३२) १—यान (सवारी) २—शय्या, ३—अभय, ४—वेद इनका देने वाला क्रमानुसार १—स्त्री, २—धन, ३—अक्षय सुख, ४—ब्रह्मलोक के तुल्य पद को पाता है ।

सर्वोपामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वार्यन्नगोमहीवासस्तिलकांचनसपिषाम् ॥२३३॥

(२३३) जल, अन्न, गऊ, भूमि, वस्त्र, तिल, सोना, धो इन सब दानों में से वेद का दान सर्वोत्तम है ।

येन येन तु भावेन यद्यदानं प्रयच्छति ।

तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥२३४॥

(२३४) जो दान जिस प्रकार दिया जाता है वह उसी विधि से दूसरे जन्म में प्राप्त होता है ।

योऽचितं प्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव च ।

तावुभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ॥२३५॥

(२३५) उत्तम वस्तु का दाता और प्रहणकर्ता दोनों स्वर्गगामी होते हैं इसके विपरीत निकृष्ट वस्तु के दान दाता व प्रहणकर्ता दोनों नरकगामी होते हैं ।

न विस्मयेतः तपसा वदेदिष्टया च नानृतम् ।

नार्तोऽप्यपवदेद्विप्तान्न दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥२३६॥

(२३६) तप करके अभिमान न करे, यज्ञ करके अमृत (अस्य) भाषण न करे, क्रोधयुक्त व दुःखी चित्त होकर ब्राह्मण को अपशब्द न कहे दान देकर प्रकट न करे ।

यज्ञोऽनृतेन चरति तपः चरति विस्मयात् ।

आयुर्विंप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ २३७ ॥

(२३७) १—असत्य भाषण, २—अभिमान करना, ३—ब्राह्मण का अपमान व अनादर करना, ४—दान देकर प्रकट करना, इन सब कार्यों के करने से यथाक्रम १—यज्ञ, २—तप, ३—आयु, ४—दान का नाश हो जाता है ।

धर्मशनैः संविनुयाद्वृन्मीकमिव पुच्छिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यऽपीडयन् ॥ २३८ ॥

(२३८) ऐसी विधि से जिसमें किसी भूत (जीव प्राणी) को कष्ट न होने पावे परलोक के सहायार्थं धीरे २ धर्म सचय (इन्द्रा) करे जैसे बल्मीक (चींटी) अन्न सप्रह करती है ।

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च विष्टतः ।

न पुत्रदारां न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥ २३६ ॥

(२३६) माता, पिता, स्वजाति सम्बन्धा, पुत्र यह सब परलोक में कुछ भी सहायता नहीं कर सकते हैं केवल धर्म ही वहाँ काम आता है ।

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ २४० ॥

(२४०) जीव अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मृत्यु पाता है, अकेला ही पुण्य पाप करता है और अकेला ही उपाय फल पाता है ।

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।

विमुखावान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ २४१ ॥

(२४१) लकड़ी और मिट्टी के टुकड़े को नाई बान्धव वा जाति सम्बन्धी मृत शरीर को जलाकर विमुख ही जाते अर्थात् चले जाते हैं, केवल धर्म ही साथ जाता है ।

तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सचिनुयाच्छतैः ।

धर्मोण हि सदायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ २४२ ॥

(२४२) अतएव अपने सहायतार्थ धर्म को सदैव करता रहे, क्योंकि धर्म ही की सहायता से भयसागर से पार होता है ।

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतक्लिबिषम् ।

परलोकं नयत्पाशु भास्यन्तं स्वशरीरिणम् ॥ २४३ ॥

(२४३) जिस पुरुष का धर्म सहायक है और तप द्वारा जिसका पाप क्षय हो गया है वही धर्म उसको स्वर्ग में ले जाता है

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं मंत्रन्धानाचरेत्मतः ।

निर्नापुः कुलमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत् ॥ २४१ ॥

(२४४) कुल को मान देने के हेतु उत्तम उत्तम पुरुषों से सन्बन्ध करे और अधम पुरुषों का करता चाहिये ।

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन् ।

ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् । २४५ ॥

(२४५) उत्तम उत्तम पुरुषों से सन्बन्ध करके तथा अधम २ पुरुषों का परित्याग करके ब्राह्मण मान मर्यादा प्राप्त करता है और दोष लगने से शूद्र के समान होता है ।

दृढकारी मृदुदान्तःक्रूराचारैरसवसन् ।

अहिंसो दमदानाभ्यां जयेत्स्पर्गं तथा व्रतः ॥२४६॥

(२४६) प्रारभ किये हुये कार्य को दृढ चित्त से समाप्त करने वाला, ब्यालु और क्रूर अत्याचारी के विरोध को सहनशीला इन्द्रिय निग्रह (इन्द्रियों को योग में करना) और विषयों से उतरो अवरोद्ध करने वाला, अधम पुरुषों का परि त्याग कर उत्तम पुरुषों से सन्बन्ध करने वाला, आत्महत्या तथा जीव हत्या (किसी जीव का हनन करना) न करने वाला मुरख को प्राप्त करता है ।

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतंचपत् ।

सर्वतः प्रतिगृह्णोयान्मध्ययऽभयदक्षिणाम् ॥२४७॥

(२४७) लवङ्गी, जल, मूल, फल, अन्न, मधु अभय यह सब अयाचना (वेमागे) प्राप्त होयें तो इनको सबसे लेना चाहिये । परन्तु विषयों पीतत, नपु सर तथा शत्रु भे न लेये ।

(२५६) जितने अर्थ हैं सो सब वाणी में रहते हैं और वाणी इन सबकी मूल है, यह सब वाणी द्वारा निकलते हैं उस वाणी को जिसने चुराया वह सब वस्तुओं का चुराने वाला हुआ महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽऽनृण्यं यथाविधि ।

पुत्रे सर्वसमासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥२५७॥

(२५७) देव, ऋषि, पितर इन तीनों को ऋण से यथा-विधि छूटकर, सब वस्तुएँ पुत्र को सौंप कर संसार त्यागी होकर सबको एक दृष्टि से एक समान देखे और गृह ही में रहे ।

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः ।

एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोधिगच्छति ॥२५८॥

(२५८) एकान्त में आकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ही ध्यान करे इसमें परम कल्याण होगा ।

एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती ।

स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्वृद्धिकरः शुभः ॥२५९॥

(२५९) गृहस्थ वृत्ति ब्राह्मण अर्थान् गृहस्थी ब्राह्मण का यह नित्य व्रत कहा तथा बुद्धि की वृद्धि करने वाला स्नातक व्रत भी कहा ।

अनेक विप्रो वृत्तेन वत्तपन्वेदशास्त्रवित् ।

व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥२६०॥

(२६०) वेद तथा शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण उन्नोक्त रीति से रहा करे तो सब पापों से छूटकर सदैव ब्रह्मलोक में पूजने योग्य है ।

मनुजी के धर्मशास्त्र भृगुजी की संहिता का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ।

पञ्चमोऽध्यायः ।

श्रुत्वैतानूपयो धर्मान्स्नातकस्य ययोदितान् ।

इदमृचुमहात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥

(१) स्नातक के धर्मों को सुनकर ऋषि लोगों ने महात्मा भृगुजी से (जो आग्न से उत्पन्न हुए हैं) यह प्रश्न किया कि हे प्रभु,

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् ।

कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥

(२) इस प्रकार ब्राह्मण लोग जो अपने यथोक्त धर्म पर स्थित रहे और वेद तथा शास्त्र के ज्ञाता हों उनकी मृत्यु क्यों होती है ?

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानसो भृगुः ।

श्रयतां येन दोषेण मृत्युविप्राज्जिघांसति ॥ ३ ॥

(३) मनुजी के पुत्र धर्मात्मा भृगुजी ने उन ऋषियों को उत्तर दिया कि जिस दोष से ब्राह्मणों को मृत्यु मारती है उसको सुनिये ।

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्राज्जिघांसति ॥ ४ ॥

(४) वेदान्यास न करने से, आलस्य करने से, आचार परियग से, भोजनदोष से ब्राह्मणों को मृत्यु मारती है ।

लशुनं गृञ्जनं चैत्र पलाण्डुं कण्ठानि च ।

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेघ्यप्रभराशि च ॥ ५ ॥

(१३) चांच से खाने वाले बटफोड़ नाम पत्नी आदि, आड़ी आदि, टिटिहरी आदि पत्तों से नाच कर खाने वाले वाज आदि, पानी में डूबकर मछली खाने वाले जीव, कसाई के घर का मांस, सूजा मांस इन सब को भी न खावे ।

वकं चैव वलाकां च काकोलं खञ्जरोटकम् ।

मत्स्यान्विड्वराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः ॥ १४ ॥

(१४) बगुला वा बलाका (दूसरे प्रकार का बगुला) काकोल (अति श्याम कौआ) खजरीट (खडरेचा), मट्टली मत्ती पत्नी, गोंवरा सूअर, तथा मछली इन सबको भी न खाने ।

यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद् उच्यते ।

मत्स्यादःसर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विरर्जयेत् ॥१५॥

(१५) जो जीव जिसके मांस का भक्षण करता है वह उस जीव का भक्षक कहलाता है जैसे मछली सत्रका मांस भक्षण करती है और उसको जिसने खाया उसने मानों सत्र मांस भक्षण कर लिये, अतः मछली न खानी चाहिये ।

पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्तो हव्यकव्ययोः ।

राजीवान् सिंहतुण्डांश्च सशल्कांश्चैव सर्वशः ॥१६॥

(१६) राजीव, सिंह, तुण्ड, सशल्क, पढ़ना, रोहू इन सब को देवता और पितरों को भोग लगाकर खाना चाहिये ।

न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च मृगद्विजान् ।

भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान्सर्वान्यश्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥

(१७) जो जीव प्रायः अकेले रहते हैं यथा साँप आदि और जो जाने हुए नहीं है हिरन व पत्नी आदि, पाँच नख वाले चन्दर आदि, इन सब को भोजन न करे ।

श्वाविधं शल्यकं गोधां खड्गकूर्मशशांस्तथा ।

भक्ष्यान्यञ्चनखेष्वाहुरनुप्रांश्चैकतोदतः ॥ १८ ॥

(१८) पाँच नख घालों में, शाली, गोह, सेही, गेंडा, कछुआ, खरहा खाने योग्य हैं और ऊँट को छोड़ एक और दांत रखने वाले तथा इनके अतिरिक्त जिन २ को वर्जित किया है, वह भक्षण योग्य हैं ।

छत्राकं विड्वराहं च लशुनं ग्राम कुक्कुटम् ।

पलाण्डुं गृजनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेद्विज ॥ १९ ॥

(१९) १-कुक्कुरमुता, २-गाँव का रहने वाला सूअर, ३-लहसुन, ४-गाँव का मुर्गा, ५-प्याज, ६-गाजर इन सब को जान कर भोजन करे तो पतित हो जाता है अर्थात् अपने धर्म बर्ण, आश्रम के पद से गिर जाता है ।

अमन्यैतानि पड्जग्ध्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ।

यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० ॥

(२०) यदि इन छहों को अज्ञानतावस्था में भोजन करे तो सन्तपन नाम कृच्छ्रव्रत को करे या यति चन्द्रायण व्रत को करे, शेष, वृत्तलासादि के भोजन करने में एक दिन का उपवास करे ।

संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः ।

अज्ञातमुक्तशुद्ध्यर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥

(२१) जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसको अनभिज्ञता में खा जाने से जो दोष है उसके बिनाशार्थं साल भर में एक कृच्छ्र व्रत को करे । यदि जान कर खाया हो तो उसके हेतु विशेष कर कृच्छ्र व्रत करे ।

(२६) १—चर जीवों का भोजन, २—अचर जीव है दाढ़ वालों का भोजन बिना दाढ़ वाले हैं, हाथ वालों का भोजन बिना हाथ वाले हैं, शूर, वीरों का भोजन (भीरु (डरपोक) हैं ।

नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि ।

धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥३०॥

(३०) भोजन योग्य जीवों को खाने से भक्षी को दोष नहीं होता क्योंकि भक्षण योग्य जीवों को और भक्षण करने वालों को दोनों को ही प्रह्लाजी ने ही उत्पन्न किया है ।

यज्ञाय जग्धिर्मासि स्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः ।

अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥३१॥

(३१) यज्ञ के निमित्त मास भक्षण करना शास्त्र की विधि है इसके अतिरिक्त और मास भक्षण करना राक्षसो विधि है ।

क्रीत्वा स्वयंवाप्युत्पाद्या परोपकृतमेव वा ।

देवान्पितृन्श्चार्चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥३२॥

(३२) मील लिये हुये व दूसरे के लाये हुये मास को देवता तथा पितर को भोग लगा कर भक्षण करने से पाप नहीं होता ।

नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः ।

जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तैरद्यतेऽवशाः ॥३३॥

(३३) जो ब्राह्मण शास्त्र-विधिज्ञाता है वह आपत्काल के अतिरिक्त अन्य दशा में यदि विधिविरुद्ध मास भक्षण करे तो

परलोक में उसके मांस को वह भक्षण करता है, जिसके मांस को उसने भक्षण किया है।

न तादृशं भवत्येनो भृगहन्तुर्धनार्थिनः ।

यादृशं भवति प्रेत्य वृथा मांसानि खादतः ॥३४॥

(३४) धनार्थ (धनोर्जनार्थ) जो भृग (हिरन) को हनन करता है उसे वैसा पाप नहीं होता जैसा वृथा मांसभक्षी को परलोक में होता है।

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः ।

स प्रेत्य पशुतां याति संभावेनैकविंशतिम् ॥३५॥

(३५) शास्त्र विधि से जो मांस विशुद्ध है उसको जो मनुष्य नहीं ग्रहण करता है वह परलोक में २२ जन्म पर्यन्त पशु होता है।

असंस्कृतान्पशून्मन्त्रैर्नाद्याद्विग्रः कदाचन ।

मन्त्रैस्तु सकृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥३६॥

(३६) जिस मांस का संस्कार नहीं हुआ उसको ब्राह्मण कदापि भोजन न करे, तथा सदैव शास्त्रानुकूल मन्त्रों द्वारा संस्कार किये हुये मांस को भक्षण किया करे।

कुर्याद्घृतपशुं सङ्गै कुर्यात्पिष्टपशुं तथा ।

न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥३७॥

(३७) जब पशु के मांस भक्षण करने की तीव्र अभिलाषा हो तो घी अथवा मीठे का पशु चना कर भोजन करे किन्तु पशु के हनन करने की इच्छा न करे।

यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो हि मारणम् ।

वृथापशून् प्राप्नोति प्रेत्य जन्मन्ति जन्मन्ति ॥३८॥

(३८) जो मनुष्य वृथा पशु वधन करता है वह परलोक में कई जन्म पर्यन्त उतनी ही बार मारा जाता है जितने बाल (रोम) उस मारे हुए पशु के शरीर पर हों ।

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।

यज्ञस्य भृत्यैः सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥३९॥

(३९) श्री ब्रह्माजी ने स्वयमेव यज्ञ निमित्त पशु को उत्पन्न किया इससे ऋ यज्ञ में जो पशु वध (अर्थात् जीवहत्या) होती है वह वध नहीं कहलाता ।

ओषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा ।

यज्ञार्थनिधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्पृतीः पुनः ॥४०॥

(४०) अन्न, पशु, वृक्ष, पंक्षी, कछुवा आदि यह सब यज्ञ निमित्त वध किये जाने से आगामी जन्म में उत्तम जाति को पाते हैं ।

मधुपर्कं च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि ।

अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ॥४१॥

(४१) १—मधुपर्क, २—यज्ञ, ३—देवकर्म, ४—पितृकर्म इनमें पशुवध करना चाहिये अन्य कर्म में न करना चाहिये । यह भी मनुजी ने कहा है ।

एष्वर्थेषु पशून्हिंसन्वेदतत्प्रार्थविद्विजः ।

आत्मानं च पशुं चैव गमपत्युत्तमां गतिम् ॥४२॥

ऋयज्ञमे पशुवध वाममागियों ने सम्मिलित किया है अन्यथा वेदों में तो यज्ञके अर्थ में अश्वर शब्द आता है जिसका अर्थ यह है कि जिसमें कहीं हिंसा न हो । उसका यही प्रमाण है कि विश्वामित्र ने हिंसा के भय से अपने यज्ञ में स्वयम् राक्षसों को नहीं मारा वरन् रक्षा के निमित्त रामचन्द्र को बुलाया ।

(४२) ऐसे कर्मों में पशु की हिंसाकर वेदज्ञाता ब्राह्मण अपने आप को तथा उस पशु की उत्तम गति को पहुँचाता है ।

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः ।

नावेदविहितां हिंसामापद्यपि ममाचरेत् ॥४३॥

(४३) गृह में, गुरु के स्थान में व वन (जंगल) में वस कर ब्राह्मण वेदविरुद्ध जीव हिंसा आपद् समय में भी न करे ।

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे ।

अहिंसामेव तां विद्याद्देदाद्मर्मा हि निर्वर्मा ॥४४॥

(४४) जो हिंसा इस ससार में वेदाज्ञानुसार है उसको हिंसा अर्थात् जीवहत्या न जानना चाहिये क्योंकि वेद ही से र्मा निकला है ।

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥४५॥

(४५) जो जीव वध योग्य नहीं है उनको जो कोई अपने सुख के निमित्त मारता है वह जीवित दशा में भी मृतक [५] है वध कहीं भी सुख नहीं पाता है ।

यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति ।

स सर्वस्य हितप्रैप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥४६॥

(४६) जो मनुष्य किसी जीव को बन्धन में रखने (पकड़ने) [५] करने व क्लेश देने की इच्छा नहीं रखता है वह सब का हितेच्छु है अतएव वह अनन्त सुख भोगता है ।

यद्दुष्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च ।

तद्वाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥४७॥

(४७) जो मनुष्य किसी का क्ल वध नहीं करता वह जिस कार्य का ध्यान करता है अथवा जिस कार्य के करने की इच्छा करता है उसको विना प्रयास ही पाता है ।

नाऽकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।

न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् । ४८ ।

(४८) जीवोंकी हिंसा विना मांस प्राप्त नहीं होती और जीवों की हिंसा स्वर्ग-प्राप्ति में बाधक है, अतः मांस वदापि भक्षण न करना चाहिये ।

समुत्पत्तिं तु मांसस्य वधमन्धो च देहिनाम् ।

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् । ४९ ।

(४९) मांस की प्राप्ति, जीवों का वधन तथा उनकी हिंसा (हत्या) इन बातों को देख कर सब मांस का भक्षण त्याग करे ।

न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् ।

स लोके प्रियतां याति व्याधिमिश्रं न पीड्यते । ५० ।

(५०) जो मनुष्य विधि परित्याग कर पिशाच की तरह मांस भक्षण नहीं करता है वह लोक में सर्व प्रिय होता है और विपत्ति के समय कष्ट नहीं पाता ।

क वेदों में तीक्ष्ण जीवों को मनुष्यों के रक्षार्थ वध करना तो लिखा है परन्तु यज्ञादि के निमित्त पशुवध व जीवहत्या करना बाद के सम्मिलित किया गया है । राजा का धर्म है कि दस्यु आदि मनुष्यों को तथा सिंहादि जीवों को मनुष्यों के रक्षार्थ मारें (आखेट करे) ।

श्लोक ४६ वाँ तथा ४७ वाँ अहिंसा का सर्वथा मानने वाला है

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥५१॥

(५१) १-जिनकी सम्मति बिना जीव हिंसा न हो सके, २-शस्त्र से मांस काटने वाला, ३-मारने वाला, ४-बैचने वाला, ५-मोल लेने वाला ६-बनाने वाला, ७-लाने वाला, ८-खाने वाला, यह आठों घातक (हिंसा करने वाले) ही कहलाते हैं ।

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति ।

अनभ्यर्च्यं पितृन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥५२॥

(५२) जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है उससे अधिक दूररा पापी नहीं है ।

वर्षं वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥५३॥

(५३) जो मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त प्रत्येक वर्ष एक बार अश्वमेध यज्ञ करता है, तथा अथ पुरुष जो मांस नहीं खाएँ इन दोनों के पुण्य का फल समान है ।

फलमूलाशनैर्मध्येर्मुन्यन्नाना च भोजनैः ।

न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥५४॥

(५४) जो फल माँस परित्याग से होता है वह फल मनुजी के बतलाये हुए अन्य पदार्थों के भोजन करने से नहीं होता है । तात्पर्य यह कि सुख तथा बुद्धि जितनी भोजन द्वारा बढ़ती है उससे नहीं अधिक माँस परित्याग से बढ़ती है ।

मांसभक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्भ्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥५५॥

(५५) विद्वज्जन मांस के यह लक्षण कहते हैं कि जिसके मांस को मैं इस जन्म में खाता हूँ वह आगामी जन्म में मेरे मांस को भक्षण करेगा ।

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥५६॥

(५६) मद्य (शराब आदि) पीने, मांस भक्षण करने तथा मैथुन करने (स्त्रियों से संभोग करने) में प्रायः जीवों की प्रवृत्ति है और यह अज्ञानवश इसमें दोष नहीं मानते हैं । परन्तु इन सबका परित्याग महाफल का देने वाला है ।

प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि प्रव्यशुद्धिं तथैव च ।

चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥

(५७) अब यथाक्रम चारों वर्णों की प्रेत शुद्धि तथा द्रव्य शुद्धि को कहते हैं ।

दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते ।

अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते ॥५८॥

(५८) जिस घर में सूतक होता है उनके वह सम्बन्धी जिनके सस्कार हो चुके हैं शुद्ध गिने जाते हैं और सस्कार लेने चाहिये । चूड़ाकर्म यज्ञोपवीत इत्यादि ।

नोट—श्लोक ५३ व ५४ में मांस के परित्याग का उपदेश है । जो मांस भक्षण के पक्ष में मनुजी का श्लोक दिखलाते हैं वह सर्वथा भूल करते हैं ।

दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

अर्वाकृ संचयनादऽस्थनां ज्यहमेकाहमेव च ॥५९॥

(५९) वेदपाठी व ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को एक दिन जब तक शुद्धि का हयन न हो अशुद्धि रहती है । केवल वेदपाठी अग्निहोत्री को तीन दिन पर्यन्त और मूर्ख को दश दिन पर्यन्त सूतक रहता है ।

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ।

समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ६० ॥

(६०) सातवें पुरुष में सपिण्डता की निवृत्ति होती है और अपनी मृत्यु के पश्चात् जब जन्म नामका ज्ञान नहीं रहता तब समानादकता की निवृत्ति होती है ।

यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।

जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम् ॥६१॥

(६१) जो पुरुष सपिण्डी में हों और अधिक शुद्ध की इच्छा रखते हों उनका ॐ सूतक पुत्रादि के उत्पन्न होने में भी सूतक के सूतक के तुल्य होता है ।

ॐ यहाँ सूतक की अशुद्धि से यह तात्पर्य है कि सन्तानोत्पत्ति द्वारा उत्पन्न प्रसन्नता अथवा किसी कुटुम्बी की मृत्यु द्वारा उत्पन्न शोक को नित्य रमों के करने में विघ्न डाल देता है ।

५६ वाँ श्लोक मासनिषेध को भी सिद्ध करता है । मासभक्ती लोग जो मनुस्मृति के श्लोक अपने पक्ष में दिखलाते हैं यह उनकी भूल है, क्योंकि मास भक्षण का पाप होता तो मनुस्मृति तथा वेद दोनों में सिद्ध है और मास भक्षण पक्ष के श्लोक वाममार्गियों ने सम्मिलित कर दिये हैं । मनु जैसा ऋषि न तो वेदों के विरुद्ध लिख सकता है तथा न अपनी पुस्तक को दो प्रकार

सर्वेषां शिवमाशौचं मातापित्रोस्तु द्यूतकम् ।

द्यूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिताः शुचिः ॥ ६२ ॥

(६२) मृतक का सूतक सबको होता है किन्तु जन्म होने का सूतक केवल माता पिता ही को होता है । इन दोनों में से माता पिता को छूना न चाहिए और पिता स्नान करने के पश्चात् छूने योग्य होता है ।

निरस्य तु पुमाञ्शुक्लुपस्पृश्यैव शुद्ध्यति ।

वैजिकादमिसंयन्धादतुरुन्ध्यादऽधं त्र्यहम् ॥ ६३ ॥

(६३) यदि स्त्री सम्भोग के अतिरिक्त पुरुष का वीर्य पतन हो जावे तो स्नान करके पवित्र हो जाता है व जिस स्त्री ने उपपत्ति किया हो उस स्त्री में दूसरे पति से पुत्रोत्पन्न होने में दूसरे पति को तीन दिन सूतक होता है । एक दिन रात्रि में व तीन दिन रातों में ।

अह्ना चैकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः ।

शवस्पृशो विशुद्ध्यन्ति त्र्यहादुदकदायिनः ॥ ६४ ॥

(६४) मृतक के शव को स्पर्श करने वाले तथा मृतक के घर का जल पीने वाले अर्थात् जिनका जल एक ही है तीन दिन में शुद्ध होते हैं ।

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् ।

प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ ६५ ॥

(६५) गुरु की मृत्यु पर यदि शिष्य उसका शव-दाह करे तो वह भी दश दिन में शुद्ध होता है ।

की ऐसी आज्ञाओं से जिनमें मतावरोध हो निरर्थक (रही) कर सकता है ।

रात्रिभिर्मासतुल्यामिर्गर्भस्त्राणे विशुध्यति ।

रजम्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥

(६६) जब गर्भ पात हो जावे (गिर जाये) तो जितने मास का गर्भ हो उतने ही दिन अशौच (अशुद्ध) रहता है । मासिकघर्म में रजोदर्शन के समाप्त होने पर स्नान करके वह स्त्री शुद्ध हो जाती है ।

नृणामकृतचूडानी विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता ।

निर्वाचचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७ ॥

(६७) जिसका चूडाकर्म (मुण्डन) न हुआ हो उसकी मृत्यु से एक रात दिन का सूतक होता है । और चूडाकर्म के हो जाने पर मृत्यु परचात् तीन रात्रि तक सूतक रहता है ।

ऊनद्विषार्पिकं प्रेतं निदध्युर्गन्धवा वहिः ।

अलकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनादृते ॥ ६८ ॥

(६८) जो लकड़ा दो महीने का होकर मर जावे उसको अलकृत करके प्राम से वा र जङ्गल में गाढ़ना चाहिए । उसकी अस्थि (हड्डियों) सञ्चय (इकट्ठा) न करनी चाहिये ।

नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया ।

अरण्ये काष्ठवस्यक्त्वा क्षपेयुस्त्र्यहमेव च ॥ ६९ ॥

(६९) अति छोटे बालकों का अग्नि दाह करना व उनके शव को स्नान कराना यह दोनों कार्य न करने चाहिये । (ष्वेल जङ्गल में लकड़ों की नाई छोड़ आना चाहिये, क्योंकि इससे वायु में दुर्गन्धि फैलने का भय नहीं होता ।

नाऽत्रिर्वर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया ।

जातदन्तस्य वा कुर्युर्नाम्नि वापि कृते सति ॥७०॥

(७०) जो तीन वर्ष से न्यून अवस्था का हो उसके शव को स्नान कराना पर अग्नि दाह न करना चाहिए । यदि दाह निकल आने पर मरा हो वा नामकरण पश्चात् मरा हो तो दाह करना, जल देना चाहिए । यह वैधल चलन (रीति) की बात है, इसके करने न करने में कोई फल अथवा दोष नहीं है ।

सत्रद्व्याग्निशयेकामहतीते क्षपणां स्मृतम् ।

जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥७१॥

(७१) सहपाठी के मरने पर एक दिन का सूतक होता है और जन्म में मानोहक को तीन रात्रि का सूतक होता है ।

स्त्रीणामरुंस्कृतानां तु त्र्यहाच्छुद्ध्यन्ति बान्धवाः ।

यथोक्तेनैव कल्पेन शुद्ध्यन्ति तु सनाभयः ।

(७२) विवाह के प्रथम चारदान के पश्चात् स्त्री के मरने में पति आदि तीन दिन में शुद्ध होते हैं और विवाह के पश्चात् मरने में पिता आदि सब तीन दिन में शुद्ध होते हैं ।

अक्षारलक्षणान्नाः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् ।

मांसाशनं च नाशनीयुः शयीरंश्च पृथक् चितौ ॥७३॥

(७३) खारी नमक न खाना, नदी आदि में तीन दिन पर्यन्त स्नान करना, मांस भक्षण न करना, पृथक् पृथिषी पर सोना चाहिए ।

सन्निधावेष वै कल्पः शावाशौचस्य कीर्तितः ।

असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः संबन्धिवान्धवैः ॥७४॥

(७४) जो सम्बन्धी समीप उपस्थित हों उनका सूतक

मरने में वर्णन किया गया, अथ जो सम्बन्धी व कुटुम्बी दूर देश (परदेश) में ही उनका सूतक कहते हैं ।

विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम् ।

यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ ७५ ॥

(७५) जो सम्बन्धी व कुटुम्बी परदेश में मर जावे, यदि उसका सन्देश देश दिन के भीतर आवे तो अतने दिन दश दिन में न्यून हो उतने दिन तक सूतक अर्थात् चिन्ता आदि अशुद्धि रहती है ।

अतिक्रान्ते दधाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।

सम्बत्सरे व्यतीते तु स्पृष्टवै वापो विशुद्ध्यति ॥ ७६ ॥

(७६) यदि मरने से दश दिन पश्चात् सुनने में आवे तो तीन दिन रात पर्यन्तक सूतक मानना चाहिये । और यदि वर्ष पश्चात् सुनने में आवे तो सुनने वाला स्नान करके शुद्ध हो जाता है ।

निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।

सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥

(७७) दश दिन पश्चात् यदि कुटुम्बियों में किसी का मरण और जन्म सुनने में आवे तो वस्त्रों सहित स्नान करने से शुद्ध हो जाता है ।

वाले देशान्तरस्थे च पृथक्पिण्डे च संस्थते ।

सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्ध्यति ॥ ७८ ॥

(७८) परदेश में समानोदक बालक का मरण सुनने में आवे तो वस्त्रों सहित स्नान करने से उसी समय शुद्ध हो जाता है ।

अन्तर्दशाहे स्यातां चेतुनर्मरणजन्मनी ।

तावत्स्यादशुचिविप्रो यावत्तन्स्यादनिर्दशम् ॥७६॥

(७६) एक जन्म के पश्चात् दूसरे का जन्म दश दिन के भीतर होवे अथवा एक की मृत्यु के पश्चात् दूसरे की मृत्यु प्रथम के दश दिन के भीतर होवे तो प्रथम सूतक समाप्त होने से दूसरा सूतक भी समाप्त हो जाता है ।

त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते मति ।

तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥८०॥

(८०) आचार्य की मृत्यु में शिष्य को तीन रात्रि का सूतक होता है, आचार्य की स्त्री व उसके पुत्र की मृत्यु में एक दिन रात्रि का सूतक होता है, यह शास्त्र में उल्लिखित हैं ।

श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।

मातुले पक्षिणी रात्रिं शिष्यत्विग्बान्धवेषु च ॥८१॥

(८१) यदि वेद व शास्त्र का अध्ययन करने वाला मर जावे तो मित्रादि होकर उसके समीप रहने वाले अथवा उसके गृह में रहने वाले का तीन रात्रि पर्यन्त सूतक रहता है तथा मामा, शिष्य ऋत्विक्, भाई, बन्धु इनके मरने में पक्षिणी रात्रि (अर्थात् प्रथम और अन्त के मध्य की रात्रि) पर्यन्त सूतक रहता है ।

प्रते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विपये स्थितः ।

अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥८२॥

(८२) यदि राजा की मृत्यु दिन में हुई हो तो सारे दिन और यदि रात में हुई हो तो सारी रात्रि उस राज में रहने वाली प्रजा को सूतक होता है । मूर्ख ब्राह्मण को मृत्यु में उस

रूह वासियों को एक दिन का सूतक होता है, अर्थात् यदि दिवस में मृत्यु हुई हो तो सारे दिन और रात्रि में मृत्यु हुई हो तो सारी रात्रि सूतक होता है। रुद्धपाठी की मृत्यु में तथा क्विचत् वेदशास्त्र पढाने वाले की मृत्यु में ऊपर लिखे सूतक के अनुसार एक दिन सूतक होता है।

शुद्धयेद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।

वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति ॥ ८३ ॥

(८३) ब्राह्मण दस दिन में, क्षत्रिय चारह दिन में, वैश्य पन्द्रह दिन में, शूद्र तीस दिन में शुद्ध होता है।

न धर्म्येदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निपु क्रियाः ।

न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्तशु चिर्भवेत् ॥ ८४ ॥

(८४) पाप के दिन को न बढाना और अग्निहोत्र न छोड़ना चाहिये, अग्निहोत्रों सामर्थ्य न रखता हो तो उसके पुत्रादि अग्निहोत्र को कर लेवें, इस कर्म के करने से उसको अपवित्रता नहीं रहती।

दिवाकीर्त्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा ।

शवं तत्पृष्टिनं चैव स्पृष्टवास्तानेन शुद्ध्यति ॥ ८५ ॥

(८५) चाण्डाल, मासिक धर्म वाली स्त्री, जिसने चेटा या चेटा जन्मी हो, मृतरु के छूने वाले, इन सबको छुकर स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं।

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने ।

सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पापमानीथ शक्तितः ॥ ८६ ॥

☞ यह श्लोक घतनाता है कि जितना अधिक ज्ञान होगा जितनी ही शीघ्र शोक से निवृत्त हो जायेगा।

(८६) अशुचिता के दर्शन करने में आचमन कर विधिवत् शक्ति अनुसार (जैसे अच्छा ज्ञात हो वैसे ही) सूर्य भगवान् के मन्त्र अथवा अन्य किसी पवित्रकर्ता के मन्त्र का जप करे ।

नारं स्पृष्ट्वास्थिसनेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्ध्यति ।

आचम्येव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा । ८७ ।

(८७) ब्राह्मण मनुष्य की सस्नेह (चिकनी) अस्थि को त्याग कर स्नान करने से शुद्ध होता है । शुष्क (सूखी) हड्डियों को छोड़कर आचमन करके गऊ स्पर्श अथवा सूर्य भगवान् के दर्शन से पवित्र होता है ।

आदिष्टी नोदकं कुर्यादाव्रतस्य समापनात् ।

समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यति । ८८ ।

(८८) ब्रह्मचारी किसी की मृत्यु में जल न देवे जब तक उसका व्रत (ब्रह्मचर्य) सम्पूर्ण न हो जावे, व्रत सम्पूर्ण होने पर जल देकर तीन रात्रि में पवित्र होता है ।

वृथासंकरजातानां प्रव्रज्यासु तिष्ठताम् ।

आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेतोदक क्रिया । ८९ ।

(८९) स्वधर्म त्यागी, जो जूठा संन्यास धारण किये हो, जो शास्त्र प्रातिकूल आत्मा का त्यागी हो इन सब की मृत्यु में जल न देना चाहिये ।

पापण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः ।

गर्भभर्तृद्रुहां चैव सुरापीनां च योषिताम् । ९० ।

(९०) पाण्डु धर्म (वेद विरुद्ध धर्म) करने वाली

ध्वानुसार चलने वाली, गर्भिणी तथा अपने भर्ता से शत्रुता नै वाली, शराव पीने वाली ऐसी स्त्री की मृत्यु में जल न चाहिए ।

आचार्य स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम् ।

निहृत्प तु व्रती प्रेतान्नप्रतेन वियुज्यते ॥६१॥

(६१) आचार्य, उपग्याय, माता, पिता, गुरु इन सबों दाह आदि करने से ब्रह्मचारी अपने व्रत से भ्रष्ट नहीं ता है ।

दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् ।

पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥६२॥

(६२) नगर के १-पश्चिम, २-उत्तर, ३-पूर्व, ४-दक्षिण दिशि से यथाक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ द्वार से) ब्राह्मण त्रिय, वैश्य शूद्र का शव ले जाना चाहिये ।

न राज्ञमजदोपोऽस्ति व्रतीनां न च सत्रिणाम् ।

ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥६३॥

(६३) राजा वा ब्रह्मचारी, चान्द्रायणादि व्रतकर्त्ता, व्रतकर्त्ता इन तीनों को सूतक नहीं लगता क्योंकि राजा वो जा ऐन्द्र के स्थान पर बैठता है और ब्रह्मचारी, व्रतकर्त्ता यह व्रत सदैव ब्रह्मस्वरूप हैं ।

राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते ।

प्रजानां परिरणार्थमासनं चात्र कारयम् ॥६४॥

(६४) राजा न्याय करने में पवित्र रहता है अन्य कार्य नहीं, क्योंकि प्रजा की रक्षा, बिना सिंहासन पर बैठने के नहीं होती ।

डिम्बाहवदतानां च विद्युता पार्थिवेव च ।

गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्यचेच्छति पार्थिवः ॥ ६५ ॥

(६५) राजा विना जो युद्ध (लड़ाई) हुआ और उसमें जो मनुष्य मर गये, विद्युत्पात द्वारा जिन मनुष्यों की मृत्यु हो गई, राजाज्ञा से मारने योग्य मनुष्य मारे गये, तथा ब्राह्मण या गऊ के हेतु जो मनुष्य मर गये, ऐसे मरण में सूतक नहीं होता, तथा निज कार्य के हेतु राजा जिसे सूतक लगाना नहीं चाहता उसे भी सूतक नहीं लगता ।

सोमान्यर्कानिलेन्द्राणां वित्तापत्योर्यमस्य च ।

श्रष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥ ६६ ॥

(६६) चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण, यम इन सबके वर्णों को राजा धारण करता है ।

लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्य शौचं विधीयते ।

शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम् ॥ ६७ ॥

(६७) क्योंकि राजा सारे लोक का रक्षक है और उसका सबसे सम्बन्ध है अतएव राजा को किसी प्रकार का सूतक नहीं लगता और वह स्व मनुष्यों की अपवित्रता हरण कर सकता है ।

उद्यतैराहवे शस्त्रैः चात्रधर्महतस्य च ।

सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथा शौचमिति स्थितिः ॥ ६८ ॥

(६८) जो वीर क्षत्रिय युद्ध में शस्त्र द्वारा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं वह अपने धर्मानुसार कर्म करने के कारण पवित्रता के यज्ञ को सम्पूर्ण कर चुके ।

विप्रः शुद्ध्यत्यपः स्पृष्टवा क्षत्रियो वाहनायुधम् ।

वैश्यः प्रतोदं ररमीन्वा यदि शूद्रः कृतक्रियः ॥६६॥

(६६) सारी क्रिया करके सूतक के अन्त में ब्राह्मण जल, क्षत्रिय यान (सवारी) व शस्त्र, वैश्य पैना तथा शूद्र लाठी को स्पर्श कर पवित्र हो जाते हैं ।

एतद्वोऽभिहितं शोचं सपिण्डेषु द्विलोचमाः ।

असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निरोधत ॥१००॥

(१००) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि लोगो ! आप से सपिण्डों का सूतक हमने कहा । अब उन लोगों की प्रेतशुद्धि को कहते हैं जो सपिण्डी में नहीं हैं ।

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निर्हृत्य बन्धुवत् ।

त्रिशुद्ध्यन्ति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च चान्धमान् ॥१०१॥

(१०१) जो ब्राह्मण सपिण्डी में नहीं है उसको धाता-वत् श्मशान तक ले जाकर तीन रात्रि में पवित्र हो जाता है तथा मामा, मीसी आदि का भी श्मशान तक ले जाकर तीन रात्रि में पवित्र होता है ।

यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्ध्यति ।

अन्नदन्नन्नमहवै न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत् ॥१०२॥

(१०२) जब मृतक के सपिण्ड के अन्न को भोजन करे तो दश दिन में शुद्ध होता है । यदि अन्न को भोजन न करे और न उसके गृह में वसे तो एक दिन में शुद्ध हो जाता है ।

अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातमज्ञातिमेव च ।

स्नात्वा सचैलः स्पृष्टवाग्निघृतंप्राश्यविशुद्ध्यति १०३

(१११) सोने आदि के पात्र, रत्नपात्र, सव पात्र (वर्तन) भस्म (रास), मिट्टी, जल से पवित्र जाते हैं, इस बात को मनु आदि ऋषियों ने कहा है ।

निलेपं काञ्चन भारुडमन्द्रिरेव विशुद्ध्यति ।

अञ्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥११२॥

(११२) जिस सुवर्ण (सोने), शुद्ध, मोती वा पत्थर के पात्र में जूठनादि नहीं लगी तथा जिस रूपे (चाँदी) के पात्र में रेखा (लकीरें) नहीं हैं यह केवल जल ही द्वारा शुद्ध हो जाते हैं ।

अपामग्नेश्च संयोगाद्धैमं रौप्यं च निर्वभी ।

तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णोको गुणवत्तरः ॥११३॥

(११३) अग्नि जल के संयोग से स्वर्ण तथा रूपा (चाँदी) उत्पन्न होता है अतएव अपने मूल तत्त्व द्वारा दोनों की शुद्धता अनुत्तम है ।

ताम्रायः कांस्यपरिष्पानां त्रपुणः सीसकस्य च ।

शौचं यथाहं कर्तव्यं चाराम्लोदकवारिभिः ॥११४॥

(११४) ताम्र, (तांबा), लोहा, कांस्य (कांसा), पीतल इन सब की पवित्रता भस्म, खटाई तथा जल से यथाविधि करनी चाहिये ।

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिराप्लवनं स्मृतम् ।

शौचणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥११५॥

(११५) जो द्रव (पदार्थ) यथा तेल घी आदि है उनको वस्त्र आदि से छान लेवे तथा जमे हुए पदार्थों को दो कुश लेकर उन पदार्थों में चलाने से पवित्र हो जाते हैं । यदि

शय्या (चारपाई) आदि पर जूठन गिर पड़ी हो तो वह जल के छींटे देने से पवित्र हो जाती है। काष्ठ (काठ) आदि का पात्र जब जूठनादि से अविच्छिन्न लसा हो तो वह छीलने से पवित्र होता है।

मार्जनं यज्ञपत्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।

चमसाना ग्रहाणा च शुद्धिः प्रचालनेन तु ॥११६॥

(११६) यज्ञ पात्रों की शुद्धता हाथ से करनी चाहिये।

यज्ञकर्म म चमस (चमचा) तथा सख्कासी चिमटा की पवित्रता धोने से होती है।

चरुणा स्रु वस्तु च वाणां शुद्धिरुष्णेन वारिणा ।

स्फ्यशूर्पशकटाना च मुशलोलूखलस्य च ॥११७॥

(११७) + चरु, स्रुग, स्रुवा, सूप, गाली, मूसल, थोरलती, इन सब की शुद्धता उष्ण (गरम) जल से होती है।

अद्भिस्तु प्रोक्षणा शोचं बहूना धान्यवासनम् ।

प्रचालनेन त्वल्पानामद्भिः शोच विधीयते ॥११८॥

(११८) यदि चबों का बहुत बड़ा ढेर होवे तो वह जल के छींटे देने से पवित्र हो जाता है। यदि थोड़ा होवे तो जल से धोने से पवित्र हो जाता है।

चैलमचर्मणा शुद्धिर्बदलाना तथैव च ।

शाकपूलफलाना च धान्यवत्क्षुद्विरिष्यते ॥११९॥

(११९) जो पशु स्पर्श योग्य नहीं हैं उनके चमड़े का वर्तन) और मास का वर्तन इन दोनों की पवित्रता चरु

(१११) सोने आदि के पात्र, रत्नपात्र, पत्थर-पात्र यह सब पात्र (वर्तन) भस्म (राख), मिट्टी, जल से पवित्र हो जाते हैं, इस बात को मनु आदि ऋषियों ने कहा है ।

निलोपं काञ्चन भाण्डमद्भिरेव विशुद्ध्यति ।

अब्जमश्मयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥११२॥

(११२) जिस सुवर्ण (सोने), शङ्ख, मोती वा पत्थर के पात्र में जूठनादि नहीं लगी तथा जिस रूपे (चाँदी) के पात्र में रेखा (लकीरें) नहीं है यह केवल जल हो द्वारा शुद्ध हो जाते हैं ।

अपामग्नेश्च संयोगाद्धैमं रौप्यं च निर्वभौ ।

तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णोको गुणवत्तरः ॥११३॥

(११३) अग्नि जल के संयोग से स्वर्ण तथा रूपा (चाँदी) उत्पन्न होता है अतएव अपने मूल तत्त्व द्वारा दोनों की शुद्धता अत्युत्तम है ।

ताम्रायः कांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च ।

शौचं यथाहं कर्तव्यं चाराम्लोदकवारिभिः ॥११४॥

(११४) ताम्र, (तावा), लोहा, कांस्य (कांवा), पीतल इन सब की पवित्रता भस्म, सटाई तथा जल से यथाविधि करनी चाहिये ।

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिराप्लवनं स्मृतम् ।

प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥११५॥

(११५) जो द्रव (पदार्थ) यथा तेल घी आदि है उनको वस्त्र आदि से छान लेवे तथा जमे हुए पदार्थों को दो कुश लेकर उन पदार्थों में चलाने से पवित्र हो जाते हैं । यदि

शय्या (चारपाई) आदि पर जूठन गिर पड़ी हो तो वह जल के छीटे देने से पवित्र हो जाती है। काष्ठ (काठ) आदि का पात्र जन्म जूठनादि से अधिक लसा हो तो वह झीलने से पवित्र होता है।

मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ।

चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥११६॥

(११६) यज्ञ-पात्रों की शुद्धता हाथ से करनी चाहिये। यज्ञकर्म में चमस (चमचा) तथा सण्डासी चिमटों की पवित्रता धोने से होती है।

चरुणां स्रु वस्त्रु च वाणां शुद्धिरूप्येन वारिणा ।

स्फ्यशूर्पशकृटानां च मुशलोलूखलस्य च ॥११७॥

(११७) + चरु, स्रुग, स्रुवा, सूप, गाली, मूसल, ओसली, इन सब की शुद्धता उष्ण (गरम) जल से होती है।

अद्भिस्तु प्रोक्षणां शौचं वहूनां धान्यवासनम् ।

प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥११८॥

(११८) यदि बखों का बहुत बड़ा ढेर होवे तो वह जल के छीटे देने से पवित्र हो जाता है। यदि थोड़ा होवे तो जल से धोने से पवित्र हो जाता है।

चेलमचर्मणां शुद्धिर्वेदलानां तथैव च ।

शाकमूलफलानां च धान्यवत्क्षुद्धिरिष्यते ॥११९॥

(११९) जो पशु स्पर्श योग्य नहीं हैं उनके चमड़े का पात्र (वर्तन) और मांस का वर्तन इन दोनों की पवित्रता वस्त्र

कही हैं—प्रथम बिना देखी हुई वस्तु, दूसरे जल से धोई हुई वस्तु, तीसरे जो जल से श्रेष्ठ है।

आपः शुद्धा भूमिगता वैतृण्यं यासु गोर्भवेत् ।

अव्याप्ताश्च देमधेन गन्धवर्णरमान्विताः ॥१२८॥

(१२८) जो जल एक गऊ की प्यास बुझाने योग्य हो, अपवित्र वस्तु से मिश्रित न हो, गन्ध व रंग में उत्तम हो, तथा भूमि पर स्थित हो वह जल पवित्र है।

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्चप्रसारितम् ।

ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥१२९॥

(१२९) कारीगर का हाथ, पंसारी की दूकान की वस्तु, तथा ब्रह्मचारी की भिक्षा सदैव पवित्र है। यह शास्त्र की मर्यादा है।

नित्यमास्यं शुचिः स्त्रीणां शकुनिः फलपातने ।

प्रसवे च शुचिर्वत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥१३०॥

(१३०) सम्भोग समय स्त्री का मुँह, फल गिराने में पत्नी, दूध दुहते समय बछड़ा, हिरन के पकड़ने के समय कुत्ता, श्वभिर्हतस्य यन्मांसं शुचिस्तन्मनुरब्रवीत् ।

क्रव्याद्भिश्च हतस्यान्यैश्चण्डालार्थश्च दस्युभिः ॥१३१॥

(१३१) + कुत्ता, सिंह, बाज तथा आखेट खेलने वाले से जो मांस प्राप्त होता है उस मांसको मनुने पवित्र बतलाया है।

+ यह श्लोक धाममार्गियों ने सम्मिलित किया है, क्योंकि आगामी श्लोकों में मनु ने स्वयम् इसकी व्याख्या की है।

ऊर्ध्वनाभेर्यानि त्वानि तानि मेघ्यानि सर्वशः ।

यान्यधस्तान्यमेघ्यानि देहाच्चैव मलारव्युताः ॥१३२॥

(१३२) नाभि के ऊपर का सारा शरीर पवित्र है और नाभि से नीचे का भाग अपवित्र है, और जो मल शरीर से पृथक् होता है वह भी अपवित्र है ।

मच्छिका त्रिप्रु पशुछाया गौरश्वः सूर्यरश्मयः ।

रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शं मेघ्यानि निर्दिशेत् ॥१३३॥

(१३३) मक्खी, जलबूँद, छाया, गरु, घोड़ा, सूर्य-किरण, धूल, भूमि, वायु, अग्नि यह सब छूने से पवित्र हैं ।

विण्मूत्रोत्सर्गशुद्ध्यर्थं मृदायादियमर्थनत् ।

दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्त्रवि ॥१३४॥

(१३४) मल मूत्र तथा अन्य वारहों अपवित्र वस्तुओं (जो शरीर से पृथक् होकर गिर जाती हैं) को छूकर जल मिट्टी द्वारा आवश्यकतानुसार धोने से पवित्र होता है ।

वसा शुक्रमसृड्मन्त्रा मूत्रविट्घ्राणरुर्णविट् ।

श्लेष्माश्च दूपिका स्वेदो द्वादशो नृणां मलाः ॥१३५॥

(१३५) मनुष्य के शरीर में यह बारह मल (अर्थात् निरर्थक अपवित्र वस्तु) होते हैं । १—वसा (चर्बी), २—शुक्र (वीर्य), ३—रुधिर, ४—मज्जा, ५—मूत्र, ६—विष्टा, ७—नाक थूक, ८—मान का मेल, ९—सखार, १०—आँसू, ११—कीचड़, १२—स्वेद, (पसीना) ।

एका लिंगे गुदे तिस्रस्तथोक्त्रे करे दश ।

उमषोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमपीप्सता ॥१३६॥

और (दूजानत) धराना चाहिये। उस शूद्र की पवित्रता वैश्य
है और ब्राह्मण की जूठन उसका भोजन है।

नोच्छिष्टं कुर्वते मुरया विप्रुषोऽङ्गो पतन्ति याः ।

न स्मश्रुणि गतान्याम्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥१४१॥

(१४१) धूक की बूँदों शरीर के किसी भाग में गिर
जाये तथा मोछ का बाल मुँह में जाता रहे और दाँत में जो
वस्तु लगी हो वह सब अपवित्र नहीं हैं।

स्पृशन्ति विन्दवः पादो य आचामयतः परान् ।

श्रोमिकैस्ते समाज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत् ॥१४२॥

(१३६) मिट्टी द्वारा पवित्रता का इच्छुक मनुष्य मिट्टी को एक बार मूत्र स्थान (लिंगेन्द्रिय) पर और पाँच बार मल-द्वार पर, दश बार बायें हाथ में सात बार दाहिने हाथ में लगावे ।

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।

त्रिगुणं स्याद्द्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥१३७॥

(१३७) यह शौच अर्थात् पवित्रता गृहस्थ मनुष्यों के लिये है, ब्रह्मचारियों को इससे द्विगुण (दूनी), वानप्रस्थी अर्थात् वन में तप करने वालों को इससे त्रिगुण (तिगुनी) संन्यासियों को इससे चतुर्गुण (चौगुनी) करना चाहिए ।

कुत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्तं उपस्पृशेत् ।

वेदमध्येप्यमाणश्च अन्नमशनश्च सर्वदा ॥ १३८ ॥

(१३८) विष्टा व मूत्र त्याग करके हाथ पाँव धोकर आचमन करके इन्द्रियों को छुये और भोजन करने के समय तथा वेदपाठ करने के समय भी आचमन करके इन्द्रियों को स्पर्श करे ।

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

शारीरं शौचमिच्छन्ति स्त्रीशूद्रस्तु सकृत्सकृत् ॥१३९॥

(१३९) शारीरिक शौच (शरीर की पवित्रता) के हेतु प्रथम तीन बार आचमन करे, पश्चात् दो बार मुँह धोवे, तथा स्त्री व शूद्र केवल एक ही बार मुँह धोवे तथा आचमन करे ।

शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम् ।

वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥१४०॥

(१४०) न्याय से रहने वाले शूद्र का मांस में एक बार

चौर (हजामत) करना चाहिये । उस शूद्र की पवित्रता वैश्य
हुँव है और ब्राह्मण की जूठन उसका भोजन है ।

नोच्छ्रष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुपौऽङ्ग पतन्ति याः ।

न श्मश्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥१४१॥

(१४१) शूद्र की बूँदों शरीर के किसी भाग में गिर
जावे तथा मोछ का बाल मुँह में जाता रहे और दाँत में जो
वस्तु लगी हो वह सब अपवित्र नहीं हैं ।

स्पृशन्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान् ।

श्रौमिकैस्ते समाज्ञेया न तैराग्रयतो भवेत् ॥१४२॥

(१४२) कोई मनुष्य किसी को आचमन कराता हो
और आचमनकर्ता के मुँह से जल की बूँद जमीन पर गिर
कर आचमन कराने वाले के पाँव पर पड़े तो वह बूँद भूमि के
जल के तुल्य है, उससे अपवित्रता नहीं होती ।

उच्छ्रष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन ।

अनिधायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥१४३॥

(१४३) यदि हाथ में कोई वस्तु ग्रहण किये हुये किसी
जूठे पुरुष से छू जावे तो वह वस्तु हाथ में ग्रहण किये ही
आचमन ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है ।

वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु धृतप्राशनमाचरेत् ।

आचामेदेव भुक्त्वान्नं स्नानं मैधुनिनःस्मृतम् ॥१४४॥

(१४४) वमन करने वाला तथा विसूचिका वाला (दस्त
पु रोगी) स्नान करने के पश्चात् पी खावे, और अन्नादि भोजन
के आचमन करे तथा स्त्री रुग्भोग करके स्नान करे ।

(१३६) मिट्टी द्वारा पवित्रता का इच्छुक मनुष्य मिट्टी को एक बार मूत्र स्थान (लिंगेन्द्रिय) पर और पाँच बार मल-द्वार पर, दश बार बायें हाथ में सात बार दाहिने हाथ में लगावे ।

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।

त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥१३७॥

(१३७) यह शौच अर्थात् पवित्रता गृहस्थ मनुष्यों के लिये है, ब्रह्मचारियों को इससे द्विगुण (दूनी), वानप्रस्थी अर्थात् वन में तप करने वालों को इससे त्रिगुण (तिगुनी) संन्यासियों को इससे चतुर्गुण (चौगुनी) करना चाहिए ।

कुत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्तं उपस्पृशेत् ।

वेदमध्येप्यमाणश्च अन्नमशनंश्च सर्वदा ॥ १३८ ॥

(१३८) विष्टा व मूत्र त्याग करके हाथ पाँव धोकर आचमन करके इन्द्रियों को छुये और भोजन करने के समय तथा वेदपाठ करने के समय भी आचमन करके इन्द्रियों को स्पर्श करे ।

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।

शारीरं शौचमिच्छन्ति स्त्रीशूद्रस्तु सकृत्सकृत् ॥१३९॥

(१३९) शारीरिक शौच (शरीर की पवित्रता) के हेतु प्रथम तीन बार आचमन करे, पश्चात् दो बार मुँह धोवे, तथा स्त्री व शूद्र केवल एक ही बार मुँह धोवे तथा आचमन करे ।

शूद्राणां मासिकं कार्यं वषणं न्यायवर्तिनाम् ।

वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥१४०॥

(१४०) न्याय से रहने वाले शूद्र का मांस में एक बार

चौर (हजामत) फराना चाहिये । उस शूद्र की पवित्रता वैश्य तुल्य है और ब्राह्मण की जूठन उसका भोजन है ।

नोच्छ्रष्टं कुर्वते मुख्या मिश्रुपौऽङ्गं पतन्ति याः ।

न श्मश्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥१४१॥

(१४१) थूक की वूँदों शरीर के किसी भाग में गिर जावे तथा मोछ का बाल मुँह में जाता रहे और दाँत में जो वस्तु लगी हो यह सब अपवित्र नहीं हैं ।

स्पृशन्ति विन्दवः पादो य आचामयतः परान् ।

श्रोमिकैस्ते समाज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत् ॥१४२॥

(१४२) कोई मनुष्य किसी को आचमन कराता हो और आचमनकर्ता के मुँह से जल की वूँद जमीन पर गिर कर आचमन कराने वाले के पाँव पर पड़े तो वह वूँद भूमि के जल के तुल्य है, उससे अपवित्रता नहीं होती ।

उच्छ्रष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन ।

अनिघायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥१४३॥

(१४३) यदि हाथ में कोई वस्तु ग्रहण किये हुये किसी ठो पुरुष से छू जावे तो वह वस्तु हाथ में ग्रहण किये ही आचमन ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है ।

वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु धृतप्राशनमाचरेत् ।

आचामेदेव सुक्त्वान्नं स्नानं मैथुनिनःस्मृतम् ॥१४४॥

(१४४) बमन करने वाला तथा विसूचिका वाला (दस्त रोगी) स्नान करने के पश्चात् घी खावे, और अन्नादि भोजन के आचमन करे तथा स्त्री सम्भोग करके स्नान करे ।

अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः ।

सुखस्य नित्य दातेह परलोके च योपितः ॥ १५३ ॥

(१५३) ऋतुकाल अथवा अन्य समय में मन्त्र संस्कार करने वाला पति इस लोक (संसार) व परलोक में स्त्रियों को सुख देता है ।

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥

(१५४) यदि पति निष्ठुर होवे तथा दूसरी स्त्री से प्रीति रखता हो अथवा गुणहीन हो तो भी पतिव्रता स्त्री सदैव उसकी सेवा देवता की नाईं करती है ।

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम् ।

पति शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५५ ॥

(१५५) क्योंकि स्त्रियाँ विवाहोपरान्त पति का आध्यात्मिक (शरीर) हो जाती हैं अतएव स्त्रियों को पृथक्, यज्ञ वा व्रत करना पाप है । केवल पति की सेवा शुश्रूषा ही करनी उचित है ।

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।

पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किचिदप्रियम् ॥ १५६ ॥

(१५६) पतिलोक में जाने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता स्त्री पति के जीवित रहते व मृत्यु के उपरान्त अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य न करे ।

१—पतिव्रता शब्द पति + व्रता शब्दों से योगिक है । पति व अर्थ भर्ता तथा व्रत के अर्थ दृढ प्रतिज्ञा के हैं अतः जो स्त्री अपनी विवाह प्रतिज्ञा को दृढ नियम द्वारा निभाती है वह पतिव्रता कहलाती है ।

काम तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शभैः ।

न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यो प्रेते परस्य तु ॥१५७॥

(१५७) अपने पति की मृत्यु पश्चात् दूसरे पति का नाम तक भी न लेवे, उत्तम मूल, फल फूल, इच्छानुसार वस्त्र भोजन करके निर्दोष शरीर (कामेच्छा रहित) रह कर जीवन व्यतीत करे ।

आसीतामरणात्त्वान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।

यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥१५८॥

(१५८) जिस स्त्री का एक ही पति है वह पतिव्रता धर्म की इच्छा करती हुई, अपने मरण पर्यन्त निधम से ब्रह्मचारिणी रह कर क्षीण शरीर से जीवन निर्वाह करे ।

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम् ।

दिव गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंतितम् ॥ १५९ ॥

(१५९) यदि कहे कि पुत्र विना धर्म प्राप्ति नहीं हो सकती अतएव दूसरे पति को धरण करना चाहिये, इसका उच्चर यह है कि कई सहस्र कुमार ब्रह्मचारी धाष्टण्य सन्तति विना (वर्गारोहण कर गये । इस बात को समझ कर सन्तान के विना ही नियम से रहे ।

मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता ।

स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते नक्षचारिणः ॥ १६० ॥

(१६०) पति की मृत्यु के पश्चात् पतिव्रता स्त्री ब्रह्मचर्या-याथा में स्थित रहे तो सन्तान न होने पर भी स्वर्ग में जाती है, जैसे कुमार ब्रह्मचारी स्वर्ग को गये ।

अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते ।

सैह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाञ्च हीयते ।१६१।

(१६१) जो स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा में दूसरे पति से सम्भोग करती है वह ससार में निन्दा पाती है और परलोक में पतिलोक को नहीं प्राप्त करती है ।

यान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे ।

न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्तोपदिश्यते ।१६२।

(१६२) दूसरे पति से जो सन्तान उत्पन्न होती है वह शास्त्रानुसार अपनी सन्तान नहीं कहलाती, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को शास्त्र में दूसरा पति नहीं लिखा है ।

पतिं हित्वापकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते ।

निन्द्यैव सा भवेन्नोके परपूर्वेति चोच्यते ।१६३।

(१६३) जो स्त्री अपने अल्पगुणी पति को त्याग कर दूसरे अधिक गुणी पति को वरण (ग्रहण) करती है वह ससार में निन्दनीय होती है तथा दो पति वाली कहलाती है ।

व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्धताम् ।

शृगालर्योनिं प्राप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ।१६४।

(१६४) दूसरे पति सम्भोग करने से स्त्री, ससार में अपयश पाती है गीदड़ का जन्म पाती है तथा पाप रोगों से दुःखी होती है ।

नोट—स्त्री का दूसरे पति की इच्छा करना कर्मवृत्ति के कारण है अतएव यह स्त्री तथा यह पुरुष जो विषयों की इच्छा से दूसरा विवाह करते हैं गीदड़ की योनि को प्राप्त होते हैं ।

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।

सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ १६५ ॥

(१६५) जो स्त्री दूसरे पति से रुग्ण्य (सम्भोग) नहीं करती तथा मन, वाणी व शरीर को अपने वश में रखती है वह परलोक में पतिलोक प्राप्त करती है तथा उत्तम पुरुष उस स्त्री को साध्वी कहते हैं ।

अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता ।

इहाग्रयां कीर्तिमाप्नोति पतिलोक परत्र च ॥ १६६ ॥

(१६६) + इस प्रकार मन, वाणी, शरीर का संयत (वश में) करके इस लोक में अपार कीर्ति लाभ करती है और परलोक में पतिलोक को प्राप्त करती है ।

एवघृतां सवर्णां स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम् ।

दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥ १६७ ॥

(१६७) धर्मज्ञाता ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य ऐसी अपनी जाति की स्त्री की मृत्यु में उसका शवदाह अग्निहोत्र को अग्नि व यज्ञपात्रों से धर्मानुसार करे ।

भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्मणि ।

पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥

(१६८) तत्पश्चात् अन्त्येष्टीकर्म करके दूसरा विवाह करे तथा अग्नि को स्थापन करे ।

+ यह श्लोक सर्वथा सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि विवाह प्रकरण के मन्त्री द्वारा जो प्रतिज्ञा होती है उसके सर्वथा विरुद्ध है और अथाय में सम्मिलित है ।

अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत् ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६६ ॥

(१६६) इस विधि से सदैव पञ्चयज्ञ को करे, उनको कभी परित्याग न करे । तथा आयु के दूसरे भाग तक विवाह करके गृह में रहें ।

मनुजी के धर्मशास्त्रभृगुजी की संहिता का पञ्चमोऽध्याय समाप्त हुआ ।

षष्ठोऽध्यायः ।

—)❀❀(—

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

॥ (१) इस रीति से गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके स्नातक द्विज सांसारिक चिन्ताओं को छोड़ जितेन्द्रिय होकर वानप्रस्थ आश्रम के निमित्त वन में वसकर जीवन व्यतीत करे ।

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्द्वालीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

॥ (२) गृहस्थ पुरुष अपने को वृद्धावस्था में देखे और पौत्र (पुत्र के पुत्र) को देखे तब वन में वास करे ।

संत्यज्य ग्राम्यमोदारं सर्वं चैव परिच्छदम् ।

पुत्रेषु भार्या निचिष्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥

(३) गाँव के आहार और घर की सामग्री को त्याग करके तथा स्त्री को पुत्र को सोप कर वन में जावे अथवा सफलीक वन को जावे ।

। अग्निहोत्रं समादायं गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।।

ग्रामादरथं निःसृत्य निवसेन्निपतोन्द्रियः ॥ ४ ॥

(४) अग्निहोत्र को तथां सामिगी सहित घर को अग्नि को लेकर और इन्द्रिय जित होकर गाँव का परित्याग कर वन में रहे । सामर्थ्य भर (अर्थात् जहाँ तक हो सके) किसी नगर में न जावे ।

। मुन्यन्नेविंविधैर्मेघ्यैः शाकमूलफलेन वा ।-

। एतानेव महायज्ञान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम् ॥ ५ ॥

(५) विविध प्रकार के मुनि अग्नि से, तथा शक्ति शाक, मूल, फल इनसे शास्त्रानुसार यथाविधि पंच महायज्ञों को करे ।

वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा ।

जटाश्च विभृत्यान्नित्यं श्मश्रुत्तोमनखानि च ॥ ६ ॥

(६) चमड़ा व बस्त्र का टुकड़ा पहन कर सायं प्रातः स्नान करे, जटा, मोछ, बाल तथा नख बढ़ावे अर्थात् छौर न करावे ।

। यद्भुक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्बलिं भिक्षां च शक्तिः ।

। अम्मूलफलभिक्षाभिरचयेदाश्रमागतान् ॥ ७ ॥

(७) जो वस्तु भोजन के लिये उपस्थित हो उसी से बलि वैश्य कर्म करे और उसी को ब्रह्मचारी आदि को भिक्षा देवे, तथा जो अतिथि घर पर आ जावे उसकी कन्द, मूल, जल, फल आदिसे पूजा करे ।

। जोट-श्राद्ध में जहाँ पितरों को बुलाना लिखा है वही इन्हीं पितरों से तात्पर्य है जो इस रीति से वानप्रस्थ तथा सन्यास में उपस्थित होते हैं ।

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यं मनोदाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८ ॥

(८) नित्य वेदपाठ कर जप को स्थिर रखे, सवना मित्र होकर रहे, शीत, घाम, क्रोध, आदि को सहन करे, किसी से कुद्व न लेवे, सब मूतों (जीवों) पर दया रखे ।

गैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि ।

दशमंस्कन्दयन्पर्ष पौर्णमासं च योगतः ॥ ९ ॥

(९) शास्त्रोक्त विधि से अग्निहोत्र करे । दर्शन, पौर्ण मास इन नियमित यज्ञों को भी करता रहे ।

ऋक्षेष्ट याग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत् ।

उत्तरायणं च क्रमशो दक्षिणायनमेव च ॥ १० ॥

(१०) ऋक्ष, अथर्वण, चातुर्मास उत्तरायण दक्षिणायन कर्मों को करे ।

वासन्तशारदमध्यैर्मुपन्नैः स्वयमाहृतैः ।

पुरोडाशांश्चरुंश्चैव विधिवन्निर्वपेत्पृथक् ॥ ११ ॥

(११) वसन्त तथा शारद ऋतु में जो भोजन योग्य पवित्र अन्न (मुख्यतः) उत्पन्न होता है उसे स्वयं लाकर शास्त्रोक्त विधि द्वारा पृथक् पृथक् पुरोडाश व चरु देवताओं को यज्ञसिद्धि होने के निमित्त देवे ।

देवताभ्यस्तु तद्भुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः ।

शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वर्गं कृतम् ॥ १२ ॥

(१२) अति शुद्ध तथा उत्तम हवन योग्य पदार्थ को हवन द्वारा अग्नि वायु आदि देवताओं को देवे । हवन के

पश्चात् जो रोप रहे उसे स्वयम् भोजन करे तथा अपने वनीये हुए छे लवण पदार्थों को भी खावे ।

स्थलजोदक्रशाकानि पुष्पमूलफलानि च ।

मेध्यवृक्षीद्वमवान्यद्यात्स्नेहाय फलसमवान् ॥१३॥

(१३) पृथ्वी, जल व पवित्र वृक्ष से जो शाक, मूल, फूल, फल उपन्न हुये हैं । तथा फल से उत्पन्न तेल को भी भोजन करे ।

वर्जयेन्मधु मास च मौमानि कर्मज्ञानि च ।

भूस्तृण शिग्रुकचव स्लेष्मातकफलानि च ॥१४॥

(१४) छे शराव, मास, व प्रयोग के चक्राकार व भूस्तृण जो मलावा देश म प्रसिद्ध है व शकर शाक जो बाहीरु देश म प्रसिद्ध है व गहेडा इन सब का भोजन करना परित्याग करे ।

त्यजेदाद्यपुजे मामि मुन्यन्त पूर्णसूचितम् ।

जीर्णानि चार वासानि शाकमूलफलानि च ॥१५॥

(१५) मुनियों का अन्न जो सूचित किया है, जीर्ण वक्ष (पुराने वसन) शाक मूल फल इन सबको आश्विनमासमें त्यागदे ।

न फालकृष्टमशनीयादुत्सृष्टमपि केनचित् ।

न ग्रामजातान्यातौऽपि मूलानि च फलानि च ॥१६॥

(१६) जो वस्तु हल द्वारा उत्पन्न हुई तथा जो क्षेत्र (खेत) के समीप हो चाहे उसे क्षेत्र स्वामी ने त्याग दिया हो

छे लवणानि पृथक् करने से यह तात्पर्य है कि हवन म लवण मिश्रव पदार्थ न डाले जावें ।

छे १४ वें श्लोक में मद्य मास का निषेध है । अतएव यहाँ मास भक्षण लिखा है यह सब सम्मिलित निषेध हुआ है ।

परन्तु उसे भोजन न करे तथा दुःखी होने पर भी हल चलाये विना गाँव के भीतर जो फल मूल उत्पन्न हुए हों उनका भोजन न करे ।

अग्निपक्ववाशनो वा स्यात्कालपक्वभुगेव वा ।-

अश्मकुट्टौ भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥१७॥

(१७) जो चम्बु अग्नि द्वारा अथवा समय पाकर परिपक्व (पकी) हुई हो उसको भोजन न करे । पत्थर से कूट कर अथवा दाँतों की ओखली बनाकर भोजन करे ।

सद्यःप्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि ।

पण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥१८॥

(१८) एक दिन के भोजन योग्य वस्तु को रखे अथवा एक मास व छः मास व एक वर्ष के भोजन योग्य पदार्थ (वस्तु) को रखे ।

नक्तं चान्नं समश्नीयाद्दिवा वा हृत्य शक्तितः ।

चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥१९॥

(१९) अपने बलानुसार दिन में लाकर रात्रि में भोजन करे, व एक दिवस उपवास करे, दूसरे दिवस एक बार भोजन करे अथवा तीन दिवस उपवास करे चौथे दिवस एक, बार ही भोजन करे ।

चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्ण च वर्तयेत् ।

पक्षान्तयोर्वाप्यश्नीयाद्यवागूं कथितां संकृत् ॥२०॥

(२०) चन्द्रायण व्रत को करे अथवा अमावस्या व पौर्णमासी के दिवस चार जो की लपसी सावे ।

पुष्पमूलफलैर्नापि देवनेर्वर्तयेत्सदा ।

फालपक्वैः स्वयशीर्षो वंखानस मते स्थितः । २१ ।

(२१) जो फल फूल, कन्द मूल अर्थात् शकरक दी आदि स्वय काल पाकर पक गये हों उनको खाकर समय व्यतीत करे तथा यथासम्भव इन्द्रियों को विषयों से पृथक् रखे ।

भूमो विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैदिनम् ।

स्यानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः । २२ ।

(२२) वानप्रस्थ आश्रम में रहकर केवल भूमि ही पर लोटा करे व पाँव के अगले भाग के बल से सारे दिन खड़ा रहे तथा स्नान व आसन में विहार करे, तीना काल अर्थात् प्रात दोपहर, सायकाल को स्नान करे ।

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तुः स्याद्वर्षास्त्रिधावक्राशिकः ।

आर्द्रावासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयस्तपः । २३ ।

(२३) शनै शनै (धीरे धीरे) ऋ तप को बढ़ाता हुआ ग्रीष्म (गर्मी) में पञ्चाग्नि तापे, वर्षा में त्रिधा द्यत वाले घर में रहे अर्थात् सुले मैदान में रहे, हेमन्त (जाड़े) में गीला कपड़ा पहने रहे ।

उपस्पृशस्त्रिपत्रण पितृन्देवांश्च तर्पयेत् ।

तपश्चरंश्चोग्रतरं शोपयेद्देहमात्मनः । २४ ।

(२४) तीनों काल में स्नान करने के पश्चात् देवता तथा

ऋ तप करना दुख के हितु नहीं किंतु सहनशीलता उत्पन्न करने के अर्थ वानप्रस्थ को आवश्यक है क्योंकि उसे भविष्य में ससार में विजय प्राप्त करनी है ।

पितरों का तर्पण करे । अथ तप को करता हुआ अपने शरीर को सुखावे ।

अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि ।

अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः । २५ ।

(२५) यथाविधि अग्नि होत्र की अग्नि को अपने गृह में स्थित करे । तत्परचात् अग्नि तथा स्थान से पृथक् होकर मूल फल खाता हुआ शास्त्र को विचारे ।

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।

शरणेष्वममथैव वृक्षमूलनिकेतनः । २६ ।

(२६) सुख के लिये प्रयत्न न करे, ब्रह्मचारी होकर धरती पर सोवे वृक्ष मूल में वास करे तथा वासस्थान से प्रीति न करे ।

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैयमाहरेत् ।

गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु । २७ ।

(२७) तपस्वी ब्राह्मण से भिक्षा मांगे, अथवा जो वन वासी द्विज गृहस्थ हैं उनसे भी भिक्षा याचन करे (मांगे) ।

ग्रामादाहृत्य वारनीयादष्टौ ग्रासान्वने वसन् ।

प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा । २८ ।

(२८) ग्राम से भिक्षा याचन करके आठ ग्राम खावे, वन में वस कर दोनों हाथ व मिट्टी के पात्र के ठीकर (टुकड़े) में भिक्षा ग्रहण करे ।

एताश्चान्याथ सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन् ।

विविधाथौष निपदीरात्म संसिद्धये श्रुतिः । २९ ।

(२६) वन में बस कर इस दीक्षा का तथा अन्य दीक्षा भी सेवन करे और विविध X उपनिषदों में जो वेद की नुतियाँ हैं उनका आत्मा को भली प्रकार सिद्धि प्राप्त करने के लिये पढ़े तथा समझे ।

अपिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः ।

विद्यातपोविबृद्ध्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये । ३० ।

(३०) शरीर-शुद्धि के लिये तथा तप बढ़ाने के लिये उस विद्या का सेवन करे जिस विद्या का सेवन ऋषि तथा गृहस्थ ब्राह्मणों ने किया है ।

अपराजितां वास्थाय ब्रजेद्दिशमजिह्वगः ।

आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः । ३१ ।

(३१) X चाहे एक स्थान पर बैठकर समाधि द्वारा प्राकृत पदार्थों से पृथक्त्व प्राप्त करे अथवा किसी और को जल वालू खाता हुआ चलदे, जब तक कि शरीरका नाश न हो जावे

आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम् ।

वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते । ३२ ।

(३२) वह सब आचरण जो बड़े-बड़े ऋषियों ने कहे

X उपनिषदों से तात्पर्य गुप्तकीला अर्थात् परोक्ष पदार्थ जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान कराने वाली पुस्तकें हैं जिनमें वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मज्ञान की व्याख्या की गई है ।

+ ३१ वें श्लोक में बतली अवस्था वालों के अर्थ उद्देश्य हैं जिनको मुक्ति का उपाकार हो गया है और अब किसी साधन की आवश्यकता नहीं है ।

हैं उनमें से किसी आचरण द्वारा शरीर को परित्याग करके शोक तथा भय को छोड़ कर ब्रह्मलोक में पूजित होता है ।

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सद्भ्रान्परिव्रजेत् । ३३ ।

(३३) इस प्रकार आयु का तीसरा भाग वन में व्यतीत करके संग को त्याग कर आयु के चतुर्थ भाग में संन्यास को धारण करे ।

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः ।

भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन्नेत्य वर्धते । ३४ ।

(३४) जितेन्द्रिय हो यज्ञ को संपूर्ण कर यथाक्रम एक आश्रम के पश्चात् दूसरे आश्रम को ग्रहण कर भिक्षा तथा बलि-कर्म से श्रमित तथा हुआ संन्यास धारण कर परलोक में ब्रह्मपद को प्राप्त करता है ।

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् ।

अनःपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः । ३५ ।

(३५) तीनों ऋण जिन्हें देवऋण, पितृऋण तथा ऋषिऋण कहते हैं चुकाकर मन को मोक्ष में लगावे । इन तीनों ऋणों के चुकाये बिना जो मोक्ष का सेवन करता है वह नरक में जाता है ।

अधीत्य विधिवद्दान्पुत्रांश्चौत्पाद्य धर्मतः ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् । ३६ ।

(३६) बुद्धि से वेद का अध्ययन करके, धर्म से पुत्रोत्पन्न करके अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करता हुआ मोक्ष में मन की प्रवृत्ति करे अर्थात् चित्तवृत्ति लगावे ।

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् ।

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षामिच्छन्प्रजत्यधः । ३७ ।

(३७) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदाध्ययन न करके धर्म द्वारा पुत्र उत्पन्न न करे तथा यज्ञ या अनुष्ठान न कर मोक्ष की इच्छा करता है वह नरक में जाता है, क्योंकि मनुष्य जन्म केवल वेदाध्ययन कर जीवात्मा की अज्ञानता को दूर करने के निमित्त है ।

। प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात् । ३८ ।

(३८) प्रजापत्य यज्ञ को करने पश्चात् सब को दक्षिणा देकर तथा अग्नि को अपनी आत्मा में रख ब्राह्मण अपने गृह को परित्याग करे अर्थात् संन्यास धारण करे ।

यो दद्या सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः । ३९ ।

(३९) जो वेदाध्ययनी पुरुष सब भूतों (जीवा) को अभय प्रदान कर गृह त्याग करता है अर्थात् संन्यास धारण करता है वह ससार में निडर होकर धर्मोपदेश कर सकता है ।

यस्मादखवपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम् ।

। तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन । ४० ।

(४०) जिस शक्तिसम्पन्न (सामर्थ्यवान्) ब्राह्मण से धर्मात्मा होने के कारण सब भूत (जीव) निडर हों अर्थात् किसी जीव को भय न हो तथा वह सब से प्रेम करता हो उसको आगामी जन्म में कुछ भी भय नहीं रहता ।

अगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः ।
समुपोदेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् । ४१ ।

(४०) ससार त्यागी तथा स्नानादि से शुद्ध हो विचार करता हुआ और दूसरे के दिये हुए अन्नादि में अनिच्छुक हो सन्यास को धारण करे ।

एक एव चरेन्नित्यं सिद्ध्यर्थमसहायवान् ।
सिद्धि मेरुस्य संपश्यन्न जहाजि न हीयते । ४२ ।

(४२) किसी की सहायता की इच्छा न करे, सदैव इकाकी (अकेला) रहे, जो सिद्धि के अर्थ एक ही की सिद्धि होती है इस बात को देखकर किसी को त्याग नहीं करता उनको भी कोई नहीं त्यागता ।

अग्निरनिषेतः स्याद्ग्राममन्त्रार्थमाश्रयेत् ।
पेक्षोऽशकुसुको मुनिर्भावसमाहिः । ४३ ।

(४३) अग्निहोत्रादि सासारिक कर्म तथा घर को इच्छा को परित्याग कर वृद्धि को स्थिर रख कर मुनिवृत्ति में मन लगाये तथा गाँव से भिक्षा माँग कर निर्वाह करे । ब्रह्म में चित्त-वृत्ति लगाये हुए अन्वर्थ गाँव का आश्रम ले ।

कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमऽसहायता ।
समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् । ४४ ।

(४४) मुक्त का लक्षण है कि भिक्षार्थ मिट्टी का पात्र रखे, वृक्ष की जड़ में निवास करे, ऐसे वस्त्र रखे जो किसी कार्य के योग्य न हो, किसी से सहायता की इच्छा न करे तथा सब जीवा को एक समान समझे ।

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं मृतको यथा ॥४५॥

(४५) मृत्यु वा जीवन इन दोनों में से किसी की इच्छा न करे केवल समय का ही ध्यान रखे, जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा का ही ध्यान रखता है, क्योंकि जीवन व मृत्यु की इच्छा का राग द्वेष बिना नहीं हो सकती ।

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥४६॥

(४६) बाल तथा हड्डी से पृथक् रहने के हेतु भूमि पर देसकर पाँच रखे छोटे २ जीवों के रक्षार्थ ध्यान कर जल पीवे, सत्य पचनो ही को बोले, मन को इच्छा से रहित रखकर प्रत्येक समय पचित्रात्मा रहे ।

अतिचादांस्तितिचेत नावमन्येत कंचन ।

न चेमं देह माश्रित्य वैरं कुर्यात् केनचित् ॥४७॥

(४७) लोगों के अपशब्दों को सहन करे, किसी का अपमान न करे, न किसी से शत्रुता करे, तथा अपने चित्त में सांसारिक मनुष्यों को नाशवान जानकर किसी से प्रीति व वैर (शत्रुता) का ध्यान भी न करे ।

क्रुध्यंतं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टं कुशलं वदेत् ।

सप्तद्वारावकैर्णा च न वाचमनृतां वदेत् ॥४८॥

(४८) यदि कोई सन्यासी पर क्रोध करे तो सन्यासी उस पर क्रोध न करे, और यदि सन्यासी से धुराई करे तो सन्यासी अपने उत्तम शब्दों द्वारा उसको प्रसन्न करे । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, व मन तथा बुद्धि इन सातों से जो वस्तु ग्रहण करे

गई हो उसके विषय में वाणी द्वारा कथन करें, शेष इन्द्रियों को सम्बन्धित वस्तु के विषय में मूक (चुप) रहे, वरन् ब्रह्मवाणी वार्तालाप करे ।

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षा निरामिपः ।

आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥

(४९) आत्मा में प्रीति करता रहे, प्रत्येक वस्तु का अनिच्छुक रहे । मास भक्षण त्याग दे, केवल अपनी आत्मा ही को सहायक जान कर सुख के अर्थ इस लोक में विचारे ।

न चोत्पातनिमित्तायां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।

नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥ ५० ॥

(५०) भूचाल आँख का फड़कना आदि, नक्षत्र तथा हस्तरेखा (हाथ की रेखा) इनका फल कहकर नीतिशास्त्र का उपदेश करके कभी भिक्षा ग्रहण की इच्छा न करे ।

न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा स्वभिः ।

अकीर्णभिक्षुकैर्वान्यैरागार मुपसंभजेत् ॥ ५१ ॥

(५१) तपस्वी ब्राह्मण पत्नी, कुत्ता, भिक्षुक यह सब जिस घर में हों उस गृह को त्याग दे अर्थात् वहाँ से भिक्षायाचन न करे ।

क्लृप्तकेशनखरमथ्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ।

विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीड्यन् ॥ ५२ ॥

(५२) बाल (केश), नख, मोछ, को छोटा रखे, दण्ड, कमण्डलु तथा पात्र को पास रखे, किसी जीव को कष्ट व पीड़ा न देवे, सदैव अचिन्त्य (चिन्ता रहित) होकर विचरे ।

अतौजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्वाणानि च ।

तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥५३॥

(५३) जो पात्र काँसी वा पीतलादि के हैं उनको परित्याग कर तूँवा आदि को रखे जो अछिद्र हों और उनका जल व मिट्टी से पवित्र करे जैसे यज्ञ में चमस नाम पात्र को पवित्र करते हैं ।

अलावुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा ।

एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वागंभुवोऽब्रवीत् ॥५४॥

(५४) लौकी, काठ, मिट्टी व बाँस का पात्र अपने पास रखें, सन्यासी के केवल उतने ही पात्र हैं जो उसके कार्यार्थ अत्यन्तावश्यकीय हैं और उन्हीं को अपने समीप रखें ऐसा मनुजी ने कहा है ।

एककालं चरेद्भैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे ।

भैक्षे प्रसक्तौ हि यतिविषयेऽपि सञ्जति ॥५५॥

(५५) केवल एक काल (समय) ही भिक्षा याचन करे, अधिक भिक्षा ग्रहण करने से सन्यासी सासारिक विषयी में लिप्त होकर अपने सन्यासनामी व्रत को तोड़ देता है ।

विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने ।

वृत्ते शराप्रसपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥५६॥

(५६) जिस समय गृहस्थ के घर में धुआँ न हो, मूसल का शब्द न हो, अग्नि भी प्रज्वलित न हो तथा सन्न मनुष्य भोजन से निवृत्त हो गये हों, जूठी पत्तलादि घर से बाहर (फेंक दी गई हों) नित्य उस समय ही सन्यासी भिक्षा-याचन को चाये ।

दशा को पुण्य कर्म व पापकर्म अर्थात् धर्माधर्म का फल समझ कर ध्यान-पूर्वक विचार करे।

दूषितऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥

(६६) यदि किसी आश्रम में रहकर उसकी सासारिक विधि को कार्य में न लाता हो किन्तु सब जीवों से निज आत्मा तुल्य (समान) व्यवहार करे तो वह दूषित (बुरा) नहीं, क्योंकि सासारिक (१) दिखावावटी चिह्न धर्म का कारण नहीं।

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्त वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥

(६७) निर्मली फल यद्यपि जल को स्वच्छ करता है परंतु उसके नाममात्र के लेने से जल स्वच्छ नहीं होता, जब उसको घिस कर पानी में डालेंगे तभी जल स्वच्छ होगा। इसी प्रकार केवल (२) वेप ही धारण कर लेना धर्म नहीं है, वरन् उस धर्म पर चलना धर्म कहलाता है।

संरक्षार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा मदा ।

शरीरस्यात्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् ॥ ६८ ॥

(६८) जीवों के रक्षार्थं दिवस व रात्रि प्रत्येक समय भूमि को देखकर चले जिससे जीवहिंसा न हो, वरन् जीव के शरीर को भी कष्ट न हो।

१ व २-जो मनुष्य केवल वेपघाती व सभा में नाम लिखाने से अपने को धर्मात्मा मानते हैं वह इस पर ध्यान देवे कि महात्मा, मनुजी, केवल दिखावावटी चिह्नों को धर्म नहीं कहलाते

अहाराज्या च याजन्तून्दिनस्त्यज्ज्ञानतो यतिः ।

तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थं प्राणायामान्यद्वाचरेत् ॥६९॥

(६९) सन्यासी अज्ञानता में जो जीवहिंसा करता है उस पाप से मुक्त होने के अर्थ स्नान करके छः प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है ।

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृतिप्रणवैयुक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥

(७०) व्याहृत तथा प्रणव (ॐकार) करके विधिवत् तीन प्राणायाम भी करे तो उस ब्राह्मण का परम तप है ।

दहन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मत्ताः ।

तथेन्द्रियाणां दहन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥७१॥

(७१) जिस प्रकार अग्नि के तपाने से सब धातुओं का मूल दूर हो जाता है उसी प्रकार प्राणायाम करने से इन्द्रियों के सब दोष दूर हो जाते हैं ।

प्राणायामैर्दहेषान्धारणाभिश्च किञ्चिपम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥

(७२) प्राणायाम द्वारा इच्छा आदि दोषों को भस्मी-भूत कर देना चाहिये, परमात्मा में चित्तवृत्ति लगाकर पाप को इन्द्रिय-निग्रह (बश में) करके विषयों का ध्यान द्वारा लोभ, मोह, क्रोधादि को दूर कर देना चाहिये, तथा अनीश्वर वाद, अर्थात् ईश्वर से पृथक्ता कराने वाले कार्य्य व तर्क को त्याग देना चाहिये ।

(विरुद्ध) समझ कर तथा उनके दोषों का ज्ञान लाभ कर त्याग देता है वह इहलोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है ।

अनेन विधिना सर्वास्तक्यासङ्गाञ्छनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥८१॥

(८१) इस विधि से धीरे २ सब प्रकार के कर्मों का परित्याग कर क्रोध लोभ मोहादि से विमुक्त होकर ब्रह्म (परमात्मा) के स्वरूप में निमग्न हो जाता है ।

ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतदभिश्चिदितम् ।

न ह्यनध्यात्मवित्कथित्क्रियाफलमुपाश्नुते ॥ ८२ ॥

(८२) सन्तानादि के प्रतिबन्धन को तोड़ना, मानपमान का विचार न होना आदि बातें जीवात्मा को परमात्मा के ध्यान से प्राप्त होती हैं तथा अनात्मज्ञानी (अर्थात् आत्मा को न जानने वाला) सासारिक दुःखों से विमुक्त होकर मुक्ति लाभ नहीं कर सकता ।

अधिपज्ञं ब्रह्म जयेदाधिदैविकमेव च ।

अध्यात्मिकं च सतत वेदान्ताभिहितं च यत् ॥८३॥

(८३) जो वेद संसार में यज्ञ देवता तथा जीव के स्वरूप को दर्शाकर ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कराता है अर्थात् देता है उसे वेद के अध्ययन (पढ़ने) तथा अध्यापन (पढ़ाने) में सदैव रत (लगा) रहे ।

इदं शरणमज्ञानमिदमेव विजानताम् ।

इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्तमिच्छताम् ॥ ८४ ॥

(८४) मूर्ख तथा विद्वान् जो सुख और मुक्ति की अभिलाषा रखते हैं उनको इष्ट लाभ (इच्छित वस्तु के प्राप्त करने)

का सत्य मार्ग बतलाने वाला केवल वेद ही है। अतएव वेद का स्वाध्याय सदैव करता रहे।

अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः ।

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति । ८५ ।

(८५) जो ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य इस विधि से संन्यास धारण करता है वह इस लोक में पाप से विमुक्त होकर परलोक में परब्रह्म को पाता है।

एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम् ।

वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निरोधत । ८६ ।

(८६) भृगुजी ऋषियों से कहते हैं कि अब हम चारों प्रकार के संन्यासियों के साधारण धर्म बतला कर कुटीचर (मटावीश) संन्यासी के विशेष धर्म को आप लोगों को बतलाते हैं। चार प्रान्त के संन्यासियों के यह नाम हैं, कुटीचर, भावुक, इस, परमहस।

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च धानप्रस्थो यतिस्तथा ।

एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः । ८७ ।

(८७) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, धानप्रस्थ, यती विशेष अर्थात् संन्यासी यह चारों आश्रम प्रणक्त् २ गृहस्थ ही से उत्पन्न हैं।

सर्वेऽपि क्रमशत्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः ।

यथोक्त कारिण्यं निप्रं नयन्ति परमां गतिम् । ८८ ।

(८८) जो ब्राह्मण शास्त्र विधि से इन चारों आश्रमों का सेवन करता है वह परमगति अर्थात् मोक्षपद को लाभ करता है।

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।

पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निमोघत । ६७ ।

(६७) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषिजनो ! आप से ब्राह्मणों का चार प्रकार का धर्म कहा है । वह धर्म पवित्र है तथा परलोक में उसका फल अक्षय है । इसके पूरचात् राजाओं का धर्म कहते हैं ।

मनुजी के धर्मशास्त्र भृगुजी की संहिता का छठा अध्याय समाप्त हुआ ।

सप्तमोऽध्यायः ।



राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।

संभवश्च यथा तस्य सिद्धिरच चरमा यथा । १ ।

(१) भृगुजी कहते हैं कि अब हम राजाओं के धर्म और उनकी उत्पत्ति को कहते हैं. तथा जिस विधि से राजा लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं उस विधि को भी वर्णन करते हैं ।

ब्राह्म' प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि ।

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् । २ ।

(२) क्षत्रिय, यथाविधि यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण कर वेदारम्भादि संस्कारों को करके अपनी प्रजा के रक्षार्थ न्याय से विरत (लगा) रहे, यथाशक्ति अन्याय न करे ।

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्या राजानमसृजत्प्रभुः । ३ ।

(३) जो देश सब ओर से भयदायरु है तथा जिसमें राजा नहीं है उस देश के रक्षार्थ श्री ब्रह्माजी ने राजा को उत्पन्न किया ।

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोर्चैव मात्रा निहृत्य शाश्वतीः । ४ ।

(४) १) इन्द्र, (२) यमराज, (३), वायु, (४) सूर्य, (५) अग्नि, (६) वरुण, (७) चन्द्रमा, (८) कुबेर, इन आठों के अंश से श्री ब्रह्माजी ने राजा को उत्पन्न किया ।

यस्मादेपां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः ।

तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा । ५ ।

(५) क्योंकि देवताओं के अंश से राजा की उत्पत्ति है अतएव राजा सब भूतो (जीवों) को अपने तेज से वश में करता है ।

तपलादित्वावच्चैपां चक्षुषि च मनांसि च ।

न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्राभिवीक्षितुम् । ६ ।

(६) देखने वाले के नेत्रों तथा मन को सूर्य की नाई तपाता है कोई मनुष्य भूमि पर राजाओं के सम्मुख होकर उनको देख नहीं सकता: क्योंकि उनका तेज सूर्य के समान है ।

राजा के आठ कार्य हैं—१ इन्द्र से पालन, २ यमराज से न्याय, ३ सूर्य से प्रकाश अर्थात् शिक्षोन्नति, ४ अग्नि से पवित्रवेद को पृथक करना, ५ चन्द्रमा से प्रजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना, ६ वरुण से शांति स्थापित करना, कुबेर से धन की रक्षा करना ।

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् ।

स कुबेरः स वरुणाः स महेन्द्रः प्रभावतः । ७ ।

(७) वही राजा समयानुसार अपने बल से प्रत्येक देवता के कार्य को मनुष्य-समूह के अर्थ करता है और उस समय वह (राजा) उसी देवता के तुल्य है ।

वाल्लोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेणा तिष्ठति । ८ ।

(८) यदि राजा बालक भी हो तो भी मनुष्य उसको तुच्छ न समझे क्योंकि राजा पृथिवी पर मनुष्य रूप में देवता वत् स्थित है ।

एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरुपसर्पिणाम् ।

कुलं दहति राजाग्निः स पशूद्रव्यसंचयम् । ९ ।

(९) अग्नि के समीप तथा सम्मुख जो कोई जाता है अग्नि केवल उसी को भस्म करती है परन्तु राजा रूपी अग्नि धनादि सामग्री तथा पशुओं सहित कुलों को भस्म कर देती है ।

कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्पतः ।

कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः । १० ।

(१०) राजा अपने कार्य, देश काल तथा अपनी शक्ति अनुसार, तत्त्व को विचार अर्थात् सत्यासत्य निर्णय कर अपने तात्पर्य को सिद्ध करने के अर्थ प्रत्येक द्वार और प्रत्येक समय भिन्न २ देवता के रूप को धारण करता है ।

१—श्लोक १० में रूप धारण करने से यह तात्पर्य है कि राजा पालन करने के समय इन्द्र व न्याय समय यमराज तथा शिक्षा प्रचार के समय सूर्य आदि का रूप हो जाता है ।

के हेतु समर्थ होते हैं और अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकते ।

तं देश कालौ शक्ति च विद्यां चावेद्भ्य तत्त्वः ।

यथार्हतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ १६ ॥

(१६) देश, काल; शक्ति, विद्यां को देखकर अपराधियों को उनके वित्तानुसार तथा बालानुसार यथाक्रमयोग्य दण्ड देवे ।

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७ ॥

(१७) संसार में दण्ड ही राजा है तथा दण्ड ही के कारण राजा पुरुष है और शेष सब लोग स्त्री हैं दण्ड, कार्यों का फल देने वाला चारों आश्रमों के धर्म का आज्ञादाता और उक्त दाता है ।

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ १८ ॥

(१८) सबका रक्षक, आज्ञा देने वाला तथा सोते हुए को चैतन्य करने वाला वही दण्ड है । उसी दण्ड को पंडित लोग धर्म कहते हैं ।

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वी रञ्जति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥

(१९) जिस समय राजा ध्यान से विचार कर दण्ड देता है तब प्रजा को विश्राम व आनन्द मिलता है तथा जब वही दण्ड विनाश विचार किये दिया जाता है तब सारी प्रजा का सब और विनाश कर देता है ।

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वमन्द्रितः ।

शूले मत्स्यानिवाभक्ष्यन्दुर्नलान्वलनचराः ॥ २० ॥

(२०) दुर्बल मनुष्यों को बलवान् जीना दुस्तर (कठिन) कर दे, यदि राजा के आलस्य तथा कुप्रवन्ध से अपराधी दण्ड न पावें ।

अघात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्विस्तथा ।

स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तरम् ॥ २१ ॥

(२१) ❀ यदि दण्ड न दिया जावे तो अच्छे पुरुषों का सारा धन धूर्त लोग अपहरण करलें ।

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते । २२ ।

(२२) जितने जीव हैं सन दण्डनीय हैं । पवित्र मनुष्य दुर्लभ हैं । दण्ड-भय से सारे जीव कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं ।

देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः ।

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ २३ ॥

(२३) देव, दानव, गन्धर्व, राक्षस, पक्षी, साँप यह सब दण्ड द्वारा ही कर्म करने का सामर्थ्य रखते हैं ।

दुष्येपुः सर्ववर्णाश्चिं भिद्येरन्सर्वसेतवः ।

सर्वलोकप्रकोपश्च भवेदण्डस्य विभ्रमात् । २४ ।

❀ इस श्लोक में काक शब्द धूर्तों के अर्थ में आया है ।

+ २५ वें श्लोक में जिस दण्ड का वर्णन है यह अति भयानक है जिनका तात्पर्य पुलिस से है ।

(२४) दण्डनीय पुरुषों को दण्ड न देने से, व अदण्डनीय पुरुषों को दण्ड देने से सब वर्ण दुष्ट हो जावे गे तथा मर्यादा टूट जावगी सारा संसार क्रोधित हो जावेगा ।

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥२५॥

(२५) जहाँ श्याम व अरुण (लाल काला) नेत्र-वापनाशक दण्ड चक्कर लगाता है वहाँ प्रजा को मोह नहीं होता किन्तु यह उसी दर्शा में होता है जब दण्ड दाता (दण्ड देने वाला) भली भाँति विचार पूर्वक दण्ड देवे ।

तस्याहुः सप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीच्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥२६॥

(२६) जो राजा सत्यवादी, दूरदर्शी, धर्मकर्मज्ञाता, चतुर, तथा कार्य-तत्पर है उसी में दण्ड देने की सामर्थ्य है ।

तं राजा प्रणयन्सभ्यं त्रिवर्गेणाभिवर्धते ।

कामात्मा विपमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥२७॥

(२७) इस दण्ड को देने से राजा धर्म काम अर्थ से बढ़ता है, जितने मनुष्य-कामी, क्रोधी, छली तथा नीच है वह सब दण्ड द्वारा ही मारे जाते हैं ।

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाऽकृतात्मभिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥२८॥

(२८) दण्ड बहुत ही तेजवान् है । जो राजा शास्त्रज्ञाता नहीं है । वह दण्ड ही को धारण नहीं कर सकता । वही दण्ड अधर्मी राजा को उसके समन्धी तथा वान्धवों सहित नष्ट कर देता है ।

ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् ।

अन्तरिक्षमतांश्चैव मुनीन्द्रेवांश्च पीडयेत् ॥ २६ ॥

(२६) घड़ी दरुड तो अधर्मी राजा द्वारा दिया जाता है दुर्ग (किला), राष्ट्र (राज्य) चर, अचर, लोक अन्तरिक्ष (अर्थात् ऊपर के लोक) में जो मनुष्य व देवता लोग हैं उनको पीड़ा पहुँचाता है ।

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

(३०) जो राजा शरणागत को शरण नहीं देता, व मूढ़ (मूर्ख) लोभी तथा सांसारिक विषय भोगों में लिप्त है, वह न्याय शास्त्रानुसार दरुड देने की सामर्थ्य नहीं रखता है ।

शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

अणेतु शक्यते दरुडः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥

(३१) जो राजा पवित्र, सत्यवादी शास्त्रानुरोगी शरणागत पालक तथा बुद्धिमान है वह निस्संदेह दरुड देने की सामर्थ्य रखता है ।

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद्भृशदरुडश्च शत्रुषु ।

सुहृत्सजिह्वाः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु चमान्वितः ॥ ३२ ॥

(३२) अपने राज्य में न्यायनुसार चले, शत्रु को कठिन दरुड देवे, सुहृद्वाँ व शुभचिन्तकों के साथ दया का वर्ताव करे तथा अल्प अपराधी ब्राह्मणों को जमा करे इससे अपने राज्यकी दृढ़ता होती और शत्रुओं को भय रहता है ।

एवंवृत्तस्य नृपतेः शिलोऽछनापि जीवतः ।

विस्तीर्यते यशो लोके तैलविन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥

(४०) वित्तय करने के कारण पृथु तथा मनु ने एतय पाया, कुबेर भगवान् के भण्डार के कोपाध्यक्ष हुये, गाधि के पुत्र विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये ।

त्रैविद्यैभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वताम् ।

आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः । ४३ ।

(४३) तीन वेदों के ज्ञाताओं से तीनों वेद, दण्डनीति ज्ञाताओं से नीतिशास्त्र, ब्रह्मविद्या, ज्ञाताओं से ब्रह्म विद्या को पढ़े तथा धन-प्राप्ति के उपाय ज्ञाताओं से कृषि, व्यापार और पशु-पालन व चिकित्सा आदि को सीखे ।

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्विमानिशम् ।

जितेन्द्रियो हि शम्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः । ४४ ।

(४४) रात्रि दिवस इन्द्रियों को बरा में करने का प्रयत्न करे, जो राजा जितेन्द्रिय है वह सारी प्रजा को अपनी अधीनता में रख सकता है तथा जो इन्द्रियजित् नहीं है अर्थात् विषयी वह अवश्य नष्ट होता है ।

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च ।

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥

(४५) दश दोष काम से उत्पन्न होते हैं, आठ दोष क्रोध से उत्पन्न होते हैं इन अठारह दोषों को प्रयत्न करके परित्या करना उचित है ।

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः ।

वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ॥ ४६ ॥

(४६) कामों द्वारा उत्पन्न व्यसनों में लिप्त होने

राजा के धर्म तथा अर्थ का नाश हो जाता है और क्रोधात्मक व्यसनों में लिप्त होने से राजा स्वयं नष्ट हो जाता है ।

मृगयाऽर्चो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथात्वाच कामजो दशकौ गुणः ॥ ४७ ॥

(४७) काम द्वारा उत्पन्न दस व्यसन यह हैं - १-मृगया (शिकार खेलना), २-पॉसा खेलना, ३-दिन में सोना ४-परिवाद (दूसरे का दोष प्रकट करना) ५-स्त्री को सेवा करना, ६-मद्य पीकर मस्त हो जाना, ७-उनाचना, ८-गाना, ९-बजाना १०-व्यर्थ धूमना ।

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्या सूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पाशुप्य क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ४८ ॥

(४८) क्रोध द्वारा उत्पन्न आठ व्यसन यह हैं-१-बिना जाने दोष को कहना २-जिन बल द्वारा काम करना, ३-द्रव, से किसी को मार डालना, ४-ईर्ष्या, ५-किसी के गुण में दोष लगाना ६-कटु भाषण, ७-अर्थ को चुराना अथवा देने योग्य पदार्थ को न देना, दण्ड से ताड़त करना ।

द्वयोरप्येतयोर्मूलं य सर्वे कथयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेन्नलोभं तज्जायेताद्युभो गणो ॥ ४९ ॥

(४९) उपरोक्त त्याग योग्य दोषों का मूल लोभ है अर्थात् लोभ करने में इनकी उत्पत्ति होती है । अतएव लोभ का यत्न करके परित्याग कर देना उचित है । निर्लोभी होने से सब वश में हो जाते हैं, यह बात बुद्धिमानों ने कही है ।

पानमत्साः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाकूमम् ।

एतत्कृष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥ ५० ॥

(५०) काम द्वारा उत्पन्न दोषों में, मग पीना, पाँसा खेलना, स्त्री वशीभूति होना, + आखेट खेलना, यह चारों यथा-क्रम (एक दूसरे से) निहृष्ट हैं ।

दण्डस्य पातनं चैव वाक्यपारुष्याथंद्पण्ये ।

क्रोधजे पि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ ५१ ॥

(५१) १-क्रोध द्वारा उत्पन्न व्यसनों में दण्ड से हनन करना, २-कटु भाषण ३-देने योग्य पदार्थ को न देना यह तीन सदैव निहृष्ट हैं ।

सप्तक्रस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुपद्भिणः ।

पूरं पूरं गुस्तरं विद्याद्व्यसनमात्मवान ॥ ५२ ॥

(५२) इन सातों का वास्तविक एक ही है, इन में यथा-क्रम एक दूसरे से अधिक निहृष्ट है ।

व्यसनस्य च मृत्योरथ व्यसनं ऋष्टमुच्यते ।

व्यसन्यधौऽधो व्रजति सर्पात्प्यसनी मृतः ॥ ५३ ॥

(५३) व्यसन तथा मृत्यु में व्यसन निहृष्ट है, क्योंकि व्यसनी नरक में जाता है और जिसने व्यसन परित्याग कर दिये हैं वह मृत्यु परेशान् मुक्त पाता है, अतएव व्यसन से मृत्यु उत्तम है ।

यात की तह को पहुंचे हुए), उत्तम कुलवान् हों उनकी परीक्षा लेकर राजा उनका सचिव (मन्त्री) बनावे तथा वह सचिव संख्या में ७ वा ८ हों ।

अपि यत्सुकरं कर्म यदप्येकेन दुष्करम् ।

विशेषतोऽसहायेन किं तु राज्यं मपोदयम् । ५५ ।

(५५) जो कार्य सरल है वह भी एकाकी नहीं हो सकता और राज काज तो बड़ा भारी काम है वह किस प्रकार एकाकी हो सकेगा ?

तैः सर्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संधिविग्रहम् ।

स्थानं समुदयं मुक्तिं लब्धप्रशमनानि च । ५६ ।

(५६) इन मन्त्रियों से निम्नलिखित विषयों पर नित्य मन्त्रणा (परामर्श) करे अर्थात् सिन्ध, विग्रह, धन, नगर, राज्य, रथखाना आदि सेनापालन, अन्न सोना रूपादि की उत्पत्ति स्थान, अपनी तथा राज्य की रक्षा और प्राप्त धन को उत्तम लोगों को दान देना ।

तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ।

समस्तातां च कार्येषु विदध्याद्विमतमनः । ५७ ।

(५७) सचिवगण (मन्त्रिमण्डल) जो मन्त्रणा (सलाह) दे उसको पृथक् २ अथवा एक ही वार समझ कर उचित आज्ञा देवे जिसमें भला हो ।

सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ।

मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा पाङ्गुण्यसंयुतम् । ५८ ।

(५८) सब मन्त्रियों में जो अधिक विद्वान् तथा गुण-

वान् हो उसके साथ छः गुण वाले परम मन्त्र को विचारे । छः गुण आगे कहेंगे ।

नित्यं तस्मिन्समाश्रितः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत् ।

तेन सार्धं विनिश्चित्य यतः कर्म समारभेत् ॥५६॥

(५६) सदैव उस पर विश्वास करके सारे कार्य करे तथा उसकी सम्मति लेकर कार्य को आरम्भ करे ।

अन्यान्पि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान् ।

सम्यगर्थसमाहर्तुं नमात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥

(६०) जो मनुष्य शुद्ध व सर्वज्ञाता है—उत्तम व उचित रीति से धन प्राप्त करने वाले हैं, तथा उत्तम विधि से जिनकी परीक्षा हो चुकी है ऐसे और भी मंत्री नियत करे ।

निर्वर्त्तेतास्य यावद्भिरिकर्तव्यता नृभिः ।

तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥

(६१) जितने मनुष्यों से कार्य रुन्पादन हो सके उतने ही मनुष्यों को नौकर रखे, परन्तु वह मनुष्य चतुर, कार्य-कुशल तत्पर तथा दक्ष होयें ।

तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्दकुलोद्गतान् ।

शुचीनाकरकर्मन्ते भीरुनन्तनिवेशने ॥ ६२ ॥

(६२) इन मन्त्रियों में चतुर, कुलवान शुद्ध व पवित्र, अनिच्छुक, तथा धैर्यवान् हों उनको कार्य सौंप दे जिसमें धन-प्राप्त हो, तथा जो मनुष्य कायर व डरपोक हों उनको कोट (किला) के भीतर रखे ।

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ६३ ॥

(६३) जो मनुष्य शास्त्र विचारद (ज्ञाता), सैन व
आम्बर (रूप) को समझने वाला, शुद्ध व पवित्र, चतुर (दत्त)
तथा कुलवान् हों उनको दूत नियम करे ।

अनुरक्तः शुचिदत्तः स्मृतिमान्देशकालवित् ।

वपुष्मान्वीतभीर्भाग्मी दूर्तो राज्ञः प्रशस्यते ॥६४॥

(६४) राजा के निमित्त ऐसे दूत की आवश्यकता है
जो राजा का मित्र, स्वामी को प्रसन्न रखने वाला, शुचि, दत्त,
प्रत्येक बात स्मरण रखने वाला देशकालज्ञाता, सुरूपवान
(सुन्दर) सुवार्तालाप करने वाला, तथा निडर हो ।

आमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डनयिकी क्रिमाः ।

रूपतौ काशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययो ॥ ६५ ॥

(६५) सचिव के अधीन दण्ड है, दण्ड के अधीन
न्याय है, राजा के अधीन कोष व राज्य है, दूत के अधीन
सन्धि तथा विग्रह है ।

दूत एव हि संघत्ते भिद्येव च संहतान ।

दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्त येन मानवाः ॥ ६६ ॥

(६६) दूत ही विगडे हुए (शत्रु) को मिलता है अथवा
दूत ही मिले हुए (मित्र) को विगाड़ता है । जिसके द्वारा सन्धि
(मिलाप तथा विग्रह (विगाड़) होता है वह दूत ही करता है ।

म विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टितैः ।

आकारमिङ्गितं चेष्टा भृत्येषु च चिकीपितम् ॥६७॥

(६७) सब अधिकारियाँ में दूत ही राजा की बात,
सैन आकार, चेष्टा, तथा राजा के करने योग्य सब कार्य को
जाने, अन्य सेवकों को पूर्ण भेद ज्ञात न होना चाहिये ।

बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन परराजचिकीपितम् ।

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पोडयेत् ॥ ६८ ॥

(६८) अन्य राजाओं के चित्त का सत्य तत्व (वृत्तान्त) अपने प्रयत्न से ज्ञात करे, तथा ऐसा उपाय करे जिससे अपनी आत्मा को पीड़ा (दुःख) न पहुँचे ?

जाङ्गले सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् ।

रम्यमानतसामन्ततं स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥ ६९ ॥

(६९) जिस देश में अल्प जल व घास हो, तथा वायु, धूप व अन्न अधिक हो उसे जाङ्गल कहते हैं। उसमें तथा जिस देश में सज्जन पुरुष हों, नोरोग हों, जो फल फूल व लतादि से मनोहर हो जहाँ की प्रत्येक दिशा के मनुष्य विनीत हों, जहाँ कृषि व्यापारादि धन प्राप्ति के साधन सरलता से प्राप्त हो सकें ऐसे देश में राजा निवास करे।

अन्वदुर्गं महीदुर्गं वृद्धुर्गं वार्त्तमेव वा ।

नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥

(७०) (१) जिसके चारों ओर पानी न हो, (२) जहाँ की भूमि ठंडी हो, (३) जिसके चारों ओर पानी हो, (४) जिसके चारों ओर वृक्ष हों, (५) जिसके चारों ओर वीर योद्धा वसते हों, (६) जिसके चारों ओर पहाड़ हो यह छः स्थान दुर्ग (कोट) के समान हैं, ऐसे स्थान पर राजा निवास करे जहाँ पर दूसरे की सेना न जा सके।

सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत् ।

एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते ॥ ७१ ॥

(७१) जिस देश के चारों ओर पहाड़ हैं उसमें निवास

हरे, जहाँ तक ऐसा स्थान (देश) मिले अन्य स्थान में निवास न करे । इन सत्रों में ऐसा देश सर्वोत्तम है ।

त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्रेषां मृगगतीश्रियाऽप्सराः ।

त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः । ७२ ।

(७२) प्रथम तीन दुर्गों (कोटों) में, हिरन, चूहा, जल, के जीव रहते हैं । पिछले तीन कोटों में वन्दर, मनुष्य, देवता रहते हैं ।

यथा दुर्गाश्रितानेतान्प्रोषद्दिसति शत्रवः ।

तथारया न पिसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम् । ७३ ॥

(७३) जिस प्रकार हिरन आदि अपने कोट में बसने से शत्रुओं से कष्ट नहीं पाते हैं, उसी प्रकार राजा दुर्ग में बसने से शत्रुओं से पीड़ा नहीं पाता है ।

एकः शतं योधयति प्राक्रोपस्थो धनुर्धरः ।

शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते । ७४ ।

(७४) दुर्गवासी एक धनुर्धारी प्रकार (कोट की दीवार) के बाहर के सौ योद्धाओं से लड़ सकता है तथा दुर्गवासी सौ मनुष्य बाहर के दश सहस्र मनुष्यों से युद्ध कर सकते हैं । अतएव दुर्ग बनाने का उपदेश करते हैं ।

तत्स्यादायुधयंपन्नधनधान्येन वाहनैः

ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्पन्त्रैर्वसेनोदरेण च ॥ ७५ ॥

(७५) दुर्ग के भीतर यह सामग्री उपस्थित रहनी चाहिए—शस्त्र, धन, धान्य (अन्न), ब्राह्मण, शिल्पी (कारीगर) यन्त्र (कल), घास, पत्नी तथा इन्धन आदि ।

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्गृहमात्मनः ।

गुप्तं सर्वतुक शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम् ॥ ७६ ॥

(७६) उस दुर्ग में अपना प्रासाद (मकान) ऐसा बनावे कि जिसमें पृथक् २ स्त्री, देवता, शस्त्र तथा अग्नि के गृह हों, चाँद भी हो, सब ऋतुओं के फल फूल स्थिति हों, गृह श्वेत रत्न का हो, तथा उसमें बावली, कूप, व वृक्ष हो ।

तदध्यास्योद्वेद्भार्या सवर्णां लक्षणांन्रिताम ।

कुले महति सभृता हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥

(७७) उस गृह में बस कर अपनी जाति की उत्तम कुल की कन्या से विवाह करे जो हृदय को प्यारी हो, रूपवती गुणवती व सहृदय हो ।

पुरोहितं च कुर्वीत घृणुयादैव चर्त्विजः ।

तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैयानिकानि च ॥ ७८ ॥

(७८) पुरोहित व ऋत्विज इन दोनों को अधिकार दे यह दोनों राजा के अग्निहोत्र आदि गृह के कार्यों को करे ।

यजेत राजा व्रतुभिविधैराप्तदक्षिणैः ।

धर्मार्थं चैव विप्रैर्भ्यो दद्याद्भोगान्घनानि च ॥ ७९ ॥

(७९) विविध यज्ञों को भले प्रकार दक्षिणा देकर करे । धर्मार्थं ब्राह्मणों का भोग (अर्थात् गृह, शय्या, आभूषण, वस्त्रादि) व धन देवे ।

सांपत्सारिकमाप्तंश्च राष्ट्रदाहारयेद्बलिम् ।

स्याच्चाभ्नायमरो लोके स वतैत्पितृवन्नपु ॥ ८० ॥

(८०) राजा अपने राज्य से अपना भाग प्रतिवर्ष लेवे, वेदाज्ञानुसार कार्य करे, सारी प्रजा का अपनी सन्तान की

नौडे पालन करे तथा प्रजा सको पिता के समान सम्भक्त कर नसनी आज्ञा माने ।

अध्यक्षान्विधान्दुर्यत्तत्र तत्र विषयितः ।

सेऽस्य सर्गाण्यवेक्षेरन् नृणा कार्याणि कुर्वताम् ॥२१॥

(२१) प्रदेक स्थान पर विविध कार्यों का एक एक अध्यक्ष नियत करे वह अध्यक्ष राजा के उर्मचारियों के काम का निरीक्षण करे ।

आवृत्ताना मुस्कुलाद्विप्राणा पूजसो भवेत् ।

नृपाणामक्षयो ह्येपः निधिर्ब्राह्मोऽभियीयते ॥ २२ ॥

(२२) जो ब्राह्मण गुरुकुल से विद्याध्ययन समाप्त कर प्रश्ने पिता के गृह आवे राजा उनका पूजन करे, वे ब्राह्मण प्रक्षय कोष है ।

न त स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति ।

तस्माद्ब्राह्म निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥२३॥

(२३) जो धन व समग्री ब्राह्मण को दी जाती है वह प्रक्षय है, उसको चोर चुरा नहीं सकता । अतएव राजा अपने मन से ऐसे ब्राह्मणों की सेवा श्रम या तथा पूजा करे ।

न स्फुन्दते न व्यधते न विनश्यति क्विचित् ।

वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ २४ ॥

(२४) ब्राह्मण के मुख म जो हवन दिया गया प्रथमतः देवता व पितरों व ऋषियों के निमित्त जो उनके भोजन कराया जाता है) चाहे परमेश्वर के प्रसन्नार्थ भोजन

ब्राह्मण से ताःपर्य पूणज्ञानी जितेद्रिय उर्मोपदेश करने लगे ब्राह्मण से है ।

(६३) छिन्न अस्त्र वाला, पुत्रादि की मृत्यु के कारण शोकार्त, कठिन घाव लगा हो, भयातुर, युद्ध से प्ररामुख (भागा हुआ) इन सब को सज्जनों के धर्म को विचार कर, न मारे ।

यस्तु भीतः परावृत्तःसंग्रामे हन्यते परैः ।

भतुर्यद्दुष्कृतं किञ्चित्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ६४ ॥

(६४) जो मनुष्य भय वश रण से परामुख होकर दूसरे के शस्त्र से घायल होकर मारा जाता है वह अपने स्वामी के पाप को पाता है ।

यच्चास्य सुकृतं किञ्चिदमुत्रार्थमुपार्जितम् ।

भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ६५ ॥

(६५) जो क्षत्रिय युद्ध से परामुख होकर मारा जावे उसके पुण्य कर्मों का फल उसके स्वामी को प्राप्त होता है ।

रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्स्त्रियः ।

सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥६६॥

(६६) रथ, घोड़ा, हाथी, छत्र, धन, धान्य, पशु, स्त्री तथा सारा द्रव्य सोना, चाँदी के अतिरिक्त सीसा, पीतल आदि इन सबको जो जीतता है वही उसका स्वामी है ।

राज्ञश्च दद्याद्द्वारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥६७॥

(६७) सेना, चाँदी, भूमि आदि जो उत्तम वस्तुयें जीत में प्राप्त हों उनका पाने वाला अपने राजा को देवे देह घेद में लिखा है, तथा राजा उस वस्तु को उन सब शूरों को बाँट दे जिन्होंने देश विजय किया है ।

एषोऽनुसकृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः ।

अस्माद्दर्मान्न व्यपेत क्षत्रियोध्नन् रणे रिपून् ॥८८॥

(८८) क्षत्रिय शूरवीरों का भी धर्म यही कहा है कि वे रण में शत्रु को मारते हुए क्षात्र धर्म को न छोड़ें। यदि वे क्षात्र धर्म त्याग दें तो क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं हो सकते।

अलब्धं चैव लिप्सेत् लब्ध रक्षेत्रप्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥८९॥

(८९) अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करे प्राप्त वस्तु की रक्षा करे, रक्षित को उन्नति करे तथा उन्नत वस्तु को ❀ शुभ कार्यों में व्यय करे।

एतच्चतुर्विधं त्रिधात्पुरुषार्थप्रयोजनम् ।

अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादितन्द्रितः ॥१००॥

(१००) राजा के पुरुषार्थ का प्रयोजन भी चार प्रकार का है, उसको जाने और आलस्य त्याग उन चारों का सेवन करे जो उपरोक्त श्लोक में कथित हैं।

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेद्वेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद्बुद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥१०१॥

(१०१) अलब्ध वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करे, जो दण्ड द्वारा प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, जिस वस्तु की रक्षा देखने मात्र से होती है उसकी उन्नति देखने से करे, व्याज से बढ़े हुये धनादि को दान में लगावे।

❀ विद्योन्नति, अनायरक्षा, ब्रह्माचारी धानप्रसव स-यासी आदि की सहायता में व्यय करे।

(११०) जिस प्रकार किसान अन्न की रक्षा करता है तथा घास आदि निकाल डालता है उसी प्रकार राजा राज्य की रक्षा करे और शत्रुओं को नष्ट करे ।

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद्भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सन्नान्धवः १११

(१११) जो राजा बिना सोचे विचारे मोहवश प्रजा को कष्ट देता है वह थोड़े ही समय में अपना राज्य, अपने प्राण, भाई बन्धु सब को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है ।

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा ।

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥११२॥

(११२) जिस प्रकार शरीर को दुःख देने में प्राण को दुःख होता है उसी प्रकार राज्य अर्थात् प्रजा के दुःखी होने से राजा का प्राण दुःख पाता है ।

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ।

मुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥११३॥

(११३) प्रजा की उन्नति के लिये नित्य नियम तथा नीति का पालन करे । जिस राजा को प्रजा ने भली भाँति उन्नति पायी हो उसी प्रकार के कार्य करने वाला राजा उन्नति पाता है ।

द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ।

तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥११४॥

(११४) वह तीन पाँच गाँवों के मध्य में रक्षा का गृह बनावे और उसमें प्रयत्न करने के हेतु अपने कर्मचारी रखे ।

ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा ।

विंशतीश शतेश च सहस्रपतिं मेव च ॥११५॥

(११५) योग्यतानुसार किसी को एक गाँव का किसी को दस गाँव का, किसी को बीस गाँव का, किसी को सौ गाँव का तथा किसी को सहस्र गाँव का स्वामी बनाये ।

ग्रामदोषान्समुत्पन्नान्ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।

शसेद्ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशने ॥११६॥

(११६) गाँव में कुछ अद्रव्य हो तो 'गाँव का रत्न (स्वामी) दस गाँव के स्वामी से चुपके से रहे और वह बीस गाँव के स्वामी से रहे ।

विंशतीशस्तु सत्सर्गं शतेशाय निवेदयेत् ।

शसेद्ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥११७॥

(११७) बीस गाँव का स्वामी सौ गाँव के स्वामी से कहे और वह हजार गाँव के स्वामी से कहे ।

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः ।

अन्नपानेन्यनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात् ॥११८॥

(११८) नित्य राजा का भाग जैसे अन्न, पान, काष्ठ आदि जो ग्रामवासियों से लेने योग्य हैं उसको ग्राम का स्वामी लेवे ।

दशी कुलं तु युञ्जीत विंशी पंच कुलानि च ।

ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥११९॥

(११९) दस गाँव का स्वामी एक + कुल की भूमि का

+ बारह पैलों से जिस जमीन में इल चलाये जायें उसे कुल कहते हैं ।

क्रयविक्रयमध्वाने भक्तं च सपरिव्ययम् ।

योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान् ॥१२७॥

(१२७) इन सब धातों पर विचार कर व्यापारियों से कर लेवे अर्थात् किस मूल्य को मोल लिया, भोजनादि में क्या व्यय पड़ा, कितनी दूर से लाया, माल की रक्षा में क्या व्यय पड़ा तथा कितना लाभ प्राप्त होगा ।

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् ।

तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान् ॥१२८॥

(१२८) जिस विधि से कार्य कर्ता तथा राजा को लाभ हो उसी विधि को देखकर राजा अपने कर नियत करे जो प्रत्येक मनुष्य पर एक समान हो ।

यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं शार्योक्रोवत्सपट्पदाः ।

तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राज्ञाब्दिकः करं ॥१२९॥

(१२९) जैसे जौंक, बल्लड़ा तथा भौरा यह सब अपने खाद्यपदार्थ को थोड़ा २ खाते हैं, वैसे ही राजा अपने राज्य से वार्षिक कर थोड़ा २ लेवे ।

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।

धान्यानामष्टमो भागः पष्ठो द्वादश एव वा ॥१३०॥

(१३०) पशु व सोने के लाभ का पचासवाँ भाग लेवे, धान्य के लाभ का छठा, आठवाँ व बारहवाँ भाग लेवे । भूमि की उर्वरा आदि दशा को देख तथा जोतने आदि के परिश्रम को विचार कर नियत करे ।

आद्दीताथ पट्भागं द्रुमांशमधुसपिंपाम् ।

गन्धीपधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥१३१॥

(१३१) वृद्ध, मास, मद्य, धी, सुगन्धित वस्तुयें, औषधियाँ, लस, फल, फूल, मूल ।

पत्रशाफ़्टणाना च चर्मणा वैदत्स्य च ।

मृगमयानां च भाण्डाना सर्वस्यारममयस्य च ॥१३२॥

(१३२) पत्ता, शाक, वृण (वास), चमड़ा, चाँस का पात्र, मिट्टी पात्र, पत्थर पात्र के लाभ का छठा अंश राजा लेवे ।

त्रिपमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् ।

न च क्षुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वमन् ॥१३३॥

(१३३) राजा यदि मरणासन भी हो, तो भी छे वेदपाठी ब्राह्मण से वर न लेवे तथा राज्य में इसकी सुखवस्था रक्षे कि वही भी वेदपाठी ब्राह्मण को खान पान का कष्ट न होने पावे ।

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा ।

तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥१३४॥

(१३४) इस राजा के राज्य में वेदपाठी क्षुधा से पीड़ित रहता है उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।

श्रुतवृत्ते निदित्वास्तु वृत्तिं धर्म्या प्रकल्पयेत् ।

मरचेत्सर्वतथैन पिता पुत्रमिवौरसम् ॥१३५॥

(१३५) ब्राह्मण के विद्याभ्यास तथा आचरण को समझ कर उनकी ऐसी वृत्ति नियत करे जो उनके धर्म विरुद्ध न हो

छे वेदपाठी ब्राह्मण का जتنا भ्रान कर जितना शरीर में दोषों को करता है । जैसे नेत्र बिना शरीर के सब काम विगड़जाते हैं वैसे ही वेदपाठी बिना राज्य के मर मारें विगड़ जाते हैं ।

और उनकी रक्षा सब ओर से इस प्रकार करे जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है ।

संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम् ।

तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविर्ण राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

(१३६) राजा की रक्षा में ब्राह्मण नित्य जो धर्म करता है उसके प्रताप से राजा के धन तथा आयु की वृद्धि होती है ।

यत्किञ्चिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम् ।

व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम् ॥ १३७ ॥

(१३७) राज में छोटे मनुष्यों से भी थोड़ा शाक पात आदि वर्ष के अन्त में कर रूप में लेवे ।

कारुकाञ्छिन्धिपनश्चैव शूद्रांश्चात्मोपजीविनः ।

एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिः ॥ १३८ ॥

(१३८) पाचक (कारुक रसोई बनाने वाले) हर प्रकार के शिल्पी (कारीगर), शूद्र तथा शारीरिक कष्ट द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले (पल्लेदार आदि) इन सबों से प्रत्येक मास में एक दिन का काम करावे, इनका यही कर है ।

नोच्छिन्ध्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्यथा ।

उच्छिन्ध्यादात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयन् ॥ १३९ ॥

(१३९) यदि अधिक प्रीति वश प्रजा से कर नहीं लेता तो राजा अपनी जड़ उखाड़ता है तथा लोभ वश अधिक कर ले तो भी अपनी जड़ उखाड़ता है । अतएव इन दोनों कार्यों को त्याग दे, यदि करेगा तो वह अपने को प्रजा को दुःख करता है ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥१४०॥

(१४०) राजा कार्य को देख कर उसके अनुसार मृदु या तीक्ष्ण होवे (अर्थात् उत्तम कार्य में मृदु तथा अधम कार्य को देख तीक्ष्ण होवे) ऐसा राजा सबको प्रिय है ।

अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम् ।

स्थापयेदासने तस्मिन्निवन्नः कार्योद्योगे नृणाम् ॥१४१॥

(१४१) राजा यदि न्याय करने में कष्ट पावे तो अपने स्थान पर ऐसे ब्राह्मण को नियत करे जो प्रधान मन्त्री, धर्मात्मा जितेन्द्रिय तथा कुलवान् हो ।

एवं सर्वं विधातेदमिति कर्तव्यमात्मनः ।

युक्तश्चैवाऽप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥

(१४२) इसी प्रकार अपने योग्य कार्यों को निश्चित करे तथा प्रमाद आदि दोषों को परित्याग कर दत्तचित्त हो परिश्रम के साथ प्रजा की रक्षा करे ।

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धियन्ते दस्युभिः प्रजा ।

सपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३॥

(१४३) जिस राजा और राजकर्मचारियों को देखते हुए राज्य में चोरों द्वारा लुटो हुई प्रजा ग्राहि ग्राहि पुकारती है वह राजा जीवित ही मृतक के समान है ।

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम् ।

निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४॥

(१४४) प्रजा का पालन करना क्षत्रिया का परम-धर्म है जो राजा शास्त्रानुसार कार्य करता है उसको धर्मना कहते हैं ।

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः ।

हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चर्यां प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥१४५॥

(१४५) पहर रात्रि शेष रहे उठ कर शौचादि से निवृत्ति हो स्नान कर एकाग्र चित्त हो अग्निहोत्र तथा ब्राह्मण का पूजन करने पश्चात् राजसभा में प्रवृष्टि हो ।

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनिन्ध विसर्जयेत् ।

प्रिसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥१४६॥

(१४६) सभा में बैठकर प्रजा को देखभाल कर तथा समयोचित वार्तालाप कर विदा करे, तत्पश्चात् राज्यप्रबन्ध के विषय में सचिव से मन्त्रणा करे ।

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः ।

अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥१४७॥

(१४७) पहाड़, प्रासाद वा जङ्गल इत्यादि एकान्त स्थान पर बैठकर मन्त्रणा में विघ्न डालने वाले मनुष्यों को पृथक् करके मन्त्रणा करे ।

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथ्वरजनाः ।

स कृत्स्नां पृथ्वी भुक्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः १४८

(१४८) मन्त्रियों के अतिरिक्त अन्य लोग मित्रता करने पर भी जिस राजा की मन्त्रणा को नहीं जान सकते हैं वह राजा निर्धन होने पर भी पृथ्वी पर राज्य कर सकता है ।

जडमूकान्धवधिरास्तैर्द्यग्योनान्वयोतिगान् ।

स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत् ॥१४९॥

(१४९) विद्धिप्त (बाबला), गूँगा नेत्रहीन (अन्धा),

घघिर (बहरा), पत्नी, वृद्ध (अर्थात् ८० वर्ष से अधिक आयु का), म्लेच्छ स्त्री, रोगी, अंगहीन इन सब को मन्त्रणा के समय अपने समीप न रखे ।

भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तैर्यग्योनास्तथैव च ।

स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्माच्चत्रादृतो भवेत् ॥१५०॥

(१५०) यह सब पूर्वजन्म के पाप से ऐसे हुये हैं, अतएव समय पाकर भेद को प्रकट कर देते हैं । पत्नी, वृद्ध तथा स्त्री इनको बुद्धि स्थिर नहीं रहती जिससे यह भी भेद का प्रकट कर देते हैं । अतः यह लोग राज्य-प्रबन्ध की मन्त्रणा के समय समीप न रहने पावें ।

मध्यादिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः ।

चिन्तयेद्धर्मकामार्थासार्यं तैरेक एव वा ॥ १५१ ॥

(१५१) दोपहर दिन अथवा आधी रात्रि के समय निश्चिन्त तथा शान्ति से मन्त्रियों के साथ या स्वयं (अकेला) ही कर्म और अर्थ का विचार करे ।

परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् ।

कन्यानां संप्रदानं च कुमारानां च रक्षणम् ॥१५२॥

(१५२) धन की प्राप्ति के लिये ऐसे उपाय सोचे कि जिसमें धर्म, अर्थ, काम जिनका परस्पर विरोध है—का धन हो । अपने कार्य की सिद्धि के लिये कन्या को दान व नीतिशास्त्रानुसार विद्याध्ययनार्थ कुमारों की रक्षा, इन बातों का भी विचार करे ।

दूतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च ।

अन्तः पुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥१५३॥

(१५३) दूत भेजना, शेष कार्य, नगर के भीतर कर

वृत्तान्त व व्यवहार, राजाओं का वृत्तान्त लाने वाले की हृद-
येच्छा जनना, इन सब बातों पर भी विचार करे ।

कृत्स्नं चष्टविधिं कर्म पञ्चवर्गं च तत्त्वतः ।

अनुरागापरागौ च प्रचरं मराडलस्य च ॥ १५४ ॥

(१५४) ❀ (१) आठ कर्म तथा सिद्धान्त से (२) पंच
वर्ग को भी विचारे दूसरे राजाओं और अपने मन्त्रियों की
श्रीति व शत्रुता को जान कर उसका उपाय करे ।

मध्यामस्य प्रचचर च विजिगोपोश्च चे ष्टातम् ।

उदासीनप्रसारं च शत्रोश्चैव प्रयात्नतः । १५५ ।

(१५५) शत्रु शत्रु से विजय प्राप्त करने का इच्छुक,
(१) मध्यम तथा (२) उदासीन इन चारों की हादिक इच्छा का
ज्ञान प्राप्त करे और विचारे ।

❀ आठ कर्म यह है—(१) प्रजा से कर लेना (२) कर्मचारियों को
उचित समय पर वेतन देना (३) धर्म व संसार के करने योग्य
कर्मों का करना, (४) त्याग योग्य कर्मों का त्यागना तथा प्रत्येक
कार्य के लिये मन्त्रियों को आज्ञा देना (५) व्यवहार देखना, (६)
जो व्यवहार विरुद्ध करे उससे शास्त्रानुसार अर्थदण्ड लेना, (७)
जिन लोगों ने अपने दान, आश्रम, धर्म को परित्याग कर दिया है
उनको फिर दान, आश्रम, धर्म को ठीक व उचित रीति पर कराने
के लिये प्रायश्चित्त कराना (८) यदि प्रायश्चित्त द्वारा पतित शुद्ध न
किये जायें तो एक दिन सब मनुष्य दान, आश्रम, धर्म से पतित
होकर अनाचारी हो जायेंगे अतएव राजा को पतितोद्धार पर
अधिक ध्यान देना चाहिये ।

२—पंच वर्ग यह है—? जो पुत्रप दूसरों की हादिक बातों का
ज्ञाता, स्पष्ट बवता, कपटी है यदि ऐसा पुरुष जीविकार्य आवे तो
उसकी योग्यता नुसार धन वस्त्रादि देकर एकान्त में उससे कहें

अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च ।

अरेरनन्यरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥ १५८ ॥

(१५८) अपने राज्य के सम्मुख का राजा शत्रु और उसका सेवन भी शत्रु है, उस शत्रु राजा से परे के देश का राजा मित्र है तथा मित्र राजा के राज्य से परे के देश का राजा उदासीन है ।

तान्सर्वानभिसिं दध्यात्सामादिभिरुपक्रमैः ।

व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥

(१५९) इन सब राजाओं को साम आदि चारों उपायों में से जैसा अवसर हो एक-एक या चारों के द्वारा तथा अपनी सेना व पौरुष द्वारा अपनी अधीनता में करना चाहिये ।

सन्धिं च विग्रहं चैव यानमासममेव च ।

द्वैधीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥ १६० ॥

(१६०) १—सन्धि, २—विग्रह, ३—शत्रु पर चढ़ाई, ४—विभ्राम, ५—भेद, तथा ६—बलवान् राजा का आश्रम गृहण करना, इन छः बातों पर सदैव विचार करना चाहिये !

तात्पर्य को कहेंगे ।

यह पांचों यथाक्रम कापटिक अस्थित गृहपति, वैदिक तथा तापस कहलाते हैं, अतएव इन साधनों से अपना कार्य सिद्ध करे ।

१—जो राजा शत्रु तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने के इच्छुक राजाओं के मध्य में राज करता हो उसे मध्यम कहते हैं और इन दोनों राजाओं में सन्धि व विग्रह करा देने की सामर्थ्य रखता हो

२—उदासीन वह है जो शत्रु शत्रु जय का इच्छुक तथा मध्यम इन तीनों राजाओं में सन्धि वा विग्रह करा देने की सामर्थ्य रखता हो ।

३—आठ शाखा प्रकृति यह हैं—१ शत्रु के राज्य के मित्र,

श्रामनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च ।

कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥

(१६१) इन छहों कार्यों के अतिरिक्त कार्यों को देख कर समयानुसार काम करे ।

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च ।

उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२ ॥

(१६२) सन्धि, विग्रह, चढाई, विश्राम, भेद, शरण लेना यह छः चारों दो दो प्रकार की है ।

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ।

तदात्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥ १६३ ॥

(१६३) उसी समय व भविष्य में फल-प्राप्ति के अर्थ एक राजा के साथ दूसरे राजा पर चढाई करना यह समान-यान नाम सन्धि कहाती है और यदि परस्पर यह प्रतिज्ञा करके कि तुम वहाँ जाओगे तो हम भी जावेंगे सन्धि करे तो वह आकाश-यान नाम सन्धि है ।

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा ।

मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४ ॥

(१६४) समय पर व अस्मय पर अपनी इच्छा से विगाड़ करना यह प्रथम विग्रह हुआ, तथा मित्र का अपमान देस अपमानकर्त्ता से विग्रह करना यह द्वितीय यह विग्रह हुआ ।

२ शत्रु का मित्र, ३ मित्र का मित्र, ४ शत्रु के मित्र का मित्र, पार्ष्णिमाह, ६ क्रन्द, पार्ष्णिमाह, ७ असार, ८ क्रन्द असार ।

एकाकिनश्चात्त्रयिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया ।

संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१५६॥

(१६५) ❀ आवश्यक कार्य-प्राप्ति के समय स्वच्छा से शत्रु पर चढ़ाई करना यह प्रथम चढ़ाई हुई, तथा मित्र के सहायतार्थ चढ़ाई करना यह दूसरी चढ़ाई हुई ।

क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा ।

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥१६६॥

(१६६) पूर्व जन्म के पाप से व इस जन्म के पाप से हाथी, घोड़ा, घनादि नष्ट हो जाने के समय दूसरे राजा पर चढ़ाई न करे चाहे धन, हाथी घोड़ा आदि सामग्री अपने पास उपस्थित हो, तथा जाने में मित्र की रक्षा नहीं हो सकती हो तो उसके हेतु न जाना चाहिये यह दो प्रकार का विश्राम है ।

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।

द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं पाङ्गुणवगुणवेदिभिः ॥१६७॥

(१६७) अपनी कार्य सिद्ध के लिये हाथी, घोड़ा आदि व सेनापति को शत्रु के किये हुए उपद्रव मिटाने के निमित्त एक स्थान पर स्थित रखना यह पहला भेद हुआ तथा दुर्ग में प्रधान कर्मचारियों और सब सेना सहित स्थित रहना यह दूसरा दूसरा भेद हुआ ।

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः ।

साधुषु व्यपदेशार्थद्विविधं संश्रयः स्मृतः ॥१६८॥

❀ धर्मशास्त्र में आवश्यक से यह तात्पर्य है कि जब दूसरा राजा प्रजा को कष्ट दे तथा उनको स्पष्ट करना चाहे तब अपजना के धर्म आदि ही रक्षा करे ।

(१६८) शत्रु से दुःखी न हो व शत्रु से दुःख न होने पावे इन दोनों लाभों के अर्थ यत्नवान राजा की शरण लेना यह दो प्रकार की शरण है ।

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।

तदात्वे चान्पिकां पीडां तदा सन्धि ॥१६९ ॥

(१६९) सब लड़ाई के पश्चात् अपनी लड़ाई को अटल जाने और थोड़े ही घन जन आदि की हानि देखे तब सन्धि करे

अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करे अर्थात् कुछ सेना लेकर आप दुर्ग में रहे व कुछ सेना को रण क्षेत्र में युद्धार्थ भेजे इस प्रकार अपना कार्य सिद्ध करे।

यदा परवलोनां तु गमनोयत्तमो भवेत् ।

तदा तु संश्रयेत्त्रिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ॥१७४॥

(१७४) जब जाने कि शत्रु से पराङ्क मुख होंगे तब शीघ्रता में बलवान् धर्मात्मा राजा को शरण ग्रहण करे।

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिबलस्य च ।

उपसेवेत तं नित्यां सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ॥ १७५ ॥

(१७५) जिस राजा को शत्रु की प्रकृति तथा सेना को अधीन कर बश में रखने की सामर्थ्य हो उसकी सेवा सदैव गुरु की नाई करे।

यदि तत्रापि संपश्येदोषं संश्रयकारितम् ।

सुयुद्धमेव तत्रापि निविंशङ्कः समाचरेत् ॥ १७६ ॥

(१७६) जब शरण लेने में भी कुछ हानि समझे तब शङ्का को परे हटा सुयुद्ध करे।

सर्वोपायैस्था कुर्यान्नोतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथास्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७ ॥

(१७७) लोगों की सम्मति के ज्ञाता राजा को चाहिये कि इस भौत प्रबन्ध करे जिसमें मित्र, शत्रु व सामान्य मनुष्य राजा से बलवान् न हो जायें।

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्प्रतः ॥१७८॥

(१७८) जिन सब कार्यों का दोष, गुण भूत, भविष्यत् वर्तमान काल से सम्बन्ध रखने वाला हो उन सब का उत्तम रीति से विचारे ।

आयत्यां गुणदोषज्ञातदात्वे क्षिप्रनिश्चयः ।

अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥१७९॥

(१७९) ऐसा विचार करने वाला राजा शत्रुओं से कभी दुःख व पीड़ा नहीं पाता ।

यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ।

तथा सर्वं संविदध्यादेव सामासिको नयः ॥१८०॥

(१८०) सारी रीति से मुख्य तात्पर्य यह है कि शत्रु मित्र तथा उदासीन यह सब पीड़ा व हानि न पहुँचा सकें ऐसा उपाय करे ।

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः ।

तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥१८१॥

(१८१) जब शत्रु-राज्य के ऊपर जाने की इच्छा हो तब आगामी श्लोक में वर्णित उपाय के अनुसार धीरे २ शत्रु के नगर जाये ।

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः ।

फाल्गुनं वाऽथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथाबलम् १८२

(१८२) राजा शुभ मास मार्गशीर्ष (अग्रहन) में शत्रु पर चढ़ाई करे अथवा फाल्गुन वा चैत्र में अपनी सेना के बलानुसार चढ़ाई करे ।

अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद् ध्रुवं जयम् ।

तदा यायाद्विगृह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥१८३॥

(१८३) दूमरे समय में भी जब विजय-प्राप्ति का पूर्ण विश्वास हो तब चढ़ाई करे तथा जब शत्रु के ऊपर दुःख हो तब भी चढ़ाई करे ।

कृत्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ।

उपगृह्यास्पदं चैव चारान्सम्पन्निधाप च ॥१८४॥

(१८४) अपने देश की रक्षा का प्रबन्ध करके यथा-विधि चढ़ाई के समाधिक कार्यों को करे (अर्थात् सवारी, अन्न शस्त्र कवच आदि सामग्री का ठीक करके साथ लेकर शत्रु के देश में जाके जिससे अपनी स्थिति हों उसको लेकर, शत्रु के सेवकों को अपने वश में कर शत्रु के देश का वृत्तन्त ज्ञात करने के अभिप्राय से चार प्रकार के चरों (दूतों) को भेजे ।

संशोध्य विविधं मार्ग पङ्क्तिं च बलं स्वकम् ।

सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८५ ॥

(१८५) छः तीन प्रकार के जो मार्ग हैं (अर्थात् जांगल अनूप, अमटक) इतका संशोधन करके (अर्थात् वृक्षादि काट कर तथा ऊँची नीची भूमि सम करके) छः प्रकार के जो बल हैं (अर्थात् हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, सेना शिल्ली) उनको भोजन व औषधी तथा शिल्पी आदि से सुसज्जित कर उत्तम रीति से शीघ्र ही युद्ध में शत्रु के नगर में जावे ।

छः उपरोक्त रीति से ज्ञान होता है कि भारतवर्ष में प्रचीन समय में युद्ध विद्या में इतनी उन्नत थी कि प्रत्येक अवसर के लिये पृथक् २ न्यूह रचना होती थी । जो भारतवासी आज कल निर्वल हो गये हैं वे वैदिक धर्म काल में युद्ध विद्याविशारद तथा शक्ति सम्पन्न थे । यद्यपि वर्तमान समय में अधःतितत हो गये हैं परन्तु वेद धर्म के प्राचार से फिर भी जादगुरु बन सकते हैं ।

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे पुक्ततरो भवेत् ।

गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥

(१८६) अपना मित्र जो गुहरोति से शत्रु की सेवा करता है वा अपने सेवरु आदि जो अपने यहाँ से निकल कर द्वितीय बार आकर कार्य सम्पादक करते हों उन दोनों से रुचेष्ट (होसियार) रहना चाहिये, क्योंकि उनका उठाया उपद्रव कठिनता शान्त होता है ।

दण्डव्यूहेन तन्मार्गं योयात्तु शकटेन व ।

वराहमकराभ्यां व सूच्या वा गरुडेन वा । १८७ ।

(१८७) दण्ड, शकट, वराह, कमर, सूची व गरुड़ व्यूह बनाकर सेना का संचालन करे (अर्थात् जब चारों ओर से भय हो तब दण्ड व्यूह बनावे जब पीछे से भय हो तब शकट व्यूह बनाकर चले, जब एक व दोनों पक्ष में भय है तब वराह तथा गरुड़ व्यूह बनाकर सेना चलावे, जब सम्मुख व गृष्ठ भाग में भय हो तब मगर व्यूह बनावे, जब सम्मुख भय हो तब सूची व्यूह बनाकर सेना संचालित करे) ।

यतश्च भयमाशङ्कतेतो विस्तारयेद बलम् ।

पन्नैन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् । १८८ ।

(१८८) जिस ओर से भय हो उसी ओर सेना को बढ़ावे, नगर से निकल कर पक्ष व्यूह रच राजा सदैव गुप्त रहे । सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निदेशयेत् ।

यतश्च भयमाशङ्कैत्प्राची तां कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥

(१८९) सेनापति तथा बलाध्यक्ष को चारों ओर रखना

चाहिये और जिस ओर से भय की आशंका हो उसकी पूर्व दिशा जानो ।

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समंततः ।

स्थाने युद्धं च कुशलानमीरूनविकारिणः ॥१६०॥

(१६०) जो गुल्म (सेना का भाग) सेनापति सहित शूरवीर व रणधीर मनुष्यों से सवुक्त हो, विश्राम करने, छावनी ढालने, भागने व युद्ध करने के लिये भेरी, शङ्ख आदि विकारियों के सैन को समझाता हो और विश्राम व युद्ध में सचेष्ट तथा भय व राजद्रोह शून्य हो ऐसे सेना भाग को सब दिशाओं में दूर-दूर पर शत्रु को रोकने और उसकी हादिक इच्छा का ज्ञान प्राप्त करने के हेतु आज्ञा देवै ।

संहतान्योद्येदन्पान्कामं विस्तारयेद्बहून् ।

सूच्या वज्रेण चैवैतान्व्यूहेन व्यूह्य योजयेत् ॥१६१॥

(१६१) सेना थोड़ी होवे तो सम्मुख युद्ध करे तथा अधिक हो तो इच्छानुसार सेना विभाजित करके युद्ध करे (१) सूची व्यूह व (२) वज्र व्यूह रच कर युद्ध करे ।

स्यन्दनाश्वैः समे युद्ध्येदनूपे नोद्विपैस्तथा ।

वृत्तगुल्मावृते चापैरसिचर्मापुधैः स्थले ॥१६२॥

(१६२) सम भूमि में रथ व घोड़ा द्वारा युद्ध करे जल-पूरित भूमि में नाव व हाथी द्वारा वृत्त के भाड़ी वाली पृथिवी पर धनुष चाण द्वारा तथा संशोधित भूमि में ढाल तलवार द्वारा युद्ध करे ।

(१६२) यह एक प्रकार की सैनिक कवायद है और

पंक्ति बांधन की विधि है ।

कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्छूरसेनजान् ।

दीर्घान्लघून्श्चैव नरानग्रीनीकेषु योजयेत् ॥१६३॥

(१६३) ॐ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल, शूरसेन इन देशों में जो मनुष्य छोटे व बड़े उत्पन्न हुये हों उनको सम्मुख करके युद्ध करे, क्योंकि यह लोग साहसी होते हैं ।

प्रहृषयेद्वलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत् ।

चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योध्ययतामपि ॥१६४॥

(१६४) व्यूह रचकर सेना को प्रसन्न करे तथा उस सैन्यदल की भली भाँति परीक्षा लेवे, शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए सेना की दशा ज्ञात करे कि सेना शत्रु से मिल तो नहीं गई है ।

उपरुध्वारिमासीत् राष्ट्रं चास्योपपीडयेत् ।

दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ १६५ ॥

(१६५) शत्रु दुर्ग में रहे वा बाहर रहे तथा युद्ध भी न करता हो परन्तु उसे घेरे रहे और उसके ॐ राज्य को पीड़ा पहुँचावे, घास लकड़ी व जल इनमें व्यर्थ पदार्थों को डाल कर नष्ट करे ।

भिन्ध्याञ्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा ।

समवस्क्रन्दयेच्चैनं रात्रौ विनाजयेत्तथा ॥ १६६ ॥

(१६६) ताल, दुर्गप्राकार, परिसरा (खाई), इन सब

+ यह श्लोक बहुत समय पश्चात् सम्मिलित किया गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र में कौरवों के पीछे बना है तथा मनुजी उस समय से पहले हुए हैं ।

+ यह उपदेश लालची राजाओं के हित से सम्मिलित किया गया है वरन् राजा की लड़ाई में प्रजा को दुःख देना बहुत बड़ा पाप है

को नष्ट भृष्ट कर दे तथा निर्भयशत्रु को भयभीत करे और बरछी लेकर रात्रि को उहका नाम वाजे के शब्द से अति दुःख दे उपजप्यानुपजपेद्बुध्पेतैव च तत्कृतम् ।

युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रप्सुनपेतभीः ॥ १६७ ॥

(१६७) जो लोग (सचिव आदि) राजा के कुल में राज्य प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको तोड़ फोड़ से मिलाकर अपने वश में करे तथा उनको निज अनुभव के द्वारा जानेकि वश में हुए वा नहीं । जय का इच्छुक राजा निःशक हो जय सब गृह-अच्छी हो तब युद्ध करे

साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक् ।

विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥ १६८ ॥

(१६८) साम, दाम, भेद इनमें से पृथक् २ व तीनों द्वारा ही न करे ।

अनित्यो विजयो यस्माद्दृश्यते युध्यमानयोः ।

पराजयश्च संग्रामे तस्यमाद्युद्धं विवर्जयत् ॥ १६९ ॥

(१६९) क्योंकि युद्ध में जय भी होती है और पराजय भी अतएव यथा साध्य युद्ध को टालना चाहिये ।

त्रयाणामप्यु यानां पूर्वोक्तानामजम्भवे ।

तथा युध्येत संपन्नो विजयते रिपून्यथा ॥ २०० ॥

(२००) जब साम, दाम, भेद से काम न चले तब ऐसी विधि से युद्ध करे कि जिसमें विजय अवश्यमेव प्राप्त हो ।

जित्वा संपूजयेद्देवान्ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान् ।

प्र दद्यात्परिहारांश्च खयापये दभयानि च ॥ २ ॥

(२०१) विजय प्राप्त करने के पश्चात् देवताओं, धर्मात्मा ब्राह्मणों का पूजन गरे, सोना अदि विजय द्वारा प्राप्त वस्तुओं को देवताओं व ऋषियों के लिये संकल्प करके उस देशवासियों का क्षमारूप देवे और सब मनुष्यों को निर्भय कर दे ।

सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम् ।

स्थापयेत्तत्र तद्वश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥२०२॥

(२०२) सब की सम्मति पाकर उस राजा के वश में जो हो उसको उसी के स्थान पर राजा बनावे, तथा उस राजा व उसके मन्त्रियों को वह उपदेश कर दे कि तुम ऐसा करना ऐसा न करना ।

प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्वथोदितान् ।

रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥

(२०३) उनका जो आचार शास्त्रानुसार धर्मानुकूल है उसको प्रदान करे तथा प्रधान पुरुषों सहित रत्नों से राजा का पूजन करे ।

आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् ।

अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥

(२०४) यद्यपि प्रिय वस्तुओं का लेना कष्ट देने वाया है, तथा देना इच्छित सुख का देने वाला है यइ बात संसार-व्यापी है, तथापि विशेष समय पर देना व लेना अच्छा होता है, अतः उस समय + दान ही करना चाहिये ।

+ क्षत्रिय लोग प्रत्येक हर्ष कार्य में दान करे और धर्म का ध्यान रखें तो देश में धर्म बरानर चल सकता है ।

सर्व कर्मेदमायत्तं विद्याने देवमानुषे ।

तयोर्देवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥२०५॥

(२०५) १ देवकर्म व २ मानुषकर्म इन दोनों कर्मों के अधीन करने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें देवकर्म तो अचिन्त्य है परन्तु मानुष कर्म में विचार है अर्थात् इस जन्म में जो कार्य करे उसा पूर्णतया समझ कर करे ।

सह वापि ब्रजेद्युक्तः सन्धिं कृत्वा प्रयत्नतः ।

मित्रं हिरण्य भूमिं वा सपर्यस्त्रिविध फलम् ॥ २०६

(२०६) इस विधि से युद्ध करे तथा यदि वह राजा सन्धि करे तो यात्रा का फल अर्थात् सोना, भूमि, मित्र आदि की प्राप्ति देख कर उसके साथ मिलाप करे ।

पार्ष्णिग्राह च सप्रोच्य तथाक्रन्द च मण्डले ।

मित्रादथाप्यनित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात् ॥ २०७ ॥

(२०७) राज-मण्डल में (३) पार्ष्णिग्राह तथा (४) क्रन्द इन दोनों राजाओं की सम्पत्ति से यात्रा करे । इन दोनों की सम्पत्ति बिना यात्रा करने से भय की आश का है कि वे दोनों

(१) पूर्व (पिछले) जन्म में जो पाप व पुण्य किये हैं वह देवकर्म कहते हैं ।

(२) इस लोक में जो पाप पुण्य किये हैं वह मनुष्य कर्म कहते हैं ।

(३) पार्ष्णिग्राह वह राजा है जो पीछे रहता है ।

(४) क्रन्द वह राजा है जो उस पार्ष्णिग्राह की सम्पत्ति के अनुसार कार्य करता हो जो कि अपने निर्देश (इशारे) के विरुद्ध काम करता है ।

उपद्रव करेंगे अतः ससम्पत्ति लेकर यात्रा करने से मित्र व शत्रु से यात्रा का फल मिलता है ।

हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिको न तथैधतं ।

यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कुशमप्यायतिक्षसम् ॥२०८॥

(२०८) वर्तमान समय में अल्प सामर्थ्य वाला मित्र तथा भविष्य में उन्नत व स्थिर चित्त मित्र को पाकर जैसी उन्नति पाता है वैसी उन्नति सोना, भूमिके पाने से नहीं पाता ।

धर्मज्ञं च कुतज्ञं चतुष्टप्रकृति मेव च ।

अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघु मित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥

(२०९) धर्मज्ञाता, कृतज्ञ, दूरदर्शी, उत्तम प्रकृति वाला अनुरक्त मित्र बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि उसी से लाभ की सम्भावना है ।

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ।

प्राज्ञं च धृतिमन्तं च कष्टमादुररिं बुधाः ॥२१०॥

(२१०) जो शत्रु पण्डित, कुलवान्, शूरावीर, दत्त, (चतुर), दाता, उपकारज्ञाता तथा धीर है वह अति कठिन है अर्थात् वह वश में नहीं आसकता, यह पण्डितों ने कहा है ।

ध्यायता पुरुषज्ञानं शौर्यं क्रूरव्यवेदिता ।

स्थौललक्ष्यं च सत्तमुदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥

(२११) जो राजा उदासीन, साधु, बहुज्ञात, शौर्यशाली रूपालु तथा प्रत्येक समय अति दाता होवे उसकी शरण में शत्रु से युद्ध करे ।

क्षेम्यां सस्यप्रदा नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि ।

परित्यजेत्पौं भूमिमात्मार्यमविचारयन् ॥ २१२ ॥

(२१२) जो भूमि निर्दोष, उपजाऊ तथा पशुओं की वृद्धि करने वाली है यदि उसको बिना परित्याग किये आत्मा की रक्षा न हो सकती हो तो उस भूमि को बिना सोच विचार किये निज आत्मा के रक्षार्थ परित्याग कर दे।

आपदर्थे धनं रक्षेदारान् रक्षेद्वनैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेदारैरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥

(२१३) + विपत्ति समय के निमित्त धन संचय करे, धन द्वारा स्त्री की रक्षा करे तथा स्त्री व धन द्वारा आत्मा की रक्षा करे।

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीच्यापदो भृशम् ।

संयुक्ताश्च वियुक्ताश्च सर्वोपायान्सृजेद्बुधः ॥ २१४ ॥

(२१४) कोप का घन शून्य होना, प्रकृति का कोप तथा मित्र से शत्रुता एक ही समय पर तीनों कार्य हों तो मोह मोह त्याग साम आदि जो उपाय हैं उनमें से एक २ को वा सव को करे।

उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः ।

एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयत्नेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥

(२१५) १-उपाय, २-उपाय बताने वाला, ३-उपायके द्वारा प्राप्त वस्तु इन तीनों की आशा करके कार्य सिद्ध्यर्थ उपाय करे।

+ इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि श्री व धन आदि प्रत्येक वस्तु आत्मा के निमित्त है। अतएव आत्मा की रक्षा सब से प्रथम आवश्यक है।

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्ज्य मन्त्रिभिः ।

व्यायम्याप्लुत्य मध्यान्हे भोक्तुमन्तःपुरंविशेत् ॥ २१६ ॥

(२१६) इस प्रकार इन बातों को सचिवों सहित विचारे उत्पश्चात् व्यायाम करे, तथा दोपहर समय स्नान करके भोजनार्थ राज-मन्दिर में प्रवेश करे ।

तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहायैः परिचारकैः ।

सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विंपापहैः ॥ २१७ ॥ ।

(२१७) अपने समान कालज्ञाता, धनादि पात्र भेद न सोलने वाला ऐसा जो दूत है तथा विप हरण करने वाला जो मन्त्र है इन सब के द्वारा सुपरीक्षित अन्न को भोजन करे ।

विपध्नैरगदैश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् ।

विपध्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

(२१८) विप तथा रोग हरण करने वाली औषधियों को प्रत्येक वास्तु में मिलाना चाहिये । विपहारी रत्नों को संदैव धारण करना उचित है विप मिश्रत अन्न को देखने में पफोर (नाम) पत्ती का नेत्रलाल हो जाता है । अतएव उसको साद्य पदार्थ दिखला कर परीक्षा लेनी चाहिये ।

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदङ्घूपनैः ।

वेपाभरणासंशुद्धाः स्पृशेयुः सुममाहिता ॥ २१९ ॥

(२१९) जो स्त्री सुन्दर, आभूषणादि से अलंङ्कृत, शुद्ध हृदय तथा परीक्षित हो यदपसा, पानी, धूप, तथा स्पर्श इन कार्यों को करे ।

एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने ।

स्नाने प्रसाधने चैव सर्वाङ्गकारकेषु च ॥ २२० ॥

(२००) इस विधि से सवारी, शय्या, गद्दी (आसन) लान, चौर (हजामत) आदि प्रत्येक कार्य बुद्धिमानों से करे।
भुक्तवान्विहरेच्चैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह ।

विद्वत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् । २२१ ।

(२२१) भोजन करने के पश्चात् अन्त पुर में स्त्रियों के साथ विहार करे, तत्पश्चात् समय पाकर फिर राज्य सम्बन्धी कार्यों की चिन्तना करे ।

अलंकृतश्च संपश्येदायुधीयं पुनर्जनम् ।

वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥

(२२२) तत्पश्चात् अस्त्र शस्त्र तथा राजा योग्य वस्त्रादि से अलंकृत हो मल्ल (पहलवान), सवारी, मन्त्रणागृह, रत्नगृह, वस्त्रगृह का स्वयं निरीक्षण करे ।

संध्यां चोपास्य श्रृणुयादन्तर्वेशमनि शश्रुभृत् ।

रहस्याख्यायिकां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् । २२३ ।

(२२३) सायंकाल को सन्योपासन करके शस्त्रों से अलंकृत हो मित्र तथा रहस्य (गुप्त) की वार्ता करने वालों के योग्य कामों को सुने व विचारे ।

गत्वा कक्षान्तरे त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् ।

प्रविशेद्भजनर्थं च स्त्रीवृतोऽन्तःपुरः पुनः ॥ २२४ ॥

(२२४) दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ के पुरुषों के करने योग्य कार्य का निर्वहण कर पुनः भोजन करने के हेतु अन्तःपुर, (राजप्रासाद) में प्रवेश करे ।

तत्र भुत्स्वा पुनः किञ्चित्तु र्घर्षीः प्रहवितः ।

सविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः ॥२२५॥

(२२५) पश्चात् अन्न भोजन कर सिंह गर्जन से प्रसन्न होकर विश्रामगृह में शासन करे तथा भ्रम को दूर कर उचित समय पर निद्रा से उठे ।

एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः ।

अस्वस्थः सवमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥२२६॥

(२२६) जो राजा निरोग हो वह इस विधि से कार्य करे । यदि रोग ग्रसित होवे तो इन सब कार्यों के करने की आज्ञा अपने मन्त्रियों को देवे ।

मनुजी के शास्त्रमृगुजी की संहिता का सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।



अष्टमोऽध्यायः ।



व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पाथिवः ।

मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव विनीयः प्रविशेत्सभाम् । १ ।

(१) राजा, बुद्धिमान् मन्त्री व विद्वान् ब्राह्मणों को साथ लेकर सामान्य वस्त्राभूषण धारण करके न्यायालय में प्रवेश करे तत्रासीनः स्थितो वापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् ।

विनीतवेपाभरणः परयेत्कार्याणि कायिणाम् ॥ २ ॥

(२) सभा में बैठकर व खड़े होकर, दाहिना हाथ उठाकर, सामान्यवस्त्र व आभूषण धारण कर राजकर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करे ।

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ।

अष्टादशसु मार्गेषु निवद्धानि पृथक्पृथक् । ३ ।

(३) देशरीति व शास्त्राज्ञा के अनुसार साक्षियों की साक्षी आदि भिन्न २ विधि से पृथक् २ परीक्षा कर अठारह प्रकार के अभियोगों का निर्णय करे ।

तेषामाद्यमृष्टां दानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः ।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्वानपकर्म च । ४ ।

(४) अठारह प्रकार के अभियोग यह हैं—(१) लेनदेन (२) अमानत (३) उष्य वस्तु को बेचना जिसका कोई स्वामी न हो (४) साभा (५) ऋण लेकर इनकार करना ।

वैतनस्पैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः ।

क्रयविक्रयादुशयो विवादः स्वामिपालयोः । ५ ।

(५) (६) वैतन तथा परिश्रम का फल न देना (७) प्रण-भंग व क्रय विक्रय में वाद् विवाद होना (६) स्वामी व सेवक का वाद् विवाद

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके ।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥

(६) (१०) भूमि सीमा विवाद (११) दूषण देना (१२) मारपीट (१३) गुप्त चोरी (१४) साहस करके धनादि का अपहरण करना १५ बलपूर्वक स्त्री हरण करना ।

स्त्रीपुन्धर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च ।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७ ॥

(७) (१६) स्त्री पुरुष का धर्म, (१७) विभाग (१८) द्यूत

का सभा इस पुस्तक में यह अठारह विवाद मुख्य माने गये हैं और सब प्रकार के विवाद इनमें आ जाते हैं।

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यं विनिर्णयम् । ८ ।

(८) + राजा सदैव चित्त में धर्म का ध्यान रखकर न्यायालयके कार्यकर्ताओं तथा राजकर्मचारियों के कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करे जिससे वह लोग आलस्य, तथा घनापहरण द्वारा अन्याय कर राजा के न्याय को दूषित न करे।

यदा स्वयं न कुर्यात् नृपतिः कार्यदर्शनम् ।

तदा नियुञ्ज्याद्विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने । ९ ।

(९) जब राजा स्वयं उनका निरीक्षण न करे तब पण्डित ब्राह्मण को उनके निरीक्षण की आज्ञा देवे।

सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सम्पैरेव त्रिभिवृतः ।

सभामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव वा । १० ।

(१०) वह ब्राह्मण न्यायालय में बैठकर व खड़ा होकर तीन परामर्शदाताओं के साथ राज्य-कार्य का निरीक्षण करे।

—मनु के मतानुसार नारदस्मृति है कि राजा के सैनिक सभा-सद्व धर्मशास्त्र, संरक्षक लेखक, सोना, अग्नि, जल, न्यायालय के कार्यकर्ता हैं इस विषय में बृहस्पति, व व्यास का कथन और देवहार, वाष्णे धर्मसूत्र, बृहद पाराशर स्मृति, मिताक्षरा, शुक्र स्मृति, मातस्य पुराण देखने योग्य हैं कि किस २ कार्य पर कौन २ कुल के मनुष्यों को नियत करना चाहिये।

यस्मिन्देशे निषीदति विप्रा वेदविदस्यः ।

राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्ब्राह्मणस्तां नभा विदुः ॥११॥

(११) जिस देश में एक ब्राह्मण व पण्डित, वेदज्ञाता तीन ब्राह्मणों के साथ विवाद- निर्णय करने के हेतु राजाज्ञानुसार बैठता है उस सभा को ब्रह्माजी की सभा जानना चाहिये ।

धर्मो विद्वस्त्वधर्मो ण सभां यत्रोपतिष्ठते ।

शून्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वान् सभासदः ॥१२॥

(१२) अधर्म से विधा हुआ (अर्थात् अधर्म मिश्रित] धर्म जिस सभा में रहता है तथा उस सभा के सभासद अधर्म को रोक नहीं सकते हों तो वे सभासद अधर्म से विध गये हैं ।

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वा समञ्जसम् ।

अत्रु वन्वित्रु वन्वापि नरो भवति किञ्चिपी ॥१३॥

(१३) सभा में जाना न चाहिये, यदि जाये तो सत्य तथा उचित बात कहनी चाहिये । यदि जानकार सत्य न बोले, वरन् उसके विपरीत कहे तो पापी होता है, क्योंकि आत्मा के हनन करने का पाप उसे होता है !

यत्रधर्मोऽधर्मो ण रुतं यत्राऽनृतेन च ।

हृन्त्यते प्रेक्षमाणानां हस्तास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥

(१४) जहाँ सत्य पर असत्य तथा धर्म पर अधर्म विजयी हो सके और देखने वाले इसका विरोध न कर सकते हों मानों उस सभा के सभासद स्वामी सहित मारे गए हैं ।

धर्म एव हतो हिन्त धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्ताद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥१५॥

(१५) धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है तथा धर्म के नाश से हमारा नाश होता है। अतएव अपने धर्म को कभी नाश न करना चाहिये।

वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्ययम् ।

वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् । १६ ।

(१६) भगवान् का जो धर्म है उसको वृष (बैल) कहते हैं अतः जो उसका नाश करता है उसे वृषल कहते हैं। अतएव धर्म का लोप (विनाश) न करना चाहिये।

एकं एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्याद्भि गच्छति ॥१७॥

(१७) धर्म ही एक मित्र है जो मृत्यु के पश्चात् साथ जाता है। अन्य सब लोग शरीर के नाश के साथ ही सब सम्बन्ध परित्याग कर देते हैं (यद्यपि अधर्म भी मृत्यु के उपरान्त साथ जाता है परन्तु वह मित्र नहीं शत्रु है, हानि ही पहुँचाना उसका काम है)

पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षियमृच्छति ।

पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥

(१८) अधर्म के चार भाग होते हैं। प्रथम के भागको अधर्मी, द्वितीय भाग को साक्षी, तृतीय भाग को प्रबन्ध न कर सकने वाले सभासद, तथा चतुर्थ भाग को स्वयं राजा पाता है।

राजा भवत्यनेनास्तु मुन्यन्ते च सभासदः ।

एतो गच्छति कर्तारं निन्दाहो यत्र निन्द्यते ॥ १९ ॥

(१९) जहाँ निन्दनीय मनुष्य निन्दा पाते हैं वहाँ राजा

पाप से मुक्त होता है तथा सभासद लोग भी पापमुक्त रहते हैं ।
केवल अश्वर्मा ही को पाप लगता है ।

जातिमात्रेण जीवी व कामं स्याद्ब्राह्मणत्रुवः ।

धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथंचन ॥ २० ॥

(२०) ❀ जो जाति का ब्राह्मण हो परन्तु ब्राह्मण के कर्म न करता हो तथा मूर्ख हो तो भी वह राजा को धर्म उपदेश कर सकता है और शूद्र कैसा ही पण्डित हो परन्तु उपदेश नहीं कर सकता ।

यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम् ।

तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पङ्क गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥

(२१) जिस राजा के धर्म का विचार शूद्र करता है उस राजा का राज्य उसके देवते ही देवते नाश हो जाता है । जैसे गऊ दलदल में फँस कर मर जाती है ।

यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम् ।

विनश्यत्माशु तत्कृत्स्नं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥

(२२) जिस राज्य में शूद्र व नास्तिक अधिक हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य नहीं हैं वह सारा राज्य दुर्भिक्ष (अकाल) व व्याधि से पीडित हो शीघ्र नाश हो जाता है ।

धर्मासनमधिष्ठाय सवीताङ्गः समाहितः ।

प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमाचरेत् ॥ २३ ॥

❀ २० वाँ श्लोक सम्मिलित किया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है धरन् एक वर्ण है और वर्ण कर्म कर्म से बदलते हैं यह मनुजी का सिद्धान्त है ।

(२३) धर्मासन पर बैठकर वलों से शरीर ठीक एकाग्र चेत हो लोकपालों को प्रणाम करके कार्य देखना आरम्भ करे ।

अर्थानिर्थायुभौ युद्ध्वा धर्माधर्मौ च केवली ।

वणक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कारिणाम् ॥ २४ ॥

(२४) अर्थ व अनर्थ का प्रमाण लेकर केवल अधर्म का ध्यान करके वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के क्रमानुसार सब कार्य अकार्य को देखे ।

वाह्यं विभावयेन्निलङ्गैर्भविमन्तर्गतं नृणाम् ।

स्वरवर्णोद्भिताकारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥

(२५) स्वर, वर्ण, रूप, इंगित, आकार, नेत्र, चेष्टा प्रादि बाहरी चिन्हों को देखकर मनुष्यों के हृदय की बात को समझे ।

आकारै रङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ।

नेत्र वक्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गत मनः ॥ २६ ॥

(२६) आकार, इंगित (इशारा), गति, चेष्टा, नेत्र, रूप तथा वाणी इनके द्वारा मनुष्य के हृदय का भाव जाना जाता है ।

बालदायादिकं रिम्भं तावद्राजानुपालयेत् ।

यावत्सस्यात्समावृत्तो यावच्चातीवशैशवः ॥ २७ ॥

(२७) यदि अनाथ बालक के धन को उसके चचा यादि, लेते हों तो, राजा उस धन को उस समय तक अपने भक्त रखने जब तक कि उस बालक का समावर्तन कर्म न हो तथा उसका शैशव (लकड़पन) अतीत (व्यतीत) न हो ।

वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ।

पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥२८॥

(२८) वाम्भ, निर्वशी व कुल से बहिष्कृत (निकाली हुई), पतिव्रता, विधवा व रोगिणी इन सबकी सम्पत्ति आदि की रक्षा राजा करे जिससे उसे कोई अपहरण न कर सके ।

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्दुरेयुः स्वयान्धवाः ।

ताञ्छिष्याञ्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥२९॥

(२९) उरुक्त सर्वों की जीवित दशा में उनके धन आदि का यदि उनके सम्बन्धी अपहरण कर लें तो धर्मात्मा राजा उस धनादि के हरण करने वाले को चोर की नाई' दण्ड देवे ।

प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् ।

अर्वाक् त्र्यब्दाद्दुरेत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥३०॥

(३०) जिस धनका कोई स्वामी नहीं है उस धनकी राजा तीनवर्ष पर्यन्त (१) रक्षा करे । यदि इस समय के अन्तर्गत उनका स्वामी आजावे तो उसकी धन सम्पत्ति उसे सौंप दे । तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर उस स्वामी रहित धनादि का (२) स्वामी राजा है ।

१—लोग यह समझते हैं कि कोर्ट आफ वार्डस् की रीति अगरेजों ने प्रचलित की है परन्तु मनुजी ने इसे प्रथम ही लिख दिया है ।
२—जो लोग स्वामी हीन धन को राजा के लेने से राज को अप-शब्द कहते हैं वे भूल पर हैं । मनुजी के मत से राजा सारी प्रजा का स्वामी है ।

ममेदऽमिति यो व्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि ।

सवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्द्रव्यमर्हति ॥३१॥

(३१) जो मनुष्य राजा के सम्मुख जाकर यह कहे कि 'यह वस्तु मेरी है' तो राजा उससे उस वस्तु का रूप तथा संख्या आदि पूछे । यदि वह सप्रमाण सत्य बतला दे तो वह वस्तु उस मनुष्य को दे दे ।

अयेद्यानो नष्टस्य देशं कालं च तत्प्रतः ।

वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३२ ॥

(३२) जब उपरोक्त वस्तु को संख्या, रूप, वर्ण, देश व काल सत्य सप्रणाम न बतलाये तो उस वस्तु के समान दण्ड पावे क्योंकि वह अपने असत्य दावे को प्रमाणित न कर सका ।

आददीताथ पड्भाग प्रणष्टाधिगतान्नृपः ।

दशम द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन् ॥३३॥

(३३) उस वस्तु के छठे, दसवें व बारहवें भाग को रक्षा के व्यवार्थ राजा ले ले । सज्जन पुरुषों के धर्म का लक्ष्य कर राजा उस धनादि के स्वामी को अवस्थानुसार उस धनादि का भाग नियत करे ।

प्रणष्टविगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तैरधिष्ठितम् ।

यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयात्तान्राज्ञेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

(३४) पड़ी हुई वस्तु पावे तो उसकी रक्षा सज्जन पुरुषों द्वारा कराके उसे रख तथा राजा उसके चुराने वालों को हाथी से मरवादे ।

ममायमितियो ब्रूयान्निधिं सत्येन मानवः ।

तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ।३५।

(३५) जो वस्तु पृथ्वी में गढ़ी है उसको राजा के समीप ले जावे, यदि कोई अन्य पुरुष कहे कि यह वस्तु मेरी है तथा उसके रूप व संख्यादि को यथा तथ्य (ठीक ठीक) सप्रमाण बतलावे तो वह वस्तु वहीं पावे, और उस वस्तु का छठा व चारहवाँ भाग राजा लेवे । राजा उसके स्वामी के वित्तानुसार भाग निर्धारित करे ।

अनतं तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् ।

तस्यैव वा निधानस्य संख्यायान्पीयसीकलाम् ।३६।

(३६) यदि असत्य बोलें तो अपनी वस्तु का आठवाँ भाग दण्ड स्वरूप दे अथवा उस धन की संख्या के अल्प भाग के तुल्य निज धन दण्ड स्वरूप देवे, तथा उपरोक्त धन का निर्धारित भाग उचित समझना चाहिये ।

विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् ।

अशेषतोऽप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ ३७ ॥

(३७) यदि ब्राह्मण पण्डित उस गढ़ी हुई वस्तु को पाजाय तो वह उस धन को लेवे क्योंकि वह स्वका स्वामी है । मनुजी विद्वान् ब्राह्मण को सारे संसार का उपदेश होने से सबका स्वामी समझते हैं ।

यं तु पश्येन्निति राजा पुराणं निहितं क्षिती ।

तस्माद् द्विजेभ्यो दत्त्वार्धमर्धं कोशे प्रवेशयेत् ॥३८॥

(३८) यदि राजा स्वयं उस गढ़ी हुई वस्तु को पावे तो

आधा भाग × ब्राह्मणों को देवे, शेष आधा भाग अपने कोष में रखे ।

निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च वित्ता ।

अर्धभागवत्पुत्राद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥३६॥

(३६) गढ़े हुए धन के आधे भाग का लेने वाला राजा है, क्योंकि वह रक्षक है तथा सचका स्वामी है ।

दातव्यं सर्ववर्णेषु राज्ञा चौरैर्हृतं धनम् ।

राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किञ्चिपम् ॥४०॥

(४०) राजा चोर की चुराई वस्तु को लेकर सब वर्णों को देवे (अर्थात् जो उसका स्वामी है उसे देवे) । यदि राजा स्वयं उस वस्तु को लेले तो जो पाप चोरों को होता है वह राजा को होवे ।

जातिजनपदान्धर्मान्श्रेणीधर्माश्च धर्मवित् ।

समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥४१॥

(४१) जातिधर्म, वंशधर्म, सम्प्रदाय आदि धर्म व कुलधर्म इन सब धर्मों की ओर दृष्टिपात कर अपना धर्म निर्धारित करे ।

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः ।

प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥४२॥

(४२) अपने धर्म कर्म करने वाले मनुष्य यदि दूर भी रहते हों तो भी लोक (संसार) को प्रिय (प्यारे) होते हैं ।

× यहाँ ब्राह्मण से तात्पर्य वेदज्ञाता वहा है किसी जाति विशेष से नहीं ।

नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः ।

न च प्रापितन्मयेन ग्रसेदर्थं कथंचन ॥ ४३ ॥

(४३) राजा व राजकर्मचारी स्वयं कार्य को उत्पन्न न करे तथा दादी व प्रति दादी के द्वारा निवेदित कार्य को धन के लोभ से त्याग न करे । (अर्थात् विवाद का निर्णय सत्य तथा न्याय युक्त करे) ।

यथा नयत्सृक्पातैर्मृगस्य मृगयुः पदम् ।

नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥ ४४ ॥

(४४) जिस प्रकार बहेलिया (शिकारी) घाव खाये हुए मृग के शरीर से गिरे हुए रक्त बिन्दुओं द्वारा उसके स्थान का अनुसन्धान पा लेता है उसी प्रकार राजा अनुमान से धर्म पद को प्राप्त करे ।

सत्यमर्थं च संपश्येदान्मानमथ साक्षिणः ।

देशरूपं कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५ ॥

(४५) राजा विधि व्यवहार पर स्थिति होकर सत्य, तत्त्वार्थ, आत्मा, साक्षी, देश, काल, रूप इन सनों को देखे ।

सद्भिराचरितं यत्स्याद्भामिकैश्च द्विजातिभिः ।

तद्देशकुलजातीनामयिरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

(४६) धर्मात्मा द्विजो ने जिस धर्म का पालन किया है उस देश, कुल व जाति के अनुसार धर्म को नियत करे ।

अधमैर्गार्थिसिद्ध्यर्थमुत्तमैर्णेन चोदितः ।

दापयेद्भनिकस्यार्थमधमैर्द्विभावितम् ॥ ४७ ॥

(४७) यदि छणदाता ने राजा के सम्मुख अपने दिये-

द्वये ऋण के विषय में निवेदन किया तथा साक्षी व लेखादि प्रमाणों द्वारा उस ऋण को प्रमाणित कर दिया हो तो राजा उसके धन को ऋणी से दिलादे ।

दौर्गैरुपादौरर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तमणिकम् ।

तैस्तरुपाद्यैः संगृह्य दापयेदधमणिकम् ॥ ४८ ॥

(४८) जिस २ उपाय से ऋणदाता अपने धन को प्राप्त कर सके उस उस उपाय से ऋणी को परुड़ कर राजा धन को दिलादे ।

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च ।

प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन वलेन च ॥ ४९ ॥

[४९] (१) धर्म (२) व्यवहार [अर्थात् साक्षी लेखादि], (३) छल, (४) आचरण (अर्थात् व्रत उपवास) तथा (५) बल इन पाँच उपायों में से किसी भी उपाय द्वारा अपने दिये हुए धन को प्राप्त करे ।

यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमणिकात् ।

न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥

(५०) जो ऋणदाता अपने धन को ऋणी से अपने उपाय द्वारा स्वयं प्राप्त करता है राजा उसका विरोध न करे कि हमारे सम्मुख अपने ऋण के विषय में निवेदन क्यों नहीं किया, स्वयं अपने उपाय द्वारा क्यों प्राप्त करता है ?

अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम् ।

दापयेद्वनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥

(५१) वाद के निवेदित अभियोग से यदि प्रतिवादी स्तुकार करे तथा वादी साक्षी व लेख आदि साधनों द्वारा

अपने अभियोग को सत्य प्रमाणित कर दे तो राजा ऋण-
दाता के वन को ऋणी से दिलादे और इस असत्यभापी ऋणी
को उसकी शक्ति के अनुसार दण्ड भी देवे ।

अपह्ववेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि ।

अभिपोक्ता दिशेद्देन्यं करणं वान्यदुदिशेत् ॥५२॥

(५२) जो न्यायालय ऋणी से ऋण-परिशोध के अर्थ कहे
और ऋणी उस ऋण का लेना न सकारे उस समय ऋण-
दाता साक्षी व लेख आदि प्रमाण साधनों को न्यायालय में
उपस्थित करे ।

अदेश्यं यश्च दिशति निदिश्यापह्नुते च यः ।

यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्वावबुध्यते ॥ ५३ ॥

(५३) जिस नगर में प्रतिवादी ने कभी भी वास नहीं
किया है परन्तु वादी उस नगर को कहकर तत्परचात् कहे कि
मैंने उस नगर का नाम नहीं लिया है तो वह वादी सर्वथा
आद्यन्त असत्य भाषण करता है ।

अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति ।

सम्यक्प्रणिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥

(५४) जो ऐसा कहकर कि इसने मेरे हाथ से इतना
सोना लिया है तत्परचात् यह कहे कि मेरे पुत्र के हाथ से लिया
है, तथा न्यायाधीश के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है और उसे
प्रमाणित नहीं करता है ।

असंभाप्ये साक्षिभिश्च देशे संभापते मिथः ।

निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥५५॥

(५५) जो एकान्त में साक्षियों से सम्प्रति करता है

क्षौर न्यायाधीश के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तथा एक बात पर स्थित नहीं रहता है।

ब्रूहीत्युक्तश्च न ब्रूयाद्युक्तं च न विभाजयेत् ।

न च पूर्वापरं विद्यत्तस्मादर्थात्स हीयते ॥ ५६ ॥

(५६) न्यायाधीश के आज्ञा देने पर बोलता नहीं है, अपने निषेधित अभियोग को साक्षी च लेख आदि द्वारा प्रमाणित नहीं करता है, जो आदि च अन्त की बात को नहीं जानता है वह सब अपने तात्पर्य की हानि करते हैं।

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः ।

धर्मस्थः कारयोरेतैर्हीन तमपि निदिशेत् ॥ ५७ ॥

(५७) हमारे साक्षी हैं ऐसा कहने पर भी जो साक्षियों को स्थित नहीं करता है, इन कारणों से न्यायाधीश उसको पराजित समझे।

अभियोक्ता न चेद्ब्रूयाद्वच्यो दृष्टश्च धर्मतः ।

न चेत्त्रिपक्षात्प्रब्रूयाद्धर्मं प्रति पराजितः । ५८ । .

(५८) जो वादी न्यायाधीश के सम्मुख तो कहता है परन्तु प्रतिवादी के सम्मुख मूक रहता है वह व्यवहार का झूठा प्रमाणित होकर प्राणदण्ड अथवा अर्थदण्ड के योग्य है।

यो यावन्निहनुर्वावार्थं मिथ्या यावति वा वदेत् ।

तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद्द्विगुणं दमम् ॥ ५९ ॥

(५९) जो वादी वा प्रतिवादी जितने धन को मिथ्या बतलावे उतने धन का दुगुना दोनों से राजा दण्डस्वरूप लेवे, तथा यह दोनों अधर्मज्ञाता है।

पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनैपिणा ।

व्यवरैः साक्षिभिर्भाव्यो नृपत्राक्षणसन्निधौ ॥ ६० ॥

(६०) जब प्रतिवादी न्यायालय में आकर कहे कि हमने इस ऋणदाता से धन नहीं लिया है तब वादी न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किये हुए साक्षियों के अतिरिक्त अन्य अधिक साक्षियों द्वारा अपने ऋण देने को प्रमाणित करे ।

यदृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः ।

तादृशान्संप्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतंच तैः ॥ ६१ ॥

(६१) जो मनुष्य धन व्यवहार सम्बन्धी अभियोगों में साक्षी स्वरूप नियत व उपस्थित होने चाहिये तथा साक्षी लोग जैसी सत्य साक्षी देवे-उन सबको कहते हैं—

गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविट्शूद्रयोनयः ।

अथ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापदि ॥ ६२ ॥

(६२) गृहस्थ, सन्तान वाले, व कुलीन क्षत्रिय, वैश्य वा-शूद्र जो वादी के पक्षों में रहने वाले हों वे साक्षी होने चाहिये । अचानक आया हुआ तथा विपत्ति से सताया हुआ साक्षी ठीक नहीं ।

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः ।

सर्वे धर्मविदाऽलुब्धा विपरीतास्तु वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

(६३) जो मनुष्य सब वर्णों के कार्य में सत्यभाषी, सब धर्मों के ज्ञाता और निर्लोभी हैं वही साक्षी देने योग्य हैं तथा जो उपरोक्त गुण न रखते हों उनको साक्षी न करना चाहिये ।

नोर्थसम्बन्धितो नासा न सहाया न वैरियाः ।

न दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्यर्ता न दूषिताः ॥६४॥

(६४) जिस विषय का वाद-वियाद होता है उससे सम्बन्ध रखने वाला, मित्र, सहायक, शत्रु, और जिसका दोष सब स्थानों पर दृष्टिगत हुआ हो, व्याधि-पीडित तथा दुष्ट प्रकृति वाला ।

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुणकुशीलवौ ।

न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न संगेभ्योऽविनिर्गतः ॥६५॥

(६५) राजा, कारुण (रसोई बनाने वाला), नट आदि, वेदपाठी तथा ब्रह्मचारी आदि जो सग से विलग किया गया है ।

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्पुर्न विकर्मकृत् ।

न वृद्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥६६॥

(६६) सेवक, नीचकर्मी, चोर, विरुद्ध कर्म करने वाला, अस्सी वर्ष से अधिक आयु वाला, सोलह वर्ष से न्यून आयु वाला, एकाग्र, चारुडाल आदि तथा अङ्गहीन ।

नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुत्तृपोपपीडितः ।

न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुद्धो नापि तस्करः ॥६७॥

(६७) दुःखी, भगादि से मदमत्त, उन्मत्त वा भूतादि से पीडित, क्षुधा प्यास से आर्त, श्रमी, कामपीडित, क्रोधो तथा तस्कर (चोर) इन सब को साक्षी न करना चाहिये ।

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुयुर्द्विजानां सदृशा द्विजाः ।

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥६८॥

(६८) द्वियो स्त्री साक्षिणी स्त्रियां द्विजो जो (अर्थात्

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) के साक्षी द्विज, शूद्रों के शूद्र तथा चाण्डालों के साक्षी चाण्डाल हों ।

अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम् ।

अन्तर्वेश्मन्परगृहे वा शरीरस्थापि चात्स्ये ॥६६॥

(६६) जिन पुरुषों को वादी प्रतिवादी के अभियोग की वास्तविकता से अनुभव प्राप्त हो यह साक्षी हों, घर की घोरी, यन की लूट तथा प्राणहत्या के अभियोग में उपरोक्त गुण वाले साक्षियों की आवश्यकता नहीं है । वरन्—

स्त्रियाप्यसंभवे कार्यं बालेन स्थविरेण वा ।

शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा । ७० ।

(७०) उन तीनों अभियोगों में उल्लिखित गुणों वाले साक्षी न होने पर स्त्री, पुत्र सम्बन्धी, वृद्ध, शिष्य बन्धु, संवक भृत्य (मजदूर) यह सब भी साक्षी होंगे ।

बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा ।

जानीयादस्थिरां वाचमुत्सक्तमनसां तथा । ७१ ।

(७१) ❀ साक्ष्य में बालक वृद्ध, आतुर (दुःखी), उन्मत्त, आदि के कथन को मिथ्या जानना चाहिये ।

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च ।

वाग्दण्ड्योश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ७२ ॥

❀ साक्षी का सवन्ध स्मरणशक्ति तथा बुद्धि से है अतएव, वृद्ध रोगी, उन्मत्त (पागल) पुरुषों की बुद्धि तथा स्मरणशक्ति ठीक न होने के कारण उनकी गवाही विश्वास योग्य नहीं । बालक का साक्ष्य अहम् बुद्धि तथा न्यायालय में भयभीत हो जाने के कारण प्रमाणिक नहीं ।

(७२) साहस में कार्य करना, चोरी, स्त्री का बलात्कृत्य, अश्रम, कुवाच्य कहना (कद्रु भाषण वा वाग्दण्ड), लाठी आदि से मारना इन अभिचोगों में साक्षियों की गवाही विश्वास योग नहीं ।

बहुत्वं परिगृह्णापात्साक्षीद्वैधे नराधिपः ।

समेपु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान् ॥७३॥

(७३) जहाँ साक्षियों की साक्ष्य दो प्रकार की हो वह एक प्रकार की एक गवाही के बहुत साक्षियों की गवाही ग्रहण योग्य है । यदि सख्या में समान हैं और दो प्रकार की गवाहियाँ हैं तो वहाँ योग्य तथा उत्कृष्ट गुण वाले साक्षियों का साक्ष्य माननीय है । तथा समान गुण वाले साक्षियों में ब्राह्मण का साक्ष्य प्रमाणिक है ।

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्ध्यति ।

तत्र सत्यां वृषन्साक्षी धर्मार्थिभ्यां न हीयते ॥७४॥

(७४) अपने नेत्रों द्वारा देखा तथा कानों द्वारा सुने हुए में साक्ष्य देना उचित है तथा उसमें सत्य बोलने से धर्म पर अर्थ की हानि नहीं होती ।

साक्षी दृष्टश्रु तादन्यद्विब्रु वन्नार्य संसदि ।

श्रवाङ्गनरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥७५॥

(७५) जो मनुष्य सज्जनों की सभा में देखे व सुने के विपरीत साक्ष्य देता है वह आवाशिर किये हुए नरक में जाता है—उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता ।

यत्रानिवद्धोऽपीक्षेत शृणुयाद्द्विपि किंचन ।

दृष्टस्तत्रापि तद्वद्वाद्यथादृष्टं यथाश्रु तम् ॥७६॥

(७६) तुम इस में साक्षी हो ऐसा नहीं कहा है तथा उसने अभियोग की वास्तविक दशा को देखा व सुना है यदि वह न्यायालय में बुलाया जाये तो उसने जैसा देखा वा सुना है वैसा ही कहे ।

एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्याद्वह्व्य. शुच्योऽपि न स्त्रिय ।
स्त्रीबुद्धेरऽस्थिरत्वात्तु दोषश्चान्येऽपि येवृत्ता. ॥७७॥

(७७) निर्लोभी एक पुरुष भी साक्षी हो सकता है । परन्तु बहुत सी लोभिणी + स्त्रियाँ साक्षी नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि एक दशा में स्थिर नहीं रहती तथा जो मनुष्य दोषयुक्त हैं वह भी साक्षी होने योग्य नहीं हैं ।

स्वभावेनैव यद्ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् ।

अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थक्यम् ॥ ७८ ॥

(७८) अपने स्वभाव से जो बात कहे उसे व्यवहार में ग्रहण करना चाहिये (अर्थात् उस बात को मान्य समझ लेखवद्ध करना चाहिये), तथा जो बात सिखलाने से कहे वह धर्म है वह मानने योग्य नहीं है ।

सभान्तःसाक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ।

प्राङ् विवाकोऽनुयुज्जीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥७९॥

(७९) राजाज्ञा से अभियोग का निर्णयकर्ता ब्राह्मण

+ क्योंकि स्त्रियों में भय, लज्जा आदि स्वाभाविक गुण हैं अतः वे गवाही देने में भी इन गुणों से पृथक् नहीं रह सकतीं. जिससे साक्षी की वास्तविकता में सन्देह है । अतएव स्त्रियों की गवाही अविश्वास योग्य निर्धारित व निश्चित की है ।

प्रमभा में वादी वा प्रतिवादी की उपस्थित में आगे लिखित विधि से साम उपाय द्वारा साक्षी को आज्ञा दे ।

द्यद्द्वयोरनयांवेत्थं कार्येऽस्मिश्चेष्टितं मिथः ।

तद्ब्रू त सर्वं सत्येन युष्माक ह्यत्र साक्षिता । ८० ।

(८०) कि वादी तथा प्रतिवादी के उपस्थित अभियोग के सम्यन्व में अपने नेत्रों देखी हुई अवस्था व वृत्तान्त को जो कुछ तुम जानते हो सब सत्य २ कही, इस अभियोग में तुम्हारी गवाही है ।

वाला परमात्मा तुम्हारे हृदय में स्थित है। उससे विवाद करके अर्थात् उसकी आज्ञा को भंग करके गंगा व कुरुक्षेत्र को न जाओ अर्थात् पाप करके गंगा व कुरुक्षेत्र जाने से तुम बच नहीं सकते।

नग्नो मुरळः कपालेन भिन्नार्थी क्षुप्पिपासितः ।

अन्धः शत्रुकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् । ६३ ।

(६३) जो साक्षी असत्य बोले वह नग्न, मूढ़ मुड़ाये, छुधा व प्यास से पीड़ित व अन्धा होकर भिन्नार्थ कपाल ग्रहण कर शत्रु के कुल में जावे।

अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरकं व्रजेत् ।

यः प्रश्नं वितथं व्रूयात्पृष्टः सन्धर्मनिश्चये । ६४ ।

(६४) जो पुरुष धर्म के निश्चय करने में किये गये प्रश्न के उत्तर में अनृत भाषण करता है वह पापी अधोशिर हो बहुत ही अंधेरे नरक में जाता है।

अन्धो मत्स्यानिवाशनाति स नरः कण्टकैः सह ।

यो भाषतेऽर्थवैकल्पमप्रत्यक्षं सभां गतः । ६५ ।

(६५) जो मनुष्य न्यायालय में जाकर के प्रलोभन से असत्य भाषण करता है वह उसी प्रकार दारुण विपत्ति पाता है जैसे अन्धा मनुष्य काँटों वाली मछली खाकर असह्य पीड़ा पाता है।

यस्य विद्वान्हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते ।

तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुष विदुः । ६६ ।

(६६) जो मनुष्य बोलते समय अपनी आत्मा का हनन नहीं करता तथा उसकी आत्मा में सन्देह व भ्रम

उत्पन्न नहीं होता—क्योंकि सन्देह व भ्रम सदैव असत्य भाषण के समय उत्पन्न होता है विद्वान् लोग उससे बड़कर किसी को नहीं जानते ।

यावतो बान्धवान्यस्मिन्हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन् ।

तावतः संख्यया तस्मिञ्छ्रेणु सौम्यानुपूर्वशः ॥६७॥

(६७) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि लोगों ! अनृत साक्ष्य देने से जितने बान्धवों को हनन करता है हम तुम से उनकी संख्या को वर्णन करते हैं ।

पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।

शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ६८ ॥

(६८) यदि पशु के अभियोग में असत्य बोले तो पाँच पुस्त, गऊ के अभियोग में असत्य बोले तो दश पुस्त, घोड़े के अभियोग में असत्य बोले तो सौ पुस्त, मनुष्य के अभियोग में असत्य बोले तो सहस्र पुस्त को कलंकित कर देता है ।

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन् ।

सर्वं भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यऽनृतं वदोः ॥६९॥

(६९) सोने के अभियोग में असत्य भाषण करने से जातअजात अर्थात् उत्पन्न हुये और उत्पन्न होने वाले बान्धवों का हनन करता है । भूमि के अभियोग में असत्य साक्ष्य देने से सबको नाश करता है, अतः भूमि के विषय में गवाही देने में कभी असत्य न बोले ।

ॐ मनुजी का तात्पर्य हनन करने से उनकी कीर्ति तथा मान नाश करना है ।

अप्सु भूमिर्दित्याहुः स्त्रीणं भोगे च मैथुने ।

अब्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वश्मयेषु च ॥ १०० ॥

(१००) जल, स्त्री, भोग, मैथुन, मोती रत्न, आदि के अभियोग में भी भूमि समान जानना ।

एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सर्वाननृतभाषणे ।

यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥ १०१ ॥

(१०१) × असत्य भाषण में अपनी हानि का ज्ञान लाभकर जैसा अपने को अनुभव तथा ज्ञात हो व जैसा देखा या सुना हो, यथातथ्य बिना मिताये सत्य व बोलना चाहिये ।

गौरक्षकान्वाणिजिकास्तथा कारुकुशीलवान् ।

प्रोप्यान्वाधुर्पिकांश्चैव विप्रान्शूद्रवदाचरेत् ॥ १०२ ॥

(१०२) गो रक्षा द्वारा निर्वाह करने वाला, वैश्य कर्म करने वाला, अन्य कारुक (पाचक, रसोई बनाने वाला) गायक, दास-कर्म करने वाला, तथा व्यवहार का व्याज लेने वाला जो ब्राह्मण है उसको शूद्र के समान मानना चाहिये ।

× मनुजी के मतानुसार अत्यन्त भाषण तथा असत्य साक्ष्य देना सय से बड़ा पाप और इसके कर्ता अपने कुल की कीर्ति तथा मान को समूल नाश कर देते हैं । क्योंकि वर्तमान समय में झूठी गवाही देने वाले अधिक हो गये हैं अतःलोग झूठी गवाही को पाप नहीं समझते परन्तु इस अधर्म ही के कारण देश का सारा सुख व मान नष्ट हो गया ।

नोट-श्लोक १०३, १०४ व १०५ पश्चान् के सम्मिलित किए हुए हैं । अन्यथा धर्मशास्त्र किसी भी अवस्था में असत्य बोलने की आज्ञा नहीं देता ।

तद्वदन्धमतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः ।

न स्वर्गाच्छ्यदते लोकाद्दैवी वाचं वदन्ति ताम् ॥१०३

(१०३) देव व सुनरु भो द्या के कारण अस्य भाषण करने वाला स्वर्ग से पतित नहीं होता, उसकी वाणी मन आदि देवता की वाणी के समान समझते हैं ।

शूद्रविट्क्षत्रिविप्राणां यत्रर्त्तो क्तौ भवेद्वधः ।

तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते । १०४ ।

(१०४) जहाँ सत्य भाषण से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य का हनन होता हो वहाँ असत्य भाषण सत्य से उत्तम है ।

वाग्देवत्यैश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम् ।

अनृतस्यैनसस्त स्य कुर्वाणा निष्कृतिपराम् । १०५ ।

(१०५) असत्य भाषण कर घर में आकर सरस्वती देवी का यज्ञ करे तब असत्य भाषण के पाप से मुक्त होता है ।

कूप्माण्डैर्वापि जुहुयाद् घृतमग्नौ यथाविधि ।

उदित्यु चा वा वारुण्या ऋचेनाब्दवतेन वा १०६

(१०६) अथवा कूप्माण्ड मन्त्र जो यजुर्वेद में लिखा है उसको पढ़कर व 'उत्तमम्' 'आपोहिष्ठा' इन दोनों मन्त्रों में से किसी एक मन्त्र को पढ़कर घी से यथाविधि हवन करे ।

त्रिपदादब्रु वन्साक्ष्यमृणादिषु नरोऽगदः ।

तदृशां प्राप्नुयात्सर्वं दशवन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥

(१०७) ऋणादि के अभियोग में यदि आरोग्य साक्षी तीन पक्ष अर्थात् डेढ़ मास के भीतर कुछ न कहे तो जिस अभियोग में वह साक्षी है उस अभियोग के धनका दसवाँ भाग देसड स्वरूप देवे ।

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः ।

रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणं मृगं दाप्यो दमं च सः ॥१०८॥

(१०८) न्यायालय से कोई साक्षी अपनी गवाही देकर आवे और सात दिवसों के भीतर रोग, अग्निदाह, जाति सम्बन्धी को मृग्य इनमें से कोई एक दुःख साक्षी को हो तो वह साक्षी उस ऋण को तथा उसके दणमास को दण्ड स्वरूप देवे ।

असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः ।

अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यां शपथेनापि लम्भयेत् ॥१०९॥

(१०९) जिस अभियोग में कोई साक्षी नहीं है तथा विचार द्वारा न्यायाधीश उसकी वास्तविकता को नहीं पासकता हो तब त्स्निग्धित सौगन्ध द्वारा यथाथं व सत्य वृत्तातको पूछे ।

महर्षिभिश्च देवैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः ।

वशिष्टश्चापि शपथं शोपे वयव न पे । ११० ।

(११०) ऋषिगणों व देवताओं ने कार्यार्थं शपथ (सौगन्ध) खाई है विश्वामित्र के ऋग्वे में वसिष्ठ ऋषि ने यवन के बेटे सदामान नाम राजा के सम्मुख सौगन्ध खाई थी ।

न वृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरो बधः ।

वृथा हि शपथां कुर्वन्नेत्य चेह न नश्यति ॥ १११ ॥

(१११) साधारण अवस्था में स्वल्प अर्थ हेतु वृथा सौगन्ध न खानी चाहिये तथा जो मनुष्य वृथा शपथ खाता है । व थोड़ी २ बातों में सौगन्ध खाता है । वह नष्ट हो जाता है और उसका विश्वास नहीं रहता ।

कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्वने ।

ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥११२॥

(११२) कन्या के विवाह में यदि घर पत्नी विश्वास न करे गऊ का भक्ष देने के समय, व ब्राह्मण के रक्षार्थ, अग्नि-होत्रार्थ ईश्वर को आवश्यकता दिखलाने में शपथ खाना पातक है तथा असंगत नहीं है।

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।

गोर्वाजकाञ्चनैर्वाशयं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥११३॥

(११३) ब्राह्मण को सत्य को, क्षत्रिय को वाहन तथा शस्त्रों की, वैश्य को गऊ बीज तथा सोना (सुवर्ण) की, तथा शूद्र को सारे पातकों की शपथ दिलावे।

अग्नि वाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत् ।

पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥११४॥

(११४) सौगन्ध इसी विधि से पिलावे कि या तो अग्नि प्रहण करके वा जल में सूझा करके अथवा पुत्र के सिर पर हाथ रखवा करे।

यमिद्वो न दहत्यग्निरापो नो मज्जयन्ति च ।

न चार्तिं मृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥११५॥

(११५) जिसे आग न जलावे, जल न डुबावे, या पुत्र व स्त्री का शीघ्र दुःख न पावे उसको सौगन्ध में शुद्ध जानना चाहिये।

वत्सस्य ह्यभिशास्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा ।

नाग्निर्ददाद् रोमाणि सत्येन जगतःस्पृशः ॥११६॥

(११६) पूर्व समय में वत्स अपि के अनुज ने उनको दोष लगाया था विस पर वत्स अपि ने अपनी शुद्धता दिखलाने हेतु अग्नि को स्थाया परन्तु सारे संसार के पाप पुण्य की ज्ञाता अग्नि ने अपि को एक रोम भी न भस्म किया।

यस्मिन्मन्त्रिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् ।

तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं नाप्यकृतं भवेत् ॥ ११७ ॥

(११७) जो २ कार्य साक्षियों के असत्य भाषण के कारण सत्य निर्णय होगये हैं तत्पश्चात् उनका अनृत भाषण प्रमाणित हो गया है तो उस निर्णय किये हुये कार्य को असत्य (वृथा) समझना चाहिये ।

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात्क्रोधात्तथै च ।

अज्ञानाद्वालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ११८ ॥

(११८) लोभ, मोह, भय, मैत्री, काम, क्रोध, अज्ञानता वालकपन यह कारण हैं कि जिनसे लोग असत्य साक्षी देते हैं । अतः ऐसे साक्षियों का विश्वास न करे ।

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ।

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥ ११९ ॥

(११९) इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों में असत्य साक्षी देवे तो उसके हेतु विशेषदण्ड को क्रमानुसार कहेंगे ।

लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वं तु साहसम् ।

भयद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ १२० ॥

(१२०) यदि लोभ वश अनृत बोले तो १०० पण दण्ड से देवे, मोहवश असत्य बोले तो पूर्वानुसार साहस दण्ड देवे, कामादशगुणं पूर्वं क्रोधात् त्रिगुणं परम् ।

अज्ञानादद्दशते पूर्णं वालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

(१२१) यदि साक्षी काम वश असत्य बोले तो दश

ज्ञाना पूर्वं + साहस दण्ड देवे, यदि क्रोधवशा अनत साक्षी देवे
तो तीन उत्तम साहस के अनुसार दण्ड देवे, यदि अज्ञानता
वशा मिथ्या बोले तो दो सौ (२) पण दण्ड देवे, तथा यदि
बालरूपन के कारण मिथ्या भाषण करे तो सौ पण दण्ड
स्वरूप देवे ।

एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः ।

धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥१२२॥

(१२२) अधर्म के नाश (वन्द) होने तथा धर्म के
प्रचलित होने के हेतु परिदृष्टों ने यह दण्ड साक्षियों के मिथ्या
भाषण में बहा हैं ।

कौटसाक्ष्यां तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः ।

प्रवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥१२३॥

(१२३) क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह तीनों वर्ण साक्षी हो
कर असत्य बोलें तो धर्मान्ना राजा उपरोक्त दण्ड देकर राज्य
सीमा से देश निकाला देदे परन्तु ब्राह्मण को उपरोक्त अपराध
में केवल राजमण्डल से देश निकाला देदे उसका धन
सम्पत्तिहरण न करे ।

दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वार्थभुवोऽब्रवीत् ।

त्रिषु वर्णेषु धानि स्युरक्षतां ब्राह्मणो ब्रजेत् ॥१२४॥

(१२४) क्षत्रिय, वैश्य शूद्र इन तीनों वर्णों के दण्ड के
दश स्थानों के स्वयम्भू अर्थात् सांस्कृतिक सृष्टि के उत्पन्न ऋषि

१ व २ साहस व पण आदि किस लिये हैं जिनका वर्णन
मनुजी ने अपने धर्मशास्त्र में भी कर दिया है ।

स्वयम्भू के अर्थ यह है कि जो बिना माता पिता के उत्पन्न

क्रे वेटे मनुजी ने कहे । ब्राह्मण तो शारोरिक दण्ड बिना पाठ्ये चला जाये ।

उपस्थमुदरं जिह्वां हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥१२५॥

(१२५) उपस्थ (मूत्रस्थान), उदर (पेट), जिह्वा, दोनों हाथ, दोनों पाँव कान, दोनों आँखे, नाक, धन, शरीर यह दस दण्ड स्थान हैं ।

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तस्वतः ।

सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥१२६॥

(१२६) इच्छा से क्रमशः अपराध करना, देश (स्थान) काल (समय) अपराध, अपराधो का शरीर, धन सम्पत्ति, सामर्थ्य, बड़ा छोटा अपराध इन सब को देखकर दण्डनीय पुरुषों को दण्ड देना चाहिये ।

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥१२७॥

(१२७) धर्म विरुद्ध जो दण्ड है वह यश तथा कीर्ति को नष्ट करता है तथा परलोक में स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होता अतः धर्म विरुद्ध दण्ड न देवे ।

अदन्त्यान्दन्डयन्राजा दन्ड यांश्चैवाप्यदन्डयन् ।

अपशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥१२८॥

हुआ हो । क्योंकि आदि सृष्टि में ऋषि लोग परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होते हैं अतएव वह स्वयम्भू कहलाते हैं वेदों के ज्ञानको वही लोग प्रचार करते हैं । तथा धर्मशास्त्र भी वही लोग स्थिर व नियत करते हैं ।

(१२८) जो अदण्डनीय है उसे दण्ड देने से तथा जो दण्डनीय है उसे दण्ड न देने से राजा इस जन्म में अपयश पाता है तथा दुःख भी भोगता है ।

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्विग्दण्डं तदनन्तरम् ।

तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२९ ॥

(१२९) प्रथम बार वाग्दण्ड दे अर्थात् तुमने अन्धकार कार्य नहीं किया अतः फिर ऐसा न करना । द्वितीय बार भिड़क दे तथा धिक्कार देकर उस कार्य से हटावे, यदि तृतीय बार वैसा ही करे तो अर्थ दण्ड दे । इस पर भी न माने तो कारागार तथा वध (शरीरांग छिन्न करना) का दण्ड देवे ।

वधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शक्नुयात् ।

तदैषु सर्वमप्येतत्प्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १३० ॥

(१३०) यदि शरीरांग छिन्न करने से भी न माने तो उसे चारों प्रकार दण्ड एक ही साथ देना चाहिये ।

लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि ।

ताम्रहूप्यमुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥

(१३१) ससार के पारस्परिक व्यवहार के हेतु ताँबा, चाँदी, सोने के सिक्के जिस तोल से बनाये जाते हैं अब हम उनके नाम वर्णन करते हैं ।

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रवक्षते ॥ १३२ ॥

(१३२) सूर्य की किरणें जो भरोखे के छिद्र द्वारा भीतर आती हैं जो सूक्ष्म रज कण दृष्टिगोचर होते हैं । वे

(१४१) अथवा सज्जनों के धर्म को विचार प्रति सैकड़ा दो रुपया मासिक व्याज लेने से द्रव्य पापी नहीं होता ।

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शत समम् ।

मासस्य वृद्धिं गृह्णीताद्वर्णानासनुपूर्वश ॥ १४२ ॥

(१४२) ब्राह्मण से दो प्रति सैकड़ा, क्षत्रिय से तीन प्रति सैकड़ा वैश्य से चार प्रति सैकड़ा, तथा शूद्र से पाँच रुपया प्रति सैकड़ा व्याज लेवे ।

न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात् ।

न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥ १४३ ॥

(१४३) अन्तः रेहन की रीति को कहते हैं । कि जो जो वस्तु लाभ देने वाली है जैसे भूमि, गऊ, आदि यदि गिरवी (रेहन) रखी जावे तो उस में व्याज न लेवे । जब सरोध (रेहन) किये हुए अधिक काल हो जावे और रेहन रखकर जितना रुपया लिया गया था उससे कुछ रुपया अधिक स्वामी न पावे तो उस वस्तु को दे देवे अथवा बेच डाले । ऐसा न करे कि जब तक मूलधन न पाये तब तक उससे लाभ प्राप्त करता रहे ।

न भोक्तव्यो बलादाधिर्मुञ्जानो वृद्धिमुत्सृजेत् ।

मूज्येन तोषयेच्चैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥ १४४ ॥

(१४४) बलात् उस रोधित (रेहन) वस्तु को कार्य में न लावे यदि ऐसा करे तो व्याज छोड़ दे अथवा वस्तु के स्वामी को उसकी मूल्य देकर प्रसन्न करे यदि ऐसा न करे तो रोधित (रेहन) वस्तु का चोर होता है ।

X मनुजी की व्याज को कड़ा करने से यह सिद्ध होता है कि लोग ऋण्यपाश से ऊर्ध्वे ।

आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न कालात्ययमर्हतः ।

अदहापौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥ १४५ ॥

(१४५) आधि वस्तु (रहन की हुई वस्तु) तथा प्राप्ति यश कोई वस्तु किसी को मांगे देना इन दोनों प्रकार की वस्तु का उसका स्वामी जब मांगे तुरन्त ही देना चाहिये । यह न फहे कि इतने दिन में देगे और बहुत काल तक रहने से यह दोनों वस्तुएँ दीर्घकाली नहीं हो जाती है वरन् वास्तविक स्वामी का स्वामित्व स्थित रहता है जिसके पास रखी है वह स्वामी नहीं हो जाता है ।

सम्प्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन ।

धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

(१४६) गऊ, ऊँट, घोड़ा, बैल, इन सब को स्वामी की आज्ञा से जो कोई चरते तो जिसकी वह वस्तुएँ हैं, उसका स्वामित्व नष्ट नहीं होता है ।

यत्किञ्चिद्वश वर्षाणि सन्निर्धा प्रेक्ष्यते धनी ।

भुज्यमानं परैस्तूर्णानि न स उल्लब्धुमर्हति ॥१४७॥

(१४७) उस वस्तु का स्वामी देखता है परन्तु बचता नहीं है । उस वस्तु का जो कोई दश वर्ष पर्यंत चले तो उसका स्वामी उस वस्तु को नहीं पा सकता है । इसी प्रकार वर्तमान काल में जवर्दस्ती (कब्जा मुद्दालिकानह) की अवधि है ।

अत्रडरचेदपीगण्डो विषये चास्य भुज्यते ।

भग्नं तद्व्यवहारेण भोक्ता तद्व्यवमर्हति ॥१४८॥

(१४८) क्योंकि चरवने वाला कहता है, कि यह उन्नत

अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् ।

यावती संभवेद्बृद्धिरतावतीं दातुमर्हति ॥ १५५ ॥

(१५५) यदि व्याज भी देने की सामर्थ्य न हो तो मूलधन व्याज सहित एकत्र कर एक नया लेख (तमस्सुक) लिख देना चाहिये ।

चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः ।

अतिक्रामन्देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात् ॥ १५६ ॥

(१५६) + जो मनुष्य सारथि का काम करता है और अपनी प्रतिज्ञा पालन नहीं करता है तो वह उसका सारा फल नहीं पा सकता जैसे यहाँ से बनारस तक बोझ पहुँचाने का इतना धन लेंगे वा एक मांस बोझा ले जाने का इतना धन लेवेंगे ऐसा वहकर कार्यारम्भ करे और मध्य ही में कार्य त्याग दे तो वह अपने परिश्रम फल के सारे धन को नहीं पा सकेगा ।

समुद्रयानकुशलादेशकालार्थदर्शिनः ।

स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥

(१५७) समुद्र के पथ में कुशल, देश, काल, अर्थ इन चारों के देखने वाले जो वृद्धि न्याज) निर्धारित करें उस स्थान पर वही व्याज लेना ।

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठदर्शनायैह मानवः ।

अदर्शयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादणम् ॥ १५८ ॥

+ श्लोक १५६ में ऐसे मनुष्यों के हेतु जो प्रतिज्ञानुसार कार्य पूरा न करें उनका सारा परिश्रम फल के न देने की आज्ञा इस हेतु दी है जिससे कोई मनुष्य जान बूझ कर प्रतिज्ञा भंग करके परिश्रम फल प्राप्ति न करे जिससे संसार में अविश्वास और अधर्म प्रचारित हो सकता है ।

(१५८) जो मनुष्य जिस मनुष्य की उपस्थिति का प्रतिभू हो श्रीर उसे उचित समय पर उपस्थिति नहीं करता वह अपनी सम्पत्ति से उसका ऋण परिशोध करे ।

प्रतिभाव्यं वृथादानमात्रिकं सौरिकं च यत् ।

दं डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमर्हति ॥ १५९ ॥

(१५९) यदि पिता ने प्रातिभाय (जमानत) दिया हो वा ऋण लेकर पाखण्डी को दान दिया हो, वा द्यूत (जुवा) खेला हो वा मद्य पीने में व्यय किया हो, वा अर्थ दण्ड का धन दिया हो तो इस प्रकार के ऋण का परिशोध करने को उसका पुत्र वाध्य नहीं है ।

दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः ।

दानप्रतिभुवि प्रते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥

(१६०) दर्शन प्रातिभावो (मालजामिन) की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र उस ऋण को देवे । जिस ऋण को परिशोधार्थ उसका पिता प्रतिभुवि है तथा दर्शन प्रातिभुवि मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र उसका उपस्थित करने के हेतु वाध्य नहीं है ।

अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम् ।

पश्चात्प्रतिभुवि प्रते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥

(१६१) दर्शन प्रतिभू तथा विश्वास + प्रतिभू यह दोनों प्रकार के प्रतिभू ऋण के तुल्य धन को लेकर प्रतिभू हुये हों, तत्पश्चात् मृत्यु होगई हो तो ऋणदाता, अपने धन को प्राप्त

+ अर्थात् जिसने ऐसा कहा कि हमारे विश्वास से इसे ऋण दे दो यह तुमसे कपट न करेगा, भले का पुत्र है, अच्छा गाँव का स्वामी है, तथा उपजाऊ भूमि इसके पास है ।

करने की इच्छा से किससे धन प्राप्त करे प्रतिभू की तो मृत्यु हो गई तथा उसके पुत्र से लेने की आज्ञा नहीं। यह तर्क करके उत्तर को कहते हैं।

निरादिष्टधनश्चेत् प्रतिभूः स्यादलंधनः ।

स्वपनादेव तद्दद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ॥१६२॥

(१६२) कि उस धन से जो सम्पति लेकर पिता प्रतिभू हुआ हो उसकी सम्पत्ति से प्रतिभू का पुत्र ऋण परिशोध करे।

मत्तोन्मत्तार्ताध्यधीनैर्वालेन स्थविरेण च ।

असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति ॥ १६३ ॥

(१६३) भग गाँजा आदि के मद्य से उन्मत्त, व्याधि, पीड़ित, क्लेशित बालक, वृद्ध सम्बन्धी सभी से गया हुआ व्योहार सत्य नहीं हाता वरन व्योहार का वही लेख सत्य है जो इसकी ज्ञानावस्था में बिना किसी प्रकार के बलात के लिखा जाय क्योंकि बुद्धि ठीक होने की दशा में कोई किसी प्रकार से बाध्य नहीं वरन वह पशु समान है।

सत्यां न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता ।-

वहित्थेद्भाष्यते धर्मान्निघताद्दद्यावहारिकात् ॥१६४॥

(१६४) × यदि लेख में ऐसी प्रतिज्ञाएँ लिखी गई हों जो शास्त्र तथा देश के विरुद्ध हों तो उन प्रतिज्ञाओं के पालन कराने का प्रयत्न न करना चाहिये।

× श्लोक १६४ में मनुजी ने यह बतलाया है कि यदि धर्मशास्त्रतथा देस व्यवहार (रिवाज)के विरुद्ध यथा विधि लेख लिखाजावे तथा दोनों पक्ष उसमें सङ्गत भी हो तो भी राजाको उसके अनुसारकार्य न करना चाहिये क्योंकि इससे नीति तथा देश व्यवहार में अन्तर पड़ता है। -

योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् ।

यत्र वाप्युपधिं पश्येत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥

(१६५) छल करके जो रहन, बेचना व व्यवहार है वह सब अनुचित है । और जिस कार्य में छल अनुभव न होने वह सब व्यर्थ समझना चाहिये ।

ग्रहीता गदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थं कृतो व्ययः ।

दातव्यं शान्धवै रतस्यात्प्रविभक्तै रपि स्वतः ॥ १६६ ॥

(१६६) अग्नी की अण लेकर सन्तान के पालन पोषण करने में व्यय करने परचात् मृत्यु हो गई तो उस अण को उसके भ्राता पुत्र आदि सम्बन्धियों को परिशोध करना चाहिये, क्योंकि वह धन उचित कार्य हेतु लिया गया है ।

कुटुम्बार्थं ध्यधीनोऽपि व्यवहारं समाचरेत् ।

स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यागान्न पिचालयेत् ॥ १६७ ॥

(१६७) स्वदेश व विदेश में कुटुम्बार्थ गुमास्ता ने जो व्यवहार किया हो तो उस व्यवहार को स्वामी न चाहे वरन् उसको अङ्गीकार करे ।

बलाद्वा बलाद्भुक्तं बलाद्यच्चापि लेखितम् ।

सर्मान्नलकृतानर्थानकृतान्मनुरवधीत् ॥ १६८ ॥

(१६८) वात् देना, बलात् (बल पूर्वक) भोग करना, लयात् लेप लिखना आदि ऐसी बातों से जितने कार्य किये गये हैं वह सब सिद्धि नहीं होते ।

ययः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ।

चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आढ्योवशिोड् नृपः ॥ १६९ ॥

(१६६) १-प्रतिभू, २-ऋसाक्षी, ३-कुल यह तीनों केवल दूसरों के अर्थ क्लेश भोगते हैं । १-ब्राह्मण, २-साहूकार, ३-ज्यवहारी तथा ४-राजा यह चारों अन्य से लाभ प्राप्त करते हैं । अर्थात् पूर्व तीनों को इस कार्य से कोई लाभ नहीं और इन चारों को लाभ है । अतः पहले तीन कार्यों में सम्मिलित न होना चाहिए । तथा दूसरे चारों कार्यों में प्रयत्न करना चाहिए ।

अनादेयं नाददीत परिचीणोऽपि पार्थिव ।

न चादेयं समृद्धोऽपि सूक्ष्ममप्यर्थं मुत्सृजेत् ॥१७०॥

(१७०) राजा यद्यपि निर्धन हो तो भी जो वस्तु अग्राह्य लेने के अयोग्य है, उसे ग्रहण न करे, तथा यदि बहुत धनी भी हो तो भी ग्राह्य (लेने योग्य) वस्तु सूक्ष्म भी है तो उसे अवश्य ग्रहण करे ।

अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् ।

दौवल्यां ख्याप्यते राज्ञः स प्रत्येह च नश्यति ॥१७१॥

(१७१) ग्राह्य वस्तु को त्याग करने से तथा अग्राह्य वस्तु को ग्रहण करने से राजा की निर्बलता प्रकट होती है तथा वह राजा इस लोक में व परलोक में नाश को प्राप्त होता है ।

स्वादानाद्वर्णसंसर्गाच्चित्तानां न रक्षणात् ।

बलं संजायते राज्ञः स प्रत्येह च वर्धते ॥ १७२ ॥

(१७२) ग्राह्य वस्तु को ग्रहण करने, अग्राह्य के त्यागने, संवर्णों का शास्त्रानुसार परस्पर विवाह कराने, निर्बल प्रजा की रक्षा करने से राजा बलवान् होता है । और वह राज इस लोक तथा परलोक में बढ़ता है । अर्थात् उत्पन्न होता है ।

॥ १ ॥ ऋ यद्यपि वर्तमान काल में साक्षी देने से लोग लाभ प्राप्ति करते हैं, परन्तु यह अनुचित लाभ है ।

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये ।

यतते याम्पया वृत्त्या जितक्रोधी जितेन्द्रियः ॥१७३॥

(१७३) अतएव प्रियय वा अप्रि अभिलाषायों के ध्यान

को परित्याग करके अक्रोधी तथा जितेन्द्रिय होकर रहे ।

यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः ।

अच्चिरात्तं दुरात्मान वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

(१७४) जो राजा मोह वा प्रीतिवश अधर्म कार्य को करता है । उस दुरात्मा राजा को उसके शत्रु अपने वश में कर लेते हैं । राजा के लिये पक्षपात तथा मोह व मूर्खता घृणित र्थ्य हैं ।

कामक्रोधो तु संघम्य षोऽर्थान्धर्मेण पश्यति ।

प्रजास्तमनुवतन्तं समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥

(१७५) जो राजा अक्रोधी, अकामी तथा जितेन्द्रिय होकर प्रजा के न्याय में रत रहता है, उसकी प्रजा सदैव उसकी आज्ञा पालन करती है तथा उसके वियोग की इच्छा नहीं करती जैसे समुद्र का वियोग नदी नहीं चाहती ।

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्वनिकं नृपः ।

स राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥१७६॥

(१७६) यदि ऋणदाता ऋणी से अपने धन को निज बल से प्राप्त करने का साधन करे । और ऋणो उस बलात् का निवेदन राजा से करे तो राजा ऋणी से उस ऋण का चतुर्थांश (चौथा भाग) दण्ड स्वरूप लेवे ।

कर्मणापि समं कुर्याद्वनिकायाधमणिकः ।

समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्यान्नेयांस्तु तच्छनेः ॥१७७॥

(१७७) यदि ऋणी ऋणदाता का स्वजाति व नीच-जाति हो तथा ऋण परिशोध करने की सामर्थ्य न रखता हो तो ऋणदाता के कार्य को करके ऋण परिशोध करे । यदि ऋणी ऋणदाता से उच्चजाति का है तो वह ऋणदाता का कार्य न करे वरन् धीरे २ जब कुछ मांगे तब देवे ।

अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम् ।

साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत् ॥१७८॥

(१७८) इस विधि से जो विवाह परस्पर प्रीति करने वाले मनुष्यों की साक्षियों द्वारा प्रमाणित है राजा उसमें विरुद्ध कार्यों को अमान्य कर सत्य तत्त्व बलात्पर्य को ज्ञान लागू करले ।

कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि ।

महापद्मे धनिन्यर्थे निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः ॥१७९॥

(१७९) कुलीन, सदाचारी, धर्मज्ञाता, सत्यवादी, संतान वाले धनी के समीप थाती रखना चाहिये । तथा विपरीत गुण वाले को थाती न सौपे ।

यो यथा निक्षिपेद्बुधस्ते यमर्थं यस्य मानवः ।

स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥१८०॥

(१८०) जो मनुष्य जिस विधि से ऋणी से धन देवे उसी विधि से अपना धन प्राप्त करे । क्योंकि जैसे देना वैसे ही ग्रहण करना चाहिये ।

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति ।

स याच्यः प्राङ् विपाकेन तन्निक्षेप्तु रसन्निधौ ॥१८१॥

५ (१८१) यदि जिस पुरुष को याती (निक्षेप, अमानत) सौंपी है वह माँगने पर न देवे। तो राजा याती रखने वाले से याती के स्वामी के परोक्ष में प्रश्नात्तर द्वारा सत्य वत्त्व परिज्ञात कर ले।

साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरुपसमन्वितैः ।

अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥१८२॥

(१८२) साक्षी के अभाव में यदि याती रखने वाला स्वामी व धनी राजा से धर्मयुक्त बात न कहे तो दूसरे उसके समीप याती सौंपवादे।

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् ।

न तत्र विद्यते किञ्चिद्यत्परैरभियुज्यते ॥१८३॥

(१८३) तत्परचात् वह दूसरा मनुष्य अपनी याती को उससे मांगे यदि वह देदे तो उसे सत्यवादी जानना तथा इससे जो अन्य पुरुष (प्रथम याती सौंपने वाला) अपनी याती माँगता था उसे मिथ्याभाषी जानना।

तेषां न दद्याद्यदितु तद्विरण्यं यथाविधि ।

उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥१८४॥

(१८४) यदि वह धनी व मनुष्य दूसरी बार रखी हुई याती को भी न देवे जिस याती का पूर्ण ज्ञान राजा को प्रथम से है तो राजा उससे दोनों यातियों के धन को उससे प्राप्त करे धर्मानुकूल यह कार्य है।

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे ।

नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥१८५॥

(१८५) जो वस्तु जानी हुई याती रखी जावे या विना

जानी रखी जावे इन दोनों प्रकार की थातियों को इनके स्वाग्नी के अतिरिक्त उनके पुत्र आदि सम्बन्धियों को न देव ।

स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे ।

न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ॥१८६॥

(१८६) थाती सौपने के थोड़े काल पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई तो वह धनी वा मनुष्य जिसके समीप उसकी थाती रखी है स्वयं ही उस थाती को उस पुरुष को सौंप दे जिसने उसके धन को धर्मतः प्राप्त किया है । मृतक पुरुष का पुत्र तथा राजा उससे अन्य वस्तु न माँगे अर्थात् यह न कहे कि तुम्हारे पास अमुक वस्तु और थाती स्वरूप है उसे भी दो ।

अच्छलेनैव चान्विह्यत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम् ।

द्विचार्य तस्या वा वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत् ॥१८७॥

(१८७) साम उपाय, जो छल से पृथक है, के द्वारा प्रीति पूर्वक जिसको थाती सौंपी गई थी उसको आचरण की पीर ज्ञात कर अपना अर्थ विचारे ।

निक्षिपेष्वेपु सर्वेषु विधिः स्याच्चरिसाधने ।

समुद्र नाप्नुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत् ॥१८८॥

(१८८) थाती की विधि वर्णन की तथा अदृश्य वस्तु (बन्ध) को जैसी से तैसी ही देवे । म हरे को तोड़ कर उसमें से कुछ न लेवे तो किञ्चित्मात्र दोष नहीं ।

चौरैर्हृतं जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा ।

न दद्याद्यदि तस्मात्स न सहरति किञ्चन ॥ १८९ ॥५

(१८९) थाती चोरी गई हो, वा जल द्वारा नष्ट हो ग

हो, या अग्नि द्वारा भस्म होगई होतो जिसके समीप थाती रखी गई है वह न देवे यदि उसमें से स्वयं कुछ न लिया हो ।

निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च ।

सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्च वैदिकैः ॥ १६० ॥

(१६०) थाती का अपहरण (खयानत) करने वाला या थाती सौंफने का मिथ्या वादी इनकी (१) वेदविधि द्वारा परीक्षा लेकर सत्यासत्य को निर्णय करे ।

यो निक्षेपं नाप्यति यश्चानिचिप्य याचते ।

तावुमौ चोरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥ १६१ ॥

(१६१) जो मनुष्य थाती को नहीं देता है या जो बिना थाती सौंफि माँगता है । दोनों चोर के समान दण्डनीय हैं अथवा थाती के तुल्य धन दण्ड स्वरूप लेना चाहिये ।

निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेदमम् ।

तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः ॥ १६२ ॥

(१६२) गुप्त (अज्ञात, गोपनीय) तथा मुद्रांकित (मोहर किये हुए) इन दोनों प्रकार की थातियों को जो नहीं देता है । उसके उन दोनों प्रकार की थाती के धन के तुल्य ही अर्थ दण्ड स्वरूप लेवे ।

उपधाभिश्च यः कश्चित्परिद्रव्यं हरेन्नरः ।

ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्बधैः ॥ १६३ ॥

(१६३) जो पुरुष बल द्वारा, किसी के धन को अपहरण करता है । सब मनुष्यों के सम्मुख उसको उसके सब सहायकों सहित शारीरिक व आर्थिक दण्ड देकर मारे ।

निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसन्निधौ ।
तावानेव स विज्ञेयाविब्रुवन्दण्डमहति ॥१६४॥

(१६४) कुल की उपस्थिति में जितनी थाती रखी है उस संख्या के विपरीत रहे तो थाती के तुल्य धन दण्ड स्वरूप दे । क्योंकि वृथा भाषण और थाती को पचा जाने के अपराधों का अपराधी है ।

मिथो दायः कृतः येन गृहीतो मिथ एव वा ।

मिथएव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ १६५ ॥

(१६५) साक्षी बिना जिसने थाती रखी है वह उस धनी से बिना साक्षी के ही थाती प्राप्त करेगा । क्योंकि जैसा देना वैसा ग्रहण (प्राप्त) करना ।

निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च ।

राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिष्यन्न्यासधारिणम् ॥१६६॥

(१६६) जो वस्तु बिरसाकर अथवा गिनवा कर किसी के पास धरोहर रखी जावे व जो वस्तु मुद्रांकित (गोपनीय) कर थाती रूप सौंपी गई व जो वस्तु प्रीतिपूर्वक सौंपी गई है । राजा इन तीनों प्रकार की धरोहरों का इस प्रकार निर्णय करे कि धरोहरधारी को पीड़ा न पहुँचे ।

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यासंमतः ।

न तं नयेत् साक्ष्यंतु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥ १६७ ॥

(१६७) यदि कोई धरोहर धरी हुई वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा बिना बेचता है । तो बेचने वाले को चोर समझना चाहिये तथा उसे साक्षी न समझे ।

अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः पट्शत दमम् ।

निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चोरकिञ्चिपम् ॥१६८॥

(१६८) यदि बेचने वाला उस स्वामी के कुल का हो तो छ. सौ पण दण्ड देने योग्य है । तथा यदि वश का न हो तो चोर के समान दण्डनीय है ।

अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा ।

अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥१६९॥

(१६९) स्वामी की आज्ञा बिना जो वस्तु बेची, मोलली व दी ली जाती है । वह व्यवहार विधि में अनुचित व अमान्य है अर्थात् वह वस्तु बेची हुई, मोलली हुई, दी हुई वा ली हुई न समझना चाहिये ।

संभोगे दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ।

आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥

(२००) जिस वस्तु में उपयोग (व्यय) दीयता है किन्तु आने का प्रमाण (लेख) वही नहीं देख पड़ता । तो उसमें आगम (आने का प्रमाण, लेख) ही प्रमाण है संभोग ही ऐसी शास्त्र मर्यादा है ।

विक्रयद्योधनं किञ्चिद्गृह्णीयात्कुलन्निधौ ।

कूगेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम् ॥२०१॥

(२०१) ब्योहारी के समक्ष में हाट (पैंठ) से किसी वस्तु को मोल लिया और मोल लेना प्रमाणित हो तो न्यायानु-
कूल वह उस वस्तु का मोल लेने वाले धन का दावा है ।

चार ऋत्विग् मुरय हैं । अर्थात् होता, उध्वयु, ब्रह्मा, उद्गात यह चारों सब दक्षिणा का अर्ध भाग पावे और मित्रावर्य प्रन्तोता, ब्रह्माद्यन्सी प्रन्तोता यह चारों मुरय ऋत्विगों का आधा भाग पावें । इन्द्रायाक्य नविशा, अग्निवीधर, प्रतिहत्त यह चारों मुरय ऋत्विगो का तृतीयास पावें । प्रावस्त, अयन्ता पीता, सन्नह्यस्य यह चार मुरय ऋत्विगों का चतुर्थांश पावे । इस स्थान पर सब को उपरोक्त विधि से दक्षिणा मिले अतः सब का आधा यद्यपि पचास है तो भी ४८ ही लेना, तब प्रथम कही हुई सख्या पूर्ण होगी ।

सभूय स्वानि कर्माणि कुर्वाद्भिरिह मानवैः ।

अनेन विधिगोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना ॥२११॥

(२११) अपने कर्म को एकत्र हो पूर्ण करने वाले इस विधि से परस्पर विभाजित करें ।

धर्मार्थं गेन दत्त स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम् ।

पश्चाच्च न तथा तत्सगान्न देयं तस्या तद्भवेत् ॥२१२॥

(२१२) किसी दाता ने किसी वालक को धर्मार्थ कुछ दान किया और वह उस धन को प्रहण करके धर्म म कुछ नहीं लगाता है । तो उस धन को दाता उससे फेर लेवे ।

गदि संसाधयेत्तत्तु दर्पान्लोभेन वा पुनः ।

राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्या निष्कृतिः ॥२१३॥

(२१३) यदि लोभ वशा वह न देवे व दाता देने की प्रतिज्ञा कर फिर न देवे और याचक चलात् धन प्रहण कर धर्म म नहीं लगाता तो राजा इन दोनों से चोरी के दण्ड म एक सुवर्ण सिक्का दण्ड स्वरूप लेकर दाता को देदे ।

दत्तस्यैषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्थानपक्रियाम् ॥२१४॥

(२१४) वी हुई वस्तु को लौटा लेने की विधि को कहा

तत्पश्चात् तन न देने की विधि को कहते हैं ।

भृतो नातो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम् ।

स दण्ड्यःकृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् २१५

(२१५) बलवान तथा निरोगी (हृष्ट पुष्ट) मनुष्य ने

एक कार्य करना स्वीकार किया और अहङ्कार वश नहीं करता है तो राजा उससे आठ रत्ती सोना दण्ड लेवे और वेतन उसको दिला दे ।

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः स न्यथाभाषितमादितः ।

स दीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेतैव वेतनम् ॥ २१६ ॥

(२१६) कार्यकर्ता रोग ग्रसित होने पर कार्य त्याग दे

तथा निरोग होने पर पुनः कार्य करे तो वह पिछले दिनों का भी वेतन पावे ।

यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् ।

न तस्य वेतनं देयमण्योनस्यापि कर्मणः ॥२१७ ॥

(२१७) अस्यस्थ हो व स्वस्थ हो कार्यकर्ता जिस कार्य

को स्वीकार करे और वह कार्य थोड़ा ही शेष रह गया है । उस शेष कार्य को न तो वह स्वयम् ही पूर्ण करता है न अन्य के द्वारा पूर्ण कराता है तो उसे कुछ न देना चाहिये ।

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादान कर्मणः ।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयभेदिताम् ॥२१८ ॥

(२१८) वेतन न देने की विधि को कहा । तत्पश्चात् अत्र किसी कार्य के करने में सहमत होकर उसे न करे तो उसका धर्म कहते हैं ।

यो ग्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम् ।

विसंवदेन्नरो लोभात्तं गण्टाद्विप्रवासयेत् ॥२१९॥

(२१९) जो मनुष्य किसी शुभ कार्य के करने के अर्थ गाँव, नगर व देश संघ द्वारा परामर्श करे तत्पश्चात् लोभ वश उस कार्य को न करे ऐसे अधर्म पुरुष को राजा अपने राज्य से निकाल बाहर कर दे ।

निगृह्य दापयेच्चैतं समयव्यभिचारिणम् ।

चतुःसुवर्णान्पण्डिनफ्रांश्छतमानं च राजतम् ॥२२०॥

(२२०) व उस पूर्वोक्त मनुष्य को पकड़ कर चार सौ पण, छः निष्क तथा एक चाँदी का शतमान दण्ड लेवे । इन सब की तौल प्रथम ही कह चुके हैं ।

एतद्दण्डविधिं कुर्याद्भारमिकः पृथिवी पतिः ।

ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥ २२१ ॥

(२२१) धर्मात्मा राजा ग्राम जाति व समूह में प्रतिज्ञा भङ्ग कर्त्ताओं को इस उपरोक्त विधि से दण्ड का विधान करे ।

क्रीत्वा विक्रीय वार्किचिद्यस्येहानुशयो भवेत् ।

सौऽन्तर्दशाहोत्तद्द्रव्यं दद्याच्चैवाददीत वा ॥२२२॥

(२२२) × किसी द्रव्य के खरीदने व बेचने के पश्चात्

× २२२ वें श्लोक से विदित होता है कि व्योपार में फेर फारका नियम परमावश्यक है । और इस नियम द्वारा कपट नहीं हो सकता । क्योंकि द्रव्य (वस्तु) की निकृष्टता (सराव हालत) में फेर देने का नियम है ।

इसके विषय में यह पश्चात्ताप हो कि यह व्यौषार ठीक २ नहीं हुआ तो दस दिन के बीच हो में लौटा देना उचित है और यह प्रहण कर लेवे।

परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत् ।

आददानो ददाच्चैव राज्ञा दण्ड्यः शतानि पट्।२२३।

(२२३) दस दिन के व्यतीत हो जाने पर फेर फार नहीं होती और यदि करे तो छः सौ पण दण्ड देवे।

यस्तु दोषवर्ती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ।

तस्य कुर्पान्नृपो दण्डं स्वयं पश्यवर्ति पणान् ।२२४।

(२२४) जो मनुष्य दोषयुक्त कन्या का दोष न कह कर वर को कन्या दान दे देवे। तो वह छयानवें पण दण्डस्वरूप देवे।

अकन्येति तु यः कन्यां त्रयाद्द्वेषेण मानवः ।

स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं तस्यां दोषमदर्शयन् ॥२२५॥

(२२५) जो निर्दोषी कन्या को द्वेष से दोष लगावे और वह उस कन्या के उस लगाये हुये दोष को सिद्ध न कर पावे। तो वह पुरुष सौ पण दण्ड पाने योग्य है।

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वैव प्रतिष्ठिताः ।

नाकन्यासु मन्त्रिन्तृणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ।२२६।

(२२६) पाणिग्रहण सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों का उपयोग निर्दोषी (विशुद्ध) कन्याओं के विषय में ही करना चाहिये। अकन्या (दोष युक्त कन्या) के विषय में कहीं भी नहीं उपयोग किये गये। क्योंकि वैदिक संस्कारों में जो प्रतिज्ञा की जाती है वह अटल होती है और दोषयुक्त कन्याओं से प्रतिज्ञा नियाहना असंभव है क्योंकि उनकी धर्मक्रिया लुप्त हो जाती है।

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियते दारलक्षणम् ।

तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥२२७॥

(२२७) यथाविधि पाणिग्रहण मन्त्रों द्वारा वर वधू में जो प्रतिज्ञायें होती हैं वही विवाह का ठीक २ लक्षण है सातवाँ भाँवर जो पड़ता है उसी द्वारा विवाह की पूर्णता होती है । तदनन्तर कन्या उस मनुष्य की पत्नी हो जाती है इससे पूर्व नहीं ।

यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत् ।

तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत् ॥ २२८ ॥

(२२८) जिस २ कार्य के करने के पश्चात् जिसको उस कार्य में पश्चाताप हो उसको इस पूर्वोक्त विधान द्वारा धर्म मार्ग में नियुक्त करे ।

पशुषु स्वामिनां चैव पालनां च व्यतिक्रमे ।

विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतत्त्वतः ॥ २२९ ॥

(२२९) पशुओं के विषय में पशु स्वामी और पशुपालकों अर्थात् अहीरादि इनके विवाद को यथाथ धर्मानुकूल कहेंगे ।

दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ-स्वामिनि तद्गृहे ।

योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यात्स्वामियात् । २३० ।

(२३०) दिन में पशु चराने वालों के समीप यदि स्वामी द्वारा सौंपे हुए पशु की रक्षा न हो सके तो वह पशु चराने वाला अपराधी होता है और रात्रि समय में स्वामी के घर में अहीर को सौंपा हुआ पशु की रक्षा न हो सके तो अहीर अपराधी होता है ।

गोपः क्षीरमृतो यस्तु स दुह्यादशतो वराम् ।

गोस्वाम्यनुमते भृत्यःसा स्यात्पालेऽभृते भृतिः । २३१ ।

(२३१) जिस गोपाल (अहीर) का कुल्ल वेतन नियत नहीं हुआ वह स्वामी की अनुमति से दस गऊ चरावे तो उनमें से एक श्रेष्ठ गौ का दूध उसको घेतन में लेना चाहिए ।

नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वाहतं विपमे मृतम् ।

हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥

(२३२) ❀ जो गऊ वा पशु रो जाये, कीड़ों से नष्ट हो जाये, कुत्ते मार डालें, ऊँची नीची भूमि में पैर पड़ने से मर जाये, व पुरुषार्थ द्वारा सेवा न हो सकने से मर जाये तो पशुपालक (अहीर) ही उसका देने वाला है ।

विघुष्यं तु हतं चौरैर्न पालो दातुमर्हति ।

यदि दंशे च काले च स्वामिनः स्वस्यशंसति ॥ २३३ ॥

(२३३) यदि बलात्कार चोर पशु ले जावे तो उस पशु को वह न देवे । यदि उसी समय पशु स्वामी को पशुहरण का सम्पूर्ण वृत्तान्त ज्यों का त्यों कह देवे ।

कण्ठी चर्म च बालांश्च वस्ति स्नायुं च रोचनाम् ।

पशुषु स्वामिनो दद्यान्मृतेष्वंमानि दर्शयेत् ॥ २३४ ॥

(२३४) पशु के स्वयं मर जाने पर पशुपालक सींग, खुर आदि अंश पशु स्वामी को दिखा देवे तथा कान, चमड़ा, बाल, चर्बी, स्नायु (नसे) और गोरौचन स्वामी को लाकर देवे ।

❀ क्योंकि चरगाहे (अहीर) की गाय व पशु की रक्षार्थ नियत किया जाता है अतः २३२ वें श्लोक में उल्लिखित हानि चरगाहे के आलस्य द्वारा होती है । उसका जिम्मेदार इसी कारण बताया गया है । तथा जो हानि प्राकृतिक अवस्था में हो उसका जिम्मेदार पशु स्वामी है ।

अजाविके तु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति ।

यां प्रसह्य वृको हन्यात्पाले तत्किल्बिषे भवेत् ।२३५।

(२३५) भेड़ व बकरी को भेड़िया ने घेरा हो और चरवाहा उसे भेड़िये से न छुड़ावे वरन् भेड़िया बलात् उसे मार डाले तो उस पशु वध का पाप चरवाहे को लगता है ।

तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने ।

यामुत्प्लुत्या वृको हन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ।२३६।

(२३६) ❀ यदि चरवाहे की रक्षा में वन में चरती हुई भेड़, बकरी या गाय को शेर ने मार डाला हो तो चरवाहा उसके पाप का भागी नहीं होता ।

धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । /

शम्यापातास्त्रयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु ।२३७।

(२३७) गाय आदि 'पशुओं' के चरने के अर्थ गाँव के चारों ओर सौ धनुष (चार सौ हाथ) भूमि राजा त्याग दे (उसमें कृषि न करनी चाहिये) तथा हाथ से लाठी फेंकने से जहाँ गिरे उतनी भूमि की तिगुनी में अन्नादि न बोये और नगर के चारों ओर ग्राम की गोचर भूमि की तिगुनी भूमि छोड़ दे ।

तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि ।

न तत्र प्रणयेद्दण्डं नृपतिःपशुरक्षिणाम् ।२३८।

(२३८) यदि वहाँ छुटी हुई भूमि के समीप वाड़ से न घिरे हुये अन्न को पशु नष्ट कर दे तो राजा वहाँ के पशु-रक्षक को दण्ड न देवे ।

❀ क्योंकि प्रथम से ही रक्षा करना चरवाहे की सामर्थ्य से परे है अतः चरवाहा उसका जिम्मेदार नहीं ।

श्रुतिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकयेत् ।

छिद्रं च वारयेत्सर्वं श्वसूकरमुत्खानुगम् ॥ २३६ ॥

(२३६) उस क्षेत्र (खेत) के बचाने के अर्थ इतनी ऊँची बाड़ बन वे जिसको ऊँट देर न सके सन्पूर्ण छिद्रों को बन्द करदे जिसमें कुत्ता व सूअर का मुँह बसमें न जा सके और वे अन्न को न खा सके ।

पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ।

स पालः शतदण्डाहो विपालांश्वरयेत्पशून् । २४० ॥

(२४०) मार्ग व ग्राम के समीपवर्गे बाड़ के घिरे हुये क्षेत्र के अन्न को यदि पशु उगाड़ें तो वह चरवाहा सौ पण दण्ड देवे तथा जिन पशुओं के साथ पशुपालक नहीं है उनको खेत का रक्षक स्वयं हटादे ।

क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमहति ।

सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥

(२४१) यदि मार्ग, ग्राम आदि की समीपता से भिन्न अन्य स्थल के खेत को पशु रखा जावे तो चरवाहा सौ पण दण्ड देवे और अपराधानुसार जितनी हानि हुई है उतनी पशुपालक व पशुवामी देदे वह मर्यादा है ।

अनिदं शार्हा गां सूतां वृषान्देवपशून्स्तथा ।

सपालान्वा विपालान्वा न दण्ड्यान्मनुरव्रतीत् । २४२ ॥

(२४२) चरवाहा साथ हो व न हो ऐसी गऊ जिसे व्याये हुये दश दिन नहीं हुए हैं और बह दश दिन के भीतर खेत नष्ट कर दे अथवा साँड़ खेत को चर दे तो अदण्डनीय है यह मनुजी ने कहा है ।

एतलिङ्गैर्नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः ।

पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमो न च ॥ २५२ ॥

(२५२) इन पूर्वोक्त चिह्नों और पूर्व समय के खेल आदि तथा निरन्तर जल प्रवाह द्वारा राजा सीमा को ज्ञात करने निर्णय करे ।

यदि संशय एव स्यान्नलिङ्गानामपि दर्शने ।

साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णय ॥ २५३ ॥

(२५३) यदि चिह्नों के दीखने पर भी संशय हो तब साक्षियों (गवाही) के विश्वास पर ही सीमा विषयक विवाद का निर्णय करे ।

ग्रामोद्यककुलानां च समन्तं सीम्नि साक्षिणः ।

प्रष्टव्यःसीमलिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥ २५४ ॥

(२५४) ग्राम निवासियों तथा वादी व प्रतिवादी के सामने राजा की साक्षियों से सीमा के चिह्न पूछने चाहिये ।

ते पृष्ठास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम् ।

निवध्नीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्चैव नामतः ॥ २५५ ॥

(२५५) वे सब गवाह एक मत होकर जैसा निश्चय करें राजा उन्ही के अनुसार सीमा का बाँधे तथा उन सब साक्षियों का नाम भी निर्णय लेख पर लिख ले ।

शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्चां स्रग्विणो रक्तवाससः ।

सुकृतैः शापिताः स्वैःस्वैर्नयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥

(२५६) यह सब सीमा सम्बन्धी साक्षी फूलमाला व लाल वस्त्र धारण कर सिर पर मिट्टी का ढेला रख के तथा यह

कर कि यदि हम असत्य भाषण करे तो हमारा सच सुकृत निष्फल हो ठीक-ठीक ज्यों का त्यों कहे ।

ययोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ।

विपरीत नयन्तस्तु दाप्याः स्युदिशतदमम् ॥२५७॥

(२५७) सच साक्षी देने वाले यह लोग शास्त्रानुसार सच बोलने के कारण पवित्र हो जाते हैं और इसके विपरीत बोलने वाले अर्थात् असत्यभाषी प्रत्येक जन दोसौ पण्ड दण्ड देवे

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः ।

सीमाविनिर्णय कुर्युः प्रयता राजसन्निधौ ॥२५८॥

(२५८) यदि साक्षी न मिले तो गाँव के आस पास के चार ग्रामों के जमींदार राजा के समीप बुद्धिमानों से तथा धर्मा-नुकूल सीमा का निर्णय करे ।

सामन्तानामभावे तु मोलानां सीम्नि साक्षिणाम् ।

इमानप्यनुयुञ्जीत पुरूपान्नगोचरान् ॥२५९॥

(२५९) यदि आस पास के ग्राम निवासी व जमींदार न मिले तो उसी गाँव के निवासी जो अथ ग्राम में वास करते हों उनसे पूछे, यदि ऐसे लोग भी अप्राप्त हों तो समीप के वन के वासी चरवाहों आदि पुरुषों से पूछे ।

व्याधाञ्छाकृन्क्रान्गोपान्कैवर्तान्मूलखानकान् ।

व्यालग्राहानुञ्छृत्तनिन्याँश्च वनचारिणः ॥ २६० ॥

(२६०) व वनवासी यह हैं—व्याघ (शिकारी), शाकु-निक (चिड़ोमार), गोपालक (चरवाहा), मछली पकड़ने वाला, उञ्छृत्ति वाला तथा वन के अन्य वासियों से पूछ कर सीमाविवाद का निर्णय करे क्योंकि यह सब अपने कार्यार्थ उस गाँव को जाते हुए उसकी सीमा को पहचानते हैं ।

समवर्णं द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे ।
पादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥२६६॥

(२६६) द्विजातियों में कोई अपने सवर्ण में एक दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण करे तो बाहर ही पण दण्ड देवे और यदि सवर्ण से अन्य को अपशब्द (गाली) कहे तो चौबीस पण दण्ड देवे ।

एकजातिद्विजातीस्तु वाचां दारुणपा-क्षिपन् ।

जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छ्रेद्रं जघन्याप्रभवा हि सः ॥२७०॥

(२७०) यदि शूद्र अर्थात् मूर्ख सेवक, विद्वान्, सैनिक, (क्षत्रिय) व व्यापारी को अपशब्द कहे तो उसकी जीभ छेदन करने योग्य है, क्योंकि वह जिन लोगों की सेवा के हेतु नियत हुआ है उनकी सेवा के स्थान पर उनकी मानहानि (अपमान) करता है ।

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ।

निक्षिप्योऽप्योमयः शंकुर्ज्वलन्नास्ये दर्शांगुलः ॥२७१॥

(२७१) जो शूद्र 'अरे तू फलाने ब्राह्मण से नीच' ऐसा अपशब्द ब्राह्मणों आदि द्विजातियों के नाम तथा जाति का शब्द उच्चारण कर कहे, उसके मुँह में तप्त लोहे की दश अंगुल की कील ठोकनी चाहिये ।

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः ।

तप्तमासेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥२७२॥

(२७२) जो अहङ्कार वश ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश करे, राजा उसके मुख और कान में तप्त (गरम) डलवावे ।

श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च ।

वितथेन ब्रु वन्दर्षाद्दाप्यः स्याद्द्विशतं दमम् ॥२७३

(२७३) अब सवण वालों के दण्ड को कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से अहंकार बरा यह कहे कि तुम्हारा यह स्थान नहीं है तुम इस देश में जन्म नहीं हुए, तुम्हारी यह जाति नहीं है, तुम्हारे यज्ञोपवीत आदि कर्म नहीं हुए राजा उसे दो सौ पण दण्ड देवे ।

कारणं वाप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविधम् ।

तथ्येनोपि ब्रु वन्दन्प्यो दंडं कार्पापणावरम् ॥२७४

(२७४) जो कोना व लेंगड़ा या इसी प्रकार कोई अन्य अंगहीन है उसको सत्य भाषण में जो अंगहीन न कहना चाहिये और-यदि कहे तो एक कार्पापण तक दण्डनीय है ।

मातरं पितरं जायां अंतरं तनयं गुरुम् ।

आचारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ॥२७५।

(२७५) माता, पिता, स्त्री, भाई, बेटा. गुरु इन सब से यदि ऐसा कहे कि तुम पातकी हो' तथा गुरु के लिए मार्ग न छोड़ने वाला हो तो सौ पण दण्ड देवे ।

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दंडः कार्यो विजानता ।

ब्रह्माणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥२७६।

(२७६) ब्राह्मण को क्षत्रिय या क्षत्रिय को ब्राह्मण अप-शब्द कहे हो ब्राह्मण को पूर्व साहस दण्ड देवे और क्षत्रिय को मध्यम साहस दण्ड देवे ।

विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः ।

छेदवर्जं प्रणयनं दंडस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥

(२७७) इसी प्रकार वैश्व वा शूद्र अपनी स्वाजाति में अपशब्द व कठोर भाषण करे तो जीभ में छेद करने को अतिरिक्त शेष सब दण्ड प्रयोग करना यह शास्त्रान्त है ।

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः ।

अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम् । २७८ ।

(२७८) यह कठोर भाषण व अपशब्द विषयक दण्ड विधि का यथार्थ तथा वर्णन किया । अब तत्पश्चात् मार-पीट विषयक दण्ड विधान को कहते हैं कि—

येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्चेच्छ्रेष्ठमन्यजः ।

छेत्तव्यां तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् । २७९ ।

(२७९) अन्यज (चाण्डाल आदि) लोग जिस किसी अङ्ग द्वारा द्विजातियों को मारे उनका वह ही अङ्ग काट डालना चाहिये यही मनुजी की आज्ञा है ।

पाणिमुद्यम्य दंडं वा पाणिच्छेरत्तमर्हति ।

पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति । २८० ।

(२८०) हाथ व लाठी द्वारा मारे तो उसका हाथ कटवाना चाहिये, यदि बोधवश पाँव द्वारा मारे तो पाँव कटवाना चाहिये ।

सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ।

कट्यां कृताङ्गो निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् २८१

(२८१) नीच पुरुष भ्रष्ट पुरुषों के साथ एक आसन पर बैठने की इच्छा करे तो उसकी कमर को चिन्हित कर दाग देकर निकाल दे अथवा इस प्रकार उसके चूतड़ को कुट्ट कटवाड़े जिससे चिन्ह तो बन जावे परन्तु मरने न पावे ।

अवनिष्ठीवतो दर्पाद्द्वावोष्ठी छेदयन्नृपः ।

अवमूत्रयतो मंडमवशर्धयतो गुदम् । २८२ ।

(२८२) अहंकार से नीच पुत्र श्रेष्ठों के ऊपर थूके तों उसके दोनों ओर छेद डाले, मूत्र डाले तो लिंग (मूत्रेन्द्रिय) को काट डाले और ऊपर से अपना वायु (पाद) निकाले तो गुदा छेद डाले ।

केशेषु गृह्णतो हस्तो छेदयेदऽविचारयन् ।

पादयोर्दाडिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च । २८३ ।

(२८३) ब्राह्मण के बाल, पाँव, ढाड़ी, ग्रीवा (गर्दन) अंडकोप (फोतों) को पकड़ने वाले शूद्र के दोनों हाथों को कटवादे । उसको कष्ट होने ' का विचार न करे,

त्वग्भेदकः शतं दंष्ट्रो लोहितस्य च दर्शकः ।

मांसभेत्ता तु पण्डिनष्कान्प्रमास्यस्त्वस्थिभेदकः । २८४ ।

(२८४) त्वचा को छेदने वाला, रक्त निकालने वाला, यह दोनों सौ पण दण्ड देने तथा मांस पृथक करने वाला छः निष्क दण्ड पावे हथी तोड़ने वाले को देश निकाला देवे । यह दण्ड एक सामान जानना चाहिये ।

वनस्पतीर्ना मर्वे पापुपभोगं यथा यथा ।

तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा । २८५ ।

(२८५) सब वृक्षां व वनस्पतियों का जैसा जैसा उपयोग करे जैसा जैसा ही उनको हानि पर दण्ड पावे । मारपीट के विषय में ऐसा ही दण्ड विधान जानना यह शास्त्र मर्यादा है

मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति ।

यथा यथा महद्दुःखं दण्डं कुर्पात्तथा तथा । २८६ ।

(२८६) मनुष्यों तथा पशुओं को जैसा २ दण्ड देवे
वैसा वैसा ही दण्ड पावे ।

अङ्गावपीडनायां च ब्रह्मशोणितयोस्तथा ।

समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥

(२८७) हाथ पाँव आदि अंगों में छेद करने और रक्त
निकालने द्वारा पीड़ा पहुंचाने वाला मनुष्य उस चुटहल मनुष्य
के स्वास्थ्य लाभ करने तक का सम्पूर्ण (अर्थात् भोजन आदि
का) व्यय देवे । यदि उस व्यय को न देवे तो वह अपराधी
पूर्ण दण्ड पावे

द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ।

स तस्योत्पोदयेत्त ष्ण्टि राज्ञे दद्याच्च तस्मिन् ॥ २८८ ॥

(२८८) कोई मनुष्य यदि किसी अन्य के द्रव्य को
जानकर अथवा अज्ञानता में नष्ट करे तो उसे प्रमत्त व
आनन्दित करे और उस धनके तुल्य राजा को दण्ड स्वरूप देवे ।

चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ठमयेषु च ।

मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥

(२८९) चमड़ा, चमड़े का वर्तन, मिट्टी व काठ का
पात्र फूल फल मूल इनको नष्ट करने वाला मूल्य से (उस वस्तु
से पञ्चगुना) दण्ड स्वरूप देवे ।

यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च ।

दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥

(२९०) सवारी, सारथी, सवारी के स्वामी को दश
स्थान पर दण्ड न देना चाहिये, अन्य समय पर दण्ड देना
उचित है ।

छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यक्प्रतिमुखागते ।

अक्षभंगे च यानस्य चक्रभंगे तथैव च ।२६१।

(२६१) नाथ व जुआ के टूटने; ऊँचे नीचे मार्ग के कारण रथ आदि टेढ़ा हो गया हो व सम्मुख कोई रुकावट आगई हो, घुरा टूट गया हो, पहिया टूट जाय ।

छेदने चैव यन्त्राणां योक्त्रररम्योस्तथैव च ।

आक्रन्दे चाप्युपैहीति न दण्डं मनुरब्रवीत् ।२६२।

(२६२) रथ के बन्धन टूट जाये, रास (जेवड़ा) टूट जाय, कोड़ा टूट जाय तथा सारथी बचो हटो कह रहा हो तो रथी, सारथी, रथ स्वामी किसी को दण्ड न देना चाहिये ।

यत्रोपवर्तते युग्यं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु ।

तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यो हिंसायां द्विशतं तमम् ।२६३।

(२६३) जिस स्थान पर सारथी की मूर्खता से रथ इधर उधर चले व छलट जावे उसमें किसी की हानि होने पर रथ का स्वामी अशिक्षित सारथी नौकर रखने के कारण दो सौ पण दण्ड देवे ।

प्रजाकर्त्तुः श्रुवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति ।

युग्यस्थाः प्राजकोऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याः शतं शतम् ।२६४।

(२६४) जो सारथी रथ हाँकने में कुशल हो और किसी की मृत्यु हो जाये तो सारथी दो सौ पण दण्ड देवे । यदि सारथी कुशल न हो तो अशिक्षित सारथी को नौकर रखने के अपराध में रथ का स्वामी सारथी तथा रथी (रथ का सवार) यह सब सौ सौ पण दण्ड देवे ।

सचेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा ।

प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ।२६५।

(२६५) यदि वह सारथी सामने अन्य रथ के आजाने व पशुओं व अन्यसे घिरे हुए मार्ग में रथ पीछे न हटाकर कोड़ा मार कर रथ को आगे बढ़ाने के प्रयत्न में किसी की प्राण हानि हो जावे तो वह बिना विचारे दंडनीय है अथाव राजा उसको अवश्य डंड देवे ।

मनुष्यमारणे चित्तं चौरवत्किञ्चिप' भवेत् ।

प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्णहयादिषु ।२६६।

(२६६) मनुष्य को हनन करने में चोर की भाँति घोड़ा, हाथी, उँट आदि, बड़े पशुओं, के वध करने में पाप होता है और 'उत्तम साहस, दंड पाने के योग्य है । गरु, 'मध्यम साहस' दंड देवे

क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतो दमः ।

पञ्चाशत्तु भवेद्दण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ।२६७।

(२६७) और छोटे छोटे पशुओं की हिंसा करने में दो सौ पण दंड देवे । उत्तम मृग तथा पक्षियों की हिंसा करने में पचास पण दंड देवे

गर्दभाजाविक्रानां तु दंडः स्यात्पञ्चमापिकः ।

मापिकस्तु भवेद्दण्डः धनूकरनिपातते ।२६८।

(२६८) गधा दकती भेड़ के मर जाने पर पाँच माशे चाँदी दंड दे । तथा कुत्ता व सुअर के मर जाने में एक माशा दण्ड हो ।

भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेणो भ्राता च सोदरः ।

प्राप्तापराधास्ताड्या; स्यु रज्ज्वा वेणुदलेन वा । २६६।

(२६६) स्त्री पुत्र, दास, भृत्य, छोटा सहोदर, भाई

(अनुज) शिष्य इनसे अपराध होने पर रस्सी व बाँस की लकड़ी (छड़ी) से ताड़न करे ।

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कथञ्चन ।

अतोऽन्यथा तु ग्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरकिन्विपम् । ३००।

(३००) परतु सिर को छोड़ कर पीठ को ओर मारे

इससे विपरीत प्रहार करने वाला चोर के पाप को पावे ।

एषोऽखिलेनाभिहितो दंड पारुषानिर्णये ।

स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिदंडनिर्णये । ३०१।

(३०१) यह सब पूर्णतया मारपीट के अपराध के दण्ड

निर्णय को वहा अब चोर के दण्ड निर्णय विधिवर्णन करेगे ।

परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः ।

स्तेनानां निग्रहादस्यऽशो राष्ट्रं च वर्धते । ३०२।

(३०२) चोरों के परुषने और उनको दण्ड देने का यद्वा

प्रयत्न करे क्योंकि चोरी आदि दुष्कर्मों के निग्रह (रोकने) से राजा का यश और राज्य बढाता है ।

अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः ।

सत्रं हि वर्धते तस्या सदैवाभयदक्षिणम् । ३०३।

(३०३) जो राजा उत्तम प्रबन्ध द्वारा प्रजा को अभय

दान देता है । यह सदा पूज्य है क्योंकि उसका (राज्य रूप) वक्ष, जिसको दक्षिणा अभय दान ही बढ़ता है ।

सर्वतो धर्मपङ्क भागो राज्ञो भवति रक्षतः ।

अधर्मादपि पङ्क भागो भवत्यस्य ह्यऽरक्षतः । ३०४ ।

(३०४) सब प्रकार प्रजा की रक्षा करने वाला राजा प्रजा के धर्म का छटा भाग पाता है और रक्षा न करने वाले राजा को प्रजा के अधर्म का छटा भाग मिलता है ।

यदधीते यद्यजते यद्दाति यदर्चति ।

तस्य पङ्क भागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात् । ३०५ ।

(३०५) प्रजा जो अध्ययन यज्ञ दान तथा अन्य धर्म करती है उसका पुण्य का छटा भाग सुरक्षित राजा को प्राप्त होता है ।

रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन् ।

यजतेऽहरहर्थाज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः । ३०६ ।

(३०६) सब प्राणियों की धर्मानुकूल रक्षा करता हुआ और दण्डनीय अपराधियों को उचित दण्ड देता हुआ राजामानो लाख मुद्रा दक्षिणा वाले यज्ञ को प्रति दिन करता है ।

योऽरक्षन्पलिमादरो करं शुल्कं च पार्थिवः ।

प्रतिभागं च ददेत् च सं सद्यो नरकं व्रजेत् । ३०७ ।

(३०७) जो राजा प्रजा की रक्षा न करता हुआ प्रजा से अन्न का छटा भाग कर तथा शुल्क (चुंगी) आदि और दण्ड के भाग को ग्रहण करता है वह राजा शीघ्र ही दुर्गति को प्राप्त हो नरक में जाता है ।

जो राजा का कर आदि सुप्रबन्ध व सुव्यवस्था के अर्थ है जो राजा न्याय तथा रक्षा न करते हुये कर आदि ग्रहण करता है वह राजा नहीं बरन् दस्यु (डाकू) है ।

अरक्षितारं राजानं बलिपद्भागहारिणम् ।

तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥३०८॥

(३०८) यदि राजा प्रजा की रक्षा न करता हुआ कर आदि को ग्रहण करता रहे तो वह राजा सब लोगों के सब पापों को पाता है अर्थात् अपत्यश अरमानादि दुःख भोगता है ।

अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम् ।

अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम् । ३०९।

(३०९) शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, नास्तिक, प्रजा की रक्षा न करने वाला प्रजा को पीड़ित करने वाला प्रजा को रक्षा न करके कर आदि को ग्रहण करने वाला राजा अधोगति हो प्राप्त होता है ।

अधार्मिकं त्रिभिर्न्यागैर्निगृह्णीयात्प्रयत्नतः ।

निरोधनेन बन्धेन विविधेन बधेन च ॥ ३१०॥

(३१०) पापियों को कारागार में रखने, बेड़ी आदि डालकर बाँधने तथा विविध प्रकार का शारीरिक व आर्थिक दण्ड देकर इन तीन उपायों से यत्नपूर्वक उनका निग्रह करे अर्थात् उक्त तीन उपायों द्वारा पापी पुरुषों का पाप छुड़ावे ।

निग्रहं हि पापानां साधूनां संग्रहेण च ।

द्विजात्तय इमेज्याभिः पूषन्ते सततं नृपाः । ३११।

(३११) निश्चय करके पापिया (अपराधिया) को दण्ड देने तथा साधू महात्माओं की रक्षा करने से राजा यज्ञ करने वाले (अग्नि होत्री) ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के समान पवित्र होता है ।

चन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कायिणां नृणाम् ।
बालवृद्धातुरारां च कुर्वतां हितमात्मनः ॥ ३१२ ॥

(३१२) अपना हित चाहने वाला राजा यादी, प्रति-
यादी, बालक, वृद्ध, आतुर (दुग्धी) पुरुषों के वचन को जो वे
कष्ट समय आक्षेप करते हुए, भला बुरा कहे उसे सहन कर
क्षमा करे क्योंकि—

यः क्षिप्तो मर्षयत्पातैस्तेन स्वर्गं महीयते ।

यस्त्वैश्वर्यां न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३ ॥

(३१३) दुखी पुरुषों (आतुरों) के कठोर आक्षेपों की
सुनकर जो राजा सहन करता है वह स्वर्ग में जाता है और
जो प्रभुता के मद से सहन नहीं करता है वह नरक में जाता
है अर्थात् उस आचरण से दुर्गति पाता है ।

राज स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तवेशेन धावता ।

आचक्षालेन तस्तेयमेव कर्मास्मि शाधिभाम् ॥ ३१४ ॥

(३१४) ब्राह्मण का सोना चुराने वाला खुले शिर
(नगे मूँड) राजा के सम्मुख दौड़ कर जावे और अप-
राध को स्वीकार करे ।

स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वापि त्वादिरम् ।

शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णाम्नायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥

(३१५) मूसल, लाठी, पत्थर का डण्डा, दोनों ओर
तीक्ष्ण धार वाली बरछी, व लोहे का डण्डा कंधे पर रख कर
उस प्रकार कहे कि मैं ऐसा कर्म करने वाला हूँ मुझको इससे
दण्ड दीजिये ।

शासमाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते ।

अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम् ॥३१६॥

(३१६) राजा उसे दण्ड दे अथवा छोड़ दे तो वह पापी चोरी के पाप से छूट जाता है । और यदि राजा दयालुता के कारण उसे दण्ड न दे तो चोर के पाप को राजा पावे ।

अन्नादे भ्रूणश माष्टिं पत्यौ भार्यापचारिणी ।

गुरौ शिष्यश्च याज्यश्चस्तेनो राजनि किल्बिषम् ॥३१७॥

(३१७) भ्रूणहत्या (गर्भपात) करने वाला, व्यभिचारिणी स्त्री, शिष्य यज्ञ करने द्वारा, तथा चोर यह सब अपने पाप को यथा क्रम भोजन करने वाले, पति, गुरु, राजा इनमें धोते हैं अर्थात् इनको पाप लगता है ।

राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ।

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३१८॥

(३१८) जिस प्रकार पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं, वही तरह अपराधी व पापी राजा से दंडित होने से पवित्र होकर स्वर्ग में जाते हैं ।

यस्तु रज्जुं घटं कृपाद्वरेद्धिद्याच्च यः प्रपाम् ।

स दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तस्मिन्समाहरेत् ॥३१९॥

(३१९) कृप पर से रस्ती व घड़ा चुराने वाला, देव-शाला व धमशाला (प्याऊ) को तोड़ने वाला एक माशे सोने के दण्ड को प्राप्त हो । और वही घड़ा व रस्ती-न्दो उसी कुर्वा पर रख दे ।

धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः ।

शेषेभ्योद्वादशपुण्यं दाप्यस्तस्य च तद्वनम् ॥३२०॥

(३२०) दश × कुम्भ से अधिक अन्न चुराने वाले को शारीरिक दण्ड देवे, परन्तु चोर व स्वामी के मानादि दशा को देख कर दण्ड को देना चाहिये । यदि इस संख्या के न्यून अन्न की चोरी करे तो चोरी किये अन्न का ग्यारह गुना दण्ड स्वरूप देवे और चोरी जाने वाली वस्तु को उसका स्वामी पावे ।

तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः ।

सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् । ३२१ ।

(३२१) सोना, चाँदी, पट, वस्त्र इन सबों को सौ गंडे से ऊपर चुराने वाले को भी शारीरिक दण्ड देना चाहिये । देश, काल, चोर व स्वामी की जाति मानादि को देख दण्डाज्ञा देना चाहिये इसी प्रकार उपरोक्त श्लोक में भी जानना !

पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते ।

शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डे प्रकल्पयेत् । ३२२ ।

(३२२) पचास गंडे (पल) से अधिक और सौ गंडे (पल) से न्यून चुराने में हाथ काटना चाहिये । और यदि पचास पल से न्यून चुरावे तो वस्तु के मूल्य का ग्यारह गुना अधिक धन दण्ड देवे ।

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ।

मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति । ३२३ ।

(३२३) कुलीन पुरुष वा विशेष कर बड़े कुल की स्त्रियाँ तथा उत्तम, उत्तम रत्नों में से किसी एक के चुराने व हरण कर गुप्त कर देने से वध करने योग्य होता है ।

+२०० गंडे पैसे के ताल की द्रोण कहते हैं और २० द्रोण का एक कुम्भ होता है ।

महापशूनां हरणे शस्त्रा यामौषधस्य च ।

कालमासाद्य कार्यं च दण्डं राजा प्रकृष्येत् ।३२४।

(३२४) हाथी, घोड़ा, भैंस, गऊ आदि बड़े बड़े पशु व शस्त्र और घृत आदि औषधियाँ इनमें से किसी एक को चुराने में काल तथा कार्य को देखकर राजा तीनों दण्डों में से उचित दण्ड को नियत करे ।

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु ह्युरिकायाश्च भेदने ।

पशूनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ।३२५।

(३२५) ब्राह्मण की गऊ अपहरण कर लेने सवारी के हेतु बाँझ गऊ को छुरी छेदने तथा इसी प्रकार चकरा भेद आदि पशुओं के चुराने में तुरन्त आधा पाँच काटने का दण्ड देना चाहिये ।

सूत्रकार्पासकिरवानां गोषयस्य गुडस्य च ।

दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ।३२६।

(३२६) सूत कपास (रुई) महुआ, गोबर, गुड़, दही दूध मट्ठा जल तृण (घास) आदि ।

वेणुवैदलभण्डानां लवणानां तथैव च ।

मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ।३२७।

(३२७) मोटे बाँस के टुकड़े से बना हुआ जल पात्र; मिट्टी का पात्र, राख लवण (नमक)

मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य च घृतस्य च ।

मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसंभवम् ।३२८।

(३२८) मछली, पक्षी, तेल, घी, माँस, मधु, विविध

मृगचर्म, वारहसिंगा के सींग आदि व अन्य पदार्थ जो व्यवहार में आते हैं ।

अन्येषां च वैमादीनां मद्यानामोदनस्य च ।

पक्वान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याद्द्विगुणो दमः । ३२६

(३२६) इसी प्रकार अन्य पदार्थ हैं अर्थात् मद्य, मोदक (लड्डू) दाल, भात आदि पक्वानों में से किसी एक वस्तु के चुराने में उस वस्तु के मूल्य का दुगुना दंड होना चाहिए ।

पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च ।

अन्येष्वपरिपूतेषु दंडः स्यात्पञ्चकृष्णलः । ३३० ।

(३३०) फूले हुये रेत में स्थित हरित वान्य और गुल्म लता वृक्ष आदि के फल व एक मनुष्य के ले जाने योग्य धान्य इतने से किसी एक वस्तु के चुराने में देश काल को देखकर पाँच कृष्णल अर्थात् एक माशा सौना चोदी दण्ड देवे ।

परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ।

निरन्वये शतं दंडः सान्प्रयेऽर्धशतं दमः । ३३१ ।

(३३१) परिपक्व तथा शोधित वान्य, शाक, मूल व फल इनमें से किसी एक वस्तु के चुराने में यदि चौर स्वामी के वश ना हो अर्थात् स्वदेशवासी आदि सम्बन्ध रखता हो तो पचास पण्डंड और सम्बन्धी व वशका न हो तो सो पण्डंड देवे ।

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कर्म यकृत्तम् ।

निरन्वयां भवेस्तेषां ह्यवापव्ययते चरात् ॥ ३३२ ॥

(३३२) स्वामी के समुख कुटुम्बियों के समान

पूर्वक वस्तु ले जाये तो वह साहस कहता है और यदि स्वामी के पीठ पीछे सम्बन्धियों से भिन्न पुरुष ले जाये और चुरा कर मुहर जाये तो वह चोरी कहलाती है ।

यस्त्वेतान्युपनृत्यानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः ।

तमाद्य दंडयेद्राजा यश्चाग्निं चोरयेद्गृहात् ।३३३।

(३३३) जो मनुष्य दूसरे की वस्तु चुरावे, चन्नशाला से वा अग्निहोत्र की अग्नि तथा गृह की अग्नि चुरावे तो वह प्रथम साहस दण्ड पावे और अग्नि के द्वितीय बार स्थित करने में जो कुछ व्यय हो वह अग्नि के स्वामी को दवे ।

येन येन पथाङ्गेन स्तेनो नृपु विचेष्टते ।

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रतषादेशाय पार्थिवः ।३३४।

(३३४) जिस जिस अंग से दूसरे दूसरे की वस्तु को चुरावे उस अंग को कटवा लेना चाहिये जिससे फिर ऐसा काम न करे ।

पिताचार्यः सुहृन्मात भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादृश्या नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मो तिष्ठति ३३५

(३३५) पिता, आचार्य, सुहृद, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित इनमें से जो स्वधर्म में स्थित न हो वह दण्डनीय है अर्थात् यह भी दंड योग्य है । राजा के समीप अपराधी होने को दशा में सब मनुष्य दंड देने योग्य हैं ।

कार्पापणं भवेद्दृश्या यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।

तत्र राजा भवेद्दृश्याः सहस्रमिति धारणा ।३३६।

(३३६) जिस अपराध में राजा के अतिरिक्त साधारण

लोग कर्पाण दण्ड के योग्य होते हैं उस ६
सहस्रण दण्ड पाने के योग्य है। ऐसी शास्त्र मर्यादा

अष्टापद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किञ्चिप
पोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्त्रियस्य च

(३३७) जो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण
भले या बुरे गुणों से अनभिज्ञ हैं उनको चोरी में वैसा
है उसका अठगुना, सोलह गुना, वत्तीस गुना,

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् ।

द्विगुणा वा चतुः षष्टिस्तदोपगुणविद्वि सः ३३८

(३३८) चौसठ गुना, सौगुना, एक सौ अष्टाईस
दण्ड क्रमानुसार १-शूद्र, २-वैश्य, ३-क्षत्रिय, ब्राह्मण को दंड
चाहिये। जब वह वस्तुओं के गुण द्वेषों को जानते हों।

वानस्पत्यं मूलफलं दार्वाग्न्यर्थं तथैव च ।

तृणं च गोम्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत् ३३९

(३३९) जो वृक्ष आदि अरक्षक दशा में हैं उस वृक्ष का
मूल, फल, फूल, यज्ञ समिधा (हवन के लिए लकड़ी) तथा
गऊ, के हेतु तृण आदि इन सब को लेवे वह अदण्डनीय है
क्योंकि मनुजी के विचार से यह अधर्म नहीं है।

योऽदत्तादायिनो हस्ताङ्घ्रिप्सेत ब्राह्मणा धनम् ।

याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ३४०

(३४०) जो ब्राह्मण चोर को पढ़ाकर तथा उसके द्वारा
यज्ञ कराके द्रव्य लेने की इच्छा रखता है। वह ब्राह्मण +
समान है।

द्विजोध्वगः चीणवृत्तिर्द्वाविन्नु द्वे च मूलके ।

अददानः परचेत्रान्न दण्डं दातुमर्हति ॥३४१॥

(३४१) ब्राह्मण चतुरिय, वैश्य यह सब देश पर्यटन कर रहे हों और इनके पास भोजनार्थ कुछ न हो यदि यह मार्ग के समीपी खेत के दो गन्ने दो मूली लेलेयें तो भी अदण्डनीय हैं ।

असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः ।

दासाश्चरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चौरकिञ्चिपम् ॥३४२॥

(३४२) दूसरे के छूटे हुए घोड़े को अहंकार यश बाँधने हारा व घुड़साल में बँधे हुए घोड़े आदि को छोड़ने हारा और दास, घोड़ा, रथ इनको हरने वाला चोर के पाप को पाता है ।

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम् ।

यशोऽस्मिन्प्राप्नुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥३४३॥

(३४३) इस विधि चोरों को दण्ड देने वाला राजा इस लोक में यश या परलोक में उत्तम सिद्धि को पाता है ।

ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्पशश्चात्तयमव्ययम् ।

नोपैचेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥३४४॥

(३४४) इन्द्र की पदवी प्राप्त करने का इच्छुक तथा अक्षय यश प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाला राजा पक्षपात से भी बलात्कार करने वाले मनुष्य की सहानुभूति न करे ।

वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैव दंडेनैव च हिंसतः ।

साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥३४५॥

(३४५) वाग्दुष्ट (अपशब्द कहने वाला) व चोर व डण्डे से मारने वाला इन सभी से साहस (संगर्ग) करने वाला पापी है ।

साहसै वर्तमाने तु यो मर्षयति पाण्डिवः ।

स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥३४६॥

(३४६) जो राजा बलात्कार करने वाले मनुष्य के अपराध को सहन कर लेता है अर्थात् उसे दण्ड नहीं देता वह शीघ्र ही नाश व विद्वेष की पाता है ।

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।

समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥३४७॥

(३४७) मय प्राणियों के मय देने वाले व बलात्कार करने वाले मनुष्य से अधिक धन मिलने के कारण कभी उसे क्षमा न करे अर्थात् वह अधिक धन देवे तो भी उसे दण्ड देवे ।

शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते ।

द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥३४८॥

(३४८) धर्म नाश हो जाने की दशा में विप्लव काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों वर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करें ।

आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे ।

स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च धनन्धर्मेण न दुष्यति ॥३४९॥

(३४९) - आत्मा के परित्राणार्थ (कष्ट से बचने के हेतु) यज्ञ करने के हेतु सामग्री एकत्र करने, तथा स्त्रियों व ब्राह्मणों को कष्ट मुक्त के हेतु, किसी को मारने से पाप नहीं होता ।

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् । ३५० ।

(३५०) चाहे गुरु व बालक, वृद्ध ब्राह्मण व विद्वान् ही कर्मा न होवे परन्तु+आतताई होने की दशा में बिना सोचे उसको अवश्य वध करे । कुछ विचार न करना चाहिये ।

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ।

प्रकारां वाद्रकारां वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति । ३५१ ।

(३५१) आतताई के वध में उसके मारने वाले को पाप नहीं होता जो मनुष्य प्रकृष्ट वा अप्रकृष्ट गुण) दशा में क्रोधोन्मत्त होकर मारता है उसको वैसा ही क्रोध का फल मिलता है ।

परदारामिमर्शेषु प्रवृत्तान्मृन्महीपतिः ।

उद्देगजनकैर्दण्डैश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत् । ३५२ ।

(३५२) जो मनुष्य परस्त्री रमण (दूमरे की स्त्री से मैथुन) करने वाले है उसाह (उद्देग) दिलाने वाले है दण्ड द्वारा उनके शरीर को छिन्न (चिह्नित) करके देश से निकाल दे ।

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः ।

येनमूलद्वरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते । ३५३ ।

(३५३) संसार में स्त्रियों के व्यभिचार से वर्ण शङ्कर उत्पन्न होते हैं और इस वर्ण शङ्कर से मूल नाशक अधर्म उत्पन्न होता है जिससे सृष्टि का नाश होता है ।

+आतताई के अर्थ विश्वासपाती व कृतन्नी के हैं अर्थात् अग्नि लगाने वाला चिप देने वाला, धन सम्पत्ति, धान्य खेत स्त्री का अपहरण करने वाला आदि आतताई कहलाते हैं ।

परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन् रहः ।

पूर्वमाक्षोरितो दोषैः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥३५४

(३५४) परस्त्री से एकान्त में जो मनुष्य बातें करता है और प्रथम ही से उसका दोष प्रकट है उस मनुष्य को पूर्व साहस दण्ड देना चाहिये ।

यस्त्वनान्धारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात् ।

न दोषं प्राप्नुयात्किञ्चिन्न हि तस्य व्यति क्रमः ॥३५५

(३५५) जिस मनुष्य का दोष प्रथम कभी ज्ञात नहीं हुआ यदि वह किसी विशेष कारण वश परस्त्री से एकान्त में परामर्श करता है तो वह अदण्डनीय है ।

परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा ।

नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात् ॥३५६

(३५६) जल में जाने मार्ग तथा घास फूस युक्त तथा मनुष्यों से विलग पर जो गाँव के बाहर हो, वन, तथा नदी संगम इन स्थानों में परस्त्री से वार्तालाप व परामर्श करे तो संग्रहण का दण्ड पाने योग्य है ।

उपचारक्रिया केलिः स्पर्शो भूषणवासमाम् ।

सह खट्वासनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५७

(३५७) माला पहनना, सुगन्धित वस्तु इत्र लगाना, वस्त्र तथा आभूषण भेजना, स्पर्श करना, हास्य करना, आलिंगन आदि करना, एक शय्या पर बैठना यह सब संग्रहण वहलाता है । इसको मनु आदि ऋषियों ने कहा ।

स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तथा ।

परस्परस्यानुमते सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥३५८

(३५८) जिस पुरुष ने स्त्री की जंघादि को स्पर्श किया (लुआ) ग्रहण किया (पकड़ा) और पुरुष ने उस पर क्रोध न किया तो मनु आदि ऋषियों के विचार से यह पारस्परिक प्रीति समूहण कहलाती है ।

अत्राद्वयः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति ।

चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्षयतमाः सदा ।३५९।

(३५९) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति वालों को समूहण के अपराधी होने पर प्राणदण्ड देना चाहिये, क्योंकि चारों वर्णों की स्त्री रक्षणीय हैं ।

भिन्नुक्ता वन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा ।

संभाषणा सह स्त्रीभिः कुयुरप्रतिवारिताः ।३६०।

(३६०) भिन्नक, वन्दी (भाट), दीक्षित (जिसने यज्ञार्थ दीक्षा ली है) पाचक (रसोई बनाने वाला) यह सब भिक्षा आदि अपने कर्मों के हेतु स्त्रियों से सम्भाषण (वार्तालाप) करें तो इनको न वर्जना चाहिये ।

न समापां परस्त्रीभिः प्रतिपिद्धिः समाचरेत् ।

निपिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णं दंडमर्हति ।३६१।

(३६१) एक बार वर्जित करने पर भी यदि वह मनुष्य उस स्त्री से सम्भाषण करे तो एक स्वर्ण (१६ माशा) सेना दण्ड देवे ।

नैषु चारण दारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु ।

सज्जयन्ति हि ते नारीर्निगूढाधारयन्ति च ।३६२।

(३६२) नट तथा चारण (गाने बजाने वाले) ही स्त्री

तथा जो पुरुष स्त्री के दुराचरण द्वारा ही निर्वाह करते हैं उन स्त्रियों के हेतु उपरोक्त नीति का नियम नहीं है। क्योंकि लोग स्वयं ही अपनी स्त्रियों को गुप्त रीति से सब स्थानों भेजते हैं।

किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां ताभिराचरन् ।

प्रैष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रव्रजितासु च ।३६३।

(३६३) परन्तु तो भी वे परस्त्रियाँ हैं अतः उन्हीं के साथ चार्तालाप करने से वह पुरुष किं चेत दंड पावे। दासी तथा एक घर में जिस स्त्री को राह रक्खा है वह, सन्यासी की स्त्री इ-हों के साथ सम्भाषण करने वाला किञ्चित् दंड पावे।

योऽकामां दूपयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति ।

सकामां दूपयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ।३६४।

(३६४) जो स्वजाति कन्या कामेच्छा नहीं करती और पुरुष उससे काम क्रीड़ा करता है उसके मूत्रेन्द्रिय को तुरन्त ही छिन्न काट देना चाहिये। पर तु ऋ ब्राह्मण को यह दंड नहीं देना चाहिये क्योंकि उसे शारीरिक दंड देना वर्जित है। जो मनुष्य कामेच्छित स्वजाति कन्या से रति करे, उसे मूत्रेन्द्रिय छिन्न करने का दण्ड न देवे।

(३६६) जो कन्या अन्य कन्या के गुप्त स्थान (मूत्रस्थान) में अँगुली डाल कर कामक्रीड़ा करे तो उसको दो सौ पण दण्ड देना चाहिए और अँगुली डालने वाली कन्या का पिता दूना शुल्क (मुआवजा) देवे ।

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मोण्डयमर्हति ।

अँगुन्योरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ।३७०।

(३७०) जो स्त्री छोटी कन्या के गुप्त स्थान में अँगुली डालकर काम क्रीड़ा करे उसका मूढ़ मुड़ाना, व अँगुलियों काटना, व खर (गदहा) पर चढ़ाकर नगर में राजपथ पर घुमाना चाहिए । परन्तु अपराध की अवस्था ज्ञात कर ये सब दण्ड निश्चय करना उचित है ।

मर्तारं लंघयेद्यां तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता ।

तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ।३७१।

(३७१) जाति व गुण के दर्प (अहंकार) से अपने पति को त्याग देने वाली स्त्री को राजा बहुत मनुष्यों की उपस्थिति में कुत्तों से भोजन करावे अर्थात् लुचवावे ।

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे ।

अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत प्रापकृत् ।३७२।

(३७२) उपरोक्त परस्त्री से (अर्थात् जाति व गुण के अहंकार से अपने पति को त्याग देने वाली स्त्री से) रति करने वाले मनुष्य को लोहे की तप्त (गरम) शय्या पर सुलाकर चारों ओर लकड़ी रख कर अग्नि लगा दे जिससे वह पापी भस्म हो जावे ।

संवत्सराभिशास्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः ।

घातपया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ।३७३।

(३७३) यदि कोई पुरुष ऐसे मनुष्य की जिसका ब्रह्मो-
पवीत संस्कार नियत समय पर नहीं हुआ है वह चाण्डाल की
छी से भोग करके एक बार छूट जावे तत्पश्चात् वह दूसरी बार
भोग करे तो उसे दुगुना दण्ड देना चाहिये ।

शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन् ।

अगुप्तमद्भ्रसर्वस्वौगुप्तं सर्वेण ह्यीयते ॥ ३७४ ॥

(३७४) ॐ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की स्त्री पति आदि से
सुरक्षित हो या न हो, उससे भोग करने वाले शूद्र की मूत्रेन्द्रिय
काट लेनी व सारी सम्पत्ति हरण कर (छीन) लेनी चाहिये व
प्राणदण्ड देना चाहिये परन्तु अरक्षित स्त्री से भोग करने में मूत्रे-
न्द्रिय छिन्न करना व सारी सम्पत्ति हरण कर लेना यही दण्ड देवे
और सुरक्षित से भोग करने में उपरोक्त तीनों दण्ड देवे ।

वैश्यः सर्वस्यदण्डः स्यात्संवत्सरनिरोधतः ।

सहस्रं क्षत्रियो दंड्यो मौड्यं मूत्रेण चार्हति ॥ ३७५ ॥

(३७५) सुरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने में वैश्य को एक
वर्ष पर्यन्त कारागार में रक्षना चाहिये, तत्पश्चात् सारी सम्पत्ति
हरण कर लेनी चाहिये और उसी अपराध में क्षत्रिय को सहस्र
पण दण्ड देवे तथा गधे के मूत्र से सिर भुँड़वा देवे ।

ब्राह्मणीं पद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवी ।

वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

(३७६) पति आदि से अरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने
वाले क्षत्रिय व वैश्य को यथाक्रम पाँचसी व सहस्रपण दण्ड देवे ।

ॐ धर्मशास्त्र में व्यभिचार प्रतिरोध का इतना ध्यान रक्ता गया है ।

अब जहाँ इसकी आज्ञा हो वह स्वेच्छा (स्वमिथ्या) समझना चाहिए ।

उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ।

विलुप्तो शूद्रवदण्ड्यो यो दग्धव्यो वा कटाग्निना ।३७७।

(३७७) पति आदि द्वारा सुरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने वाले क्षत्रिय व वैश्य दोनों शूद्र के समान दण्डनीय हैं अर्थात् सब श्रद्धा छिन्न करने चाहिये, चाहे लाल कुश से ढक कर वैश्य को और सरहरी से ढक कर क्षत्रिय को जलाना चाहिये वह दण्ड यतिवता व सदगुणी स्त्री से भोग करने में जानना चाहिये ।

सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां वलाद् ब्रजन् ।

शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ।३७८।

(३७८) पति आदि से सुरक्षित ब्राह्मणी से बलात्कार करने वाले ब्राह्मण को सहस्र पण दण्ड देना चाहिये । और उस ब्राह्मणी की इच्छा से भोग करने वाले ब्राह्मण को पाँच सौ पण दण्ड देना चाहिये ।

मौण्ड्यं प्राणान्तिकी दण्डां ब्राह्मणस्य विधीयते ।

इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ।३७९।

(३७९) वध के स्थान पर ब्राह्मण का मूँड़ मुझाना ही दण्ड है तथा अन्य वर्णों का वध करना चाहिये ।

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।

राष्ट्रादेनं वहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम् ॥ ३८० ॥

(३८०) यदि ब्राह्मण (अर्थात् विद्वान् पुरुष) बहुत पापों का अपराधी हो तो भी उसका वध न करे, वरन् शारीरिक दण्ड भी न देकर अपने राज्य से निकाल दे ।

न ब्राह्मणवधाद्भूयानऽधर्मा विद्यते भुवि ।

॥ तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥३८१॥

(३८१) ससार में विद्वान् अर्थात् ब्राह्मण के व्यव से अधिक कोई पाप नहीं क्योंकि इससे अध्ययन-कर्म को हानि पहुँचती है । अतः राजा ब्राह्मण को वध करने का विचार मन में भी न लाये ।

वैश्यश्चत्तत्रिधां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् ।

यो ब्राह्मणायामगुप्तायां त्रायुर्मा दंडमर्हतः ॥ ३८२ ॥

(३८२) पति आदि से सुरक्षित वैश्य की स्त्री से क्षत्रिय भोग करे व वैसी ही क्षत्राणी से वैश्य भोग करे तो जो दरद-अरक्षित ब्राह्मणी से भोग करने वाले को कहा है वही दरद देना

सहस्रं ब्राह्मणो दरदं दाप्यो गुप्ते तु ते व्रजन् ।

शूद्रायां क्षत्रियविशोः सहस्रो वै भवेद्दमः ॥३८३॥

(३८३) पति आदि से सुरक्षित क्षत्रिय व वैश्य की स्त्री से भोग करने वाले ब्राह्मण को हजार पण दरद देना चाहिये । तथा पति आदि से सुरक्षित शूद्र की स्त्री से भोग करने वाले क्षत्रिय व वैश्य को भी सहस्र पण दरद देना चाहिये ।

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः ।

मूत्रेण मौड्यमिच्छेत् क्षत्रियो दरदमेव वा ॥३८४॥

(३८४) पति आदि से अरक्षित क्षत्राणी से भोग करने से वैश्य को पाँच सौ पण दरद देना चाहिये । और उसमें भोग करने वाले क्षत्रिय की गधे के मूत्र द्वारा 'मूँद' 'मूँदवाँ' देने का भी दरद यथेष्ट है ।

अगुप्ते क्षत्रियानैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो ब्रजन् ।

शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजस्त्रियम् । ३८५ ।

(३८५) पति आदि से अरक्षित क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्र की स्त्री से भोग करने वाले ब्राह्मण को पाँच पण दण्ड देना चाहिये । तथा चाण्डालादि की स्त्री से भोग करने वाले ब्राह्मण को सहस्र पण दण्ड देना चाहिये ।

यस्य स्तेनः पुरे नास्तिमान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डधनौ स राजा शक्रलोकभाक् । ३८६ ।

(३८६) १—चोर, २—अन्य की स्त्री से भोग करने वाला, ३—छोटे वचन भाषी, ४—बलात्कार करने वाला, ५—डण्डे (लाठी) से आघात करने वाला, यह सब जिस राजा के राज्य में नहीं हैं, वह राजा इन्द्रलोक को पाता है ।

एतेषां निग्रहो राज्ञा 'पञ्चानां विषये स्वके ।

साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः । ३८७ ।

(३८७) अपने राज्य में इन पाँचों को दण्ड देने वाला राजा राजाओं में सबसे अधिक साम्राज्य को पदवी प्राप्त करता है और इस संसार में यश भी पाता है ।

ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्त्विक्त्यजेद्यदि ।

शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् । ३८८ ।

(३८८) अपने कर्म में दक्ष तथा दुष्कर्मों से पृथक् ऋत्विज और यजमान इन दोनों में से एक को परित्याग करे तो परित्याग करने वाले को सौ पण दण्ड देना चाहिये ।

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति ।

त्यजन्नपतितानेतान्राज्ञा दंडयः शतानि षट् ।३८६।

(३८६) माता पिता व स्त्री और पुत्र जो अपने वर्य से भ्रष्ट हो गये हों उनमें से किसी एक को त्याग करे तो वह दण्ड से पीटा दण्ड के योग्य होता है ।

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः ।

न वित्रयान्नृपौ धर्मं चिकीर्षन्हितमात्मनः ॥३९०॥

(३९०) गृहस्थादि आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, की परस्पर में शास्त्र के अर्थ व कार्य की वहस अर्थात् शास्त्रार्थ) होती हो तो भला चाहने वाला राजा सोहस करके ऐसा न बोले कि इस शास्त्र का यह अर्थ है ।

यथार्हमेतानभ्यर्च्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

सान्त्वेत् प्रशमय्यादीं स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ३९१ ॥

(३९१) यथाविधि शास्त्रार्थ करने वालों की पूजा करके तथा ब्राह्मणोंसहित उन्हें शांति करके राजा अपने धर्म को वर्णनकरे

प्रातिवेश्यानुस्यूं च कल्पारणे विशतिद्विजे ।

अर्हावभोजयन्विप्रो दंडमर्हति मापकम् ॥ ३९२ ॥

(३९२) यदि उत्तम कार्य में शांति के हेतु ब्राह्मण भोजन कराना हो और वैश्य अपने घर के सामने वा एक घर छोड़कर दूसरे घर में रहने वाले ब्राह्मण को भोजन न करावे तो एक मारा चाँदी दण्ड देवे ।

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्वभोजयन् ।

तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव मापकम् ।३९३।

(३६३) विवाहादि आनन्दोत्सवोंमें अपने घर के सामने वा एक घर छोड़कर अन्य घरमासी, वेदपाठी ब्राह्मण को भोजन न करावे तो एक माशा सोना और भोजन का द्वागुना दण्ड स्वरूप देवे ।

अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः ।

श्रोत्रियेपूपकुर्वश्च न दाप्यो केनचित्करम् ॥३६४॥

(३६४) राजा को निम्नाङ्कित (अव्योलिखित) मनुष्यों से चाहे मोपधन शून्य ही क्यों न हो, कर न लेना चाहिये । अर्थात् लङ्गड़ा, सत्तर वर्ष का बूढ़ा, धन व भोजन से वेदाध्ययनी पुरुषों की सेवा करने वाला ।

श्रोत्रियं व्याधितार्तौ च बालवृद्धावकिञ्चनम् ।

महाकुलीनमार्यं च राजा मंपूजयेत्सदा ॥३६५॥

(३६५) वेदज्ञाता, व्याधिपीडित, बाल, वृद्ध, बगाल, महाकुलीन, और दानी इन लोगों को राजा को सदा पूजा करनी चाहिये ।

शान्मलीफलके श्लक्ष्णे नैनिज्यान्नैजकः शनैः ।

न च वासांसि वासोभिर्निहरेन्न च वासयेत् ॥३६६॥

(३६६) सेमर के चिरुने पाटा पर धीरे से धोबी कपड़े धोवे और एक का बन्ध दूसरों को न देवे तथा बहुत दिवसों तक अपने घर में न रखे ।

तन्तुनायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम् ।

अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥३६७॥

(३६७) तन्तुकार (बस्त्र बुनने वाला) अपने परिश्रम (दुःखार्थ) के हेतु दशपल (गडे) के सूत लेवे तो ११ गडे

तौल नर वस्त्र देवे उसने न्यून देवे तो बारह पण दण्ड के राजा को देकर सूत के स्वामी को प्रसन्न करे ।

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविलक्षणाः ।

कुर्पुर्धं यथापस्थं ततो विंश नृपो हरेत् । ३६८ ।

(३६८) राज्यकर का ज्ञाता तथा प्रत्येक पदार्थ के बेचने में कुशल पुरुष जिस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित करे उसमें जो लाभ हो उसका २० वाँ भाग राजा आयकर (इनकम टैक्स) लेवे

राज्ञः प्रख्यात भाण्डानि प्रतिपिद्धानि यानि च ।

तानि निहर्तौ लोभात्सर्वद्वरे हारन्नृपः । ३६९ ।

(३६९) राजा के योग्य जो वस्तु है वा जिस वस्तु को अन्य के हाथ बेचने से वर्जित किया है, उन वस्तुओं को लोभ वश दूमरे स्थान पर बेचे तो उसी सारी सम्पत्ति राजा हरण कर लेवे ।

शुल्कस्थाने परिहरन्नकाले क्रियविक्रयी ।

मिथ्यावादी च संस्थाने दाप्योऽष्टगुणमत्पयम् । ४०० ।

(४००) जिस स्थान पर राज कर लिया जाता है उस स्थान को त्याग ने वाला, असमय बेचने व खरीदने वाला घटि तौला (कम तौलने वाला) राजकर का अठाना दण्ड स्वरूप देवे

आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिदयाचुमी ।

विचार्य सर्वपण्यानां हारयेत्कूपविक्रयी । ४०१ ।

(४०१) प्रत्येक वस्तु के आय-न्यय तथा वृद्धि (बढ़ी)

ॐ गवर्नमेण्ट (सरकार) बचीसवाँ भाग इनकम टैक्स लेती है और मनु जी ने तीसवाँ भाग कहा है ।

लय (घटी) की दशा को देखकर वेचना व मोल लेना चाहिये, क्योंकि तनिक सी अज्ञानता से हानि हो जाती है ।

पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते ।

कुर्गीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥

(४०२) वस्तुओं की दर प्रति सप्ताह, व पाँच दिन में नियत होनी चाहिये और उसका अधिकार राजा के हाथ में होना चाहिये ।

तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात्सुलक्षितम् ।

पट्सु पट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥

(४०३) माशा, तोला, सेर, पाँच सेरी आदि व प्रस्थ, द्रोण आदि के वाटों की न्यूनाधिकता (कमी वेशी) को राजा देखे तत्पश्चात् छठे मास में इनकी परीक्षा करे और सब वाँटादि पर राजमुद्रा का चिह्न अङ्कित कर दे ।

पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषौऽर्धपणं तरे ।

पादं पशुश्च योषिञ्च पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥

(४०४) नाव द्वारा नदी पार करने का कर इत प्रकार लेवे कि सवारी पर एक पण, घोड़ा सहित मनुष्य पर आधा पण, स्त्री तथा पशुओं पर चौथाई, पण और घोड़ा होने वाले कुली से पण का आठवाँ भाग ।

भाण्डपूर्णानि यानानि तायं दाप्यानिसारतः ।

रिक्तभाण्डानि यत्किञ्चित्पुमांसश्चापरिच्छदः ॥ ४०५ ॥

(४०५) सामान से लदी हुई गाड़ियों का कर समान के अनुसार होना चाहिये अर्थात् यदि गाड़ी में बहुमूल्य व अधिक तेल का भारी सामान हो तो उससे अधिक कर लेना

गहिये और जिस गाड़ी में अन्न व अन्न मूल्य तोल का सामान
 है उससे अन्न कर लेनी चाहिये, तथा रिक्त (खाली) गाड़ियों वा
 से मनुष्यों से जिनके पास सामान न हो अन्न (थोड़ा) कर लेना
 चाहिए।

दीर्घाघ्नानि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत् ।

नदीतीरेषु तद्विद्यत्समुद्रे नास्ति लक्षणम् । ४०६ ।

(४०६) × नदी में नाव का कर नदी के बहाव व ऋतु
 कालादि के अनुसार निर्धारित (नियत) करना चाहिये । और
 समुद्र में पोतों (जहाजों में) का चलना वायु के अधीन है अतः
 समुद्र द्वारा यात्रा व व्यापार करने वालों से एक बार लचित कर
 निर्धारित कर देना चाहिये । उसमें बहाव व ऋतु काल का विचार
 नहीं होता ।

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः ।

ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे । ४०७ ।

(४०७) दो मास से अधिक की गर्भिणी स्त्री, संन्यासी
 धानप्रस्थ, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी इन सबसे नदी पार करने का कर न
 लेना चाहिये ।

यन्नावि क्रिञ्चदामानां विशीर्गतापराधतः ।

तदासरेव दातव्यं समागम्य स्ततोऽशतः ॥ ४०८ ॥

(४०८) यदि मज्जाहों के आलस्य से कोई वस्तु नष्ट हो
 जाये तो उस पदार्थ का मूल्य सब मज्जाहों को मिलकर देना
 चाहिये, क्योंकि प्रत्येक मज्जाह नाव के अन्तर्गत पदार्थों का धर्मतः
 रक्षक है तथा उत्तरदाता है ।

× श्लोक ४०६ से स्पष्ट विदित होता है कि मनु के समय समुद्र में
 पोत, जहाज) चलते थे और उससे श्रायः राजा अपना कर भी लेते थे

एष नोयायिनामुक्तौ व्यग्रहारस्य निर्णयः ।

दाशापराधतस्तोये दैनिके नास्ति निग्रहः ।४०६।

(४०६) देवी विपत्ति (अर्थात् आधी तूफान आदि) के आने से व चट्टानों, मगर मन्द्य आदि से टफरा कर नाव भंग (टूट) हो जाने से जो हानि होती है उसके देनदार मत्स्य नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई अपराध नहीं है ।

वाणिज्यां कारयेद्वैश्यं कुमीदं कृपिमेव च ।

पशूनां रक्षणं चैव दास्यं शूद्रं दिजन्मनाम् ।४१०।

(४१०) वैश्य का काम कृपि करना, व्याज लेना, पशु पालना है । इन सब कर्मों को वैश्य से करावे । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा शूद्रों से करावे ।

क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणो वृत्तिरूपितो ।

मिभृयादानृशम्येन स्वानि कर्माणि कारयन् ।४११।

(४११) यदि कोई क्षत्रिय व वैश्य जीविका विहीन व्याकुल हो तो ब्राह्मण को उचित है कि दया से काम करा के उनका पालन करे ।

दास्यं तु कारयन्लोभाद्ब्राह्मणः संस्कृतान्द्विजान् ।

अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्ड्यःशतानि पट् ।४१२।

(४१२) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यथाविधि सत्कार के पश्चात् कार्य करना नहीं चाहते उनमें कोई ब्राह्मण लोभ पशु अपने प्रभाव द्वारा कार्य करावे तो राजा उस ब्राह्मण पर दण्ड सौ पण दण्ड करे ।

शूद्रं तु कारयेदायं क्रीतमक्रीतमेव वा ।

दास्यामेव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ।४१३।

(४१३) ❀ ब्रह्मा ने शूद्र को ब्राह्मणों के सेवार्थ बनाया है इस हेतु शूद्र चाहे मोल लिया हुआ हो चाहे वेतनभोगी हो या वेतनभोगी न हो उससे बराबर कार्य लेना चाहिये ।

न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दस्याद्विमुच्यते ।

निसर्गजं हि कत्तस्य कस्तस्मात्तदुपोहति ॥ ४१४ ॥

(४१४) यदि स्वामी दास कर्म से दास को मुक्त नहीं करता तो वह दास दासकर्म से मुक्त नहीं होता क्योंकि दासकर्म शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न है, इस संबंध को कौन छुड़ा सकता है ।

ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ ।

पैत्रिको दंडदासश्च सप्तैते दासयोगयः ॥ ४१५ ॥

(४१५) युद्ध में जय किंवा हुआ, भोजन पर सेवकाई करने वाला, किमी अरराव के पलटें में सेवकाई करने वाला, गृह-दास से उत्पन्न, क्रीत (मोल लिया हुआ), दान में मिला हुआ, पैत्रिक दास, और भक्त यह सब दास हैं ।

भार्या पुत्रश्चदोसश्चत्राय एर्थाधनाःस्मृताः ।

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्म ते तस्य तद्वनम् । ४१६ ॥

(४१६) अपनी स्त्री के पुत्र व दास यह सब जिस धनको एकत्र करें वह सब धन उनके स्वामी का है और यह स्वामी की जीवितावस्था में उसके अधिकारी नहीं हैं ।

पिस्रन्ध ब्राह्मणः शूद्राद्द्रव्योपादानमारित् ।

नहि तस्यास्ति किञ्चित्स्वं भर्तृहार्याधनो हि सः । ४१७ ॥

❀ वेदमन्त्र तथा प्रकृति ने स्पष्ट बतला दिया है कि पार केवल शरीर के ऊपरी भाग को उठाकर ले जाने के हेतु बनाये गये हैं और मुग्न सारे काम शरीर के अङ्गों से लेता ।

(४१७) ब्राह्मण दास शूद्र से धन ले लेवे, इनमें कुछ विचार न करे क्यों कि वह धन कुछ उसकी स्मृति नहीं है दास तो निर्धन है, वह जो धन एकत्र करे उस धन पर स्वाभिव उसके स्वामी का है ।

वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्नानि कर्माणि कारयेत् ।

तौ हि च्युतौ सकर्मभ्यः क्षोभयेताभिदं जगत् ४१८

(४१८) वैश्य और शूद्र यह दोनों अपने कार्य से निष्कर्म न होने पावें यदि यह दोनों अपने धर्म से च्युत हों तो जगत् को क्षोभित (दुष्कर्मी) कर दे

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्याहनानि च ।

आयव्यथौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ॥

(४१९) कार्य की पूर्ति, सवारी, कर-प्राप्ति, व्यय, कोष

व चांशी सोने की रत्न इन सब को राजा नित्य देखे ।

एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समापयन् ।

व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् । ४२० ।

(४२०) इस विधि से राजा सब कामों को करता हुआ

पाप से मुक्त होकर परमगति को पाता है ।

मनुजी के धर्मशास्त्र और भृगुजी की संहिता का आठवाँ अध्याय

समाप्त हुआ ।

—०—

नवमोऽध्यायः ।

—०—

पुरुषस्य स्त्रिणाश्वैव धर्मं वर्त्मनि तिष्ठतोः ।

संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्प्रक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥

(१) धर्मानुसार कर्म करने वाले पुरुष स्त्रियों के मयोग वियोग के प्रचीन नियमों को वर्णन करते हैं कि किस समय स्त्री ने कैसा व्यवहार करना चाहिये ।

अस्यतन्त्राः स्त्रियाः कार्याः पुरुषैः स्य दिशानिशम् ।

त्रिपयेषु च सज्जन्त्याः संस्थाप्या आत्मनो वशे । २ ।

(२) रात दिन स्त्री को पति के अधिनार में रहना चाहिये तथा जो स्त्री त्रिपय की इच्छा रखती है उसको कभी स्वतन्त्रता न देने चाहिये, वरन् वह पति ही के साथ रहे ।

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री सातन्त्र्यमर्हति । ३ ।

(३) कुमारवस्था (बालापन) में पिता, यौवनावस्था में पति, और वृद्धावस्था में पुत्र को रक्षा करना चाहिये । क्यों कि स्त्रियाँ स्वतन्त्र होने के योग्य नहीं ।

कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्वतिः ।

मृते भर्तृरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ४ ॥

(४) उचित समय पर कन्यादान न देने से कन्या का ता, रजोदर्शन से निवृत्ति होने पर ऋतुकाल में उससे भोग न करने से उसका पति, तथा वृद्धावस्था में पति के देहान्त हो जाने पर पुत्र अपनी माता की रक्षा न करे तो वह तीनों पापी होते हैं ।

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः ।

द्वयोर्हि कुलयो शोकमावद्देयुररक्षिता ॥ ५ ॥

(५) थोड़े सम्भोग से भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिये ।

स्त्रियाँ अरक्षितावस्था में रहने से दोनों कुल (अर्थात् पतिकुल व पिताकुल) को शोकित करती हैं ।

इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम् ।

यतन्ते रक्षितुं भार्या भर्तारो दुर्बला अपि ॥६॥

(६) सब वर्णों के उत्तम धर्म को देखते दृष्टे निर्बल पति भी स्त्री की रक्षा के अर्थ परिश्रम तथा प्रयत्न करते हैं ।

स्वां प्रभृतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च ।

स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन्ति रक्षति ॥७॥

(७) उचित रीति से स्त्री की रक्षा करने से अपने कुल, सन्तान आत्मा व धर्म की रक्षा होती है ।

पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते ।

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्मां जायते पुनः ॥८॥

(८) पति का वीर्य अपनी स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होकर सन्तान रूप से संसार में उत्पन्न होता है । स्त्री में विशेष धर्म यही है कि उससे दूसरी बार सन्तान उत्पन्न होती है ।

भादृशं भजते हि स्त्री सुतं घृते तथाविधम् ।

तस्मात्प्रजाविशुद्ध्यर्थं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥९॥

(९) स्त्री जैसे गुण वाले पुरुष से सम्बन्ध रखती है उसी प्रकार की सन्तान उत्पन्न होती है । अतः उत्तम सन्तान उत्पन्न करने के हेतु स्त्री की रक्षा करनी चाहिये ।

न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् ।

एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥१०॥

(१०) कोई मनुष्य शक्ति से बँध कर स्त्री को बरामें नहीं

एत सक्तता, वरत् निम्नांकित विषयो द्वारा स्त्री को अपने वश में रख सकता है।

अर्थस्या सग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।

शौचे धर्मोऽन्नपक्त्या च पारिणह्यस्य वेक्षण्ये ॥११॥

(११) एकत्रित धन को व्यय करने, गृहस्थी का सारा खन्ध, खाने पहनने घर आदि के बनाने का अधिकार देने और शुद्ध व पावित्र रहने से स्त्री वश में रहती है।

अरक्षिता गृहे रद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।

आत्मान्मात्मना यास्तु रक्षेयुरताः सुरक्षिताः ॥१२॥

(१२) आज्ञा-पूर्वक यथार्थ कार्य करने वाले, सेवक पुरुषों से गृह में रोकी हुई स्त्रियों अरक्षित हैं, किन्तु जो अपनी रक्षा स्वयं करती हैं वे ही सुरक्षित हैं।

पोनं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीणां दूषणानि पट् ॥१३॥ -

(१३) स्त्रियों के हेतु छः कर्म दूषित हैं;—१-मद्यपान, २-दुष्ट सङ्ग, ३-पति वियोग, ४-इधर उधर घूमना, ५-असमय सोना, ६-दूसरे के घर में घास करना।

नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः ।

सरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥१४॥

(१४) स्त्रियों रूप व आयु का विचार नहीं करती वरन् पौरुष का विचार करती हैं—अर्थात् चाहे सुरूप हो चाहे कुरूप जिसमें पौरुष है उससे ही भोग करती हैं।

पौंथन्याच्चलचित्ताच्च नैस्नेह्याच्च स्वभावतः ।

रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृप्येता चिकुर्वते ॥१५॥

(१५) पुंश्वली, चञ्चल चित्त वाली तथा स्नेह से शून्य (रहित) स्त्री अपने नष्ट स्वभाव से उत्तम रीति से सुरक्षित होने पर भी अपनी कुटिलता से पतिके चित्त को शोकित कर देती है ।

एवं स्वाभारं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम् ।

परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६ ॥

(१६) स्त्रियों के इस स्वभाव को जान कर धर्मशास्त्र के बनाने वाले प्रजापति ने उनकी रक्षा को पुरुषों का आवश्यकीय कार्य नियत किया ।

शय्यासनमलकार कामं क्रोधमनार्जवम् ।

द्रोहभावं कुचर्यां च स्त्रीभ्यो मनुःकल्पयत् । १७ ।

(१७) शयन वी शय्या व बैठने का आसन, शृंगार के हेतु आभूषण आदि काम, क्रोध, प्राकृतिक (स्वाभाविक) कटुता, पारस्परिक द्रोहभाव, दुराचार, मनुजी ने स्त्रियों के गुण रक्षित किये हैं ।

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः ।

निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थितिः । १८ ।

(१८) ❀ स्त्रियों के संस्कार मन्त्रों के बिना होने चाहिए क्योंकि स्त्रियों के लिये इन्द्रिय और मन्त्र का अधिकार नहीं है तथा मिथ्याभाषण करना स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है ।

तथा च श्रुतयो बह्व्यो निगीता निगमेऽपि ।

स्वालक्षयपरीक्षार्थं ताया शृणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥

(१९) उपनिषद् की श्रुतियों और वेद मन्त्रों में बहुत स्थल

❀ १८ वा श्लोक सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि श्रुति-विवाहादि सब संस्कार मन्त्रों द्वारा होते हैं ।

स्त्रियों के दुर्गुणों का वर्णन है क्योंकि उसकी वास्तविकता (व्यर्थ) को जानना दुष्कर (कठिन) है। केवल वेद में प्रायश्चित्त देखना चाहिये।

यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिव्रता ।

तन्मे रेतः पिता वृक्तामित्युस्येतन्निदर्शनम् ॥२०॥

(२०) अपनी माता का आन्तरिक दुराचार देखकर कइना चाहिये कि मेरी माता ने पतिव्रत भङ्ग करके अन्य पुरुष से सहवास (भोग) किया है तो माता के उचिरुत्तर अन्य पुरुष को मेरा पिता पवित्र करे।

ध्यायत्यनिष्ट यत्किञ्चित्पाणिग्राहस्य चेतसा ।

तस्यैष व्यभिचारस्य निह्वयः सम्यगुच्यते ॥२१॥

(२१) जो स्त्री मन में अपने पति का अनिष्ट विचारती उस कुत्सित इच्छा का पवित्र करने वाला प्रथमोक्त मन्त्र है नु आदि ऋषियों ने कहा है—

पादगुणेन भर्ता स्त्री संयुज्येत यथाविधि ।

तादृग्गुणा सा भवति समुद्रैर्यैव निम्नगा ॥२२॥

(२२) जिस विधि से व जैसे पुरुष से स्त्री सम्भोग पाती है वैसी ही आप होती है जैसे समुद्र से नदी।

अन्नमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥२३॥

जो श्लोक १६ से २१ तक धागमार्गियों के काल के मिलावे हुए हैं क्योंकि वेद में इस विषय का कहीं भी उल्लेख नहीं है।

(२३) अधम जाति से उत्पन्न अक्षमाला नाम की स्त्री से वसिष्ठऋषि ने सम्भोग किया । तथा वह शारंगी और मन्दपाल से युक्त होकर पृथ्वता को प्राप्त हुई ।

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ता स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभः ॥२४॥

(२४) इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियाँ अधम जाति से उत्पन्न होकर इस लोक में अपने पतियों को श्रेष्ठता से श्रेष्ठता को पहुँच गई ।

एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा ।

प्रेत्येह च मुखोदर्कान्प्रजाधर्मान्निरोधत ॥२५॥

(२५) स्त्री पुरुषों के प्राचीन सदाचार को कहा । अब इस लोक में तथा परलोक में व भविष्यत् में मुखार्थ जो प्रजा का धर्म है उसको कहते हैं ।

प्रजनार्थं महाभागाः पूजाहर्षा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति करचन ॥२६॥

(२६) घरकी उत्पत्ति के अर्थ महाभागा व पूजा योग्य घर की तेजवती स्त्री तथा लक्ष्मी हैं । इन दोनों में विशेषता कुछ नहीं है दोनों एक समान है ।

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोकायात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥२७॥

(२७) पुत्र व पुत्री की उत्पत्ति, तत्पश्चात् उनका लालन

ॐ २३ वा श्लोक भी सशयात्मक है क्योंकि वसिष्ठ जी से पहले मनु हुए हैं ।

पालन तथा प्राचीन लौकिक (सांसारिक) नियम इन सबों का प्रविष्ट प्रमाण लिखीं ही हैं ।

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥२८॥

(२८) सन्तानोत्पत्ति, धर्मकार्य, उत्तम सेवा तथा अपना धर्म अपने बृद्धों का स्वर्ग यह सब लिखीं के आधीन हैं ।

पतिं या नोभिचरति मनोवाग्देहसंयुता ।

सा भर्तृलोकानाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥२९॥

(२९) जो स्त्री मन, वचन कर्म के पाशों से रहित होकर अपने भर्ता (पति) को छोड़ अन्य पुरुष से भोग नहीं करती है वह गतिलोक को पाती है और संसार में उत्तम पुरुष (साधुजन) सबको साध्वी (सदाचारिणी) कहते हैं ।

व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् ।

शृगालयोनिं चाप्नोति पापरोमैश्च पीड्यते ॥३०॥

(३०) अन्य पुरुष से भोग करने से (व्यभिचार से) स्त्री संसार में निन्दा के योग्य होती है और शृगाल (गीश्द) को प्राप्ति पाती है तथा पाप रोगों से पीड़ित व क्लेशित होती है ।

पुत्रं प्रतपुदितं सद्भिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः ।

विश्वजन्यामिमं पुरायमुपन्यासं निबोधत ॥३१॥

(३१) साधु (उत्तम) पूर्वज महर्षियों ने पुत्र के विषय में संसार के भले के हेतु जिस शुद्ध (पवित्र) धर्म को कक्षा है उसको कहते हैं ।

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैघं तु भर्तुरि ।

आहुरुत्पादकं केचिदपरे चात्रिसं विदुः ॥३२॥

(३२) पिता का पुत्र है ऐसा सब जानते हैं और पिछ के विषय में दो प्रकार के गुण हैं। कोई कहता है कि वीर्यवान् का पुत्र है तथा कोई कहता है कि लक्ष्मी (क्षेत्र) का पुत्र है।

क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान् ।

क्षेत्रबीजसमायोगात्संभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥

(३३) स्त्री क्षेत्र (लक्ष्मी) का पुत्र है और वीर्य पिता का रूप है, लक्ष्मी तथा वीर्य के संयोगसे सब शरीरधारियोंकी उत्पत्ति है

विशिष्टं कुत्रचिद्बीजं स्त्रीयोनिस्त्रेव कुत्रचित् ।

उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥

(३४) कहीं वीर्य विशिष्ट (उत्तम) हैं कहीं क्षेत्र (लक्ष्मी) विशिष्ट है जहाँ दोनों की समानता है वह सन्तान अति उत्तम है

बीजस्य चैव योन्त्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते ।

सर्वभूतप्रसूतिर्हि बीजलक्षणलक्षिता । ३५ ।

(३५) बीज और क्षेत्र (लक्ष्मी) दोनों में से बीज उत्कृष्ट है। सब जीवों की उत्पत्ति वीर्य के लक्षण से जानी जाती है।

यादृशं तृप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते ।

तादृयोदृति तत्तस्मिन्बीजं स्वैर्व्याञ्छितं गुणैः । ३६ ।

(३६) बीज रोपने के समय जैसा बीज खेत में रोपा (बोया) जाता है। वैसे ही अपने गुणों सहित उत्पन्न होता है।

इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते ।

नच योनिगुणान्कांश्चिद्बीजं पुण्यति पुष्टिषु । ३७ ।

(३७) जितने पञ्च भौतिक जीवधारी हैं उनकी उत्पत्ति का द्वार क्षेत्र (खेत लक्ष्मी) है, कोई वस्तु बोने तथा उपजने के

शुण के रिक्त बीज की कुछ परिपुष्टता नहीं करती है, अतएव बीज ही मुख्य तथा श्रेष्ठ है।

भूमावित्येकवेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः ।

नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥३८॥

(३८) खेत में किसान कृषि के समय गेहूँ आदि जैसा बीज बोता है वह अपने स्वभाव से भिन्न २ रूप का उपजता है पृथिवी तो एक ही रूप की है परन्तु बीज एक रूप का नहीं, अतएव बीज ही श्रेष्ठ है।

श्रीहयः शालयो मुद्गास्तिला मायास्तथा यवाः ।

यथा बीज प्ररोहन्ति लशुनानीक्षयस्तथा ॥ ३९ ॥

(३९) जैसे साठी, धान, मूँग, तिल, माप (उड़द), जौ, गेहूँ, ईस, बहसुन आदि बीज बोने के उपरान्त विभिन्न रूप में उपजते हैं।

अन्यदृष्टं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते ।

उप्यते यद्वि यद्वीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥

(४०) एक वस्तु को योग्य और दूसरी वस्तु उत्पन्न हुई ऐसा नहीं होता, वरन् जो बोते हैं वही उगता है।

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानयेदिना ।

आयुष्कामेन वप्तव्यं न ज्ञातु परयोपिति ॥ ४१ ॥

(४१) सहनशील, विनीत, बुद्धिमान, पूर्ण, ज्ञान-विज्ञान अर्थात् वेदशास्त्रों के ज्ञाना व दीर्घजीवी होने की अभिलाषा करने वाले जो पुत्र्य हैं वे परस्त्री में अपने बीज को न डालें।

अत्र गाथा याधुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ।

यथा बीज न वप्तव्यं पुंसां परपत्निग्रहे ॥ ४२ ॥

(४२) परस्त्री में वीज न डालना चाहिये इस पुराज्ञाता ऋषि का कहा हुआ वचन जो विशेष छन्द से सम्मिलित है वर्णन किया है, वरन् हमको व्यवहार में भी लाये हैं।

नश्यतीपूर्यथा विद्वः खे विद्वमनुविद्वध्यतः ।

तथा नश्यति वै चिप्रं वीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

(४३) किसी ने आकाश पर पत्नी का वाण मारा । दूसरे मनुष्य ने उसी पत्नी पर तीर मारा तो दूसरे पुरुष का तीर व्यर्थ गया क्योंकि आखेट तो प्रथम धनुर्धारी को मिलता है उसी तरह परस्त्री में वीज निष्कल जाता है अर्थात् जिसकी रुई उसी को सतान लाभ होता ।

पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्यदो विदुः ।

स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शब्यवतो मृगम् । ४४ ।

(४४) ऋषीर्षु में राजा पृथु ने इस पृथिवी को लिया कि बहुत से राजाओं ने लिया तो भी यह पृथिवी राजा पृथु ही कखी है, और उसने ऊँची नीची भूमि को सम किया उसी कखेत है, जिसने प्रथम तीर से मारा उसी का आखेट है, यह पूर्व कालज्ञाताओं ने कहा है ।

एतावानेन पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह ।

विप्राः ग्राहुस्तथा चैतद्यो मर्ता सा स्मृताङ्गता । ४५ ।

(४५) एक ही पुरुष नहीं होता वरन् अपना शरीर, एवं व सन्तान यह सब सम्मिलित होने से पुरुष कदाता है । ब्राह्मणों ने कहा है कि जो पति है वही स्त्री है ।

ॐ ४४ वा श्लोक सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि पुराण काल का इतिहास है ।

न निष्कृत्यविसर्गाभ्या भर्तुर्भार्या विमुच्यते ।

एव धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिमित्तम् ।४६।

(४६) स्त्री वचने व त्यागने से स्त्री के धर्म से प्रयत्न नहीं होती प्रथम ही श्री ब्रह्माजी ने यह धर्म की व्यवस्था की यह सब हम जानते हैं ऐसा मनुजी ने कहा है ।

सकृदशौ निपतित सकृत्कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येनानि सता सकृत् ॥ ४७ ॥

(४७) ऋशविभाग, कन्यादान, अन्यदान संपुस्त्य एक चार ही करते हैं, यदि दूसरी बार करे तो उनके चर्चों का विश्वास नहीं रहता क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा भंग हो जाती है वह भूठा है ।

यथा गोऽश्रोष्टदासीषु मर्द्विष्यन्नाविकासु च ।

नोत्पादकः प्रजाभागी तथैगान्याङ्गनास्त्रपि ॥४८॥

(४८) जिस प्रकार, गऊ घादा, ऊँट, दासी, भैंस, घरूरी, भेड़ इतम वच्चा उत्पन्न करने वाला वच्चे को नहीं पाता वैसे ही परस्त्री में सन्तान उत्पन्न करने वाला सन्तान का स्वामी नहीं होता ।

येऽक्षेत्रिणो वीजवन्तः परक्षेत्रप्रदायिणः ।

ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फल क्वचित् ।४९।

(४९) जो दूमरे के खेत में बीज बोते हैं वह उसके फल के स्वामी नहीं हो सकते वैसे ही परस्त्री में सन्तान उत्पन्न करने वाला सन्तान का स्वामी नहीं होता ।

यदन्यगोषु घृषभो वरताना जनयेच्छतम् ।

गोमिनामेव ने त्सा मोघ स्कन्धितमार्यभम् । ५०।

(५०) दूसरे की गऊ में अन्य का बैल बद्धा उत्पन्न करे तो गऊ का स्वामी उस बद्धे को पाता है और बैल का वीर्य निःफल जाता है ।

तथावाचेत्रिणो वीजं परक्षेत्रप्रवापिणः ।

कुर्वन्ति क्षत्रिणामर्थं न वीजी लभते फलम् ॥५१॥

(५१) इसी तरह दूसरो के खेत में बीज डालने वाला खेत के स्वामी का कार्य करता है और उसके फल से नहीं प्राप्त कर सकता ।

फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां वीजनां तथा ।

प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो वीजाहोनिर्गरीयमी ॥५२॥

(५२) इस स्त्री में जो उत्पन्न हो वह हमारा और तुम्हारा दोनों का हो, ऐसे विचार को हृदय में न रखकर जो उपन्न किया पुत्र क्षेत्र वाली का होता है, बीज से क्षेत्र श्रेष्ठ है ।

क्रियाभ्युपगमात्त्वेतद्वीजार्थं यत्प्रदीयते ।

तस्येह भागिनौ दृष्टवौ वीजी क्षेत्रिक एव च ॥५३॥

(५३) इस स्त्री में जो उत्पन्न हो वह हमारा और तुम्हारा दोनों का हो, ऐसा चिन्ता में ठान कर जो उत्पन्न किया उसके भागी बीज वाला और खेत वाला दोनों होते हैं ।

शोधयाताहृषं वीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोपति ।

क्षेत्रिकस्यैव तद्वीजं नवत्ता लभते फलम् ॥५४॥

(५४) बीज वायु से उड़कर जिसके खेत में पड़ा उसका फल खेत वाला ही पाता है, बीज वाला नहीं पाता ।

एष धर्मो गत्राश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च ।

विहंगमहिपीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति । ५५ ।

(५५) गऊ, घोड़ा, ऊँट, बकरी, भेड़, पत्नी, भंस, तथा दासी इनकी उपपत्ति म इसी धर्म को जानता ।

एतद्वः सारफल्गुत्वं वीजयोन्योः प्रकीर्तितम् ।

अतः पर प्रयत्नानि योषितां धर्मापदि । ५६ ।

(५६) भृगुजी कहते हैं कि आप लोग से बीज व क्षेत्र (स्त्रेत) की प्रेरता व अधमता को कहा अत्र तदुपरान्त स्त्रियां का आपद् धर्म कहते हैं ।

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्या गा गुरुपत्न्यानुजस्य सा ।

गर्वागसस्तु या भार्या स्तुया ज्येष्ठस्य सा स्मृता । ५७ ।

(५७) बड़े भ्राता की स्त्री छोटे भाई की गुरुपत्नी कहाती है और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई की पतोहू कहलाती है ज्येष्ठो यवीपसो भार्यायवीपान्नाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावग्यनापदि ॥५८॥

(५८) आपत्काल न हो और पिता आदि की आज्ञा से भी यदि बड़े भाई की स्त्री से छोटा भाई और छोटे भाई की स्त्री से बड़ा भाई भाग करे तो दोनों पतित होते हैं अर्थात् वर्णाश्रम की पदवी से गिर जाते हैं ।

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सतानस्य परिचये ॥५९॥

(५९) यदि सन्तान न हो तो अपने कुल के बृद्धा की आज्ञा लेकर पति कुल के सम्प्रधी या देवर से पुत्र अपन करे ।

विधयाग्रा नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्गतो निशि ।

एकमुत्पादयेत्पुत्र न द्वितीया रुथचन ॥६०॥

(६०) पिता की आज्ञा पाकर शरीर पर धी लगाकर

मूढ होकर विधवा स्त्री में पुत्र उत्पन्न करे और एक पुत्र के अतिरिक्त दूसरा कभी उत्पन्न न करे ।

द्वितीयमेके प्रजनं मन्गन्ते स्त्रीषु तद्विदः ।

अनिवृत्तं नियोगार्थं पर्यान्तो धर्मतस्तयोः ॥६१॥

(६१) बहुत से आचार्य विधवा स्त्री में दूसरी सन्तान को भी उचित जानते हैं और धर्म के अनुकूल समझते हैं, क्योंकि एक सन्तान कतिपय दशा में शून्य तुल्य होती है । परन्तु दूसरी सन्तान आदि के लियेभी कुल वृद्धों की आज्ञा की आवश्यकता है विधवायां नियोगार्थं निवृत्ते तु यथाविधि ।

गुरुश्च स्नुषाश्च वर्तेगातां परस्परम् ॥ ६२ ॥

(६२) जब गर्भस्थिति हो चुके तब बड़ा भाई गुरु समान और छोटे भाई की स्त्री पतोहू के समान इस तरह दोनों परस्पर रहें । परन्तु इस बात को उस समय जतना जब भाई की स्त्री में पिता आदि की आज्ञा हुई हो ।

नियुक्तौ यो विधिं हित्वा वर्तेयातां तु कामतः ।

तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागगुरुत्पगौ ॥६३॥

(६३) कुलके वृद्धों की आज्ञा से नियोग करने पर यदि कामाशक्ति से नियोग करे तो वह व्यभिचार में परिगणित है क्या कि नियोग केवल सन्तानोत्पत्ति के अर्थ है, विनय-भोग के हेतु नहीं । ऐसा मनुष्य गुरुवर्ती से व्यभिचार करने वाला कदाता है

नात्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।

अन्यस्मिन्निह नियुज्जाना धर्मं हन्युः सनातनम् ॥६४॥

(६४) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य देवर तथा मन्त्रन्धी को त्याग

कर अन्य से नियोग करने को आज्ञा न दें क्योंकि इससे वर्ण-
राकर सन्तान उत्पन्न होती है और धर्म का नाश होता है।

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते कश्चित् ।

ने विवाहविद्यावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥

(६५) विवाह के मन्त्र में नियोग का वर्णन नहीं और न
विधवा स्त्री के साथ भाग उचित है और जिस प्रकार विधवा
अपने वर्ण में स्थित है वैसे ही नियोग भी अपने वर्ण में होना
चाहिये, दूसरे वर्ण से विवाह और नियोग अयोग्य तथा
अनुचित है ।

अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मा विगर्हितः ।

मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति । ६६ ।

(६६) राजा वेन के राज्य में प्रत्येक वर्ण से विवाह और
नियोग की घोषणा की गई, चूंकि यह पशु तुल्य कार्य है--
यद्यपि राजा वेन ने इसे उचित समझा परन्तु ब्राह्मणों ने इसको
अनुचित बतलाया ।

स महोमखिलां भुञ्जन् राजर्षिवप्रः पुरा ।

वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः । ६७ ।

(६७) पूर्वकाल में राजर्षियों में भ्रष्ट राजा वेन ने जिसकी
बुद्धि कामासक्ति के कारण विगड़ गई थी, सारी पृथिवी का
स्वामी होकर वर्णों को संकर किया (मिलाया) ।

ततः प्रभृति यो मोहान्प्रमीतपतिको स्त्रियम् ।

नियोजयत्यरत्यार्थं तं विगर्हन्ति सांघवः । ६८ ।

(६८) उस दिन से जो मोहवश सन्तान की इच्छा से विध-
वा से भोग करने की आज्ञा देता है साधु लोग उसकी बुराई करते हैं ।

यस्या त्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः ।

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः । ६६ ।

(६६) विधवा स्त्री में पुत्रोत्पात्त व अनुत्पत्ति को वर्णन किया अब उसकी दूसरी अवस्था वर्णन करते हैं कि जिसे कन्या को देने का वचन दे चुके हैं यदि वह पुरुष कन्या के विवाह के पूर्ण नर जावे तो उसके सगे भाई उस का विवाह नीचे लिखी विधि से करें ।

यथाविध्यधिगम्यैनां शुकुलवस्त्रां शुचिव्रताम् ।

मिथो भजेतप्रिसवात्सकृत्सकृद्वतावृतौ ॥ ७० ॥

(७०) पवित्रता से व्रत करने वाली श्वेतवस्त्रधारिणी कन्या का विवाह शास्त्र की रीति अनुसार करके रजोदर्शन परचात् गर्भस्थिति होने वाली रातों में एक २ वार उस समय तक भोग न करे जब तक गर्भन स्थित हो जाय, उससे जो सन्तान होगी वह उसकी होगी जिसको वह क या वाम्दान पर प्रथम दी गई थी ।

न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः ।

दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्दि प्राप्नोति पुरुषनृतम् ॥ ७१ ॥

(७१) जिस कन्या को एक बार किसी को दे चुके हों तो उसको दूसरी बार किसी को न देना चाहिये, जो पुरुष देता है वह बहुत बड़ा पापी अर्थात् भूठा हो जाता है, फिर उसका विश्वास नहीं रहता, क्योंकि दी हुई वस्तु पर अधिकार नहीं होता

विधवत्प्रतिगृह्यापि व्यजेत्कन्यां विगहिताम् ।

व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम् ॥ ७२ ॥

(७२) घृणा योग्य, व्याधियुक्त, दुष्ट प्रकृति और छद्म वेपथु (कपटी) स्त्री का विवाह करके भी परित्याग करना चाहिये ।

की आज्ञा छः वर्ष पर्यन्त माने और कामार्थ (व्यापारादि) य
यशार्थ परदेश गये हुए स्वामी की आज्ञा तीन वर्ष पर्यन्त माने ॥
संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विपन्ती योपितं पतिः ।

ऊर्ध्वं संवत्सराच्चेना दायं हृत्वा न संवसेत् । ७७ ।

(७७) पुरुष एक वर्ष पर्यन्त लड़ाई भगड़ा व विवाद करने
वाली स्त्री की प्रतीक्षा करे, उसके पश्चात् भी यदि विवाद व
विग्रह करती रहे तो आभूषणादि धन जो दिया है उसको हरण
कर उससे भोग करना त्याग दे परन्तु भोजन वस्त्र दिये जावे ।

अतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा ।

सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छेदा । ७८ ।

(७८) प्रमत्त (जुआरी), मत्त (नशेवाज) रोगी पति का
अनादर जो स्त्री करती है उसको तीन मास पर्यन्त वस्त्र और
आभूषण न देना चाहिये ।

उन्मत्तं पतितं क्लीबमबीजं पापरोगिणम् ।

न त्यागोऽस्ति द्विपन्त्याश्च न च दायाप्रवर्तनम् । ७९ ।

(७९) उन्मत्त, वर्णाश्रम मे पतित, क्लीब (नपु सक) अबीज
अर्थात् किसी पाप रोग के कारण वीर्यहीन, पापरोगी ऐसे पति
से विग्रह करने वाली स्त्री को त्याग करना परन्तु उसका धन
अपहरण न करना ।

मद्यपोऽसाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत् ।

व्याधिता वाधिवेराख्या हिंस्रार्थघ्नी च सर्वदा ॥८०॥

॥ तदनन्तर क्या करना चाहिये इसका उल्लेख नारदस्मृति
मे मनुजी के मतानुसार आया है और इस स्थान पर भी ७४ वें
श्लोक से सम्युक्त कर पढ़ना चाहिये ।

(८०) मद्यपा (मद्य पीने वाली), साधुआ की सेवा न करने वाली, शत्रुता करने वाली, बहुत सी व्याधि वाली, घात करने वाली, नित्य घत अपव्यय व नारा करने वाली स्त्री होवे तो दूसरा विवाह करना चाहिये ।

वन्ध्याष्टमेऽधिप्रेद्यान्दे दशमे तु मृतप्रजा ।

एकादशे स्त्रीजननी मद्यस्वप्रियवादिनी । ८१ ।

(८१) (१) वध्या (राँव) स्त्री (२) मृतप्रजा (जिसकी सन्तान न जीती हो), कन्याजननी (पुत्री ही उत्पन्न करने वाली ऐसी स्त्री होने पर यथाक्रम आठवें, दशवें व (३) ग्यारहवें वर्ष दूसरा विवाह करना चाहिये और अप्रियवादिनी (कटुभाषिणी) स्त्री के ऊपर तो तुरन्त ही दूसरा विवाह करना चाहिये ।

या रोगिणी स्यात्तु हिंता संपन्ना चैव शीलत ।

सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च ऋर्हिचित् । ८२ ।

(८२) जो स्त्री रोगिणी हो परन्तु हितचितिका व शीलवती हो तो उसकी आज्ञा से दूसरा विवाह करना चाहिये, परन्तु उसकी अवमानना (अनादर) अभी भी न करनी चाहिये ।

अधिर्विन्ता तु या नारी निर्गच्छेद्रु पिता गृशत ।

सा सद्यसन्निरोद्धव्यां त्याज्या वा कुलमन्निर्घा । ८३ ।

(८३) जिस स्त्री पर पुरुष ने दूसरा विवाह किया वह स्त्री क्रोधित हो घर से निकल जाती तो उसको रोक कर घर में रखना व कुटुम्ब के समस्त त्याग करना चाहिये ।

प्रतिपिद्धारि चेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि ।

प्रेक्षासमाजगच्छेद्वा सा दद्वया कृष्णलानिपट् । ८४ ।

(८४) क्षत्रिय आदि की स्त्री, पति आदि से सुरक्षित हो और विवाहादि उत्सव के कार्यों में भी वर्जित वस्तु (मद्य आदि) पान करे अथवा जनसाधारण के समाज (नृत्य आदि) में चली जावे तो द्यः रत्ती सोना दण्ड देव ।

यदि स्याश्वापरारश्चैव विन्देरन्योऽपितो द्विजाः ।

तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्ठ्यं पूजा च वेश्मच । ८५ ।

(८५) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह सब अपने वर्ण की और अन्य वर्ण की स्त्रियों से पाणिग्रहण करें तो इन स्त्रियों की पदवी व ज्येष्ठता व घर यह सब चारों वर्ण क्रमानुसार उचित व योग्य होती हैं ।

भर्तुः शरीरशुश्रूषां धर्मं कायं च नैत्पिकम् ।

स्वा चैवं कुर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथंचन । ८६ ।

(८६) सब वर्ण में जो अपने वर्ण की स्त्री है वही पति की सेवा शुश्रूषा, तथा प्राचीन धर्म के कार्य करे, अन्य वर्ण की स्त्रियों न करे ।

यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयाऽन्यया ।

यथा ब्राह्मणश्चाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः । ८७ ।

(८७) जो पुरुष अपने वर्ण की स्त्री के अभाव में इन दोनों कार्यों को मोह वश अन्य जाति (वर्ण) की स्त्री से कराता है तो जैसा ब्राह्मणी में शूद्र से चाण्डाल उत्पन्न होता है वैसा ही वह है, यह ऋषियों ने कहा है ।

उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सहशाय च ।

अप्राप्तमपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि । ८८ ।

(८८) अपने कुल में अति उत्तम आचार्य, रूपवान् (सुन्दर)

सवर्ण का पुत्र (लड़का) मिले तब पुत्री छोटी भी हो अर्थात् विवाह योग्य न हुई तो भी उसका विवाह शास्त्र के अनुसार कर देना चाहिये ।

काममाभरणात्तिष्ठद्गृहे कन्यतु मृत्यपि ।

न चैवानां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् । ८६ ।

(८६) कन्या, राजखला होने के उपरान्त भी मरण पर्यंत घर

में रहे परन्तु उस कन्या को कभी गुणहीन पुरुष को न देवे ।

त्रीणि वर्षाण्युदीचेत् कुमायुतु भर्ता सती ।

ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत् सदृशं पतिम् । ८७ ।

(८७) राजखला कन्या तीन वर्ष पर्यंत उत्तम बरकी प्रतीक्षा

में रहे तपश्चान् अपने ही सदृश पति को प्राप्त हो ।

आदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद्यदि स्वयम् ।

नैनः किंचिदवाप्नोति न च पं साधिगच्छति । ८८ ।

(८८) पिता आदि विवाह न करते हों और कन्या स्वयं

घर को महण करे तो, इस कन्या व घर को दीप नहीं ।

अलंकारं नाददीत् पित्र्यं कन्या स्वयं वरा ।

मातृकं आतृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं इरेत् । ८९ ।

(८९) स्वयं (अपनी ओर से) पति को घरने वाली कन्या

माता, पिता, भ्राता आदि के दिये हुये आभूषण को न लेवे,

यदि लेवे तो चोर कहाती है ।

पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमती हरन् ।

स हि स्थान्यादतिक्रामेदंतूनां प्रतिरोधनात् । ९० ।

(९०) अनुमती (राजखला) कन्या से विवाह करने वाला

पति कन्या के पिता को कुछ शुल्क (अर्थात् पलटा, दक्षला) न

करना चाहिये जिसमें परस्पर वियोग न हो यह विधि केवल प्रेम और न्याय है ।

एष स्त्रीपुंसयोस्तो धर्मा वो रतिसहितः ।

आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभाग निबोधत ॥ १०३ ॥

(१०३) मनुजी ने स्त्री पुरुषों का धर्म पारस्परिक प्रेम विधियों सहित बणन करके आपत्तिकाल में नियोग द्वारा सतान उत्पन्न करने की विधिया को जतला कर अश विभाग को भी इस रीति पर घर्षण किया है ।

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम् ।

भजेरन्पैतृक रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥

(१०४) माता पिता की मृत्यु के उपरान्त सब मिलकर पैतृक सम्पत्ति के समान भाग करे माता पिता की जीवितावस्था में सब लड़के आसक्त हैं ।

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पितृव्यं धनमशेषतः ।

शेषास्तमुपजीवेय र्थैव पितर तथा ॥ १०५ ॥

(१०५) सारे पैतृक धन को बड़ा पुत्र ही लेवे और छोटा और ममला भाइ सब ज्येष्ठ भ्राता के आधीन रहें जिस

(१०७) जिसकी उत्पत्ति से पिता ऋण से मुक्त हो जाता है और मुक्ति पाता है वही पुत्र धर्मतः उत्पन्न हुआ है और सब कामाशक्ति से उत्पन्न हुये हैं, ऋषियों ने कहा है।

पितेव पालयेत्पुत्राज्ज्येष्ठो भ्रातृन्यवीपसः ।

पुत्रवच्चापि वर्तेज्ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ॥ १०८ ॥

(१०८) पिता की नाई बड़ा पुत्र सब भाइयों का पालन पोषणकरे और बड़े भाई के समीप सब छोटे भाई पुत्रकी नाई रहे
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः ।

ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिरगदितः । १०९ ।

(१०९) बड़ा पुत्र ही कुल वृद्धि करता है और नाश भी करता है, ससार में बड़े आदर के योग्य है, साधु लोगों ने उसकी सुराई नहीं की है।

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव स ।

अज्येष्ठवृत्तिर्घास्तु स्यात्स संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥ ११० ॥

(११०) जो ज्येष्ठता पाता है वह माता पिता के तुल्य है और जो ज्येष्ठता नहीं पाता वह भाई की नाई आदरणीय है।

एव सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया ।

पृथग्विबर्धते धर्मस्तस्माद्बर्था पृथक्क्रिया । १११ ।

(१११) इस विधि से सब एकत्र होकर रहें व धर्म करने की अभिलाषा से पृथक् रहें क्योंकि पृथक् रहने से धर्म में शुद्धि होती है अतएव पृथक् रहना धर्म में सम्मिलित है।

ज्येष्ठतरय विश उद्धार सर्वद्रव्याच्च यद्दरम् ।

ततोऽर्थं मध्यमस्य स्यात्तुरीगं तु गवीगसः । ११२ ।

(११२) सारी सम्पत्ति में से उत्तम द्रव्य और बीसवाँ

करना चाहिये जिसमें परस्पर वियोग न हो यह विधि केवल प्रेम और न्याय है ।

एष स्त्रीपुंसयोर्दत्तो धर्मो वो रतिसंहितः ।

आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोधत ॥ १०३ ॥

(१०३) मनुजी ने स्त्री पुरुषों का धर्म पारस्परिक प्रेम विधियों सहित वर्णन करके आपत्तिकाल में वियोग द्वारा सतान उत्पन्न करने की विधियों को जतला पर अंश विभाग को भी इस रीति पर वर्णन किया है ।

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य आतरः समम् ।

भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥

(१०४) माता पिता की मृत्यु के उपरान्त सब मिलकर पैतृक सम्पत्ति के समान भाग करें' माता पिता की जीवितावस्था में सब लड़के आसक्त हैं ।

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयारिपञ्च' धनमशेषतः ।

शेषास्तमुपजीवेय र्गर्धैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥

(१०५) सारे पैतृक धन को बड़ा पुत्र ही लेवे और छोटा और ममला भाई सब ज्येष्ठ भ्राता के आधीन रहें जिस प्रकार पिता के आधीन रहते हैं ।

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्रो भवति मानवः ।

पितृणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हति ॥ १०६ ॥

(१०६) ज्येष्ठ उत्पन्न होने के कारण मनुष्य पुत्रवान् कहलाता है और पितृ-श्रम से मुक्त हो जाता है, इससे बड़ा पुत्र सब धन लेने योग्य होता है ।

यस्मिन्नृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्नुते ।

स एव धर्मज्ञः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥

(१०७) जिसकी उत्पत्ति से पिता ऋण से मुक्त हो जाता है और मुक्ति पाता है वही पुत्र धर्मतः उत्पन्न हुआ है और सब कामाशक्ति से उत्पन्न हुये हैं, अपियों ने कहा है।

पितेव पालयेत्पुत्राञ्ज्येष्ठो धातृन्यवीयसः ।

पुत्रवच्चापि वर्तेज्ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ॥ १०८ ॥

(१०८) पिता की नाईं वड़ा पुत्र सब भाइयों का पालन पोषणकरे और बड़े भाई के समीप सब छोटे भाई पुत्रकी नाईं रहें

ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः ।

ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः । १०९ ।

(१०९) वड़ा पुत्र ही कुल वृद्धि करता है और नाश भी करता है, संसार में बड़े आदर के योग्य है, साधु लोगों ने उसकी घुराई नहीं की है।

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः ।

अज्येष्ठवृत्तिर्यास्तु स्यात्स संपूज्यस्तु वन्धुवत् ॥ ११० ॥

(११०) जो ज्येष्ठता पाता है वह माता पिता के तुल्य है और जो ज्येष्ठता नहीं पाता वह भाई की नाईं, आदरणीय है।

एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया ।

पृथग्विबर्धते धर्मस्तस्माद्भर्षा पृथक्क्रिया । १११ ।

(१११) इस विधि से सब एकत्र होकर रहें व धर्म करने की अभिलाषा से पृथक् रहें, क्योंकि पृथक् रहने से धर्म में वृद्धि होती है अतएव पृथक् रहना धर्म में सम्मिलित है।

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम् ।

ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु तृतीयसः । ११२ ।

(११२) सारी सम्पत्ति में से उत्तम द्रव्य और बीसवाँ

भाग बड़े को, इसका आधा अर्थात् चालीसवाँ भाग ममल्ले की और इसका आधा भाग छोटे को, शेष को समान भागों में बरु देना चाहिये ।

ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च मंहरेतां यथोदितम् ।

येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥११३॥

(११३) बड़े और छोटे को जैसा बड़ा है जैसा हो देना परन्तु ममल्ले भाई को धन भी मध्य अर्थात् आधा का देना चाहिये ।

सर्वेषां धनजातानामाददीताग्रयमग्रजः ।

यच्च सातिशयं किञ्चिदशतश्चाप्नुयाद्वरम् ॥११४॥

(११४) सारी सम्पत्ति में जो धन श्रेष्ठ है और सप्तान पदार्थों में जो धन उत्तम है, गऊ आदि पशुओं में प्रति दश में एक पशु इन दोनों वस्तुओं को बड़ा भाई लेवे । परन्तु इस प्रकार का विभाग इस समय जानना चाहिये, जब बड़ा भाई गुणवान् हो और अन्य भाई गुणहीन हो ।

उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वरुर्मासु ।

यत्किञ्चिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम् । ११५ ।

(११५) सब भाई अपने कर्म में सहाय्य हैं तो जो विभाग उपर वह आये है वह करना, वरन् ज्येष्ठ का आदर स्थित रखने को अर्थ कुछेक छोटी वस्तु अधिक देना ।

एवं समुद्धृतोद्दारे समानंशान्प्रकल्पयेत् ।

उद्दारेऽनुद्धते त्वेषामियं स्यादंशकल्पना ॥११६॥

(११६) इस भाँति बड़े पुत्र को उद्धार नाम भाग देकर शेष सम्पत्ति व धन के समान भाग करना और उक्त भाग न ले तो आगामी जो भाग स्थित व नियत करेंगे वह करे ।

एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः ।

अंशमंश यवीपांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥११७॥

(११७) बड़ा भ्राता दो भाग लेवे, मझला डेढ़ भाग लेवे, सबसे छोटा एक भाग लेवे, यह धर्म की व्यवस्था है ।

स्वेभ्योऽशोभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक् ।

स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्फुरदित्सवः ॥११८॥

(११८) सब भाई पृथक् २ अपने भाग का चतुर्थांश भगिनी को देवे, न देवे तो पतित होते हैं ।

अजाविकं सैकशफं न जातु विपमं भजेत् ।

आजाविकं तु विपमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥११९॥

(११९) धररी, भेड़ व खुर वाले (अर्धाम् बौदा आदि) यह सब विपम हों (अर्थात् चार भाई पाँच घोड़े हों) तो विपम का भाग न करना चाहिये-जो शेष है वह बड़ा लेवे ।

यवीपाञ्ज्येष्ठमार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१२०॥

(१२०) छोटा भाई भ्रातृजाया भाभी में पुत्र उत्पन्न करे तो उस पुत्र के साथ चचा लोग समान भाग विभक्त करें, उसको बड़े भ्राता के समान भाग न देवे यह धर्म व्यवस्था है ।

उपसर्जने प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते ।

पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मोऽथ तं भजेत् ॥ १२१ ॥

(१२१) अष्ट को अघम करना धर्म-विरुद्ध है; उपत्ति में पिता प्रधान (अष्ट) है अतः धर्मतः पिता की सेवा-शुभ्रूषा करे पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठार्यां कनिष्ठार्यां च पूज्यः ।

कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत् ॥१२२॥

(१२२) एक के दो स्त्रियाँ हो तथा लघु स्त्री से प्रथम पुत्र उत्पन्न हो और ज्येष्ठ पत्नी के पीछे जन्मे तो अब इस स्थान पर विभाग किस प्रकार करना चाहिये, ऐसी मंशयात्मक अवस्था में न्योय विधान को भविष्य में श्लोक कहेंगे ।

एकं वृषभमुद्धारं संहरेत् स पूर्वजः ।

ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥१२३॥

(१२३) एवम् विवाह से जो पुत्र पीछे उत्पन्न हुआ है वह एक अर्द्धा बैल उद्धार लेने और शेष भाई उस उत्तम बैल से छोटा बैल उद्धार लेने । माता के विवाह क्रम से पुत्र की ज्येष्ठता जानना चाहिये ।

ज्येष्ठन्तु जातो ज्येष्ठायां सरते वृषभपोडशाः ।

ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥१२४॥

(१२४) ज्येष्ठ स्त्री में प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो १५ गऊ और एक बैल लेवे तदनन्तर लघु पत्नी में जो पुत्र उत्पन्न हुये हैं वह अपनी माता के विवाह क्रम से ज्येष्ठता को पाकर सम्भवतः शेष गऊआ का भाग लेने ।

सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः ।

न मातृतो ज्यैष्ठ्यमस्ति जन्मतो ज्यैष्ठ्यमुच्यते ॥१२५॥

(१२५) अपने सदृश वर्ण की स्त्री से जितने पुत्र उत्पन्न हुये हैं उनमें माता के विवाह की गणना से ज्येष्ठता नहीं है वरन् उत्पत्ति की गणना ज्येष्ठता है ।

• जन्मज्यैष्ठेन चाद्धानं सुवृद्धारपारवपि स्मृतम् ।

यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥१२६॥

(१२६) ऐसा नहीं कि केवल अश विभाग ही में उत्पत्ति से

ज्येष्ठता ही वरन् विष्टोम यज्ञ मे इन्द्र को बुलाने के अर्थ स्व-
 ब्राह्मण्य नाम मन्त्र प्रयमोत्पन्न पुत्र के नाम से कहा जाता है
 कि अमुक बालक का पिता यज्ञ करता है ऐसा ऋषियों ने
 कहा। और जो दो यमज पुत्र एक साथ ही उत्पन्न होते हैं इस
 स्थान पर यद्यपि वीर्य से स्थापित गर्भस्थ बालक मथम
 उत्पन्न होगा तो भी जो प्रथम जन्मेगा वही ज्येष्ठ
 कहलावेगा।

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पत्रिकाम् ।

पदपत्यं भवेत्स्यां तन्मम स्यात्स्वधारुम् ॥१२७॥

(१२७) कन्यादान के समय जामाता (दामाद) से ऐसा
 परामर्श करे कि हमारे घर में पुत्र नहीं है उस पुत्रिका से जो
 प्रथम जन्मेगा वह हमारा श्राद्ध कर्म करने वाला हो इस प्रकार
 पुत्री के पुत्र को स्थानापन्न समझे।

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रोऽथ पुत्रिकाः ।

विष्टुर्ध्वर्ष्यं स्ववंशस्य स्वयं दत्तः प्रजापतिः ॥१२८॥

(१२८) पूर्ण समय में सन्तानोत्पत्ति के हेतु दत्त प्रजापति
 ने इसी प्रकार कन्या को पुत्र कर स्थानापन्न माना है।

ददी स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ।

सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ।१२९॥

(१२९) प्रसन्नता व आदर सहित दत्त प्रजापति ने दस
 कन्या धर्म को व तेरह कन्या कल्याण यपि को और चन्द्रमा को
 सत्ताईस कन्या दी।

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ।

तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥१३०॥

(१३०) अपनी आत्मा के समान पुत्र हैं और पुत्र समान कन्या है अतएव आत्मा समान कन्या उपस्थित होने पर किंठ प्रकार अन्य पुरुष धन को लेवे ।

मातुस्तु यौतुकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः ।

दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम् ॥ १३१ ॥

(१३१) माता की मृत्यु के उपरान्त उसका यौतुक नाम धन जिसका आगे वर्णन करेंगे उसकी कुमारी कन्या पाती है और जिसके पुत्र न हो उसका सब धन नाती ले अर्थात् पुत्री का पुत्र पाता है ।

दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत् ।

स एव दद्याद्द्वौ पिण्डो पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥

(१३२) जो मनुष्य पुत्र हीन हो उसका सारा धन नाती (दौहित्र) पावे और वह दो पिण्ड देवे एक पिता को और दूसरा अपने नाना को ।

पौत्रदौहित्रयोर्लोकं न विशेषोऽस्ति धर्मतः ।

तयोर्हि मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥ १३३ ॥

(१३३) संसार में पौत्र और दौहित्र अर्थात् पोता और नाती में कोई विशेष अन्तर नहीं है दोनों एक समान हैं क्योंकि एक के पिता की और एक के माता की उत्पत्ति एक ही से है ।

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥ १३४ ॥

(१३४) पुत्रहीन पुरुष के पुत्रिका करने पश्चात् अर्थात् पुत्र को पुत्र का स्थानापन्न मान लेने के अनन्तर यदि पुत्र उद्भूत हो तो उस स्थान पर उस पुत्री के साथ पुत्र का स

भाग होता है, क्योंकि स्त्रियाँ को ज्येष्ठता नहीं है इससे ज्येष्ठतास न पावेगी ।

अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथंचन ।

धनं तस्पुत्रिकामर्ता हरेतैवाऽविचारयन् ॥ १३५ ॥

(१३५) यदि पुत्रिका से पुत्र उत्पन्न नहुँदा और पुत्रिका मर जाये तो उसके मरने के पश्चात् उसका पति उसके धन को लेवे इससे कुछ विचार न करे ।

अकृता वोकृता वापि य विन्देत्सदृशां सुताम् ।

पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

(१३६) पुत्री को पुत्रिका करके माना हो वा न माना हो परन्तु वह पुत्री अपने सदृश वर्ण के पति से पुत्र उत्पन्न करती है तो वह पुत्र निस्सन्तान नाना के धन सम्पत्ति को लेवे और नाना का पिण्ड देवे उसके कारण नाना पुत्रवान कहलाता है ।

पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणान्त्यमरतुते ।

अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम् । १३७ ।

(१३७) पुत्र के द्वारा इद्रलोक आदि को जीतता है और पौत्र के द्वारा अन्त फल को पाता है और प्रपौत्र (परपोता) के द्वारासूर्यलोक को पाता है ।

पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितर सुतः ।

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमे स्वयंभुरा ॥ १३८ ॥

(१३८) पुन्नाम नरक का है उसके अर्थ रक्षा करने वाले के हैं क्योंकि पुत्र पिता को नरक से रक्षा करता है इस कारण से पुत्र कहाता है इस बात को श्री ब्रह्माजी ने कहा है ।

पौत्रदौहित्रयौर्लोकं विशेषो नोपपद्यते ।

दौहित्रोपि ह्यमुश्चैनं संतारयति पौत्रवत् ॥१३६॥

(१३६) संसार में पोता और नाती दोनों एक समान हैं । नाती भी नाना को परलोक में पोते की नाई मुक्ति दिलाता है।

मातुः प्रथमतः पिण्ड निर्वपेत्पुत्रिकासुतः ।

द्वितीयं तु पितुस्त्वस्यात्तृतीयं तत्पितुः पितुः ।१४०।

(१४०) पुत्रिका का यह पुत्र पहिला पिण्ड माता को देवे दूसरा पिण्ड नाना को और तीसरा पिण्ड बाप को देवे ।

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रौ यस्य तु दत्तमः ।

स हरेत्तैव तद्विषयं संप्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ।१४१।

(१४१) दूसरे गोत्र से भी पुत्र आया हो और सर्वगुण सम्पन्न हो तो जिसका वह दत्तक हुआ है उसकी सारी सम्पत्ति धन भी पाता है ।

गोत्ररिक्त्ये जनयितुर्न हरेद्दत्तमः कश्चित् ।

गोत्ररिक्त्यानुगः पिण्डो व्यपैति दत्ततः स्वधा ।१४२।

(१४२) व्यक्तिकर्ताके गोत्र और धन सम्पत्ति को दत्तक पुत्र नहीं पाता, वरन् जिसका दत्तक पुत्र हुआ है उसके गोत्र तथा धन सम्पत्ति को पाता है और उसी को पिण्ड देता है, जिससे उत्पन्न हुआ है उसको पिण्ड नहीं देता ।

अनिपुक्तसुतश्चैव पुत्रिण्यासुश्च देवरात् ।

उभौ तौ नार्हतौ मार्गं जारजातरूक्तामजौ ।१४३।

(१४३) विधवा स्त्री ने पिता आदि की आज्ञा के बिना देवर आदि से जो पुत्र उत्पन्न किया और किसी स्त्री ने पुत्रकी अनुपस्थिति में ससुर आदि की आज्ञा से देवर आदि से पुत्र

उत्पन्न किया वह दोनों प्रकार के लड़के भाग नहीं पाते क्योंकि पहला पुत्र दूसरे पति से उत्पन्न हुआ है।

नियुक्तायामपि पुमान्नार्या जातोऽविधानतः ।

नैवार्हः पैतृकं रिक्तं पतितोत्पादितो हि सः । १४४।

(१४४) ससुर आदि के आज्ञानुसार ही अनुचित रीति से पुत्र उत्पन्न करें तो वह पुत्र पिता के धन को नहीं पाता, क्यों कि वह X पतित से उत्पन्न हुआ है।

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो ययौरस ।

चेत्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मत प्रसवश्च स । १४५।

(१४५) जो पुत्र नियोग द्वारा उत्पन्न हुआ हो वह सत्य पुत्र से अर्थात् विवाह द्वारा उत्पन्न सन्तान के समान भागों का भागी है क्योंकि वह वास्तविक स्वामी अर्थात् चेत्र वाले का बीज है और धर्मत उत्पन्न हुआ है।

धनं यो विभृयाद्भ्रातृमृतस्य स्त्रियमेव च ।

सोऽपत्यं भ्रातुरुपाद्यदद्यात्तस्यैव तद्धनम् । १४६ ।

(१४६) मृत भाई की स्त्री से नियोग करके पुत्र उत्पन्न करे और भ्राता का सारा धन उस पुत्र को देवे।

या नियुक्ताऽन्नात् पुत्र देवराद्वाऽगवाप्नुगात् ।

तं कामजमऽरिस्थीग वृथोत्पन्नं प्रचक्षते । १४७।

(१४७) ऋषी ससुर आदिकी आज्ञानुसार देवर या सपिरड

X पतित उसको कहते हैं कि जो अपने व्यभिचार के कारण वर्ण की पदवी से गिर गया है।

१४७ वें श्लोक से जो काम से उत्पन्न होने वाले पुत्र को पैत्रिक धनका न मिलना लिखा है वहाँ काम से उत्पन्न होने से

अर्थात् सम्बन्धो से पुत्र उत्पन्न करे। कामाशक्ति से उत्पन्न पुत्र पैतृक धन का उत्तराधिकारी नहीं। यह ऋषि लोग कहते हैं।

एतिद्विधातं विशेषं विभागस्यैकयोनिषु।

ब्रह्मीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥ १४८ ॥

(१४८) यदि कोई पुरुष अपने सदरा वर्ण की कई स्त्रियों से विवाह करे तो अश विभाग की विधि उपरान्त कथानुसार ही जाने। यदि भिन्न २ वर्णों की स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न हो तो पैतृक धन का विभाग निम्नलिखित रीति पर करे।

ब्राह्मणभ्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः।

तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं स्मृतो विधिः। १४९।

(१४९) कृमानुसार चारों वर्णों की स्त्रियों जब ब्राह्मण के घर में हों और उन स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न हो उनके अश विभाग को आगे वहेगे।

कीनाशो गोवृषो यानमलंकारण्य चैग्रम च।

विप्रस्यौद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १५० ॥

(१५०) प्रत्येक द्रव्य तथा घोड़ा, साँड़, रथ आदि सवारी, उत्तम आभूषण व वस्त्र म जो सर्वोत्तम हो उनमें से एक २ वातु ब्राह्मणों के पुत्र को देकर शेष को निम्नलिखित विधि से विभक्त करे।

अथ श दायद्वरेद्विप्रो द्वावंशौ क्षत्रियासुतः।

द्वैश्याश्च सार्धमेकांशमश शूद्रासुतो हरेत् ॥ १५१ ॥

यह तात्पर्य है कि विपय भोग की इच्छासे भोग किया जाये और सत्तानोत्पन्न करने का विचार ध्यान में न लाकर केवल इन्द्रिय वृत्ति के प्राप्ति करने को रीतियों कार्यरूप में परिणत की जाये।

★ (१५१) ब्रह्माजी के पुत्र को तीन भाग, क्षत्रिणी के पुत्र को दो भाग वैश्य के पुत्र को डेढ़ भाग और शूद्रा के पुत्र को एक भाग मिलना चाहिये अर्थात् ६-४-३-२ की निसवत होनी चाहिये सर्वे वा रिक्थजातं तद्दराधा परिरुज्य च ।

धर्म्यं विभाग कुर्वीत विधिनान्नेन धर्मवित् ॥१५२॥

(१५२) अथवा जो विधि आगे कहेंगे उसके अनुसार धर्म ज्ञाता पुरुष सारी सम्पत्ति को इस भागों में विभाजित करके धर्मानुसार अरा विभाग करें ।

चतुरोऽशान्दरे द्वप्रस्त्रीर्नशान्दत्रियासुतः ।

वैश्यपुत्रो हरेद्द्वयंशमश शूद्र सुतो हरेत् ॥ १५३ ॥

★ (१५३) ब्रह्माजी का पुत्र चार भाग क्षत्रिय का पुत्र तीन भाग वैश्य का पुत्र दो भाग और शूद्रा का एक भाग लेवे ।

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् ।

नाधिकं दद्याद्दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५४ ॥

(१५४) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों की कियों न ब्राह्मणी से पुत्र उत्पन्न हुआ हो परन्तु धर्मतः शूद्रा के पुत्र को दस मास में अधिक न देवे ।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् ।

यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धन भवेत् । १५५ ।

(१५५) ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के धन हो शूद्रा का पुत्र नहीं ले सकता उसका पिता जो कुछ देवे वही उसका धन है ।

समवर्णसु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम् ।

उद्धार ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम् ॥ १५६॥

(१५६) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पुत्र जो समवर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुये हों । वह बड़े को उद्धार नाम का स्वत्व देकर शेष को समान भागों में विभक्त कर लें ।

शूद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्या विधीयते ।

तस्या जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत् ॥१५७॥

(१५७) शूद्र के लिये केवल अपने वर्ण की स्त्री है अन्य वर्ण की नहीं है इसी लिये यद्यपि सौ पुत्र होयें तो भी बराबर भाग पाते हैं ।

पुत्रान्द्वादश यानाह नृणां स्वागं भुवो मनुः ।

तेषां षड्वन्धुदायादाः षड्दायादवान्धवाः ॥१५८॥

(१५८) ब्रह्माजी के पुत्र मनुजी ने मनुष्यों के जो बारह प्रकार के पुत्र कहे हैं उनमें से प्रथम के छः बन्धु और दायाद कहलाते हैं, और अन्य के छः इसके प्रतिकूल हैं, अर्थात् न बन्धु हैं और न पैतृक धन भागी हैं ।

औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च ।

गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा वान्धवाश्च षट् ॥१५९॥

(१५९) वह बारह यह हैं औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोत्पन्न, आपाबद्ध, यह छः बान्धव वा दायाद कहलाते हैं ।

कानीनश्च सहोदश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा ।

स्वयंदत्तरश्च शूद्रश्च षड्दायादवान्धवाः ॥ १६० ॥

(१६०) कानीन, सहोद, क्रीत, पौनर्भव, स्वयम् दत्त, शूद्र यह छः अदायाद बन्धु कहलाते हैं जिनको पैतृक धन का स्वत्व प्राप्त नहीं ।

६ पादशं फलमाप्नोति कुप्लवै संतरञ्जलम् ।

तादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रै संतरंस्तम । १६१ ।

(१६१) तिकृष्ट नाव पार चढ़ कर नदी के पर होने वाला जैसे फल को प्राप्त होता है वैसा ही कुरुन कुपुत्र से वृद्धावस्था में दोषा से बचने के समय प्राप्त होता है ।

यद्येकरिकथनौ स्यातामौरसद्वेजो सुतौ ।

रास्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद्गृहीत नेतर ॥ १६२ ॥

(१६२) जिस पुरुष का वीर्य रोग आदि के कारण क्षीण हो गया है उसकी स्त्री में निरसन्तान देवर ने पिता आदि की आज्ञा से पुत्र उत्पन्न किया तत्पश्चात् औपधोषचारादि से वीर्य भी पद्धता होकर उस पुरुष ने अपनी स्त्री से पुत्र-उत्पन्न किया तब उसके धनके उत्तराधिकारी क्षेत्रज और औरस नाम के दो पुत्र हुये इस पर मनुजी कहते हैं कि जिसके वीर्य से जो उत्पन्न हुआ हो वह उसके धन को पावे आर्यात् क्षेत्र को उस दशा में अपने माता पिता का भाग मिले और जिसकी स्त्री में त्रियोग द्वारा उत्पन्न हुआ है उसको भाग न मिले ।

एक एवौरस-पुत्रं पित्र्यस्य वसुनं प्रभु ।

शेषाणामानृशंस्यार्थं प्रदद्यात्तु प्रजीवनम् । १६३ ।

(१६३) एक ही और से नाम-पुत्र अपने पिता की सारी सम्पत्ति का स्वामी है वह अन्य भ्राताओं को दया से भोजन व वस्त्र देवे ।

दृष्टं तु क्षेत्रजस्थांशं प्रदद्यात्पैतृकादूनात् ।

औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥

(१६४) पिता आदि की आज्ञा से सन्तान उत्पन्न करने वाला पुत्र-प्राप्त हो तो क्षेत्रज व औरस दोनों पुत्र अपने पिता के धन

- के ६ भाग वा ५ भाग करें एक भाग को क्षेत्रज लेवे शेष घन को औरस लेवे । यदि क्षेत्रज गुणवान हो तो घन के ५ भाग करना चाहिये और यदि गुणहीन हो तो ६ भाग करना चाहिये ।

औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ ।

दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ॥ १६५ ॥

(१६५) क्षेत्रज तथा औरस यह दोनों पिता के घन को ले सकते हैं शेष जो दश पुत्र हैं वह गोत्र तथा घन दोनों को तथा क्रम लेने वाले हैं ।

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्दि यम् ।

तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम् ॥ १६६ ॥

(१६६) जो पुत्र अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो वह औरस नाम पुत्र कहाता है और सब पुत्रों से श्रेष्ठ है ।

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्लीवस्य व्याधित्स्य वा ।

स्वधर्मेश नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ॥ १६७ ॥

(१६७) जो सन्तान क्लीव (नपुंसक) व्याधि रोगी और स्मृतक की स्त्री से शास्त्र की आह्वानुसार नियोग द्वारा उत्पन्न की जातो है वह क्षेत्रज सन्तान उस स्त्री कुल की कहलाती है ।

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि ।

सदृशं प्रीतसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्तिमः सुतः ॥ १६८ ॥

(१६८) जब माता पिता आपत्ति काल में अपने सदृश वर्ष की स्त्री से उत्पन्न लड़के को अपने सजातीय को प्रीतवश दे दे तो यह दत्तक पुत्र कहलाता है ।

सदृशं तु प्रकुर्षाद्यं गुणदोषविचक्षणम् ।
पुत्रं पुनर्गुणैर्मुक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिम ॥ १६६ ॥

(१६६) जो अपने बर्ण बाला और गुण दोषों के जानने में विद्वान् तथा बेटे के गुणों के अनुसार कृत्रिम नाम वाला पुत्र समझना चाहिये ।

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः ।

स गृहे गूढ उत्पद्यस्तस्य स्याद्यस्य तन्पुत्रः । १७० ॥

(१७०) घर में उत्पन्न हुआ परन्तु यह नहीं मात है कि किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ तो जिसकी स्त्री से जन्मा है उसका गूढोत्पन्न नाम कहाता है ।

मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तपोरन्यतरणं वा ।

य पुत्र परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥

(१७१) माता पिता दोनों ने अवधा एक ने जिस पुत्र का परित्याग कर दिया उस पुत्र को दूसरे ने अपना पुत्र बनाया तो यह पुत्र लेने वाले का अपवित्र नाम पुत्र कहाता है ।

पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्ब्रह्मः ।

त कानीन बदेज्जाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम् ॥१७२॥

(१७२) ❀ बिना विवाह हुये कन्या ने पिता ही के घर पर पुत्र उत्पन्न किया सब उस कन्या से पाणिग्रहण करने वाले पुरुष का कानीन नाम पुत्र कहाता है ।

❀ १७२ श्लोक में जिस कानीन पुत्र का बर्णन है वह पैतृक धर्म का उत्तराधिकारी नहीं है वह १६० वें श्लोक में बतला चुके हैं क्योंकि यह अनुचिन पुत्र है और धर्म विरुद्ध समझना चाहिये ।

या गभिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती ।

घोटुः स गर्भो भवति सहोद इति चोच्यते ॥१७३॥

(१७३) × यदि कोई कन्या गर्भवती हो चाहे चाहे लोग जानते हों वा न जानते हों तत्पश्चात् उसका विवाह हो जाये और विवाहोपरान्त उस गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो तो वह पुत्र पाणिप्रदण करने वाले का सहोद नाम पुत्र कहलाता है ।

क्रीणीयाद्यस्तपत्यार्थं मातांपित्रौर्यमन्तिक्रात् ।

स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥१७४॥

(१७४) जब माता पिता किसी लड़के की पुत्र बनाने की इच्छा से धन देकर मोल लेवें चाहे उस लड़के का पिता उसका समवर्ण समगुणी हो वा न हो तो वह लड़का मोल लेने वाले क क्रीत नाम (अर्थात् मोल लिया हुआ-) पुत्र कहलाता है ।

या पत्यां वा परित्यक्ता विधवा स्वयेच्छया ।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते । १७५ ।

(१७५) जो स्त्री पति से परित्यक्त की गई हो वह अथवा विधवा अपनी इच्छा से दूसरे की पत्नी होकर उस मनुष्य से पुत्रोत्पन्न करे वह पुत्र उत्पन्न करने वाले का पौनर्भव नाम कहलाता है ।

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति । १७६ ।

× १७३ वें श्लोक में जो सहोद नाम पुत्र कहा है वह भ १६० वें श्लोक के अनुसार अनुचित सूत्र हैं और पैतृक धन का उत्तराधिकारी नहीं है ।

(१७६) ❀ अज्ञत योनि स्त्री अर्थात् जिस स्त्री का विवाह तो हो गया है परन्तु उनसे भोग नहीं हुआ है दूसरे पति की शरण में जावे तो वह पुनः विवाह करने योग्य होती है अथवा कुमार पति को परित्याग कर दूसरे पति की शरण लेकर यदि भोग से बची रही हो और फिर कुमार पति की शरण में आवे तो उसके साथ फिर विवाह करना चाहिये ।

मातापितृविहीनो यत्पत्नो वा स्वादकारणात् ।

आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयदत्तस्तु न स्मृतः ॥१७७॥

(१७७) माता पिता ने अकारण जिस पुत्र को परित्याग कर दिया हो अथवा जिसके माता पिता मर गये हों वह पुत्र अपने आप को दे देवे तो वह उस पुत्र का स्वयं दत्त नाम पुत्र कहलाता है ।

य ब्राह्मणस्तु शूद्राया कामादुत्पादयेत्सुतम् ।

स पारयन्तेऽशयस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥१७८॥

(१७८) काम बश वा प्रेमबश होकर विवाह की हुई शूद्रा स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जीवित ही मृतक समान है इससे वह पुत्र ब्राह्मण का शूद्र अथवा परासव नाम पुत्र कहलाता है ।

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्तु सुतो भवेत् ।

सीऽनुज्ञातो हरेदशमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१७९॥

(१७९) दासी अथवा दासी की दासी में शूद्र से जो पुत्र

❀१७६ के श्लोक में मनुजीने इसको स्पष्ट कर दिया है कि पारिव्रह्मण होते ही बिना भोग किए पति मर जावे तो उस स्त्रीका दूसरे वार विवाह करना उचित है । और यह स्त्री अज्ञतयोनि कहलाती है ।

हुआ है वह पिता के आदेश से भाग पा सकता है यह धर्मानुकूल है ।

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान ।

पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिण । १८० ।

(१८०) जो ग्यारह प्रकार के पुत्र क्षेत्रज आदि हैं उनको पण्डितोंने कुल व वर्ण नाश न होने के कारण पुत्र मान लिया है ।

य एतेऽभिहिता पुत्राः प्रसङ्गादप्यपीजजा ।

यस्य ते वीजतां जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥१८१॥

(१८१) अन्य के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न हुये कहे हैं वह सब औरस नाम पुत्र के अभाव में हैं अन्य या जो जिसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है उसी का पुत्र कहलाता है दूसरे का नहीं ।

भ्रातृणामेकजातानामेकञ्चेत्पुत्रवान्भवेत् ।

भर्थास्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणी मनुस्त्रयीत् । १८२ ।

(१८२) एक पिता से उत्पन्न चार या पाँच भ्राताओं में एक भ्राता भी पुत्रवान हो तो उसके होने से सब भ्राता पुत्रवान कहलाते हैं यह मनुजी ने कहा है ।

सर्वा सामेकपत्नीनामेका चत्पुत्रिणी भवेत् ।

सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मुः ॥१८३॥

(१८३) यदि एक पुरुष के चार या पाँच स्त्रियाँ हों और उनमें एक पुत्रवती हो तो शेष स्त्रियाँ भी पुत्रवती होती हैं वह मनुजी की आज्ञा है ।

श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान्निक्थमर्हति ।

यद्वक्त्रेत् सदृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥१८४॥

(१८४) वारह प्रकार के पुत्रों में पूर्व पूर्व के अभाव में उत्तर उत्तर (दूसरे दूसरे) के पुत्र धन को पाते हैं यदि बहुत पुत्र एक सदृश हों तो धन भी एक सदृश पाते हैं ।

न भ्रातरौ न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ।

पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥

(१८५) माता व पिता धन को नहीं पाते पुत्र ही धन है पुत्र अभाव में माता व भ्राता धन को पाते हैं ।

त्रयाणामुदके कार्यं त्रिषु पिएडः प्रवर्तते ।

चतुर्थः संग्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥

(१८६) पिता पितामह (दादा) तथा प्रपितामह (परदादा) यह तीनों वृद्ध श्राद्ध अधिकारी हैं और चौथा देने वाला प्रपौत्र (परपोता) है पाँचवा कोई नहीं । इससे स्पष्ट प्रकट है कि मनुजी की नीति के अनुसार तो यही पितृ जीवित रह सकते हैं ।

अनन्तरः सपिएडाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत् ।

अत ऊर्ध्वं संकुच्यः स्पादाचार्यः शिष्य एव वा । १८७ ।

(१८७) सपिएड अर्थात् सात पीढ़ी में जो मृतक का समधी हो वह धन को पाता है यदि सपिएड न हो तो साठ पीढ़ी के ऊपर संतान धन को पाती है, यदि वह भी न हो तो आचार्य धन को पाता है, यदि आचार्य भी न हो तो शिष्य धन को पाता है ।

सर्वेषामप्यभागे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः

शैचिद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते । १८८ ।

(१८८) यह सब न हों तो वेदपाठो जितेन्द्रि पुत्रवान् ब्राह्मण लोग धन पाते हैं इस रीति से धर्म का नाश नहीं होता ।

१ अहायं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थिति ।

१ इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥ १८६ ॥

(१८६) निः सन्तान ब्राह्मण के धन को राजा कभी न लेवे और अन्य वर्णों के धन पर उपरोक्त उत्तराधिकारियों के अभाव में राजा का स्वत्व है ।

१ संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ।

तत्र यद्रिवथजातं स्यात्तच्चस्मिन्प्रतिपादयेत् ॥ १८७ ॥

(१८७) निः सन्तान की मृत्यु के उपरान्त उसकी स्त्री सुसर आदि की आज्ञानुसार अपने सगोत्री मनुष्य से पुत्रोत्पन्न करे तो उस पुत्र को सब धन दे देवे ।

१११ द्वौ तु यौ विवदेयांतां द्वाभ्यां जातौ स्त्रियां धने ।

११२ तयोर्पितृस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः ॥ १८१ ॥

(१८१) एक स्त्री के दो पुरुषों से दो पुत्र उत्पन्न हों और माता के धन के हित विवाद करते हों तो जिसके पिता ने जो धन उस स्त्री को दिया हो वह धन वही पावे ।

१० जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः ।

१११ भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ १८२ ॥

(१८२) माता की मृत्यु के उपरान्त सब सहोदर (सगे) भ्रातृ और पुमारो भगिनि समान भाग करके माता का धन विभक्त कर लेंगे ।

यास्तासां स्युदुहितरस्तासामपि यथार्हतः ।

१२ मातासंज्ञा घनार्त्तिकचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ १८३ ॥

(१८३) माता के धन को पुत्री पावे और पुत्री के पुत्रको भी कुछ धन प्रीति के कारण देना चाहिये ।

अध्यग्न्यध्यावाहनिं दत्तं च प्रतिकर्मणि ।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विध स्त्रीधनं स्मृतम् ॥ १६४ ॥

(१६४) पाणिप्रहण के समय अग्नि के समस्त पिता आदि ने तो धन आदि दिया हो, और विदा के समय जो धन आदि दिया जाता है, व प्रसूता पूर्वक जो पति देता, भ्राता ने जो दिया हो वेता ने जो दिया हो माता ने जो दिया यह छ प्रकार के धन स्त्रियों ने स्त्री धन वर्णन किये हैं ।

अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत् ।

पत्यौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्गनं भवेत् ॥ १६५ ॥

(१६५) जो धन प्रसूता पूर्वक पति ने दिया हो तथा पति ही मृत्यु के पारान्त जो धन उसके कुल से मिला हो इन दोनों प्रकार के धनों के माता पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्र उत्तराधिकारी होते हैं ।

ब्राह्म दैवार्पणान्धर्वप्राजापत्येषु षड्गणेषु ।

अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तद्विष्यते ॥ १६६ ॥

(१६६) १ ब्राह्मण, २ दैव, ३ अर्पण, ४-गान्धर्व, ५-प्राजापत्य इन पाँच प्रकार के विवाह में जो धन स्त्री को मिला हो तो उस स्त्री के निःसतान मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसका पति जाता है ।

युच्यस्या स्याद्गनं दत्तं निगहेष्यासुरादिषु ।

अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तद्विष्यते ॥ १६७ ॥

(१६७) × असुर, पिशाच और राक्षस इन तीन प्रकार के विवाह में जो धन स्त्री को मिला हो वो उस स्त्री के निःसन्तान मृत्यु हो जाने के परचात्, उसके माता पिता उस धन को पाते हैं पति नहीं पाता ।

स्त्रियां तु गद्गवेद्विचं पित्रा दत्तं कथंचन ।

ब्राह्मणी तद्वरेत्कन्या तदपत्यास्य वा भवेत् । १६८ ।

(१६८) ब्राह्मण के घर में चारों वर्णों की विवाहित स्त्रियाँ हों उनमें ब्राह्मणी कन्या रखती हो और अन्य वर्णों की स्त्रियाँ निःसन्तान रिधवा हों और उनको किसी प्रकार पिता ने धन दिया हो तो उस धन को उन स्त्रियों की मृत्यु के उपरान्त ब्राह्मणी की कन्या पावे यदि कन्या न हो तो कन्या का पुत्र पावे ।

न निर्हारं स्त्रियः कुयुः कुडुम्बाच्चहुमभ्योगात् ।

स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वसा भर्तुर्नाजगा । १६९ ।

(१६९) भाई आदि कुटुम्बियों का जो साधारण धन है उसको स्त्री आदि आभूषण बनवाने को न लेवे और पति की आज्ञा के बिना पति के दिये हुये धन को भी न लेवे । इससे यह सिद्ध हुआ कि यह स्त्रियों के धन नहीं हैं

पत्नी जीवति यः स्त्रीभिरलङ्कारो धृतो भवेत् ।

न तं भजेरन्दायादा भजमाना पतन्ति ते ॥२००॥

(२००) जो अलङ्कार पति की जीवितावस्था में स्त्री के धारण (पहिरा) किया हो । यदि उत्तराधिकारी लोग उसको विभक्त करे तो वह सब धर्म के विरुद्ध करते हैं क्योंकि वह स्त्री धन है ।

× १६७ वें श्लोकसे स्पष्ट प्रगट होता है कि यह तीन प्रकार के विवाह अनुचित है क्योंकि इसमें स्त्री को पति का अर्धाङ्ग नहीं माना गया है । अन्यथा पति की उपस्थिति में अन्ध का स्वयंन होता

अर्नशौ क्लीवपतितो जात्यन्धवधिरी तथा ।

उन्मत्तजड़मूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥२०१॥

(२०१) क्लीव (नपुंसक), पतित, जन्म अन्धा, बहिरा, न्याधि आदि से उत्पन्न हुआ, उन्मत्त, जड़ मूक (गूँगा) वा किसी अङ्ग वा इन्द्रिय हीन, जो ऐसे पुरुष हैं वह भाग नहीं पाते ।

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा ।

ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥ २०२ ॥

(२०२) २०१ वें श्लोक में बर्णित पुरुषों में से प्रत्येक का भाग लेने वाला भोजन व वस्त्र जीवन पर्यन्त देवे यदि न देवे तो सर्वथा पापी होता है ।

पद्यथिता तु दारैः स्यात्क्लीवादीनां कथंचन ।

तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति ॥ २०३ ॥

(२०३) क्लीव आदि को विवाह करने की इच्छा हो तो विवाह करके योग्यतानुसार उस स्त्री में पुत्रोत्पन्न कराके उस पुत्र को भाग देवे ।

यत्किञ्चित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिमच्छति ।

भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥२०४॥

(२०४) पिता की मृत्यु के उपरान्त बड़े भाई ने पैतृक धन विभक्त होने से पूर्व कुछ धन एकत्र किया तो उसमें से सब छोटे भाई पावे यदि वे विद्वान हों ।

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातरचेद्दनं भवेत् ।

तमस्रत विभागः स्यादपिञ्च इति धारणा ॥२०५॥

(२०५) सब मूर्ख भाईयों ने परिभ्रम से धन संचित किया हों

तो उसमें समान भाग करना चाहिये । वह धन पैतृक धन नहीं है यह शास्त्र का निश्चय है ।

विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत् ।

मैत्र्यमौद्वाहिकं चैव मधुपर्किणमेव च ॥ २०६ ॥

(२०६) जो धन विद्या मित्रता, और विवाह आदि से प्राप्त हो वह जिस को मिले उसका है, उसमें किसी भाई या भाग लेने वाले का भाग नहीं होता, जो संचित करे वही उसका स्वामी है ।

भ्रातॄणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा ।

सनिर्भाज्यः स्वकादंशार्त्तिकचिद्व्योपजीवनम् ॥ २०७ ॥

(२०७) सब भ्राताओं में जो भ्राता अपने कार्य में सबसे अधिक चतुर और पैतृक धन का अंश लेने की इच्छा नहीं करता है उसको अपने भाग से कुछ धन देकर अंशसे अनाधिकारी कर देना चाहिये क्योंकि उसके पुत्र पोछे से विवाद करेंगे कि हमारे पिता ने अपना अंश नहीं लिया है हमको उसका भाग दो ।

अनुपधनन्पितृद्रव्य श्रमेण यदुपार्जितम् ।

स्वयमीहितलब्ध तन्नाकामो दातुमर्हति ॥ २०८ ॥

(२०८) पैतृक धन व्यय न कर केवल अपने ही परिश्रम से जो धन संचित करे उसका यदि अपनी इच्छा न हो तो अपने भ्राताओं को न देवे अर्थात् इस धन में से भ्राताओं को भाग न देवे ।

पैतृकं तु पिता द्रव्यभनवाप्त यदाप्नुयात् ।

॥ न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्धभक्तमः स्वयमर्जितम् ॥ २०९ ॥

(२०९) पिता के धनको किसी ने हरण कर लिया और पिता

ने पुनः प्राप्त न कर पाया हो और पुत्र उस धन को अपने परिश्रम से प्राप्त न कर लेवे तो उसका भाग अपने पुत्रों को न देवे और इच्छा हो तो बेंबे क्योंकि वह धन अपने प्रयत्न और परिश्रम से प्राप्त हुआ है पिता का पैतृक धन नहीं है।

विभक्ता सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि ।

समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्यं तत्र न विद्यते ॥२१०॥

(२१०) एक बार धन विभक्त हो गया फिर स्वेच्छापूर्वक पर्यत्र सम्मिलित होकर रहे और धन विभाजित करें तो बड़े भ्राता का वह भाग देवे सो उसकी ज्येष्ठता के कारण से प्रथम अंश विभाग में दिया जाता है।

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठा वा हीयेतांशप्रदानतः ।

अ्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११॥

(२११) भ्राताओं में बड़ा या छोटा भ्राता संन्यासी आदि हो जाने के कारण अंश विभाग के समय अपना अंश (हिस्सा) न ले अथवा मृत्यु हो गया हो तो उसका भाग लोप न करना चाहिये वरन् उसका भाग भी पृथक् करना उचित है।

सौदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम् ।

भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनामयः ॥२१२॥

(२१२) सब भ्राता व भगिनी जो उत्तराधिकारी हैं उस सौदर भाई की बराबर बाँट लें।

२०६ वें श्लोक से स्पष्ट प्रकट होता है कि मनुजीकी आज्ञा है कि पैतृक धन में तो सन्तान का स्वत्व है और स्वयं अर्जित धन में पिता की इच्छा है वह जिसे चाहे दे सकता है स्वरका कोई स्वत्व नहीं।

यो ज्येष्ठो विनिर्कुर्वीत लोभाद्भ्रातृन्यवीयसः ।

सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥२१३॥

(२१३) जो बड़ा भ्राता लोभवश छोटे भ्राता को उसका भाग नहीं देता वह ज्येष्ठ भ्राता नहीं कहला सकता और राजा का धर्म है कि उसे दण्ड देवे ।

सर्वे एव विक्रमस्था नाहन्ति भ्रातरो धनम् ।

न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठ कुर्वीत यौतुकम् ।२१४।

(२१४) यदि सब भ्राता निरर्थक कार्यों में संलग्न रहें तो पैतृक धन के उत्तराधिकारी नहीं । बड़ा भाई छोटे भाई का भाग दिये बिना कवल अपने अधिकार में न करे ।

भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ।

न पुत्रभागं विपमं पिता दद्यात्कथंचन ।२१५।

(२१५) सब भ्राता मिलकर धन संचित करें तो पिता को संचित है कि अंश विभाजित करते समय सबको समान भाग देवे न्यूनाधिक न दे ।

ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पिश्यमेव हरेद्दनम् ।

संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तैः सह ।२१६।

(२१६) पिता ने पुत्रों से पृथक् होकर फिर पुत्र उत्पन्न किया हो तो वह पुत्र केषल पिता ही का धन पाता है और उनके साथ प्रथम पृथक् भाई सम्मिलित होकर रहे हों तो उसके साथ धन विभाजित होने के पश्चात् जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह भी भाग लेवे ।

अनपत्यस्य पुत्रस्य साता दायमवाप्नुयात् ।

मातर्यपि च वृत्तागां पितृर्माता हरेद्दनम् ।२१७।

यदि पुत्र नि सन्तान हो तो उसका धन उसकी माता लेवे ।

ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि ।

पथाद्दृश्येत यत्किञ्चित्तत्सर्वं समतां नयेत् ॥२१८॥

(११८) ऋण धन के देने के परचात् जो कुछ धन शेष रहे उसके समान भाग करें ।

वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः ।

योगक्षेम प्रचारं च न विभाज्ये प्रचक्षते । २१९ ।

(२१९) वस्त्र, सवारी, अलंकार, आभूषण, शीशा के पात्र आदि, कृतान्न (बना हुआ खाद्य अन्न), पानी का कुर्वा घर के पुरोहित आदि सन्ध्या पशुओं के आने जाने का मार्ग इनको विभाजित न करना चाहिये ।

अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ।

क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निरोधत । २२० ।

(२२०) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि लोगों ! क्षेत्र आदि पुत्रों के धन विभाग को आप लोगों से कहा अब उसके अनन्तर द्यूत के विषय में वर्णन करते हैं ।

द्यूत समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत् ।

राज्यान्तकरणवेत्तौ द्वौ दांपो पृथिवीक्षिताम् । २२१ ।

(२२१) द्यूत और (१) समाह्वय नाम द्यूत क्रीड़ा याले (जुआरिया) को राजा अपने राज्य में न होने दे क्योंकि यह दोनों राज्य को नष्ट भ्रष्ट करते हैं ।

प्रकाशमेतत्तास्कर्यं पद्मे धनसमाह्वयौ ।

तयोनित्या प्रतीयाते नृपतिर्गलवान्मवेन् । २२२ ।

(२२२) दोनों प्रकार के द्यूत गुप्त व प्रकट चोरी है और इसके कारण राजा कलङ्कित होता है और हानि पहुँचती है राजा का धर्म है कि दोनों प्रकार के जुआरियों का सत्यानाश करे।

अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते ।

प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥२२३॥

(२२३) पौसा कौड़ी आदि जड़ वस्तु से दाँव लगाकर वाजी लगाना द्यूत कहलाता है, और जीवधारी वस्तुओं जैसे घोड़ा बकरी भेड़ आदि से दाँव लगाकर वाजी कर समाह्वय कहलाता है।

द्यूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत् वा ।

तान्सर्वान्घातयेद्राजो शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥२२४॥

(२२४) इन दोनों को जो करे और करावे उसकी, और जो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रियों के चिन्हों को धारण करने वाला है, उसका राजा सत्यानाश करदे।

कितवान्कुशीलवान्क्रूरान्पापण्डस्थान्प्रमानवान् ।

विक्रमस्थाञ्छ्रौण्डिकांश्च क्षिप्रनिर्पासयेत्पुरात् ॥२२५॥

(२२५) जुआरी, नर्तक, गायक संसार से शत्रुता करने वाला, पापण्डी, क्रूर, गहिवं काम करने वाला, मद्य बनाने वाला, इन सबको राजा शीघ्र ही नगर से बाहर निकाल दे।

२२३ वें श्लोक को देखो इसका अर्थ लिखा है।

॥ २२४ श्लोक में शूद्र अर्थात् अनपढ़ जो विद्वानों का वेप धारण करके जन साधारण को छलवा देते हैं यह भी जुआरियों ही के मुख्य मनुजी बतलाते हैं।

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः ।

विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥२२६॥

(२२६) यह सब गुप्त चोर हैं स्रोटे कार्यों से उत्तम प्रजा को कष्ट व हानि पहुँचाते हैं ।

द्युत्मेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत् ।

तस्माद्यु तं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥२२७॥

(२२७) वही शत्रुता काने पाला जुआरी ही है यह पूर्व काल में अनुभव किया गया है इससे बुद्धिमान् पुरुष इसी के भिस से भी इसका व्यवहार न करें ।

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तुन्नपेवेत यो नरः ।

तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥२२८॥

(२२८) गुप्त वा प्रगट रीति से जुआरी पुरुषों को राजा जिस प्रकार का दण्ड देने की इच्छा करे वही दण्ड देवे !

क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन् ।

आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्विप्रो दद्याच्छनैः शनैः ॥२२९॥

(२२९) क्षत्रिय वैश्व शूद्र यह सब अर्थ परदके धन के देने की सामर्थ्य न रखते हों तो कार्य करके अर्थ दण्ड से ऋण की नाईं मुक्ति पावे और ग्राहण धीरे-धीरे देवे, कार्य न करे स्त्री बालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम् ।

शिफाविदलरज्ज्याद्यै विदव्यान्नृपतिर्दमम् ॥२३०॥

(२३०) स्त्री बालक, वृद्ध, उमर्रा दरिद्रों, रोगी, इनको पांस आदि की छड़ी से ताड़ना करना और रस्ती से बाधना इन दण्डों के सजा देवे ।

ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कयिष्याम् ।

धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नृपः ॥२३१॥

(२३१) यदि कोई पुरुष कार्य के सम्पादन करने को नौर कर रख गया हो और वह उस कार्य को जान बूझ कर नष्ट कर दे तो राजा उसका सत्र धन ले ले ।

कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीर्ना च दूपकान् ।

स्त्रीवाल्लब्राह्मणधनांश्च हन्याद्द्विदसेविनस्तथा ॥२३२॥

(२३२) राजाज्ञा उल्लंघन करने वाले, राज कर को हानि व क्षीप देने वाले, स्त्री व स्वामी व ब्राह्मण को ताड़ना (मारने) करने वाले, शत्रु सेवा करने वाले जो पुरुष हैं राजा इन सबों को नष्ट भ्रष्ट कर दे ।

तीरित चानुशिष्टं च यत्र कचन यद्भवेत् ।

कृतं तद्धर्मतो विद्यान्न तदभूयो निवर्तयेत् ॥२३३॥

(२३३) जिस ध्यान पर किसी विवाद में न्यायपूर्वक जो अन्तिम निर्णय न्यायाधीश ने कर दिया है उसको मान्य समझे और फिर उसको दूसरे प्रकार न करे ।

अमात्याः प्राड् विवाको व यत्कुर्याः कार्यमन्यथा ।

तत्स्वयं नृपतिः कुर्याच्चान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥२३४॥

(२३४) परन्तु अमात्य (मन्त्री) व न्यायाधीश जिस विवाद को न्याय प्रतिकूल निर्णय करे उसको राजा स्वयम् देखे और यदि राजा के निरीक्षण में उनका अन्तिम निर्णय निति विरुद्ध जचे तो राजा उनमें सहस्र पण दण्ड लेवे ।

ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतन्पगः ।

एते सर्वे पृथग्ज्ञेया महापातकिनो नराः ॥ २३५ ॥

(२३५) X ब्राह्मणको मारने वाला, मद्य पीने वाला, ब्राह्मण का सोना सोलह भापा के परिमाण का चुराने वाला, गुरुपत्नी का माता से भोग करने वाला यह चारों महाभापी कहलाते हैं।

चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् ।

शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् । २३६।

(२३६) यह चारों प्रायश्चित्त न करें तो धन संयुक्त शारीरिक दण्ड निम्नलिखित विधान से देनी चाहिए ।

गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः ।

स्तेये च श्वपदं कार्यं ब्रह्महत्याशिराः पुमान् । २३७।

(२३७) १-गुरुपत्नी से रमण करने वाला, २-मद्य पीने वाला ३-ब्राह्मण का सोलह भापा सोना चुराने वाला, ४-ब्रह्म हत्या करने वाला, इन चारों के मस्तक पर यथा क्रम निम्नांकित चिन्ह अङ्कित करना चाहिये अर्थात् १-भग के आकार का चिन्ह २-मद्य व मद्यपात्र (गिलास) के आकार का चिन्ह, ३-कुत्ते के पाँव के आकार का चिन्ह, ४-सिर हीन पुरुष आकृति का चिन्ह ।

असंभोज्या ह्यसंपाज्या असंपाख्याऽविवाहिनः ।

चरेयुः पृथिवीं दीनां सर्वधर्मवहिष्कृताः । २३८।

(२३८) एकत चिन्हांकित पुरुषों के भोजन, यज्ञ, पाठ, विवाह-हादि कर्म कराना चाहिये यह सब सारे धर्मों से पृथक् होकर दरिद्री (दीन) व, चिन्तित, व भयावह होकर पृथ्वी पर विचरे।

X २६५ श्लोक में शराय पीना महापातक में परिगणित किया है और चौरक श्लोकों में मनुष्यों का भक्ष्य बतलाया है । इससे स्पष्ट प्रकट है कि जिस श्लोक में मद्य व माँस व व्यभिचार को दूषित नहीं बतलाया है वह श्लोक मिलाया हुआ है ।

ज्ञातिमग्नन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः ।

निर्दया निर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम् ॥२३६॥

(२३६) सजाती, मग्नन्धी, भ्राता आदि सब परित्याग कर दें, उन पर दया न करें और नमस्कार करें यह मनुजी महाराज की आज्ञा है कि यह लोग जाति विरादरी से सर्वदा पृथक् कर दिये जावे ।

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णा यथोदितम् ।

नांक्या राज्ञा ललाटे स्पुर्दाप्यास्तूत्तमसाहसम् ॥२४०॥

(२४०) जो चारों वर्णों के महापापी प्रायश्चित्त करना स्वीकार करें तो राजा उनके मस्तक पर चिह्न अंकित न करे वरन् उनसे सहस्र पण दण्ड स्वरूप ले ।

आगंसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः ।

विवास्यो वा भवेद्ब्राह्मणस्तद्रव्यः सपरिच्छदः ॥२४१॥

(२४१) अपराधी ब्राह्मण से मध्यम साहस दण्ड लेवे अथवा अपराधी ब्राह्मण को साथ पदार्थों व धन सहित उसे अपने राज सीमा से बाहर निकाल दे ।

इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यऽकामतः ।

सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

(२४२) क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण अनिच्छा से इन पापों को करे तो उसकी सारी सम्पत्ति व धन को दण्ड स्वरूप हरण करे । और यदि इच्छा से किया हो तो मूत्रेन्द्रिय के क्षिप्त करने वा प्राण दण्ड का विधान करना चाहिये ।

नाददीत नृपः साधुर्गहापातकिनो धनम् ।

आददानस्तु तज्जलोभात्तेन द्रोपेण लिप्यते ॥२४३॥

(२४३) जो राजा साधु होवे वह महा पापियों के धन को लोभ वरा अपने लिये न लेवे ।

अप्सु प्रवेरय त दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।

श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥२४४॥

(२४४) दण्ड के धन का (अर्थात् दण्ड का द्रव्य व पदार्थ को) पानी में डालकर वरुण देवता के आधीन करे अथवा उस ब्राह्मण को दे दे जो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और तदनुसार कर्म करने वाला हो ।

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः ।

ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥

(२४५) क्योंकि महापापी को दण्ड देने से जो धन प्राप्त है उस धन का स्वामी वरुण देवता है और वेद में पारगत ब्राह्मण सारे जगत् का स्वामी है ।

यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् ।

तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥

(२४६) जिस देश का राजा पापियोंके पाप द्वारा संचितधन को नहीं लेता उस देशके मनुष्यों की आयु अयाधिक होजाती है ।

निष्पद्यन्ते च सरयानि यथोप्तानि विशा पृथक् ।

चालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते । २४७ ।

(२४७) जिस प्रकार वैश्य लोग जो अन्न बोते हैं वह पृथक् उपजता है उसी प्रकार उस राजा के राज में बालक भी नहीं मरते और न कोई अगधीन बालक उत्पन्न होता है ।

ब्राह्मणान्वाधमान तु कामादऽवरवर्षजम् ।

हन्याच्चित्रैवधोपायैरुद्धे जनकैर्नृपः । २४८ ।

(२४८) जो क्षत्रिय व वैश्य व शूद्र ब्राह्मण को जान घृण कर हत्या करे उसकी विविध प्रकार के कष्ट जिनमें उन्निता व शोक संयुक्त ही राजा उसके द्वारा प्राणदण्ड देवे ।

यावानऽवध्यस्य वधे तावान्प्रध्यस्य मोक्षणे ।

अधर्मो नृपतेर्दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः । २४९।

(२४९) जो प्राणदण्ड के अयोग्य है उसके वध में जितना पाप होता है उतना ही पाप प्राणदण्ड के योग्य पुत्र को छोड़ देने से होता है ।

उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानोः ।

अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः । २५०।

(२५०) ध्वज भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषि लोगों ! अठारह प्रकार के विवादों में पारस्परिक व्यवहार करने वालों के विवाद के दण्ड व निर्णय विमान को वर्णित किया ।

एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्दुर्वन्महीपतिः ।

देशज्ञानलब्धांल्लिख्येत लब्धांश्च परिपालयेत् । २५१।

(२५१) राजा इस विधि से धर्मयुक्त, सब कर्मों को भली भाँति करता हुआ उन देशों को विजय करने की अभिलाषा करे जो जीते नहीं गये हैं और फिर जीते हुये प्रदेशों की रक्षा करने की अभिलाषा करे ।

सम्यहःनिष्टदेशस्तु कुतदुर्गंश्च शास्त्रतः ।

कष्टकोद्वरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् । २५२।

(२५२) देश में शास्त्रानुसार दुर्ग आदि बना कर और उसमें निराम करके देश को पीड़ित करने वाले मनुष्यों का नाश करे ।

रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात् ।

नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ।२५३।

(२५३) राजा प्रजा के पालन में सलग्न व तत्पर होकर अच्छे लोगों की रक्षा करे और काँटे निकालने से स्वर्ग को प्राप्त करता है ।

अशासंस्तकारान्यस्तु वालिं गृह्णाति पाथिवः ।

तस्य प्रजुम्पते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते ।२५४।

(२५४) जो राजा चोर आदिना को दण्ड न देकर देश की रक्षा नहीं करता और अपना राजकर व अंश बराबर प्रदण्ड करता है तो वह राजा अपनी प्रजा के शाप से धर्म से पतित होकर अवश्य नाश हो जाता है ।

निर्भगं तु भयेद्यस्य राष्ट्रं बाहुगलाश्रितम् ।

तस्य तद्वधते नित्यां मिच्यमान इव द्रुमः ।२५५।

(२५५) जिस राजा का बाहुगल पाकर प्रजा अभय रहती है उसका राजा नित्य उन्नति पाता है जैसे सींचा हुआ वृक्ष ।

द्विविधांस्तम्करान्विद्यात्परद्रव्याऽपहारकान् ।

प्रकाशांश्चऽप्रकाशांश्चचारचक्षुर्महीपतिः ।२५६।

(२५६) राजा गुप्त व प्रकट चोरी का उत्तम प्रबन्ध करे और भिन्न २ रीतियों द्वारा परीक्षा लेता रहे ।

प्रकाशवच्चकास्तेषां नातापखयोपजीविनः ।

प्रच्छन्नवच्चकास्त्रेते ये स्तेनाऽटविकादयः ।२५७।

(२५७) भिन्न २ प्रकार के द्रव्यों को मिश्रित कर बेचने वाले स्पष्ट चोर हैं तथा जन शून्य स्थान में और मनुष्यों के सो जाने की दशा में अन्य के धन को चुराने वाले गुप्त चोर हैं ।

उत्क्रोचकाश्चोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा ।

मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्च क्षणिकैः सह ॥२५८॥

(२५८) अवश्यता वाले मनुष्यों से धन अपहरण कर पृथित पापकर्म में लगाने वाला, व भय देकर धन अपहरण करने वाला, सोने आदि में नमिभ्रण द्वारा धन उपार्जित करने वाला, द्युत खेलने वाला, स्त्री व धन व पुत्र आदि का मंगल दिखला धन हरण करने वाला, कुकर्मा होने पर भी अपने शुभ कर्मों को प्रगट कर धन हरण करने वाला, हस्त (हाथ) रेखा का भला घुरा बतलाने वाला ।

असम्यक्कारिणश्चैव महामात्रारिचकित्सकाः ।

शिष्योपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोपित ॥२५९॥

(२५९) हाथों के शिक्षण द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला वैद्यक करने वाला, दोनों उस अवस्था में जब कि अपने कार्य को भली भाँति सम्पादित न करे और धन लेवे, चित्रकारी द्वारा कालघापन करने वाला विना कहे चित्र भिचवाने की असुकता दिलाकार दूसरे का धन अपहरण करने वाला, और पर स्त्री यह सब दूसरे को अपने वश में कर लेने में चतुर हैं ।

एवमादीन्निजानीयात्प्रकाशांस्तोऋकण्टकान् ।

निगूढचारिणश्चान्याननार्यानार्यलिङ्गिनः ॥२६०॥

(२६०) इन सबको और उनके समान दूसरों को प्रकट नें लोक के काटे जानना चाहिये और गुप्त नाशकर्ता (निगूढवादी) अन्य हैं जो कि भले मनुष्य नहीं हैं परन्तु भले मनुष्यों के रूप में रहते हैं ।

तान्विदित्वा सुचरितैर्गृहैस्तत्कर्मकारिभिः ।

चारैश्चानेकमंस्यनैः प्रोत्साद्यवशमानयेत् ॥२६१॥

(२६१) इन सत्र को कापटिक आदि गुप्तचरों द्वारा (जो कि विविध स्थानों पर स्थित हैं और जिनका वर्णन सातवें अध्याय में हुआ है । और उन मनुष्यों द्वारा जो गुप्त रीति से नाश कर्ता है जानकर उनको कष्ट देकर अपने अधीन करे ।

तेषां दोषानभिख्याप्य स्वै स्त्रे कर्माणि तद्वतः ।

कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥

(२६२) राजा प्रत्येक अपराधी के अपराध के दोष को पृथक् २ बतला कर उचित रीति से अपराध का दण्ड अपराधी को ऐसा देवे जिसमें किंचित् अन्याय न हो ।

नहि दण्डादृते शक्यं कर्तुं पापविनिग्रहः ।

स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां चितौ । २६३ ।

(२६३) चोर व अपराधी जो विनीत व प्रार्थी का रूप धारण किये संसार में विचरते हैं उनके अपराध का प्रतिरोध दण्ड बिनादिये असाध्य है इससे दण्ड अवश्य देना चाहिये ।

समाप्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः ।

चतुष्पथारचैत्यवृत्ताः समाजाः प्रेक्षयानि च ॥२६४॥

(२६४) चोरों के एफ्रित होने के स्थान कुवाँ, मिठाई बनने का स्थान, मद्य तथा अन्न विक्रिय की दूकान, चौक बेस्या का घर, वृत्तों की जड़, उत्सवमेला आदि ।

जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च ।

शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६५॥

(२६५) प्राचीन उद्यान (बाग) व अरण्य (जङ्गल), शिल्पियों के पुराने घर, जन शून्य घर, धाम आदि का वन, तथा नवीन उपवन ।

एवंविधान्नपो देशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः ।
तस्करप्रतिपेधार्थं चारैश्चाप्यनुचारयेत् ॥२६६॥

(२६६) ऐसे स्थानों पर सेना द्वारा राजा चोर आदि को पकड़े क्योंकि चोर आदि ऐसे स्थानों पर त्याग पदार्थों तथा विषय भोग की तृप्ति साधनों की खोज में प्रायः रहा करते हैं ।

तत्सहायैरनुगतैर्नाकर्मप्रवेदिभिः ।

विद्यादुत्सादयेथैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥२६७॥

(२६७) चोरों के रूप रंग व विवाद से जानकर (अनुभवित) उनके प्राचीन मित्र, तथा उनके छल से परित्राण पाने योग्य जो गुप्तचर के रूप में हैं उनके द्वारा चोरों का भेद ज्ञातकर चोरों को विनष्ट करना चाहिये ।

भक्ष्यभोज्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दर्शनैः ।

शोर्गकर्मोपदेशैश्च कुर्युस्तोषां समांगम् ॥ २६८ ॥

(२६८) जो गुप्त चर नियोजित (स्थित) किये हैं वह चोरों को अधो लिखित (नीचे लिखी) रीतियों द्वारा पकड़ित करके दण्ड देवे (१) आज हमारे घर में भोज है (२) इस देश में एक ऐसा ब्राह्मण है कि जिसके दर्शन मात्र से सब इन्द्रियों पूर्ण होती हैं और यह सर्व ज्ञाता है । (३) एक ऐसा पुरुष है जो हजारों से युद्ध करेगा उसको देखिये ।

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रखिहिताश्च ये ।

तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्समित्रज्ञातिवान्धवान् ॥२६९॥

(२६९) जो चोर पकड़े जाने के भय से पाने पीने के स्थानों पर जावे व चोरों व उक्त वेपधारी गुप्त चरों के समीप न जावे तो राजा उनको उसी प्रकार से पहिचान कर बलात् उनको

चुलाकर उनके जाति सम्बन्धी व धान्यवाँ सहित नष्ट कर दे यह न कि चारों कि उनको दुःख होगा ।

न होढेन विना चौरं घातयेद्दामिको नृपः ।

सहोढं सोपकरणं घातयेदऽविचारयन् ॥२७०॥

(२७०) विना चोरी की घातु मिले राजा उन्हें दण्ड न दे । कि तु यदि माल और सब्बल समेत यदि पकड़े जायें तो अवश्यदण्ड देके ग्रामेष्वपि च ये वैश्विचौराणां भक्तदायकाः ।

भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वास्तानपि घातयेत् ॥२७१॥

(२७१) गाँव में जो कोई चोरों को भोजन घर आदि सय प्रकार की सामग्री से सहायता करे राजा इनको भी नाश करदे ।

राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्चैव चोदितान् ।

अभ्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिष्याञ्चौरानिव द्रुतम् ॥२७२॥

(२७२) राज में रक्षा करने वाले सामन्त और गाँव के चारों ओर के निवासी यह दोनों प्रकार के मनुष्य आदि चोरों को चोरी करने का आदेश करे तो राजा उनको भी चोरों के समान भी दण्ड देवे ।

यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः ।

दण्डेनैव तमप्योपेरस्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम् ॥२७३॥

(२७३) जो ब्राह्मण अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों के स्थान पर दूसरों के हेतु जप यज्ञादि कर्म करके जीवन निर्वाह करता हुआ अपने धर्म से प्रनिराण प्रथक और च्युत रहता हो राजा उस ब्राह्मण को भी दण्ड देवे ।

ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि योषाभिदर्शनं ।

शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥२७४॥

(२७४) जो पुरुष चोरों से गाँव नष्ट भ्रष्ट होने व कुल भंग करने व पथ में चोरों के दिखलाई देने पर सामर्थ्यवान् व बलशाली होने पर उनके पकड़ने के हेतु प्रयत्न न करने वाला हो ।

गज्ञः कोपापहर्तृश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान् ।

घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणां चोपजापकान् ।२७५।

(२७५) राजकोप को हरने वाला, राजाशा के प्रतिकूल कार्य करने वाला और राजा के शत्रु से मित्रता करने वाला हो उनको आर्थिक व शारीरिक दोनों प्रकार के प्राण दण्ड देना चाहिये ।

संधिं छित्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः ।

तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवशयेत् ।२७६।

(२७६) जो चार संधिछिन्न (नकबजनी) कर रात्रि में चोरी करते हैं उनके दोनों हाथ काटने के पश्चात् तीक्ष्ण शूल पर बैठावे ।

अंगुलीप्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे ।

द्वितीये हस्तचरणी तृतीये वधमर्हति । २७७ ।

(२७७) जो चोर प्रथम चार प्रन्थि भेदे (गिरह कोटे) व प्रथम चार गृह में छिद्र करे (नकब लगावे) उसका अंगूठा तर्जनी अंगुली काटना चाहिये और दूसरी चार वही दोनों अपराध करे तो हाथ पाँव काटना चाहिये और तीसरी चार में वध करना उचित है ।

अग्निदान्भक्त दांश्चैव तथा शस्त्रावकाशदान् ।

संनिधातृश्च मोपस्य हन्याच्चौरभिवेश्वरः ॥२७८॥

(२७८) जो पुरुष चोर को अग्नि व भात व शस्त्र व अवकाश देता है और जो चोरी की हुई वस्तुओं को रखने वाला है उनको राजा चोर के समान इनत (नाश) करे ।

तद्भागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा ।

यद्वापि प्रतिमंस्क्रुर्पादाप्यस्तुत्तमसाहसम् ॥२७६॥

(२७६) जब कोई पुरुष स्वच्छ व उत्तम तद्भाग (तालाब) को जिससे जन साधारण को स्नान करने व पशु आदि के पानी पिलाने का लाभ पहुँचता है, नाश करे वा बिगाड़े तो राजा उसको बध करे और यदि वह तालाब को दूसरी बार वैसा ही बनवादे तो एक सहस्रपण दण्ड स्वरूप लेकर छोड़ दे ।

कांष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् ।

हस्त्यश्ववरथहर्त्श्च हन्यादेवाऽविचारयन् ॥ २८० ॥

(२८०) राज कोप का गृह, शस्त्रागार (भेगजीन) पाठशाला को जो पुरुष छिन्न करे (तोड़े) राजा दुरन्त बिना सोचे उसे बध कर डाले ।

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तद्भागस्योदकं हरेत् ।

आगमं वाप्यपां भिद्यात्सदाप्यः पूर्वसाहसम् ॥२८१॥

(२८१) किसी पुरुष ने प्रजा के हितार्थ तालाब बनवाया और अन्य पुरुष उसका जल लेवे और जल आने के मार्ग में मँड़ लगा कर अयरुद्ध (बन्द) कर दे तो वह पुरुष प्रथम साहस दण्ड के योग्य है ।

समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्यऽमेध्यमनापदि ।

स द्वौ कार्पापणौ दद्यादमेध्यं चांशु शोधयेत् ॥२८२॥

(२८२) आन्द समय के अतिरिक्त राज मार्ग में यदि प्रद्वित (अपवित्र) वस्तु डाले तो दो कार्पापण दण्ड देवे और जिस अपवित्र वस्तु को राज मार्ग पर डाला है उसे शीघ्र ही वहाँ पाहर मे ले जावे ।

आपद्गतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव च ।

परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोधयमिति स्थितिः ॥२८३॥

(२८३) यदि कोई आपद् पीड़ित, वृद्ध (बूढ़ा), गर्भिणी स्त्री व बालक उपरोक्त अपाध करे तो उससे वाणी मात्र से यह कहना चाहिये कि तुमने यह क्या किया दण्ड पाने योग्य नहीं है परन्तु चे उस अपवित्र वस्तु को अवश्य वहां से पृथक् कर दो दें ।

चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः ।

अमानुषेषु प्रथमा मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥

(२८४) जो पुरुष चिकित्सा में अज्ञान होने पर भी स्वार्थ साधन के हेतु पशु चिकित्सा करता है उससे पूर्ण साहस अर्थात् सौ पण दण्ड स्वरूप प्राप्त करे और अनपढ़ मनुष्यों की चिकित्सा करे तो उससे पाँच सौ पण दण्ड स्वरूप लेवे ।

संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां भेदकः ।

प्रतिकुर्पाच्च तत्सर्वं पञ्चदद्याच्छ्रतानि च ॥२८५॥

(२८५) जो जल में उतरने के अर्थ लकड़ी लगायी है व राज प्यजा व बाजार के बाट, व गज, आदि नाव के बस्तुओं के तोड़ने वाले को पाँच सौ पण दण्ड करना चाहिये और वइ वस्तु उसके व्यय से ठीक करानी चाहिये ।

अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा ।

मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥

(२८६) दूषण रहित द्रव्यों (पदार्थों) को सक्षेप कहने और तोड़ने में और मणि आदि के नष्ट करने के हेतु छिद्र करने में, प्रथम साहस दण्ड देवे ।

समैहिं विषमं यस्तु चरेद्धै मूल्यतोऽपि वा ।

समाप्नुयाद्दयं पूर्वं नरोः मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥

(२८७) समान मूल्य देने वालों में एक को उत्तम वस्तु और दूसरे को गर्हित वस्तु व किसी को अधिक मूल्य वाली वस्तु व किसी को न्यून मूल्य वाली वस्तु देने वाला पाँच सौ पण दण्ड के देवे । अपराध के अनुमार ही दण्ड देना चाहिये ।

वन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गं निवेशयेत् ।

दुःस्विता यत्र दृश्येरन्विकृताः पापकारिणः ॥२८८॥

(२८८) सारे बन्दीगृहों (कैद खानों) को राजमार्ग पर बध-याना चाहिये कि उसको देखने से पाप कर्म करने वालों को दुख हो अर्थात् जुघातुर, प्यासे, नख व सिर व दाढ़ी के केरा (वाल) बढ़े हुए, कृश (दुबले) शरीर, हथकड़ी व वेड़ी पहिरे हुए बन्दिचों (कैदियों) को देखकर सब प्राणी पापकर्मों से भयभीत होंगे और विचारेंगे कि जब हम अधर्म कर्म करेंगे तो हमारी भी यही दशा होगी ।

प्राकारस्य च भेचारं परिखाणां च परकम् ।

द्वाराणां चैव भङ्गकारं क्षिप्रमेव प्रयातयेत् ॥२८९॥

(२८९) दुर्ग प्राकार (किले की दीवार) को क्षिन्न करने (तोड़ने) वाले को दुर्ग परित्वा (खाई) के भरने वाले को व दुर्ग द्वार नष्ट करने वाले को शीघ्र ही अपने देश से निर्वासित कर दे (निकाल दे)

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः ।

मूलकर्मणि चानग्रेः कृत्यासु विविधासु च ॥२९०॥

(२९०) भिन्न भिन्न प्रकार के घोटा देने वाले कार्य अर्थात्

मारण-मोहन उजाटन जिससे धूर्त लोग दूसरों को हानि पहुँचाते हैं यदि उनके करने में थोड़ी हानि हुई हो तो सौ पण दण्ड करे और यदि उनके करने से किसी पुरुष की हत्या हो गयी हो तो इस प्रकार की धूर्तता करने वाले को प्राण दण्ड देना चाहिये ।

अशीजविक्रयी चैव वीजोत्कृष्टं तथैव च ।

मर्पादाभेदकरचैव विकृतं प्राप्नुयाद्वधम् । २६१ ।

(२६१) निःकृष्ट बीज को थोड़ा दे उत्तम वत्तार वचने चाला, उत्तम और निकृष्ट बीज एकत्र सम्मिश्रण कर बेचने चाला, राज नियम के प्रतिकूल कार्य करने वाला इन सबका क्षय वा कान काट देना चाहिये ।

सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पाथिवः ।

प्रवर्त्तमानमन्याये छेदयेत्त्ववशः चुरैः । २६२ ।

(२६२) सब दुष्टों में बड़ा दुष्ट हेमकार (सुवर्ण कार, सुनार) है वह जब अपराध करे तो अपराध के अनुसार थोड़े थोड़े अगो को छुरी से छेदन करे ।

सीताद्रव्यापहरसो शस्त्राणामौपधस्य च ।

कालभासाद्य कार्यं च राजा दंडं प्रकल्पयेत् । २६३ ।

(२६३) सीता (हला), फडुहा आदि जो कृषि सम्पत्ती अस्त्र हैं, शस्त्र औपधि इन्हों के चुराने में देश काल व कर्म को देख कर राजा दण्ड विधान करे ।

साम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तथा ।

सप्तप्रकृतयो ह्येताः सप्तांगं राज्यमुच्यते ॥ २६४ ॥

(२६४) राज्य के सात अंग हैं-१-राजा, २-अमाय (मन्त्री)

१-राजधानी, ४-राज्य, ५-कोष, ६-दण्ड, ७-राजा के सम्बन्धी वा सेना आदि यह सात राज्य की प्रकृति वा मुख्य अंग भी कहलाते हैं ।

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथावत् ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद्भव्यसनं महत् ॥२६५॥

(२६५) इन सातों यथाक्रम पूर्व पूर्व को गुरुता (श्रेष्ठता) है और पूर्व को अन्त के होने में अधिक कष्ट होता है अर्थात् मंत्री के अभाव में राजा को, राजधानी के अभाव में मंत्री को, राष्ट्र के अभाव में राजधानी/निवासियों को, कोष के अभाव में देश को, दण्ड के अभाव में कोष को तथा संवधी व सेना के अभाव में दण्ड का ।

सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् ।

अन्योन्यगुणवैशेष्यान्न विचिदतिरिच्यते ॥२६६॥

(२६६) इस लोक में परस्पर एकत्र सप्तांग राज्य में पारस्परिक विचित्र सहायता से त्रिदण्ड की नाई कोई अङ्ग निष्फल व अधिक नहीं है । यद्यपि प्रथम अङ्ग को अधिक कहा तो भी इन सातों अङ्गों के बीच एक अंग के कार्य को दूसरा अंग स्वयं नहीं कर सकता इससे अंग को भी आपर्ययता होती है इस कारण से अधिक अंग होने का निषेध है इसमें पती के त्रिदण्ड की उपमा दी है । जैसे तीनों दण्ड एकत्र कर ऊपर चार अंगुल गऊ के घाल से बाँधने से परस्पर सम्बन्धित हो जाते हैं और त्रिदण्ड धारण से शास्त्रार्थ में कोई दण्ड अधिक नहीं है वैसे ही उपरोक्त सप्तांगी राज्य को जानना चाहिये ।

तेषु तेषु तु कृत्येषु तच्चदङ्ग निशिष्यते ।

येन तत्साध्यते कार्यं तच्चस्मिञ्छ्रेष्ठमुच्यते ॥२६७॥

(२६७) जिस अङ्ग से जो उत्तम कार्य साधन हो वही उस कार्य में श्रेष्ठ होता है ।

चारेणात्साहयोगेन क्रिययैव च कर्मणाम् ।

स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ।२६८।

(२६८) राजा चारण (दूत जासूस) द्वारा उसके हृदय के उत्साह अर्थात् साहस व धैर्य से अपनी तथा शत्रु की शक्ति तथा विद्या को नित्य अनुमान करता रहे ।

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च ।

आरमेत ततः कार्यं संचिन्त्य गुरुलाघवम् ।२६९।

(२६९) कार्य पथ में पड़ने वाले कष्ट, देश व जाति की प्रकृति और छोटे बड़े कार्य का विचार कर यथार्थ विधि से आरम्भ करे ।

आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ।

कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निपेवते ।३००।

(३००) यदि कार्य करते थक जावे तो विश्राम करने के पश्चात् फिर उस आरम्भ किये हुये कार्य को करे क्योंकि घन कार्य करने वालों की चेरी (दासी सेवरु) हैं ।

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलियुगं च ।

राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ।३०१।

(३०१) कलियुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग राजा के विचार के अनुसार बर्तते हैं जैसा नियम व प्रबन्ध राजा प्रचलित करता है वैसा ही युग होता है ।

कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्द्वापरं युगम् ।

(३०२) जब राजा मूर्खता व आलस्य वश कार्य का प्रबन्ध करे तब कलियुग होता है, तब जानकर कार्य न करे तो द्वापर होता है, जब कार्य करता है तब त्रेता होता है और जब शास्त्रानुसार कार्य करता है तब सतयुग होता है इससे राजा प्रत्येक क्षण कार्य करता है यह सिद्धान्त है चारों युगों का न होना सिद्धान्त नहीं है।

इन्द्रस्याकस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च ।

चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत् । ३०३ ।

(३०३) राजा इन्द्र, सूर्य, पायु, यमराज, वरुण, चन्द्रमा अग्नि, पृथिवी इनके गुण को ग्रहण करे और दुष्ट लोगों को नाश करके प्रीति व तेज का अंकुर उत्पन्न करे।

वार्षिकांश्चतुरो मासान्पथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति ।

तथाभिवर्षेत्स्व राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् । ३०४ ।

(३०४) जिस प्रकार चार मास वर्षों ऋतु (परसात) में राजा इन्द्र जल वर्षा करते हैं वसी प्रकार राजा इन्द्र का कार्य करता हुआ प्रजा की हार्दिक इच्छा पूर्ण करे।

अष्टौ मासान्पथादित्यस्तोर्यं हरति रश्मिभिः ।

तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यमर्कवृत्तं हि तत् । ३०५ ।

(३०५) जिस भाँति सूर्य अपनी किरणों द्वारा आठ मास पर्यन्त जल को भूमि से सींचते हैं वसी प्रकार राजा सूर्य का कार्य करता हुआ राज्य से पर ग्रहण करे।

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरित् मार्ततः ।

तथा चरैः प्रवेष्टव्यं वृत्तमेतद्धि मार्तवम् ॥ ३०६ ॥

(३०६) जिस प्रकार वायु सारे प्राणियों में प्रवेश करके परि-

भ्रमण करती है उसी प्रकार राजा वायु का कार्य करता हुआ गुप्तचरों चारण आदि के द्वारा सारे राज्य में प्रविष्ट होकर परिभ्रमण करे ।

यथा यमः प्रियद्वोष्णौ प्राप्ते काले नियच्छति ।

तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्वियमव्रतम् ॥३०७॥

(३०७) जिस प्रकार यम राजा मित्र व शत्रु दोनों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर मारता है उसी प्रकार राजा सारी प्रजा को अपराध के अनुसार यमराज का कार्य करता हुआ दण्ड देवे ।

वरुणेन यथा पाशैर्नद्ध एवाभिदृश्यते ।

तथा पापन्निगृह्णीयद्ब्रतमेतद्वि वारुणम् ॥३०८॥

(३०८) जिस प्रकार वरुण दुष्टों को बाँधते हैं उसी प्रकार राजा वरुण का कार्य करता हुआ पापी अपराधियों के निप्रहार्थ बाँधे

परिपूर्णं यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः ।

तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चाद्रव्रतिको नृपः ॥३०९॥

(३०९) जिस प्रकार चन्द्रमा के दर्शन मात्र से मनुष्यों को हर्ष व आनन्द होता है उसी प्रकार सत्र जीव राजा के दर्शन से प्रसन्न रहें इस प्रकार राजा रक्षा करे ।

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु ।

दुष्टसामन्तद्विस्रथ तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम् ॥३१०॥

(३१०) पाप कर्मों में सदैव प्रतापवान और तेजवान रहे अर्थात् अपराधियों को अवश्य दण्ड देवे और अग्निव्रत अर्थात् सदैव ऊपर की ओर चलने वाला और बुरी सम्मति देने वालों को दण्ड देता रहे ।

यथा सर्वाणि भूतानि घरा धारयेते समम् ।

तथा सर्वाणि भूतानि विद्मतः पार्थिवं व्रतम् ॥३११॥

(३११) जिस प्रकार पृथिवी सब प्राणियों को अपने ऊपर रुद्वैव एक ही अवस्था में स्थित रखती है उसी तरह राजा पृथ्वी का व्रत धारण करता हुआ सब प्राणियों को धारण करे ।

एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः ।

स्योनान्ताजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट्रं पर एव च ॥३१२॥

(३१२) इन उपायों तथा अन्य उपायों से संयुक्त रह कर रुद्वैव आलस्य से दूर रहे और अपने तथा अन्य के राज्य से चोरों को नष्ट घट्ट करे ।

॥३॥ परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् ।

ते ह्येनं कुपिता हन्त्युः सद्यः सवलवाहनम् ॥३१३॥

(३१३) राजा दारुण आपद समय में भी ब्राह्मणों को कुपित न करे क्योंकि उनके कोप करने से राज्य सेना सवारियों सहित नाश हो जाता है ।

यै कृतः सर्वभक्षोऽग्निरपेयश्च महोदधिः ।

क्षयी चाप्याचितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्यतान् ॥३१४॥

(३१४) जिन ब्राह्मणों ने अग्नि को छ सर्व-भक्षी और महासागर को सारी तथा चन्द्रमा को कुष्ठी रोग वाला, किया उन ब्राह्मणों को कोपित करा के कौन न नाश होगा ।

लोकानन्यान्सृजेयुर्यो लोकपालांश्च कोपिताः ।

देवान्कुर्यु रदेवांश्च कः शिञ्जएवंस्तान्समृष्टुपात् ॥३१५॥

क्षत्रत्यैश्च वक्षु स्याने (जलाने) वाली ।

(३१५) जो ब्राह्मण क्रोध वश एक राजा को सिंहासना-
न्युत कर दूसरे राजा को राज्य दे दे और विद्वानों को शास्त्रार्थ
में मुख्य प्रमाणित कर दे उस ब्राह्मण को कष्ट देकर कौन पुरुष
धन व राज्य प्राप्त कर सकता है ।

यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा ।

ब्रह्मा चैव घनं येषां की हिंस्यात्सञ्जिजीविषुः । ३१६ ।

(३१६) जिन ब्राह्मणों का धन वेद ही है वन्हीं की शरण
में लोक व देवता रहते हैं उन ब्राह्मणों का जीवन आशा रखने
वाला कौन पुरुष मार सकता है ।

अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत् ।

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदैवतं महत् । ३१७ ।

(३१७) ॐ ब्राह्मण चाहे विद्वान् व अविद्वान् हो अग्नि
के समान बड़ा देवता है ।

श्मशानेष्वपि तेजस्वी पापको नैव दुष्यति ।

ह्युमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते । ३१८ ।

(३१८) तेजस्वी अग्नि श्मशान में भी दूषित नहीं होती
अर्थात् दोष को नहीं प्राप्त करती है फिर भी यज्ञ में हवि को प्राप्त
होती है अर्थात् प्रत्येक अवस्था में बढ़ती ही है ।

एवं यद्यध्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्गकर्मसु ।

सर्गया ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हित्वा ३१९ ।

ॐ ३१७ श्लोकमें अविद्वान् से तात्पर्य साधारण ज्ञान शून्य ब्राह्मणों
से है अन्यथा ब्रह्मविद्या का न जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है

(३१६) यद्यपि ब्राह्मण सासरिक कर्मों में बहुत दोष भी करता है तो भी ईश्वर ज्ञानी होने से पूजने योग्य देवता है।

क्षत्रिय स्पातिवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वशः ।

ब्रह्मैव संनियन्तृस्यात्क्षत्रं हि ब्रह्ममंभवम् ॥ ३२० ॥

(३२०) क्षत्रिय सब पदार्थों से वृद्ध हो परन्तु ब्राह्मण को अपने आधीन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उत्पत्ति ब्राह्मण से है इस कारण ब्राह्मण क्षत्रियों को अपने आधीन कर सकते हैं।

अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम् ।

तेषां सर्वत्रयं तेजः स्वासु योनिषु शाम्पति ॥ ३२१ ॥

(३२१) जल से अग्नि, व ब्राह्मण से क्षत्रिय, व पत्थर से लोहे का तेज बढ़ता है और वह अन्य पदार्थों को सब स्थान पर भस्म व आधीन करता व काटता है परन्तु जब अपने सत्य तत्व से मिलता है तब शान्त हो जाता है।

नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते ।

ब्रह्म क्षत्रं संपृक्तमिह क्षामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥

(३२२) ब्राह्मण व क्षत्रिय एक दूसरे से पृथक् होकर उन्नति नहीं कर सकते हैं और दोनों एकत्र होकर इस लोक में उन्नत होते हैं।

दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वादरुढसमुत्थितम् ।

पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥

(३२३) दण्ड द्वारा प्राप्त सारे धन को ब्राह्मण को देकर और राज्य पुत्र को देकर युद्ध में शरीर त्याग करे।

एवं चरन्सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः ।

हितेषु चैव लोकस्य सर्वामृत्यान्नियोजयेत् । ३२४ ।

(३२४) इस विध राजा नित्य राज कर्मों को करता हुआ लोक के हितार्थ सब कर्मचारियों को नियत करे ।

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः ।

इमं कर्मविधिं विद्यात्क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥३२५॥

(३२५) अत्र आगे के क्रमानुसार वैश्य तथा शूद्रों के धर्मों को कहेंगे राजा के लिये नित्य के कर्म का उपदेश हो चुका ।

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम् ।

वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे ॥३२६॥

(३२६) वैश्य संस्कार करवा कर विवाह करके पशु रक्षा व कृषि आदि में सदा रत (संलग्न) रहे ।

प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून् ।

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः पारिददे प्रजा ॥३२७॥

(३२७) परमात्मा ने पशु के पालने के अर्थ वैश्य को नियत किया और प्रजा के पालन व रक्षार्थ ब्राह्मण और क्षत्रिय को उत्पन्न किया ।

न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति ।

वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥३२८॥

(३२८) वैश्य यह इच्छा न करे कि पशु रक्षा न करेगा, कृषि आदि करता हुआ भी पशुओं को अवश्य रक्षा करे और जब तक वैश्य पशुओं की रक्षा करे तब तक अन्य वर्ण न करे ।

मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च ।

गन्धानां च रसानां विद्यादर्धवलावलम् ॥३२९॥

(३२९) मणि, मुक्ता (मोती); प्रवाल (मूँगा), लोहा, सूत व

सुगन्धित द्रव्य तथा रस इन सत्रों का मुख्य देश काल को समझ कर न्यूनाधिक नियत करे ।

वीजानामुप्लिविच्च स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च ।

मानयोगं च जानीयात्तुलापोमांश्च सर्वशः ॥३३०॥

(३३०) खेत का दोष व गुण व बीज बोने की विद्या, प्रस्थ व वरुण आदि योगों का ज्ञान तथा तोला मापा आदि तोल परिणाम संख्याओं का ज्ञान वैश्य होवे ।

मारासारं च भासद्धानां च गुणागुणान् ।

लाभालाभं च पश्यानां पशूनां परिचर्धनम् ॥३३१॥

(३३१) बर्तनों का सारा मार, देगों का गुण अथगुण, बेचने वाली वस्तु की लाभहानि पशुओं की पृष्टि इनसबको जाने ।

भृत्यानां च भूतिं विद्याद्भूतार्थं विविधां नृणाम् ।

द्रव्याणां स्थानयोगार्थं क्रयविक्रयमेव च ॥३३२॥

(३३२) भृत्यों (नौकरों) का वेतन, बहुप्रकार के मनुष्यों की भाषा धन आदि द्रव्यों के स्थान का योग (उपाय) और क्रय (खरीदना) विक्रय (बेचना) इन सब को जाने ।

धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठे घृत्नमुत्तमम् ।

दद्याच्च सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३ ॥

(३३३) द्रव्य की वृद्धि में धर्मयुक्त उत्तम उपाय करे सब जीवों के राने पीने का उत्तम रीति से प्रयत्न करे ।

विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् ।

शुश्रूषैव तु शत्रुस्य धर्मो नैश्रेयसः परः ॥३३४॥

(३३४) वेदपाठी व सदाचारो गृहस्थ ब्राह्मणों की सेवा शत्रुओं को मोह प्राप्त कराने का सर्वोत्तम साधन है ।

शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषीमृदुवागऽनहंकृत ।

ब्राह्मणाद्यश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥३३५॥

(३३५) शुचिता, वृद्धों, व धिद्वानों की सेवा सुधुपा, प्रिय भाषण, अहङ्कार का परित्याग, सदैव ब्राह्मणों की शरण में रहना, यह सब कार्य शूद्रों को उत्तम जाति प्राप्त कराने वाले हैं ।

एपोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः ।

आपद्यपि हि हि यस्तेषां क्रमशस्तन्नि बोधत ॥३३६॥

(३३६) आपद समय न होने पर यह नियम चारों वर्णों के हेतु कहा । अब आपद (विपत्ति) समय में इन्होंने उचित कर्मों को यथाक्रम कहते हैं ।

मनुजी के धर्मशास्त्र और भृगुजी की संहिता का नवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

दशमोऽध्यायः ।



अधीयीरंस्त्रयो वर्णाःस्वकर्मस्था द्विजातयः ।

प्रवूयाद्ब्रह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ १ ॥

(१) ब्राह्मण क्षत्रिय व शैश्य तीनों वर्ण अपने कर्मों में स्थित होकर वेद की आज्ञानुसार निजधर्म को करते हुए वेद को पढ़ें । ब्राह्मण तो दूसरों को वेदाध्ययन करावे किन्तु क्षत्रिय व शैश्य न करावें यदि यह दोनों वेदाध्ययन करावें तो प्रायश्चित्त करें ।

सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद्वृत्त्युपायान्यथाविधि ।

प्रत्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत् । २ ।

(२) ब्राह्मण सब लोगों की जीविका विधि को वेद के अनुसार जान और दूसरों को समझावे और स्वयम् भी वैसा ही आचरण करे ।

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रौष्ठुपान्नियमस्य च धारणात् ।

संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः । ३ ।

(३) श्रेष्ठ जाति और उत्तम स्थान से उत्पत्ति और नियम के धारण और उत्तम संस्कार इन कारणों से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और सब वर्णों का गुरु तथा प्रभु है ।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रा नास्ति तु पञ्चमः । ४ ।

(४) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीनों वर्ण × द्विजन्मा कहलाते हैं और चौथा वर्ण शूद्र एक जन्मा कहलाता है । अन्य पाँचवाँ वर्ण नहीं है ।

सर्ववर्णेषु तुन्यासु पत्नीष्वक्षतपोनिषु ।

आनुलोम्भेन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते । ५ ।

(५) सब वर्णों में इन स्त्रियों से, जो सजातीय, विवाहित व पाणिप्रदण समय अक्षत योनि हो, जो सन्तान उत्पन्न होती है वह समान वर्णों (अर्थात् माता पिता के वर्ण वाली) कहलाती है

× द्विज के अर्थ दो जन्म वाले हैं पहला जन्म तो माता पिता द्वारा होता है और दूसरा जन्म गुरु और विद्या के द्वारा होता है । जिसका दूसरा जन्म न हो वह शूद्र है ।

स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्मुतान् ।
सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥

(६) ❀ द्विज और एक जाति का अन्तर वाली स्त्री से जो सन्तान उत्पन्न होवे वह आप सदृश कहलाती है परन्तु उसमें माता का दोष विगर्हित है ।

अनन्तरासु जातानां विधिरेषः सनातनः ।

द्वयेकान्तरासु जातानां धर्म्यविद्यादिमं विधिम् ॥७॥

(७) एक जाति के अन्तर में उत्पन्न सन्तान के प्राचीन विधि को कहा अब दो एक जाति के अन्तर से उत्पन्न सन्तान की विधि को कहते हैं ।

ब्राह्मणद्वैश्याकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ।

निपादः शूद्रकन्यायां य पारशव उच्यते ॥ ८ ॥

(८) ब्राह्मण से विवाहित वैश्या (वैश्य कन्या) में अम्बष्ठो नाम संतान उत्पन्न होती है और ब्राह्मण से विवाहित शूद्र कन्या में निपाद जाति वाला उत्पन्न होता है निपाद को पारशव भी कहते हैं ।

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां कुराचारविहारवान् ।

क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ ९ ॥

❀ महाभारत पर्व अध्याय ४६ श्लोक ४ व अध्याय ४७ श्लोक ७, ८, १३, व १७ के अनुसार ब्राह्मण से ब्राह्मणी व क्षत्राणी में ब्राह्मण तथा ब्राह्मण व वैश्यों में वैश्य क्षत्रिय से क्षत्राणी व वैश्यानी में क्षत्रिय, वैश्य से वैश्या व शूद्राणी में वैश्य वर्ण की गणना होती है ।

(६) + क्षत्रिय से विवाहित शूद्र कन्या में क्रूराचारी विहारवान्, क्षत्रिय शूद्रांग वाला उग्र नाम जाति वाला होता है ।

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयो ।

वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्पडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥१०॥

(१०) ब्राह्मण ने क्षत्राणी आदि तीन वर्णों की स्त्री में, और क्षत्रिय से वैश्य आदि दो वर्णों की स्त्री में जो संतान उत्पन्न होती है वह पड (छह) अपसद अर्थात् निकृष्ट कहलाती है ।

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां क्षतो भवति जातितः ।

वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥११॥

(११) आनुलोम को वर्णन करके प्राति लोम को कहते हैं— क्षत्रिय के ब्राह्मण की कन्या में सूत जाति वाला होता है और वैश्य से क्षत्रिया में मागध और वैश्या से ब्रह्मणी कन्या में वैदेह जाति वाला होता है ।

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाऽधमो नृणाम् ।

वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥१२॥

+ अमवष्ट, पारशव, उग्र आदि किसी विशेष जाति का विलग नाम नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रकार की संतान चारों में से किसी एक वर्ण की होती है । आवष्टों कतिपय राजाओं का नाम भी था महाभारत कर्ण पर्य छठा अध्याय क्षत्रियों में एक जाति अम्वष्टु है चित्र गुप्त के पुत्र का अमवष्टो उपनाम हुआ था, और चित्र गुप्तवंशी भविष्य पुराण के अनुसार वाच्यम पृष्ठ १६३२ के क्षत्रिय वर्ण से चित्रगुप्त को पारासर स्मृति वा शेष पुराण में चौदह यम में एक यम स्थिर किया है और यम का वर्णन रातपथ ब्राह्मण यजुर्वेद मण्डल के मन्त्र ४-२-२३ में क्षत्रिय लिखा है,

भल्लो मल्लश्च राजन्याद्ब्रात्यान्निच्छिविरेव च ।
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ २२ ॥

(२२) ब्रात्याक्षत्रिय से क्षत्राणी में भल्ल जाति वाले होते हैं उनका नाम भल्ल, मल्ल, निच्छिव, नट, करण, खस, द्रविड है ।

वैश्याच्च जायते ब्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च ।
कारूपश्च विजन्ता च मैत्रः सात्वत एव च ॥२३॥

(२३) ब्रात्या वैश्य से वैश्या कन्या में सुधन्व आचार्य जाति वाले होते हैं उनको कारूप, विजन्ता, मैत्र, सात्वता जाति वाले कहते हैं ।

व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च ।
स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥२४॥

(२४) अन्य जाति पुरुष से अन्य जाति की स्त्री में भोग विवाह के अयोग्य है उससे विवाह करना, निज कर्मों का त्याग इन सब बातों से वर्णसङ्कर उत्पन्न होते हैं ।

संकीर्णयोनि यो ये तु प्रतिलोमाऽनुलोमजाः ।
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥२५॥

(२५) अनुलोम और प्रतिलोम करके पारस्परिक सम्बन्ध से जो संकीर्ण (वर्ण सङ्कर) योनि है उसको मैं कहूँगा ।

सूतो वैदेहकश्चैव चाण्डालश्च नराधमः ।
प्रागधः क्षत्रजातिश्च तथाऽयौगव एव च ॥२६॥

(२६) सूत, वैदेहक, चाण्डाल, मागध, क्षत्र, आयो, गव

एते पट् सदृशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु ।

मातृ जात्यां प्रसूयन्ते प्रवराषु च योनिषु ॥ २७ ॥

(२७) वह छः जव समान वर्ण की स्त्री में अपने समान वर्ण का पुत्र उत्पन्न करते हैं । यहाँ पिता और माता के एक वर्ण होने में उस वर्ण की सन्तान की उत्पत्ति जाननी चाहिये ।

यथा त्रयाणां वर्णानां द्वयोरात्मास्य ज्ञायते ।

आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात् ॥ २८ ॥

(२८) जिस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में से दो में से दो में अपनी नाईं उत्पन्न होता है उसी तरह आनन्तर (खारिज) जाति में भी क्रम से होता है ।

ते चापि बाह्यान्मुद्गहंस्ततोऽप्यधिकदूषितान् ।

परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ २९ ॥

(२९) आयो गव आदि छः सवर्णा स्त्री में अनुलोम करके भी अति दुष्ट पुत्र उत्पन्न करते हैं जैसे आयो गव क्षताकी स्त्री में अपने से नीच को उत्पन्न करता है और क्षता भी आयो गवकी स्त्री में अपने में नीच को उत्पन्न करता है इस प्रकार अन्य जाति के लोगों में भी जानना चाहिये ।

यथैव शूद्रो चाहमण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते ।

तथा बाह्यंतरं बाह्यश्चातुर्वर्ण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥

(३०) जैसे शूद्र ब्राह्मणी में चांडाल को उत्पन्न करता है वैसे ही चारों वर्णों की स्त्रियों में अपने से भी नीच पुत्र को उत्पन्न करता है ।

प्रतिकूलं वर्तमानो बाह्या बाह्यतरान्पुनः ।

हीनाहीनान्प्रमूयन्ते वर्णान्यश्वदशैः तु ॥३१॥

(३१) शूद्र से उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य की स्त्री में आयेक्षता, चाण्डाल तीनों चारों वर्णों की स्त्रियों और अपनी सवर्ण स्त्री में आप से नीचातिनीच पन्द्रह पुत्र उत्पन्न करते हैं और अनुलोमज से हैं। वैश्य व क्षत्रिय से उत्पन्न मागध वैदेहक सूत यह तीनों चारों वर्णों की स्त्री व अपने सवर्ण स्त्री से आप से नीच पन्द्रह पुत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार तीस पुत्र हुये अथवा १-चाण्डाल, २-क्षता ३-आयो, ४-गव, ५-वैदेहिक, ६-मागध, ७-सूत यह छः पूर्व पूर्व २ से अन्त २ के उत्तम हैं यही छटवाँ कृत लोम करके पुत्रोत्पन्न करे तो पन्द्रह पुत्र उत्पन्न होते हैं जैसे चाण्डाल से पाँचों वर्णों की स्त्रियों में पाँच पुत्र उत्पन्न हुये, आयोगव से तीनों स्त्री में तीन पुत्र उत्पन्न हुये, वैदेहक से दोनों वर्णों की स्त्री में दो पुत्र उत्पन्न हुये, मागध से एक वर्ण की स्त्री में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सूत से आगे कोई नहीं है। इससे कोई प्रीति लोम उत्पन्न नहीं होता इस रीति से पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हुये श्लोक में शृगुजी ने पुनः शब्द का उल्लेखन किया उसका अर्थ यह है कि १-सूत, २-मागध, ३-आयो, ४-गव, ५-क्षता, ६-चाण्डाल

नोट--श्लोक २२से २६ तक वर्णन में पहुँचा न केवल ब्रह्मचर्याश्रम के समाप्त होने तक रहती है तत्परचात्तूर हो जाती क्योंकि हमसिद्धान्तों के अनुसार व्याप्त पारशव थे परन्तु तदुपरान्त ऋषि होगये।

(२) उत्पत्ति से वर्ण केवल ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति तक उतनी ही गृहस्थाश्रम में गुरुकुल को व्यवस्थानुसार वर्ण होता है और जो यहाँ शूद्र और ब्राह्मण मिले गये हैं वह सब गुणकर्म से जानने चाहिये।

(३१) यह छः कर्म अन्तिम २ से पूर्व पूर्व के उत्तम हैं यह छहों प्रतिलोम विधि से पुत्रोत्पन्न करें तो १५ पुत्र उत्पन्न हुये हैं, सूत से पाँचो वर्णों की स्त्री में पाँच मागध से चारों वर्णों की स्त्री में चार वेदेहक से तीनों वर्णों की स्त्री में तीन, अयोगव से दोनों वर्णों की स्त्री में दो, क्षत्रा से एक वर्णों की स्त्री में एक, चाण्डाल से कोई नौच नहीं है इससे अनुलोम नहीं होता इस प्रकार पन्द्रह हुये । दोनों जोड़ने से ३० हुये ।

प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम् ।

सैरिन्द्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

(३२) केराँ को ठीक प शुद्ध (साफ) करने वाला, जूठा भोजन खाने के अतिरिक्त नहलाना धुलाना आदि सेवा के कार्य का ज्ञाता, कपट आदि द्वारा अथवा हिरन आदि के घष द्वारा उपजीवी सैरिन्द्र नाम पुत्र को आयोगव की स्त्री में दस्यु नाम जाति वाला पुरुष (जिसका लक्षण ४५ वें श्लोक में कहेंगे) उत्पन्न करता ।

मैत्रेयकं तु वैदेहो माधुकं संप्रसूयते ।

नृन्प्रशंसत्यजस्र यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ ३३ ॥

(३३) आयोगव की स्त्री में वैदेहिक से, मैत्रेय नाम पुत्र प्रियभाषी उत्पन्न होता है जो प्रतःकाल को घंटा घजाकर राजा आदि की प्रशंसा करता है ।

निपादो मार्गवं सूते दामं नौकर्मजीविनम् ।

कैवर्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिन ॥ ३४ ॥

३१ वें श्लोक में यह दिखलाता है कि संस्कार भ्रष्ट पुरुषों की सन्तान भी वैसी पवित्र (गिरवी) होती है ।

(३४) निपाद से आयोगव की स्त्री में मल्लाही जीविका वाला दास नाम व मार्गव नाम पुत्र उत्पन्न होता है जिसको आर्यावर्त निवासी कैवर्त्त कहते हैं।

मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु गहितान्नाशनासु च ।

भवन्त्यायोगवीप्वेते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥३५॥

(३५) सैरिन्ध्री, मार्गव व मत्रेथी तीनों नीच जाति आयोगव की उस स्त्री में पिता की विभिन्नता से पृथक् पृथक् पैदा होते हैं जो कि कफन उतार कर और द्वेष स्वभाव वाले हैं गर्हितभोजन करने वाले हैं।

कारावरो निपादात्तु चर्मकारः प्रसूयते ।

वैदेहिकादन्ध्रमेदो वहिर्ग्रामप्रपिश्रयौ ॥ ३६ ॥

(३६) निपाद से वैदेहिक की स्त्री में अन्ध जाति वाला पुत्र और निपाद की स्त्री में भेद जाति वाला पुत्र उत्पन्न होता है यह दोनों गाँव के बाहर वास करने वाले होते हैं।

चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्ववसारव्यहारवान् ।

आर्हिण्डको निपादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ ३७ ॥

(३७) चाण्डाल से वैदेहक की स्त्री में बाँस के व्यापार द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला पाण्डु व सोपाक जाति वाला उत्पन्न होता है और उसी स्त्री में निपाद से आर्हिण्डक जाति वाला पुत्र होता है।

चण्डालेन तु सोपाको मूलं व्यसनवृत्तिमान् ।

पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥

(३८) चाण्डाल से पुक्कस की स्त्री में सोपाक जाति वाला पुत्र उत्पन्न होता है जो कि राजाशा के अनुसार वध योग्य

पुरुषों के लिये अधिक का प्रार्थ्य करने वाला और उनी द्वारा जीवित निर्वह करने वाला और पापी रुदैव माधु लोगों द्वारा गहित कहलाने वाला हाता है ।

निपादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् ।

श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गहितम् । ३६ ।

(३६) चाण्डाल से निपाद की स्त्री में श्मशान भूमि का वासी सबसे गहित कहलाने वाला अन्त्यावसापि नाम जातिवाला पुत्र उत्पन्न होता है ।

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदशिताः ।

प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स्वकर्मभिः॥४०॥

(४०) संकर जाति में माता पिता से इतनी जातियों का प्रगान किया वह जात प्रकट हों वा गुप्त हों परन्तु अपने २ कार्यो (कर्मों) द्वारा जाती जानने योग्य हाती है ।

सजातिजानन्तरजा पट् सुता द्विजधर्मिण ।

शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्नसजा स्मृताः॥ ४१ ॥

(४१) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों से अपनी अपनी जाति की स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं और ब्राह्मण से क्षत्राणी व क्षत्रिय से वैश्या व वैश्या से शूद्रा में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वह छद्म द्विज के कर्म वाले होते हैं अर्थात् जनेऊ आदि संस्कारों के योग्य होते हैं इसके अतिरिक्त जो प्रतिलोम से उत्पन्न है वह सब शूद्र के कर्म वाले कहलाते हैं ।

तपोर्गजप्रभागेस्तु ते गच्छन्ति युगेयुगे ।

तत्कपर्चापकर्पच मनुष्येऽपिह जन्मतः ॥ ४२ ॥

ॐ क्योंकि जन्म का हाल सब किसी को ज्ञात नहीं हो सकता अतः मनुजी ने कर्मों द्वारा वर्णों को पहिचान बतलाई है ।

(४२) × प्रत्येक युग तप तथा वीज के कारण उत्तम व नीच वर्ण वाले लोग गिने जाते हैं अर्थात् समान वर्ण माता पिता से उत्पन्न उसी वर्ण के कहलाते हैं यदि उनमें उसी वर्ण के गुण हों ।
 शनकैस्तु क्रियालोषादिमाः क्षत्रियजातयः ।

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादरिनेन च ॥४३॥

(४३) धीरे धीरे क्रिया के लोप होने से और ब्राह्मण के न देखने से निम्नांकित क्षत्रिय संसार वृषल (शूद्र) हो गये ।

पौण्ड्रकाश्चौण्ड्रविडाः काम्योजा यवनाः शकाः ।

पारदाः पल्लवारचीना किराता दरदाः खशाः ॥४४॥

(४४) ❀ पौण्ड्रक, औंड्र, द्रविड, काम्योज, यवन, शक, पारस

+४२ वें श्लोक में जो तर व वीज व अरुपता व अपरुपता बतलाई गई है उसका तात्पर्य यह है कि प्रथम आश्रम में अर्थात् २५ वर्ष की आयु पर्यन्त तो माता पिता के वर्ण वाला होता है शेष तीन आश्रमों में अपने गुण कर्मानुसार वर्ण वाला होता है इससे स्पष्ट तथा गुण व कर्म को वर्ण चिह्न मानना चाहिये क्योंकि शास्त्रोंमें लिखा है कि ब्राह्मण का आठवर्ष में यज्ञोपवीत हो, क्षत्रिय का ग्यारह वर्ष में हो तो यह सब वीज के कारण होते हैं क्योंकि प्रथम आश्रम में गुण कर्म होने में पिता का वर्ण पाया जाता है और अन्य आश्रमों में अपने गुण कर्म से जानना ।

❀ ४४ वाँ श्लोक स्पष्ट बतला रहा है कि किसी समय में सारे संसार में वैदिक धर्म और आर्य चिह्न प्रचलित रहे हैं और धीरे २ लोग उससे पतित होगये । संसार में दो प्रकृति के मनुष्य हैं एक उत्तम दूसरे नीच उत्तम वह है कि जो संसार से नित्य स्वामी अर्थात् परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं और नीच वह है जो उसकी आज्ञा को न मान कर मनुष्य पूजा व मूर्तिपूजा में

पड़ गये हैं और हिमा आदि पाहवा चीन, किरात, दरद रस इन देशों के निवासी क्षत्रिय लोग जनेऊ आदि सभ्कारों तथा स्वाध्याय (वेदाध्ययन) यह कर्म न करने से शूद्र हो गये ।

मुखवाहूरुपज्जानां या लोकेजातयो बहिः ।

भ्लेच्छत्राचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्पवः स्मृताः ॥४५॥

(४५) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों के कार्यों को त्याग देने से जितनी जाति चाहे उनका नाम संस्कृत विद्या का हो वा अन्य भाषा का हो वह सत्र जातियाँ (फिरकः)

दस्यु कहलाते हैं ।

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः ।

ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥४६॥

(४६) द्विजों से जो आपसद आदि जो आनुलोम द्वारा, उत्पन्न हुए हैं और जिनका वर्णान दशवे' श्लोक में हुआ और भी जो प्रतिलोम से उत्पन्न होते हैं यह सत्र द्विजों के निन्दित कर्म द्वारा कालयापन करें ।

पापों को करते हैं क्योंकि प्रत्येक स्वामी का एक नियम होता है इसी प्रकार उस नित्य परमेश्वर का नियम वेद है और वेद के अनुमार आचरण वाज्ञे आर्य और उसके विरुद्धाचरिणी दस्यु कहलाते हैं । क्योंकि वेद परमेश्वर के गुणों विशेषणों (सिफात) को हानि नहीं पहुँचाता और न कोई अन्य वस्तु को परमेश्वर के साथ सम्मिलित करता है अतएव वही ईश्वरीय आज्ञा का बताने वाला है शेष ग्रन्थ (पुस्तकें) जिसमें लोगों के भाग आदि उल्लिखित हैं मनुष्यों द्वारा रचित है उसमें जो बात वेद के अनुसार है वह जानने योग्य है और जो वेद के विरुद्ध वह सर्वथा अमान्य व असत्य है ।

सूतानामश्वसारथ्यमग्धानां चिकित्सनम् ।

वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथः ॥ ४७ ॥

(४७) सूत का कार्य रथचाल (सारथ्य) करना, अश्वघटो का कार्य चिकित्सा करना, वैदेहक कार्य नाचना, मागध का कार्य वाणिज्य ।

मत्स्वातो निपादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च ।

भेदान्ध्रुचुचुमद्गूनामारण्यपशुहिंसनम् ॥ ४८ ॥

(४८) निपाद का कार्य मछली मारना, आदौगव का कार्य लकड़ी काटना, हेड़ अन्ध, चुन्च, मार्गव इनकी जीविका पशु हिंसा करना ।

क्षत्रग्रपुक्कपानां तु विलोकोवधबन्धनम् ।

विग्याणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥

(४९) क्षत्र उग्र पुक्कस की जीविका विज्ञ में रहने वाले जीवों का घघ करना व उनका बन्धन करना, विग्यण की जीविका चमड़े का कार्य करना, वेणुजाति का कार्य मृदङ्ग आदि बजाना ।

चैत्यद्रुमशमशानेषु शैलपुपवनेषु च ।

वलेपुरेते विज्ञातो वर्तयन्तः स्वरुर्मभिः ॥ ५० ॥

(५०) यह सब लोग प्रसिद्ध वृक्षों (पेड़ों) की जड़ में जो पत्थर पहाड़ वन में अपने कर्मों के अनुसार जीविका निर्वाह करते रहे ।

ॐ ४७ वैदिक श्लोक से ४९ श्लोक तक वर्ण संस्कारों के कार्यों का वर्णन है कोई वर्णाश्रमी यह न समझे कि यह हमारा धर्म है ।

चारुडालश्चपचानां तु वद्विर्गामात्प्रतिश्रयः ।

अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेपां श्वगर्दभम् ॥५१॥

(५१) चाखडाल व स्वपच यह दोनो ग्राम के बाहर वसे पात्र (वरतन) आदि से वञ्चित है और उनका धन कुत्ता व गर्दभ (गदहा) है ।

वासांसि मृतचैलानि भिन्नाभान्टेपु भोजनम् ।

काष्णायिसमलंकारः परिशृज्या च नित्यशः ॥५२॥

(५२) पुरुष के वस्त्र पहने, दूटे फूटे वरतनों में भोजन करे लोहे के आभूषण पहरे और सदैव घूमते रहे (गश्त लगाते रहे) न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् ।

व्यवहारो मिथस्तेपां निवाहः सदृशैः सह ॥५३॥

(५३) धर्मात्मा पुरुष इन लोगों के साथ दर्शन आदि व्यवहार न करे इनका विवाह परस्पर होता है और व्यवहार भी अपने ही में करे ।

अन्नमेपां पराधीनं देयं स्याद्विन्नभाजने ।

रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

(५४) उनका भोजन दूसरो के अधीन है । फूटे वरतन में अन्न देना चाहिये और वह लोग रात्रि में गाँव व नगर में घूमने न पावें ।

दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिन्हिता राजशासनैः ।

अवान्प्रवं शनं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५ ॥

(५५) यह लोग जाति चिन्ह के सहित राजा की आज्ञा के कार्यार्थ दिन में फिरे और जिस मृतक का कोई सम्बन्धी न हो उसको ले जावे यह शास्त्र का नियम है ।

वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपान्नया ।

वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणाति च ॥ ५६ ॥

(५६) यह लोग राजा को आज्ञा से शास्त्र विधि के अनुसार वध योग्य पुरुषों को वध करें और उन्हीं वध्य (मरुतल) पुरुषों के वस्त्र, शय्या, आभूषणों को लें।

वर्णपितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् ।

आर्यरूपमिवानार्यकर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ॥ ५७ ॥

(५७) जो पुरुष नीच जाति से उत्पन्न हुआ हो वर्ण से पृथक् होकर रहे तो, परन्तु जानने में न आता हो, आर्यरूप हो परन्तु अनार्य हो तो उसके कर्मों से उसकी जाति को जाने ।

अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता ।

पुरुषं व्यजयन्तीह लोके कलुषयोजिनम् ॥ ५८ ॥

(५८) अनार्य (आर्य न होना) अर्थात् सत्य (नेकी) से घृणा करना, निष्ठुर व क्रूर होना, शास्त्रानुसार कर्म न करना यह बातें मनुष्य की उत्पत्ति नीच कुल में वतलाती हैं ।

पितॄणां वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा ।

न वयं न दुर्वीनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥

(५९) मनुष्य माता पिता के स्वभाव को प्रहण करता है वा दोनों की सम्मिलित प्रकृति सीखता है परन्तु नीच कुल का मनुष्य अपनी नीचता से दुष्ट प्रकृति को नहीं छोड़ता ।

कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः ।

संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥

(६०) जो पुरुष उत्तम कुल में नीच कुल की माता से उत्पन्न होता है वह अपने पिता के सारे गुणों को प्रहण करता है ।

यत्र त्येते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः ।

राष्ट्रिकः सह तद्राष्ट्रं चिग्रमेव विनश्यति ॥६१॥

(६१) जिस राज्य में वर्णों को दूषित करने वाले वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वह राज्य प्रजासहित शीघ्र नाश हो जाता है ।

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतिः ।

स्त्रीवालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम् ॥६२॥

(६२) वर्णों के पृथक् मनुष्यों के हेतु ब्राह्मण, गऊ, बालक स्त्री की रक्षा के अर्थ प्राण दे देना सिद्धि का पूरा कारण है ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽत्र त्रीमनुः ॥ ६३ ॥

(६३) अहिंसा (हिंसा जो ब को न मारना), सत्य बोलना, चोरी न करना, शुचिता, इन्द्रिय निग्रह इन सब धर्मों का मनुजी ने चार वर्णों के अर्थ कहा है ।

शूद्राणां ब्राह्मणज्जाता श्रेयसा चेत्प्रजापते ।

अश्रेयात् श्रेयसीं जातिं गच्छयासप्तमाद्युगात् ।६४।

(६४) शूद्रा स्त्री में ब्राह्मण के वीर्य से पुत्री उत्पन्न हो पाराशवी कहाती है फिर उस पुत्री से ब्राह्मण विवाह कर पुत्री उत्पन्न करे इसी प्रकार छः बार पुत्री उत्पन्न हो और ब्राह्मण से विवाह करे तो अन्त की सन्तान ब्राह्मण हो जाती है ।

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणैरनीति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वय्यात्तथैव च ॥ ६५ ॥

× शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र बन

× वर्ण का अधिकार गृहस्थाश्रम में होता है यदि ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य का पुत्र वेदानुकूल उत्पन्न संस्कार व वेद आरंभ

सकता है इसी प्रकार क्षत्रिय और ब्राह्मण भी शूद्र हो सकते हैं। अपने वर्ण से गिर कर दूसरे वर्णों में चले जाते हैं।

अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणांचु यदृच्छया ।

ब्रह्मणयानप्यनार्यात्तु श्रेयस्त्वं क्वेति चेद्भवेत् ॥६६॥

(६६) शूद्रों में ब्राह्मण से उत्पन्न व ब्राह्मणी में शूद्र से उत्पन्न इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसका उत्तर आगामी श्लोक में देते हैं।

जातो नार्यामनार्यायामार्यादार्यो भवेद्गुणः ।

जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्यइति निश्चयः ॥ ६७ ॥

(६७) उत्तम बीज योने से नीची योनी में उत्पन्न हुआ अर्थात् ब्राह्मण से शूद्रों में उत्पन्न हुआ यज्जादि उत्तम कर्मों के करने से श्रेष्ठ हो सकता है और नीच बीज से ऊँची योनी में उत्पन्न हुआ श्रेष्ठ नहीं।

ताद्युभावस्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः ।

वैगुण्याज्जनानः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥६८॥

(६८) यह सिद्धान्त नहीं है कि दोनों संस्कार योग्य नहीं हैं क्योंकि प्रथम नीच जाति में उत्पन्न हुआ है और दूसरा प्रतिलोभ है।

संस्कार न करे तो वह द्विज नहीं हो सकते और जब द्विज न हुए तो वह शूद्र कहलायेंगे और शूद्र के पुत्र के यथाविधि वैदिक रीति व सभ्य संस्कार होकर उपनयन और वेदारम्भ हो जावेतो वह द्विज होकर गुण तथा कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की पदवी पाता है।

ॐ ६७ व ६८ श्लोक सम्मिलित किए हुए हैं क्योंकि व्यास आदि नीच योनि में उत्पन्न हुये और उनके संस्कार होकर चढ़े श्रद्धि हो गये। इससे गुण तथा कर्म श्रेष्ठता है।

सुवीजं चैव सुक्षेत्रे जातं संपद्यते यथा ।

तथार्याज्जात अर्यायां सर्वं संस्कारमर्हति ॥ ६६ ॥

(६६) जिस प्रकार उत्तम बीज उत्तम खेत पड़ने से उत्तम अन्य उपजता है उसी प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्य से श्रेष्ठ स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र सब संस्कारों के योग्य होता है ।

बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः ।

बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रैयंतु व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥

(७०) कोई परिद्धत बीज को श्रेष्ठ कहते हैं कोई खेत को और कोई दोनों को श्रेष्ठ कहते हैं । इस अध्यायमें अब जो विषय वर्णन करेंगे उसको जानना ।

अक्षेत्रे बीजं मुत्सृष्टमन्तरैव विनश्यति ।

अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत् ॥ ७१ ॥

(७१) उसर भूमि में जो बीज पड़ता है वह निष्फल जाता है अर्थात् जमता नहीं है और खेत अच्छा है परन्तु उसमें बीज नहीं है तो यह केवल स्थण्डिल (चबूतरा) ही है उसमें अन्न नहीं उपजता है इससे दोनों की श्रेष्ठता है उत्तम बीज उत्तम खेत में पड़े तो उत्तम अन्न उपजे । पूर्व ही कह आये हैं वही माननीय है कि दोनों को श्रेष्ठता है ।

यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन् ।

पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते ॥७२॥

(७२) जिस कारण से नीच वर्ण से उत्पन्न होकर भी बहुत लोग पूजा योग्य ऋषि हो गये । वही बीज उत्तम जानना चाहिए, क्योंकि खेत और बीज में बीज श्रेष्ठ है ।

(७६) शस्त्र (हथियार) अस्त्र (जो मन्त्र पढ़ कर फेंका जाय) का धारण करना क्षत्रियों का कर्म है और व्यापार करना व गऊ आदि पशुओं की रक्षा व खेती करना वैश्य का काम है। पढ़ना, यज्ञ करना, तथा दान देना यह धर्म क्षत्रिय व वैश्य दोनों का है।

वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षरणम् ।

वार्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥८०॥

(८०) अपने अपने कर्मों में एक एक श्रेष्ठ कर्म तीनों का है अर्थात् ब्राह्मण को पढ़ना क्षत्रिय का संसार की रक्षा करना और वैश्य को वाणिज्य (व्यापार) करना।

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्पेन कर्मणा ।

जीवेत्क्षत्रिधर्मेण स ह्यास्य प्रत्यनन्तरः ॥८१॥

(८१) जब ब्राह्मण को अपने कर्म द्वारा निर्वाह करना कठिन हो तो वह क्षत्रिय के कर्म द्वारा निर्वाह करे क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय में अति न्यून अन्तर है।

उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥८२॥

(८२) यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय के कर्मों से जीवन निर्वाह न हो सके तो वैश्य के कर्मों द्वारा निर्वाह करे परन्तु यह निर्वाह विपत्ति काल के लिये उचित है प्रत्येक समय नहीं।

वैश्यघृत्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा ।

हिंसाप्रायां परीनां कृषि यत्नेन वर्जयेत् ॥८३॥

(८३) + ब्राह्मण व क्षत्रिय भी वैश्य के धर्म से निर्वाह करते हुये जहाँ तक सम्भव हो कृषि (खेती) न करे जो कि अन्य के आधीन है अर्थात् हल आदि के बिना कुछ फल प्राप्त नहीं होता कृषि साध्विति मन्यन्ते साः वृत्तिः सद्विगर्हिता ।

भूमि भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ।८४।

(८४) कृषि को उत्तम कहता है सो सत्य नहीं है क्योंकि भूमि को और भूमि के भीतर के निवासी जीवों को काठ और लोहे का मुख रखने वाला (हल, सीता) नाश करता है इससे साधु लोगों ने उध जीविका को निन्दा की है ।

इदं तु वृत्तिवैकल्याच्यजतो धर्मनैपुण्यम् ।

विट्पण्यमुद्भृतोद्धारं विक्रयेण विचावर्धनम् ।८५।

(८५) ब्राह्मण क्षत्रिय अग्नी जीविका से निर्वाह न कर सकें तो वैश्य की जीविका से निर्वाह करे तथा आगामी में जो वस्तु बेचना वर्जित करेगे उनके अतिरिक्त धन को उन्नति देने वाली वस्तुओं को बेचे ।

सर्वान्रमानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह ।

श्रमनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः ।८६।

(८६) सब रस, रसों, तिल, पत्थर, नमक, पशु व मनुष्य इन सब को न बेचे । रस के वर्जने से नमक का निषेध सिद्ध है पत्थर जो नमक का निषेध किया तो दोष का वदप्यन प्रकट करने के लिये कहा वह भी प्रायश्चित्त को बढाई के हेतु है इसी प्रकार इनके निषेध को प्रत्यक् २ जान लेना चाहिये ।

+ ८३ वे श्लोक में जो कृषि को वर्जित किया है केवल ब्राह्मण के लिए है अन्यथा सारे कर्मों में कृषि उत्तम है क्योंकि उसने परमेश्वर का आश्रय लिया है ।

(६६) ❀ यदि नीच जाति वा अयोग्य पुरुष लोभवश उत्तम काम वाले पुरुषों के कर्म से निर्वाह करे तो राजा उसकी सारी सम्पत्ति हरण करके उसे राज्य से बाहर कर दे ।

वरं स्वधर्मी विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः ।

परधर्मेण जीवन्दि सद्यः पतित जातितः । ६७।

(६७) अपने वर्ण का धर्म चाहे हीन तथा गुण रहित हो वह भी श्रेष्ठ है और दूसरे वर्ण का धर्म चाहे लाभदायक भी हों परन्तु वैसी योग्यता न होने से अपने का जाति से च्युत (पतित) कर देने वाला है ।

वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत् ।

अनाचरन्नस्वधर्माणि निवर्तेत च शक्तिमान् । ६८।

(६८) वैश्य अपने कर्म से निर्वाह न कर सके तो शूद्र के कर्म से निर्वाह करे और जो कर्म करने योग्य नहीं हैं उसको न करे ।

अशक्नुवस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् ।

पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः । ६९।

(६९) शूद्र द्विजन्मान्ओं की सेवा न कर सके, और उसकी स्त्री व सन्तान लुघा से पीड़ित हो, तो रसोई करने वालों के कर्म से निर्वाह करे ।

यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।

तानि कारुककर्माणि शिष्यानि विविधानि च । १००।

❀ ६६ श्लोक में होने के योग्य के कर्म से इस हेतु वर्जित किया है कि जिसमें छल व हानि न हों क्योंकि 'नीम इकीम सतरे जान, और 'नीम मुल्ला खतरा ईमान, प्रसिद्ध है ।

(१००) जिन कर्मों से द्विजन्माओं की सेवा हो सके वह फल अर्थात् बड़ई चित्रकार, आदि विविध प्रकार के कर्म करे।

वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्ब्राह्मणः स्वै पथि स्थितः ।

अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्मं ममाचरेत् ।१०१।

(१०१) जो ब्राह्मण वैश्य के कर्मको न करे और जीविका विहीन कष्ट पाकर अपने धर्म में स्थित हो वह उस कर्म को करे जो आगे कहेंगे।

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्ब्राह्मणस्त्वनयं गतः ।

पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ।१०२।

(१०२) विपत्ति के समय यदि ब्राह्मण अपने कर्म को न त्यागे और सबसे दान प्रहण करना स्वीकार करे यद्यपि सबसे दान लेने में पवित्र ब्राह्मण को दोष लगता है परन्तु विपत्ति काल में लेने से धर्म से पतित नहीं होता।

नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात् ।

दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ।१०३।

(१०३) इसी प्रकार पढ़ाना, यज्ञ कराना, निन्दनीय मनुष्यों से धन लेना इनसे ब्राह्मण का दोष नहीं होता क्योंकि ब्राह्मण जल तथा अग्नि के समान है।

जीवितास्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः ।

आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ।१०४।

(१०४) जो ब्राह्मण आपद् काल में इधर-उधर से भोजन करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता जैसे आकाश पंरु (कोच) भी है पर उससे लिप्त नहीं होता।

अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्पद्वुभुक्षितः ।

न चालिप्येत पापेन क्षुत्रतीकारमाचरन् ॥ १०५ ॥

(१०५) × अपनी आत्मा की रक्षा का कार्य करने से पाप नहीं होता अजीगर्त ऋषि ने जुवा के कारण अपने पुत्र को राजा के पास बेच डाला और राजा उसको यज्ञ में मारने लगे ।

धर्मासमिच्छन्नातोऽत्तुं धर्माधर्मविचक्षणः ।

प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १०६ ॥

(१०६) धर्म और अधर्म के ज्ञाता वामदेव ऋषि जुधासे पीड़ित होकर आत्मरक्षार्थं कुत्ते का मौस खाने की इच्छा करने पर भी पाप से लिप्त नहीं हुए ।

भरद्वाजः क्षुधार्त्तस्तु सपुत्रो विजने वने ।

वह्नीर्गाः प्रतिजग्राह वृधोस्तक्ष्यो महातपाः ॥ १०७ ॥

(१०७) भरद्वाज ऋषि अपने पुत्र सहित जत्र अति क्षुधा-
तुर हो गये वन में एक वृद्धो नाम वेदई से बहुत सी गऊओं का दान लिया ।

क्षुधार्त्तश्चात्तु मभ्यागाद्विश्वामित्रः स्वजाघनीम् ।

चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १०८ ॥

(१०८) धर्म अधर्म के ज्ञाता विश्वामित्र ऋषिने क्षुधा से पीड़ित होकर चाण्डाल के हाथ से कुत्ते को खाने को लेली

× १०५ वॉं श्लोक सम्मिलित किया हुआ है क्योंकि मनुष्य यज्ञका किसी में विधान नहीं पर यज्ञ के लिये राजा का खरी-
दना और ऋषि का बेचना; दोनों असत्य हैं; यह लोगों ने पाप करने के लिये लिखा है ।

॥ १०७ व १०८ वें श्लोक सम्मिलित किये गये हैं क्योंकि श्रीधर,
श्रीत क्षुधा, प्यास सहने का नाम ही तप है और जो उन्ही को

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि ।

प्रतिग्रहः प्रत्यपरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः । १०६ ।

(१०६) ब्राह्मण को विभक्ति काल होने की दशा में यज्ञ कराना और पढ़ाना। इन दोनों कर्मों के द्वारा दान लेना परलोक में निन्दनीय है।

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् ।

प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्य जन्मनः । १०७ ।

(१०७) यज्ञ कराने और पाढ़ने से अपनी आत्मा का संस्कार होता है यदि हमके द्वारा क्षत्रिय व वैश्य से दान ग्रहण किया जावे तो घृणा योग्य है और शूद्र से दान लिया जावे तो और भी बुरा है।

जपहोमैरपैत्येनो याजनाध्यापनै कृतम् ।

प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपमैव च । १११ ।

(१११) यज्ञ कराने और पढ़ाने से जो पाप होता है वह जप और हवन से जाता है और धन ग्रहण करने से जो पाप होता है वह तप और दान की वस्तु के परित्याग करने से जाता है।

शिलोञ्जमप्याददीतुं विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ।

प्रतिग्रहाच्छिलं श्रेयास्ततोऽप्युञ्ज-प्रशस्यते । ११२ ।

(११२) ब्राह्मण अपनी जीविका से निर्वाह न कर सके तो

सहार नहीं सकता वह किसी प्रकार श्रुति कहलाने योग्य नहीं होता। ऐसी बातें वाममार्गियों ने अपने अनुचित कर्मों की उचित व प्रचलित कराने के हेतु सम्मिलित किये हैं।

१-शिल और २-उच्छ के द्वारा निर्वाह करे दान से शिल और शिल से उच्छ श्रेष्ठ है ।

सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिर्घने वा पृथिवीपतिः ।

याच्यः स्यात्स्नातकैर्विप्रेरेदित्सस्त्वागमर्हति । ११३।

(११३) निवन ब्राह्मण धर्म व सन्तान के हेतु कष्ट पाकर सोने चाँदी के अतिरिक्त अन्न, वस्त्र, तथा यज्ञार्थ सोना चाँदी उसी क्षत्रिय से मांगे क्योंकि शास्त्रानुसार जो कर्म करता हो और जो राजा उमको देने की अनिच्छा करे उमको त्याग करे ।

अकृतं च कृतात्क्षेप्राद्गौरजाविक्रमेव च ।

द्विरण्यं घान्पमन्नं च पूर्वं पूर्वमदोपवत् । ११४।

(११४) खेती रखने वाले खेत से बिना खेती रखने वाले खेत का दाना लेना निर्दोष है । गऊ, बकरा, भेड़, मोना, अन्न, विद्वान् इन्हीं में पहला पहले से दूसरा दूसरे से निर्दोष है अतः पूर्व पूर्व के अभाव में दूसरा दूसरे को लेना चाहिये ।

सप्त विचागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः ।

प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च । ११५।

(११५) विभाग में नौकरी करने से गुप्त धन मिला जो भोल लिया गया जो जाति से मिला, जो व्यवहार करने से मिला

१-शिल से तात्पर्य यह है कि खेती काटने के पश्चात् जो अन्न के दाने खेतों में पड़े रहते हैं उन्हें सचय करना ।

२-उच्छ के अर्थः-दुकान में जब बिक चुका हो तत्पश्चात् जो अन्न कण पड़ा रह गया है उसे संचित करना ।

॥ ११४ वें श्लोक में जो वस्तु सरलता पूर्वक जो कार्य देने वाली हो और जिससे निर्वाह हो सके फिर दान की आवश्यकता न हो उमको उत्तम (श्रेष्ठ) बतलाया है ।

जो कर्म करने पर मिला, जो उत्तम पुरुषों से दान लेने से मिला इन सात प्रकार के धन का लेना धर्मानुसार है।

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरच्यं विपणिः कृपिः ।

घृतिर्भैक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥

(११६) विद्या अर्थात् वेदों के अतिरिक्त अन्य विद्याएँ और लिखना आदि, वेतन, सेवा, पालन पोषण, गऊ, व्रयविक्रय कृपि करना, धैर्य भिक्षा, व्याज लेना यह दश कारण निर्वाहक हैं अर्थात् विपत्ति समव में जो कर्म अपने अर्थवर्जित हो उसके द्वारा भी निर्वाह करे।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि घृद्धिं नैव ग्रयोजयेत् ।

काम तु खलु धर्मार्थं दद्यात्पापीयसेऽल्पिकाम् ॥ ११७ ॥

(११७) ब्राह्मण व क्षत्रिय व्याज न लेवे वा पापी को धर्मार्थ थोड़ा व्याज लेकर इच्छित धन देवे।

चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि ।

प्रजा रक्षन्परं शक्त्या किञ्चिपात्प्रतिमुच्यते ॥ ११८ ॥

(११८) क्षत्रिय अपनी सामर्थ्यानुसार प्रजा की रक्षा करता हुआ आपद काल में प्रजा से चतुर्थांश लेकर पाप से छूटता है।

स्वधर्मी विजयस्तस्य नाहने स्यात्पराङ्मुखः ।

शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्वलिम् ॥ ११९ ॥

(११९) शस्त्र द्वारा विजय करना युद्ध से पराङ्ग मुख न होना, यह दोनों कार्य राजा के धर्म हैं और शास्त्रों से वैश्यों की रक्षा करके उनसे धर्मानुसार कर लेवे।

धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विशं कार्पापणं वरम् ।

कर्मापकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥ १२० ॥

(१२०) आपत्तिकाल की दशा में व धान में वैश्यों से बीम रुपिया बढ़ने में आठवाँ भाग लेवे और महान आपत्ति समय में तो चौथा भाग कइ आये हैं। आपत्ति काल न हो तो बारहवाँ भाग लेवे। सोना व पशु इनका पचासवाँ भाग लेवे और आपत्ति समय हो तो बीसवाँ भाग लेवे। शूद्र व रसोई बनाने वाला, बढई आदि से आपत्तिकाल में कर न लेवे उसके पलटे में कार्य करा लेवे।

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्त्वात्रमाराधयेद्दद्यदि ।

धनितं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविशेत् ॥१२१॥

(१२१) शूद्र ब्राह्मण की सेवा से निर्वाह न कर सके और अन्य जीविका की इच्छा नरे तो क्षत्रिय की सेवा व धनवान वैश्य की सेवा करके निर्वाह नरे।

स्वर्गाधमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत् सः ।

जातोऽब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥१२२॥

(१२२) शूद्र भ्रमं व जीविका व भ्रमं दोनों के अर्थ ब्राह्मण की सेवा करने वाला है इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध होना ऐसा है कि शूद्र करने योग्य सब कर्मों को कर चुका है।

विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते ।

यदतोऽन्यद्वि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥१२३॥

(१२३) ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का सबसे बढ़कर

शूद्र के अर्थ मूर्ख और ब्राह्मण के विद्वान् के हैं मूर्ख का सबसे बड़ा कार्य विद्वानों की सेवा है जिस प्रकार प्रपादन का कार्य जिधर आँसु मार्ग दिखलाता है उसी ओर सारे शरीर को ले चलता है और जघ पाँव आँसु के विरुद्ध चलता है तो ठोकर खाता है।

धर्म है और जो शूद्र इसको छोड़ कर दूसरा कार्य करता है वह अपने जीवन को निष्फल खोता है ।

प्रकल्प्या तस्य तैर्बृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यथार्हतः ।

शक्तिं चावेद्यदायं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥१२४॥

(१२४) ब्राह्मण अपने सेवक शूद्र की सेवा में बल और कार्य करने में प्रसन्नता और स्त्री व सन्तान आदि पर दृष्टिपात कर उसके व्यय को विचार कर अपने घर से उसकी जीविका नियत करे ।

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।

पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ॥१२५॥

(१२५) जो शूद्र अपना सेवक और अपनी शरण में है उसको भूठा अन्न और जीर्ण वस्त्र बिना पत्र धान्य, पुरानी शय्या (चारपाई) घर की पुरानी सामग्री देने चाहिये ।

न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।°

नास्याधिकारो धर्मस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम् ॥१२६॥

(१२६) शूद्र के लिये कोई पाप इमसे अधिक नहीं है कि वह विद्वानों की सेवा न करे और उसका कोई संस्कार नहीं क्यों कि संस्कार के न होने से ही तो वह शूद्र हुआ है और अग्नि-होत्रादि वेदोक्त कर्मों का अधिकारी नहीं क्योंकि इन कर्मों के ज्ञानार्थ विद्या का अभ्यास नहीं किया और न धर्म करने का ही निषेध है यदि शूद्र धर्म करके अपनी उन्नति का प्रयत्न करना चाहे तो उसे कोई प्रतिरोध नहीं ।

धर्मोऽवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तिमनुष्ठिताः ।

मन्त्रवर्ज्यं न दुष्पन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥१२७॥

(१२०) आपत्तिकाल की दशा में व धान में वैश्यों से बीन रुपिया बढ़ने में आठवाँ भाग लेवे और महान आपत्ति समय में तो चौथा भाग कइ आये हैं। आपत्ति काल न हो तो बारहवाँ भाग लेवे। सोना व पशु इन्का पचासवाँ भाग लेवे और आपत्ति समय हो तो बीसवाँ भाग लेवे। शूद्र व रमोई बनाने वाला, बढ़ई आदि से आपत्तिकाल में कर न लेवे उसके पलटे में कार्य करा लेवे।

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्नात्रमाराधयेदद्यदि ।

धनितं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविशेत् ॥१२१॥

(१२१) शूद्र ब्राह्मण की सेवा से निर्वाह न कर सके और अन्य जीविका की इच्छा करे तो क्षत्रिय की सेवा व धनवान वैश्य की सेवा करके निर्वाह करे।

स्वर्गाधमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत् सः ।

जातोऽब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥१२२॥

(१२२) शूद्र स्वर्ग व जीविका व स्वर्ग दोनों के अर्थ ब्राह्मण की सेवा करने वाला है इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध होना ऐसा है कि शूद्र करने योग्य सब कर्मों को कर चुका है।

विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते ।

यदतोऽन्यद्वि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥१२३॥

(१२३) ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का सबसे बढ़कर

शूद्र के अर्थ मूर्ख और ब्राह्मण के विद्वान् के हैं मूर्ख का सबसे बड़ा कार्य विद्वानों की सेवा है जिस प्रकार प्रपादन का कार्य जिधर आँसु मार्गें दिखलाता है उसी ओर सारे शरीर को ले चलता है और जब पाँव आँसु के विरुद्ध चलता है तो ठोकर खाता है।

धर्म है और जो शूद्र इसको छोड़ कर दूसरा कार्य करता है वह अपने जीवन को निष्फल छोड़ता है ।

प्रकल्प्या तस्य तृप्तिः स्वकुटुम्बाद्यथार्हतः ।

शक्तिं चावेक्ष्यदायं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥१२४॥

(१२४) ब्राह्मण अपने सेवक शूद्र की सेवा में बल और कार्य करने में प्रसन्नता और स्त्री व सन्तान आदि पर दृष्टिपात कर उसके व्यय को विचार कर अपने घर से उसकी जीविका नियत करे ।

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।

पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ॥१२५॥

(१२५) जो शूद्र अपना सेवक और अपनी शरण में है उसको भूठा अन्न और जीर्ण वस्त्र वस्त्र धान्य, पुरानी शय्या (चारपाई) घर को पुरानी सामग्री देनी चाहिये ।

न शूद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति ।

नास्याधिकारो धर्मस्ति न धर्माप्रतिषेधनम् ॥१२६॥

(१२६) शूद्र के लिये कोई पाप इससे अधिक नहीं है कि वह विद्वानों की सेवा न करे और उसका कोई संस्कार नहीं क्योंकि संस्कार के न होने से ही तो वह शूद्र हुआ है और अग्नि-होत्रादि वेदोक्त कर्मों का अधिकारी नहीं क्योंकि इन कर्मों के ज्ञानार्थ विद्या का अभ्यास नहीं किया और न धर्म करने का ही निषेध है यदि शूद्र धर्म करके अपनी उन्नति का प्रयत्न करना चाहे तो उसे कोई प्रतिरोध नहीं ।

धर्मोऽस्यस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तिमनुष्ठिताः ।

भन्त्रदर्व्यं न दुष्यन्ति प्रशंसं प्राप्नुवन्ति च ॥१२७॥

(१२७) अपने धर्म का ज्ञाता, धर्म-च्छा करने वाला, द्विजों के अनुसार आचार करने वाला, जो शूद्र है वह मन्त्र से एक पञ्चयज्ञ को करे और उनको परित्याग न करे वो इस लोक में यश प्राप्त करता है।

यथायथा हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।

तथातथेयं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यऽनिन्दनः॥१२८॥

(१२८) दूसरे के गुण की निन्दा न करने वाला शूद्र जिस जिस प्रकार सधु (भले) लोगों के आचरण को करता है उसी तरह इस लोक में बड़ा कहाता है और परलोक में स्वर्ग पाता है।

शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसञ्चयः ।

शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानैववाधते ॥ १२९ ॥

(१२९) शूद्र सामर्थ्य रखने पर भी धन सञ्चय न करे क्योंकि शूद्र के पास धन हो जाने से वह ब्राह्मणों को हानि पहुँचाता है अर्थात् जब मूर्ख के पास धन होता है तो वह विद्वानों की सेवा परित्याग कर देता है और उन्हें तुच्छ समझने लगता है अतः धन से शूद्र का धर्म नाश हो जाता है।

एते चतुर्णां वर्णानामपद्धर्माः प्रकीर्तिताः ।

यान्सम्यगनुतिष्ठन्तो ब्रजन्ति परमां गतिम् ॥१३०॥

(१३०) यह चारों वर्णों के आपदकाल का धर्म कहा गया, जिसके करने से कोई लाभ नहीं परन्तु विपत्ति को निवारण करने के हेतु उचित समझा गया है पर जो इसको त्याग देवे अर्थात् कष्ट को सहन करले वह परमगति अर्थात् मोक्ष के मार्ग पर चलता है।

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ।

अत परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्त विधिं शुभम् ॥१३१॥

(१३१) चारों वर्णों के धर्म और आपद्धर्म काल का वर्णन करके आगामी अध्याय में प्रायश्चित्त का वर्ण उचित रीत पर करेंगे जिससे 'गरेहुये वर्ण भ' फिर अपने सत्यमार्गपर आसकें मनुजी के धर्मशास्त्र और भृगुजी की संहिता का दशवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

एकादशोऽध्यायः ।



सांतानिकं यक्ष्यमाणमध्वग सर्ववेदसम् ।

गुर्वर्थं पितृमात्रर्थं स्वाध्यायाध्युपतापिनः ॥ १ ॥

(१, ॐ १—विवाह की इच्छा करने वाला, २—ज्योतिष्टामादि यज्ञ की इच्छा करने वाला, ३—बटोही, ४—सब धन दक्षिणा वाले विश्वजित नाम यज्ञ को करने वाला, ५—बिचा, ६—गुरु व ७—माता व पिता इन तीनों को भोजन व वस्त्र देने वाला, ८—वेदाध्ययन समय भोजन वस्त्र की आवश्यकता रखने वाला, ९—रोगी ।

नवैतानस्नातकान्विद्याद्ब्राह्मणान्धर्मभिर्जुक्तान् ।

निःस्वैभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्या विशेषतः ॥ २ ॥

(२) यह नौ प्रकार के ब्राह्मण स्नातक अर्थात् ब्रह्मचारी

ॐ क्योंकि इस अध्याय में प्रायश्चित्तों का वर्णन होगा अतएव प्रथम दान पत्र ब्राह्मणों को वर्णन किया है ।

फहलाते हैं। और धर्म भिन्ना का स्वाभाव रखते हैं, यह सब निर्धन हों तो उनकी विद्या के योग्य सोना आदि देना चाहिये।

एतेभ्यो हि द्विजाग्रभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम् ।

इतरेभ्यो बृहिर्भेदि कृतान्नं देयं मुच्यते ॥ ३ ॥

(३) यह नौ प्रकार के ब्राह्मण सब श्रेष्ठ हैं इनको वेदी में अन्न दक्षिणा सहित देना चाहिये और इनके अतिरिक्त जो ब्राह्मण हैं उनको वेदी के बाहर पक्वान्न देना कहते हैं।

सर्वरत्नानि राजा तु यथाहं प्रतिपादयेत् ।

ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥

(४) राजा को वेद पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण को उसकी विद्या के अनुसार उत्तम उत्तम रत्न देना चाहिये और यज्ञार्थ दक्षिणा भी देनी चाहिये।

कृतदारोऽपरान्दारान्मिच्छित्वा योऽधिगच्छति ।

रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः ॥ ५ ॥

(५) प्रथम स्त्री उपस्थित हो और भिन्ना द्वारा धन संचय करके उस धन से दूसरा विवाह करे तो उसे केवल रति (भोग, रमण) का फल मिलता है और सम्भ्रान उसी को है जिसने धन दिया।

धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत् ।

वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ॥ ६ ॥

(६) योग्यतानुसार धन वेद ज्ञाता व एकान्तवासी ब्राह्मण को देना चाहिये उसके देने से अगले जन्म में सुख मिलता है और इस लोक में भी यश प्राप्त होता है।

• एकान्तवासी ब्राह्मण से अभिप्राय वानप्रस्थ वा सन्यासी से है क्योंकि गृहस्थी के हेतु धन शब्द नहीं आसकता।

यस्य त्रैवापिकं मुक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ।

अधिकं चापि विधेते स सोमं पातुमर्हति ॥७॥

(७) जिस पुरुष के समीप सेवक तथा पुत्रादिक अपने अपने आश्रम में रहने वालों के तीन वर्ष के व्यय के योग्य अन्न संचित है । वह सोम यज्ञ करने के योग्य है ।

अतः स्वल्पीयसी द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः ।

स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति उत्कलम् ॥८॥

(८) इससे न्यून धन रखने वाला सोम यज्ञ करे तो उसका फल नहीं प्राप्त होता ।

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनी ।

मध्वापातो विपास्वादः सधर्मप्रतिरूपकः ॥९॥

(९) अन्न मनुष्यों को अन्न देने में सामर्थ्यवान् है पर अपने स्वजनों को भोजन नहीं देता और वे स्वजन दुःख से निर्वाह कर रहे हैं ऐसा मनुष्य धर्म करने वाला नहीं है पहले अपयश होता है पीछे नरक प्राप्त होता है ।

• भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौर्ध्वदैहिकम् ।

तद्भुवंत्यसुखोदकं जीवितश्च मृतस्य च ॥१०॥

(१०) जो मनुष्य सेवक, भृत्य, सन्तानादि स्वजनों को फट देकर परलोकार्थ दानादि कर्म करता है । वह दान उसके जीवन पर्यन्त ही है मृत्यु के उपरान्त दुःखदाई होता है ।

यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्जनः ।

• ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥११॥

(११) धर्मात्मा राजा के विद्यमान होने पर जिस ब्राह्मण सेवा क्षत्रिय की कोई एक सामग्री उपस्थित न हो ।

यो वैश्यः स्याद्बहुपशुर्हीनक्रतुरसोमपः ।

कुटुम्बात्तस्य तद्द्रव्यमाहरेद्यज्ञसिद्धये ॥१२॥

(१२) जो वैश्य बहुत से पशु गाय आदि रखता हो परन्तु कोई यज्ञ न करता हो और न निरोम्यता के हेतु यज्ञ द्वारा सशोधित सोमरस पीता हो उस वैश्य से बलात् धनापहरण कर यज्ञ करना चाहिये परन्तु धन केवल यज्ञ की सामग्री के योग्य लाना चाहिये ।

आहरेत्रीणि वा द्वेषाकामं शूद्रस्य वेश्मनः ।

न हि शूद्रस्य तज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहां ॥१३॥

(१३) जब यज्ञ के दो अंग व तीन अंग (अर्थात् सामग्री) धन बिना पूर्ण नहीं होते और वैश्य से भी धन प्राप्त नहीं होता तो शूद्र के गृह से बलात् धनापहरण कर यज्ञ करना बर्जित नहीं

योऽनाहिताग्निः शक्तगुरयज्वा च सहस्रगुः ।

तयोरपि कुटुम्बाम्योमाहरेदविचारयन् ॥१४॥

(१४) जो मनुष्य अग्निहोत्री नहीं है और सौ गऊ रखता है अथवा यज्ञ नहीं करता और सहस्र गऊ रखता है इन दोनों के गृह से यज्ञांग पूर्णार्थ धन लेवे इसमें कुछ विचार न करे ।

आदाननित्याच्चादातुराहरेदप्रयच्छतः ।

तथा यशोऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवधते ॥१५॥

(१५) जो ब्राह्मण नित्य दान लेता है और वावली, कुआँ

१२ से १५ श्लोक पर्यन्त जो बलात् धनापहरण कर यज्ञ करने की जो आज्ञा दी है उसका तात्पर्य यह है कि यज्ञ के बिना सभार की जल वायु अशुद्ध होकर प्राणियों को हानि पहुँचाती है और सम्पत्तिशाली व वैभव सम्पन्न होने पर भी जो अपने कर्तव्य कर्म से विमुक्त है उसका दण्ड देना और उस धन को यज्ञ में व्यय करना अर्थात् उत्तम समझा गया है ।

य तालाय नहीं खुदाता है य गह्न नहीं करता य दान नहीं देता है उससे यत्नांग पूर्णार्थ धन मांगा और यह नहीं देता है तो उसके गृह से पलात् घनापहरण करले इससे धन लेने वाले को यश प्राप्त होता है और धर्म की उन्नति होती है ।

तथैव सप्तमे भुक्ते भुक्तानि पडनश्नता ।

अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥

(१६) दिन में दो बार भोजन करने की शास्त्र में आज्ञा है जो किसी ब्राह्मण ने छः बार भोजन नहीं किया अर्थात् तीन दिन उपवास करने के पश्चात् चौथे दिन एक बार के योग्य भी भोजन न हो तो हीन कर्म करने वाले से बलात् धन अपहरण करना पाप नहीं ।

खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते ।

आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥

(१७) खलान (खलिहान) से, वा क्षेत्र (खेत) से, वा गृह से अथवा जहाँ से प्राप्त होवे वहाँ से धन ले लेना और जब धन का स्वामी पूछे कि तुमने कहाँ से धन लिया है तो सत्य र कह देना चाहिये ।

ब्राह्मणस्व'न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन ।

दस्युनिष्कपयोस्तु स्वमऽजीवन्हतु'मर्हति ॥ १८ ॥

(१८) क्षत्रिय ब्राह्मण का धन कभी न लेवे और आपद्काल में घृणित कर्म करने वाले, शास्त्रोक्त कर्मों को परित्याग करने वाले जो ब्राह्मण व क्षत्रिय हैं उनके गृह से धन ले लेना चाहिये

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय सांधुभ्यः संप्रयच्छति ।

स कृत्वा प्लवमात्मानं मंहारयति तावुभौ ॥ १९ ॥

(१६) जो मनुष्य साधु लोगों से धन लेकर साधु लोगों को देता है वह अपने को नाव बना कर दोनों को उतारता है ।

तद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुर्बुधाः ।

अथज्वनां तु तद्विचमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २० ॥

(२०) यज्ञ करने वालों का धन देवताओं का धन है और यज्ञ न करने वाले का धन राक्षस का धन कहलाता है । ऐसा पण्डितों ने कहा है ।

न तस्मिन्धारयेद्दण्डं धामिकः पृथिवीपतिः ।

क्षत्रियस्य हि बालिश्याद्ब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥२१॥

(२१) ऐसे उपरोक्त कर्म में राजा दण्ड न देवे क्योंकि राजा के वाग्यावस्था से ब्राह्मण क्षुधा से अति दुःखी होता है ।

तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपतिः ।

श्रुतिशीले च विज्ञाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ॥२२॥

(२२) राजा ब्राह्मण के भृत्य (नौकर) के कुटुम्ब व वेदपाठ व शील को जानकर धर्मानुसार वृत्ति (वजीफा) नियत करदे ।

कल्पयित्वास्य वृत्तिं च रक्षेदेनं समन्ततः ।

राजा हि धर्मपङ्कभागं तस्मात्प्राप्नोति रचितात् ॥२३॥

(२३) ब्राह्मणकी वृत्ति नियत करके उसको रक्षा सब ओर से करे । उस रक्षा से ब्राह्मण जो धर्म करेगा उसका छटवाँ भाग राजा पावेगा ।

न यज्ञार्थं धनं शूद्राद्विप्रो भिक्षेत कर्हिचित् ।

यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥२४॥

(२४) ब्राह्मण यज्ञार्थं शूद्र से कभी धन याचना न करे यदि

धन याचना हर उस धन से यज्ञ करे तो दूसरे जन्म में चाण्डाल होता है ।

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति ।

स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ।२५।

(२५) यज्ञार्थं भिक्षा द्वारा धन संचित करके सारा धन यज्ञ से न लगावे तो सौ जन्म पर्यन्त भाप नाम पत्नी और कौवा होता है

देवस्त्वं ब्राह्मणस्त्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः ।

स पापात्मा परे लोके गृध्राञ्छिष्टेन जीवति ।२६।

(२६) जो मनुष्य लोभयश ब्राह्मण का धन व विद्वान का धन नाश करता है वह पापी परलोक में गृध्र पत्नी की जूठन से जीवन निर्वाह करता है ।

इष्टि वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये ।

प्लुप्तानां पशुसोत्मानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ।२७।

(२७) वर्ष में एक बार वैश्वानर यज्ञ करना असम्भव हो तो वर्षान्त से प्रायश्चित्ताथ अग्निहोत्र करता रहे ।

आपत्कल्पेन यो धर्मं कुरुतेऽनापदि द्विजः ।

स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ।२८।

(२८) आपद् काल न होने पर भी जो ब्राह्मण आपद्काल के धर्म को करता है वह परलोक में उसके फल को नहीं प्राप्त करता है ।

विश्वैश्च देवैः साव्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ।

आपरसु मरणं तैर्निधेः प्रतिनिधिः कृतः ।२९।

(२९) मृत्युसे धर्मभीत विश्वदेव, साव्यदेव, ब्राह्मण यज्ञे ऋषि

लोग इन सबने आपत्तिकाल में पत्तम धर्म के विरुद्ध आचरण किया है।

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ।

न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेविद्यते फलम् ॥ ३० ॥

(३०) मुख्य धर्म के करने में सामर्थ्यवान् होकर विरुद्ध धर्म करने वाला परलोक में उस विरुद्ध धर्म (प्रतिनिधि धर्म) का फल नहीं पाता ।

न ब्राह्मणोऽवेदयेत् किंचिद्राजनि धर्मावित् ।

स्ववीर्यैश्चैव ताञ्छिष्यान्मानवान्ऽपकारिणः ॥ ३१ ॥

(३१) धर्म ज्ञाता ब्राह्मण राजासे कुछ न कहे वरन् अपनी सामर्थ्य अपकारी मनुष्यों को दण्ड दे ।

स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च स्ववीर्यं बलवत्तरम् ।

तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयादरीन्द्रजः ॥ ३२ ॥

(३२) राजा के पराक्रम से अपना पराक्रम श्रेष्ठ है। अतः ब्राह्मण अपने द्वारा पराक्रम शत्रुओं (विरोधियों) को आधीन करे श्रुश्रीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् ।

वाक् शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रजः ॥ ३३ ॥

(३३) अथर्व व अङ्गिर ऋषि ने जो मारण प्रयोग कहा उसको करे इसमें कुछ विचार न करे । ब्राह्मण की वाणी ही शस्त्र है उससे शत्रु को हने ।

क्षत्रियो वाहुवीर्येण तरेदापकमात्मनः ।

धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपहोमैर्द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥

(३४) क्षत्रिय अपने वाहुबल से, वैश्य व शूद्र दोनो धन से और ब्राह्मण जप तथा हवन से आपत्तिकाल (विपत्ति) का अन्त करे ।

विधात शामिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।

तस्मै नाकुशलं व्र यात्र शुष्कां गिरमीरयेत् ॥३५॥

(३५) जो ब्राह्मण शास्त्रोक्त कर्म करने वाला पुत्र तथा शिष्य को पढ़ाने वाला प्रायश्चित्तादि को कहने वाला और सब प्राणियों का मित्र है । उसको शुष्क (कठिक, कटु) और हृदय को दुख देने वाली बात न कहना चाहिये ।

न वै कन्या न युवतिर्पान्पयिद्यो न बालिषाः ।

होता स्यादिग्निहोत्रय नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥३६॥

(३६) कन्या स्त्री, अल्प विद्या वाला मूर्ख रोगी यज्ञोपवित न रखने वाला, यह सब प्रातः सायं समय अग्निहोत्र न करे ।

नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स च यस्य तत् ।

तस्माद्द्वैतानकुशलो होता स्याद्देपारगः ॥ ३७ ॥

(३७) यदि यह सब अग्निहोत्र करे तो नरक में जाते हैं और जिसकी अग्नि है अर्थात् यजमान है वह भी नरक में जाता है । अतएव जो वेदगारङ्गवत् य अग्निहोत्र कर्म ज्ञाता हो वही यमराज का इधन करे ।

प्राजापत्यमंदस्त्वश्वमग्न्याघेतस्य दक्षिणाम् ।

अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८ ॥

(३८) ब्राह्मण का अग्नि होत्र की दक्षिणा जो घोड़ा है उसको वैभवे सन्पन्न होने पर भी न देवे तो अग्निहोत्र का फल उस ब्राह्मण को नहीं होता ।

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीति श्रद्धधानो जितेन्द्रियः ।

न त्वन्पदक्षिणैर्यज्ञैर्य जन्तेइ कथंचन ॥ ३९ ॥

(३६) मनुष्य जितेन्द्रिय होकर श्रद्धा सहित अन्य पुण्य-
कर्म करे परन्तु अल्प दक्षिणा से यज्ञ न करे ।

इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्तिं प्रजाः पशून् ।

हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नान्पधनो यजेत् ॥ ४० ॥

(४०) थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ, इन्द्रिय, यश, स्वर्ग आयु,
कीर्ति, सन्तान, पशु इन सब को नारा करती है उससे थोड़े धन
वाला यज्ञ न करे ।

अन्नहीनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः ।

दक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञमभौ रिपुः ॥

(४१) अन्न रहित मन्त्र राष्ट्र को, मन्त्र रहित ऋत्विज को
एवं दक्षिणा विरहित यज्ञ यज्ञकर्ता को नष्ट करता है । एतदर्थं
यज्ञ परम शत्रु भी है ।

अग्निहोत्रपविश्याग्नीन्प्राह्वणः क मकारतः ।

चान्द्रायणं चरेन्ममं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥

(४१) अग्निहोत्री ब्राह्मण स्वेच्छा से मायं प्रातः हवन न
करे तो पुत्र हत्या का पाप होता है उस पाप से निवृत्त होने के
लिये एक मास चन्द्रायण व्रत करे ।

ये शूद्रादधिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते ।

ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्राह्मणादिषु गहिंताः ॥ ४२ ॥

(४२) जो ब्राह्मण शूद्र से धन लेकर अग्निहोत्र करता है
वह शूद्र ही का ऋत्विज होता है उसको कुछ फल नहीं होता
और वेद पाठी ब्राह्मणों में निन्दित कहलाता है ।

तेषां सततमज्ञानां वृपलाग्न्युपसेविनाम् ।

पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि सन्तरेत् ॥ ४३ ॥

(४४) वह शूद्र ऋत्विजों को द्रव्य देने से उनके हाथ पर पैर रखकर नरक को तरता है और ऋत्विजको कुछ फल नहीं होता ।

अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।

प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥४४॥

(४४) शास्त्रोक्त कर्म न करने से व निन्दित कर्म करने से व इन्द्रियासक्त होने से. मनुष्य प्रायश्चित्त के योग्य होता है ।

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः ।

कामकारकृतेऽप्याहरेके श्रुतिनिर्दिशनात् ॥४५॥

(४५) परिद्धर्तों ने अनिच्छा के पाप करने में प्रायश्चित्त को कहा स्वेच्छा से पाप करने में भी वेद की आज्ञा से प्रायश्चित्त है ।

अकामतः कृतं पापं वेदभ्यासेन शुध्यति ।

कामतस्तु कृतं मोहात्प्रायश्चित्तः पृथग्भिधै ॥४६॥

(४६) जो पाप अनिच्छा से अज्ञानसे होता है उसकी निवृत्त धार २ वेद के अर्थ सहित पढ़ने से होती है तथा जो पाप स्वेच्छा-नुसार किया जाता है उसकी प्रायश्चित्त की विधि पृथक् है ।

प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा ।

नसंगं ब्रजेत्सद्भिः प्रायश्चित्तोऽकृते द्विजः ॥४७॥

(४७) यदि पूर्वं जन्म के कर्मों से प्रायश्चित्त योग्य हो तो जब तक प्रायश्चित्त न करे तब तक सज्जन पुरुष उसके साथ भोजन व संसर्ग व सश्वास न करे ।

(प्रायोनाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।

तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥४८॥ (क)

(४८) (क) प्रायः तत्र अर्थ का वाचक है तथा निश्चय अर्थ है।
(चित्त का—इमलिये निश्चयता मक होने से प्रायश्चित्त कहा है।)

इह दुरचरितैः केचिकेचित्पूर्वकृतैस्तथा ।

प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविगर्षम् ॥ ४८ ॥

(४८) कोई इस जन्म के पापों से और पूर्व जन्म के पापों से दुर्दशा पाता है ।

सुवर्णचौरः क्रीनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम् ।

ब्रह्महा चयरोगित्वं दौधर्म्यं गुरुतज्पगः ॥ ४९ ॥

(४९) १-सुवर्ण चोर, २-मद्यपीने वाला, ३-ब्रह्महत्या करने वाला, ४-गुरुपत्नी से रमण करने वाला, यथाक्रम १-कुनररत्नो, २-जन्म से काले दाँत वाला, ३-कुष्ठ रोगी व ४-गर्हित वचा पाता है ।

पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम् ।

धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥

(५०) १-पिशुन (चुगलखोर), २-सूचक (इंगित से कर्माज्ञाता) ३-धान्यचौर, ४-मिश्रक, (मिलावट करने वाला) यह सब क्रमानुसार १-नासिका (नाक) की दुर्गन्धि, २-मुख की दुर्गन्धि, ३-किसी अङ्गहीन, ४-कोई अंग आधरु इन दोषों को प्राप्त होते हैं ।

अन्नहर्तामयावित्त्वं मौक्यं वागपहारकः ।

यस्त्रापहारकः श्वैत्र्यं पंगुतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥

(५१) १-वस्त्र चोर, २-जानने पर भी मूक (चुप) रहने वाला, ३-वस्त्र चोर, ४-अश्वचोर यह सब क्रमानुसार आम-रोगी, २-गूंगा, ३-श्वेतकुष्ठो, (सफेद कोढ़ी), पशु (लेंगड़ा) होते हैं ।

(दीपहर्ता भवेदन्धः काणो निर्वाणको भवेत् ।

हिंसया व्याधिभूयस्त्वमरोगित्वमहिंसया ॥५१॥(ख)

(५१) (ख) दीपतस्कर अन्धा, दीपनिर्वाणकर्ता बधिर, हिंसक रूग्ण एव अहिंसक निरोगी होता है ।)

एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः ।

जडमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥

(५२) उपरोक्त विधि से कुकर्मों द्वारा विगर्हित दशा (घृणा योग्य दृश्य) को प्राप्त होता है यथा जड, मूक (गूँगा), अन्ध वधिर (बहिरा) और विकृत (कुरूप) को प्राप्त होता है ।

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्त विशुद्धये ।

निन्द्यै हि लक्षणैर्पुक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥५३॥

(५३) अतएव सदा पाप से मुक्त होने के हेतु प्रायश्चित्त और उत्तम कर्म करना चाहिये और जो लोग प्रायश्चित्त नहीं करते वह घृणित लक्षणों युक्त होते हैं ।

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागम ।

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥५४॥

(५४) ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण का दस माशा व अधिक सोना चुराना, माता से रति करना, यद्चार महापाप हैं और महापापियों का संसर्ग करना पाँचवाँ महापाप है ।

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् ।

गुरोश्चालीकनिर्वन्ध समानि ब्रह्महृत्यया ॥ ५५ ॥

(५५) अयोग्य होकर झूठमूठ ही अपने को योग्य कहना, राजा के सम्मुख पिशुनता (झूठी चुगली खाना) करना गुरु के समीप असत्य भाषण करना, यह ब्रह्महत्या के समान महापाप तक है ।

ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः ।

गर्हितोनाद्ययोर्जग्धिः सुरापानसमानि पट् ॥५६॥

(५६) पढ़े हुए वेद को भूलना, वेद की निन्दा करना, असत्य साक्षी देना, सुहृद् को वध करना, विष्टा आदि गर्हित वस्तुओं का भक्षण करना यह सब सुरापान के समान महापाप है ।

निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च ।

भूमिवज्रप्रणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम् ॥५७॥

(५७) निक्षेप (धरोहर, धाती), मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, हीरा मणि इनका चुराना सोना चुराने के समान है ।

रेतः सैकः स्वधोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥५८॥

(५८) सगी वहेन, कुँवारी कन्या, अन्यज (चाण्डाल) की स्त्री, मित्रफनी, पुत्र की स्त्री इनके साथ रति (भोग, रमण) करना, गुरुफनी वा माता से रति करने के समान महापाप है ।

गोवधोऽप्याच्यसंयाज्यपरदायांत्मविक्रयाः ।

गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्नयोः सुतस्य च ॥५९॥

(५९) गो हत्या करना, अयोग्य को यह कराना, परस्त्री से लोभ देकर व बलात्कार रति करना, अपने आप को बेच डालना गुरु व माता- व पिता, व स्वाध्याय (वेदपाठ) व अग्नि होत्र तथा अपने पुत्र को त्याग देना ।

परिवर्तितानुजेऽनूढे परिवेदनमेव च ।

तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजतम् ॥ ६० ॥

(६०) ज्येष्ठ भ्राता का विवाह होने पर लघु भ्राता का विवाह हो जाना, उन दोनों भ्राताओं को कन्या देना और उनको वध करना ।

कन्याया दूषणं चैव बाधुर्ष्यं व्रतलोपनम् ।

तडागारामदारारामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥

(६१) कन्या को दूषित करना, व्याज पर निर्वाह करना, मद्यव्याजम में व्यवहार करना, तालाब, आराम (बाग) कुँवा, शी और पुत्र को विक्रय करना (बेचना) ।

त्रात्यया चान्धवत्यागी भृत्याध्यापनमेव च ।

भृत्या चाध्ययनादानमपणयानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥

(६२) X समय पर यज्ञोपवीत न होना चाचा अर्दि गुरुजनों की सेवा शुभ्र मा न करना, धन लेकर पढ़ाना, धन देकर पढ़ना तिल आदि जो बेचने योग्य हैं उनको बेचना ।

सर्वाङ्गेष्वधीनां महायन्त्रप्रवर्तनम् ।

द्विसौषधीनां स्वयार्जीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३ ॥

(६३) छमोना चाँदी आदि धातुओं की न्यानों पर अधि-

X ६२ वें श्लोक में समय पर जनेऊ न होने का पाप इस हेतु कहा है कि इसके बिना वेदों का पढ़ना उचित नहीं और वेद पढ़े बिना मनुष्य सर्वैव दुःखी रहता है । जिसमें दुःखी रहे वही पाप है ।

छ ६३ वें श्लोक में म-म (कुरतः) बनाने को इस हेतु पाप बताया है कि उसके पक्षा रहने से सब लोगों को हानि-पहुँचती है और जिससे किसी को बिना अपराध व अकारण हानि पहुँचे वह पाप है ।

कार होना; और महायन्त्रों (बड़ी बड़ी कलों) व औजारों को नष्ट भ्रष्ट करना, धातुओं का मारना अर्थात् भस्म बनाना, अपनी स्त्री के व्यवहार द्वारा धन प्राप्त कर निर्वाह करना, अभिचार कर्म करना अर्थात् प्रयोग आदि करके किसी को मोहित करना वा मार डालना ।

इन्धनार्थं मशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम् ।

आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥६४॥

(६४) इन्धनार्थं हरे वृक्ष को काटना, देवता व पितरों का अनिरिक्त केवल अपने ही हेतु भोजन बनाना, और वर्जित वस्तुओं को भक्षण करना वा कार्य में लाना ।

अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रिया ।

असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥६५॥

(६५) सामर्थ्य व अधिकार होते हुए अग्निक्षेत्र को परित्याग करना, चाँदी आदि का चुराना, वेद व धर्मशास्त्र के विरुद्ध जो ग्रन्थ व शास्त्र है उमको सीखना व पढ़ना, गाना, बजाना, तीनों ऋणों अर्थात् देव, पितृ, ऋषि का परिशोध न करना ।

धान्यकुप्यंपशुस्तेयमद्यपस्त्रीनिपेवणम् ।

स्त्रीशूद्रद्विट्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम् ॥६६॥

(६६) धान्य, तौबा, लोहा आदि, पशु का चुराना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मद्य पीने वाली स्त्री से रति करना, स्त्री व शूद्र व वैश्य व क्षत्रिय इनका वध करना, नास्तिकता अर्थात् ईश्वरे वेद व कर्मों के फल को वृथा बतलाना, यह प्रत्येक उपपातक कहलाते हैं ।

ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः ।

जैतथ्यं च मैथुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम् ॥६७॥

(६७) ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड देना अर्थात् उसके पाँव हाथ आदि काटना, दुर्गन्धित वस्तु जो सूँघने योग्य नहीं है यथा लस्मुन, 'याज, मूत्र और शराय (मद्य) को सूँघना कुटिलता (धोखेवाजी) मैथुन (व्यभिचार) इन कर्मों से जाति भ्रष्ट हो जाती है ।

खराश्वोष्ट्रमृगैभानामजाविकवधस्तथा ।

संकराकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिपस्य च ॥ ६८ ॥

(६८) खर (गधा), घोड़ा, ऊँट, हाथी, भेड़ बकरी आदि पशुओं का वध करना और इनके अतिरिक्त मछली, साँप, भैंस का वध करना संकरीकरण कहलाता है ।

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्र सेवनम् ।

अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९ ॥

(६९) निन्दित व घृणित मनुष्यों का दान लेना, वाणिज्य करना, शूद्र की सेवा करना. असत्य भाषण करना, यह सब अपात्रीकरण कहलाते हैं ।

कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् ।

फलैर्धः कुसुमस्तेयमर्घ्यं च मलावहम् ॥ ७० ॥

(७०) कृम व कीट को हिंसा करना, मद्य (शराय मिश्रित कृतान्न का भोजन करना, फल फूल लकड़ी आदि वस्तुओं का चुराना और साहस व धैर्य न घरण करना यह सब मलावर अर्थात् मेल के ढोने वाले कहलाते हैं ।

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक् ।

यैर्दौर्ब्रतैरपीक्षन्ते तानि सम्यङ्निबोधत ॥ ७१ ॥

(७१) यह सब पाप पृथक् २ कह यह सब पाप जिस जिस व्रत के करने से निवृत्त (दूर) होते हैं उन व्रतों को कहते हैं ।

(७६) ॐ ब्राह्मण के हेतु व गौरक्षा के हेतु शीघ्र ही अपने प्राण तरु निद्धावर कर दें । इसी प्रकार गऊ व ब्राह्मण की रक्षा में प्राण देने से ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है ।

त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा ।

विप्रस्य तन्नमिचो वा प्राणलाभे त्रिमुच्यते ॥८०॥

(८०) ॐ कोई मनुष्य ब्राह्मण का सारा धन चुरा कर ले जाता है उसको लाने के अर्थ अपने बलानुसार प्राणों का लोभ त्याग प्रयत्न करे और तीन बार युद्ध करे और ब्राह्मण के चोरी गये हुये धन को ला भी न सके तो ब्रह्महत्या से मुक्त होता है अथवा धन जाने से दुरी ब्राह्मण चोर को युद्ध करके प्राण दे देने पर पश्यत हो तो जो धन चोरी गया है उसके तुल्य धन देकर उसके प्राण की रक्षा करे तो भी ब्रह्महत्या से छूटता है ।

एवं दृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः ।

समाप्तं द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८१ ॥

(८१) उस रीति ले सदैव व्रत करने वाला, निडर होकर ब्रह्मचर्य करने वाला बारह वर्ष के पूर्ण होने पर ब्रह्महत्या से छूटता है ।

जब ब्रह्महत्या करने वाला ब्राह्मण के रक्षार्थ अपने प्राण देगा तो उसके पाप का फल भोग हो चुका क्योंकि ब्राह्मण के मारने के स्थान पर स्वयं प्राण दे दिये और उसके वध के स्थान पर रक्षा के होने के कारण हो जाने से मानसिक तथा शारीरिक शुद्धि होगी ॐ यद्यपि ७६ वें श्लोक में भी गऊ और ब्राह्मण पर प्राण निद्धावर कर देना ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त बतलाया गया है । परन्तु वहाँ उनकी प्राणद्वारा रक्षा करना बताया था यहाँ आर्थिक हानि की पूर्ति से उनकी रक्षा करना ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त बतलाया गया है ।

शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे ।

स्वमेनाऽवभृथस्नातो हयमेधे विमुच्यते ॥ ८२ ॥

(८२) ॐ अथवा ब्रह्म हत्यारा ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ के अन्त में स्नान करने के समय राजा के समीप जाकर ब्रह्महत्या को प्रकट करके उसके साथ स्नान करे तो ब्रह्महत्या से छूटता है। प्रायश्चित्त स्व मन्त्र है किसी का अंग है।

धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते ।

तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्धघृति । ८३ ॥

(८३) क्योंकि जीवात्मा का धर्म ज्ञान है और उसकी रक्षा विद्या और वेद विद्या के द्वारा हो सकती है और जो वस्तु स्थित रखे वही उसका धर्म कहलाता है अतः आत्मा को स्थित रखने वाली विद्या है और विद्या का आधार होने के कारण ब्राह्मण धर्म का मूल है और बलात्कार से धर्म को रक्षा करने वाला क्षत्रिय भी धर्म मूल का एक अंग है अतएव दोनों के सम्मुख अपने पाप को स्पष्ट घर्णन करने से शुद्ध होता है।

ब्राह्मणः संभवेनैव देवानामपि दैवतम् ।

प्रमाणं चैव लोकस्यबृहमाऽथैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥

(८४) ब्राह्मण अपनी उत्पत्ति ही से देवताओं का देवता है उसका उपदेश सबके मानने योग्य है इसमें वेद ही कारण है और उपदेश का मूल वेद ही है।

ॐ उपरोक्त श्लोकों में यद्यपि ब्राह्मणों के लाभ सम्बन्धी विषय का वर्णन पाकर लोग उनको क्षैत्रक (सम्मिलित क्रिये हुये) कहते हैं परन्तु जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग का कष्ट नेत्र की रक्षा के हेतु मनुष्य सहन करता है उसी प्रकार गुण धर्म से ब्राह्मण मानने की दशा में बड़-तक व्यर्थ ही सिद्ध होता है।

तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतिम् ।

सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥८५॥

(८५) वेदज्ञाता तीन ब्राह्मण जो प्रायश्चित्त कहे' वही पवित्र है । क्योंकि वेदपाठी ब्राह्मण की वाणी ही पवित्र है ।

अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः ।

ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥८६॥

(८६) उपरोक्त प्रायश्चित्तों में से एक भी करे और ब्रह्म को जाने तो ब्रह्महत्या से छूटता है ।

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत् ।

राजन्यवैश्यौ चेजानावाग्नेयीमेव च स्त्रियम् ॥८७॥

(८७) ब्राह्मणों में ब्राह्मण द्वारा स्थापित गर्भ के पतन में भी यही व्रत है । यह करते हुये क्षत्रिय व वैश्य व ब्राह्मण की रजस्वला स्त्री इनमें से किसी एक के मारने में भी पूर्वोक्त व्रतों में से किसी एक व्रत को करे ।

उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरुं तथा ।

अपहृत्य च निःक्षेप कृत्वा च स्त्रीसुहृद्दधम् ॥८८॥

(८८) साक्षी होकर मिथ्या भाषण करने में, गुरु पर मिथ्या दोषारोपण करने में, ब्राह्मण व क्षत्रिय का सोना आदि धरोहर के अपहरण करने में, अग्निहोत्री ब्राह्मण की स्त्री के बध करने में, सुहृद (मित्र) की हत्या करने में ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिये ।

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतो द्विजम् ।

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥८९॥

(८६) जो चारह वर्ष का प्रायश्चित्त कहा है वह अनिच्छा से ब्राह्मण को हनन करने में जानना और इच्छा से ब्राह्मण की हत्या करने में ब्रह्महत्या से छुटकारा नहीं है अर्थात् प्रायश्चित्त नहीं है वरन् उसका दुगुना है।

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिवेत् ।

तया स काये निर्दग्धे मुच्यते क्लिन्विपात्ततः ॥६०॥

(६०) ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि मोहवश सुरा (शरा) पान कर ले तो यह अग्नि के वर्ण (रङ्ग) की सुरा को प्रायश्चित्तार्थ पीवे अर्थात् अग्नि से वृत्त (जलते हुए) निम्नोक्त पदार्थों को भोजन करे जिससे प्राणान्त (इस शरीर का नाश) होकर पापों से छूट जावे।

गौमूत्रमग्निवर्णां वा पिवेदुदरमेव वा ।

पयो घृतं वाऽमरणाद्गोशकृद्द्र समेव वा ॥६१॥

(६१) गो मूत्र वा जल, वा गो दुग्ध वा गो घृत वा गऊ के गोबर का रस इनमें से किसी एक को अग्नि वर्ण करके पीवे और उससे प्राणान्त हो जावे तो शुद्ध होता है।

कणान्वा भक्षयेद्बद्धं पियारुं वा तस्मिन्निशि ।

सुरापानापनुत्थर्थं बालवाना जटी उररी ॥६२॥

(६२) गऊ आदि के बालों के बस बनाकर पहिरे व जटा धारण करके सुरापान का चिन्ह अंकित कर चावल का कण (कन) वा तिल की खली इनमें से किसी एक को एक वर्ष पर्यन्त रात्रि में एक बार भोजन करे तो सुरापान के पाप से छूटे। यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से सुरापान कर लेने में जानना।

सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते ।

तस्माद्ब्राह्मणराजन्यो वैश्यश्च न सुरां पिवेत् ॥६३॥

(६३) अन्न के बिगड़े हुये मैल को सुर कहते हैं और निर्मल परन्तु दुर्गन्धियुक्त सुरा अन्न को सझाने ही से बनती है इससे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कभी सुरा (शराब) पान न करें ।

गौडो पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिभिधा सुरा ।

यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥६४॥

(६४) गौड़ी, माध्वी, पैष्टी तीन प्रकार की सुरा हैं (अर्थात् गुड़ व मधु व पिसान से बनायी जाती हैं) जैसी एक वैसी तीनों हैं इससे उत्तम द्विज सुरा न पीवे ।

यक्षरक्षःपिशाचान्नां मद्यं मांसं सुरासवम् ।

तद्ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥ ६५ ॥

(६५) ❀ मांस, सुरा, आसव यह सब यक्ष राक्षस और पिशाचों का भक्ष्य है अर्थात् इनके भक्षण करने वाले राक्षसादि हैं । इससे देवताओं के यज्ञ के योग्य भोजन भक्षण करने वाला ब्राह्मण इनका कभी न पीवे ।

अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाप्युदाहरेत् ।

अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः । ६६ ।

(६६) ब्राह्मण सुरापन कर मोहवश अपवित्रता में वेदमंत्रों का उच्चारण करेगा और न करने योग्य कार्य करेगा इससे ब्राह्मण सुरापन कदापि न करे ।

यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत् ।

तस्य व्यापैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति । ६७ ।

❀ मनुजी ने मांस व सुरा (शराब) को राक्षसों का भक्ष्य बतलाया है अतः जहाँ इनका मरदन (समर्थन) होगा वहाँ राक्षसों का मिलाया हुआ होगा ।

(६७) जिस ब्राह्मण का हृदय स्थित वेद एक चार भी सुरापान से दूबेगा उस ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट हो जावेगा और वह ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त होगा ।

एषा विचित्रामिदिता सुरापानस्य निष्कृतिः ।

अथ ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥६८॥

(६८) यह विचित्र प्रायश्चित्त सुरापान का क्या अब सोना चुराने का प्रायश्चित्त कहते हैं ।

सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो राजानमभिगम्य तु ।

स्वकर्म ख्याययन्त्रूयान्मां भवाननुशास्तिवति ॥६९॥

(६९) ब्राह्मण सोना चुराकर राजा के सपीम जाऊर कहे कि मैं सोना चुराने वाला हूँ आप मुझे दण्ड देवें ।

गृहीत्वा मुसलां सकृद्द्वन्यात्तु तं स्वयम् ।

वधेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपमैव तु ॥१००॥

(१००) राजा स्वयं मूसल प्रहण करके एक चार उसका मारे चोरी करने वाला वध करने से अथवा वध करने के समान मारपीट से शुद्ध होता है क्योंकि ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं है इससे भृगुजी कहते हैं कि ब्राह्मण तप द्वारा ही पवित्र होता है ।

तपसापनुत्सुम्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् ।

धीरेवासा द्विजोऽरण्ये चरेदन्नद्वहणो व्रतम् ॥१०१॥

(१०१) तप द्वारा सोना चुराने के पाप को निवारण करने की इच्छा करने वाला, चोर-वध--(अर्थात् वध का दुकड़ा) धारण

ॐ सोना चुराना इस हेतु पाप यत्नाया है कि इसकी चिन्ता से प्रायः लोभी लोगों के प्राय वध बने जाते हैं ।

कर वन में जाकर उस वृत् को करे जिसके करने से ब्रह्महत्या से छुटकारा होता है अर्थात् सोना चुराना ब्रह्महत्या के समान है ।

एतैर्व्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।

गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥

(१०२) ब्राह्मण इन व्रतों को करके चोरी के पाप से छुटकारा पावे । यदि किसी ने गुरुपत्नी वा माता से रमण (रति, भोग) किया हो तो ऐसे महापापी के हेतु आगे लिखा हुआ प्रायश्चित्त करना उचित है ।

गुरुतल्पभिमार्प्योनस्तप्तं स्वप्नाद्योमये ।

सूर्मीर्ज्वलन्ती स्वाश्लिष्येन्मृत्युना न विशुद्ध्यति ॥ १०३ ॥

(१०३) गुरुपत्नी—वा माता से भोग करने वाला अपने पाप को कहकर तप्त लोहे की शय्या पर सोवे अथवा लोहे की स्त्री बनाकर अग्नि में उसे तप्त करके उसका गाढ़ालिङ्गन करे (अर्थात् उससे लिपट जावे) ।

स्वयं वा शिशनवृषणानुत्कृत्याधाय चाञ्जली ।

नैश्र्वाय विशा दक्षिण पूर्णं के कोण को चला जावे) जब तक कि मृत्यु न हो जाये ।

(१०४) अथवा अपनी मूत्रेन्द्रिय (लिङ्ग) को अडकोप (फोता) सहित काटकर अपने हाथों की अङ्गुली में रखकर नैश्र्वाय विशा (दक्षिण पूर्ण के कोण को चला जावे) जब तक कि मृत्यु न हो जाये ।

अथपि मनुजो का प्रायश्चित्त विधान अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है परन्तु ऐसे पापों के निवारण करने के हेतु दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ।

खट्वाङ्गी चीरवामा च श्मश्रुलो विजने वने ।

प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रमब्दमेकं समाहित ॥१०५॥

(१०५) अथवा खाट का एक अङ्ग हाथ में लिये हुए वसन चीर धारण किये हुये नल व केश बाल न रुटा कर चिन्ता रहित होकर निर्जन वन में एक वर्ष पर्यन्त प्राजापत्य यज्ञ करे यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से अपनी छी जानकर माता से भोग करने में जानना चाहिये ।

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नवतेन्द्रियः ।

हविष्येण यवाग्वा वां गुरुतन्पापनुत्तये ॥१०६॥

(१०६) वा नितेन्द्रिय होकर वा जी की लपसी खाकर गुरुपत्नी से भोग करने के पाप को निवारण करने के हेतु तीन मास पर्यन्त चन्द्रायण व्रत करे ।

एतैत्र तैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् ।

उपपातकिनस्त्वेवमेभिर्नानांविधैर्वैः ॥१०७॥

(१०७) महापातकी लोग इन व्रतों से अपने पाप को निवारण करें और उपपातकी लोग निम्नोक्त व्रत द्वारा अपने पाप से मुक्ति लाभ करे ।

उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिबेत् ।

कृतपापो वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संशृतः ॥१०८॥

(१०८) उपपातकी गऊ के दूध करने वाला एक मास पर्यन्त जी के सत्तु पीवै तख लोम केश को न मुँदवा कर गऊका चर्म (चसड़ा) धारण करके गोशाला (गऊ के रहने का स्थान) में निवास करे ।

चतुर्थकालमशनीया दक्षारत्नवर्णं सितम् ।

गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं ङौ मासो निपतेन्द्रियः ॥१०६॥

(१०६) एक दिन व्रत करके दूसरे दिन पहली बार अन्न भोजन करे जो इस प्रकार लवपात्र त्याग व्रत करते हुये दो मास पर्यन्त गोमूत्र से स्नान करे ।

दिवानुगच्छेद्गुग्गुस्तास्तु तिष्ठन्नृच्यरेजः पिवेत् ।

शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्री वीरामरं वसेत् ॥ ११०॥

(११०) दिन में गऊ के पीछे चले, खड़ा होकर गऊ के सुर से रड़ती हुई घूल को पीके, सेवा करता हुआ नमस्कार करके रात्रि में वीरसन से रहे ।

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु व्रजन्तीष्वप्यनुव्रजेत् ।

आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्पराः ॥ १११ ॥

(१११) गऊ लड़ी हो तो आप भी ईर्ष्या रहित हो कर जितेन्द्रिय हो खड़ा रहे, गऊ चले तो आप भी उसके पीछे चले, बैठे तो आप भी बैठे ।

आतुरामभिशस्तां वा चौरव्याघ्रादिभिर्भयैः ।

पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायैर्विमोचयेत् ॥११२॥

(११२) जो गऊ आतुर (रोगी) हो और चोर व व्याघ्रादि (सिंहादि) के भयभीत हो वा गिर पड़ी हो वा कीच में फस गई हो उसको सब प्रयत्नों द्वारा यथा सम्भय संमध्यं भर छुड़ावे ।

उष्णे वर्षति शीते वा माकृते वाति वा भृशम् ।

न कुर्वीतात्तनद्धारणं गोरकृत्वा तु शक्तिः ॥११३॥

(११३) गर्मी, वर्षा, जाषा, आंधी में यथाशक्ति गऊ की रक्षा किये बिना अपनी रक्षा न करे ।

आत्मनो यदि वान्येषां गृह क्षेत्रेऽथवा खले ।

भक्षयन्ती न कथयेत्पिबन्त चैव वत्सकम् ॥११४॥

(११४) अपने वा अन्य के गृह में वा खलिदान वा खेतमें चरती हुई गऊ को न कहे और बड़ड़े को दूध पिलाती हो तो भी न कहे ।

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति ।

स गोहत्याकृतं पाप त्रिभिर्मासैर्बर्षपोहति ॥ ११५ ॥

(११५) गोबध (हत्या) करने वाला पुरुष इस विधि गऊ के पीछे चले तो तीन मास में गो हत्या से मुक्त हो जाता है अर्थात् गोहत्या से जुटकारा पा जाता है ।

वृषभैकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितव्रतः ।

अविद्यमाने सर्वंश्च वेदविद्भ्यो निवेदयेत् ॥११६॥

(११६) उत्तम विधि से व्रत करके एक बैल और दस गऊ देवे यदि इतना न हों सके तो वेदपाठी ब्राह्मण को सब धन देवे ।

एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातकितो द्विजाः ।

अवकीर्णिवर्षशुद्धपर्यं चान्द्रायणमथापि वा ॥११७॥

(११७) अवकीर्ण व्रत जो आगे कहेंगे उसको त्याग कर ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य उपपातक होने पर इसी व्रत को करें अथवा चान्द्रायण व्रत करें ।

अवकीर्णी तु काणेन गर्दभेन चतुष्पदे ।

पाकयज्ञविधानेन यजेतं निर्मूर्च्छं निशि ॥ ११८ ॥

(११८) चौक (चीराहे) में पवित्र यज्ञ की विधि से यज्ञ करके और काने गधे पर चढ़कर नैश्वत्य कोण की ओर जाने और पूजा करें ।

हुत्वाग्नी विधिवद्वीमानन्ततश्च समेत्यृचा ।

वातेन्द्रगुरुवह्नीनां जुहुयात्सर्पिषाहुतीः ॥११६॥

(११६) अग्नि में यथा विधि “अनन्त सचेति” इस मंत्र से वायु इन्द्र, गुरु व अग्नि में दहन करे ।

कामतो रेतसः सेरुं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः ।

अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धर्मज्ञा ब्रह्मचादिनाः ॥१२०॥

(१२०) यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों व्रत की दशा में स्वेच्छा के वीर्यपतन करे तो उसका व्रत खण्डित हो गया इस पर धर्मज्ञाता लोग एक मत है ।

मारुतं पुरुहूतं च गुरुं पावरुमेव च ।

चतुरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः ॥१२१॥

(१२१) ब्रह्मचर्य की अवस्था में वीर्यपतन करने वाले का ब्रह्मतेज वायु पुरुहूत गुरु व अग्नि के समीर चला जाता है अर्थात् इनमें लीन (मिल) हो जाता है और उससे पृथक् हो जाता है ।

एतस्मिन्नेनसि प्राप्तो वसित्वा गर्द्भाजिनम् ।

सप्तागारांश्वरेद्भुक्तं स्वकर्म परिकीर्तयन् ॥१२२॥

(१२२) इस पाप से शुद्ध होने हेतु गधे का चमड़ा धारण कर सात घरों से माँगकर खाये और अपना कर्म करता रहे ।

तेभ्यो लब्धेन भैक्षणे वर्तयन्नेककालिकम् ।

उपस्पृशंस्त्रिपवणं त्वन्देन स विशुद्ध्यति ॥१२३॥

(१२३) उस भिक्षा को एक घर भोजन करना हुआ व प्रात दोपहर सायंकाल में स्नान करता हुआ जीवन व्यतीत करे तो एक वर्ष में पवित्र हो ।

जातिभ्रंशकर कर्म कृत्यान्यतममिच्छया ।

चरेत्सातपन क्रच्छ्र प्राजापत्यमनिच्छया ॥१२४॥

(१२४) + जातिच्युत करने वाले कर्मों से किसी एक कर्म को स्वेच्छा से करे तो सातपन नामी कृच्छ्रव्रत को करे ।

सकरापात्रकृत्यासु मास शोधनमैन्दवम् ।

मलिनीकरणीयेषु तप्तः त्याद्यात्रक्रेस्त्रहम् ॥१२५॥

(१२५) तंजरीकरण, और अनारीकरण कर्मों में से किसी एक कर्म को स्वेच्छा से करने में एक मास पर्यन्त चान्द्रायण व्रत करे और मलिनीकरण कर्मों में से किसी एक कर्म को स्वेच्छा पूर्वक करने में तीन दिन यवागू का भोजन करे ।

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वध, स्मृतः ।

वैश्वेऽष्टमाशो वृत्तस्ये शूदे जैत्रस्तु षोडशः ॥१२६॥

(१२६) उपरोक्त प्रायश्चित्त का जो ब्रह्महत्या के हेतु बन-लाया है उसका चतुर्थांश क्षत्रिय की हत्या करने में करे और वैश्य के वध करने की दशा में अठवा भाग और शूद्र की हत्या करने की दशा में सोलहवा भाग जानना ।

अस्मामतस्तु रानन्त्रं विनिपात्य द्विजोत्तमः ।

घृपभैक्षतहस्ता गा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥१२७॥

(१२७) ✽ जब कोई ब्राह्मण अनिच्छा से व अज्ञानतासे किसी

+ श्लोक १२२ से १२४ तक के प्रायश्चित्तकेवल पाप करके अनादर से दिन व्यतीत करने और पाप से दुःख भोगने के अर्थ हैं जिससे दूसरों को पाप से घृणा हो ।

+ क्षत्रिय मनुष्यों को शङ्का होगी कि प्रत्येक प्रायश्चित्त में ब्राह्मण को भी दान देना लिखा है इसे ब्राह्मणों ने

घ्नत्रिय का वध कर डाले तो एक सहस्र गाय और एक बैल प्रायश्चित्तार्थ दूसरे ब्राह्मण को दे ।

अपव्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्राह्महृणो व्रतम् ।

वसन्दूरतरे ग्रामाद्बृक्षमूलनिवेतनः ॥ १२८ ॥

(१२८) अथवा यथाविधि सिर पर जटा रखाये गाव से व हर अति दूर किसी वृक्ष की जड़ में निवास कर तीन वर्ष पर्यन्त ब्राह्महत्या वाले प्रायश्चित्त को करे ।

एतदेव चरेदव्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः ।

प्रमाप्य वैश्य वृक्षस्थं दद्याच्चैकशतं गवाम् ॥१२९॥

(१२९) ब्राह्मण वैश्य की हत्या करके एक वर्ष पर्यन्त ब्राह्महत्या के प्रायश्चित्त में व्यतीत करना हुआ व्रत करे अथवा एक सौ गऊ दान करे ।

एतदेव व्रतं कृत्स्नं हरमासान् शूद्रहा चरेत् ।

वृषभैकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥१३०॥

(१३०) ब्राह्मण शूद्र के वध करने में छ मास पर्यन्त ब्राह्महत्या के प्रायश्चित्त को करे और खेत बैल और दस गऊ ब्राह्मण को देवे यह भी अज्ञानता से वध करने में जानता इन सब व्रतों के करने में कपाल भ्रजा को त्याग देना चाहिये ।

मार्जारिनकुलो हत्वा चापं मण्डूकमेव च ।

श्वगोधोलूककाकाश्च शूद्रहत्याव्रत चरेत् ॥१३१॥

(१३१) बिल्ली, नेबला, नीलकण्ठा, मेंढक, कुत्ता, गोइ, उलूक कौआ इनमें से किसी एक की हिंसा करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करे अर्थात् उनकी हिंसा शूद्र की हत्या के समान समझे ।

किया है परन्तु शङ्का निर्मूल है क्योंकि प्रत्येक रोग की औषधि मुख द्वारा खाते हैं ।

पयः पिपेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो ब्रजेत् ।

उपस्पृशेत्स्रवम्यां वा सूक्त वाग्देवतं जपेत् ॥१३२॥

(१३२) अथवा तीन रात्रि दूध पीवे और यदि अशक्त हो तो तीन रात्रि पर्यन्त चार कोस चले, यह भी न हो सके तो तीन रात्रि नदी में स्नान करे, यह भी न हो सके तो आपोहिष्ठा नाम वाले सूक्त का जप कर यह प्रायश्चित्त अज्ञानता से बंध करने का है ।

अग्निं काष्णायसी दद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोचमः ।

पलालभारकं पण्डे सैसकं चैकमांपरुम् ॥१३३॥

(१३३) सांप को मारे तो लोहे का दण्ड जिसकी वस्तु उत्तम हो ब्राह्मण को देवे और नपुंसक की हत्या करे तो एक योम पलाल को और एक माशा सीसा इन दोनों को देवे ।

धृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तिचिरौ ।

शुके द्विहायनं वत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायनम् ॥१३४॥

(१३४) + सुअर की हिंसा करने में एक घी का घड़ा और तीतर के बर करने में एक द्रोण तिल और सुआ की हिंसा करने में दो वर्ष का बड़दा ।

हत्वा हंसं बलाकां च वकं वहिणमेव च ।

वातरं श्येनभासी च स्पर्शयेद्ब्राह्मणाय गाम् ॥१३५॥

(१३५) हंस, बलाका, बगुला, मोर, चन्द्र, श्येन, वाज)

+ कतिपय सम्जन इन प्रायश्चित्तों पर तर्क करना प्रारम्भ करेंगे परन्तु नियम व उपनियम है जो राजा के वस में होते हैं उनमें तर्क से नाम नहीं चलता । बुद्धि सम्बन्धी तर्क केवल तत्वज्ञान तथा धर्म के सम्बन्ध में लाभदायक होता है ।

भास इन सब से किसी एक का वध करने पर ब्राह्मण को गऊ देवे ।

वासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च नीलान्वृषान्गजम् ।

अजमेपावनड्वाहं खरं हत्वैकहायनम् ॥१३६॥

(१३६) घोड़ा चब करके बछ देवे, हाथी की हिंसा करके पाँच बैल ब्राह्मण को देवे, बछरा भेड़ा इनमें से किसी की हत्या करके एक बैल देवे, गधे का वध करके एक वर्ष का बछड़ा देवे ।

क्रव्यादस्ति भृगान्हत्वा घेनु दद्यात्पयस्विनीम् ।

अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वाचु कृष्णलम् ॥१३७॥

(१३७) गीदड़ आदि कच्चे माँस भत्ती पशुओं का वध करके दुग्ध देती हृई गऊ देवे और हिरण आदि कच्चा माँस न ग्याने वाले पशुओं की हिंसा करके बछिया देवे और ऊँट की हत्या करके एक रत्ती सोना देवे ।

जीनकामु कवस्तावीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये ।

चतुर्णामपि वर्णानां नारीहत्वानवस्थिताः ॥१३८॥

(१३८) १-ब्राह्मण, २-क्षत्रिय, ३-वैश्य, ४-शूद्र चारों वर्णों की व्यभिचारिणी स्त्री को हत्या में यथाक्रम १-बकरा, भेड़ा, २-धनुष, चर्म पट को देवे ।

दानेन वधनिर्णोकं सर्पानामशक्नुवन् ।

एकैकशश्वरेरकृच्छ्र द्विजः पापापनुत्तये ॥१३९॥

(१३९) दान द्वारा सत्र पापों के निवारण करने में अस-
मर्थ हो तो द्विजन्मा एक २ के वध करनेमें एक २ कृच्छ्र व्रत करे ।

- अस्थिमत्तां तु सच्चानां सहस्रस्य प्रमाणे ।

पूर्णे चानस्यनस्थानां तु शूद्रहत्यावतं चरेत् ॥१४०॥

(१४०) हड्डी रखने वाले सहस्र जीवधारी और गाड़ी भर बिना हड्डी वाले जीवधारियों की हिसा करने में शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करे ।

किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।

अनस्थानां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥१४१॥

(१४१) हाड वाले प्राणी के हिंसा करने में ब्राह्मण को कुछ देवे औरवे हड्डी वाले प्राणियों की हत्या करनेमें प्राणायामकरे

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् ।

गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां चवीरुधाम् ॥१४२॥

(१४२) फल देने वाला वृक्ष अर्थात् आम आदि गुल्म वल्ली अर्थात् गुर्चलता व पुष्पित लडा इनमें से एक एक के तोड़ने और उखाड़ने में गायत्री आदि ऋचा सी नार जाप करे ।

अन्नाद्यजानां सस्वानां रसजानां च सर्वशः

फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥१४३॥

(१४३) प्रत्येक प्रकार के अन्न, गुड़ आदि रस व फल व फूल इन सब में से उत्पन्न हये जीवों की हत्या करने में घृत नामी ज्ञान से शुद्ध होता है ।

कृष्टाजानामोपधीनां जातानां च स्वयं वने ।

वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः ॥१४४॥

(१४४) गेहूँ आदि अन्न जो जोतने से उत्पन्न होता है और औपधिया जो वन में स्वयमेव उत्पन्न होती है उनको निष्प्रयोजन उखाड़ने में एक दिन दूध पीकर रहे और गऊ के पीछे चले

एतैर्व्रतैरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुद्भयम् ।

ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं शूयुतानाद्यभक्षणं ॥१४५॥

(१४५) ज्ञान में व अज्ञान में प्राणियों को हिंसा की इस पाप छोड़ इन व्रतों के द्वारा निवृत्त करने चाहिये और अभक्ष्य भक्षण करने में प्रायश्चित्त कहते हैं ।

अज्ञानाद्धारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुद्ध्यति ।

मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितः ॥१४६॥

(१४६) अज्ञानता से गौड़ी व माघवी नाम सुरापान करे तो दूसरे संस्कार से पवित्र होता है और जान कर पीवे तो प्राणान्त से पवित्र होता है यह शास्त्राज्ञा है ।

अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा ।

पञ्चरात्रपिव्रेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीश्रितः पयः ॥१४७॥

(१४७) पेशी तथा मद्य नाम सुरापान में रखा हुआ पानी पीने में शङ्खपुष्पी नाम औषधि उष्ण दूध के साथ तीन रात्रि तक पीवे ।

स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां विधिवत्प्रतिगृह्य च ।

शूद्रोच्छिष्टाथ पीत्वापः कुशवारिपिव्रेत्त्र्यहम् ॥१४८॥

(१४८) सुरा को छूकर, देकर लेकर और शूद्र के उच्छिष्ट (जूठे) जल को पाकर कुरा से पके हुये जल को तीन दिन पर्यन्त पीवे ।

ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः ।

प्राणानप्सु तिरायम्य घृत प्राश्य विशुद्ध्यति ॥१४९॥

(१४९) सोम नाम यज्ञ करने वाला ब्राह्मण यदि सुरापान

घाले की गन्ध को सूँचे तो जल में तीन प्राणायाम करके घी का भोजन करने से शुद्ध होता है।

अज्ञानात्प्राय विरमूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ।

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५० ॥

(१५०) ❀ जो वस्तु मूत्र, विषा और सुरा से छू गयी हो नमें से किसी एक को अज्ञानता से भोजन करे तो ब्राह्मण क्षत्रिय श्य तीनों पुनः संस्कार के योग्य होते हैं।

वपनं मेखलादण्डौ भेषचर्यावतानि च ।

निर्वर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कार कर्मणि ॥ १५१ ॥

(१५१) दूसरे संस्कार में मुखद्वार व मेखला व दण्ड व भिक्षा आदि नहीं होने चाहिये।

अभोज्यानां तु भुक्तगन्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च ।

जग्ध्वामासमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबेत् ॥ १५२ ॥

(१५२) जिनका अन्न खाना उचित नहीं उमका अन्न व शूद्र और स्त्री का उच्छिष्ट अन्न, तथा मास जो सर्वथा अभक्ष्य है नमें से किसी एक को भोजन करने में जो के सत्त्वा सात दिन क पीवे।

शुक्तानि च कषायशंशं पीत्वा मेध्यानापि द्विजः ।

तावद्भवत्यतो यावन्नन्नं ब्रजत्यधः ॥ १५३ ॥

❀ १५० वें श्लोक में सुरा से छुई हुई वस्तु के भक्षण करने दूसरा संस्कार करना बतलाया है जो लोग मास और अदिरा को निर्दोष बतलाते हैं वह ध्यान दें कि वह स्तेपक के या नहीं।

(१५३) + शुक्त और कपाप वस्तु यदि पवित्र हो हो तो भी उनको तबतक शुद्ध नहीं होता जबतक कि वह पचते नहीं हैं ।

विड्वराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः ।

प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥१५४॥

(१५४) गौध का सूअर, गदहा ऊँट, कौवा, सियार इनका मूत्र और विष्टा भोजन करने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य चान्द्रायण व्रत करे ।

शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि भौमानि क्वकानि च ।

अज्ञातं चैव सुनात्यमेतदेव व्रतं चरेत् ॥ १५५ ॥

(१५५) सूखा मांस और भूमि से उत्पन्न कुकुर मुत्ता आदि और जब ज्ञान न हो कि भक्षण योग्य है वा नहीं उसको साकर उपरोक्त व्रत करे ।

क्रव्यादमूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे ।

नरकाकखराणां च तप्तकृद्धं विशोधनम् ॥ १५६ ॥

(१५६) कच्चा मांस भक्षण करने वाले सिंह आदि, गौधका सूअर, ऊँट मुर्गा अनुष्य, कौवा, गदहा इनमें से एक के मांस भक्षण करने से पवित्र कृद्धवत करे ।

मासिकान्नं तु योऽश्नीयाद्रसमावर्तको द्विजः ।

सत्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत् ॥ १५७ ॥

(१५७) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का अन्न अर्थात् घृत और ऋषि की सेवार्थ रक्खा हुआ अन्न स्वयं भक्षण करे वह एक मास पर्यन्त जल में रहे ।

+ शक्य उसको कहते हैं स्वयमेव मोठा हो और अधिक दिवस व्यतीत हो जाने के कारण वा पानी में रहने के कारण खरा हो जावे ।

ब्रह्मचारी तु योऽशनीधान्मधु मांसं कथंचन ।

स कृत्वा प्राकृतं कृद्धं वृत्तशेषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

(१५८) + वैदिक धर्म के अनुसार चलने वाला ब्रह्मचारी अज्ञानता से सुरा पान वा मांस भक्षण करे तो प्राजापत्य कृद्ध व्रत को करे और शेष व्रतों को भी प्रायश्चित्त में बतलाते हैं ।

विडालकाकाखूच्छिष्टं जग्घाश्वनकुलस्य च ।

केशकीटावपन्नं च पिबेद्बृह्मसुवर्चलाम् ॥ १५९ ॥

(१५९) विडाल, कौआ, मूसा, कुत्ता, नेवला इनमें से किसी एक से मिश्रित वस्तु को भोजन करने सुवर्चला नाम औषधि से ४प्य क्रिये हुये जल को पिबे ।

अभोज्यमन्नं नात्तच्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता ।

अज्ञानमुक्त तून्नार्थं शोष्यं वाऽप्याशु शोधनैः ॥ १६० ॥

(१६०) अपने को शुद्ध रखने का इच्छुक मनुष्य अभक्ष्य भोजन भक्षण न करे और अज्ञानता से भोजन किया हो तो वमन (कै) करे यह भी न हो सके तो शीघ्र प्रायश्चित्त करके अपनी आत्मा को शुद्ध करे ।

एषोऽनाद्यादनस्योक्तो वृत्तानां विधिषो विधिः ।

स्तेयदोषापघटृणां वृत्तानां श्रूयतां विधिः ॥ १६१ ॥

(१६१) अभक्ष्य पदार्थ के भोजन करने में यह प्रायश्चित्त कहा अब चोरी के पाप के प्रायश्चित्त को कहते हैं ।

X मनुजों ने प्रत्येक कथन पर मांस, मदिरा, चोरी, भूठ आदि को पाप बतलाया है और वहाँ भी ब्रह्मचारी अर्थात् वेदानुसार कर्म करने वाले सो मांस मदिरा का निषेध और प्रायश्चित्त बतलाया है ।

धान्यान्नघनचौर्याणि कृत्वा कामाद्द्विजोत्तमः ।

स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राव्देन विशुद्ध्यति ॥ १६२ ॥

(१६२) ब्राह्मण ब्राह्मण के घर से अनिच्छा से अन्न चुराकर छुट्टि के अर्थ एक वर्ष पर्यन्त कुछ व्रत को करे परन्तु देश, धन और वस्तु का परिणाम, देश दशा, स्वामी की दशा आदि को देखकर अधिक भी जानना इसी प्रकार जो भविष्य में कहेंगे उनमें भी जानना ।

मनुष्याणां तु हरणं स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च ।

कूपवापीत्रलानां च शुद्धिरचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ १६३ ॥

(१६३) + मनुष्य, बालक वा स्त्री के अपहरण में, और घर, खेत वावली, कुआं आदि को छल से छीनने की दशा में चन्द्रायण व्रत करे ।

द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेशमतः ।

चरेत्सांतपनं कृच्छ्रं तन्निर्यात्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥

(१६४) अल्प मूल्य और थोड़े अर्थ की वस्तु के चुराने में सान्तपन कृच्छ्र व्रत करे और चोरी किया हुआ पदार्थ उसके स्वामी को देवे यह बात सब चोरी के प्रायश्चित्त में जानना ।

भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च ।

पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम् ॥ १६५ ॥

(१६५) चबेना आदि भात, सवारी, शय्या आसन, फूल, मूल, फल इनमें से किसी एक के चुराने में पञ्चगव्य को पीवे अर्थात् गऊ का दूध, धो, गोबर, मूत्र और दही पीवे ।

+ कुआं वावली और खेत आदि क चुराने से तात्पर्य सतको धत्तान् अपहरण करने से है ।

तृणकाष्ठद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ।

चैलचर्मामिपाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ।१६६।

(१६६) तृण, कण, सूखा वृक्ष, अन्न गुड, वज्र, चमड़ा मांस इसमें से किसी एक के चुराने में तीन दिन पर्यन्त व्रत (उपवास) करना चाहिये ।

मण्यमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च ।

अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता ।१६७।

(१६७) मणि, मुक्ता, मूँगा, ताँबा, लोहा, हूपार, चाँदी, कान, पत्थर, इनमें से किसी एक के चुराने में बारह दिन पर्यन्त चावल के कणों को खाकर निर्वाह करे ।

कार्पासकीटजीर्णानां द्विशफैकशफस्य च । .

पत्तिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाथेव श्यहं पपः ।१६८।

(१६८) कपास, रेशम, तथा ऊन से बने वस्त्र, एक खुर वाले पशु, पत्ती सुगन्धि (इत्र), औषधि इनमें से किसी एक के चुराने में तीन दिन पर्यन्त दूध पीवे (यहाँ सब वस्तु चुराने में) एकरूप प्रायश्चित्त कहा, इसी प्रकार चोरी में जहाँ पर एकरूप प्रायश्चित्त है वहाँ पर जानना चाहिये ।

एतैर्व्रतैरपौहेत पातं स्तैयकृतं द्विजः ।

अगम्यागमनीयं तु व्रतैरभिरपानुदेत् ।१६९।

(१६९) इन व्रतों के द्वारा चोरी के पाप से मुक्त होवे और जो स्त्री भोग करने के योग्य नहीं है उससे रमण (भोग) करने में जो पाप है उसको निन्नाक्त व्रत द्वारा दूर करे ।

गुरुतन्पत्रतं कुर्याद्रितः सिक्त्वा स्वयोनिषु ।

सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।१७०।

(१७०) प्रत्येक सम्बन्धी, मित्र और पुत्र की स्त्री, कुंवारी और चाण्डाली इनमें से किसी १ से अज्ञानता से रति करने में उस प्रायश्चित्त को करे जो गुरुवती से भोग करने में होता है।

पैतृप्सैर्यो भगिनीं स्त्रस्त्रीयां मातुरेव च ।

मातुरश्च भ्रातुस्तनयां गता चान्द्रायणं चरेत् ।१७१।

(१७१) + मौसी की पुत्री, फूसी की पुत्री, मामा की पुत्री, जो अपनी भगिनी है इनमें से किसी १ के साथ भोग करने में चान्द्रायण व्रत करे। परन्तु यह अज्ञानता वश १ बार दूसरे पुरुष से रमण करे तब जानना क्योंकि प्रायश्चित्त थोड़ा है इससे कहते हैं

एतान्तिष्ठस्तु भार्यार्थं नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान् ।

ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतितं ह्युपयन्मथ ॥१७२॥

(१७२) बुद्धिमान् पुरुष इन तीनों के साथ विवाह करके भोजन करे क्यों कि वह सम्बन्धी होने से रमण करने योग्य नहीं है उनमें रति करने में नरक में जाता है।

अमानुषीषु पुरुषं उदकुर्यायामयोनिषु ।

रेतः सक्त्वा जले चैव कृच्छ्रे सान्त्पनं चरेत् ॥१७३॥

(१७३) मनुष्य को अतिरिक्त किसी और प्राणी से भोग करने का रजस्वला स्त्री से भोग करने या जल में वी डालने सान्त्पन कृच्छ्र व्रत को प्रायश्चित्तार्थ धारण करे।

मैषुन तुसमासेव्य पुंसि योषित्वा द्विज

गोपानेऽप्सु दिवा चैव सवासा स्नानमाचरेत् ।१७४।

+ १७० वें और १७१ वें श्लोकों में जो प्रायश्चित्त कहा है वह अज्ञानता से रति करने की दशा में कहा है।

(१७४) + ब्राह्मण त्रिविध वैश्य यदि गाही में चढ़कर वा जल में घुस कर व दिन के समय स्त्री से भोग करे तो वहाँ सहित स्नान करे।

चाण्डालान्त्यस्त्रिषो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च ।

पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥१७५॥

(१७५) ब्राह्मण अज्ञानता से चाण्डाली और अन्त्यज (म्लेच्छ) की स्त्री से दान लेकर पतित होता है और जान कर भोग करने में चाण्डाल व म्लेच्छ हो जाता है।

विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि ।

यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद्ब्रतम् ॥१७६॥

(१७६) जिस स्त्री ने पर पुरुष में चित्त लगाया और उसे पति पुरुष में अवर्द्ध (वन्द) करके रसे और जो व्रत पुरुष को पर स्त्री रमण में कहा है वह व्रत स्त्री को करावे।

सा चेत्पुनः प्रदुष्येत् सद्यो नोपयन्त्रिता ।

कृच्छ्रं चान्द्रायणे चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥१७७॥

(१७७) जो स्त्री अपने स्वजाति पुरुष से पुरुषार भोग करने अपराधी हुई और उसका प्रायश्चित्त करके फिर अपने स्वजाति पुरुष से रमण करे तो वह स्त्री प्राजापत्य तथा चान्द्रायण व्रत करे

यत्करोत्येकरात्रेण वृषलोसेवनाद्द्विजः ।

तद्भ्रं च भुग्जपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षेण्यपोहति ॥१७८॥

+ १७४ वें श्लोक में लोडेबाजी और दिन के भोग को पुरुष समान बतलाने से यह श्लोक सम्मिलित किया हुआ प्रतीत होता है क्योंकि लोडेबाजी के समान दूसरा कोई पाप नहीं उसको दिन के भोग के तुरन्त बतलाना मनुजों जैसे श्रमि का कार्य नहीं।

(१७८) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यदि शूद्रों की स्त्री से एक रात रमण करके जो पाप करते हैं तो उसकी निवृत्ति के अभिप्राय से तीन वर्ष पर्यन्त भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हुये जप करना चाहिये क्योंकि इससे धर्म की बड़ी हानि करते हैं ।

एषापापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः ।

पतितः संप्रयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृतोः । १७९।

(१७९) चार वर्णों के पाप का यह प्रायश्चित्त कहा अब पतितों से संसर्ग व व्यवहार करने के प्रायश्चित्त को सुनो ।

संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन् ।

याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनात् । १८०।

(१८०) पतित लोगों के साथ जो कोई एक वर्ष पर्यन्त एक सवारी व एक आसन पर बैठे वा एक संग भोजन करे तो उसी के तुल्य होता है और पतितों का यज्ञ करावे वा जनेऊ कराके सावित्री (गायत्री) सुनादे वा विवाहादि सम्भव करे तो शीघ्र उसी तुल्य होता है ।

यो येन पतितेनैषा संसर्गं याति मानवः ।

स तस्यैव व्रतं कुर्यात्संसर्गविशुद्धये । १८१।

(१८१) जैसे पापी से व्यवहार किया जावे वैसे ही प्रायश्चित्त करने से उससे शुद्ध होता है अर्थात् पापी से व्यवहार से स्वयं पापी हो जाता है ।

पतितस्पोदकं कार्यं सपिण्डैर्वान्धवैर्वाहिः ।

निन्दितेऽहनि सायाह्ने ज्ञात्यृत्विग्गुरुपन्निधौ । १८२।

(१८२) × पतित मनुष्य यदि अपना सम्बन्धी हो, वा अपने

× पतित से अभिप्राय यह है कि जो वर्णाश्रमधर्म ने पृथक्हो

कुल का ही, उसको गुरु और यज्ञ कराने वाले ऋत्विज के सम्मुख सन्ध्या समय निन्द्य दिन में जल देवे ।

दासी घटमपां पूर्णं पर्यास्येन्प्रेतवत्पदा ।

अहोरात्रमुपासीरन्नशौच बान्धवैः सह ॥१८३॥

(१८३) दासी जल पूरित घट को दक्षिण दिशा को मुख करके खड़े होकर पाँव से ढुलका दे, और सपिण्डी जन बान्धवों सहित एक दिन उपवास करे ।

निवर्तेरंश्च तस्मात्तु संभाषणसहासने ।

दायादस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥१८४॥

(१८४) पतित मनुष्य से सम्भाषण करना तथा एक आसन पर बैठना व उसको पैतृक धन का भाग देना, व सांसारिक व्यवहार करना अनुचित है ।

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्वनम् ।

ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥१८५॥

(१८५) ❀ यदि अनुज (छोटा भाई) ज्येष्ठ भ्राता से अधिक गुणवान् तथा शीलवान् हो तो वह ज्येष्ठ भ्राता के भाग को पावे प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम् ।

तेनैव सार्धं प्रास्येपुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥१८६॥

(१८६) जब पतित का प्रायश्चित्त किया जावे अर्थात् ईसाई या मुसलमान बने हुए को शुद्ध किया जावे तो कुटुम्बी लोगों को

गया हो जैसे कोई ईसाई व मुसलमान, जैनी बद्धपारसी आदि होजावे तो वैदिक संस्कारों से पृथक् हो जाने से पवि हो जाता है

❀ १८५ व श्लोक का यहाँ कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है ऐसा ज्ञात होता है कि यह भूल से यहां पर लिखा गया है ।

चाहिये कि उसको शुद्ध जल से स्नान कराकर जल के घड़े को उसके साथ व्यवहार में लायें ।

स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनंस्वकम् ।

सर्वाणि ज्ञातिकायाणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥१८७॥

(१८७) और वह पतित उस घड़े के जल को डाल कर अपने घर में चला जावे और अपने वर्ण के सन कर्मों को पूर्ववत् यथाविधि करे ।

एतदेव विधिं कुर्याद्योपित्सु पतितास्वपि ।

वस्त्रान्न पानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१८८॥

(१८८) पतित स्त्री के लिये भी यही नियम है और पतित स्त्री को घर के सामने निवास स्थान और अन्न जल व वस्त्र देना चाहिये ।

एनस्विभिरनिर्णिक्तैर्नार्थं किञ्चित्सहाचरेत् ।

कृतनिर्णैर्जनांश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित् ॥१८९॥

(१८९) प्रायश्चित्त क्रिये बिना पापियों के साथ किसी प्रकार का वर्ताव न करे और जब प्रायश्चित्त करे तब उनकी निन्दा वा उनसे घृणा भी न करे ।

वालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः ।

शरणागतहन्तृंश्च स्त्रीहन्तृंश्च न संवसेत् ॥१९०॥

(१९०) बालहत्या करने वाला, कृतघ्न, शरणागत को हनन करने वाला तथा स्त्री को मारने वालों के साथ प्रायश्चित्त होने पर भी व्यवहार न करे ।

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि ।

तांशारयित्वा जीन्कृच्छ्रोर्न्यथाविध्यपनाययेत् ॥१९१॥

(१६१) जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वेदारम्भ संस्कार अनियमित विधि से हुआ है। उसको तीन कृच्छ्र व्रत कराके यथाविधि फिर जनेऊ करावे।

प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विरुर्मस्थास्तु ये द्विजाः ।

ब्राह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥१६२॥

(१६२) प्रतिकूल कर्म अर्थात् शूद्रकी सेवा करनेवाला और वेद पाठन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रायश्चित्त करना चाहें तो उनको भी तीन कृच्छ्र व्रत का उपदेश करना चाहिये।

यद्गृहितेनार्चयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् ।

तस्योत्पत्तेः शूद्रयन्ति जप्येन तपसैव च ॥१६३॥

(१६३) जो ब्राह्मण घृणित वर्गों द्वारा जो धन सञ्चय करते हैं वह उस धन का परित्याग करके, गायत्री का जप करने और तप करने से शुद्ध होते हैं।

जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः ।

मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात् १६४॥

(१६४) ब्राह्मण निश्चिन्त होकर एक मास पयः त सदा तीन सहस्र गायत्री का जप करता हुआ गोशाला में निवास कर केवल दूधपान करने से निकृष्ट धन दान ग्रहण करने के पास से छुटकारा पाता है।

उपवासकृशं तं तु गोत्रजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसतीतिकिम् ॥१६५॥

(१६५) व्रतधारी व गोशाला से कृशाङ्ग हुये ब्राह्मण से सज्जन पुरुष पूछें कि हे ब्राह्मण ! क्या हम सबके समान होने की इच्छा करते हो।

चाहिये कि उसको शुद्ध जल से स्नान कराकर जल के घड़े को उसके साथ व्यवहार में लावें ।

स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनंस्वकम् ।

सर्वाणि ज्ञातिकायाणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥१८७॥

(१८७) और वह पतित उस घड़े के जल को डाल कर अपने घर में चला जावे और अपने वर्ण के सत्र कर्मों को पूर्ववत् यथाविधि करे ।

एतदेव विधिं कुर्याद्योपित्सु पतितास्वपि ।

वस्त्रान्न पानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥१८८॥

(१८८) पतित स्त्री के लिये भी यही नियम है और पतित स्त्री को घर के सामने निवास स्थान और अन्न जल व वस्त्र देना चाहिये ।

एनस्विभिरनिशिक्तैर्नार्थं किञ्चित्सहाचरेत् ।

कृतनिशेजनांश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित् ॥१८९॥

(१८९) प्रायश्चित्त किये बिना पापियों के साथ किसी प्रकार का वर्ताव न करे और जन प्रायश्चित्त करे तब उनकी निन्दा वा उनसे घृणा भी न करे ।

बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः ।

शरणागतहन्तृंश्च स्त्रीहन्तृंश्च न संवसेत् ॥१९०॥

(१९०) बालहत्या करने वाला, कृतघ्न, शरणागत को हनन करने वाला तथा स्त्री को मारने वालों के साथ प्रायश्चित्त होने पर भी व्यवहार न करे ।

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि ।

तांशारयित्वा जीन्कृच्छ्रान्पथाविध्यपनाययेत् ॥१९१॥

(१६१) जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वेदारम्भ संस्कार अनियमित विधि से हुआ है। उसको तीन कृच्छ्र व्रत कराके यथाविधि फिर जनेऊ करावे।

प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः ।

ब्राह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ॥१६२॥

(१६२) प्रतिकूल कर्म अर्थात् शूद्रकी सेवा करनेवाला और वेद पाठन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रायश्चित्त करना चाहें तो उनको भी तीन कृच्छ्र व्रत का उपदेश करना चाहिये।

यद्गर्हितेनार्चयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् ।

तस्योत्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसैव च ॥१६३॥

(१६३) जो ब्राह्मण घृणित कर्मों द्वारा जो धन सञ्चय करते हैं वह उस धन का परित्याग करके, गायत्री का जप करने और तप करने से शुद्ध होते हैं।

जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः ।

मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात् १६४॥

(१६४) ब्राह्मण निश्चिन्त होकर एक मास पर्यन्त सदा तीन सहस्र गायत्री का जप करता हुआ गोशाला में निवास कर केवल दूधपान करने से निकृष्ट धन दान ग्रहण करने के पास से छुटकारा पाता है।

उपवासकृशं तं तु गोत्रजात्पुनरागतम् ।

प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीतिकिम् ॥१६५॥

(१६५) व्रतघारो व गोशाला से कृशाङ्ग हुये ब्राह्मण से संव्रजन पुरुष पूछें कि हे ब्राह्मण ! क्या हम सबके समान होने की इच्छा करते हो।

सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु विस्तिरेघवसं गवाम् ।

गोमिः प्रवर्तिते तार्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥१६६॥

(१६६) तब वह ब्राह्मण कहे कि भविष्य में आमाहा धन दान को ग्रहण न करेंगे सत्य कहते हैं ऐसा कहकर गऊ के भोजनार्थ घास देवे उसकी दो हुई घास को गऊ भोजन करे तब सज्जन लोग उसको परिग्रहण करें ।

व्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च ।

अभिचारमहीनं च त्रिमिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति ॥१६७॥

(१६८) यदि X व्रात्य लोगों को यह करावे और पिता व गुरु का जीव छोड़कर जिनका दाह करना अनुचित है उसको करके अभिचार अर्थात् मन्त्र विद्या द्वारा किमी को मारने अथवा पागल करने का प्रयत्न करके जब तक तीन कृच्छ्र मत करे तब तक शुद्ध नहीं होता ।

शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च द्विजः ।

सम्बत्सरे यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥१६८॥

(१६८) जो मनुष्य शरणागत को सहायता देकर उसको पृथक कर देता है वा ऐसे मनुष्य को जिसके गुणहीन होने से वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, वेद पढ़ाता है वह इस पाप के प्रायश्चित्त में एक वर्ष पर्यन्त जो का भोजन करे ।

X व्रात्य उसको कहते हैं कि जिसके संस्कार समय पर न हुये हों अधिकार उत्पन्न संस्कार और वेदारम्भ संस्कार असमय पर होने से पतित साधित्रो वा व्रात्य हो जाता है ।

अपेक्षित से पश्चित्त पुरुष यह है कि जिनको व्याकरणादि शास्त्रों का ज्ञान न हो अथवा जो दुराचारी हों ।

श्वशृगालखरैर्दष्टो ग्राम्गैः क्रव्याद्भिरेव च ।

नरारवोष्ट्रं वराहैश्च प्राणायामेन शुद्ध्यति । १९६।

(१९६) कृत्ता, सियार, मनुष्य, गदहा, घोड़ा सुअर गाँव के रहने वाले विलार आदि इनमें से किसी एक से काटा हुआ मनुष्य प्राणायाम से शुद्ध होता है ।

पष्ठान्नकालता मासं सहिताजप एव वा ।

होमाश्च सकृत् नित्यमपाठक्यानां विशोधनम् । २००।

(२००) जो ब्राह्मण मास भली तथा जो ब्रम्हर्षों की सगत में रहने के योग्य नहीं दोनों पापी एक मास पर्यन्त दो दिन उपवास करके तीसरे दिन सध्या को भोजन करें और वेद पाठ करें इससे शुद्ध होते हैं ।

उष्ट्रघानं समास्त्रं खरघानं तु कामतः ।

स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुद्ध्यति । २०१।

(२०१) ऊंटगाड़ी व गदहे वाली गाड़ी में चढ़कर अथवा नग्न स्नान करके जबतक प्राणायाम न करे तबतक शुद्ध नहीं होता ।

विनाद्भिरप्सु वाप्यार्तः शरीरं सन्निवेश्यः च ।

सचैलौ बहिराप्लुत्या गामालभ्य विशुद्ध्यति । २०२।

(२०२) दुखी पुरुष पानी बिना विष्टा व मूत्र करे व जल ही में मूत्र वा विष्टा त्यागे तो गाव से बाहर जाकर नदी आदि में बसों सहित स्नान करके गऊ को छूकर शुद्ध होता है ।

वेदोदितार्तां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे ।

स्नातकवतलोपे च प्रागश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३ ॥

(२०३) वेदोक्त निजकर्म में और ब्रह्मचर्य व्रत के भङ्ग ही जाने में एक दिन उपवास करे ।

हुंकारं ब्राह्मणास्योक्त्या त्वंकारं च गरीयसः ।

स्नात्वाऽनश्नन्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥२०७॥

(२०४) ब्राह्मण को “हुं” ऐसा कहकर और वृद्ध लोगों को “तुम” ऐसा कहकर स्नान करे और उनको प्रसन्न करके प्राणायाम करके एक दिन उपवास करना चाहिये ।

ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे वाबध्य वाससा ।

विवादे वा विनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥२०५॥

(२०५) यदि ब्राह्मण को तृण से भी भय देता हो वा विवाद में जीता हुआ ऐसी दशा में गले में आँचल डालकर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहिये ।

अवगूर्य त्वब्दशतं सहस्रमभिहत्य च ।

जिघासया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥२०६॥

(२०६) × ब्राह्मण के वध को शस्त्र उठाये पर वध न करे तो भी सौ वर्ष पर्यंत नरक में रहता है ।

शोरितं यावतः पांडून्सेगृह्णाति महीतले ।

तावन्त्यब्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥२०७॥

(२०७) ब्राह्मण वध से उसका रक्तपात होकर पृथिवी के जितने कणों को भिगोता है उतने ही सहस्र वर्ष तक हत्यारा नरक में रहता है ।

अवगूर्य चरेत्कृच्छ्रमतिकृच्छ्रं निपातने ।

कृच्छ्रतिकृच्छ्रौ कुर्वात विप्रस्योत्पाद्य शोरितम् ॥२०८॥

× शस्त्र उठावे परन्तु वध न करे तो यह पाप मन से हो चुका है अतएव इसकी शुद्धि करनी चाहिये ।

(२०८) ब्राह्मण के वधार्थ शस्त्र उठाकर कृच्छ्र व्रतको करे और वध करने में अतिकृच्छ्र व्रत को करे तथा रक्षपात करने में कृच्छ्र और अनिकृच्छ्र दोनों व्रतों को करे ।

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापनामपनुत्तये ।

शक्ति चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥२०६॥

(२०६) जिस पाप का प्रायश्चित्त न लिखा गया हो उस पाप को निष्कृत करने के हेतु पापी की सामर्थ्य व दशा तथा पाप के छोटे बड़े होने का विचार करके उसका प्रायश्चित्त नियत करना चाहिये ।

दूरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकर्षति ।

तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान् ॥२१०॥

(२१०) विद्वान् ऋषि और पितरों ने जो यज्ञ पुरुषों को पाप से छुटकारा पाने के बतलाये हैं तथा जिनके द्वारा मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाते हैं हम उनको वर्णन करते हैं ।

अथं प्रातस्त्र्यहं सायं त्र्यहमद्याद्याचितम् ।

अथं परं च नाशनीयात्प्राजापत्यं चरन्दिजः ॥२११॥

+ प्रायश्चित्त विधि में सदा विद्वान् लोग कार्य करते हैं अतः बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अधर्म हैं । परन्तु जिसका वर्णन नहीं आया उनके प्रायश्चित्तार्थ मनुजी ने २०६ वे श्लोक में विद्वानों की व्यवस्था को रक्खा ।

जब तक इस प्रकार के व्रत होते थे तब तक लोगों को पाप से भय था और आपत्ति समय पर सहनशीलता की अति सामर्थ्य होती थी । कतिपय मनुष्य इन ही को दुख या आपत्ति समझते हैं परन्तु पाप का फल दुख ही होता है ।

(२११) प्राजापत्य व्रत करता हुआ तीन दिन प्रातःकाल भोजन करे तत्पश्चात् तीन दिन सन्ध्या समय भोजन करे, फिर तीन दिन अयाचन जो प्राप्त हो उसे भोजन करे तदनन्तर तीन दिन उपवास करे ।

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् ।

एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सांतपनं स्मृतम् ॥२१२॥

(२१२) गो मूत्र, गोमय, घी, दूध, दही, जल, कुशा सहित इन सबको एकत्र कर एक दिन पीवे और दूसरे दिन उपवास करे यह सान्तपन कृच्छ्र कहाता है और जब उपरोक्त वस्तुओं को एक-एक दिन में एक वस्तु का भोजन करे और सातवे-सातवें दिन उपवास करे यह महासान्तपन कृच्छ्र कहाता है ।

एकैकं ग्रासमश्नीयात्प्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् ।

त्र्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छ्रं चरन्दिजः ॥२१३॥

(२१३) अतिकृच्छ्र व्रत करता हुआ एक दिन प्रातःकाल एक ग्रास भोजन करे तथा एक दिन सायंकाल एक ग्रास भोजन करे तथा एक दिन अयाचन जो प्राप्त होवे उसका एक मास भोजन करे फिर तीन दिन उपवास करे ।

तप्तकृच्छ्रं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान् ।

प्रतित्र्यहं पिवेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥२१४॥

(२१४) कृच्छ्र व्रत करता हुआ निश्चिन्त (चिन्ता रहित) होकर करके ऊष्ण जल व दूध व घी व वायु चारों में से एक-एक को पित्त एक-एक तीन-तीन दिन पीवे ।

यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ।

पराक्तो नाम कृच्छ्रोऽप्यं सर्वपापानोदनः ॥२१५॥

(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ दिन पर्यन्त यह व्रत करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है।

एकैक ह्रासयेत्पिण्डं कृष्णं शुक्ले च वर्धयेत् ।

उपस्पृशंस्त्रिपवणमेतच्चान्द्रायणं व्रतम् ॥२१६॥

(२१६) चान्द्रायण व्रत उमको कहते हैंकि जब चन्द्र घटने लगे नित्य एक प्रास (न्यून) करता जावे और जब चन्द्र बढ़ने लगे तो नित्य एक प्रास बढ़ाता जावे । जैसे कृष्ण पत्तरी एकम (पड़वा) को १४ प्रास खाये तो कृष्ण पत्र की पन्द्रह को एक प्रास भी न खावे अर्थात् उखास करे और शुक्लपत्र में बढ़ाते हुए पूर्णमासी को पन्द्रह प्रास खावे ।

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे ।

शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम् ॥२१७॥

(२१७) यदि शुक्लपत्र की पड़वा से यह व्रत आरम्भ किया जावे अर्थात् एक प्रास से आरम्भ करे तो पूर्णमासी को पन्द्रह पूरे करे और कृष्ण पत्र में घटाता जावे तो यह व्रत चान्द्रायण कहलाता है।

अष्टावष्टौ समशनीयात्पिण्डान्मघ्निन्दने स्थिते ।

नियतात्मा हविष्याशी यतिश्चान्द्रायणं चरन् ॥२१८॥

(२१८) यदि हवन योग्य द्रव्य के आठ प्रास दो पहर के समय दिन में एक बार एक मास पर्यन्त खाने चाडिये और जितेन्द्रिय होकर रहे तो यह यति चान्द्रायण कहलाता है।

चतुरः प्रातरशनीयात्पिण्डान्त्रिप्रः समाहितः ।

चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥२१९॥

(२१९) चार प्रास प्रातःकाल सूर्योदय समय खाये जावे और चार प्रास सायंकाल को सूर्यास्त में भोजन दिये जावे और

शेष दिन में कुछ न खाया जावे तो यह चान्द्रायण व्रत कहलाता है।

यथाकथचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः ।

मासेनाशनन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥२२०॥

(२२०) किसी प्रकार निश्चन्त होकर एक मास में हविष्य के २४० प्रास भोजन करे तो चन्द्रलोक में जावे।

एतद्द्रुद्रास्तथादित्या वसवश्चाचरन्व्रतम् ।

सर्वाकुशलमोचाय मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥

(२२१) इस व्रत का रुद्र, आदित्य व सब लोगों ने आचरण कहा है और सब ऋषियों ने भी सब प्रकार के दुःखों से निवृत्त होने के अर्थ इसे प्रहण किया है।

महान्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम् ।

अहिंसासत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत् ॥ २२२ ॥

(२२२) आप नित्य महा-यज्ञ हत से हवन करना, जीव हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, विनीत रहना इन सबको प्रहण करे।

त्रिरहस्त्रिनिंशायां च सवासा जलमाविशेत् ।

स्त्रीशूद्रपतितांश्चैव नाभिभापेत क्वहिचित् ॥ २२३ ॥

(२२३) तीन बार दिन में और तीन बार रात्रि में बखों सहित स्नान करे और व्रतधारी, स्त्री व शूद्र व पतित लोगों से कदापि सम्भाषण न करे।

स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽथः शयीत वा ।

ब्रह्मचारी प्रती चस्याद्गुरुदेवद्विजार्चकः ॥ २२४ ॥

(२२४) रात्रि में और दिन में खड़ा रहे वा बैठा रहे, शयन

न करे, सामर्थ्य न हो तो भूमि में शयन करे, ब्रह्मचारी रहे
अर्थात् स्त्री रमण न करे सूँज की मेखला और प्लास का
दण्ड धारण करे ।

सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तिः ।

सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमाहृतः ॥ २२५ ॥

(२२५) + गायत्री और ईश्वरोपासना के शुद्ध करने वाले
मन्त्रों का यथाशक्ति जाप करे, यह बात प्रायश्चित्त के हेतु
नित्येक व्रत में आवश्यक है ।

एतैर्द्विजातयः शोध्या व्रतैराविष्कृतैः नसः ।

अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत् ॥ २२६ ॥

(२२६) ब्रह्मण्य, क्षत्रिय, वैश्य इन पुरोहितों से अपने किये
हुये पापों को दूर करें और जो पाप गुप्त है उनको मन्त्र व हवन
करके दूर करें ।

रूपापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च ।

पापकृन्मुच्यते पापाश्च दानेन चापदि ॥ २२७ ॥

(२२७) पाप को प्रकट करना, पश्चात्ताप करना (पछताना),
तप करना, वेद पाठ करना, इनके द्वारा पापी अपने पाप से
मुक्त हो जाता है । आपत्तिकाल में दान करके पाप से छुटकारा
पाता है ।

यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वानुभाषते ।

तथा तथा तत्रचेद्वाहिस्तेनाऽधर्मेण मुच्यते ॥ २२८ ॥

+ इसमें शुद्ध करने वाले मन्त्र से अभिप्राय वन मन्त्रों
से है जिनमें बुद्धि की शुद्धि और पाप कर्मों से बचकर शुभ कर्म
करने को उपदेश दिया गया है ।

(२२८) ❀ जैसे केचल से साँप छूटता है उसी प्रकार प्रकृत पापों को जैसे-जैसे कहता है वैसे-वैसे मनुष्य पाप से छुटकारा पाता है ।

यथा यथा मनस्वस्य दुष्कृतं कर्म गहति ।

तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ २२६ ॥

(२२६) पापी मनुष्य का मन जैसे-जैसे दुष्कर्म की भर्त्सना करता है वैसे-वैसे उसका शरीर उस अधर्म से छूटता है ।

कृत्वा पापं हि संतप्त्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।

नेवं कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूषते तु सः ॥ २३० ॥

(२३०) पाप करके सन्ताप करे तो उस पाप से छूटता है । मैं फिर ऐसा न करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके वह पापी शुद्ध होता है एवं संचिन्त्य मनसाप्रत्येकर्मफलोदयम् ।

मनोवाङ् मूर्त्तिभिर्नित्यं शुभ कर्म समाचरेत् ॥२३१॥

(२३१) इसी प्रकार आगामी जन्म में मिलने वाले कर्म फलों को मन में ध्यान करके मनसा वाचा शरीर से दुष्कर्मों को परित्याग कर शुभ कर्मों को करे ।

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।

तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्दिद्वितीयं न समाचरेत् ॥२३२॥

(२३२) ज्ञान से अथवा अज्ञानतासे दुष्कर्म करके उस कर्म से छुटकारा पाने की अभिलाषा करता हुआ दूसरी बार कुकर्म न करे और यदि दूसरी बार कुकर्म करे तो दुगुना प्रायश्चित्त करे ।

❀ क्योंकि पाप करने से संसार में अपयस होता है और चित्त क्लेशित होता है इससे यह कष्ट उस पाप का फल हो जाता है और जीव पा के दूसरे फल से बच जाता है ।

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मननः स्यादऽस्त्राघनम् ।

तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेत् ॥ २३३ ॥

(२३३) जिस प्रायश्चित्त के करने से पापी के मनको संतोष हो तो उस प्रायश्चित्त को फिर करे जब तक चित्त को संतोष न हो तब तक प्रायश्चित्त करता रहे ।

तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम् ।

तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥ २३४ ॥

(२३४) देवता और मनुष्य इन दोनों के सुख का मूल मध्य और अन्त तप ही है इसका वेद के देखने वालों अर्थात् वेद पारंगमियों ने कहा है ।

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३५ ॥

(२३५) ब्राह्मण का तप ब्रह्मज्ञान है, क्षत्रिय का तप सत्कार की रक्षा करना है, वैश्य का तप कृषि इत्यादि है, और शूद्र का तप सेवा है ।

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।

तपमैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्य सचराचरम् ॥ २३६ ॥

(२३६) ऋषिगण जितेन्द्रिय होकर फल, मूल, (वायु इनमें से किसी एक का भोजन करते हुए सचराचर त्रैलोक्य (चल अचल तीनों लोक) तप ही से देखते हैं ।

औषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः ।

तरसैव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तैषां हि साधनम् ॥ २३७ ॥

(२३७) औषधि व अन्य आरोग्यता की विद्या अर्थात् ब्राह्मण कर्म रूप देवी विद्या, वैदार्थ्य ज्ञान, वेद पाठ करना और

विविध प्रकार के ज्ञान व विद्या व स्वर्गवास यह सब तप ही से सिद्ध होते हैं।

यद्दुस्तरं यद्दुरायं यद्गदुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वन्तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ॥२३८॥

(२३८) जिसका तरना दुष्तर (कठिन) है, जिसका जिलना दुष्कर है, तथा जिसका ज्ञान लाभ करना दुष्कर है, वह तप के द्वारा प्राप्त हो सकती है। दुष्कर (कठिन) कार्यों के पूर्ण करने का मुख्य कारण तप ही है।

महापातकिनश्चैव शोषाश्चाकार्यकारिणः ।

तपसैव सुपप्तेन मुच्यन्ते किञ्चपात्ततः ॥ २३९॥

(२३९) बड़े बड़े महापापी और दुष्कर्मोंके करने वाले जितने पापी हैं वह सब तप ही के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं।

कीटश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च ।

स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात् ॥२४०॥

(२४०) ॐ बड़े बड़े साँर, कीट, पतंग पशु पक्षी, चर, प्राणी यह सब तप ही के बल से स्वर्ग में जाते हैं।

यत्किञ्चिदैनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः ।

तत्सर्वं निर्दहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ॥२४१॥

(२४१) मन, वाणी, शरीर से जो कुछ पाप होता है वह सब तप ही से नाश होता है।

ॐ२४०वें श्लोक में बतलाया है कि नीच योनियों में जाने वाला जीव तप के बल से दशा अर्थात् स्वर्ग को पाता है यहाँ यह भी ज्ञात होता है कि वैश्य देवता हो सकते हैं।

तपमैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवोकसः ।

इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

(२४२) यज्ञ तप से पवित्र (शुद्ध) ब्राह्मण की दी हुई हविष्य को देवता लेते हैं और उनकी इच्छित पदार्थों की वृद्धि करते हैं ।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवाप्तुजत्प्रभुः ।

तथैव वेदानृपपस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२४३॥

(२४३) प्रजापति हिरण्यगर्भ ने इस शास्त्र को तप ही से उत्पन्न किया और इसको ऋषि लोगों ने तप ही से पाया ।

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।

सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥२४४॥

(२४४) सब प्राणियों को तप ही से दुर्लभ जन्म ही होता है इसे देखते हुए देवता लोग तप को सब को मूल जान कर तप का महारामा कहते हैं ।

वेदाभ्यामोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया चमा ।

नाशयन्त्याशु पापानि महापातकज्ञान्यपि ॥२४५॥

(२४५) रात्रि दिन वेद का पढ़ना, 'बलानुसारं' महायज्ञादि शुभ कर्मों को करना यज्ञे २ पापों को भी शीघ्र (अगर समय में) ही शुद्ध कर सकता है ।

यथैधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निदहति क्षयात् ।

तथा ज्ञानाग्निना पापं मर्त्तं दहति वेदवित् ॥२४६॥

(२४६) जिस प्रकार प्रखलित अग्नि काष्ठ को शीघ्र ही प्रस्रम साव कर देती है उसी प्रकार वेद-जानने वाले ज्ञानरूपी अग्नि से सब पाप को जलाता है ।

इत्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि ।

तल्प ऊर्ध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ।२४७॥

(२४७) जो पाप साधारण मनुष्यों पर प्रकट होगये या जिनको अपने का ज्ञान है उनका प्रायश्चित्त तो कह दिया अथ गुप्त पापों का व अज्ञात पापों का प्रायश्चित्त कहते हैं ।

सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडशः ।

अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरदः कृताः ॥२४८॥

(२४८) प्रणव (ओंकार) और व्याहृतियों के साथ गायत्री मन्त्र का जप करना और सोलह बार नित्य प्राणायाम करना ऐसे सब पापों को जो अज्ञात हो दूर कर देता है ।

कौन्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्युचम् ।

माहितं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ।२४९॥

(२४९) जिस सूक्त पर कौन्स अपि ने भाषा की है और जिस सूक्त पर वसिष्ठ अपि ने अर्थ लिखा है, और माहितो सूक्त व शुद्धवत्य सूक्त का पाठ करने और अर्थ विचारने से सुविपान करने वाला भी शुद्ध हो जाता है ।

सकृज्जप्त्वास्यवामीर्यं शिवसंकमेद च ।

अपहृत्य सुवर्णांतु चण्डाद्भवति निर्मल ॥ २५०॥

(२५०) ॐ एक मास पर्यन्त नित्य एक बार अस्यवामी को और शिव संकम को ऋि जो यजुर्वेद में जप करे तो ब्राह्मण का सोना चोर पवित्र होता है ।

ॐ २४९ वें श्लोकों के सूक्त ऋग्वेद के हैं और २५० वें श्लोक में जिन मन्त्रों का वर्णन है वह यजुर्वेद के हैं ।

द्विविध्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च ।

जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥२५१॥

(२५१) द्विविध्यन्ति आदि उन्नीस ऋचा और नतमंह दो दुरित ऋचा, और सहस्र शीर्षा जो पुरुष सूक्त नाम वेदका भाग प्रसिद्ध है उसको सोलह बार नित्य एक मास पर्यन्त जप करे तो माता से रमण करने के पाप से छुटकारा पाता है ।

एनसां स्थूलसूचमाणं चिकीर्षन्नपनोदनम् ।

अवेत्यृचं जपेदब्द यत्किंचेदमितीति वा ॥२५२॥

(२५२) अत्येव हेतो वर्ण यह ऋचा, यन्किंचेदम वरुणदेव य जल यह ऋचा इनको एक वर्ष पर्यन्त एक बार जप करे तो छोटे बड़े पापों को दूर करता है ।

प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं सुकरमा चान्न विगर्हितम् ।

जयंस्तरत्समन्दीयं पूषते मानवस्त्रपहात् ॥२५३॥

(२५३) अप्राह्य पदार्थों को ग्रहण करके व नित्य पदार्थों को भोजन करके स्तरत्समन्दी चार ऋचा को तीन दिन जप करे ।

सोमारोद्रं तु बहूना मासमभ्यस्य शुध्यति ।

स्रवन्त्यामाचरन्स्नानमर्यङ्णामिति च तृचम् ॥२५४॥

(२५४) सोमारोद्रं आदि चार चार ऋचा और जन्म आदि तीन ऋचा इनमें से एक २ को एक बार एक मास पर्यन्त नदी आदि में स्नान करके जप करे तो बहुत पापों से छूट जाता है ।

अब्दार्धमिन्द्र भित्येतदेनस्यो सप्तकं जपेत् ।

अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत् भैक्षुः ॥२५५॥

(२५५) इन्द्र आदि सात ऋचाओंकी छःमास पर्यन्त जापकरे तो

सब पापों से छूटता है। जल में मूत्र व विष्टा करने वाला मनुष्य एक मास पर्यन्त भिक्षा याचन कर भोजन करे।

मन्त्रैः शाकलहोमीघोरवदं हुत्वा घृतं द्विजः।

सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जपत्वा वा नम इत्यृचम् ॥२५६॥

(२५६) देव करिष्य आदि शाकल हवन मन्त्रों से एक वर्ष पर्यन्त घी का हवन करे। अथवा इन्द्र इस ऋचा को एक वर्ष पर्यन्त जप करे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के महापातक दूर हों।

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गङ्गाः समाहितः।

अभ्यस्याब्दं पावमार्नाभैर्त्वाहारो विशुद्धयति ॥२५७॥

(२५७) + ब्रह्महत्या आदि पापों में से किसी एक पाप से संयुक्त हो तो चिन्तारहित होकर गङ्गा का अनुगामी बने और भिक्षा मांगकर भोजन करे और जितेन्द्रिय होकर एक वर्ष पर्यन्त नित्य पावमानी ऋचा को जप करे तो शुद्ध होता है।

अरश्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्।

मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ॥२५८॥

(२५८) वन में चिन्तारहित होकर वेद संहिता को तीन बार अभ्यास करे और तीन बार पराक व्रत करे तो सब पापों से छुटकारा पाता है।

+ २५४ से २५७ श्लोक तक जिन ऋचाओं का वर्णन है सब ऋग्वेद संहिता आदि के मन्त्र हैं जिसके जपने से मनुष्य को उसके अर्थों का कुछ न कुछ विचार हो जाता है जिससे वह उन पापों से छूट जाता है और ज्ञान हो जाने से भोग योग्य कर्मों का भी दुःख न्यून (अल्प) प्रतीत होता है और दुःख न प्रतीत होने से मनुष्य वह पाप भी छूट जाते हैं।

अथहं तूपवसेधुक्तं स्त्रिरहोभ्युपयन्नपः ।

मुच्यते पातकैः सर्वास्त्रिर्जपित्वाऽधमर्षणम् ॥२५६॥

(२५६) जितेन्द्रिय होकर नित्य प्रातः दोपहर सायं को स्नान करके जल में तीन बार ऋतंच सत्यम् इस अधमर्षण सूक्त को जप करे तो सब पापों से छूट जाता है ।

यथाश्वमेधः क्रतुराट् सर्वापापापनोदनम् ।

तथाऽधमर्षणं सूक्तं सर्वापापापनोदनम् ॥२६०॥

(२६०) जिस प्रकार सब यज्ञों का राजा अश्वमेध यज्ञ सब पापों को हरता है वैसे ही अधमर्षण सूक्त सब पापों को दूर करता है ।

दत्त्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्यन्नपि यतरत्ततः ।

ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किञ्चनः ॥२६१॥

(२६१) तीनों लोक को हनन करके और जहाँ तहाँ भोजन करके ऋग्वेद को धारण करे तो किसी पाप को नहीं पाता है ।

ऋक्संहिता त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः ।

साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२६२॥

(२६२) ऋचिन्ता रहित होकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की

ॐ २५८ से २६२ श्लोकों में मनुजी वेदों के पाठ के महान्ध को बतलाते हैं परन्तु मूल्य अर्थात् शूद्र को वेदों के पाठ का अधिकार नहीं और जो व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञाता तीन चार वेदों का पाठ करेगा उसको अथर्व ही वेदों का अर्थ यथा सम्भव ज्ञात हो जावेगा जब विद्या पूर्ण व विश्वस्यनीय होयगी तब उस पर आचरण करना अथर्वम्भावी है अतएव जो वेदपाठ करेगा वह अथर्व ही ज्ञानी होकर पापों से छूट जावेगा यह मनुजी का मत है ।

संहिता में से एक २ संहिता को तीन-चार प्रयत्न सहित पाठ करके सब पापों से छूटता है ।

यथा महाहृदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति ।

तथा दुश्चरितं सर्वं वेदे त्रिषृति मज्जति ॥२६३॥

(२६३) जैसे अथाह जल में मिट्टी का ढेला डाला तो शीघ्र ही नाश हो जाता है इसी प्रकार सब पाप तीनों वेद के पाठ करने से हूय जाते हैं ।

ऋचा यजूंषि चान्यानि समानि विविधानि च ।

एष ज्ञेयस्त्रिषृद्धेदो यो वेदैर्न स वेदवित् ॥ २६४ ॥

(२६४) ऋग्, यजुर, साम इन तीनों वेदों के मन्त्र ब्राह्मण सहित तीन प्रकार का वेद जानना चाहिये जो उसको जानता है वही वेद ज्ञाता है ।

आद्यं यत्त्र्यक्षरं ब्रह्मत्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठता ।

स गृह्योऽन्यस्त्रिषृद्धेदो यस्तं वेद स वेदवित् ॥२६५॥

(२६५) सब वेदों के आदि तीन अक्षर वाजा सब वेद का मार और सब वेदों को अपने बीच स्थिर करने वाला जो प्रणव है उसका ज्ञाता (जानने वाला) वेद ज्ञाता है ।

मनुजी के धर्म शास्त्र भृगुजी की संहिता का ग्यारहवाँ
अध्याय समाप्त हुआ ।

द्वादशोऽध्यायः ।



चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयाऽनघ ।

कर्मणा फलनिवृत्तिं शंस नस्तावतः पराम् ॥१॥

(१) ऋषियों ने भृगुजी से कहा कि हे पाप मुक्त भृगुजी आपने यथा विधि चारों वर्णों के धर्मों को वर्णन कर दिया और अब पुण्य पाप के फल को वर्णन कर दीजिये ।

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षिन्मानवो भृगुः ।

अस्य सर्वस्य श्रुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥२॥

(२) मनु धर्मशास्त्र के लिखने वाले धर्मात्मा भृगु ने उनसे कहा कि हे ऋषियों सब कर्मों के द्वारा योग अर्थात् सम्बन्ध को हम वर्णन करते हैं ।

शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम् ।

कर्मजा गतयो नृणामुत्तमोऽधममध्यमाः ॥ ३॥

(३) मन वाणी देह से जो शुभा शुभ कर्म उत्पन्न होता है इससे मनुष्यों की उत्तम, मध्यम, अधम गति उत्पन्न होती है ।

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः ।

दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥

(४) आगे जो दस लक्षण कहेंगे उससे संयुक्त पुरुष शरीर स्वामी का मन जो मन वाणी देह से उत्तम, मध्यम, अधम कर्म में लिप्त करने वाला है उसको जानो ।

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनाऽनिष्टचिन्तनम् ।

वितथाभिनिवेशं त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ५ ॥

(५) दूसरे के द्रव्य में ध्यान, मन से अनिष्ट चिन्ता नास्तिकता यह तीन प्रकार के मानस कर्म हैं अर्थात् मन से उत्पन्न होने वाले हैं ।

पारुष्यमनृतं चैव पैशून्यं चापि सर्वशः ।

असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् ॥६॥

(६) पारुष्य वचन कहा (कटुभाषण) मिथ्या भाषण करना, आत्मा के विरुद्ध कहना, और लोगों की चुगली और अनादर करना, असम्बद्ध वक्तास करना यह चार वाणी के दोष हैं ।

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः ।

परदारोपसेवा च शारीरं त्रिभिध स्मृतम् ॥७॥

(७) छलसे किसी वस्तु का लेना, जीव हिंसा करना, पर स्त्री रमण करना, यह तीन देह (शरीर) से उत्पन्न होने वाले पाप हैं ।
मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् ।

वाचाऽवाचा कृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥८॥

(८) जिससे कहे हुये पाप के फल से अचर जीव अर्थात् वृक्षों में रहने वाला, मन से किये हुए कर्म का मानसिक, और वाणी से कहे कर्म का फल वाणी से, और शरीर से किये हुये कर्म का फल शारीरिक दण्ड होता है जिस प्रकार पाप करता है उसी प्रकार फल मिलता है ।

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम् ॥९॥

(९) वाणी द्वारा किये पाप से पक्षी और पशु, तथा चित्त से किये हुये पाप से चाण्डालादि होता है ।

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ।

यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१०॥

(१०) जिसके वाणी मन देह सब क्रमानुसार स्वेच्छाचारी वाणी और नास्तिकता वर्जित व्यवहार को परित्याग करने वाले हैं वही त्रिदण्डी कहलाते हैं ।

त्रिदण्डमेतन्नित्थिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।

कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥११॥

(११) सब प्राणियों में इन तीनों दण्ड की (अर्थात् मन, वाणी, देह) के दण्ड को स्थिर करके काम व क्रोध को जीतकर सिद्धि को प्राप्त करता है ।

योऽस्यात्मनः कारयिता तंचोत्रजं प्रचक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्योच्यते बुधैः ॥१२॥

(१२) देह को कर्म में प्रवृत्त कराने वाला चोत्रज कहलाता है और जो करता है वह भूतात्मा अर्थात् देह कहलाता है यह बात पण्डित लोग कहते हैं ।

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ।

येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥१३॥

(१३) सब देह धारियों के शरीर में रहने वाले जीव को अन्तरात्मा कहते हैं वह उससे जिसका मण्डन्त अर्थात् मन कहते हैं सर्वथा पृथक् है । क्योंकि मन तो सुख दुःख को भोगन वाला है और जीवात्मा उस व्यवहार का हाता है परन्तु वह स्वरूप से दुःखी सुखी नहीं होता परन्तु अज्ञान से मन इन्द्रियों में आत्म बुद्धि करके सुख दुःख को भोगता है ।

तावुभौ भूतसंपृक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ एव च ।

उच्चावचेयु भूतेषु स्थितं त व्याप्यतिष्ठतः ॥ १४ ॥

(१४) महान् तत्त्व व क्षेत्रज्ञ यह तीनों पृथ्वी आदि पंच महाभूतों करके ऊँच नीच योनि में परमात्मा को पकड़ कर (आधय) रहते हैं ।

असंख्या मूर्तं यस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः ।

उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५ ॥

(१५) ❀ परमात्मा के शरीर अर्थात् प्रकृत से असंख्य मूर्तं कर्म के कारण ऊँच नीच दशा में उत्पन्न होते हैं ।

पञ्चभ्य एव भात्राभ्यः पूत्य दुष्कृतिनां नृणाम् ।

शरीरं यातार्थीयनमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

(१६) दूसरे जन्म में पापियों के दुख भोग करने के हेतु पृथ्वी आदि पंचतत्त्व के अंशों (भागों) से दूसरा शरीर लिङ्ग नाम पृथक् होता है ।

तेनानुभूयता यामीः शरीरेणेह यातनाः ।

तास्त्रेव भूतमात्रासु प्लीयन्ते विभागशः ॥ १७ ॥

(१७) उस शरीर से यमराज की असह्य यातना को सहन करके अर्थात् दुःख भोग कर यह शरीर अपने मूल में विलीन हो जाता है अर्थात् पृथ्वी आदि पंचतत्त्व से जो भाग पृथक् हुआ था वह पंचतत्त्वों में मिल जाता है ।

❀ १५वें श्लोक में विराट् अर्थात् सारे ब्रह्माण्ड को एक पुरुष मान कर और प्रकृति को उसका शरीर बतला कर एक अलङ्कार बनाकर शरीरों की उत्पत्ति दिखलाई है ।

सोऽनुभूवासुखोदकान्दोषान्निषयसङ्गजान् ।

व्यपेतकल्मषोऽभ्येति ताचेवोभो महीजसौ ॥ १८ ॥

(१८) लिङ्ग शरीर (महत् शरीर) में रहने वाला अविजोव घासना के कारण से क्षयन्न हुये पापों को भोग कर और पापों से पृथक् होकर महापराक्रमी महान् और परमात्मा दोनों को शरण लेता है ।

तौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह ।

यान्भ्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखामुखम् ॥१९॥

(१९) वह मन और जीवात्मा दोनों एकत्र होकर धर्म और अधर्म के फल को इस जन्म और दूसरे जन्म में पाते हैं और जो सचित कर्म अर्थात् प्राचीन एकत्रित कर्म के कारण शरीर धारण करते हैं ।

यद्याचरति धर्मं स प्रायशोऽधर्ममल्पशः ।

सैरेव चावृत्तो भूतैः स्वर्गं सुखमुपास्तुते ॥२०॥

(२०) जब जोव महान् (पंडित) धर्म करता है और अल्प पाप करता है तब परलोक (अर्थात् दूसरे जन्म) में सुख को पाता है और इसके हेतु उत्तम शरीर में जन्म पाता है ।

यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्ममल्पशः ।

तौर्भूतं स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः ॥२१॥

(२१) जब अति पाप करता है और अल्प धर्म करता है तब परलोक में दुःख पाता है ।

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः ।

तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥

(२२) यमराज की यातना को भोग कर पाप से पृथक् होकर फिर जहाँ से लिंग नाम शरीर उत्पन्न हुआ है उसी में (अर्थात्) पचभूतों में) फिर अंशों से मिल जाता है ।

एता दृष्ट्वास्य जीवस्य गतिः स्येनैव चेतसा ।

धर्मतोऽछर्मतश्चैव धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥२३॥

(२३) अपनी बुद्धि से जीव की दशा को देखकर और ध्यान पूर्वक उसके इस फल को विचार कर नित्य अपनी इन्द्रिय और मन को स्थिर रखे अर्थात् पाप से बचकर धर्म करता रहे ।

सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान् ।

यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥२४॥

(२४) सत्, रज, तम यह तीनों प्रकृति के गुण उसके कार्य महत्त्व अर्थात् मन में रहते हैं और गुण सारे संसार में व्याप्त हो रहे हैं ।

यो षडैषां गुणो देहे साकल्पेनातिरिच्यते ।

स तदा तदगुणप्राप्यः तं करोति शरीरिणम् ॥२५॥

(२५) इन तीनों गुणों में से जो गुण जिस शरीर में अधिक होता है उस शरीर को उसी गुण वाला कहा जाता है । यद्यपि उस शरीर में दूसरे गुण भी कुछ न कुछ अंश में वर्तमान रहते हैं तो भी एक गुण की अधिकता से उसी गुण के कार्य होते हैं ।

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।

एतद्व्याप्तिमदेतेषां सर्वभृताश्रितं वपुः ॥२६॥

(२६) सत् ज्ञान है, तम अज्ञान है, राग (अर्थात् इच्छित

वस्तु की अभिलाषा) और द्वैप (अर्थात् अनिच्छित वस्तु से घृणा) यह दोनों रज हैं संसार इन तीनों गुणों से सारा धरा हुआ (व्याप्त) है ।

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किञ्चिदात्मनि लक्षयेत् ।

प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥२७॥

(२७) जब आत्मा में प्रेम के बिन्दु पाये जायें और इच्छा आदि के न होने से शान्ति दृष्टिगोचर हो और चित्त में शुद्धिका विचार हो तो उस समय सतोगुणी बलवान जानना चाहिये ।

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।

तद्भ्रजो प्रतिमं विद्यात्सततं हारिं देहिनाम् ॥ २८ ॥

(२८) जब आत्मा को दुःखी और विवाद का इच्छुक देखे सब रजोगुणी प्रगान समके और रजोगुण सब प्राणियों को अति शीघ्र हानि पहुँचाने वाला और परिन्याग योग्य है ।

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥२९॥

(२९) जब आत्मा को मोह संयुक्त और विषय वासना में लिप्त देखे तब तमोगुण प्रगान जाने वह तमोगुण अतर्क्य (तर्क के योग्य नहीं) और जानने के योग्य नहीं है ।

त्रयाणामपि रीतेषां मुखानां यः फलोदयः ।

अग्रयो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥३०॥

(३०) इन तीनों गुणों का फल उत्तम, मध्यम, अधम है उसका हमने वर्णन किया ।

ॐ २४ से २६ वें श्लोक में आत्म से महत्त्व अर्थात् मन से अभिप्राय है जीवात्मा से नहीं ।

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥३१॥

(३१) वेद पढ़ना तप, ज्ञान, शुचिता (पवित्रता) इन्द्रिय-निग्रह (जितेन्द्रिय होना) धर्म कर्म अर्थात् वेदशास्त्रानुसार कर्मा करना, आत्माचित्त, सतोगुण के चिन्ह हैं ।

आरम्भरुचिताऽधैर्यमजत्कार्यपरिग्रहः ।

विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥३२॥

(३२) कार्यारम्भ करने की इच्छा, धैर्य न होना, असत् कार्यों में सलग्नता और लक्ष्को परिग्रहण करना, विषयों का सेवन करना यह सव रजोगुण के चिन्ह हैं ।

लोभः स्वप्नोदृतिः क्रौर्यं नारितवयं भिन्नवृत्तिता ।

याचिष्णुतां प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥३३॥

(३३) लोभ, स्वप्न, स्थिर चित्त न होना, क्रूरता(निर्दयता) नास्तिकता, भविष्य जन्म पर अविश्वास, रुदाचार से घृणा, याचना करने का स्वभाव, अहङ्कार यह सव तमोगुण के चिन्ह हैं ।

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम् ।

इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम् ॥३४॥

(३४) तीनों गुणों के भूत भविष्य व वर्तमान में रहने की दशा में जो फल और चिन्ह हैं वह प्रत्येक मनुष्य के हेतु जानने योग्य है । अर्थात् किस गुण के क्या फल हैं और भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा, पृथ' में किस प्रकार हुआ है और वर्तमान समय में इस गुण वालों की क्या दशा है ।

यत्कर्म कृत्वा कुर्वन् करिष्यंश्चैव लज्जति ।

तज्ज्ञेयं निदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥३५॥

(३५) जिस कार्य के करते समय तथा करने के पश्चात् और करने की इच्छा के प्रकट करने में लज्जा प्रतीत हो उसको पण्डित लोग तमोगुणी का चिन्ह कहते हैं ।

येनास्मिन्कर्मणा लोके रुमातिमिच्छति पुष्कलाम् ।

न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥३६॥

(३६) जिस कार्य के करने से इस लोके में बड़ा यश प्राप्ति की इच्छा करता है और निर्धन होने का क्वचित् सोच नहीं करता उस कार्य को रजोगुण का चिन्ह समझें ।

यत्सर्वेष्वेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चोचरन् ।

येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्वगुणलक्षणम् ॥३७॥

(३७) जिस कर्म को करते हुए लज्जा नहीं होती और जिस कर्म को करके पुरुष की आत्मा आनन्दित और तृप्त होती है उस कर्म को सतोगुण का लक्षण जाने ।

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते ।

सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रैष्ठ्यमपां यथोत्तरम् ॥३८॥

(३८) तमोगुण का लक्षण काम (अर्थात् सांसारिक वस्तुओं की इच्छा व भोग) है, रजोगुण का लक्षण अर्थ है, सतोगुण का लक्षण धर्म इन तीनों में अन्त का अर्थात् सतोगुण श्रेष्ठ है ।

येन यस्तु गुणैर्नैपां संसारान्प्रतिपद्यते ।

तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥३९॥

(३९) जिस गुण के कारण जीव जिस दशा को प्राप्त होता है उस सारे संसार की दशा संक्षेप में वर्णन करूँगा ।

देवर्त्यं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा ।

तिर्यक्तत्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥४०॥

(४०) सतोगुणी देवभाव को, रजोगुणी मनुष्य भाव को, तमोगुणी पशु य पक्षी के भाव को प्राप्त होते हैं । यह तीन प्रकार की गति है ।

त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः ।

अथमा मध्यमाग्रया च कर्मविद्या विशेषतः ॥४१॥

(४१) सतोगुण आदि से जो तीन प्रकार की दशा वर्णन की गई है वह भी इन तीनों गुणों को न्यूनता वा अधिकता से, उत्तम, मध्यम, नीच तीन प्रकार का है । और उनमें देशकाल का अन्तर भी एक कारण है ।

स्थावराः कृमिकोटाश्च मत्स्याः सर्पाः सरुच्छपा ।

पशश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ ४२ ॥

(४२) स्थावर (वृक्षों में रहने वाले) कृमि (कीड़े) जो मिल नहीं सकते हैं, कोट, मछली, साँप, पशु, कछुवा, दिरन, इन सब गतों को तामसी जघन्य (नीच) जानना ।

इस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः ।

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥४३॥

(४३) हाथी, घोड़ा, सुअर, म्लेच्छ, सिंह, बाघ, शूद्र इन सब गतों को तामसी (तमोगुण की) मध्यम गति जानना ।

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुपाश्चैव दाम्बिकाः ।

रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपूत्तमा गतिः ॥४४॥

म्लेच्छ उन्ने कहते हैं जो निकृष्ट पदार्थों का इच्छुक हो, य मास, मदिरा, व्यभिचार का इच्छुक हो ।

(४४) भाट, छली व कपटी मनुष्य, राक्षस, पिशाच इन सबको तामसी व्रतम गति जानना ।

• भल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाःशत्रुघृत्तयः ।

यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥४५॥

(४५) (दशम अध्याय में कहे हुए) मल्ल मल्ल और नद तथा शस्त्र से अजीविका वाले मनुष्य और जुआ तथा मह्यपान में आसक्त पुरुष यह रजोगुण का निकृष्ट गति है ।

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः ।

सादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥४६॥

(४६) राजा लोग तथा क्षत्रिय और राजा के पुरोहित और वाद वा भगड़ा करने वाले यह मध्यम राजस गति है ।

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधाऽनुचराश्च ये ।

तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीपूचमा गतिः ॥४७॥

(४७) गन्धवं (गाने वाला और बजाने वाला) गुह्यक, यज्ञ अप्सरा (अर्धान् सुन्दर और यारों गाने नाचने वालों) विद्याधर (शिल्पकार) सब रजोगुण की उत्तम गति का लक्षण जानना ।

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः ।

नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा साक्षिणी गतिः ॥४८॥

(४८) तापस (तप करने वाले) संयमी, व्रती ब्राह्मण और विमान पर चढ़कर घूमने वाले, नक्षत्र, दैत्य (आचरणहीन विद्वान) वरन् प्रतिकूल आचरणी यह सब सतोगुण की नीच गतिमय है ।

राक्षस वह है जो हिंसा और विप्रद का प्रेमी हो ।

+ पिशाच उसे कहते हैं जो निर्दयता और क्रोध के कारण

शुभाशुभ को पहिचान न रखता हों ।

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः ।

पितरश्चेवे साध्यांश्च द्वितीय सात्त्विकी गतिः ॥४९॥

(४९) यज्ञकर्ता ऋषि, देवता, वेदज्ञाता, ज्योतिषी पत्रा बनाने वाले वत्सर अर्थात् रक्षा करने वाले पितर, साधना करने वाले यह सब सतोगुणी की मध्यम गति में है ।

ब्रह्मा विश्वमृजो धर्मो महानऽव्यक्तमेव च ।

उत्तमा सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ ५० ॥

(५०) चारों वेदों का ज्ञाता, सृष्ट्युत्पत्ति करने वाला ईश्वरीय कर्म, महान् अव्यक्त निराकार परमात्मा यह सब सतोगुण की उत्तम गति में हैं ।

एष सर्वः समुदिष्टस्त्रिपकारस्य कर्मणः ।

त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्धभीतिकः ॥५१॥

(५१) मन, वाणी, देह, तीनों कर्म के साधन में अर्थात् इन तीनों के द्वारा कर्म होते हैं इनके भेद से तीन प्रकार के कर्म सत, रज, तम नाम वाले हुए फिर उत्तम, मध्यम, नीच के विभाग से प्रत्येक की तीन गति हुई जिनका योग नौ होता है । सारा संसार पंचभूत से उत्पन्न है उसको तीन में दिखाने के हेतु कहा इससे जो कहने से रह गया वह गति भी दूसरी पुस्तक से देखने के योग्य है ।

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धर्मस्यासेवेनेन च ।

पापान्संयान्ति संसारानविद्धांसो नराधमः ॥५२॥

(५२) इन्द्रियों की वासना (प्रसंग) में पड़-कर धार्मिक कर्म न करने से तथा पाप कर्मों को करता हुआ विद्या से रहित मनुष्य नीच गति को पाता है ।

यां यां योनिं तु जीवेऽयं येन येनेह कर्मणा ।

क्रमशो याति लोकेऽस्मिन्स्तत्तत्सर्गं निबोधत ॥५३॥

(५३) इस लोक में यथाक्रम जीव जिस २ कर्म के करने से जिस २ गति में हो जाता है इसको सद्योग से वर्णन करते हैं ।

बहून्पर्यगणान्घोरान्तरकान्प्राप्य तत्क्षपात् ।

मसारात्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान् ॥ ५४॥

(५४) बहुत वर्ष पर्यन्त घोर नरक के भोग करने से पापों से छुटकारा पाकर और अगामोपातक से महापापी मनुष्य मक्षर में जन्म पाते हैं ।

श्वशूकरखरोष्प्राणो गोजामिमृगपक्षिणाम् ।

चाण्डालपुम्फ्रमानाँ च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥५५॥

(५५) कुत्ता, सुअर गदहा, ऊँट, गऊ, बकरा, भेड़ा, हिरण्य पक्षी, चाण्डाल, पुष्क इतकी योनि में ब्रह्महत्या करने वाला जाता है अर्थात् इनका जन्म पाता है ।

कृमिकीटपतंगानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम् ।

हिंसाणां चैव सच्यानां सुरापो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥५६॥

(५६) कृमि, कीट, पतङ्ग, विष्टा भक्षण करने वाले पक्षी का स्वभाव रखने वाले सिंह आदि इनकी योनि में सुरापान करने वाला ब्राह्मण जाता है ।

लूतादिसरथानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम् ।

हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सद्मशः ॥५७॥

(५७) मकड़ी, साप, गिरि, गेट, जल जीव टेढे चलने वाला पिशाच हिंसा करने की प्रकृति रखने वाले जीव इनकी योनि में सोना चुराने वाला ब्राह्मण सक्षों आर जाता है ।

तृणगुल्मलतानां च क्रव्यानां दंष्ट्रिणामपि ।

क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतन्मगः ॥ ५८ ॥

(५८) + तृण, गुल्म, लता में रहने वाले कीड़े, कच्चा माँस भक्षी गीध आदि क्रूर कर्म करने का जिनका स्वभाव है। सिंह, बाघ आदि इनका योनि में माता से रमण करने वाला सैकड़ों राख जन्मता है।

हिंसा भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽभक्ष्यभक्षिणः ।

परस्परादिनः स्तेनाः प्रेतान्यस्त्रीनिपेविणः ॥ ५९ ॥

(५९) जीव हिंसा की प्रकृति रखने वाला जो है वह कच्चे माँस भक्षण करने वाले (विलार आदि) होते हैं। अस्वाद्य पदार्थों को भक्षण करने वाले छोटे कृमि (कीड़े) होते हैं। महापातकी के अतिरिक्त जो चार है वह परस्पर माँस भक्षी होते हैं अर्थात् वह उसके माँस को भक्षण करता है और दूसरा उसके मांस को भक्षण करता है चाण्डाल की स्त्री से सम्भोग करने वाला प्रेत होता है।

संयोगं पतितीमत्वा परस्मैव च योषितम् ।

अपवृत्त्य च विप्रस्यं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥

(६०) पतितों से मैत्री आदि संसर्ग करना, पर स्त्री गमन, ब्राह्मण का सोना चुराना इनमें से कोई एक कर्म करके ब्रह्म राक्षस होता है।

+ ५८ वे श्लोक में जिस प्रकार के मांसाहारी प्राणी हैं। उसी प्रकार घास सरकण्डे में रहने वाले जीव जानना चाहिये क्योंकि जीव जड़ पदार्थों में कहीं नहीं जाता वरन् जीवधारी को भी शरीर कहते हैं यहाँ अर्थ प्राप्त के ऐसा विचार करना चाहिये

मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोभेन मानवः ।

विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥६१॥

(६१) लोभ से मणि मुक्ता (मोती), प्रवाल (मूँगा) इत्यादि विविध प्रकार के जो रत्न हैं उनको चुराने से हेमकर्तृ (सुनार) होता है ।

धान्यं हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलं प्लवः ।

मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥६२॥

(६२) धान्य के चुराने से चूना, काँसा के चुराने से हंस, जल के चुराने से प्लव नाम प्राणी, शहद के चुराने से वन की मकखी, दूध चुराने से कौवा, रस के चुराने से कुत्ता, घी के चुराने से नेवला होता है ।

मांसं गृध्रो वपां मद्गु स्तैलं तैलपकः खगः ।

चीरीवाकस्तु लवणं यलाका शकुनिर्दधि ॥६३॥

(६३) १-मांस, २-चरबी, ३-तेल, ४-निमक, ५-इही, चुराने से क्रमानुसार १-गृध्र, २-पानी के ऊपर रहने वाले पक्षी, ३-तेलपक पक्षी, ४-मीगुट, ५-यलाका पक्षी होता है ।

कौशेयं तित्तिरिहृत्वा क्षीमं हृत्वा तु ददुरा ।

कार्पासतान्तयं क्रौञ्चो गोधा गां वाग्गु दो गुडम् ॥६४॥

(६४) १-कीड़ों के पेट से निकाला हुआ कपड़ा (रेशम आदि), २-तीसी की छाल से बना हुआ बख, ३-घासके सूत का बख, ४-गऊ व ५-गुड़ इनके चुराने से यथाक्रम १-वीररो पक्षी, २-मेंढक, ३-कौब, ४-गोह, गोवरा पक्षी होता है ।

छुन्छुन्दरिः शुमान्गन्धान्पत्रशार्ङ्गं तु वह्निष्यः

श्वावित्कृतान्न विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ॥६५॥

(६५) १-मशक आदि, २-बथुआ, आदि, ३-भात, ४-सत्तु आदि जो गेहूँ इनके चुराने से क्रमानुसार १-छछून्दर, २-मोठ ३-श्वावित, ४-साही होता है ।

वक्रो भयति हृत्वाग्निं गृहकारो ह्युपम्करम् ।

रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६॥

(६६) + १-अग्नि, २-सूप, ३-मूसल आदि गृह की आवश्यकीय वस्तु, लाल वस्त्र इनके चुराने से यथाक्रम षगुला बिल्ली, चकोर होता है ।

वृको मृगेभं व्याघ्रोऽश्वं फलमूलं तु मर्कटः ।

स्त्रीमृच्छः स्तोकधी वारि यानान्युष्ट्रः पशूनजः ॥६७॥

(६७) मृग, हाथी, इन दोनों में से किसी के चुराने से बगला होता है, घोड़ा के चुराने से बाघ होता है, फल फूल इन दोनों में से किसी एक के चुराने से बन्दर होता है, स्त्री के चुराने से रोछ होता है, पीने के योग्य जल को चुराने से पपीहा नाम पत्नी होता है, सवारियों को चुराकर ऊँट होता है, पशुओं को चुराकर बकरा होता है, ।

यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहत्य वलान्तरः ।

अवश्यं याति तिर्यक्तुं जग्ध्वा चैवाहुतं हविः ॥६८॥

+ ६२वें श्लोक से ६६वें श्लोक तक का विषय स्पष्ट रीति से आगामी जन्म में सम्बन्ध रखने वाला है और परोक्ष वश का फैलाने वाला भी यहां तक नहीं हो सकता है अतएव यह श्लोक भी प्रमाण मानना चाहिये ।

(६८) दूसरे का वन चुराने से वा बलात् अपहरण करने से अवश्य ही पृथ्वी पर पेट के बल चलने वाला होगा, और हवन की सामग्री भूल कर भी खा लेने से भी यही दशा होती है ।

स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वादोपमवाप्नुयुः ।

एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥६९॥

(६९) स्त्री भी उरारोक्त पाप कर्मों के करने से उपरोक्त प्राणिया की स्त्री होती है ।

स्त्रेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युत वर्णाह्वनापदि ।

पापान्संसृत्य संसारान्प्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥७०॥

(७०) विरक्ति समय के अतिरिक्त साधारण समय में अपने कर्मों के त्याग देने से चार निरृष्ट शरीरों में जन्म लेता है और शत्रुओं के सेवक होते हैं ।

वान्ताशयुल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्युतः ।

श्रमेध्यकुणपाकी च क्षत्रियः कठपूतनः ॥७१॥

(७१) अपने धर्म से पृथक माह्वय वमन (कै) की हुई धस्तु की भक्षण करने वाला उल्का मुख नाम + प्रेत होता है, और अपने धर्म से प्रथक क्षत्रिय मज्ज मूत्र खाने वाला कठपूतन नाम प्रेत होता है ।

+ प्रेत शब्द के अर्थ शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में जानेके है जैसे कि न्यायदर्शन में महात्मा गौतम जी ने शरह की रीति में लिखा अत जहाँ प्रेतना शब्द आये वहा यही अर्थ समझना चाहिये

मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक् ।

चैलाशक भवेत् शूद्रो यो वै धर्मात्स्वकच्युतः ॥७२॥

(७२) जो वैश्य आपद समय में अपने धर्म से पृथक् होता है और पीप अर्थात् गांईत रक्त को खाने वाला मैत्राक्ष ज्योति नाम प्रेम होता है, शूद्र अपने धर्म को त्याग देने से चैलाशक नाम कीड़ा का भक्षण करने वाला प्रेत होता है ।

यथा यथा निपेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः ।

तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते ॥ ७३ ॥

(७३) ❀ विषयों में आत्मा को लगाने वाला मनुष्य जिस २ प्रकार विषयों का सेवन करता है उस उस प्रकार विषयों में कुशल होता है ।

तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्ध्यः

संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्मिह योनियु ॥७४॥

(७४) पाप कर्मों के अभ्यस्त होकर उन्हीं शरीरों में बहुत बार के दुखों को भोगते हैं वह सब निबुद्धि है ।

तामिह्नादिषु चोग्रेषु नरकेषु विवर्तनम् ।

असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥७५॥

❀ ७३ वें श्लोक में जो विषयों में कुशल होना लिखा है उसके अर्थ विषयों में आसक्त होने के हैं और उसके साधन के सामान पर अधिकार प्राप्त कर लेना परन्तु विषय से सुरक्षा न रखनी चाहिये । विषय की इच्छा यद्यपि विषय साधन जुटाने में चतुर हैं परन्तु वास्तव में बुद्धिहीन हो जाता है क्योंकि बुद्धि स्वन्त्रता चाहती है और विषयेच्छा परतन्त्र बनाती है ।

(७५) तामिस्र नाम मूर्खता से व्याप्त जो अर्थात् अति दुःख देने वाला नरक में जिसका वर्णन अध्याय ४के ८६ तथा ६० श्लोकों में किया है जिसमें शरीर अंगों आदि का बांधना आदि दुःखों में दुःख पाते हैं।

विविधाश्चैव संपीडाः काशोलूकैश्च भक्षणम् ।

करम्भवालुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान् ॥७६॥

(७६) और विविध प्रकार के शोक व दुःख को प्राप्त करते हैं कौवा, व उल्लू पक्षी उनको भक्षण करते हैं, उष्ण (गर्म) बालू की उष्णता को प्राप्त होते हैं, अत्यन्त भीषण कुम्भी पाक नाम नरक के दुःख भोगा करते हैं।

संभवाश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः ।

शीतातपामिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥७७॥

(७७) सदैव अति दुःख वाली गर्हित (दूषित) नालियों में उत्पत्ति, शीत, तप, (गर्मी) से दुःख और विविध प्रकार के भय पाते हैं।

असकृद्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम् ।

बन्धनानि च कष्टानि परप्रोष्यत्वमेव च ॥७८॥

(७८) बारम्बार माता के गर्भ से उत्पन्न होने के क्लेश को उठाना, प्रायः बन्धन अर्थात् बन्द होना और दुःख का होना और दूसरों की सेवकाई का बोझ उठाते हैं।

बन्धुप्रियवियोगांश्च संवासं चैव दुर्जनैः ।

द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम् ॥७९॥

(७९) बान्धवों तथा प्रिय लोगों से वियोग, दुर्जनों का संसर्ग

घ घन सहन तथा ॐ घन का संचित होना तदनन्तर उलका लोप (नाश) हो जाना, मित्र शत्रु का मिलना इन सब को पाते हैं ।

जरां चैवाग्रतीकारां व्याधिभिरचोपपीडनम् ।

क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुर्जनम् ॥८०॥

(८०) अप्रतापार (औपधि न होने वाली) व्याधि व जरा (बुढ़ापा) से दुःख व विविध प्रकार (नाना भॉति) के कष्ट उठाने के उपरान्त मृत्यु इन सब को पाते हैं ।

तादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निपेयते ।

तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्नुते ॥८१॥

(८१) जो जिस विचार से किसी काम को करता है वह उसी प्रकार का शरीर धारण करके उस कर्म के फल को भोग करता है अर्थात् जो धर्म के विचार से उपकार वा भलाई करते हैं वह धर्म का फल भोगते और जो यश के विचार से भलाई करते हैं वह यश प्राप्त करते हैं। अथवा यह समझ कर कि सतोगुणी कर्मों के करने से सतोगुणी शरीर को व रजोगुणी कर्मों से रजोगुणी शरीर को तथा तमोगुणी कर्म करने से तमोगुणी शरीर को प्राप्त करते हैं ।

एव सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः ।

नैः श्रेयसकरं कर्म विप्रस्येदं निबोधत ॥८२॥

ॐ घन संचय होकर नाश हो जाना एक बड़ा भारी फलेश है और घन किसी के पास भी तीन पीढ़ी (पुस्त) से अधिक नहीं ठहरता अतएव इससे पूरा दुःख है तथा आत्माको कुछ लाभ नहीं हो सकता अतः लक्ष्मी की अभिलाषा करने वालों को धर्म के कार्यों में लगना चाहिये ।

(६८) सत् रज, तम इन तीनों गुणों से उत्पन्न जो शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध है वह सत्र वेद ही से उत्पन्न हुए हैं।

विभक्तिं सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम् ।

तस्मादैतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥६९॥

(६९) सदैव सत्र जीवों का धारण करने वाला जो वेद शास्त्र है वही मनुष्य का श्रेष्ठ पुरुषार्थी है इस बात को मैं मानता हूँ।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहति ॥१००॥

(१००) सेनापति (अर्थात् सिपहमालार) का कार्य राज्य दण्ड विधान सत्र लोगों का आविस्त्य विज्ञान वेद शास्त्र द्वारा उत्तम और उचित रूप से स्थित कर सकता है।

अथा जातवलो वह्निर्दहत्याद्रीनिपि द्रुमान् ।

तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥१०१॥

(१०१) जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि हरे वृक्ष को भस्म कर देती है उसी प्रकार वेद ज्ञाता अपने कर्म से उत्पन्न हुए दोष को भस्म कर देता है।

वेदशास्त्रार्थतत्वज्ञो यत्र यत्राश्रमे वसत ।

इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूषाय कल्पते ॥१०२॥

(१०२) वेद तथा शास्त्र के अर्थ को सत्योचित [रीति पर समझने वाला चाहे जिस आश्रम में हो वह मोक्ष के योग्य होता है।

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रान्थिभ्यो धारिणो वराः ।

धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥१०३॥

(१०२) जो बुद्ध नहीं जानता उससे एक ग्रन्थ पढ़ने वाला उत्तम है और उससे यह श्रेष्ठ है जो कि पढ़े हुए को नहीं भूलता उससे पढ़े हुए के अर्थ को जानने वाला उत्तम है उससे वेदाक्त कर्म करने वाला श्रेष्ठ है ।

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम् ।

तपसा क्लिष्यं हन्ति विद्यायाऽमृतमश्नुते ॥१०४॥

(१०४) ॐ तप (अपना धर्म) विद्या (ब्रह्मज्ञान) यह दोनों ब्राह्मण के मोक्ष का श्रेष्ठ उपाय है क्योंकि तप से पाप का नाश करता है और विद्या से मोक्ष पाता है ।

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ।

त्रयं सुविदितं कार्ग्यं धर्मशुद्धिमपीप्सता ॥१०५॥

(१०५) धर्म के सिद्धान्त को जानने के इच्छुक मनुष्य प्रत्यक्ष अनुमान, विविध प्रचार का शब्द शास्त्रों में कहा हुआ इन तीनों प्रमाण को भली भाँति जाने ।

आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना ।

यस्तर्केशानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥१०६॥

(१०६) वेद और स्मृति इन दोनों को उत्तम तर्क से जो प्राप्त करता है अर्थात् उनके सत्यार्थ को जानता है वही धर्म ज्ञाता है दूसरा नहीं ।

ॐ सब वेद तथा शास्त्रों का सार यह है कि प्रकृति के विषयों से दुःख उत्पन्न होता है और परमात्मा के योग से सुख उत्पन्न होता है जितना प्राकृति विषयों का अधिक भोग होगा उतना ही पन्थन बढ़ता जावेगा और उसके दुःख भी बढ़ता जावेगा और जितना विषयों से पृथक् रह कर ईश्वरोपासना में लगेगा उसना ही दुःखों से बच कर शान्ति लाभ करेगा ।

नैःश्रेयसमिदं कर्म यथादितमशेषतः ।

मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यभुपदिश्यते ॥१०७॥

(१०७) भृगुजी कहते हैं कि हमने मुक्ति प्राप्त करने के अर्थ वर्णाश्रम और प्रत्येक धर्म को बतलाया अब इसके उपरान्त शास्त्र के गुप्त रहस्य को बतलाते हैं ।

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

य शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मःस्यादशङ्कितः ॥१०८॥

(१०८) + जो धर्म वेद शास्त्र में सक्षेप रीति पर हो और उसकी व्याख्या इस धर्म शास्त्र से ज्ञात न हो तो जिस प्रकार परमात्मा ब्राह्मण व्यवस्था दे उनको संशय त्याग कर धर्म समझना

धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मण ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥१०९॥

(१०९) जो मनुष्य धर्मानुसार चारों वेदों का अभ्ययन करता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है ।

दशावरा वा परिपद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

अथवा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥११०॥

(११०) दश के ऊपर अथवा तीन ऊपर के ब्राह्मणों का जो समूह है वह श्रेष्ठ कहलाता है वह जिस धर्म को कहे वही करना चाहिये ।

+ धर्म की व्यवस्था देने के हेतु सदैव विद्वान् ब्राह्मण को अधिकार दिया परन्तु यहाँ पर गुण कर्म से ब्राह्मण लेने चाहिये स्वयंसे नहीं जिसको मनुजी ने स्पष्ट रीति से दिखाया दिया है अतएव दो वर्ण व्यवस्था से भी धर्म के संशयों का निवारण हो सकता है ।

त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की नैरुक्ते धर्मपाठकः ।

त्रयश्चाध्मिणः पूर्वे परित्स्याद्दशावरा ॥ १११ ॥

(१११) तीनों वेद की एक शास्त्र को पढ़ने वाला श्रुति स्मृति के अनुकूल शास्त्र वाला, मीमांस शास्त्रोक्त इन सत्र का ज्ञाता ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, दश से ऊपर ही वह परिपद कहलाता है ।

ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च ।

व्यवरा परिषञ्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥११२॥

(११२) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों संहिताओं की अर्थ सहित पढ़ने वाले और उनका अर्थ व व्याख्या जानने वाले तीन ब्राह्मण धर्म के संशय का निवारण करें ।

एकोऽपि वेदविद्वर्म यं व्यवस्येद्द्विसोत्तमः ।

स विज्ञेयः परोधर्मो नाऽज्ञायामुदितोऽयुतै ॥११३॥

(११३) वेद ज्ञाता और उसके रहस्य ज्ञान प्राप्त एक ब्राह्मण भी धर्म बतलावे वह धर्म समझना चाहिये और मूर्ख लोग यदि लाख भी हों तो उनका कहना धर्म नहीं ।

अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रशः समेतानां परिपत्त्वं न विद्यते ॥११४॥

(११४) जिन्होंने ब्रह्मचर्यादि व्रतों को न किया और न वेद शास्त्रों को अर्थ सहित पढ़ा हो जो केवल जाति मात्र से जीविका प्राप्त करता हो ऐसा सहस्रों के मिलने से परिपद अर्थात् व्यवस्थापक सभा नहीं कहलाती ।

(८२) मैंने यह सब सारे कर्मों के फल को वर्णन किया उदनन्तर अब ब्राह्मण के मोक्ष देने वाले कर्म को वर्णन करता हूँ ।

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।

अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम् ॥८३॥

(८३) वेद पाठ, जप, ज्ञान इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा (किसी जीव को न मारना) गुरु की सेवा शुभ्रूपा करना यह सब कर्म बड़े कल्याणकारी हैं ।

सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम् ।

किञ्चिच्छ्रेयस्करतरं कर्माक्तं पुरुषं प्रति ॥८४॥

(८४) इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्यों की मोक्ष के हेतु अत्यन्त कल्याण करने वाले हैं ।

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।

तद्ध्यग्र्यसर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥८५॥

(८५) ॐ सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिये क्योंकि यह सब से उत्तम विद्या है और अविद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात् मुक्ति प्राप्त होती है ।

पण्यामेषां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च ।

श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम् ॥ ८६ ॥

(८६) प्रथम कहे हुये छ. कर्मों में वेदानुसार कर्म अर्थात् आत्म

ॐ अर्थात् सात्विक व राजस व तामस भाव से स्नान, दान, योग आदि करे तो अति सत्वगुण रखने व अति रजोगुण रखने वाला व अति तमोगुण रखने वाला शरीर पाकर इस व्रत के द्वारा से स्नान दान, योगकर्म के फल को भोग करता है ।

ज्ञान सव से भ्रष्ट है और इससे संसार में सुख और मृत्यु के चपरान्त मुक्ति लाभ होता है ।

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः ।

अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिस्तस्मिन्क्रियाविधौ ॥८७॥

(८७) इस वैदिक ज्ञान अर्थात् ब्रह्म के साथ लोक में यह सब वेदाभ्यास आदि समाप्त हो जाते हैं अर्थात् जब ब्रह्मोपासना प्राप्त हुई तब कुछ साधन शेष नहीं रहता ।

सुखाभ्युदपिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वेदिकम् ॥८८॥

(८८) वैदिक कर्म दो प्रकार का है एक निवृत्त और दूसरा प्रवृत्ति अर्थात् दुष्कर्मों से पृथक् रहना पूर्ति है और शुभ कर्मों का करना प्रवृत्ति है वा यह कि जिन कर्मों का फल संसार में प्राप्त होता है, जो शरीर कारण है वह कर्म प्रवृत्ति कहलाते हैं और जो ब्रह्मज्ञान के कर्म मुक्ति लाभ करने के हेतु किये जाते हैं, जिसमें आकाश आदि के द्वारा से संसार के सब कर्मों से निवृत्ति अर्थात् पृथक्ता होती है वह निवृत्त कहलाते हैं और उनका फल इन्द्रियों के भोगों से पृथक् रखने वाली मुक्ति होती है ।

इह चासुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते ।

निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥८९॥

(८९) इस लोक और परलोक में मन्त्रांश्लिष्ट फल प्राप्त करने के अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता है और ज्ञान-पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है ।

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम् ।

निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥६०॥

(६०) प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्त कर्म करने से पृथिवी आदि पञ्चभूतों को विजय करता है अर्थात् पञ्चभूतों से जन्म होता है उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता ।

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥६१॥

(६१) सब जीवों में आत्मा को और आत्मा में सब जीवों को समान दृष्टि रखने वाला और परमात्मा की उपासना करने वाला ब्रह्मास्पद को पाता है ।

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः ।

आत्मज्ञाने शमे च स्याद्देवाभ्यासे च यत्नवान् ॥६२॥

(६२) ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मज्ञानी अग्निहोत्र आदि कर्मों को त्याग करके ब्रह्म ध्यान इन्द्रियों को जीतना प्रणव उपनिषद् आदि वेदभ्यास इन सब में प्रयत्न करे ।

एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः ।

प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥६३॥

(६३) ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य के जन्म को सुफल करने वाले आत्मज्ञान तथा वेदाभ्यास कर्म हैं । परन्तु ब्राह्मण तो अधिक इस हेतु इस कर्म को प्राप्त कर कृतकृत्य होता है अर्थात् करने योग्य कार्यों को कर चुकता है ।

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् ।

अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥६४॥

(६४) वेद सदा पितृ व देवता व मनुष्यों के नेत्र हैं । वेद व शास्त्र दोनों संशय के योग्य नहीं हैं और न तर्क करने के योग्य हैं ये शास्त्र की मर्यादा है ।

या वेदवाद्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुट्टयः ।

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठो हि ताःस्मृता ॥६५॥

(६५) जो स्मृति वेद के विरुद्ध हैं जिनको स्वार्थियों ने बनाया है वह सब तमोगुण से भरे हुये हैं और निष्फल है ।

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित् ।

तान्यवकालिगतया निष्फलान्यनृतानि च ॥६६॥

(६६) आप लोगों की बनायी सब पुस्तकें नाशवान हैं यह सब समय के साथ परिवर्तन शील हैं क्योंकि मूर्खता से भरे हुये हैं केवल वेद अनुकूल पुस्तक ही नित्य है क्योंकि उनका मूल वेद नित्य है ।

त्रतुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमोः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्य च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥६७॥

(६७) चारों वर्ण वीनों लोक, पृथक पृथक चारों आश्रम भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ कर्म हैं वह सब वेद ही से प्रसिद्ध होता है ।

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः ।

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥६८॥

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममद्विदः ।

तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्रननुगच्छति ॥११५॥

(११५) जो धर्म के न जानने वाले तमोगुण में पड़े हुये अर्थात् लोभी व क्रोधी पाप को प्रायश्चित्त बतलाते हैं वह पाप हजार गुना होकर व्यवस्था देने वालों के गले पड़ता है ।

एतद्वोऽमिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम् ।

अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥११६॥

(११६) भृगुजी कहते हैं कि हे ऋषियो आपसे मोक्ष देने वाला धर्म का स्पष्ट वर्णन किया जो ब्राह्मण इस धर्म से पृथक न हो वह मोक्ष की पदवी पाता है ।

एवं स भगवानदेवो लोकानां हितकाम्यथा ।

धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥११७॥

(११७) + इस प्रकार विद्वानों के राजा मनु ने ससारे-पकारार्थ यह सब धर्म के गुप्त रहस्य मुझसे वर्णन किये थे जो मैंने तुमसे वर्णन किये हैं ।

सर्वमात्मानि संपश्येत्सच्चाऽसच्च समाहितः ।

सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाऽधर्मे कुरुते मनः ॥११८॥

(११८) शान्ति से बैठकर सब संसार के कार्य और कारण पदार्थों को परमात्मा के आधीन समझे और ईश्वराधीन प्रत्येक वस्तु के समझने से मन अधर्म नहीं कर सकता ।

+ इस श्लोक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह स्मृति भृगु सहिता है ननुस्मृति नहीं ।

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् ।

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥११६॥

(११६) सब देवता आत्मा मे हैं और सब पदार्थ आत्मा मे स्थिर है और परमात्मा ही जीवों के कर्मों के अनुसार उन सब शरीरों को उत्पन्न करता है ।

खं सन्निवेशयेत्खेषु चेष्टानस्पर्शनेऽनिलम् ।

पंक्तिदृष्ट्योःपरं तेजः स्नेहोऽपो गां च मूर्तिषु ॥१२०॥

(१२०) अभ्यन्तर आकाश में जो मनुष्य के भीतर है वाह्य आकाश को और त्वचा की स्पर्श शक्ति में वायु को अभ्यन्तर तेज व प्रकाश में वाह्य तेज व प्रकाश का, अभ्यन्तर जल में वाह्य जल को, शरीर के भूमि सम्बन्धी भाग में वाह्य प्रतियों को लीन करके अर्थात् समाधि करके संसार को अपने भीतर प्यात करे ।

मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रैक्रान्ते विष्णुं बले हरम् ।

वाच्याग्निं मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥१२१॥

(१२१) मन में चन्द्रमा का, श्रोत्रेन्द्रिय में दिशा को, पादेन्द्रिय में विष्णु को, बल में हर को, वाक् इन्द्रिय में अग्नि को, वायु इन्द्रिय में मित्र, देवता को, जिह्व इन्द्रिय में प्रजापति को लीन करे ।

प्रशासितार सर्वेषामखीयासमखोरपि ।

रुक्माभ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥ १२२ ॥

(१२२) सब पर आजा करने वाला छोटे से भी छोटा सोने के तुल्य प्रकाशवान् स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहण करने के योग्य जो पुरुष है उसको पुरुषोत्तम (सबसे बड़ा) जानो ।

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १२३ ॥

(१२३) उस पुरुष को कोई-मनु, कोई अग्नि, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, कोई प्राण और कोई अविनाशी ब्रह्म कहते हैं ।

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चमिव्याप्य मूर्तिभिः ।

जन्मवृद्धिद्वयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४ ॥

(१२४) यह आत्मा पञ्च भूतों और उसी मूर्तियों में व्यापक होकर जगत् को मनुजी व रति और नाश को चक्रवत् कहते हैं ।

एव यः सर्वभूतेषु परयत्यात्मानमात्मना ।

स सर्वसमतामेत्ये ब्रह्माभ्येति पर पदम् ॥ १२५ ॥

(१२५) जो मनुष्य इस विधि से सब प्राणियों में आत्मा को व्यापक देखकर सबको अपनी आत्माके तुल्य समझता है वह समदर्शी होकर ब्रह्मानन्द को पाता है ।

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः ।

भवत्पाचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम् ॥१२६॥

(१२६) इस मनु ने धर्म शास्त्र को जो कि भृगुजी ने कहा है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पदता है और तदनुसार कार्य करता है वह अभिलापित गति को प्राप्त करता है ।

मनुजी के धर्म शास्त्र भृगुजी की सहिता का वाग्द्वय
अध्याय समाप्त हुआ ।

—०—

* समाप्तम् *

